चतुर्दश माला, खंड 23, अंक 5

मंगलवार, 28 नवम्बर, 2006
7 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 15 July 2008

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 23, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 5, मंगलवार, 28 नवम्बर, 2006/7 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	#
*तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82, 84 और 85	5–35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 83 और 86 से 101	35–79
अतारांकित प्रश्न संख्या 837 से 1066	79–477
सभा पटल पर रखे गए पत्र	477–483
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	483–484
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किया गया कार्य	484–485
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन	485
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
बारहवां प्रतिवेदन	485
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
इकतालीसवां से तैंतालीसवां प्रतिवेदन	486
रेल संबंधी स्थायी समिति	
चौबीसवां और पच्चीसवां प्रतिवेदन	486
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
सत्रहवां प्रतिवेदन	486–487

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	487–521
(एक) देश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बे समय से बड़ी संख्या में लम्बित मामलों से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम	487–501
श्री जी. करूणाकर रेड्डी	487–488, 489–491
श्री हंस राज भारद्वाज	488–489, 494–501
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	491–492
श्री शैलेन्द्र कुमार	493
डा. के.एस. मनोज	493–494
श्री राम कृपाल यादव	494
(दो) अरुणाचल प्रदेश में कतिपय पनबिजली परियोजनाओं, जिनमें ''नेशनल हाइडल पावर कारपोरेशन'' द्वारा निवेश किया गया है, को निजी क्षेत्र के उद्यमियों को सौंपे जाने से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम	501–521
श्री बसुदेव आचार्य	501–502, 505–508
श्री सुशील कुमार शिंदे	502–505, 515–520
श्री तापिर गाव	508–511
श्री कीरेन रिजीजू	511–514
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	514–515
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा	523–526
श्री प्रणव मुखर्जी	523–526
सदस्यों द्वारा निवेदन	
पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी की मांग	530–537
नियम 377 के अधीन मामले	554–564
(एक) आमपोखरा तराई, उत्तराखण्ड में काशीपुर और रामनगर के बीच वनों की कटाई रोके जाने की आवश्यकता	
श्री के.सी. सिंह ''बाबा''	554–555
(दो) देश के पूर्वी भागों में एन्सीफैलिटिस को फैलने से रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री फ्रांसिस फैन्थम	555
(तीन) गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिन पाठक	556

विषय	कॉलम
(चार) झांसी-जौनपुर और इलाहाबाद से होकर दिल्ली-हावड़ा के बीच चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों का मार्ग बदलने की आवश्यकता	
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	556–557
(पांच) राजस्थान में "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री कैलाश मेघवाल	557
(छह) कोयला तथा अन्य प्रमुख खनिजों की रायल्टी दर में मूल्यानुसार आधार पर संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री धर्मेन्द्र प्रधान	558
(सात) केरल में ऋण ग्रस्त किसानों को राहत प्रदान करने हेतु एस.एस. स्वामीनाथन समिति के कार्यकरण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
डा. के.एस. मनोज	558–559
(आठ) उत्तर प्रदेश को निर्धारित कोटा के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	559
(नौ) बिहार के मधुबनी जिले में बलिराज गढ़ को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	559–560
(दस) तमिलनाडु के वेल्लौर और तिरूवन्नामलाई जिले में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री डी. वेणुगोपाल	560–561
(ग्यारह) उड़ीसा राज्य में उत्पादित बिजली पर लेवी शुल्क लगाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	561
(बारह) बिहार में हाल ही में खोले गए केन्द्रीय विद्यालय में कक्षाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभुनाथ सिंह	561–562
(तेरह) तमिलनाडु में बंद पड़े डाकघरों को फिर से खोलने तथा कोविलपट्टी टाऊन पोस्ट आफिस में दो बार डाक वितरण सेवाएं पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस. रविचन्द्रन	562
(चौदह) राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ी गिरफ्तारी को पारपत्र जारी नहीं किए जाने का आधार न बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री एल. राजगोपाल	563–564
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006	564–606
विचार करने के लिए प्रस्ताव	564
श्री भर्तृहरि महताब	564–567
कुंवर मानवेन्द्र सिंह	567–571

विषय	कॉलम
प्रो. रासा सिंह रावत	571–575
श्री अलकेष दास	575–578
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	578–581
प्रो. एम. रामदास	581–584
श्री नवीन जिन्दल	584–586
प्रो. चन्द्र कुमार	586–588
श्री गिरधारी लाल भार्गव	588–589
डा. राजेश मिश्रा	590–591
श्री पी.सी. थामस	592–593
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	593–594
श्री एस. मल्लिकार्जुनैया	594
श्री शरद पवार	595–605
खंड 2 से 6 और 1	606
पारित करने के लिए प्रस्ताव	606
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	607
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	608–616
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	617–618
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	617–620

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 28 नवम्बर, 2006/7 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 81, श्री सुबोध मोहिते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, कल हमने आपको स्थगन प्रस्ताव दिया था। तथ्यों के परे उत्तर प्रदेश में *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल है। मैं प्रश्नों के अलावा अन्य किसी बात की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया कोई भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यहां यह सब क्या हो रहा है? मैं क्या कर सकता हूं जब सत्ताधारी दल ही सभा की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहता? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूं। यह सब क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने स्थान पर जाएंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग जाइये, अपनी सीट पर बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सोच से बाहर है कि आप इस सभा में व्यवधान डाल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। आप अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठिये। मेहरबानी करके बैठिये। अगर कुछ उठाना है तो 12 बजे यह कीजिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं और कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। आप लोग बैठिये, बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या यह सभा चलेगी अथवा नहीं? कृपया मुझे इसके बारे में बतायें। कृपया बैठ जाइए। यहां यह सब क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं आपसे बैठने का अनुरोध करता हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रामगोपाल जी, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप बैठेंगे या नहीं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इनका क्या नाम है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी चीज की हद होती है। मुझे उनका नाम दीजिए। कृपया आप बैठेंगे या नहीं? यह उत्तर प्रदेश विधान सभा नहीं है। जिस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं उससे मैं हतप्रभ हूँ। सभी वरिष्ठ सदस्य भी इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। यदि कहीं कोई समस्या है तो आप जाकर इसका समाधान कीजिए। भारत की संसद इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। पूरा देश हमें देख रहा है और आप अन्य लोगों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। सर्वप्रथम अपने आप को देखिए। मैं आपमें से प्रत्येक को आज की कार्यवाही की एक-एक सी.डी. दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप भी बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं यह करूंगा। किसी न किसी को एक न एक दिन इस सभा से बाहर होना पड़ेगा। यहां मजाक हो गया है। परन्तु मैं इस सभा की गरिमा समाप्त करने के लिए इसकी अध्यक्षता नहीं करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को भी देखना चाहिए। आपको भी देखना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आज आप थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैं अपने वक्तव्य के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): मुंबई के मामले में कल हाउस *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुंवर मानवेन्द्र सिंह, आप हद पार कर रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: श्री सुबोध मोहिते, प्रश्न सं. 81

वस्त्र क्षेत्र संबंधी कानूनों में संशोधन

+*81. श्री सुबोध मोहिते:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वस्त्र क्षेत्र लचीले कानूनों के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने में सफल नहीं रहा है जैसा कि दिनांक 3 अक्तूबर, 2006 के ''हिन्दुस्तान'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मौजूदा कानूनों, विशेषकर वस्त्र क्षेत्र संबंधी श्रम कानूनों को लचीला बनाने के उद्देश्य से उनमें संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वस्त्र क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए और अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या वस्त्रों के निर्यात से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए गठित मंत्री समूह ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें दे दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में क्या स्थिति है?

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। भारत का वस्त्र निर्यात वर्ष 2004-05 में 14.03 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 17.08 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है, इसमें 21.8% की वृद्धि दर्ज हुई है। डीजीसीआईएंडएस के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का वस्त्र निर्यात अप्रैल-जुलाई, 2006 की अवधि के दौरान 61. बिलियन अमरीकी डालर का हुआ है जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16.08% की वृद्धि दर्ज हुई है। उद्योग विजन (भारतीय कपास मिल परिसंघ की ओर से 2004 में क्रिसिल द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार) भारतीय वस्त्र उद्योग में 2010 तक वैश्विक वस्त्र एवं क्लोदिंग बाजार में देश का हिस्सा दुगुना करने की क्षमता है।

(ख) से (ङ) सरकार ने वस्त्र निर्यात की वृद्धि के लिए कारकों की जांच के वास्ते एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया है। यह मंत्री समूह कच्ची सामग्री लेन-देन, श्रम, बिजली और मशीनरी तथा अन्य इनपुट लागतों जैसे उत्पादन के कारकों की महत्वपूर्ण ढंग से जांच कर भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। मंत्री समूह ने इस मामले में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

तथापि, सरकार भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सतत उपाय करती है। इस संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नलिखित हैं:-

(1) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(2) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(4) कपास की उत्पादकता एवं गुणता में सुधार के लिए सरकार ने कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी), शुरू किया है। बेहतर कृषि प्रथाओं, गुणवत्ता की बीजों, बाजार अवसंरचना में सुधार तथा जिनिंग एवं प्रेसिंग क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

(5) वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के उत्पादन आधार के विस्तार के उद्देश्य से ''निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना'' तथा ''वस्त्र केंद्र अवंसरचना विकास योजना'' का विलय कर ''एकीकृत वस्त्र पार्क योजना'' नामक एक नई योजना तैयार की गई है। इस योजना में 2007-08 तक भारत के संभावित विकास केंद्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 25 वस्त्र पार्क सृजित करने की परिकल्पना है।

(6) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के

लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का एक विकल्प दिया गया है।

(7) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(8) परिधान निर्यातकों को उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक ट्रिमिंग एवं अंलकरण मदों की 21 मदों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है।

(9) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.05 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(10) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की सात शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केन्द्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(11) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसे सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

श्री सुबोध मोहिते: अध्यक्ष महदोय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उस संबंध में मैं मंत्री जी ने जो फीगर दी है, उसके अनुसार सन् 2004-05 में 14.03 मिलियन टन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुआ है।

[अनुवाद]

यह निर्यात 17.08 बिलियन अमरीकी डालर का था तथा वर्ष 2005-06 के दौरान यह निर्यात 17.08 बिलियन अमरीकी डालर का रहा और संबंधित वृद्धि 21.8 प्रतिशत रही। मैंने यह पेज वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। वृद्धि के संबंध में कोई समस्या नहीं है। सभी सैक्टर्स में ग्रोथ हो रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सुबोध मोहिते: मैं अभी प्रश्न पर आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि जब सभी सैक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। जब सभी सैक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, तो नार्मली इस स्ट्रीम में भी ग्रोथ होना चाहिए? मेरा सवाल यह है कि जब ओवर आल 28 प्रतिशत ग्रोथ है, तो आपने टेक्सटाइल में जो ग्रोथ बतायी है, यह 21.8 प्रतिशत है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में यह वृद्धि दर कम क्यों है?

अध्यक्ष महोदय: यह आपका क्वैश्चन है, जबकि आप प्रश्न लॉ के बारे में कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आप अपने प्रश्न को देखें जो लचीले कानूनों के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री शंकरसिंह वाघेला: महोदय, यह बात सही नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की भी अगर आप जनवरी से अभी तक की फीगर्स लेंगे, तो भी ग्यारह प्रतिशत इंडिया का एक्सपोर्ट है। मैक्सिको जो पहले आगे था, वह-10 प्रतिशत है, चाइना छः प्रतिशत है, टोटल अमेरिका में जो इंपोर्ट हुआ है, वह 2.5 प्रतिशत है, इसमें हमारी ग्रोथ 11 प्रतिशत है। यह बहुत अच्छी बात है। यूरोपियन कंट्रीज में हमारी ग्रोथ 24 प्रतिशत है यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में बूम है और पूरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है और डब्ल्यूटीओ के बाद जो होमवर्क हमने किया था, उस हिसाब से जिस फीगर का हमने अंदाजा किया था, उसी हिसाब से एक्सपोर्ट हो रहा है।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मेरा क्वैश्चयन यह है कि बाकी सैक्टर्स से यह लैग क्यों कर रहा है? यह मेरा सिम्पल क्वैश्चन है कि जब 28 प्रतिशत ओवर आल ग्रोथ है, तो यह पर्टीकुलर टेक्सटाइल सैक्टर में 21 प्रतिशत क्यों है? इसके क्या कारण हैं?

श्री शंकरसिंह वाघेला: हर एक इंडस्ट्री की अपनी-अपनी फीगर होती है और मैं मात्र अपने मंत्रालय की बात कर सकता हूं। मुझे इसमें कोई प्राब्लम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप सेकेंड सप्लीमेंट्री पूछिए।

[अनुवाद]

श्री सुबोध मोहिते: मैं इन आंकड़ों के माध्यम से विश्लेषणात्मक रूप से अपनी बात रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: वह विश्लेषणात्मक उत्तर भी दे रहे हैं। कृपया विश्लेषणात्मक रूप से अपनी बात कहने के बजाय सटीक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न काटन एक्सपोर्ट के बारे में है। आपने अपने जवाब में इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। सन् 2002-03 से जो फीगर बताती है कि काटन का एक्सपोर्ट शेयर एवरेज ग्रोथ का 10.7 प्रतिशत है, जबकि हमारा एवरेज टोटल ग्रोथ 25 प्रतिशत है। मेरा सवाल यह है कि जब हम किसानों की बात करते हैं, काटन की बात करते हैं, काटन ग्रोथ की बात करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह कहते हुए खेद है कि प्रश्न बिल्कुल भिन्न है।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपके नहीं कहने से क्या होगा? आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सुबोध मोहिते: मैं पूछना चाहता हूं कि काटन का एक्सपोर्ट क्यों कम हुआ?

[अनुवाद]

क्या कारण हैं। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

यह बिल्कुल सटीक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: मूल प्रश्न वस्त्र क्षेत्र हेतु कानून संशोधित करने के संबंध में है। लेकिन आप कहीं और चले गए।

[हिन्दी]

श्री शंकरसिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महाराष्ट्र से हैं। बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। हमने पहली बार 25 लाख बेल्स से ज्यादा चीन को एक्सपोर्ट किए। हमारा इम्पोर्ट कम हो रहा है। हमारा प्रोडक्शन 250 लाख बेल है। आज सीसीआई कमर्शियल आपरेशन भी कर रहा है, एमएसपी भी कर रहा है। भारत का काटन के एक्सपोर्ट का रिकार्ड है। इतना एक्सपोर्ट हो रहा है जितना पिछले आठ सालों में नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुग्रीव सिंह–उपस्थित नहीं।

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष महोदय, वस्त्र उद्योग के बारे में मंत्री जी ने जो डिटेल दी है, उससे यह निश्चित है कि काफी बजट बढ़ाने का काम किया गया और तमाम प्रोग्रैस की गई। लेकिन लघु उद्योगों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। वे बिल्कुल चौपट होते जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो छोटे-छोटे उद्योग चौपट हो रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं, दोनों मंत्री मिलकर उनका सरलीकरण करके क्या उन्हें एक्सपोर्ट में शामिल करेंगे? कपास के दाम बहुत बढ़ गए हैं। क्या गरीब लोगों को भी शामिल करने का कार्य करेंगे जिससे हमारे देश में छोटे-छोटे उद्योग आज की इस दौड़ में शामिल हो सकें?

श्री शंकरसिंह वाघेला: महोदय, माननीय सदस्य छोटे उद्योगों के बारे में बता रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि छोटी इंडस्ट्रीज के लिए जो सैनवैट हटाने की बात थी, यूपीए सरकार ने आते ही 2004-05 के पहले बजट में सैनवैट हटाया जिससे पूरी इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट या प्रोडक्शन की एकदम ग्रोथ हुई।

अगर आपके ध्यान में हैंडलूम की बात है, गरीब लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्कीम है। आप जो छोटी इंडस्ट्रीज के बारे में कह रहे हैं, हमने उनके लिए हर साल बजटरी प्रोवीजन बढ़ाए हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे पास छोटे उद्योगों के बारे में कोई कम्प्लेंट आई है कि उन्हें क्या रियायतें चाहिए। अगर कोई और पैंडिंग प्राब्लम होगी और वह हमारे पास आएगी तो हम उनका सौल्यूशन निकालेंगे।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: अध्यक्ष महोदय, मेरा मेडन प्रश्न है। मंत्री के तौर पर मैं जवाब देता रहा हूं, लेकिन सांसद के रूप में मेरा पहला प्रश्न है जो टैक्सटाइल से रिलेटेड है। डब्ल्यूटीओ जो मल्टी फाइबर एग्रीमैंट था, एक जनवरी, 2005 से जो कोटा फ्री रिजीम आया, उसका जितना फायदा उठाना चाहिए, उतना हमने क्यों नहीं उठाया। आज भी चीन का एक्सपोर्ट 80 बिलियन डालर है जबकि वहां कोटा रिजीम है जो सन् 2008 में खत्म होगा।

भारत में एक जनवरी, 2006 में कोटा रिजीम खत्म हो गया, लेकिन आज भी बहुत सी इंडस्ट्रीज को जो ग्रोथ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। आपने 25 प्रतिशत ग्रोथ बताई है और पिछले छः महीने में सिर्फ 10 प्रतिशत के करीब ग्रोथ हुई है। हमने तय किया था कि लेबर ला तथा और चीजों में सुधार करेंगे ताकि चीन, बंगलादेश और पाकिस्तान से कम्पीट कर सकें। आज लोग बहुत सी इंडस्ट्रीज भारत की जगह बंगलादेश में लगा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चीन से कम्पीट करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री शंकरसिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, चीन के प्रोडक्शन और सिस्टम के साथ कमपैरीजन का सवाल नहीं है। चीन पूरी दुनिया में बहुत मास प्रोडक्शन, डम्पिंग कर रहा है। आपका मेडन प्रश्न होगा लेकिन आप पहले भी सरकार में रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के बाद जो भी होम वर्क करना चाहिए, मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री ने मिलकर किया। हमने जो लक्ष्य बनाया है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं वौल्यूम के बारे में बात नहीं करूंगा लेकिन परसैंटेज में भारत ने चीन को भी ओवरटेक किया है, चीन की ग्रोथ हमारे से कम है, छः महीने की फिगर है। आप जो 11 प्रतिशत कह रहे हैं, वह आधी फिगर है। जो 26 प्रतिशत है, एक साल के अंदर हम 26 प्रतिशत से भी ज्यादा क्रास कर पाएंगे।

दूसरा, लेबर की बात है। इसके लिए हमने लेबर मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, पावर मिनिस्ट्री की मीटिंग बुलाकर उनके आगे इंडस्ट्री की डिमांड पुटअप की थी। उसमें लेबर क्लीयरेंस, इंडस्ट्री और राज्य सरकार भी शामिल थी। लेकिन आज तक उसका कुछ कन्कलूजन नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्री अबु अयीश मंडल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार भारतीय वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु लगातार उपाय कर रही है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से भारतीय रिकार्डों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र के निर्यात तथा आयात के ब्यौरे के बारे में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकरसिंह वाघेला: महोदय, एक्सपोर्ट की फिगर्स मैंने बतायी है। जो इम्पोर्ट हो रहा है, हम स्पेशली लाग स्टेपल फाइबर के हिसाब से पहले तकरीबन 12 लाख बेल्स इम्पोर्ट करते थे। शायद काटन का एक्सपोर्ट भी कम हो गया है। दूसरा इम्पोर्ट पेरीटी में है लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट होना चाहिए, जो लक्ष्य लेकर हम चले, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम 2010 का लक्ष्य समय पर पूरा कर लेंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या निर्यातोन्मुखी सिले-सिलाये वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कोई विनिर्दिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और यदि नहीं, तो क्या निर्यातोन्मुखी सिले-सिलाये वस्त्रों का उत्पादन करने हेतु ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की कोई योजना है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप कहां से कहां चले गये हैं?

श्री शंकरसिंह वाघेला: महोदय, यह प्रश्न कामर्स मिनिस्ट्री का है। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री की पहले जो दो स्कीमें थीं- टीसीआईडीएस और अपैरेल पार्क, जिसमें हम 17 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये सबसिडी देते थे, उन दोनों स्कीम्स को हमने इंटीग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क बनाया है। इसमें हम 40 करोड़ रुपये सबसिडी या 40 परसेंट जो भी कम हो, वह देते हैं। हमारा लक्ष्य जो 25 पार्क्स को साकार करने का है, वह हमने सैंक्शन कर दिया है। 12 पार्क्स के लिए हमने बजट भी दे दिया है। आने वाले समय में हमारे ऊपर और भी प्रैशर है। ये 25 पार्क्स और डेवलप हों, इसके लिए हमें प्लानिंग कमीशन या कैबिनेट में जाना पड़ेगा, तो हम जायेंगे। लेकिन बहुत अच्छा परफोमैंस इंटीग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क स्कीम का है जिसमें हम 40 करोड़ रुपये या 40 परसेंट जो भी कम हो, वह देते हैं। महाराष्ट्र में काफी अच्छा लाभ हम लोगों ने स्पेशली पावर लूम सैक्टर ने लिया है।

[हिन्दी]

निर्यात विकास केन्द्र

***82. श्री +वी.के. ठुम्मर:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात विकास केन्द्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकों और छोटे उद्यमियों के बीच पारस्परिक संबंध को बढ़ावा देने' हेतु किसी सलाहकार तंत्र की व्यवस्था करने पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ङ) मंत्रालय ने कोई निर्यात विकास केन्द्र अभिज्ञात नहीं किया है। तथापि, विदेश व्यापार नीति के तहत, सरकार विशिष्ट भौगोलिक स्थलों में कतिपय कस्बों, जो सामान्यत: 1000 करोड़ रुपए या इससे अधिक मूल्य की वस्तुएं या 250 करोड़ रुपए या इससे अधिक मूल्य के हथकरघा; हस्तशिल्प, कृषि एवं मात्स्यिकी क्षेत्र की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, को निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों के रूप में मान्यता प्रदान करती है। उत्कृष्टता वाले कस्बों को मिलने वाले लाभ हैं:- (1) इन कस्बों में सामान्य सेवा प्रदाता ईपीसीजी स्कीम के पात्र होते हैं, (2) इन कस्बों में स्थित इकाइयों की मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों संकेन्द्रित प्रौद्योगिकीय सेवाओं के सृजन हेतु बाजार पहुंच पहल स्कीम के अंतर्गत निधियां प्राप्त कर सकती हैं और (3) निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों को अभिज्ञात की गई आकस्मिक अवसंरचना संबंधी अंतरों को पाटने के लिए एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान करने में वरीयता दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय: भविष्य में आप अपना उत्तर सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है। मैंने देखा है कि दस साल में देश-विदेश में निर्यात की काफी संभावनाएं हैं। लेकिन 1995-96 के रिकार्ड के जरिये कृषि के क्षेत्र में किसानों की हिस्सेदारी काफी घटी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि किसानों की उत्पादित जो भी वस्तुएं हैं, उनका निर्यात बहुत कम है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वर्ष 1996 के बाद एनडीए सरकार ने किसानों को मारने का काम किया है। इस कारण किसानों की जो वस्तुएं निर्यात होनी थीं, वे कम हो गयीं। जब यूपीए की सरकार आई तब उसने निर्यात के क्षेत्र में काम किया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में निर्यात होने वाली वस्तुओं को उत्पादित करने वाले मजदूरों के लिए कौन सी विकास योजनाओं एवं योजनाओं के कार्यान्वयन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? दूसरा, देश में हीरों एवं आभूषणों का निर्यात हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या क्वेश्चन है और आप क्या सप्लीमैंट्री पूछ रहे हैं?

श्री वी.के. ठुम्मर: मैंने यही कहा कि हीरों का निर्यात हो सकता है लेकिन सरकार उसे बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या समग्र निर्यात नीति प्रश्न काल के दौरान ही बतानी पड़ेगी?

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ: महोदय, माननीय सदस्य ने सही बात कही है कि कृषि उपज के निर्यात की बहुत संभावना है। इस दृष्टि से पिछले साल विशेष कृषि उपज योजना लागू की गयी है। वह उपज जिसका अपना स्थान विश्व व्यापार में नहीं बन पाया है, उसकी मदद करने के लिए यह योजना बनाई गयी थी। इसके साथ ही पिछले साल हमने फोकस प्रोडक्ट्स एवं मार्केट स्कीम, उन देशों जहां पर हमारा व्यापार नहीं हो रहा है, के लिए बनाई गयी है और उन चीजों के लिए बनाई गयी है जिनका इतनी बड़ी मात्रा में निर्यात नहीं हो पाया है।

श्री वी.के. ठुम्मर: महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कृषि में इस समय काटन का उत्पादन बढ़ा है, तो इस उत्पादन का निर्यात करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है? अगर काटन का आयात प्रतिबन्धित करके, काटन का निर्यात करने के लिए प्रयास किए जाएं तो किसानों के हित का काम हो सकता है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मंत्रालय ने अभी तक कोई कृषि निर्यात विकास केन्द्र अभिज्ञात नहीं है कि जबकि वाणिज्य रिपोर्ट, 2005-2006 के पृष्ठ संख्या 33 पर कहा गया है कि उत्पादन केन्द्रों को पत्तनों से जोड़ने वाली सड़कों, अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो और कंटेनर स्टेशनों की स्थापना जैसे बुनियादी सुविधाओं का विकास करने का मेरा काम है। लेकिन इसके लिए मैं पूछना चाहता हूं कि कृषि निर्यात के लिए सरकार की नीति क्या है?

श्री कमल नाथ: महोदय, जहां तक कपास की बात है, इसके बारे में कृषि मंत्रालय से चर्चा हो रही है और इस बार कपास का उत्पादन बहुत बढ़ा है। इसके लिए आयात ड्यूटी बढ़ाने या घटाने की बात हो या निर्यात के लिए कोई सुविधा देने की बात हो, उसके लिए कृषि मंत्रालय जो सुझाव देगा, उनके साथ बैठकर हम लोग उसे तय कर लेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या उड़ीसा राज्य में किसी शहर का निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में चिह्नित किया गया है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यदि नहीं, तो क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है?

अध्यक्ष महोदय: संबंधित प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद।

श्री कमल नाथ: निर्यात उत्कृष्टता वाले 12 शहर हैं जिनकी घोषणा की जा चुकी है। घोषित शहरों में उड़ीसा का एक भी शहर नहीं है। तथापि, यदि माननीय सदस्य या राज्य सरकार योजना के मानदण्डों के तहत कोई प्रस्ताव भेजना चाहती है तो इस पर ध्यान देने में केन्द्र सरकार को खुशी होगी।

श्री उमर अब्दुल्ला: धन्यवाद महोदय, मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि निर्यात विकास केन्द्र को परम्परागत रूप से उन क्षेत्रों एवं उन उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जहां पर हम बहुत अधिक सफलता अर्जित नहीं कर पाए हैं। मैं ऐसे क्षेत्र से हूं जो अपने हस्तशिल्प एवं अपनी हथकरघा के लिए प्रसिद्ध हैं तथा छोटे स्तर पर एवं निजी पहल के माध्यम से हम निर्यात करने में सक्षम हैं। हम किसी प्रकार की सरकारी सहायता तथा सरकारी समर्थन की आशा कर रहे हैं तथा यह हमें नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे श्रीनगर हेतु, विशेषकर हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र पर केन्द्रित निर्यात विकास केन्द्र के बारे में विचार करेंगे।

श्री कमल नाथ: मार्केट एक्सेस इनशियटिव तथा एएसआईडीई योजनाएं राज्यों की सहायता हेतु बनाई गई है। यह बात सत्य है कि माननीय सदस्य जिस क्षेत्र से आते हैं वहां अपार संभावनाएं हैं। यदि ऐसा प्रस्ताव मार्केट एक्सेस इनशियटिव तथा एएसआईडीई योजना के अंतर्गत आता है तो इन पर विचार करने पर हमें बहुत खुशी होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे एक प्रस्ताव मुझे भेज दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस संबंध में माननीय सदस्य से सहमत हूं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: धन्यवाद महोदय। केरल राज्य कुछ कृषि उत्पादों चाय, काफी, मसाले, समुद्री उत्पादों तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने केरल में कोचीन नामक शहर का चयन किया है। कोचीन हमारे देश में ही निर्यात हेतु एक महत्वपूर्ण स्थल है। क्या सरकार ने कोचीन को निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में चिह्नित किया है? क्या निर्यात विकास के लिए कोचीन शहर का कोई सहायता प्रदान की गई है?

श्री कमल नाथ: महोदय, कुल मिलाकर, केरल के शहर अधिकतम इस योजना में है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि निर्यात उत्कृष्टता के 12 शहर में से चार शहर केरल के है। इसलिए यह माननीय सदस्य के लिए सन्तोष की बात होनी चाहिए। ये शहर हैं–

(1) कन्नूर, (2) एर्नाकुलम अर्थात् अरूर, अल्लापुन्ना, कोडान्थुरूथू तथा कुथियाथोडु, (3) एलेप्पी तथा (4) कोल्लम अर्थात् कुइलोन। एक हस्तशिल्प उत्पादों हेतु दूसरा समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए तीसरा कायर उत्पादों के लिए तथा चौथा काजू उत्पादों के लिए है। अतः इसमें बहुत अधिक क्षेत्र शामिल हैं। निर्यात उत्कृष्टता के इन सभी शहरों को एएलआईडीई योजना में तथा इपीसीजी योजना सहित मार्केट एक्सेस योजना में प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन यदि इन किन्हीं भी क्षेत्र में कोई विनिर्दिष्ट उदाहरण हो जहां वे चाहते हैं कि सरकार ध्यान दें, अवश्य ध्यान देंगे। यदि माननीय सदस्य मुझे ब्यौरा भेजते हैं तो मुझे खुशी होगी।

श्री हितेन बर्मन: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में कितने निर्यात विकास केन्द्र हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार कूच-बिहार जिले के चेन्गराबन्धा शहर को शामिल करे। वहां पर एक बहुत पुराना सीमा शुल्क केन्द्र है तथा भूटान एवं बांग्लादेश के बीच पारगमन मार्ग है। शहर की भौगोलिक स्थिति कृषि वस्तुओं की निर्यात सुविधाओं के लिए उपयुक्त है। महोदय, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि एक निर्यात विकास केन्द्र स्वीकृत करने के लिए चेन्गराबधा शहर को शामिल किया जाए।

श्री कमल नाथ: निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों के लिए कतिपय मानदंड है। निर्यात संभावनाएं होने का अनिवार्यतः यह अर्थ नहीं है कि यह निर्यात उत्कृष्टता वाला शहर होना चाहिए।

तथापि, पश्चिम बंगाल में किसी भी शहर को निर्यात उत्कृष्टता वाला शहर घोषित नहीं किया गया है। यह कतिपय मानदंडों पर आधारित है, कोई भी शहर अब तक इन मानदंडों को पूरा नहीं करता है। लेकिन यदि किसी क्षेत्र विशेष में चाहे मार्केट एक्सेस इनिशियटिव या एएसआईडीई योजना के अंतर्गत ऐसा प्रस्ताव आएगा तो इन पर ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का समय दिया। मैंने मंत्री जी को पत्र लिखा था कि 'एपेडा' के माध्यम से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन को मान्यता दी है, उनमें से एक भी कार्यान्वित नहीं हुआ है। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि हम इसे देख रहे हैं और जरूर कुछ न कुछ करेंगे। मैंने अनुभव किया है कि बीओटी के लिए कोई बिड नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें इतनी कमाई नहीं है इसलिए उसमें घाटा होता है। आज कृषि में आयात बढ़ रहा है और निर्यात कम हो रहा है। मल्टी नेशनल कम्पनीज काफी तादाद में अपने देश में आ रही हैं, जिनमें से कई रिटेल क्षेत्र में जा रही हैं। इससे विदेशों से सब्जियां, फल और फूल अपने यहां आ रहे हैं और आएंगे और किसानों को और घाटा होगा। इसलिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन की बढ़ोत्तरी के लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कहेंगे कि यह राज्य का विषय है, लेकिन यह केन्द्र सरकार से भी जुड़ा है। इसलिए क्या इसमें भारत सरकार दिलचस्पी लेगी? दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितना प्रावधान किया गया था और कितना खर्च हुआ तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है, जिससे कृषि और किसान दोनों को लाभ होगा?

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की अहम बात यह है कि अगर सब्जियों और फलों का आयात बढ़ेगा तो हमारे किसानों को हानि होगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। हमारा आयात शुल्क घटाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि 40 प्रतिशत सब्जियां और फल जो सड़ जाते हैं, किसानों को उसके लिए लाजिस्टिक कोल्ड चेन और वेयरहाउसिंग की सुविधाएं प्राप्त हों, ताकि इन 40 प्रतिशत सब्जियों और फलों को बचाया जा सके। यह बहुत बड़ी संख्या है और विश्व में अपना ही देश है जहां 40 प्रतिशत सब्जियां और फल सड़ जाते हैं। यहां तक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन की बात है, तो यह बात सही है और हम इस योजना को फिर रीअसेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें जितनी उम्मीद थी कि इतना फायदा होगा, उतना नहीं हुआ। वह इस कारण नहीं हुआ कि इसके लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता थी, बीओटी में यह सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य ने खुद कहा है कि इसमें मुनाफा नहीं होता, नुकसान होता है। इसलिए इसे एक नई दृष्टि से हम दोबारा देख रहे हैं ताकि इसे सफल बनाया जा सके।

श्री विजय कृष्ण: अध्यक्ष महोदय, उत्कृष्टता वाले कस्बों की चर्चा बहुत से माननीय सदस्यों ने की है और उत्तर में कहा गया है कि सामान्य सेवा प्रदाता को ईपीसीजी स्कीम के तहत सुविधा दी जाएगी। मैं एक सहज सवाल माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ईपीसीजी स्कीम और एएसआईईबी स्कीम के साइलेंट फीचर्स क्या हैं?

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष जी, जहां तक एसाइड स्कीम का सवाल है तो एसाइड स्कीम राज्यों को दी जाती है। उनकी जो तरह-तरह की योजनाएं हैं, शो-रूम्स खोलने के लिए, मार्किट एक्टीविटीज के लिए। जहां तक एसाइड स्कीम की बात है तो राज्यों को यह सुविधा दी जाती है, उनकी मदद की जाती है, तरह-तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजैक्ट बनाने के लिए, विभिन्न स्कीमों के लिए कैपीटल आउट-ले के लिए, एग्रो-बिजनैस जोन्स के लिए, सुविधाओं में मदद देने के लिए। मैं माननीय सदस्य को इसके नियम भेज दूंगा। इसी प्रकार से मार्किट एक्ट इनीशिएटिव स्कीम है जिसमें शो-रूम्स से लिए, मार्किट सर्वे के लिए अन्य प्रकार की उनको मदद दी जाती है। मैं माननीय सदस्य को ये दोनों जो स्कीम्स हैं, उनके नियम भेज दूंगा।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज: महोदय, घोषित किए गए निर्यात उत्कृष्टता वाले 12 शहरों में से 2 शहर अर्थात् अरूर तथा अलेप्पी मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं। उन्हें निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर घोषित किये जाने के सिवाय वहां कुछ भी नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या निर्यात उत्कृष्टता के रूप में घोषित किए गए शहर विशेष आर्थिक क्षेत्र के संस्थानों के लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र की तरह ही माना जाएगा। मेरा मानना है कि उत्तर 'नहीं' है।

श्री कमल नाथ: एएसआईडीई योजना के अंतर्गत, यदि कोई बुनियादी संरचना का विशेष आर्थिक क्षेत्र तक विस्तार है, तो हम

इसे बढ़ावा देंगे, विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर यदि इसे बाहर से प्रदान किये जाने का प्रयास किये जाने की आवश्यकता है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में एएसआईडीई योजना का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि संपर्क स्थापित करने या इस प्रकार की कोई अन्य चीज जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में नहीं हैं तो एएसआईडीई योजना के अंतर्गत इस पर ध्यान दिया जा सकता है लेकिन यह विनिर्दिष्ट प्रस्ताव पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 83

श्री हितेन ब.्न–उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन समझौते का प्रभाव

***84. प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व व्यापार संगठन प्रणाली तथा व्यापारियों के साथ इसके अंतर्गत किए गए समझौतों के बारे में सम्यक जागरूकता पैदा करने से देश के व्यापार में मदद मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय व्यापारियों के हितों के मद्देनजर विश्व व्यापार संगठन प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना केन्द्र/परामर्श केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय उद्योग, विशेषकर भेषज उद्योग के संबंध में विश्व व्यापार संगठन का क्या प्रभाव है; और

(ङ) भारतीय उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]-

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) डब्ल्यूटीओ करारों से उत्पन्न अधिकारों एवं दायित्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ताओं में भारत का दृष्टिकोण तैयार करने की दृष्टि से सरकार द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों, उद्योग एसोसिएशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कृषक समूह, सिविल सोसायटियों, उपभोक्ता संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किए जा रहे हैं। सरकार ने सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को शामिल करते हुए विशेषज्ञ दलों का गठन किया है तथा हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्रभावों की जांच करने हेतु अनुसंधान अध्ययन करवाए गए हैं। डब्ल्यूटीओ सचिवालय, अंकटाड, एस्कैप और अन्य बहुपक्षीय निकायों, विश्वविद्यालयों तथा उद्योग एसोसिएशनों के सहयोग से हितबद्ध पक्षकारों के साथ समय-समय पर सेमिनारों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। वाणिज्य विभाग की वेबसाइट में ''भारत और डब्ल्यूटीओ'' पर एक पृथक वेब पेज है जिसमें करारों के प्रावधान स्पष्ट दिए गए हैं तथा वार्ताओं की स्थिति के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के लिए अद्यतन सूचना उपलब्ध है। विशिष्ट करारों के तहत व्यापार में तकनीकी बाधाओं तथा स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों के बारे में पूछताछ करने हेतु पूछताछ केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उपर्युक्त को देखते हुए सरकार डब्ल्यूटीओ मुद्दों से संबंधित सूचना के प्रचार प्रसार हेतु पृथक सूचना/परामर्श केन्द्र स्थापित करने की जरूरत महसूस नहीं करती है।

(घ) डब्ल्यूटीओ की स्थापना से ही भेषजीय उत्पादों के व्यापार सहित पण्य वस्तु श्रेणी तथा वाणिज्यिक सेवाओं, दोनों श्रेणियों में भारत के व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत का पण्य वस्तुओं का कुल निर्यात वर्ष 1994-95 में 26.33 बिलियन अम. डा. से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 102.7 (अनंतिम) बिलियन अम. डा. हो गया है जबकि इसी अवधि के दौरान पण्य वस्तुओं का कुल आयात (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर) 22.2 बिलियन अम. डा. से बढ़कर 105.1 (अनंतिम) बिलियन अम. डा. हो गया है। भेषजीय उत्पादों का निर्यात वर्ष 1999-2000 में 854.51 मिलियन अम. डा. से काफी अधिक बढ़कर वर्ष 2005-06 में 2444.06 मिलियन अम. डा. हो गया है। इसी प्रकार, भारत का कुल वाणिज्यिक सेवा व्यापार वर्ष 1994 में 14.06 बिलियन अम. डा. से बढ़कर वर्ष 2004 में 80.58 बिलियन अम. डा. हो गया है।

(ङ) भारत डब्ल्यूटीओ वार्ताओं में इस दृष्टिकोण से भाग ले रहा है ताकि वार्ताओं के प्रत्येक चरण में उसकी चिंताओं और हितों का पर्याप्त समाधान जारी रहना सुनिश्चित हो सके। चल रही वार्ताओं की अत्यावश्यकता की अपेक्षानुसार भारत अपने राष्ट्रीय हितों की पैरवी करने तथा किसानों, उद्योग, सेवा प्रदाताओं और व्यापारिक सत्ताओं के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से डब्ल्यूटीओ के विभिन्न वार्ताकारी निकायों में प्रस्ताव प्रस्तुत करता आ रहा है। हमारे वार्ताकारी उद्देश्य विश्लेषणात्मक कार्य और हितबद्ध पक्षकारों के साथ वार्ता की गहन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किए गए हैं। भारत द्वारा विभिन्न वार्ताकारी मुद्दों पर विकासशील देशों के कृषि संबंधी जी-20, कृषि वार्ताओं के तहत विशेष उत्पाद एवं विशेष रक्षोपाय तंत्र संबंधी जी-33, गैर-कृषि बाजार पहुंच वार्ताओं के संबंध में एनएएमए-11, सेवाओं में ''पद्धति 4 के मित्र'' और व्यापार से संबद्ध पौद्धिक संपदा अधिकारों में ''भौगोलिक संकेतकों के मित्र'' जैसे गठबंधन बनाकर अपने राष्ट्रीय हितों की पैरवी की जा रही है। भारत पारस्परिक हित के मुद्दों पर एक-दूसरे की स्थितियों को मजबूत करने के लिए देशों के जी-20, जी-33 और जी-90 समूहों का एक व्यापक गठबंधन में लाकर विभिन्न विकासशील देशों के गठबंधनों को सुदृढ़ करने में सक्रिय भूमिका भी अदा कर रहा है। घरेलू मोर्चे पर सरकार संवेदनशील मदों के आयातों में वृद्धि पर नियमित निगरानी रख रही है और वह समस्त घरेलू रितबद्ध पक्षकारों के हितों की रक्षा करने हेतु डब्ल्यूटीओ सुसंगत ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस युग में हम अलग नहीं रह सकते हैं। आज दुनिया बहुत छोटी हो गयी है और व्यापार भी विश्व-व्यापी हो गया है। डब्ल्यूटीओ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद हम उसके नियमों में बंध गये हैं। जो भी निर्णय वहां होते हैं, हमें उन नियमों का अनुपालन करना पड़ता है। जैसा सरकार ने कहा है कि वह भारत के हितों की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील है। देश में एक धारणा प्रचलित है कि ईस्ट-इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने यहां आयी थी और धीरे-धीरे उन्होंने सारी अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में करके भारत को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ लिया था और उनका शासन यहां 200 वर्षों तक रहा। आजादी के 59 वर्षों के पश्चात् हमने डब्ल्यूटीओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। भारत एक विकासशील देश है, अविकसित देश है और हमारे पास इतने साधन और क्षमता नहीं है कि हम विकसित देशों से टक्कर ले सकें। विकसित देशों के अपने हित में इंट्रेस्ट हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि भारत के हितों की रक्षा के लिए और विशेषकर कृषि के क्षेत्र में और अभी जो वस्त्रों की चर्चा हुई, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको पगड़ी से ज्यादा जोश आ गया है।

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार स्वदेशी की रक्षा किस प्रकार करना चाहती है? क्या वह अकेले ही करना चाहती है या एशिया और अफ्रीका के अविकसित देशों को साथ लेकर, एक दबाव का रूख बना करके डब्ल्यूटीओ में अपनी आवाज मजबूती के साथ रखना चाहती है?

अध्यक्ष महोदय: इसमें आपके दोनों सप्लीमेंटरी हो गये हैं।

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, भारत की आवाज बहुत मजबूत है। हमने जी-20, जी-33 गठबंधन और ग्रुप बनाये हैं, इन सब में सम्मिलित होकर, इन सब का साथ देकर और लेकर अपनी बात सामने रख रहे हैं। जैसा कि सदन को जानकारी है कि जुलाई के बाद डब्ल्यूटीओ की दोहा राउंड की जो चर्चाएं हो रही थीं, वे स्थगित कर दी गई हैं क्योंकि वे भारत को अस्वीकार्य हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। यह बात सच है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद केवल व्यापार में छूट ही न हो बल्कि न्याय भी हो, यह हमारा लक्ष्य है। इसी उद्देश्य को लेकर, हम भारत की बात सब मंचों पर होने वाली चर्चा में रखते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें बताया है कि कार्यशाला, संगोष्ठियां की है, बड़े ग्रुप बनाए हैं या अन्य मंचों में डब्ल्यूटीओ से होने वाले प्रभाव के बारे में निरन्तर चर्चा की है। हिन्दुस्तान की लगभग 75 परसेंट जनता गांवों में रहती है। अभी तक आम किसान या आम मजदूर को इनके प्रभावों के बारे में तनिक मात्र जानकारी नहीं है। हम इन मामलों में शहरी क्षेत्रों तक सीमित रह गए हैं। क्या डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर करने के बाद, 10-12 वर्ष का जो समय हो गया है, हमने कोई समीक्षा की है कि उसके कारण कितने लघु और कुटीर उद्योग खत्म तथा नष्ट हो गए हैं? कुल मिलाकर जो उत्पादन होता था, उनमें किस प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार भौतिक सम्पदा के नाम पर या पेटेंट के नाम पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की समीक्षा करा कर आम जनता को उनसे अवगत कराना चाहेगी?

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में माननीय सदस्य से मदद चाहूंगा और वह आम जनता तक यह बात पहुंचाएं। पिछले 10 सालों में हमारा जो निर्यात बढ़ा है जिससे देश का विकास और प्रगति हो रही है, आज ग्रोथ साढ़े आठ परसेंट हो रहा है, इनको बिल्कुल जेनरलाइज करना कि नुकसान हुआ है,

कहना सही नहीं होगा। यह बात सही है कि डब्ल्यूटीओ के बाद कुछ कष्ट हुए हैं, कष्ट के साथ-साथ भारत का आज जो अंगेजमैंट विश्व व्यापार में है, उससे औद्योगिकीकरण बढ़ा है और उसका भी लाभ हुआ है। पूरी तुलना करके निचोड़ निकाला जा सकता है। इनका निचोड़ निकाला गया है। इसकी बहुत स्टडी की गई है। कुल मिलाकर इसका फायदा हुआ है। देश में केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ क्रय शक्ति बढ़ी है। हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। जहां तक रक्षा की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरी तरह इस काम को किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल: दोहा दौर की वार्ता में जारी गतिरोध और अपने-अपने देशों में चलाई जा रही राजसहायता प्रणाली के बारे में यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका के अड़ियल रूख के संबंध में, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एपेक वार्ता सहित व्यापार में प्रमुख भागीदारों के समूहों द्वारा क्या कोई प्रभावी विकल्प तलाशा जा रहा है तथा क्या हाल ही में कुछ क्षेत्रीय वार्ता हुई है?

श्री कमल नाथ: जहां तक हाल ही में हुई एपेक की बैठक का संबंध है, भारत एपेक का सदस्य नहीं है। परन्तु अपनी घोषणा में उन्होंने वार्ता फिर शुरू करने को कहा है। हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इस दौर में वैश्विक व्यापार में ढांचागत कमियों का स्थायीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि इन कमियों को दूर करना चाहिए। इसमें अधिकतम प्रशुल्क, प्रशुल्क में बढ़ोत्तरी, सेवाओं तथा नियमों के मुद्दे शामिल हैं।

इस पर अब भी गतिरोध बना हुआ है। हमें आशा है कि विकसित देश इस बात को समझेंगे कि दौर को पूरा करना महत्वपूर्ण है और साथ ही इस विकास दौर की विषय-सूची भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: ऐसी खबरें हैं कि सरकार पेटेंट आवेदकों, अर्थात् बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विशेष रूप से आंकड़े उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है, ताकि नैदानिक परीक्षणों के बारे में जो डाटा वे सौंपेंगे वे उनकी संपत्ति होनी चाहिए तथा इसका उपयोग विशेष रूप से उनके द्वारा ही हो जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संबंधित अधिनियम में संशोधन करना चाहती है या नहीं।

श्री कमल नाथ: महोदय, ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) में अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने के पश्चात् आंकड़े के स्वामित्व (डाटा एक्सलुसिविटी) पर कार्रवाई की जानी शेष है। इस पर विचार किया जा रहा है। ऐसा कोई विधेयक नहीं है, जिसका प्रारूप अभी तक तैयार किया गया है। कुछ भी नहीं किया गया है। चर्चाएं की गई हैं। आज प्रश्न यह है कि यह केवल बहुराष्ट्रीय भेषज क्षेत्र की मांग नहीं है। हमारा अपना भेषज क्षेत्र, जोकि स्वयं अनुसंधान कर रहा है, वह भी किसी प्रकार का संरक्षण चाहता है। यदि आप भविष्य की ओर देखें तो हम केवल बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रयोक्ता नहीं बने रहेंगे, हम बौद्धिक संपदा अधिकार के स्तब्ध बन जाएंगे। इसलिए हम इन पहलुओं की ओर ध्यान दे रहे हैं। हम विभिन्न निकायों, विभिन्न संस्थाओं से चर्चा कर रहे हैं ताकि उचित रास्ता तलाशा जा सके। परन्तु अभी तक ऐसे किसी विधेयक का मसौदा तैयार नहीं किया गया है। हम जांच कर रहे हैं कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

विद्यालय न जाने वाले बच्चे

*85. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 6-13 वर्ष आयु समूह के उन बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो या तो विद्यालय नहीं जाते हैं या जिन्होंने विद्यालय जाना छोड़ दिया है;

(ख) क्या इन मुद्दों पर विद्यालय जाने वाले बच्चों के संबंध में आई.एम.आर.बी.-एस.आर.आई. द्वारा किये गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष, जो कि 8 सितम्बर, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुए हैं, सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आई.एम.आर.बी.-एस.आर.आई. के निष्कर्ष सरकार के पास उपलब्ध ब्यौरों के अनुरूप हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की नीति 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के विद्यालयों में पंजीकरण में वृद्धि करने तथा विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने में सक्षम नहीं रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) एस.आर.आई.-आई.एम.आर.बी. को एक स्वतंत्र सर्वेक्षण आयोजित करने का दायित्व भारत सरकार ने सौंपा था। इस सर्वेक्षण में यह बताया गया कि जुलाई-अगस्त 2005 में 6 से 14 आयु वर्ग के 1.34 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते।

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र घरेलू सर्वेक्षणों तथा स्थानीय रिकार्डों को अद्यतन बनाने के माध्यम से प्रतिवर्ष स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या का मूल्यांकन करते हैं। इनके आधार पर 31 मार्च, 2006 तक स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 70.56 लाख थी।

एस.आर.आई.-आई.एम.आर.बी. राष्ट्रीय सर्वेक्षण, 2005 के अनुसार ऐसे स्कूल-बाह्य बच्चे, जिनका कभी नामांकन नहीं हुआ तथा जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो, का राज्यवार ब्यौरा तथा 31 मार्च, 2006 तक की स्थिति को दर्शाने वाला राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा दिया गया अद्यतन आंकड़ा संलग्नक में दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के लिए भारत सरकार के वार्षिक आबंटन को वर्ष 2006-07 में बढ़ाकर 11000 करोड़ रु. कर दिया गया है तथा इसमें उन जिलों जिनमें स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, पर विशेष ध्यान देने का लक्ष्य रखा गया है।

अनुबंध

सर्वेक्षण, 2005 के अनुसार सभी नामांकित न किए गए तथा पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों तथा 31 मार्च, 2006 तक स्कूल न जाने वाले बच्चों के विषय में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिया गया राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्यों के नाम	राष्ट्रीय सर्वेक्षण, 2005 के अनुसार पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों (6 से 14 वर्ष) की संख्या	राष्ट्रीय सर्वेक्षण, 2005 के अनुसार कभी नामांकित न हुए बच्चों (6 से वर्ष) की संख्या	सर्वेक्षण (कालम 3+4) के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चों (6 से 14 वर्ष) की संख्या	राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों की 31.3.2006 तक की रिपोर्टों के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चों (6 से 14 वर्ष) की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	41	124	165	302
2.	आंध्र प्रदेश	338535	204130	542,665	359829
3.	अरुणाचल प्रदेश	590	22447	23,036	38079
4.	असम	278834	257385	536,220	375820
5.	बिहार	553354	2623270	3,176,624	2315362
6.	चंडीगढ़	648	2438	3,086	0
7.	छत्तीसगढ़	129300	125437	254,736	168435
8.	दमन और दीव	6086	48	6,134	147
9.	दिल्ली	52411	32013	84,424	85402
10.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
11.	गोवा	0	1155	1,155	0
12.	गुजरात	194796	185648	380,444	288850
13.	हरियाणा	78661	95379	174,040	185823
14.	हिमाचल प्रदेश	0	4942	4,942	4967
15.	झारखंड	192760	428184	620,945	366498
16.	जम्मू-कश्मीर	4777	0	4,777	112396
17.	कर्नाटक	59215	60302	119,517	160513
18.	केरल	23242	0	23,242	18398
19.	लक्षद्वीप	829	275	1,104	0
20.	मध्य प्रदेश	178858	906238	1,085,096	472242
21.	महाराष्ट्र	214109	315187	529,295	151083
22.	मणिपुर	25766	41750	67,515	69005
23.	मेघालय	3070	19061	22,132	109636
24.	मिजोरम	139	1419	1,558	4305
25.	नागालैंड	19218	13188	32,406	43854
26.	उड़ीसा	168061	164553	332,615	603261
27.	पांडिचेरी	0	583	583	1724
28.	पंजाब	9601	99153	108,754	79994
29.	राजस्थान	220274	574815	795,089	134173
30.	सिक्किम	846	2957	3,803	6300
31.	तमिलनाडु	57369	136049	193,418	108227
32.	त्रिपुरा	1739	3383	5,121	17305
33.	उत्तर प्रदेश	785088	2210120	2,995,208	104087
34.	उत्तरांचल	74491	42189	116,680	5612
35.	पश्चिम बंगाल	600037	613167	1,213,205	664448
	संपूर्ण भारत	4272744	9186989	13,459,734	7056077

[हिन्दी]

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास दो समय का भोजन नहीं है जहां 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। 10 से 12 साल के बच्चे अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए काम में लग जाते हैं, ऐसे बच्चों के आंकड़े क्या हैं? ऐसे बच्चों की शिक्षा स्तर में सुधार करने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या केंद्रीय सरकार के पास कोई योजना है जिससे इन बच्चों को शिक्षा की तरफ उत्साहित किया जाए?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान में 6-14 साल की उम्र के बच्चों की तादाद तकरीबन 19.4 करोड़ है। आई.एम.आर.बी.-एस.आर.आई. सर्वे के तहत स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे तकरीबन 1.34 करोड़ हैं जो इस उम्र के बच्चों का तकरीबन 6.94 प्रतिशत है। अभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में मार्च में हुए सर्वे के रिजल्ट्स आए हैं इसमें तकरीबन 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आपको जानकारी है कि बहुत से मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे बच्चे स्कूल में रहे और इसके लिए मिड-डे-मील का प्रावधान है। खास तौर से लड़कियां, जो स्कूल से बाहर हैं, उनके लिए पूरे मुल्क में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए हैं। एजुकेशनली बैकवर्ड और गरीब इलाके, जहां गरीब बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में उनके रहने, खाने, पीने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा बहुत से इनीशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और आउट आफ स्कूल बच्चों को ब्रिज कोर्सिस कराकर स्कूल में लाने का इंतजाम किया जा रहा है। इस तरह से बहुत से इनीशिटिव्स लिए जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि बच्चे स्कूल में हैं।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव: महोदय, क्या सरकार के पास पूरे देश के प्रारंभिक और जूनियर हाई स्कूल के आंकड़े हैं? विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में प्राइमरी से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या क्या है? एक शिक्षक जितने बच्चों को पढ़ाता है, अगर पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं तो शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार की आगामी योजना क्या है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, आउट आफ स्कूल बच्चों में से तकरीबन 69 प्रतिशत बच्चे पांच राज्यों से हैं। जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या बिहार में 31.74 लाख है, उत्तर प्रदेश में 29.95 लाख, वैस्ट बंगाल में 12.13 लाख, मध्य प्रदेश में 10.85 लाख और राजस्थान में 7.95 लाख है। इनके लिए हम स्पेशल इनिशिएटिव ले रहे हैं। इन पांच राज्यों में आउट आफ स्कूल बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां हमने एस.एस.ए. फंड भी ज्यादा दिया है और उन पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना संवैधानिक दायित्व, प्रतिबद्धता तथा निदेश है, जिसका पालन करने में हम अभी तक विफल रहे हैं। हमने इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हर दस वर्ष में समय-सीमा को छह बार बढ़ाया है। हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में इसका उल्लेख किया गया है। अपने उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि 1.34 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूल नहीं गए हैं और 12 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तथा इनका आंकड़ा 3.59 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत से अधिक है और इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक लड़कियां हैं जिसका कारण है स्कूलों में शौचालय की सुविधाओं का अभाव।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार की नीति क्या है और सरकार इस संवैधानिक दायित्व तथा निदेश के लक्ष्य को कब तक पूरा करना चाहती है। सरकार उन 12 राज्यों पर क्या विशेष ध्यान दे रही है जोकि राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं? बालिकाओं की शिक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि उनकी संख्या अधिक है और वे स्कूल से बाहर हैं? इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए सरकार से अब तक क्या वास्तविक कदम उठाए हैं तथा इस प्रतिबद्धता को कब तक पूरा किया जाएगा?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: जैसा मैंने पहले बताया कि पांच ऐसे राज्य हैं, जिनमें 69.1 परसैन्ट बच्चे स्कूल से बाहर हैं। उनके लिए हमने इस साल आउटले सबसे ज्यादा किया है। इसमें बिहार को इस साल का आउटले 2414 करोड़ रुपये दिया है, मध्य प्रदेश को 1869 करोड़, राजस्थान को 1253 करोड़, उत्तर प्रदेश को 3679 करोड़ और वैस्ट बंगाल को 1464 करोड़ रुपये दिया है। यह पूरे नेशनल बजट का तकरीबन 51 परसैन्ट है।

जहां तक लड़कियों का सवाल है, उनके लिए कक्षा एक से आठ तक मुक्त किताबें दी जाती हैं। मिड डे मील की फैसिलिटी कक्षा एक से पांच तक सबके लिए है। इसके अलावा हम टायलेट का इंतजाम सभी स्कूलों में करने का काम कर रहे हैं। इसमें बड़ा

अचीवमैन्ट हुआ है, लेकिन इसमें अभी और अचीवमैन्ट की जरूरत है। इसके अलावा हम लोग गर्ल्स फ्रैन्डली स्कूल्स बनाना चाहते हैं। जिनमें हमारी डायरेक्शंस हैं कि कम से कम पचास फीसदी फीमेल टीचर्स अपाइंट हों। ये सब इनिशिएटिव्ज हैं, जिनके जरिये हम स्कूलों को गर्ल फ्रैन्डली बनाना चाहते हैं। ताकि लड़कियां बड़ी तादाद में स्कूलों में आएं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि गांवों में भी लोग उसको प्रोपोगेट करें। हमारे स्कूलों के मैम्बर्स भी लड़कियों को स्कूल तक लाने की कोशिश करें। चूंकि बहुत सारे सामाजिक बैरियर्स हैं, जिनकी वजह से लड़कियां स्कूलों में नहीं आती हैं। इसमें हम सब लोगों को मिलजुलकर काम करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री बृज किसोर त्रिपाठी: उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्य उन 12 राज्यों में हैं। इन राज्यों के संबंध में आपने क्या विशेष कदम उठाए हैं? आपने इस बात का उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, उड़ीसा का जो प्रोग्रैस है ...*(व्यवधान)* उड़ीसा में आउट आफ स्कूल बच्चों की तादाद कम है। वहां भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन वहां स्टेट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। स्टेट्स के साथ बहुत सारी चीजें पैन्डिंग हैं, उन्हें चाहिए कि वे तेजी से काम करें।

श्री चरणजीत सिंह अटवाल: स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक अहम् सवाल पर मुझे बोलने का मौका दिया। जैसे प्राइमरी स्कूलों में ड्राप-आउट का मामला है कि 6 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चों का स्कूलों से ड्राप-आउट बहुत बढ़ गया है। मैं किसी भी सरकार पर कोई एलीगेशन नहीं लगाना चाहता लेकिन इंसानियत के तौर पर मैं इस पर बात करना चाहता हूं।

दूसरे, मैं कहना चाहता हूं कि अगर पहली जमात से लेकर पांचवीं जमात तक के ही हमारे बच्चे पढ़ न सकें तो हमारे डाक्टर, इंजीनियर और अच्छे शहरी कहां से पैदा होंगे? मुझे नहीं पता कि मंत्री जी आपके आंकड़े क्या कहते हैं लेकिन मेरा गांवों से जो वास्ता है, पंजाब के बारे में कह सकता हूं और हो सकता है कि अन्य राज्यों में भी ऐसा हो कि ड्राप-आउट 80-90 प्रतिशत तक चला गया है। इस तरह से बच्चों का ड्राप-आउट बढ़ने से नेशनल को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं जानना चाहता हूं कि जो 6 साल से लेकर 13 साल के बच्चे हैं और जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर मैं कहूं कि मेरे देखने का भाव ऐसा है और *हमारे पंजाब के विषय में मैं कह सकता हूं कि गांवों की* एजुकेशन पूरी तरह से कालैप्स हो चुकी है। इसे रिवाइव करने के लिए मैं चाहता हूं कि यह फार्मूला कि पचास बच्चों के पीछे एक टीचर होता है, मैं इस बात को आज तक नहीं समझ पाया हूं कि जो सिलैबस पांचवीं जमात का है और टीचर एक है तो चाहे 40-50 बच्चे हों चाहे सौ बच्चे हों, वह अकेला कैसे कवर करेगा? जिन राज्यों के पास इकानोमिकल रिसोर्सेज कम हैं जिसकी वजह से वे टीचर भर्ती नहीं कर सकते और बच्चों का ड्राप-आउट बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं?

इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल यह है कि 6 साल से लेकर 13 साल तक के जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां स्टेट बोर्ड का सिलैबस अलग होता है और सीबीएसई के बच्चों का सिलैबस अलग होता है। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका सिलैबस और सीबीएसई स्कूलों का सिलैबस एक हो, इसके लिए क्या आप तैयार हैं? मेरे ये दो सवाल हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक ड्राप-आउट आफ स्कूली बच्चों का सवाल है, रैगुलरली देश के अंदर इसमें डिक्लाइन हो रहा है। मेरे पास कक्षा एक से लेकर पांच तक के जो आंकड़े हैं, 2001-02 के मुकाबले ड्राप-आउट 39.03 प्रतिशत रहा है जो 2003-04 में घटकर जो आंकड़े हमारे पास हैं, उसके मुताबिक 31.36 प्रतिशत हुआ है यानी करीब 7.67 प्रतिशत के करीब रिडक्शन हुआ है। जो ड्राप-आउट की प्रतिशत पहले थी, वह पहले से कम हो रही है। हम लोगों ने देश के अंदर 48 जिलों को जहां ड्राप-आउट सबसे ज्यादा है, उनको आइडेंटिफाइ किया है और इस तरफ पूरा जोर दिया है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देकर बच्चों को स्कूलों तक लाया जाए। जो 74 फीसदी सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और जहां तक सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का सवाल है, अब यह स्टेट बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह से चला चाहते हैं। वे स्वतंत्र हैं। वे अपने निर्णय स्वयं ले सकते है। आपने जहां तक प्यूपिल्स-टीचर्स रेशियो की बात कही है, जो आपने चालीस बच्चों के पीछे एक टीचर की बात कही है, हमारा मानना है कि चालीस पर एक टीचर हो तो एक से काम चल जाएगा और दूसरी सलाह है कि इसको कम किया जाए। आगे अब जैसे होगा, उस पर कंसीडर किया जाएगा।

जहां तक माननीय सदस्य ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत टीचर्स की जरूरतों के बारे में सवाल किया है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि पूरे हिन्दुस्तान में जिस स्टेट से टीचर्स की रिक्वायरमेंट आती हैं, हम वह मांग तुरंत पूरी करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, कृपया उस प्रश्न का उत्तर मत दीजिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः श्री मोहन सिंह आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। मैं आपको एक अवसर दूंगा। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया मुझे बता दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने ईजीएस सैंटर्स खोले हैं जिसमें बच्चे थर्ड क्लास तक पहुंचे। इसे गवर्नमेंट आफ इंडिया ने फोर्थ तथा प्राइमरी स्कूल बनाना है। थर्ड क्लास तक सारे बच्चे पहुंच गये हैं, लेकिन बच्चों के लिये अगली क्लास में जाने के लिये स्कूल नहीं हैं। जैसा मंत्री जी कह रहे हैं कि अब ड्राप-आउट्स कम हो रहे हैं, लेकिन इससे तो ड्राप आउट्स और भी बढ़ जायेंगे। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि एजुकेशन गारन्टी स्कीम में फोर्थ क्लास में बच्चों को बिठाने के लिये सरकार क्या कर रही है? जैसा मंत्री जी ने सवाल के जवाब में बताया है कि ड्राप आउट्स कम हो रहे हैं लेकिन अब ड्राप-आउट्स ज्यादा हो जायेंगे, उसके लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमीः अध्यक्ष जी, एजुकेशन गारन्टी स्कीम के तहत पढ़ने वाले बच्चे नीयरबाई स्कूल में शिफ्ट हो जायेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसे गवर्नमेंट स्कूल में तब्दील कर सकती है। यह काम स्टेट गवर्नमेंट को करना है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं इन सब बातों की अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदयः यह संभव नहीं है। मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीमः अध्यक्ष महोदय, 1950 में जब संविधान बना था, उस समय 6 से 14 साल के बच्चों की तालीम के बारे में सरकार को सोचना चाहिये था। आज मंत्री जी कह रहे हैं कि ड्राप-आउट्स की फिगर्स डिक्लाईन हो रही हैं फिर भी यह तसल्लीबख्श नहीं है। क्या आज हम अपने बच्चों को 6 साल की उम्र में स्कूल भेजते हैं, नहीं। आज 56 साल के बाद तालीम के मामले में अवधारणा बदल गई है कि कब तक फोर्थ प्लस और अप टू 14 साल होगी? उस वक्त मिडिल लैवल था यानी क्लास आठवीं तक था लेकिन आज सैकंडरी लैवल पर सभी राज्यों ने इसे एक्सैप्ट कर लिया है। इसलिये सरकार को अपनी सोच बदलकर इसे फोर्थ प्लस और 16 साल तक की उम्र तक करना पड़ेगा, तभी आप ड्राप आउट्स रोक सकेंगे। अगर बच्चों को आधे रास्ते में ले जाकर छोड़ देंगे, इससे न तो उनकी लाइफ बनेगी और न उनकी लिवलीहुड को टच करेगी। इसलिये बहुत से लोग बिखर जाते हैं। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि आप फोर्थ प्लस और 16 साल तक की उम्र तक कब तक करने का वचिार रखते हैं?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमीः अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की तरफ से आई.सी.डी.एस. के तहत प्री स्कूल्स के लिये एक प्रोग्राम चलता है जिसमें बच्चे जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लिये 6 से 14 साल के बच्चों या एक से आठवीं क्लास तक के बच्चों को आइडैंटिफाई किया गया है। छोटे बच्चों के लिये आई.सी.डी.एस. के तहत प्री स्कूल का एक कार्यक्रम चल रहा है।

श्री मोहन सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने उत्तर प्रदेश का सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिये डेढ़ लाख शिक्षकों की आवश्यकता है लेकिन एक औपचारिकता के तहत भारत सरकार की अनुमति से टीचर्स की भर्ती का काम किया जाता है। पिछले तीन महीने से 50 हजार शिक्षकों की भर्ती करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रत्यावेदन भारत सरकार को दिया गया है लेकिन किसी न किसी बहाने से भारत सरकार उसकी अनुमति देने से कतरा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये हुये आवेदन पर वह कितने समय में अपना निर्णय ले लेंगे?

एक माननीय सदस्यः मई महीने के बाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः हमें शिक्षा को चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, मैं किसी स्टेट के बारे में कुछ नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी 19 लाख से ऊपर बच्चे आउट आफ स्कूल हैं। उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिये कि बच्चे स्कूल में जायें।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 27,381 नये स्कूल बनाने के लिये प्रावधान दिया है। इसके अतिरिक्त 93,781 एडीशनल क्लासरूम और तकरीबन दो लाख 9,926 नये टीचर्स दिये हैं। आप जल्दी-जल्दी अपाइंट करवा दीजिए इलैक्शन्स से पहले।

श्री मोहन सिंह: वह तो हो चुका है। ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए ऋण

*83. **श्री रनेन बर्मन:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण प्राप्त करने में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामने आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऋण लेने वाले व्यक्तियों को सबसे नजदीक के राष्ट्रीयकृत बैंकों से बिना किसी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों के ऋण संवितरण करने के मद्देनजर कोई योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में सरकार रोजगार सृजन की दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम नामतः (1) ग्रामीण क्षेत्रों और 20,000 तक की जनसंख्या वाले लघु कस्बों में ग्रामोद्योगों की स्थापना में उद्यमों की सहायता कर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (2) शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (स्थापित पीएमआरवाई इकाइयों लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में होने का अनुमान है) के लिए निधि उपलब्ध कराती है। इन दोनों स्कीमों के लाभार्थियों के लिए स्वीकार्य सब्सिडी उन बैंकों के माध्यम से जारी की जाती है जिन बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पीएमआरवाई राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती है जबकि आरईजीपी खादी और ग्रामोद्योग आयोग और राज्य/संघ शासित प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

वर्ष 2002-03 के शुरू में दसवीं योजना के दौरान आरईजीपी के अधीन अनुमोदित परियोजना, सृजित रोजगार, उपलब्ध बैंक ऋण और जारी की गई मार्जिन मनी संख्या निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	आरईजीपी के अधीन परियोजनाओं की संख्या		आरईजीपी के अधीन रोजगार	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य (लाख व्यक्ति)	उपलब्धि (व्यक्ति: लाखों में)
2002-03	@	21024	4.00	3.61
2003-04	@	24747	5.00	4.71
2004-05	26248	23453	5.25	5.30
2005-06	28923	26650	5.50	5.68

@लक्ष्य तय नहीं किए गए।

वर्ष	आरईजीपी के अधीन उपलब्ध बैंक ऋण (करोड़ रुपये में)	जारी की गई मार्जिन मनी (करोड़ रुपये में)
2002-03	484.28	193.72
2003-04	664.36	265.75
2004-05	731.00	292.40
2005-06	730.18	320.96

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीएमआरवाई के अधीन आवंटित बजट और जारी निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(राशि: करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट आवंटन (पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रावधान सहित)	जारी निधियां (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जारी निधियां सहित)		
		सब्सिडी	उद्यमिता विकास कार्यक्रम	कुल
2002-03	169.00	152.55	15.55	168.10
2003-04	169.00	147.63	20.20	167.83
2004-05	218.90	190.48	27.69	218.17
2005-06	273.46	251.36	21.11	272.47

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिए गए अनुदेशों के अनुसार ग्राणीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामोद्योगों सहित 5 लाख रुपये तक ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र उद्यमियों द्वारा कोलेट्रल प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा स्थापित किए गए लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएसआई) ने क्रेडिट गारंटी स्कीम के अधीन आरईजीपी के अंतर्गत ग्रामोद्योग इकाइयों के लिए 25.00 लाख रुपये तक के ऋणों को शामिल (कवर) करने के लिए अपनी ऋणदायी सदस्य संस्थाओं को सलाह दी है ताकि ग्रामीण कारीगरों सहित लघु उद्यमियों को कोलेट्रल संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

तथापि, सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि उद्यमियों के सामने आरईजीपी/पीएमआरवाई के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक की परियोजना लागत वाली इकाइयों की स्थापना करने के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां आ रही हैं। इस मामले को आरबीआई/केवीआईसी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के केवीआईबी के ध्यान में लाया गया है तथा इनका समाधान करने के लिए जिला स्तरीय समन्वय समितियों, जिला कार्य बल, राज्य स्तरीय समन्वयन समितियों आदि की बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है।

(घ) मौजूदा आरईजीपी/पीएमआरवाई स्कीम के अनुसार इन स्कीमों के कार्यान्वयन में शामिल किसी बैंक की समीपस्थ शाखा से संपर्क में लाभार्थियों के लिए कोई रोक नहीं है। तथापि, आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने/ऋण के संवितरण के कार्यक्षेत्र के बैंकों द्वारा निर्दिष्ट नोडल/वित्तपोषण शाखा द्वारा किया जाता है। मौजूदा स्कीमों के स्थान पर कोई नई स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों का विकास

***86. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं आर्थिक गणना रिपोर्ट में औद्योगिक रूप से पिछड़े दिखाए गए राज्यों के विकास के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 12 जून, 2006 को जारी की गई 5वीं आर्थिक गणना के अनंतिम परिणामों से संबंधित अखिल भारतीय रिपोर्ट में न तो कोई राज्य/संघ शासित प्रदेश औद्योगिक रूप से पिछड़ा वर्गीकृत है और न ही औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों के विकास के लिए कोई सिफारिश है। इस रिपोर्ट में वर्ष 1998 की तुलना में वर्ष 2005 में केवल उपक्रमों की संख्या तथा उनके विकास और उनमें नियोजित व्यक्तियों, उपक्रमों की चुनिंदा विशेषताओं, कुल उपक्रमों कृषि तथा गैर-कृषि संबंधी उपक्रमों का प्रतिशत, कुल कार्यबल में किराये के श्रमिकों तथा व्यस्त महिला श्रमिकों का प्रतिशत तथा उपक्रम तथा रोजगार में औसतन वार्षिक विकास की व्यवस्था होती है।

[अनुवाद]

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा

***87. श्री प्रबोध पाण्डा:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान को परिमाणात्मक रूप से तो पर्याप्त सफलता मिली परंतु गुणात्मक रूप से नहीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कई जिलों में ऊपरी प्राथमिक स्तर पर इस दिशा में सफलता दर संतोषजनक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा अगस्त, 2006 में प्रकाशित 'शिक्षा संगम' उत्तम पद्धतियों की अन्तरराज्यीय भागीदारी को बढ़ावा देने के लक्ष्य वाला अकादमिक दस्तावेज है और इसमें सर्व शिक्षा अभियान के गुणवत्तापरक अथवा परिमाणपरक सफलता दर का मूल्यांकनपरक निर्धारण नहीं है। दस्तावेज में गुणवत्तापरक सुधार पहलें, बालिकाओं का शिक्षण, वैकल्पिक शिक्षा, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, दूरस्थ शिक्षा और स्कूल प्रबंधन शीर्षकों के अंतर्गत 13 राज्यों की उत्तम पद्धतियां प्रस्तुत की गई हैं। संपूर्ण दस्तावेज www.sristi.org/rjmc/shiksha/index.htm पर उपलब्ध है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई कार्यकलाप आरंभ किये गये हैं। इसमें छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार हेतु 6.66 लाख शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों को वर्ष में एक बार 20 दिनों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण, करीब 5.78 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों और छात्राओं को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पुस्तकों का निःशुल्क वितरण, 6746 ब्लाक संसाधन केंद्रों और 70388 क्लस्टर संसाधन केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को नियमित अकादमिक सहायता और छात्रों का नियमित मूल्यांकन शामिल हैं।

विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना

***88. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री के. फ्रांसिस जार्ज:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय मौजूद विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) और स्थापित किए जाने वाले विशेष आर्थिक जोनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना के प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है और उन्हें अधिसूचित किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना हेतु उपजाऊ भूमि अधिगृहित की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशेष आर्थिक जोनों के संबंध में वर्तमान दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का है ताकि इनकी स्थापना हेतु उपजाऊ भूमि का उपयोग न किया जा सके;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना से किस हद तक किसानों का विस्थापन होने की संभावना है तथा विस्थापितों को कितना मुआवजा देने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) फरवरी, 2006 में एसईजेड अधिनियम और एसईजेड नियमों के अधिनियमन से पूर्व देश में 147 एसईजेड विद्यमान थे। एसईजेड अधिनियम के तहत 237 एसईजेडों को अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से 44 एसईजेडों को अधिसूचित किया गया है। उपरोक्त ब्यौरों को देते हुए एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) से (छ) अब तक स्वीकृत 237 औपचारिक अनुमोदनों में कुल भूमि क्षेत्र 34,510 हैक्टेयर है जिसमें राज्य सरकारों या एसआईडीसी या निजी कंपनियों के पास पहले से ही उपलब्ध भूमि का उपयोग किया गया है। भूमि राज्य का एक विषय होने के कारण विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति एवं उनके पुनर्वास सहित अधिग्रहण नीति उनके कार्यक्षेत्र में आती है।

अतः सरकारों को यह सलाह दी गई है कि एसईजेडों के लिए भूमि का अधिग्रहण करते समय यदि विशेष रूप से बहुत उत्पाद एसईजेडों के लिए क्षेत्र संबंधी न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु दोहरी फसल वाली कृषि भूमि के एक भाग का मजबूरीवश अधिग्रहण करना पड़े तो उसका रकबा एसईजेड हेतु अपेक्षित कुल भूमि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	10.02.2006 तक विद्यमान एसईजेडों की सं.	अनुमोदित एसईजेडों की सं.	एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेडों की सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	01	45	08
2.	दिल्ली		01	-
3.	महाराष्ट्र	01	48	02
4.	गोवा		04	-
5.	हिमाचल प्रदेश		-	-
6.	झारखंड		01	01
7.	उड़ीसा		05	-
8.	पंजाब		04	01
9.	मध्य प्रदेश	01	04	02
10.	राजस्थान	02	03	-
11.	तमिलनाडु	05	25	08

1	2	3	4	5
12.	पश्चिम बंगाल	03	07	01
13.	असम		–	–
14.	छत्तीसगढ़		–	–
15.	कर्नाटक		29	10
16.	केरल	01	10	03
17.	गुजरात	02	18	04
18.	हरियाणा		19	01
19.	उत्तर प्रदेश	01	08	02
20.	चंडीगढ़		02	01
21.	पांडिचेरी		01	–
22.	उत्तरांचल		03	–
	कुल	17	237	44

[हिन्दी]

पुलिस बल में सुधार

*89. **श्री जे.एम. आरून रशीद:**
श्री सज्जन कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में विद्यमान पुलिस व्यवस्था में अपेक्षित सुधार का अध्ययन करने और देश में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु गठित किए गए आयोगों/समितियों का उनके द्वारा की गई सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पुलिस सुधार संबंधी सोली सोराबजी समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को पुलिस व्यवस्था में भारी सुधार करने का निदेश दिया है जैसा कि दिनांक 21 और 24 सितम्बर, 2006 के ''द टाइम्स आफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या हाल ही में राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की कोई बैठक हुई थी;

(छ) यदि हां, तो बैठक में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने विशेष सुरक्षा जोन (एस.एस.जेड.) स्थापित करने संबंधी कोई अध्ययन कराया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (छ) पुलिस प्रशासन में सुधारों को सुकर बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने पुलिस सुधारों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग, पद्मनाभैया समिति, रिबेरो समिति जैसे कई आयोगों/समितियों का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 1996 की सिविल रिट याचिका संख्या 310 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने 22 सितम्बर, 2006 को राज्यों/संघ

शासित क्षेत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा आयोग स्थापित करने, डीजीपी और अन्य प्रमुख पुलिस अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया और न्यूनतम कार्य अवधि तय करने, शुरू में दस लाख या अधिक जनसंख्या वाले कस्बों/शहरी क्षेत्रों में जांच-पड़ताल विंग को कानून और व्यवस्था विंग से पृथक रखने और राज्य तथा जिला स्तरों पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने के संबंध में निदेश जारी किए हैं।

श्री सोली सोराबजी की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की समिति ने माडल पुलिस अधिनियम का मसौदा सरकार को प्रस्तुत कर दिया है।

संघ सरकार, पूर्व में अधिनियमित अधिनियम के स्थान पर संघ शासित क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन लागू करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है। चूंकि पुलिस राज्य का विषय है इसलिए स्वयं राज्य सरकारें इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे केन्द्रीय विधायन को ऐसा ही अपना दें या इसमें संशोधन करें और इसे अपनाएं या संविधान के उपबंधों के अनुसार और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में भी किसी अन्य प्रकार के कानून पारित करें।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मुख्य रूप से पुलिस सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 14.11.2006 को केन्द्रीय गृह सचिव के साथ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/पुलिस महानिदेशकों की बैठक आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई थी कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को उचित रूप से विचार करने और आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए नोट करें।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता है।

विशेष आर्थिक जोनों के लिए कर छूट

***90. श्री कीरेन रिजीजू:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) के लिए दी गई कर छूटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान विशेष आर्थिक जोनों को दी गयी छूटों के परिणामस्वरूप अगले पांच वर्षों में सरकार को काफी राजस्व की हानि होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो एनआईपीएफपी की रिपोर्ट में दिए गए अन्य सुझावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के विकासकर्त्ता तथा एसईजेड इकाइयों को उपलब्ध कर छूटों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) एनआईपीएफपी ने विशेष आर्थिक जोनों के प्रभाव से संबंधित कोई अध्ययन प्रकाशित नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अनुसार एसईजेड विकासकर्त्ताओं तथा इकाइयों को उपलब्ध कर छूटें

एसईजेड विकासकर्ता:-

* अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रचालनों के लिए एसईजेडों के विकास हेतु सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क से छूट।
* आयकर अधिनियम की धारा 80- आईएबी के तहत 15 वर्षों में 10 के एक ब्लाक के लिए निर्यात आय पर आयकर छूट।
* आयकर अधिनियम की धारा 115 जेबी के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट।
* आयकर अधिनियम की धारा 115 ओ के तहत लाभांश वितरण कर से छूट।
* केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) से छूट।
* सेवा कर से छूट (धारा 7, 26 तथा एसईजेड अधिनियम की दूसरी अनुसूची)।

एसईजेड इकाइयां:-

* एसईजेड इकाइयों के विकास, प्रचालन तथा रख-रखाव हेतु वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात/उनकी घरेलू खरीद।

* आयकर अधिनियम की धारा 10कक के तहत एसईजेड इकाइयों हेतु निर्यात आय पर प्रथम पांच वर्षों के लिए 100% अगले 5 वर्षों के लिए 50% की आयकर छूट तथा अगले 5 वर्षों के लिए पुन: प्रयुक्त निर्यात लाभ पर 50% की छूट।

* आयकर अधिनियम की धारा 115 जेबी के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट।

* मान्यता प्राप्त बैंकिंग माध्यमों के जरिए परिपक्वता संबंधी किसी प्रतिबंध के बिना एसईजेड इकाइयों द्वारा एक वर्ष में 500 मिलियन अमरीकी डालर तक बाह्य वाणिज्यिक ऋण लिए जाने की अनुमति।

* केंद्रीय बिक्री कर से छूट।

* सेवा कर से छूट।

[अनुवाद]

विदेशी विश्वविद्यालय

*91. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
डा. बाबू राव मिडियम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के एक समूह ने देश में विदेशी विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि इन विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थियों के हित उपेक्षित न हों;

(घ) क्या इन संस्थाओं में आरक्षण नीति लागू की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सामुदायिक पोलीटेक्निक

*92. **श्री लक्ष्मण सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही सामुदायिक पोलीटेक्निक योजना के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन पोलिटेक्निकों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में इस योजना के अंतर्गत विद्यालय बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों को रोजगार उपलब्ध करा दिये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विद्यालय बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों के लिए ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कार्यरत सामुदायिक पालिटेक्निकों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों सहित इनके कार्य निष्पादन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है। सामुदायिक पालिटेक्निक स्कीम के अंतर्गत जिन प्रशिक्षकों को स्व/वेतन रोजगार प्राप्त हुआ इनकी संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न में दिया गया है। स्कीम के अंतर्गत सामुदायिक पालिटेक्निकों द्वारा संचालित अनौपचारिक लघुकालिक कौशल विकास कार्यक्रम का लाभ, स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों सहित सोसायटी के सभी वर्ग उठाते है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे तथा रोजगार प्राप्त कर रहे स्कूल बीच में छोड़ कर जाने वाले छात्रों की संख्या के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते। सामुदायिक पालिटेक्निक स्कीम ऐसे किसी भी पालिटेक्निकों में कार्यान्वित नहीं की जाती है जो विशेष रूप से स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले छात्रों के लिए है। तथापि, सामुदायिक पालिटेक्निक स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम नि:शुल्क संचालित किए जाते है तथा स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले छात्रों सहित सोसायटी के सभी लाभवंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

विवरण

सामुदायिक पालिटेक्निक स्कीम के अंतर्गत उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यरत सामुदायिक पालिटेक्निकों की संख्या	2003-04		2004-05		2005-06	
			अनौपचारिक कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्ति	उन प्रशिक्षुओं की संख्या जिन्हें स्व/वेतन रोजगार प्राप्त हुआ	अनौपचारिक कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्ति	उन प्रशिक्षुओं की संख्या जिन्हें स्व/वेतन रोजगार प्राप्त हुआ	अनौपचारिक कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्ति	उन प्रशिक्षुओं की संख्या जिन्हें स्व/वेतन रोजगार प्राप्त हुआ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चंडीगढ़	02	1067	120	1339	100	1332	730
2.	रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली	14	6528	1587	5543	1549	5993	1483
3.	हरियाणा	18	6572	1609	7858	2198	8247	2315
4.	हिमाचल प्रदेश	06	2188	661	1944	812	2425	831
5.	जम्मू-कश्मीर	11	6871	2027	8934	4232	6000	992
6.	पंजाब	27	14591	4655	14810	4514	14841	4408
7.	राजस्थान	21	7939	1587	10620	1216	10286	1241
8.	उत्तर प्रदेश	72	34299	7703	41477	8371	41512	7518
9.	उत्तरांचल	16	5921	877	8042	1223	8117	1206
10.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	01	265	103	119	180	206	110
11.	बिहार	13	6167	3334	4893	2169	5763	2744
12.	झारखंड	12	5775	2814	6420	2905	5535	2672
13.	उड़ीसा	14	3742	1867	4006	3299	3852	5719
14.	पश्चिम बंगाल	38	14741	6632	15281	14095	15918	7733
15.	अरुणाचल प्रदेश	01	111	63	127	133	153	75
16.	असम	9	3199	1479	3342	1852	3834	1909
17.	मणिपुर	03	895	429	332	328	358	175
18.	मेघालय	01	669	300	327	287	368	173
19.	मिजोरम	02	476	630	796	426	655	305
20.	नागालैंड	02	194	114	452	160	223	121
21.	सिक्किम	00	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	त्रिपुरा	01	197	134	356	305	338	179
23.	गोवा	05	2276	543	2893	535	2980	760
24.	गुजरात	24	8565	2403	10173	29	13293	3197
25.	मध्य प्रदेश	43	13240	2720	14088	3193	18044	3615
26.	महाराष्ट्र	63	29334	8793	28213	8935	35173	11669
27.	छत्तीसगढ़	10	4741	1042	5278	1277	5142	1171
28.	दादरा और नगर हवेली	00	0	0	0	0	0	0
29.	दमन और दीव	00	0	0	0	0	0	0
30.	आंध्र प्रदेश	65	32894	14929	37840	20436	38299	18622
31.	कर्नाटक	75	47745	20238	43107	20568	31171	14262
32.	केरल	39	20253	12981	23682	14142	21688	14288
33.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	61	49138	24246	45960	25007	45663	25344
34.	लक्षद्वीप	00	0	0	0	0	0	0
	योग	669	330593	126620	348252	144476	347409	135567

स्रोतः भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

नारियल जटा (कयर)/परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देना

*93. **श्री पणियन रवीन्द्रन:**
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नारियल जटा (कयर) उद्योग के विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ख) उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु उत्पादन के तरीकों के लिए शुरू किए गए अनुसंधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नारियल जटा (कयर) उत्पादों के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाजार की संभावनाओं का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) देश में परम्परागत उद्योग के पुनर्जीवन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) कयर बोर्ड एक सांविधक संगठन है, जिसकी स्थापना कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत की गई है, जो विभिन्न विकासात्मक संबंधी परियोजनाओं का कार्यान्वयन करता आ रहा है, जिनका उद्देश्य कयर उद्योग के विकास के लिए आधुनिकीकरण, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन संवर्धन, कौशल विकास, अवसंरचना उन्नयन आदि है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादों और उत्पादन पद्धतियों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू किए गए अनुसंधान कार्य में कयररट, पिथपल्स, अनुग्रह करघा, अनुपम करघा, कयर पालिमर कम्पोजिट बोर्ड, कुकुलान और कयर रेशा की कत्ताई के पूर्व प्रदूषण मुक्त प्रक्रिया का विकास शामिल है।

(ग) सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ देश और विदेशों में कयर और कयर उत्पादों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है:-

(1) देश और विदेशों में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार।

(2) देश के विभिन्न शहरों में प्रेक्षण स्थलों पर होर्डिंस और बैनर आदि लगाना।

(3) देश और विदेशों में आयोजित व्यापार मेला, प्रदर्शनी, क्रेता-बिक्रेता सम्मेलन, सेमिनार और सम्मेलन आदि में उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ कयर बोर्ड द्वारा भागीदारी।

(घ) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादनपूर्ण, प्रतिस्पर्धी और उनके सतत विकास में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 2005-06 में पारम्परिक उद्योगों के पुनरुज्जीवन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) प्रारंभ की। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार क्लस्टर विकास पद्धति में विशेषज्ञता रखने वाली तकनीकी एजेंसियों को नोडल एजेंसियों और कार्यान्वयन एजेंसियों को क्लस्टर विकास कार्यकलाप संचालित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु पहचान की गई है। स्फूर्ति के अंतर्गत 12 राज्य/संघ शासित प्रदेशों के 25 कयर क्लस्टरों के विकास के लिए अनुमोदित किया गया है।

आतंकवादियों की गतिविधियां

***94. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विभिन्न राज्यों में आतंकवादियों की गतिविधियों में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 के दौरान आज तक हुई ऐसी घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं में राज्यवार कितने व्यक्ति घायल हुए/मारे गए;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादी मारे गए/गिरफ्तार किए गए;

(ङ) ऐसी घटनाओं के पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसी घटनाओं में कौन-कौन से संगठन और देश लिप्त पाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त देशों को उनके लिप्त होने के साक्ष्य सौंप दिए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर इन देशों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(झ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) 2005 की इसी अवधि की तुलना में 31 अक्तूबर, 2006 तक जम्मू और कश्मीर में घटनाओं और हताहत सिविलियनों और सुरक्षा बलों, दोनों की संख्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण कमी आई है। पूर्वोत्तर राज्यों में समग्र सुरक्षा स्थिति में भी सुधार के संकेत देखे गए हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों में, हालांकि घटनाओं की संख्या में मामूली कमी देखी गई है, लेकिन सिविलियन हताहतों की संख्या में थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) से (घ) चालू वर्ष के दौरान 31.10.2006 तक जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित राज्यों में घटनाओं, मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों, सिविलियनों और आतंकवादियों तथा गिरफ्तार आतंकवादियों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा (31.10.06 तक)

शीर्षक	जम्मू-कश्मीर	असम	मणिपुर	नागालैंड	त्रिपुरा	मेघालय	अरुणाचल प्रदेश	मिजोरम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
घटनायें	1442	334	418	254	71	36	12	05
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	131	25	27	02	14	00	00	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मारे गए सिविलियन	340	120	73	26	13	06	00	00
मारे गए आतंकवादी/उग्रवादी	516	36	166	101	18	20	04	00
गिरफ्तार आतंकवादी/उग्रवादी	348	253	730	48	41	48	16	01

नक्सल प्रभावित राज्यों में हिंसा (31.10.2006 तक)

शीर्षक	छत्तीसगढ़	झारखंड	आंध्र प्रदेश	बिहार	उड़ीसा	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
घटनाओं की संख्या	627	239	163	89	36	79	6	09	17
मारे गए पुलिस कार्मिक	73	28	10	05	04	02	02	00	07
मारे गए सिविलियन	292	71	33	34	04	33	02	04	06
मारे गए नक्सलवादी	52	18	108	04	12	12	0	04	0
गिरफ्तार नक्सलवादी	243	224	246	182	24	46	04	22	32

इसके अलावा चालू वर्ष के दौरान 31.10.2006 तक वाराणसी, नागपुर, मुम्बई और मालेगांव में आतंकवादी हिंसा की कुछ प्रमुख घटनायें हुई हैं तथा 2005 में अयोध्या, श्रमजीवी एक्सप्रेस, हैदराबाद, दिल्ली और बैंगलोर में कुछ प्रमुख आतंकवादी घटनायें हुई थीं।

(ङ) राज्य सरकारें सामान्यत: आतंकवादी हिंसा के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति/अनुग्रह राशि की घोषणा और अदायगी करती हैं। केन्द्र सरकार इस उद्देश्यार्थ जम्मू और कश्मीर राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित राज्यों द्वारा इस पर किए गए खर्च की भी प्रतिपूर्ति करती है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे/अनुग्रह राशि के ब्यौरे केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

(च) लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन, हरकत उल मुजाहिद्दीन, अल बदर जैसे पाक आधारित आई एस आई प्रायोजित आतंकवादी गुट तथा उल्फा, एन डी एफ बी और सी पी आई (माओवादी), मुख्य आतंकवादी संगठन हैं जिनका घटनाओं के पीछे हाथ है। हरकत-उल-जेहादी-ए-इस्लामी, बंगलादेश के कैडर भी हाल की कुछ आतंकवादी घटनाओं में शामिल पाए गए हैं।

(छ) और (ज) देश की सुरक्षा की चिन्ताओं से इस उद्देश्यार्थ स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को अवगत करवाया जाता है। 14-15 नवम्बर, 2006 को हाल ही में सम्पन्न भारत-पाकिस्तान विदेश सचिव स्तरीय वार्ता में कुछ आतंकवादी घटनाओं के बारे में सूचना और सामग्री का आदान-प्रदान किया गया था। पाकिस्तानी पक्ष ने आतंकवादी घटनाओं पर भारत द्वारा उपलब्ध करवाई गई विशिष्ट जानकारी के आधार पर सहयोग करने की इच्छा जतायी है। बांग्लादेश सरकार, भारत सरकार के हितों के प्रतिकूल गतिविधियों की अनुमति न देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की निरन्तर पुष्टि करती है।

(झ) सरकार आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण का अनुसरण करती है और ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को निष्क्रिय करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करती है। सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं घुसपैठ की रोकथाम के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना मशीनरी को तीव्र करना, केन्द्र और राज्यों दोनों में सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण सुनिश्चित करना, सुसमन्वित आसूचना आधारित आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के वैश्विक परिप्रेक्ष्य को संबोधित करने हेतु द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

बच्चों का विकास

*95. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कामगारों की सहायता से बच्चों के विकास से संबंधित कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार के आकलन के अनुसार बाल विकास से संबंधित योजना का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है;

(ग) यदि हां, तो कुपोषण से पीड़ित बच्चों की उच्च प्रतिशतता और उच्च शिशु मृत्यु दर के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान (24.11.2006 तक की स्थिति के अनुसार) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) आई.सी.डी.एस. स्कीम वर्ष 1975 में 33 सामुदायिक विकास ब्लाकों में आरम्भ की गई। इस स्कीम का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया गया तथा अब ग्रामीण क्षेत्रों में 4790, जनजातीय क्षेत्रों में 805 और शहरी झुग्गी बस्तियों में 523 परियोजनाओं सहित देशभर के कुल 6118 ब्लाक इसमें शामिल कर लिए गए हैं। जैसा कि विभिन्न अध्ययनों में दर्शाया गया है, इस स्कीम से लाभार्थियों की स्वास्थ्य एवं पोषाहारीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इन अध्ययनों में आई.सी.डी.एस. संबंधी राष्ट्रीय मूल्यांकन (राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)-1992), आई.सी.डी.एस. सर्वेक्षण, मूल्यांकन, एवं, अनुसंधान 1975-95 (समेकित मातृ एवं बाल विकास संबंधी केंद्रीय तकनीकी समिति-1996), आई.सी.डी.एस. स्कीम का राष्ट्रीय मूल्यांकन (राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद-2000-01); निपसिड द्वारा 2005-06 में आई.सी.डी.एस. स्कीम का त्वरित मूल्यांकन (150 परियोजनाएं) शामिल हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार देशभर में अल्प-वजनी बच्चों का प्रतिशत वर्ष 1992-93 में 53.4 से कम होकर वर्ष 1998-99 में 47 रह गया है। इसी प्रकार, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार, शिशु मृत्यु दर वर्ष 1981 में 1981 में 110 प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों से कम होकर वर्ष 2004 में 58 रह गई है।

(ग) और (घ) पांच वर्ष से कम आयु में बच्चों की मृत्यु के कुल मामलों में से 50% मामलों में मृत्यु का मूल कारण कुपोषण है। कुपोषण एक बहु-आयामी तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली समस्या है, जिसका समाधान खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, साफ-सफाई एवं सुरक्षित पेयजल, पोषण, परिवार कल्याण तथा निर्धनता उपशमन के क्षेत्रों में सर्वांगीण समन्वित कार्यक्रमों के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार बच्चों की पोषाहारीय स्थिति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले जो प्रमुख कार्यक्रम अपने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से चला रही है, वे कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

(1) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय);

(2) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

(3) राष्ट्रीय पोषाहारीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

(4) विटामिन-ए की कमी के कारण दृष्टिहीनता के निवारणार्थ राष्ट्रीय रोगनिरोधन कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

(5) राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

(6) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग);

(7) निर्धनता उपशमन कार्यक्रम (ग्रामीण विकास मंत्रालय); तथा

(8) अल्प-पोषित किशोरियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए 51 जिलों में चलाई जा रही प्रायोगिक परियोजना (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)।

विवरण

आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्कीम, विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं, उदिशा तथा पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान (24.11.2006 तक) जारी की गई निधियों की राज्य-वार स्थिति

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आई.सी.डी.एस. (सामान्य)	विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजनाएं	प्रशिक्षण कार्यक्रम	पूरक पोषण कार्यक्रम	किशोरी शक्ति योजना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12274.67		439.23	5075.66	199.10	17988.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	2094.62		37.83	379.84	31.90	2544.19
3.	असम	4219.56		260.00	3711.54	107.80	8298.90
4.	बिहार	9373.04		375.00	11496.96	216.15	21461.15
5.	गोवा	195.47		3.98	71.20	6.05	276.70
6.	गुजरात	5807.09		105.00	3013.92	124.30	9050.31
7.	हरियाणा	4936.37		51.76	2829.56	63.80	7881.49
8.	हिमाचल प्रदेश	1385.83		23.00	629.63	39.60	2078.06
9.	जम्मू-कश्मीर	3074.80		123.10	343.56	77.00	3618.46
10.	कर्नाटक	5854.83		108.00	4179.82	101.75	10244.40
11.	केरल	3997.93		93.00	1475.03	89.65	5655.61
12.	मध्य प्रदेश	8002.16		181.49	5770.97	184.80	14139.42
13.	महाराष्ट्र	9470.16	26.24	295.00	7874.00	204.60	17870.00
14.	मणिपुर	1039.50		27.75	914.32	18.70	2000.27
15.	मेघालय	508.07		18.50	343.59	18.70	888.86
16.	मिजोरम	315.84		5.50	488.97	11.55	821.86
17.	नागालैंड	697.97		12.66	531.27	29.70	1271.6
18.	उड़ीसा	6220.23		130.00	6646.40	179.30	13175.93
19.	पंजाब	5696.40		60.00	2104.57	78.10	7939.07
20.	राजस्थान	5968.24	18.00	86.84	5534.18	150.70	11757.96
21.	सिक्किम	154.10		10.00	53.37	2.75	220.22

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	6650.24		263.00	3451.94	238.70	10603.88
23.	त्रिपुरा	753.79		33.11	707.69	23.10	1517.69
24.	उत्तर प्रदेश	18138.29	39.60	585.12	28869.29	455.95	48088.25
25.	पश्चिम बंगाल	8622.68		120.16	5916.07	196.90	14855.81
26.	छत्तीसगढ़	3379.28		96.09	2953.64	83.60	6512.61
27.	झारखंड	4016.64		85.00	2385.93	112.20	6599.77
28.	उत्तरांचल	1479.00		41.00	397.32	54.45	1971.77
29.	दिल्ली	1322.53		24.00	694.29	15.40	2056.22
30.	पांडिचेरी	185.22			55.03	2.75	243.00
31.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	158.96		4.98	93.67	2.75	260.36
32.	चंडीगढ़	130.44		1.00	60.68	1.65	193.77
33.	दादर व नगर हवेली	45.03		1.30	22.59	0.55	69.47
34.	दमन व दीव	56.78			13.74	1.10	71.62
35.	लक्षद्वीप	33.92			7.52	0.55	41.99
	कुल	136259.68	83.84	3702.40	109097.76	3125.65	252269.33

मध्याह्न भोजन योजना

***96. श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री टेक लाल महतो:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) के अंतर्गत दिए जाने वाला भोजन खाने से बच्चों के बीमार पड़ने और मरने की हाल की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आज तक मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितताओं के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा तथा तमिलनाडु पंद्रह राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि मध्याह्न भोजन खाने के कारण मृत्यु की कोई घटना नहीं हुई है। तथापि निम्नलिखित राज्यों ने बताया है कि मध्याह्न भोजन खाने से बच्चे बीमार हो गए:-

कर्नाटक: 34 स्कूलों के 1242 बच्चे बीमार हुए थे। लापरवाह पाये गये रसोइए को हटा दिया गया है तथा नए रसोइयों को नियुक्त किया गया।

महाराष्ट्र: चार जिलों में 208 बच्चे बीमार पड़े (कुछ देर के लिए बेचैनी तथा उल्टी होना)। जांच के बाद जलगांव जिले में प्रथम आसूचना रिपोर्ट दायर की गई।

राजस्थान: राजसमंद में 10 बच्चे बीमार हुए। रसोइए की सेवाओं को समाप्त करने तथा प्रधानाध्यापक तथा सम्बद्ध शिक्षकों को स्थानान्तरित करने के लिए उचित कदम उठाए गए।

करौली जिले में 61 बच्चे बीमार हुए। ब्लाक विकास अधिकारी, जिलापरिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

तमिलनाडु: कांचीपुरम जिले के मुट्टावक्कम पंचायत यूनियन प्राथमिक स्कूल में 77 बच्चे बीमार हुए। फोरेंसिक जांच से पता चलता कि रसोई के लिए प्रयुक्त अरहर (तूर) की दला में फफूंद लगी हुई थी जिसकी वजह से भोजन मनुष्यों के खाने योग्य नहीं था। पोषाहार भोजन के आयोजक, रसोइया तथा सहायक को लापरवाही के कारण निलम्बित कर दिया गया।

शेष 13 राज्यों से सूचना इकट्ठी की जा रही है।

राज्यों को सलाह दी गई है कि वे इस तरह की घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय करें:-

(1) पक्का रसोई सह भंडारगृह का निर्माण ताकि मध्याह्न भोजन स्वच्छ वातावरण में तैयार किया जा सके।

(2) रसोई सह भंडार गृह को साफ तथा सूखा रखें। वे पर्याप्त रोशनीयुक्त तथा हवादार होने चाहिएं तथा नालियों एवं कूड़ेदानों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(3) ईंधन (मिट्टी का तेल, जलाने वाली लकड़ी, काठ कोयला, रसोई गैस आदि) का सुरक्षित भण्डारण। रसोई बनाने वाले कर्मचारी/एजेंसी को स्टोव, गैस सिलैण्डरों आदि के सुरक्षित प्रयोग हेतु उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(4) स्वच्छता के बारे में रसोइयों, सहायकों तथा अन्य कार्यकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण।

(5) खाद्यान्नों को भारतीय खाद्य निगम के डिपो से जांच के बाद ही उठाना चाहिए। यह संयुक्त जांच एक दल द्वारा की जाती है जिसमें भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार के नामित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य एजेंसियों को औसत कोटि के अच्छे खाद्यान्न ही लेने चाहिए।

(6) रसोई के लिए प्रयुक्त उपादान, खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, खाद्य तेल तथा मसाले मिलावट तथा कीटनाशकों से रहित हों तथा उन्हें अच्छी तरह से साफ करके तथा धोकर प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

(7) सामान को अच्छे कंटेनरों, जिसमें नमी तथा कीड़े आदि न हों, में रखा जाना चाहिए।

(8) खाना बनाने तथा खाने के बर्तनों को इस्तेमाल के बाद प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए तथा सुखाया जाना चाहिए।

(9) समुदाय के सदस्यों का सहयोग मांगा जाना चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि बच्चों ने खाना खाने से पहले अपने हाथ साबुन से धो लिए हैं, साफ प्लेटों का इस्तेमाल किया है तथा खाने के बाद अपने हाथों तथा मुंह को अच्छी तरह से पोंछ लिया है।

(ङ) और (च) सितम्बर, 2006 में राज्यों को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(1) 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन के पोषाहार मानदण्ड वाले मध्याह्न भोजन का प्रावधान।

(2) मुफ्त खाद्यान्नों तथा परिवहन सहायता के अलावा रसोई बनाने की लागत के लिए निम्नवत सहायता का प्रावधान:-

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य:-	1 रु. 80 पैसे प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस बशर्ते कि राज्य सरकार का कम से कम 20 पैसे का अंशदान हो।
(ख) अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए	1 रु. 50 पैसे प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस बशर्ते कि

इसमें राज्य सरकार/ संघ राज्य प्रशासन का कम से कम 50 पैसे का अंशदान हो।

(3) प्रति इकाई के लिए रसोई सह भण्डारगृह के निर्माण के लिए 60,000 रु. की अधिकतम सहायता।

(4) 5000/- प्रति स्कूल की दर से रसोई उपकरणों के लिए सहायता।

गैर-सरकारी संगठनों को अंशदान

***97. श्रीमती करूणा शुक्ला:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को उन्हें प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता का उपयोग राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में करते हुए पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत भारत में विभिन्न एसोसिएशनों को सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक या धार्मिक क्षेत्रों में हितकारी कार्य करने के लिए विदेशी स्रोतों से विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के पूर्ववृत्तों और कार्यकलापों का विधिवत सत्यापन करने के बाद एसोसिएशनों को विदेशी धन राशि प्राप्त करने के लिए अधिनियमक के तहत पंजीकरण या पूर्व-अनुमति मंजूर की जाती है। विदेशी अभिदाय बैध बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और इसकी जांच और निरीक्षण किया जाता है।

यदि विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत सरकार की जानकारी में आती है तो अधिनियम के उपबंधों के तहत उचित कार्रवाई की जाती है। ऐसी कार्रवाई में एसोसिएशन को पूर्व अनुमति की श्रेणी में रखना या इसे विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से वंचित करना या अदालत में इसके विरुद्ध मुकदमा चलाना या इसके बैंक खातों पर रोक लगाना शामिल है। इस प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग में एक मानीटरिंग यूनिट की स्थापना की गई है। अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के लिए अब तक 37 एसोसिएशनों को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से वंचित किया गया है, 22 एसोसिएशनों को पूर्व अनुमति की श्रेणी में रखा गया है, 11 एसोसिएशनों के खातों पर रोक लगा दी गई है और जांच-पड़ताल करने के लिए 9 एसोसिएशनों के मामलों को सीबीआई को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त 8673 एसोसिएशनों को लगातार 3 वर्ष तक अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत न करने के लिए पूर्व अनुमति की श्रेणी में रखा गया है।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुएं

***98. श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनन्य रूप से लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं और इन वस्तुओं को आरक्षित करने के पीछे सरकार के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा विनिर्माण के लिए आरक्षित की जाने वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिए गैर-लघु औद्योगिक इकाइयां भी प्राधिकृत हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे मामले देखने में आए हैं जिनमें गैर-लघु उद्योग इकाइयों ने अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) लघु उद्योगों के विकास व संवर्धन के उद्देश्य से उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख की उपधारा (2ग) में दिए गए निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट विनिर्माण के लिए उत्पादों को आरक्षित किया गया है:

(1) किसी वस्तु या वस्तु के वर्ग की प्रकृति जिसका अनुषंगी, या लघु औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कम लागत में उत्पादन किया जा सकता है;

(2) अनुषंगी या लगु औद्योगिक उपक्रमों द्वारा ऐसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के उत्पादन द्वारा संभावित रोजगार सृजन का स्तर;

(3) उद्योग में उद्यमिता को प्रोत्साहित और विस्तारित करने की संभावना;

(4) जनसाधारण के लिए हानिकारक आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण से बचाव, इत्यादि।

(ख) कोई गैर लघु उद्योग इकाई लघु उद्योगों द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों का निर्माण निम्नलिखित परिस्थितियों में कर सकती है:-

(1) जहां विद्यमान गैर लघु उद्योग इकाई आरक्षण किए जाने की तारीख से पहले ही आरक्षित मदों का विनिर्माण कर रही थी, कैरी-आन-बीजिनेस (सीओबी) लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात;

(2) जब कोई लघु उद्योग इकाई मध्यम/बड़े उपक्रम में परिवर्तित हो जाती है, तब आरक्षित मदों का विनिर्माण जारी रखने के लिए सीओबी लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात्;

(3) यदि कोई गैर लघु उद्योग इकाई आरक्षित मदों का विनिर्माण आरम्भ करने के इच्छुक हो, वार्षिक उत्पादन के न्यूनतम 50% के निर्यात की प्रतिबद्धता के साथ लैटर आफ इन्टेन्ट (एल ओ आई)/इंडस्ट्रीयल लाइसेंस (आईएल) प्राप्त करने के पश्चात्;

(4) जब कोई भी इकाई स्पेशल इकोनोमिक जोन (एसईजेड) में स्थित हो, इत्यादि।

(ग) और (घ) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), जोकि एलओआई/आईएल लिए हुए इन गैर-लघु औद्योगिक इकाइयों की निर्यात बाध्यता को मानिटर करता है, के अनुसार कोई निर्यात अबाध्यता का उदाहरण उनके सामने नहीं आया है। तथापि, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा आरक्षण नीति के उल्लंघन के लिए 3 गैर लघु उद्योग इकाइयों के विरुद्ध औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 24 के तहत कार्रवाई आरंभ की गई है।

[अनुवाद]

एन.एम.डी.सी. की खानें

***99. श्री जुएल ओराम:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) को कितनी खानें पट्टे पर दी गई हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ खानों का नवीकरण होना और एन.एम.डी.सी. द्वारा नई खानों के लिए पट्टों का आवेदन करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे खनन पट्टों/नवीकरण के आवेदनों के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार मै. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.) के पास विभिन्न राज्यों में विभिन्न खनिजों के 14 खनन पट्टे हैं।

(ख) से (घ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध "हाइड्रो कार्बन एनर्जी मिनरल्स" और "परमाणु खनिजों" को छोड़कर अन्य सभी खनिजों के खनन पट्टों का नवीकरण करने की शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं। मै. एन.एम.डी.सी. के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें मै. एन.एम.डी.सी. के पक्ष में बैलाडीला रिजर्व फारेस्ट, तहसील दंतेवाड़ा, जिला साउथ बस्तर दंतेवाड़ा में 413.745 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क के लिए खनन पट्टा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन मांगा गया है। उक्त प्रस्ताव खान मंत्रालय को 21.11.2006 को प्राप्त हुआ है और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश

***100. श्री राकेश सिंह:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा क्षेत्र में शत प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति प्रदान करने का है जैसा कि दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उच्च शिक्षा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे विदेशी संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों तथा शिक्षा की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए एक नीति बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) शिक्षा क्षेत्र के लिए अलग-अलग क्षेत्रगत नीति अधिसूचित नहीं की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के दिनांक 11 फरवरी, 2000 से प्रेस नोट 2 (2000 सीरीज) के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में आटोमेटिक रूट के आधार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी गई है।

(घ) से (च) इस समय सरकार उच्चतर शिक्षा में विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन को विनियमित करने, गुणवत्ता का अनुरक्षण करने तथा शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस संबंध में नीति को अंतिम रूप दिए जाने की शर्त के अधीन संसद में यथाशीघ्र उपयुक्त विधान पेश किया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना में परिवर्तन

***101. श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के मानकों में स्कीम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए संशोधन सुझाने के लिए अनुरोध किया है। राज्यों द्वारा प्राप्त सुझाव विवरण में प्रस्तुत हैं। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार बंगला स्वनिर्भर कर्म संस्थान प्रकल्प (बी.एस.के.पी.) के नाम से एक अन्य रोजगार सृजन स्कीम चला रही है जिसके अंतर्गत आय पात्रता मानदंड 1,80,000/- रुपए प्रति वर्ष है तथा सब्सिडी घटक परियोजना लागत का 20 प्रतिशत है। मामलों की प्रायोजकता के लिए प्रेरकों को प्रायोजित प्रति मामला 100/- रु. एवं स्वीकृत प्रति मामला 400 रुपए की दर पर लगाया जाता है तथा एक वर्ष में कुल ऋण वसूली का एक प्रतिशत प्रेरकों को भुगतान किया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के वर्तमान रूप की तुलना में बी.एस.के.पी. स्कीम अधिक लाभार्थियों को आकर्षित करती है।

(ग) भारत सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन के लिए एक पैकेज को अंतिम रूप दे रही है जो कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना को मजबूती प्रदान करने में भी सहायक होगा।

विवरण

प्रधान मंत्री रोजगार योजना स्कीम के क्रियान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की परामर्श

1. परिभाषा में परिवर्तन

तमिलनाडु सरकार ने परामर्श दी कि कम संभावना वाली नौकरियों में काम करने वाले अर्द्ध रोजगार प्राप्त युवक भी कवर किए जा सकते हैं जिसके लिए पात्रता मानक में इस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है कि वैसे अर्द्ध रोजगार प्राप्त युवक जिनकी पारिवारिक आय 300 रुपये प्रति दिन (9000 रुपये प्रतिमाह) से कम हो, वे भी पीएमआरवाई के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं।

2. राज्यों द्वारा पीएमआरवाई योजना के मानकों में सुझाए गए संशोधन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पारिवारिक आय सीमा में वृद्धि	पात्र आयु सीमा	परियोजना लागत	शैक्षणिक योग्यता	सब्सिडी सीमा	कोलेट्रल सेक्यूरिटी	आकस्मिक निधि में वृद्धि	निवास पात्रता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उत्तर प्रदेश	1 लाख रुपये	35 वर्षों से 40 वर्ष	उद्योग क्षेत्र की परियोजना के लिए 10 लाख रुपये, व्यापार और सेवा क्षेत्रों की परियोजना के लिए 5 लाख रुपये।	-	-	बैंकों को कोलेट्रल सेक्यूरिटी की मांग नहीं करनी चाहिए	-	-
2.	मध्य प्रदेश	1.50 लाख रुपये	-	उद्योग क्षेत्र के अधीन परियोजनाओं के लिए 5 लाख रुपये, सेवा क्षेत्र के लिए 3 लाख रुपये तथा व्यापार क्षेत्र के लिए 2 लाख रुपये।	-	-	-	-	-
3.	तमिलनाडु	90,000/-	-	20 लाख रुपये और अधिक	ऐसे स्व-सहायता समूहों को सहायता प्रदान की जा सकती है, जिसमें उस समूह का	बिना किसी उच्च सीमा के परियोजना लागत का 15 प्रतिशत सब्सिडी	बैंकों को पीएमआरवाई ऋणों के लिए कोलेट्रल सेक्यूरिटी की मांग नहीं करनी चाहिए। सिडबी के लघु उद्योगों हेतु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फन्ड का उपयोग पीएमआरवाई ऋणों हेतु कोलेट्रल सेक्यूरिटी उपलब्ध कराने में किया जा सकता है।	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	हिमाचल प्रदेश	60,000/-	सामान्य श्रेणी के लिए 35 से 40 वर्ष	-	-	-	-	आकस्मिक निधि 250/- प्रति अनुमोदित मामले से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति अनुमोदित मामले की जा सकती है।	-
5.	त्रिपुरा	1.00 लाख रुपये	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 40 से 45 वर्ष	व्यापार क्षेत्र के अधीन परियोजनाओं के लिए 2.00 लाख रुपये तथा सेवा और उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 5.00 लाख रुपये	-	-	-	-	-
6.	राजस्थान	60,000/-	-	व्यापार क्षेत्र के अधीन परियोजनाओं के लिए 2.00 लाख रुपये तथा सेवा और उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 5.00 लाख रुपये	-	-	-	-	-
7.	महाराष्ट्र	80,000/-	-	परियोजना लागत 2.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.00 रुपये की जा सकती है।	-	-	-	-	-
8.	पाँडिचेरी	-	-	-	एसएसएलसी/मैट्रिक फेल	-	बैंकों को कोलेट्रल सेक्यूरिटी नहीं मांगनी चाहिए।	-	-
9.	केरल	1,00,000/-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	पश्चिम बंगाल	60,000/-	-	निवेश का स्तर बढ़ाया जाना अपेक्षित है।	-	(1) सब्सिडी 15 प्रतिशत की दर से हो लेकिन प्रति मामले 7500/- की उच्च सीमा समाप्त की जा सकती है। (2) सब्सिडी के विरुद्ध, उद्यमी/समूह परियोजनाओं के विस्तार के लिए और भी अधिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।	-	-	-
11.	मेघालय	60,000/-	-	व्यापार क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 2 लाख और अन्य गतिविधियों के लिए 5 लाख रुपये।	मैट्रिक पास	-	-	-	-
12.	कर्नाटक	1,00,000/-	35 से 45 वर्ष	-	पांचवीं कक्षा पास, जिन्होंने न्यूनतम 1 वर्ष के लिए कुशलता विकास कार्यक्रम में भाग लिया है।	-	-	-	महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम तीन वर्ष की निवास परिस्थिति में छूट।
13.	उड़ीसा	60,000/-	-	व्यापार क्षेत्र की परियोजना के लिए 2.00 लाख रुपये तथा उद्योग क्षेत्र की परियोजना के लिए 5 लाख रुपये	-	-	-	-	-
14.	पंजाब	-	-	उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 5 लाख रुपये	-	इसे वर्तमान स्तर से बढ़ाया जाना चाहिए।	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	बिहार	1,00,000/-	-	उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 5.00 लाख रुपये तथा सेवा और व्यापार क्षेत्र की परियोजना के लिए 2.00 लाख रुपये	-	इसे 7500/- रुपये से बढ़ाकर 15000/- करना।	-	-	-
16.	झारखंड	60,000/-	-	उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 5 लाख रुपये	-	-	-	-	-
17.	अण्डमान निकोबार	1,00,000/-	सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 35 से 40 वर्ष तथा अ.जा./अ.ज.जा. पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग और महिला के लिए 10 वर्षों की छूट	उद्योग क्षेत्र की परियोजना के लिए 5 लाख रुपये। अगर दो या दो अधिक पात्र व्यक्ति परस्पर साझेदारी करते हैं तो पीएमआरवाई के अधीन परियोजना के गठन के लिए 25 लाख रुपये तक की परियोजना को मंजूरी दी जानी चाहिए।	-	कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत तक सब्सिडी बढ़ायी जानी चाहिए।	-	-	क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों के स्थाई निवासी
18.	चण्डीगढ़	1,00,000/-	-	-	-	-	-	-	-
19.	गुजरात	75,000/-	35 से 40 वर्ष	-	-	(1) परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (2) अधिकतम 20,000/- रुपये	पीएमआरवाई के अधीन कोई कोलेट्रल सेक्यूरिटी नहीं मांगी जानी चाहिए	-	-
20.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	मैट्रिक	-	-	-	-
21.	असम	1,00,000/-	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 40 से 45 वर्ष	उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 4 लाख रुपये तथा सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 2 लाख रुपये	-	30 प्रतिशत अधिकतम 30,000/-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	हरियाणा	1,00,000/-	-	व्यापार क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपये तथा अन्य गतिविधियों के लिए 5 लाख रुपये	-	बिना किसी अधिकतम सीमा के कुल निवेश का 15 प्रतिशत की दर से	-	-	-
24.	गोवा	पंचायत क्षेत्र में 1,00,000/- और म्यूनिसिपल क्षेत्र में 1,50,000/-	-	व्यापार क्षेत्र के अधीन परियोजनाओं के लिए 2 लाख और सेवा गतिविधियों के लिए 2 लाख और उद्योग क्षेत्र के लिए 3 लाख	पंचवर्षी पास	-	-	-	-
25.	उत्तरांचल	60,000/-	सामान्य श्रेणी के लिए 45 वर्ष और आरक्षित श्रेणी के लिए 50 वर्ष	-	-	-	-	-	-

एनसीजीजी की स्थापना

837. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर-राज्यीय परिषद ने जून, 2005 में नेशनल सेंटर फार गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) की स्थापना की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित एनसीजीजी के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है और ऐसे एनसीजीजी की स्थापना में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या परिषद ने गुड गवर्नेंस के लिए 139 सूत्रीय कार्य योजना की भी सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश ने एनसीजीजी की स्थापना के लिए 200 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है;

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अंतर-राज्यीय परिषद ने राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) के गठन सहित 139 सूत्री कार्रवाई योजना का समर्थन किया है। इसमें यह परिकल्पित किया गया है कि एनसीजीजी सुशासन पद्धतियों का राष्ट्रीय संग्रह होगी। 139 सूत्रीय कार्रवाई योजना में मोटे तौर पर तीन श्रेणियां हैं, अर्थात (1) सरकार से सरकार में न्यायिक, सिविल सेवा, प्रशासनिक और कानूनी सुधार शामिल है; (2) सरकार के कार्य-व्यापार में आर्थिक, राजस्व और श्रमिक सुधार शामिल हैं; (3) सरकार से नागरिक में नागरिक अभिमुखी, ग्रामीण विकेन्द्रित और शहरी वर्ग सुधार, ई-शासन, इसके अतिरिक्त सीमा प्रबंधन के विशेष मुद्दे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शामिल है। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए मामले पर कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि शासन के सभी महत्वपूर्ण पहलू दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के क्षेत्र में आते हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकरों के ऋण माफ करना

838. श्री संजय धोत्रे:
श्री बापू हरी चौरे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के हथकरघा बुनकरों के ऋण माफ करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन बुनकरों को दिए गए ऋण पर ब्याज दर कम करने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) हथकरघा बुनकरों के लिए एक वित्तीय पैकेज तैयार करने के वास्ते वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने बकाया ऋणों/ब्याज को माफ करने तथा 7% प्रति वर्ष की दर पर ऋण दिए जाने सहित विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस संबंध में एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लक्ष्य

839. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य बैंकों द्वारा सहयोग न करने के कारण प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के लिए राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और इस दौरान क्या उपलब्धियां हासिल हुई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने ऐसे पात्र आवेदकों ने ऋण के लिए आवेदन किया था और जिन्हें अभी तक ऋण नहीं दिया गया है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) केवल बैंक ही अकेले प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के कार्यान्वयन में पूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है। लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के विभिन्न अन्य कारणों में बैंकों द्वारा विनिर्दिष्ट संवितरण पूर्ण अपेक्षाओं की पूर्ति आवेदकों द्वारा न करना, टास्क फोर्स द्वारा सिफारिश किए जाने के उपरांत प्रस्तावित क्रियाकलाप में परिवर्तन, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार के संबंधित अभिकरण से आवेदक द्वारा आवश्यक स्वीकृति/निकासी प्राप्त करने में कठिनाई, राज्य/संघ शासित क्षेत्र अभिकरणों द्वारा शेड के आबंटन, विद्युत कनैक्शन, विद्युत आपूर्ति में विलम्ब तथा आवेदक के परिवार के सदस्यों को बैंक ऋण, में चूककर्त्ता पाया जाना इत्यादि शामिल है।

(ख) और (ग) राज्य-वार लक्ष्य, उपलब्धि, ऋण के लिए बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदन, जम्मू और कश्मीर राज्य सहित स्वीकृत और संवितरित मात्र मामलों की संख्या संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04				2004-05				2005-06*			
		लक्ष्य योजना (सं.)	आवेदनों की सं. बैंकों द्वारा प्राप्त	आवेदनों की सं. बैंकों द्वारा स्वीकृत	बैंकों द्वारा संवितरित किए गए मामलों की सं.	लक्ष्य योजना (सं.)	आवेदनों की सं. बैंकों द्वारा प्राप्त	आवेदनों की सं. बैंकों द्वारा स्वीकृत	बैंकों द्वारा संवितरित किए गए मामलों की सं.	लक्ष्य योजना (सं.)	आवेदनों की सं. बैंकों द्वारा प्राप्त	आवेदनों की सं. बैंकों द्वारा स्वीकृत	बैंकों द्वारा संवितरित किए गए मामलों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	उत्तरी क्षेत्र												
1.	हरियाणा	4050	14912	8387	7277	5100	14786	9176	7755	5303	16654	10541	9508
2.	हिमाचल प्रदेश	3200	4177	3028	2862	3000	3975	2977	2853	3557	4082	3038	2926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	जम्मू-कश्मीर	1150	1890	792	656	2000	1732	747	639	1588	1190	590	311
4.	पंजाब	4100	13307	8405	7558	4600	13619	9178	8372	4083	13251	8941	7969
5.	राजस्थान	8100	28480	15654	12769	9100	29533	16429	12919	9328	28745	16895	13760
6.	चंडीगढ़	300	150	99	68	300	474	288	206	351	389	250	72
7.	दिल्ली	4400	3542	1108	904	4500	2785	937	819	5179	2331	785	681
	पूर्वोत्तर क्षेत्र												
8.	असम	6600	13293	7501	5844	7500	15137	10262	8256	7387	13581	7212	5625
9.	मणिपुर	1200	812	595	520	1500	907	440	387	1418	606	394	357
10.	मेघालय	350	529	453	403	400	762	598	568	361	918	607	562
11.	नागालैंड	300	581	68	53	400	1054	897	109	363	2291	2262	2225
12.	त्रिपुरा	800	5100	2494	2043	1000	3149	2126	1747	1193	3880	2339	2032
13.	अरुणाचल प्रदेश	200	740	685	668	200	527	443	440	173	989	441	423
14.	मिजोरम	200	801	788	775	200	269	144	142	188	818	485	472
15.	सिक्किम	100	89	31	30	100	75	37	32	66	70	31	31
	पूर्वी क्षेत्र												
16.	बिहार	14400	17247	11370	9860	16000	16034,	11634	10396	16003	20256	14049	12075
17.	झारखंड	5350	8936	5498	4774	6500	8955	5492	4804	6978	9065	5451	4570
18.	उड़ीसा	6600	19576	11652	8779	7100	28000	16132	11339	6923	26409	16179	12645
19.	पश्चिम बंगाल	20000	8757	3562	2822	24000,	9073	4607	3796	24574	9282	5112	4614
20.	अंडमान एवं निकोबार	100	297	189	182	150	305	150	142	123	317	188	150
	केन्द्रीय क्षेत्र												
21.	मध्य प्रदेश	11750	46774	26031	19748	14000	50655	27538	20642	13507	50785	28757	20775
22.	छत्तीसगढ़	4600	7926	3919	3275	6000	8198	4322	3276	5429	7312	4383	3419
23.	उत्तर प्रदेश	22950	74471	44842	40481	26000	72335	45867	42534	26248	66289	43399	37238
24.	उत्तरांचल	1800	8989	5636	5361	2500	10463	7200	6637	2119	11408	7748	7402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	पश्चिमी क्षेत्र												
25.	गुजरात	8650	12146	7249	6755	10000	11037	6981	6406	9579	11801	6824	6315
26.	महाराष्ट्र	22800	41278	21116	17230	26000	47166	26796	21819	24614	44227	27967	23485
27.	दमन और दीव	50	5	3	3	50	7	4	4	19	25	14	14
28.	गोवा	400	220	125	116	500	77	53	45	486	78	52	43
29.	दादरा और नगर हवेली	50	0	0	0	50	27	23	22	27	53	30	24
	दक्षिणी क्षेत्र												
30.	आंध्र प्रदेश	18400	24703	23291	17729	21500	41717	25002	22542	20767	40987	27005	20608
31.	कर्नाटक	10800	24778	15317	11929	12000	30136	16806	13931	11046	33999	19902	15256
32.	केरल	16250	25100	17991	14024	17000	30794	22517	16553	18685	33726	25732	21540
33.	तमिलनाडु	19350	23223	14538	12738	20000	33536	20579	16902	21565	34358	22117	19417
34.	लक्षद्वीप	50	31	17	17	50	17	12	4	48	6	5	5
35.	पांडिचेरी	600	553	362	294	700	631	363	329	722	743	385	335
	विनिर्दिष्ट नहीं		3266	1216	897		3377	1246	897		3412	1799	1397
	अखिल भारतीय	220000	436679	264012	219444	250000	491324	298003	248264	250000	494333	311909	258281

स्रोत: आरबीआई आंकड़े

*अनंतिम

[अनुवाद]

स्कूली बच्चों को लैपटाप उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

840. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्कूली बच्चों को कम लागत वाले लैपटाप उपलब्ध कराने का है जैसाकि दिनांक 23 सितम्बर, 2006 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विचार-विमर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञों और अधिकारियों के किसी दल का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्कूलों में कम लागत वाला पहला लैपटाप कब तक पहुंचने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आधुनिक उद्योगों की स्थापना

841. श्री जोवाकिम बखला: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने परम्परागत उद्योगों की जगह नए उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है ताकि वैश्वीकरण के इस युग में आधुनिकीकरण के साथ चला जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग द्वारा उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ग्रामोद्योग के वर्तमान ढांचे में क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने वैश्वीकरण के युग मे आधुनिकीकरण के साथ गति बनाए रखने के लिए खादी व ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में पारंपरिक उद्योगों को सहायता जारी रखने के अतिरिक्त, सरकार ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत सहायता प्राप्त ग्रामीण उद्योगों में कुछ आधुनिक उद्योगों जैसे रसायन आधारित उद्योगों, गैर-परंपरागत ऊर्जा गतिविधियों, इलेक्ट्रानिक मदों के संयोजन/सर्विसिंग, जैव-प्रौद्योगिकी, आदि को भी शामिल किया है। आरईजीपी के तहत सहायता प्राप्त उद्योगों का समूह-वार और उत्पाद-वार ब्यौरा देने वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) केवीआईसी ने ग्रामीण उद्योगों की विद्यमान संरचना में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया है।

विवरण

आरईजीपी के तहत सहायता प्राप्त कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों का श्रेणी-वार/उत्पाद-वार ब्यौरा

1. रसायन आधारित उद्योग
    * कुटीर माचिस
    * मोमबत्ती
    * पीवीसी इंसुलेटेड तार और केबल
    * पीवीसी पाइप
    * कुटीर साबुन
    * पैकिंग वस्तुएं (प्लास्टिक)
2. खाद्य और कृषि आधारित उद्योग
    * घानी तेल
    * भारतीय मिष्ठान्न बनाना
    * दुग्ध उत्पाद
    * साफ्ट ड्रिंक
    * विद्युत आटा चक्की
    * मसाला उद्योग
    * काजू प्रसंस्करण इकाई
    * फल और सब्जी प्रसंस्करण
    * मिनी चावल मिल
    * पशुओं का चारा
    * गन्ने का गुड़ और खांडसारी
    * बेकरी उत्पाद
3. वन आधारित उद्योग
    * आयुर्वेदिक औषधियां
    * मधुमक्खी पालन
    * शहद या मोम निर्माण
    * फोटो फ्रेम निर्माण
4. हस्तनिर्मित कागज और रेशा उद्योग
    * हस्तनिर्मित कागज और थर्माकोल
    * एक्सरसाइज बुक बाइंडिंग
    * कत्था
    * कागज के कप
5. खनिज आधारित उद्योग
    * ईंट के भट्ठे
    * सीमेंट ब्लाक/खोखले ब्लाक
    * चूना पत्थर/लाइम शेल और चूने के अन्य उत्पाद
    * पत्थर की कटाई

* पेंट
* ग्रेनाइट पत्थर के स्लैबों की पालिशिंग/ग्रेनाइट तोड़ना

6. ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग

* लोहार
* इंजीनियरिंग कार्यशाला
* लोहे के ग्रिल का निर्माण
* खाद और मीथेन
* वायरनेट
* बढ़ईगिरी
* नक्काशी वाले लकड़ी के और कलात्मक फर्नीचर
* लकड़ी का काम
* मोटर वाइंडिंग
* स्टील ग्रिल
* स्वर्णकारी/आभूषण
* इंजीनियरिंग उपकरण और निर्माण कार्य

7. सेवा उद्योग

* आटो सर्विस सेन्टर
* ढाबे (शराब न परोसने वाले)
* डीजल इंजिन, पंप सेट, आदि की मरम्मत
* इलेक्ट्रिक वायरिंग और इलेक्ट्रानिक उपस्करों की सर्विसिंग
* सोफा की मरम्मत
* मिठाई के स्टाल
* टेलरिंग और तैयार वस्त्र
* वीडियो और फोटो स्टुडियो
* होजरी
* टायर वल्कनीकरण
* साइकिल मरम्मत
* टीवी मरम्मत
* साउंड सिस्टम किराये पर देना
* सूती वस्त्र में स्क्रीन पेंटिंग
* हर्बल ब्यूटी पार्लर
* टी स्टाल
* आफसेट प्रिंटिंग और बाइंडिंग
* केबल/टीवी/कंप्यूटर सेंटर पर नेटवर्क

कर्नाटक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र

842. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए;

(ख) उपर्युक्त केन्द्रों में से राज्य में कितने केन्द्रों को बंद करने का आदेश दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बंद केन्द्रों के कर्मचारियों के भविष्य हेतु लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में कोई नया आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला गया।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, कार्यशील/बंद पड़े आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	कार्यशील	बंद
2003-04	24	कोई नहीं
2004-05	23	1
2005-06	18	5

(ग) आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए निर्धारित मानदण्डों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने/प्रशिक्षुओं को मानदेय का भुगतान न करने/अपर्याप्त अवसंरचना आदि जैसे विभिन्न कारणों से वर्ष 2004-05 में अरोअलेकरी नामक एक आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र बंद कर दिया गया।

कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद, राज्य में 10 आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन कर रही थी, जिसमें से स्थायी समिति द्वारा पारित संकल्प, जिसका 30.3.2005 को स्वयं कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद की कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत् अनुसमर्थन किया गया, के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान पांच केन्द्र बंद कर दिये गए। तद्नुसार, अनेकल, कनकपुरा, मैसूर, शिमोगा और गुलबर्ग में कार्यरत पांच आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र बंद कर दिए गए। तथापि, शिमोगा में कार्यशील आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र को, जिसे 1.4.2005 से बंद कर दिया गया था, 1.10.2006 से पुनः खोल दिया गया है।

(घ) इस बारे में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र अस्थायी हैं तथा राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के प्रशिक्षण की मांग के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष इनकी अवधि बढ़ायी जाती है। आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों में कर्मचारियों की भर्ती आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों को चला रहे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा की जाती है तथा भारत सरकार इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर अनुमोदित पद्धति के अनुसार, केवल सहायतानुदान प्रदान करती है। इसके अलावा, ऐसे स्टाफ के संबंध में भारत सरकार की कोई देयता नहीं है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक शिक्षा

843. श्री गिरिधारी यादवः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में राज्यवार कितने संस्थान व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान स्थानवार ऐसे कितने संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाए जाने संबंधी स्कीम की शुरूआत अर्थात् वर्ष 1987-88 से इसके अंतर्गत संस्वीकृत व्यावसायिक स्कूलों की संख्या को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु नए स्कूलों का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करता है।

विवरण

+2 स्तर पर 1987-88 से शुरू की गई माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाए जाने संबंधी स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत स्कूलों की राज्य-वार संख्या

(01.04.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1987-88 से संस्वीकृत स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1486
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	510
4.	बिहार	752
5.	छत्तीसगढ़	20
6.	गोवा	106
7.	गुजरात	77
8.	हरियाणा	116
9.	हिमाचल प्रदेश	82
10.	जम्मू-कश्मीर	37
11.	झारखंड	-
12.	कर्नाटक	563
13.	केरल	475
14.	मध्य प्रदेश	1307
15.	महाराष्ट्र	958
16.	मणिपुर	10
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	106
19.	नागालैंड	8
20.	उड़ीसा	231

1	2	3
21.	पंजाब	345
22.	राजस्थान	155
23.	सिक्किम	40
24.	तमिलनाडु	800
25.	त्रिपुरा	17
26.	उत्तर प्रदेश	1010
27.	उत्तरांचल	111
28.	पश्चिम बंगाल	39
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
30.	चंडीगढ़	20
31.	दादरा और नगर हवेली	2
32.	दमन और दीव	0
33.	दिल्ली	207
34.	लक्षद्वीप	शून्य
35.	पांडिचेरी	20
	कुल	9619

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार

844. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ क्षेत्रों से उन अभिभावकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु एक कानून लाने की मांग हो रही है जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं और उन्हें प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित कर रहे हैं जैसाकि दिनांक 17 सितम्बर, 2006 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस बात की निगरानी हेतु एक तंत्र स्थापित करने का है कि प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेजें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) दिनांक 17 सितम्बर, 2006 के 'हिन्दू' समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालकृष्णन ने एक ऐसे कानून का प्रस्ताव किया है जिसमें अपने बच्चों को स्कूल न भेज कर उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से वंचित करने वाले अभिभावकों पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान हो। तथापि, सरकार को इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, संविधान के अनुच्छेद 21ए, जो 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है, के अनुसरण में शिक्षा के अधिकार संबंधी माडल विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है और उसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित करके उनसे उनकी टिप्पणियां मांगी गई हैं। प्रारूप माडल विधेयक के अनुच्छेद 30 में प्रावधान है कि प्रत्येक अभिभावक की यह जिम्मेदारी है कि वह छः वर्ष या इससे अधिक आयु के अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाये और यह सुनिश्चित करे कि वह बच्चा प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करे।

[हिन्दी]

रेशम का निर्यात

845. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में भारत से किए गए रेशम के निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों (2003-04, 2004-05 और 2005-06) तथा वर्तमान वर्ष के दौरान भारत से निर्यातित रेशम सामानों और निर्यात आय के ब्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं:-

(मूल्य करोड़ रु. और मिलियन अमरीकी डालर में)

निर्यात की मद	2003-2004		2004-05		2005-06		2006-07 अप्रैल से जुलाई (अनंतिम)	
	रुपए	अम.डॉ.	रुपए	अम.डॉ.	रुपए	अम.डॉ.	रुपए	अम.डॉ.
प्राकृतिक रेशम यार्न, फेब्रिक्स व मेड अप्स	1954.11	425.2	2008.33	447.0	2228.88	503.5	643.39	140.7
सिले-सिलाए परिधान	699.52	152.2	746.29	166.1	842.06	190.2	373.59	81.7
रेशम कालीन	120.22	26.2	123.65	27.5	103.36	23.4	23.02	5.0
रेशम अपशिष्ट	5.34	1.2	1.29	0.3	19.90	4.5	6.56	1.4
कुल	2779.19	604.7	2879.56	640.9	3194.20	721.5	1046.56	228.9

[अनुवाद]

समेकित वस्त्र पार्क की योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन

846. श्री के.एस. राव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न स्थानों पर समेकित वस्त्र पार्क बनाने हेतु क्या अवसंरचनात्मक सुविधाएं और वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए और उस पर कितनी लागत आई;

(ख) इन पार्कों के उत्पादन, रोजगार सृजन और वस्त्र निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इन पार्कों में कितनी घरेलू और विदेशी मुद्रा का निवेश किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार निवेशकों को इन पार्कों में अपनी इकाइयों की स्थापना करने हेतु कर लाभ और अन्य छूटों के द्वारा बजटीय समर्थन देने का है और इस पर कितनी लागत आएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के तहत, सरकारी सहायता अन्य बातों के साथ-साथ अवसंरचना संबंधी सुविधाओं जिसमें कैप्टिव विद्युत संयंत्र, बहिस्राव आशोधन, परीक्षण प्रयोगशाला, डिजाइन केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, व्यापार केन्द्र/प्रदर्शन केन्द्र, भंडारण सुविधा/कच्चा माल भंडार, शिशु सदन, कैंटीन, कामगारों के लिए होस्टल, श्रमिक विश्राम और मनोरंजन सुविधाएं, उत्पादन उद्देश्यों के लिए कारखाना भवन आदि सहित चाहरदीवारी, सड़कें, नाले, जल-आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति शामिल हैं, के लिए दी जाती है। अब तक एसआईटीपी के तहत 26 परियोजनाएं 2411.20 करोड़ रु. की अनुमानित परियोजना लागत से स्वीकृत की गई हैं जिसमें से भारत सरकार की सहायता 862.55 करोड़ रु. होगी। राज्यवार स्वीकृत परियोजनाएं हैं- आंध्र प्रदेश (4), गुजरात (6), कर्नाटक (1), महाराष्ट्र (6), राजस्थान (2), तमिलनाडु (5), उत्तर प्रदेश (1) और पश्चिम बंगाल (1)।

(ख) 26 स्वीकृत पार्कों में अनुमानित वार्षिक उत्पादन लगभग 19,200 करोड़ रु. का है और अनुमानित रोजगार सृजन 5.29 लाख (1.93 लाख प्रत्यक्ष और 3.36 अप्रत्यक्ष) है। इन पार्कों में वस्त्र इकाइयां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की मांग पूरी करेंगी।

(ग) 26 स्वीकृत पार्कों में अनुमानित निवेश 13,445 करोड़ रु. (लगभग) है जिसमें 4800 करोड़ रु. (लगभग) विदेशी निवेश होगा।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बच्चों के लिए आश्रयों की संख्या बढ़ाना

847. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू सहायता हेतु काम न देने के लिए नियम के बाद बेरोजगार हो गए बच्चों के लिए आश्रयों की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा है कि वे उन बच्चों के आवास एवं पुनर्वास के प्रयास करें, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में रोजगार देने पर निषेध संबंधी अधिसूचना द्वारा विस्थापित या प्रभावित हुए हैं।

(ख) उपर्युक्त उपाय ऐसे बच्चों के पुनर्वास की समग्र कार्यनीति का ही अंग होंगे।

[हिन्दी]

लकड़ी और लोहे से बने हस्तशिल्प पर छूट

848. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लकड़ी और लोहे से बने हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या राजस्थान ने इस प्रयोजनार्थ एक विशेष पैकेज की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) लकड़ी और लोहे से बने हस्तशिल्प पर कितनी छूट दी गई है;

(ङ) क्या इस संबंध में कम छूट दिए जाने से राजस्थान राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) देश में लकड़ी और लोहे से बने हस्तशिल्पों सहित हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में चुनिंदा शिल्प समूहों के समेकित विकास की बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीआई); डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; विपणन एवं सहायता सेवाएं; निर्यात संवर्धन; प्रशिक्षण एवं विस्तार; वर्कशेड; अनुसंधान एवं विकास; विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना (एसएचटीपी) आदि शामिल हैं।

(ख) राजस्थान में लकड़ी और लोहे से बने हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की कोई विशिष्ट मांग नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लकड़ी, बांस एवं बेंत हस्तशिल्पों से बने फर्नीचर के निर्यात के लिए ड्यूटी ड्राबैक एफ ओ बी वैल्यू के 1.7 प्रतिशत की दर से है। लोहे के हस्तशिल्पों के संबंध में यह 13 प्रतिशत की दर से जो अधिकतम 15.00 रुपये प्रति किलोग्राम है। लकड़ी के हस्तशिल्पों के निर्यातकों को टैक्सेशन लाज (संशोधन) आर्डिनेंस, 2003 (2003 का सं. 2) के अंतर्गत आयकर अधिनियम की धारा '10 बीए' के अंतर्गत अप्रैल, 2004 से 2010 तक आयकर में छूट की अनुमति है।

(ङ) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने सूचित किया है कि ऐसी कोई घटना उनकी जानकारी में नहीं लाई गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एमएसएमईडी एक्ट, 2006

849. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2 अक्तूबर, 2006 से लागू किए गए छोटे, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) एक्ट, 2006 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विनिर्माण और सेवा उद्यम में क्या अंतर है;

(ग) छोटे, लघु और मध्यम उद्यम हेतु आरक्षित मदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के लिए इन आरक्षित मदों को इन लघु तथा छोटे उद्यमों से खरीदना अनिवार्य है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन लघु और छोटे उद्यमों को कोई खरीद/मूल्य वरीयता भी दी गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या छोटे/लघु उद्यमों को स्थापित करने हेतु बेरोजगार स्नातक लड़कियों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में इन उद्यमों के संवर्धन और विकास तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने का प्रावधान है। यह "उद्यम" (विनिर्माण और सेवाएं दोनों) की अवधारणा और इन उद्यमों की तीन श्रेणियों, यानि सूक्ष्म, लघु और मध्यम के एकीकरण को मान्यता देने के लिए पहली बार सांविधिक ढांचा प्रदान करता है। उद्यमों की प्रत्येक, श्रेणी, खासकर लघु, के स्पष्ट तथा और अधिक प्रगतिशील वर्गीकरण के अलावा, इस अधिनियम के स्टेकहोल्डर्स के सभी वर्गों, खासकर उद्यमों के तीन वर्गों के व्यापक प्रतिनिधित्व और परामर्शदायी कार्यों की व्यापक रेंज के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक वैधानिक परामर्श तंत्र का प्रावधान है। इन उद्यमों के संवर्धन, विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विशिष्ट निधियों की स्थापना, इस उद्देश्य के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों की अधिसूचना, प्रगतिशील ऋण नीतियां और व्यवहार, सरकारी अधिप्राप्ति में सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं को वरीयता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान की समस्याओं को कम करने के लिए अधिक प्रभावी क्रियाविधियां तथा उद्यमों की सभी तीन श्रेणियों द्वारा व्यवसाय बंद करने की प्रक्रिया का सरलीकरण इस विधान की कुछ अन्य विशेषताएं हैं।

(ख) विनिर्माण और सेवा उद्यमों के बीच अंतर उनके कार्य के उद्देश्य में निहित है क्योंकि विनिर्माण उद्यम उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न होते हैं जबकि सेवा उद्यम सेवाएं प्रदान करने में संलग्न होते हैं।

(ग) से (छ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 23(ख) के उपबंधों के अंतर्गत, कुछ उत्पाद सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (लघु उद्योगों (एसएसआई) के साथ एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 7 की व्याख्या 2 के बराबर) द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित हैं। सरकार के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों से इन वस्तुओं को खरीदना अनिवार्य नहीं है। तथापि, लघु उद्योगों के उत्पादों को खरीद और मूल्य वरीयता प्रदान करने के लिए, सरकार एक नीति (अवैधानिक) का अनुसरण कर रही है जिसमें कुछ मदों को भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों से विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। कई राज्य सरकारें भी, अपनी ओर से, अपने राज्य में स्थित सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की सहायता के लिए कुछ खरीद तथा मूल्य वरीयता नीतियां लागू कर रही हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पालन की जा रही इन खरीद/मूल्य वरीयता नीतियों की असांविधिक प्रकृति के कारण और उनकी असांविधिक प्रकृति की वजह से उल्लंघनों की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 भारत सरकार और राज्य सरकारों को सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा प्रदत्त सेवाओं की अपने मंत्रालयों या विभागों, जैसा भी मामला हो, या सहायता प्राप्त संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अधिप्राप्ति के संबंध में समय-समय पर वरीयता नीतियों को अधिसूचित करने के लिए प्रदत्त करता है।

(ज) और (झ) लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय बेरोजगार स्नातक लड़कियों को विशेष रूप से लक्षित करते हुए सूक्ष्म/लघु उद्यमों की स्थापना करने के लिए कोई योजना नहीं चलाते, क्योंकि वे सामान्य तौर पर महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं।

एडवांस पैसेंजर इन्फार्मेशन सिस्टम (एपीआईएस)

850. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी एयरलाइनों ने एडवांस पैसेंजर इन्फार्मेशन सिस्टम (एपीआईएस) को लागू करने पर आपत्तियां उठाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई/कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी हां। एडवांस पैसेंजर इन्फार्मेशन सिस्टम (एपीआईएस) के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ एयरलाइन आपरेटरों ने यह मांग की गई है कि:

(1) हवाई जहाज के पायलट को ए पी आई एस का अनुपालन न किए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए;

(2) ए पी आई एस का अनुपालन न किए जाने के लिए कारावास का दंड नहीं दिया जाना चाहिए; और

(3) कतिपय आंकड़ों की मांग नहीं की जानी चाहिए।

(ग) सरकार ने उचित हल के लिए इन माँगों को नोट कर लिया है।

एमसीए और इंजीनियरिंग की सीटों में कमी करना

851. श्री जी.एम. सिद्धीश्वर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एआईसीटीई ने कर्नाटक में एमसीए और इंजीनियरिंग की सीटों की संख्या में कुछ कमी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) ये कटौती किस शैक्षणिक वर्ष से लागू होगी; और

(घ) इससे छात्र किस हद तक प्रभावित होंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरुन्देश्वरी): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की नीति के अनुसार, गुणवत्ता शिक्षा के लिए अवसंरचना एवं संकाय, दो महत्वपूर्ण घटक है। संकाय एवं निर्मित क्षेत्र की कमी के कारण, कर्नाटक में 6 एम.सी.ए. संस्थाओं में 98 सीटें और 24 इंजीनियरी संस्थाओं में 8825 सीट कम की गई थी। तथापि, कमियों को पूरी करने वाली 5 एमसीए संस्थाओं में 83 सीटें और 22 इंजीनियरी संस्थाओं में 8585 सीटों को बहाल किया गया। इसलिए वास्तविक कमी कर्नाटक में एमसीए में केवल 15 सीटों की और इंजीनियरी में 240 सीटों की थी और यह वर्ष 2006-07 से लागू होगी। तथापि, नई संस्थाओं की स्थापना/विद्यमान प्रवेश में वृद्धि/अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के अनुमोदन हेतु कुल प्रवेश में वृद्धि हुई है जिसके ब्यौरें निम्न प्रकार हैं:-

कार्यक्रम	2005-06 में अनुमोदित प्रवेश	2006-07 में अनुमोदित प्रवेश (20.10.2006 को)	वास्तविक वृद्धि
एमसीए	3215	3677	462
इंजीनियरी	48575	56542	7967

एनडीएमसी के अधीन बाजार

852. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनडीएमसी का विचार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी महत्वपूर्ण बाजारों को नया रूप देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नवीकरण कार्य कब से शुरू किया जाएगा और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सूचित किया है कि तीन बाजारों अर्थात् गोल मार्किट, मुख्य जनपथ बाजार और कनाट प्लेस को नया रूप देने का प्रस्ताव है।

(ग) इन बाजारों के नवीकरण के कार्य को शुरू करने का और उसे पूरा करने का संभावित समय इस प्रकार है:

क्र.सं.	बाजार का नाम	कार्य शुरू करने का संभावित समय	कार्य को पूरा करने का संभावित समय
1.	गोल मार्किट	जनवरी, 2007	कार्य शुरू करने की तिथि से लेकर 54 सप्ताह तक
2.	मुख्य जनपथ बाजार	15.12.2006	30.6.2007
3.	कनाट प्लेस	मार्च, 2007	अक्तूबर, 2009

पूर्वोत्तर राज्यों में गतिविधियां चला रहे आतंकवादी दल

853. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में म्यांमार और बांग्लादेश के कई आतंकवादी दल अपनी गतिविधियां चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी गतिविधियों के क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उनकी गतिविधियों को रोकने तथा उनके शिविरों का स्थान बताते हुए उन्हें ध्वस्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) भारतीय क्षेत्र से म्यांमार और बांग्लादेश का कोई भी उग्रवादी गुट अपनी गतिविधियां नहीं चला रहा है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

नवोदय विद्यालय खोलना

854. श्री सुब्रत बोस: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में जिलेवार और स्थानवार कितने नवोदय विद्यालय खोले गए;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और नवोदय विद्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के केन्द्रीय विद्यालयों में दी जा रही सुविधाओं के समान सरकारी विद्यालयों में भी वैसी ही सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) पिछले तीन वर्षों में खोले गए जवाहर नवोदय विद्यालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) से (ग) जी, हां। वर्तमान योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला जाना परिकल्पित है। प्रत्येक जिले में विद्यालय का वास्तविक स्थल तथा समय संबंधित राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अपेक्षित भूखंड पर निर्भर करता है।

(घ) अपने अधीन विद्यालयों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय वचनबद्ध है। राज्यों के अधीन विद्यालयों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्यों का काम है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में जिला-वार, स्थिति-वार खोले गए जवाहर नवोदय विद्यालय

खोले गए जवाहर नवोदय विद्यालय

क्र.सं.	जिला	स्थिति
1	2	3
	2003-04	
1.	बागेश्वर	बाहुली
2.	लखीसराय	बारहैया
3.	दिनदोरी	धमनगांव
4.	बर्द्धवान	दुर्गापुर टाउनशिप
5.	अपर सियांग	गेकू
6.	पिथौरागढ़	जीआईसी कैम्पस
7.	मल्कानगिरी	गुरुगुडा
8.	नादिया	कल्याणी
9.	अम्बाला	कालम
10.	धमतारी	कुरुद्ध
11.	बुदवानी	ओझर
12.	पूर्वी सियांग	पासीघाट
13.	पंचमहल	वेजालपुर
	2004-05	
1.	बस्तर	परचनपल
2.	पूर्वी खासी हिल्स	माफलांग
3.	पूर्वी मिदनापुर	कापोसरिया
4.	गुना	बजरंगगढ़
5.	हुगली	दिहि भागनान
6.	शहडौल	मऊ
7.	वायनाद	कालपेटे

1	2	3
		2005-06
1.	अंजाव	हवाई
2.	बक्सा	अदालबारी
3.	बनगाईगांव	काशीदोबा
4.	बांकुरा	कालापत्थर
5.	बारगढ़	जार्जगढ़
6.	भद्रक	संकृष्ठापुर
7.	वीरभूम	गोपालपुर
8.	बुरहानपुर	बसाली
9.	छम्पाई	थिआखन राम
10.	कूंचबिहार	कालीबाडी
11.	देवगढ़	सुनामुण्डा
12.	दीमापुर	निहोखू
13.	पूर्वी सिक्किम	रायगांव अपर नानखाबौंग
14.	फतेहाबाद	बनगांव
15.	गाजियाबाद	अमीरपुर बादायल
16.	हमीरपुर	ईत्तायल
17.	होजई, उत्तरी कछार हिल्स	सोनतिल्ला
18.	हावड़ा	चांदीपुर
19.	जगतसिंह पुर	सैलों
20.	जाजपुर	पत्थरपाड़ा
21.	जलपाईगुड्डी	पूर्वा चकचाका
22.	जशपुर	धोदीदंड
23.	कांकेर	कर्प
24.	कवारघा	ओरियाकाला
25.	किपहिरे	तुथेजे
26.	कोरिया	केनपाडा
27.	कुरुंग खुमे	लांगबिआ गांव की तरफ रास्ता, जलंग बस्ती के सामने
28.	नौगांव	अथगांव
29.	पश्चिम मिदनापुर	मोरादंगा
30.	पौडी गढ़वाल	खैनासन्द
31.	साईहा	छातला
32.	सिमदेगा	मौजा कोलेबिरा
33.	अपर दिबांग वैली	अनिनि
34.	उत्तर दिनाजपुर	सिमानन्दपुर
35.	पश्चिम कमांग	खेलांग
36.	जुनहेबोटो	जफूमी

उत्कृष्टता केन्द्र

855. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के वस्त्र क्षेत्र में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केंद्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना व्यय होगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा गठित वस्त्र एवं वस्त्र उद्योग संबंधी कार्यकारी समूह के तहत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए तकनीकी वस्त्र संबंधी उप समूह ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 90.00 करोड़ रुपए के प्रस्तावित योजना परिव्यय से देश के विभिन्न भागों में छह उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश में कृषि और ग्रामीण उद्योग

856. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में वर्षवार कितनी कृषि और ग्रामीण उद्योग इकाइयां स्थापित की गईं;

(ख) इन औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादित की जा रही मदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु कितनी राशि आवंटित की गई और ये आबंटन किन-किन योजनाओं के अंतर्गत किए गए थे?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत आंध्र प्रदेश में स्थापित ग्रामीण उद्योग (वीआई) इकाइयों का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	स्थापित इकाइयों की संख्या
2003-04	1079
2004-05	1988
2005-06	2278

(ख) अचार, कंफेक्शनरी वस्तुएं, शहद, प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री, बेंत तथा बांस के उत्पाद, हस्तनिर्मित कागज के उत्पाद, ईंटें, टाइलें, चमड़े की वस्तुएं, आडियो तथा वीडियो सिस्टम्स, जैविक खाद, स्टील फर्नीचर आंध्र प्रदेश में आरईजीपी के तहत सहायता प्राप्त उद्योगों द्वारा उत्पादित कुछ प्रमुख मदें हैं, जिसका समूहवार वर्गीकरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	उद्योग का समूहवार वर्गीकरण
1.	पोलिमर और रसायन आधारित उद्योग
2.	खाद्य और कृषि आधारित उद्योग
3.	वन आधारित उद्योग
4.	हस्तनिर्मित कागज और रेशा उद्योग
5.	खनिज आधारित उद्योग
6.	ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग
7.	सेवा उद्योग

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के संदर्भ में ग्रामोद्योग अनुदान, जिसमें से आरईजीपी के कार्यान्वयन के लिए निधियों का उपयोग किया जाता है, के तहत केवीआईसी द्वारा प्रदत्त सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	(लाख रुपये)
2003-04	1675.40
2004-05	3394.19
2005-06	3627.58

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन

857. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिवों और राहत आयुक्तों की बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त बैठक के दौरान चर्चा की गयी; और

(ग) सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में आपात सहायता पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) गृह मंत्रालय ने 5 जून, 2006 को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के राहत आयुक्तों/सचिवों के एक सम्मेलन का आयोजन किया।

सम्मेलन में, अन्य संबंधित मुद्दों के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम मानसून, 2006 के लिए आपाती सहायता संबंधी कार्य करने हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की तैयारी की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। चर्चा का केन्द्र बिन्दु आपात स्थितियों में कारगर और समन्वित रूप से निपटना सुनिश्चित करने हेतु प्रभावित राज्यों के सशस्त्र बलों और केन्द्रीय पुलिस बलों द्वारा दी जाने वाली सहायता के लिए उनकी आपदा से निपटने हेतु तैयारी और प्रक्रियाओं से संबंधित था। इसी प्रकार आपदा होने पर महामारी के प्रयोग की रोकथाम करने, रेल, सड़क और संचार तंत्र को पुन: बहाल करने में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संचार,

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन की भूमिका और कार्य क्षेत्र पर प्राथमिक आधार पर भी चर्चा की गई।

संभारिकी सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को प्राकृतिक आपदाएं होने पर उन्हें बचाव और राहत अभियानों में समर्थ बनाने हेतु उन्हें अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान की है। वर्ष 2006-07 के दौरान प्रभावित राज्यों को आपदा राहत राशि (सीआरएफ) के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 2498.95 करोड़ रु. की राशि और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से 1962.06 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

निर्यात संवर्धन

858. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री प्रह्लाद जोशी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से हाल ही में निर्यात संवर्धन के बारे में प्रमुख भूमिका निभाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात के क्षेत्र में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी घट रही है;

(ग) यदि हां, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एएसआईडीई योजना के अंतर्गत अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों को स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) निर्यातों के संवर्धन हेतु राज्य सरकार को जागरूक बनाना केन्द्र सरकार का प्रयास रहता है। परिणामत: अधिकांश राज्यों से होने वाले निर्यातों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है।

(ग) निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए अनेक उपायों में से कुछ उपायों में शामिल हैं- विशेष आर्थिक जोनों/निर्यातोन्मुखी एककों/कृषि निर्यात जोनों की स्थापना, निर्यातोन्मुख अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, व्यापार मेलों के आयोजन/उनमें भागीदारी करने, क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी करने और बाजार सर्वेक्षण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को किए गए राज्य-वार आबंटन/जारी की गई राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आवंटित राशि 2002-03	जारी की गई राशि 2002-03	आवंटित राशि 2003-04	जारी की गई राशि 2003-04	आवंटित राशि 2004-05	जारी की गई राशि 2004-05	आवंटित राशि 2005-06	जारी की गई राशि 2005-06	आवंटित राशि 2006-07	जारी की गई राशि 2006-07	जारी की गई संचयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,385.00	1385.00	1,545.00	1,545.00	1700.00	850.00	6,280.00
2	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	200.00	200.00	200.00	100.00	200.00	0	200.00	0.00	220.00		300.00
3.	बिहार	300.00	300.00	650.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	220.00		300.00
4.	चंडीगढ़	100.00	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	320.00	320.00	350.00		420.00
5.	छत्तीसगढ़	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	550.00	275.00	2,075.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	दादरा और नगर हवेली	150.00	150.00	300.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	220.00		150.00
7.	दमन और दीव	150.00	150.00	300.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	220.00		150.00
8.	दिल्ली	100.00	100.00	200.00	0.00	265.00	0.00	265.00	265.00	290.00	145.00	510.00
9.	गोवा	600.00	600.00	600.00	600.00	373.00	373.00	609.00	609.00	670.00		2,182.00
10.	गुजरात	1,400.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	3,578.00	3,578.00	4,338.00	4,338.00	4770.00	2,385.00	13,201.00
11.	हरियाणा	600.00	600.00	600.00	600.00	849.00	849.00	1,405.00	1,405.00	1545.00		3,454.00
12.	हिमाचल प्रदेश	700.00	700.00	750.00	750.00	500.00	500.00	553.00	553.00	600.00	300.00	2,803.00
13.	जम्मू-कश्मीर	600.00	600.00	600.00	600.00	500.00	500.00	525.00	525.00	580.00		2,225.00
14.	झारखंड	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	0.00	500.00	0.00	550.00	275.00	1,075.00
15.	कर्नाटक	1,800.00	1,800.00	1,900.00	1,900.00	2,414.00	2414.00	3,399.00	3,399.00	3740.00	1,870.00	11,383.00
16.	केरल	1,100.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	930.00	930.00	1,069.00	1,069.00	1175.00	587.50	4,886.50
17.	लक्षद्वीप	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0	200	0.00	220.00		400.00
18.	मध्य प्रदेश	2,000.00	2,000.00	1,100.00	1,100.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1580.00	790.00	6,760.00
19.	महाराष्ट्र	1,600.00	1,600.00	3,400.00	3,400.00	5,709.00	5709.00	6,552.00	6,552.00	7210.00		17,261.00
20.	उड़ीसा	450.00	450.00	1000.00	1,000.00	605.00	605.00	693	693.00	765.00	382.50	3,130.50
21.	पांडिचेरी	300.00	300.00	300.00	150.00	200.00	0.00	200	0	220.00		450.00
22.	पंजाब	900.00	900.00	1000.00	1,000.00	968.00	968.00	1,217.00	1,217.00	1340.00		4,085.00
23.	राजस्थान	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1453.00		5,140.00
24.	तमिलनाडु	2,800.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00	3,919.00	3,919.00	3,919.00	3,919.00	4312.00	2,156.00	15,794.00
25.	उत्तर प्रदेश	2,000.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00	1,259.00	1259.00	2,100.00	2,100.00	2310.00		7,459.00
26.	उत्तरांचल	400.00	400.00	400.00	200.00	500.00	500.00	527.00	527.00	580.00		1,627.00
27.	पश्चिम बंगाल	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,491.00	1491.00	2,009.00	2,009.00	2210.00	1,105.00	6,705.00
	कुल	22,650.00	22,650.00	26,000.00	23,900.00	30,400.00	28,235.00	36,000.00	34,300.00	39600.00	11121.00	120,206.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र												
1.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	100.00	125.00	125.00	251.00	0.00	251.00	251.00	276.00		476.00
2.	असम	400.00	400.00	500.00	500.00	1149.00	1149.00	1,257.00	1,257.00	1383.00		3,306.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	मणिपुर	200.00	200.00	250.00	0.00	200.00	200.00	206.00	206.00	227.00	113.50	719.50
4.	मिजोरम	100.00	100.00	250.00	0.00	200.00	200.00	324.00	324.00	356.00	178.00	802.00
5.	मेघालय	200.00	200.00	250.00	250.00	572.00	572.00	834.00	834.00	917.00	458.50	2,314.50
6.	नागालैंड	100.00	100.00	125.00	50.00	200.00	200.00	200.00	200.00	220.00		550.00
7.	सिक्किम	50.00	50.00	125.00	0	200	0.00	200.00	200.00	220.00		250.00
8.	त्रिपुरा	300.00	300.00	375.00	375.00	828.00	828.00	728.00	728.00	801.00		2,231.00
	कुल	1450.00	1450.00	2000.00	1300.00	3600.00	3149.00	4000	4,000.00	4400.00	750.00	10,649.00
	महायोग	24,100.00	24,100.00	28,000.00	25,200.00	34,000.00	31,384.00	40,000.00	38,300.00	44000.00	11871.00	130,855.00

जम्मू-कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानी

859. चौधरी लाल सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने हेतु जम्मू-कश्मीर सरकार से उन स्वतंत्रता सेनानियों की सूची प्राप्त हुई है जिन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन चरण-II (1954-55) में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सूची की स्थिति क्या है तथा सरकार इन व्यक्तियों को कब तक यह लाभ उपलब्ध करायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) गोवा मुक्ति आंदोलन चरण-II (1954-55), में भाग लेने के लिए केन्द्रीय सम्मान पेंशन प्रदान किए जाने हेतु जम्मू और कश्मीर से प्राप्त 10 लोगों के दावों पर विचार करने के लिए उनके कागजातों को फ्लोर एंड डिप्टी फ्लोर लीडर्स के साथ 24.8.2006 को आयोजित बैठक के दौरान सौंपा गया।

(ख) वर्ष 2003 में 10 व्यक्तियों में से, 8 व्यक्तियों के दावे, दावेदारों से सीधे प्राप्त हुए। पात्रता संबंधी मानदंड और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 की प्रमाणिक जरूरतों के संदर्भ में विधिवत रूप से इन दावों की जांच की गई और सरकार की नीति गोवा मुक्ति आंदोलन चरण-II (1954-55) के मामलों को उचित मानती है। सभी 8 दावे रद्द कर दिए गए क्योंकि वे पात्रता मानदंड और स्कीम की प्रमाणिक जरूरतों को पूरा नहीं करते थे।

औद्योगिक नीति

860. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रोत्साहन की तरह उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर को प्रोत्साहन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में पूर्वोत्तर उद्योग मंत्री मंच सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योग एवं वाणिज्य परिसंघ (एफआईएनईआर), पूर्वोत्तर राज्य सरकारों से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के संशोधन हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है जैसाकि आश्वासन दिया गया था; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक मूर्त रूप दिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, हां। प्रोत्साहनों में आयकर में छूट, उत्पाद शुल्क छूट, पूंजी निवेश राजसहायता, कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज राजसहायता तथा पूंजी निवेश पर बीमा प्रीमियम शामिल हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रस्तावों का संबंध पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 की समीक्षा से है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

शिक्षकों के लिए मानक पात्रता

861. श्री इलियास आज़मी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीएड की कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों हेतु मानक पात्रता निर्धारित कर दी है तथा उन्हें असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करवाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पात्रताओं को स्वीकार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) बी.एड. कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए मानदंड एवं मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2006 को अधिसूचित कर दिये गये हैं।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित ये मानदंड एवं मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की तरह ही संपूर्ण भारत (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) पर लागू हैं। उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य द्वारा इन मानदंडों के अस्वीकार किये जाने की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

बम धमाकों पर अमरीकी प्रतिनिधियों की सलाह

862. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 11 जुलाई, 2006 को मुंबई में लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों संबंधी जांच के निष्कर्षों पर अमरीकी प्रतिनिधियों से सलाह मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो उन तथ्यों का ब्यौरा क्या है जिन पर सलाह मांगने के समय चर्चा की गयी थी;

(ग) क्या पाकिस्तान को इस चर्चा के ब्यौरों से अवगत करा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो किस तिथि को यह सूचना पाकिस्तान को दी गयी; और

(ङ) पाकिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सीमापार से आतंकवाद और हाल ही के मुम्बई विस्फोटों के मुद्दों पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच चर्चा भारतीय विधिक तंत्र के ढांचे के अंतर्गत की गई है।

(ग) पाकिस्तान को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

सीमा चौकियों का आधुनिकीकरण

863. श्री बसुदेव आचार्य: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न सीमा चौकियों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सीमावार कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) 734.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर भारत-नेपाल, भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार सीमाओं पर 13 आधुनिक एकीकृत जांच चौकियां (आईसीपी) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन एकीकृत जांच चौकियों का कार्य डेढ़ से तीन वर्ष की समयावधि में पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण

एकीकृत जांच चौकियों की स्थिति और अनुमानित लागत

क्र.सं.	स्थिति	राज्य	सीमा	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)
	प्राथमिकता-I			
1.	पेटरापोल	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	87
2.	मोरहे	मणिपुर	भारत-म्यांमार	70
3.	रक्सोल	बिहार	भारत-नेपाल	100
4.	वाघा	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	85
	कुल प्राथमिकता-I			342
	प्राथमिकता-II			
5.	हिल्ली	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	78
6.	चंद्राबंग्गा	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	64
7.	सूतरखंडी	असम	भारत-बांग्लादेश	16
8.	दवक्की	मेघालय	भारत-बांग्लादेश	50
9.	अखारु	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश	60
10.	क्वारपुछिया	मिजोरम	भारत-बांग्लादेश	27
11.	जोगबनी	बिहार	भारत-नेपाल	34
12.	सुनाली	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल	34
13.	रुपयाधिया/नेपालगंज रोड	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल	29
	कुल प्राथमिकता-II			392
	कुल प्राथमिकता-I और प्राथमिकता-II			734

[अनुवाद]

सी.बी.एस.ई. द्वारा नि:शक्त विद्यार्थियों को सुविधाएं

864. श्री एम. शिवन्ना: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने बोर्ड परीक्षाओं यथा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से नि:शक्त विद्यार्थियों को इस सत्र से और अधिक समय देने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु सी बी एस ई द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बोर्ड कक्षा 10 तथा 12 की परीक्षाओं में बैठने वाले शारीरिक रूप से निःशक्त विद्यार्थियों को प्रत्येक पेपर हेतु 1 घंटे (60 मिनट) का अतिरिक्त समय देता आ रहा है।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दृष्टिहीन तथा शारीरिक रूप से निःशक्त विद्यार्थियों को निम्नलिखित छूट दी है:-

(1) अनुरोध किए जाने पर परीक्षा के दौरान किसी लिखने वाले की सुविधा प्रदान करना।

(2) माध्यमिक परीक्षा हेतु स्पास्टिक आक्रांत अभ्यर्थियों और दृष्टिहीन तथा श्रवणशक्ति विहीन अभ्यर्थियों के पास यह विकल्प है कि वे दो अनिवार्य भाषा विषयों के बदले एक ही अनिवार्य भाषा विषय का अध्ययन करें। गणित विषय के बदले भी उन्हें एक वैकल्पिक विषय प्रदान किया जाता है। एक भाषा के अतिरिक्त, ऐसे अभ्यर्थियों को निम्नलिखित विषयों में से कोई चार विषय प्रदान किए जाते हैं:-

"गणित, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समाज विज्ञान, अन्य भाषा, संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान तथा प्रारंभिक सूचना प्रौद्योगिकी"।

(3) कक्षा X हेतु गणित, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समाज विज्ञान और इंग्लिश कम्युनकेटिव विषयों में विजुअल सामग्री युक्त प्रश्नों के बदले अन्य वैकल्पिक प्रश्नों का दिया जाना।

(4) कक्षा XII हेतु इतिहास, भूगोल तथा अर्थशास्त्र विषयों में विजुअल सामग्री युक्त प्रश्नों के बदले अन्य वैकल्पिक प्रश्नों का दिया जाना।

(5) कक्षा X उच्च स्तर पर गणित तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु बड़े-बड़े अक्षरों वाले पृथक प्रश्न-पत्रों का दिया जाना।

(6) परीक्षा केन्द्र पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे जहां तक संभव हो परीक्षा के संचालन हेतु भू-तल पर ही इन अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था करें।

(7) ऐसे अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अलग से किया जाता है।

(8) विकलांग बच्चों की सुविधा हेतु विशेष परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जाती है।

कारावासों में बंद विचाराधीन कैदी

865. श्री उदय सिंह:
श्री अधीर चौधरी:
श्री ए.वी. बेल्लारमिन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कारावासों में बंद ऐसे कैदियों की संख्या की सूचना देने को कहा है जिनके मुकदमों पर सुनवाई नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी एजेंसियों पर कानून लागू करने का है जो जानबूझकर न्यायिक प्रणाली को नजरअंदाज कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे कैदियों को जमानत देने और उनके विरुद्ध मुकदमों के निपटान हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं जिनके पास न्यायालय में वकील करने हेतु कोई साधन नहीं है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) ऐसा कोई निदेश उच्चतम न्यायालय से गृह मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) वर्ष 2005 में दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1973 (सी.आर.पी.सी.) में निम्नलिखित उपबंधों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया:

(1) संहिता में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की एक नई धारा 436क जोड़ी गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि ऐसे अपराधी को छोड़कर, जिसके लिए दंड स्वरूप मृत्युदंड निर्धारित किया गया है, यदि कोई विचाराधीन कैदी कथित अपराध के लिए नियत की गई कारावास की अधिकतम अवधि की डेढ़ गुना अवधि तक कारावास में रहा हो तो उसे जमानतों या इनके बगैर उसके निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाएगा। इसमें यह भी

व्यवस्था की गई है कि किसी भी सूरत में किसी भी विचाराधीन कैदी को कथित अपराध के लिए, जिसे दोषसिद्ध किया जा सकता है, कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक समय तक कारावास में नहीं रखा जाएगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436(1) में अनिवार्य रूप से यह व्यवस्था करने हेतु भी यह संशोधन किया गया है कि यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत योग्य अपराधी है और वह गरीब है तथा वह जमानत की व्यवस्था नहीं कर सकता है तो उसके द्वारा एक बांड निष्पादित किए जाने पर अदालत उसे जमानतों के बगैर रिहा कर देगी।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

866. **श्री रामदास आठवले:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए आवंटित निधियों का अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत रिलीज किए गए फंड्स का उचित उपयोग स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के निर्धारण तथा इन फंड्स के उपयोग के लिए मानदंडों, रिलीज किए गए फंड के पहले ही रिलीज किए गए फंड्स के "उपयोगिता प्रमाण पत्र" के साथ लिंग करने, बैंकों द्वारा सब्सिडी का बैक एन्डिड संवितरण, प्रत्यक्षत: ऋण प्राप्तकर्त्ता की बजाय माल की आपूर्तिकर्त्ता को थर्ड पार्टी चेक के माध्यम से ऋण के संवितरण, फंड्स के दुरुपयोग के मामलों के संबंध में कड़ाई से निपटने, आदि के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

[अनुवाद]

भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता

867. **श्री शैलेन्द्र कुमार:**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है;

(ख) क्या सरकार ने कभी इसके लाभ अथवा हानि का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारी संख्या में किए जा रहे अथवा किए जाने वाले मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभाव की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो देशवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकारी अधिकारियों ने प्रस्तावित भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता हेतु बातचीत करने के लिए, हाल ही में जकार्ता में आसियान व्यापार अधिकारियों की हुई बैठक में भाग लिया था;

(छ) यदि हां, तो दोनों की ओर से क्या विचार प्रकट किए गए; और

(ज) इसका क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) से (ज) आसियान-भारत व्यापार वार्ता समिति (टीएनसी) के 14वें दौर का आयोजन 16-18 नवम्बर, 2006 के बीच जकार्ता में किया गया था। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सहमत मदों पर टैरिफ कमी संबंधी रूपरेखाओं के लिए प्रस्ताव सहित प्रस्तावित आसियान-भारत (एफटीए) के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया था।

स्कूली विद्यार्थियों हेतु विज्ञान

868. श्री ए. साईं प्रताप: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों को विज्ञान विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हाल ही में प्रोत्साहनों की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने विद्यार्थियों को विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते अनेक पहल की है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 के आधार पर कक्षा VI से XII की विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों तैयार कर रही है ताकि अनुसंधान कार्यकलापों के माध्यम से विज्ञान की अवधारणाओं के अध्ययन की परिकल्पना की जा सके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने विद्यालयों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम अर्थात् (1) विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, (2) रीडिंग-टू-लर्न प्रोग्राम, (3) विज्ञान ओलम्पियाड और (4) पर्यावरणीय विज्ञान कार्यक्रम शुरू किए हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक कौशल प्राप्त करने पर विशेष ध्यान और बल दिया है।

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त और अन्य संगठन विद्यालयों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक विभिन्न कार्यक्रम अर्थात् क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, विज्ञान शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर वैज्ञानिक प्रवृत्ति सृजित करने के लिए सिद्धान्त परियोजनाएं, विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पाठ्य-पुस्तकें और परियोजना से संबंधित स्व-अध्ययन सामग्री के लिए आडियो-वीडियो सहायता कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

गवाहों की पहचान गुप्त रखना

869. श्री एल. राजगोपाल:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17वें विधि आयोग ने गवाहों की पहचान गुप्त रखने की सिफारिश की है ताकि वे अपने बयानों से न मुकरे तथा सभी आपराधिक मुकदमों में दोषी व्यक्ति बरी न हो जाएं;

(ख) यदि हां, तो लोक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर 17वें विधि आयोग की अन्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) विधि आयोग की 198वीं रिपोर्ट में गवाह पहचान संरक्षण और गवाह संरक्षण कार्यक्रम के विषय शामिल किए गए हैं। इस रिपोर्ट की विषयवस्तु इसे संसद के पटल पर रखे जाने तक गोपनीय है।

गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी धनराशि

870. श्री पी. मोहन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितने गैर-सरकारी संगठनों को आज तक एन जी ओ-वार और राज्य-वार विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के अंतर्गत विदेशी धनराशि प्राप्त हो रही है;

(ख) क्या ऐसे गैर-सरकारी संगठन विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कितने गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी धनराशि मिल रही है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एनजीओ-वार और राज्य-वार कुल कितने ऐसे अंशदान प्राप्त हुए हैं;

(ङ) क्या सभी ऐसे प्राप्तकर्ता गैर-सकरारी संगठनों ने विदेशी अंशदान के उपयोग पर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार रिपोर्टों को इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने को किस प्रकार अनिवार्य बनाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत भारत में विभिन्न एसोसिएशनों को (गैर-सरकारी संगठनों सहित) उच्च अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण/पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक या धार्मिक क्षेत्रों में हितकारी कार्य करने के लिए विदेशी स्रोतों से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। एसोसिएशनों के कार्यकलापों और पदाधिकारियों के पूर्ववृत्तों का विधिवत सत्यापन करने के बाद पंजीकरण/पूर्व अनुमति मंजूर की जाती है। उक्त अधिनियम के तहत जिन एसोसिएशनों को पंजीकृत किया या है या पूर्व अनुमति मंजूर की गई है उनकी राज्य-वार और जिले-वार सूची गृह मंत्रालय की वेब साइट-http://mha.nic.in/fore.htm पर उपलब्ध है। 20.11.2006 की स्थिति के अनुसार विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत 33513 एसोसिएशनों को पंजीकृत किया गया है। एसोसिएशनों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की राशि नीचे दी गई है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
2002-2003	5046.50
2003-2004	5105.50
2004-2005	6256.68

जिन एसोसिएशनों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत पंजीकृत किया जाता है या जिन्होंने पूर्व-अनुमति प्राप्त की है उनके लिए यह आवश्यक है कि वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद चार माह के अंदर सनदी लेखाकार से विधिवत प्रमाणित वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करें। जिन एसोसिएशनों ने गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत की है उनकी संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	एसोसिएशनों की संख्या
2002-2003	16590
2003-2004	17153
2004-2005	18540

इसके अतिरिक्त, गत तीन वर्षों के दौरान 8673 एसोसिएशनों ने वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं और उन्हें पूर्व-अनुमति की श्रेणी में रखा गया है। जिन एसोसिएशनों को पूर्व-अनुमति की श्रेणी में रखा गया है उनकी राज्य-वार सूची गृह मंत्रालय की वेबसाईट http://mha.nic.in/fore.htm पर उपलब्ध है।

(छ) गृह मंत्रालय ने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकरण पंजूर करने और वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए आन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा पहले ही शुरू कर दी है। इससे एसोसिएशनों को पंजीकरण मंजूर कराने के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत करने और अपनी वार्षिक विवरणियां भेजने में आसानी होगी तथा इसे निगरानी तंत्र में सुधरा करने के लिए सरकार को सहायता मिलेगी।

कृषि उत्पादों का निर्यात

871. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कृषि उत्पादों का निर्यात घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किए गए कृषि उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों में आयी ऐसी कमी का कारण पता करने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित प्रमुख कृषि उत्पादों में से कुछेक उत्पाद हैं- चावल, गेहूं, अनाज, कुक्कुट एवं दुग्द उत्पाद, पुष्पोत्पाद, तम्बाकू, मसाले, काजू, चीनी, मांस उत्पाद, फल, सब्जियां एवं प्रसंस्कृत खाद्य।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) निर्यात को प्रोत्साहित करना निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। सरकार द्वारा वस्तु बोर्डों आदि की योजना स्कीमों के तहत उपायों एवं प्रोत्साहनों के जरिए कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ बाजार विकास सहायता (एमडीए), बाजार सहायता पहल (एमएआई), निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) आदि जैसी विभिन्न स्कीमें लागू की हैं जिनके

तहत, विभिन्न बोर्डों/परिषदों द्वारा क्रेता-विक्रेता बैठक के आयोजन, व्यापार मेलों में भागीदारी, विभिन्न देशों को व्यापारियों तथा निर्यातकों के प्रतिनिधिमंडलों के दौरे के आयोजन जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उल्लिखित इन स्कीमों के तहत निर्यातकों को देश के निर्यातों में वृद्धि की दृष्टि से आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, पैकेजिंग और गुणवत्ता सुधार आदि हेतु सहायता अनुदान भी प्रदान किया जाता है। सरकार ने देश में विभिन्न कृषि वस्तुओं के निर्यात हेतु उत्पादन को बढ़ाने के लिए 60 कृषि निर्यात जोन भी घोषित किए हैं।

खाद्यान्नों का निर्यात

872. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री सतन कुमार मंडल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए खाद्यान्नों की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन देशों को खाद्यान्नों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार खाद्यान्नों का निर्यात बढ़ाने हेतु कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत से निर्यातित खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है-

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिन प्रमुख देशों को खाद्यान्नों का निर्यात किया गया है उनमें से कुछेक हैं- सऊदी अरब, कुवैत, यूके, यूएई, यमन अरब गणराज्य, नाईजीरिया, बंग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, आइवरी कोस्ट, नेपाल, फिलिपीन्स, बेल्जियम, सूडान, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, मलेशिया, पाकिस्तान, यूएसए, अल्जीरिया, मिस्र, स्पेन, कनाडा और इटली।

(ग) और (घ) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा विभिन्न स्कीमें चलाई जाती है जिनके अंतर्गत निर्यातकों को बाजार विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नए बाजार खोलने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अशुद्ध सोना

873. श्री महेश कनोडीया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अशुद्ध सोने का व्यवसाय बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) इस मामले में इस मंत्रालय को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कुछ समय पूर्व देश के 16 शहरों में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा हालमार्क न किए गए आभूषणों के संबंध में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार आभूषणों में सोने की शुद्धता की व्यापक कमी पायी गयी थी। स्वर्णाभूषणों के संबंध में बीआईएस द्वारा बीआईएस अधिनियम, 1986 के तहत स्वैच्छिक हालमार्किंग स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य सोने की शुद्धता के बारे में उपभोक्ताओं को तीसरे पक्ष संबंधी आश्वासन प्रदान करना है। हालमार्क किए गए आभूषणों के क्रेता बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कसौटी केन्द्र से अपने आभूषणों की जांच करवा सकते हैं। यह स्कीम समूचे देश में बीआईएस के क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय के नेटवर्क के जरिए प्रचालित की जाती है।

हिन्दी को आधुनिक भारतीय भाषा का दर्जा

874. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए जा रहे नए पाठ्यक्रम में हिन्दी को आधुनिक भारतीय भाषा का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दी को आधुनिक भारतीय भाषा घोषित करने से हमारी राष्ट्रीय और राजभाषा के रूप में हिन्दी का दर्जा कम नहीं होगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 में हिन्दी को आधुनिक भारतीय भाषा का दर्जा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केरल में नकदी फसल क्षेत्र

875. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से नकदी फसल क्षेत्र के विकास हेतु एक विशेष पैकेज प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) सरकार को केरल सरकार से विभिन्न कृषि फसलों के पुनरुद्धार/नवीकरण के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें केरल में बागान फसलों के पुनरुद्धार संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग को किए गए एक प्रस्ताव के आधार पर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 31 प्रतिकूल स्थितियों वाले जिलों में किसानों के लिए इस संबंध में एक विशेष पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिमंडल ने केरल के अलप्पुझा तथा इडुक्की जिलों में बागानों/धान की भूमि तथा नारियल की खेती के नवीकरण के संबंध में कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।

फलों का आयात

876. श्रीमती प्रतिभा सिंह:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर आयात प्रतिबंधों के समाप्त होने के पश्चात् आयात/निर्यात किए गए फलों/सब्जियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा कितनी मात्रा में प्रत्येक फल/सब्जी का आयात किया गया;

(ख) क्या इन वस्तुओं का संबंधित राज्यों से किया गया निर्यात संतोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इन वस्तुओं का संबंधित उत्पादक राज्यों से इष्टतम निर्यात हो सके;

(घ) आयातित प्रत्येक किस्म के इन फलों पर कितना सीमाशुल्क लगाया गया;

(ङ) इन आयातों से घरेलू फल उत्पादकों एवं व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(च) घरेलू फल/सब्जी उत्पादकों के हितों के रक्षार्थ क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) फलों एवं सब्जियों का आयात एवं निर्यात निम्नानुसार है-

(मात्रा टन में)

निर्यात	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007 (अप्रैल-जून)
1	2	3	4	5	6	7
खाद्य फल एवं गिरियां; छिलका युक्त या सिट्रस फल या तरबूज	373,611.84	425,997.81	475,244.44	488,790.72	591,098.44	170,083.61

1	2	3	4	5	6	7
खाद्य सब्जियां और कतिपय मूल एवं कन्द	822,681.06	991,894.50	1,268,285.25	1,410,369.75	1,766,503.25	578,387.38
आयात	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007 (अप्रैल-जून)
खाद्य फल एवं गिरियां; छिलका युक्त या सिट्रस फल या तरबूज	484,155.59	655,572.56	738,148.25	854,976.00	928,009.50	269,075.81
खाद्य सब्जियां और कतिपय मूल एवं कन्द	2,395,902.25	2,229,147.00	1,983,010.00	1,530,948.25	1,885,137.00	502,043.63

राज्य-वार सूचना संलग्न नहीं रखी जाती है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) घरेलू फल उपजकर्त्ताओं/व्यापारियों पर फलों के आयात के प्रभाव का कोई आकलन नहीं किया गया है।

(च) देश के घरेलू फल/सब्जी उपजकर्त्ताओं के हित में बागवानी फसलों के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित तीन स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है:-

(1) राष्ट्रीय बागवानी मिशन

(2) समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन

(3) लघु सिंचाई।

विवरण

परिशिष्ट	मूल सीमा शुल्क
1	2
नारियल	70%
ब्राजील नट	30%
छिलका युक्त काजू गिरी	शून्य
छिलका रहित काजू गिरी	30%
छिलका युक्त बादाम	35 रुपए प्रति किग्रा.
छिलका रहित बादाम	65 रुपए प्रति किग्रा.
पहाड़ी बादाम या फिल्बर्ट	30%
अखरोट	30%
चेस्टनट	30%
पिस्ता	30%
सुपारी	100%
केला	100%
खजूर	30%
अंजीर	30%
अनन्नास	30%
अवोकाडोस	30%
अमरूद, आम और मंगुष्ठ	30%
सिट्रस फल, ताजे एवं सुखाए गए संतरे	30%
मेंडरीन (टेंगेरीन तथा सत्सुमास सहित) क्लेमेंटाइन्स, विल्किंस और समान सिट्रस किस्में	30%
अंगूर	25%
नींबू	30%
अन्य	30%

1	2
ताजे अंगूर	30%
अंगूर सूखे, रेजिन	100%
मेलन्स (तरबूज सहित) तथा पपाव्स (पपाउस), ताजे	30%
सेब	50%
नाशपाती एवं बेल	30%
खुबानी	30%
चेरी	30%
आड़ू, नेक्टेरीन सहित	30%
आलुबुखारा तथा जंगली आलूचना अन्य फल, ताजे	25%
स्ट्राबेरी	30%
रसभरी, ब्लेकबेरीज, मलबेरीज एवं लोगन बैरीज	30%
काले, सफेद या लाल कर्रन्ट्स एवं गूजबेरीज	30%
क्रेन बैरीज, बिलबैरीज तथा जीनस वैक्सीनियम के अन्य फल	30%
कोवी फल	30%
डूरियन्स	15%
अनार	15%
इमली, ताजी	15%
चीकू	15%
शरीफा	15%
बोर	15%
लीची	15%
अन्य	15%
स्ट्राबैरी	30%
रेस्पबेरेड, ब्लकबेरी, मलबैरीज, लोगनबैरीज, काले, सफेद या लाल कुर्रट्स एवं गूजबैरीज	30%
चौरी	30%
लवण जल में आम के टुकड़े	30%

स्रोत: वित्त मंत्रालय

बाढ़ प्रभावित राज्य

877. श्री डी. विट्ठल राव:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
डा. सत्यनारायण जटिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006 के दौरान वर्षा तथा अन्य आपदाओं से प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय दल ने विभिन्न राज्यों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे दलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान जान-माल की हुई क्षति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मांगी गई तथा केन्द्र सरकार द्वारा अब तक जारी की गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राज्यों ने प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए मानदण्डों का उल्लंघन किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) वर्ष 2006 के दौरान भारी वर्षा, बाढ़, भू-स्खलन, बादल फटने और चक्रवती दबाव के कारण बाइस राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश ने भिन्न-भिन्न मात्रा में नुकसान की सूचना दी है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पांडिचेरी।

(ख) आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश ने 2006 के चक्रवाती तूफान/भारी वर्षा/बाढ़ हेतु राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) से सहायता मांगने के लिए भारत सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। क्षति और धन की आवश्यकता का स्थलगत आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय टीमों का गठन किया गया है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उक्त सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेश का दौरा किया है। हिमाचल प्रदेश का ज्ञापन हाल ही में प्राप्त हुआ है। इस राज्य का दौरा करने के लिए केन्द्रीय टीम का गठन किया जा रहा है।

(ग) प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाली केन्द्रीय टीमों की सभी रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और एनसीसीएफ से सहायता हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप इन पर कार्रवाई की जा रही है। केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट, अंतर मंत्रालयी चर्चा हेतु एक दस्तावेज है। संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के मामले में यह सहायता संघ शासित प्रदेशों के बजट प्रावधान से उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) प्रभावित राज्यों/संघ शासित प्रदेश के प्रारम्भिक आकलन के आधार पर उनसे प्राप्त जान और सम्पत्ति को हुए नुकसान के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) प्रभावित राज्यों/संघ शासित प्रदेश द्वारा अपने ज्ञापन में मांगी गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

वर्ष 2006-07 के दौरान प्रभावित राज्यों को आपदा राहत कोष (सीआरएफ) के केन्द्रीय अंशदान के 2554.79 करोड़ रुपए की राशि तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) से 1904.61 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। प्रभावित राज्यों को और सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उनके ज्ञापन पर कार्रवाई किए जाने के पश्चात् प्रदान की जाएगी।

(च) प्रभावित किसानों को राहत के भुगतान में मानदंडों के उल्लंघन के बारे में इस मंत्रालय में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2006 के दौरान चक्रवाती तूफान/भारी वर्षा/भूस्खलन के कारण हुई क्षति के राज्यवार ब्यौरे

(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मारे गए व्यक्ति (संख्या)	मारे गए मवेशी (संख्या)	मकान (संख्या)	फसल क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	247	366308	322074	8.13
2.	असम	7	20	2367	0.11
3.	बिहार	25	19	17447	0.75
4.	छत्तीसगढ़	37	9653	15820	0.15
5.	गुजरात	293	8421	161625	.7.47
6.	गोवा	-	-	5	0.002

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	6	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	48	846	4379	0.94
9.	जम्मू-कश्मीर	25	2677	11835	0.61
10.	झारखंड	5	101	3011	0.03
11.	कर्नाटक	123	236	20440	1.55
12.	केरल	180	2269	114435	0.24
13.	मध्य प्रदेश	168	6107	129998	-
14.	महाराष्ट्र	423	13417	594516	12.59
15.	मेघालय	-	-	-	नगण्य
16.	उड़ीसा	90	1656	120356	3.09
17.	पंजाब	8	16	224	0.02
18.	राजस्थान	146	42253	254844	17.36
19.	तमिलनाडु	23	67	444	17.37
20.	त्रिपुरा	4	-	-	-
21.	उत्तर प्रदेश	508	588	-	-
22.	पश्चिम बंगाल	36	697	160575	0.45
23.	पांडिचेरी	-	268	285	नगण्य

विवरण II

2006 के दौरान भारी वर्षा/बाढ़ द्वारा प्रभावित राज्यों/संघ शासित प्रदेश द्वारा मांगी गई सहायता

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	धनराशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9969.58
2.	छत्तीसगढ़	376.22
3.	गुजरात	2707.27
4.	हिमाचल प्रदेश	393.32
5.	जम्मू-कश्मीर	645.48
6.	केरल	149.08
7.	कर्नाटक	1895.61
8.	महाराष्ट्र	5423.28
9.	मध्य प्रदेश	749.62
10.	उड़ीसा	2383.76
11.	राजस्थान	3284.22
12.	पांडिचेरी	73.03

विवरण III

वर्ष 2006 के दौरान सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. से जारी राज्यवार ब्योरे

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	सीआरएफ के अंतर्गत आवंटन	जारी सीआरएफ में केन्द्र का अंशदान	एनसीसीएफ के अंतर्गत जारी
1.	आंध्र प्रदेश	361.28	335.48	203.06
2.	असम	198.62	72.40	0.00
3.	बिहार	153.23	0.00*	0.00
4.	छत्तीसगढ़	114.98	150.33	0.00
5.	गोवा	2.21	1.62	0.00
6.	गुजरात	258.30	246.87	545.69
7.	हरियाणा	130.60	58.31	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	103.60	38.85	25.14
9.	जम्मू-कश्मीर	88.96	33.36	0.00
10.	झारखंड	129.71	48.64	0.00
11.	कर्नाटक	120.39	113.98	384.97
12.	केरल	89.77	33.67	0.00
13.	मध्य प्रदेश	261.58	246.67	30.85
14.	महाराष्ट्र	234.05	220.00	589.90
15.	मेघालय	11.61	8.59	0.00
16.	उड़ीसा	310.24	291.34	25.00
17.	पंजाब	153.33	112.26	0.00
18.	राजस्थान	436.42	413.66	100.00
19.	तमिलनाडु	219.53	0.00*	0.00
20.	त्रिपुरा	13.22	14.60#	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	304.48	114.18	0.00
22.	पश्चिम बंगाल	241.50	0.00*	0.00
	कुल	3937.61	2554.79	1904.61

*विगत में जारी धनराशि के बाकी रहने और उपयोगिता प्रमाण पत्र और वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में सूचना प्राप्त न होने के कारण सीआरएफ का केन्द्रीय अंशदान जारी नहीं किया गया है।

#इसमें वर्ष 2005-06 के लिए 9.64 करोड़ रु. की पहली और दूसरी किस्तें शामिल हैं।

[हिन्दी]

आपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को अनुदान

878. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को केंद्रीय अनुदान की कुल कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने सरकार से उक्त योजना को शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) आपरेशन ब्लैकबोर्ड, जो नौवीं योजना में समाप्त की गई थी, के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार को 33554.21 लाख रु. की कुल राशि प्रदान की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खनिजों पर मूल्य आधारित क्षतिपूर्ति

879. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन में से यह पता चलता है कि खनिजों/खानों पर मूल्य आधारित क्षतिपूर्ति वर्तमान में भुगतान की जा रही 2.5% से 7% यथामूल्य टन आधारित रायल्टी का स्थान लेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में खनिज सलाहकार परिषद द्वारा क्या निर्णय लिया गया है/लिए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा भराई के लिए बालू से भिन्न) पर रायल्टी की दरों और डैड रेंट में संशोधन का सुझाव देने के लिए खान मंत्रालय में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। अध्ययन दल ने टन आधारित रायल्टी जो वर्तमान में 2.5% से 7% की दर से मूल्यानुसार अदा की जा रही है, को बदलने के लिए कोई सिफारिश नहीं की थी।

(ग) खनिज सलाहकार परिषद की 28वीं बैठक 6.11.2006 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें राज्य सरकारों द्वारा रायल्टी की दरों को मूल्यानुसार आधार पर अन्तरण के मुद्दे का समर्थन किया गया था। एमएमडीआर अधिनियम 1957 के अनुसार केन्द्र सरकार किसी भी खनिज के संदर्भ में रायल्टी की दरों में 3 वर्षों में एक बार वृद्धि करेगी। चूंकि दरों में पिछली बार संशोधन 14.10.2004 को किया गया था इसलिए दरों में अगला संशोधन 13.10.2007 के बाद ही संभव होगा।

मातृ एवं शिशु मृत्यु की बढ़ती दर

880. श्री तथागत सत्पथी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1998 एवं 2003 में सम्पूर्ण देश तथा कुछ बड़े राज्यों में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (आई.सी.डी.एस.) का उद्देश्य सेवाओं के एक पैकेज के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इस पैकेज में पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ सेवाएं, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा बच्चों हेतु पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है। इस स्कीम के अंतर्गत गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को भी शामिल किया गया है।

मृत्यु दर, अक्षमता तथा कुपोषण की घटनाओं में कमी लाना इस स्कीम के उद्देश्यों में से एक है। वर्ष 1975 में 33 ब्लाकों में शुरू की गई यह स्कीम इस समय देश के 6118 ब्लाकों में

स्वीकृत है। अभी तक शामिल न की गई बस्तियों को स्कीम के दायरे में लाने के लिए आई.सी.डी.एस. स्कीम का और विस्तार किया जा रहा है।

इसके अलावा, देश में मातृ, बाल एवं शिशु मृत्यु के मुद्दे के समाधान हेतु भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कई कार्यक्रम/स्कीमें, अर्थात् प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनतम जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय गम्भीर श्वसन संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम, नवजात शिशुओं एवं बाल्यावस्था की बीमारियों का समेकित उपचार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, क्रियान्वित कर रहा है।

मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत टीकाकरण तथा सुरक्षित मातृत्व सेवाओं सहित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने हेतु अनेक उपाय कर रही है। किए गए/प्रस्तावित कुछेक उपाय इस प्रकार हैं:

* जननी सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन;
* स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुलभ कराने, गर्भवती महिलाओं को प्रसव-पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव एवं प्रसवोपरांत स्वास्थ्य जांच हेतु प्रेरित करने के लिए 1000 तक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) की नियुक्ति;
* आपातकालीन प्रसव एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रथम रेफरल एककों के रूप में 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रचालन;
* आगामी पांच वर्षों के दौरान 50% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करना;
* प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक कार्यान्वित करके सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना; तथा
* समुदायों तथा संस्थाओं में प्रत्येक प्रसव के समय प्रशिक्षित परिचारकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

विवरण

वर्ष 1998 एवं 2003 में सम्पूर्ण देश तथा कुछ बड़े राज्यों में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर

क्र.सं.		1998		2003	
		मातृ मृत्यु दर	शिशु मृत्यु दर	मातृ मृत्यु दर	शिशु मृत्यु दर
1	2	3	4	5	6
	भारत	**407**	**72**	**301**	**60**
	बड़े राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	150	66	195	59
2.	असम	409	76	490	67
3.	बिहार	452	67	371*	60
4.	गुजरात	28	64	172	57
5.	हरियाणा	103	70	162	59
6.	कर्नाटक	195	58	228	52
7.	केरल	198	16	110	11
8.	मध्य प्रदेश	498	98	379*	82

1	2	3	4	5	6
9.	महाराष्ट्र	135	49	149	42
10.	उड़ीसा	367	98	358	83
11.	पंजाब	199	54	178	49
12.	राजस्थान	670	83	445	75
13.	तमिलनाडु	79	53	134	43
14.	उत्तर प्रदेश	707	85	517*	76
15.	पश्चिम बंगाल	266	53	194	46

*बिहार एवं झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल।

(स्रोत: भारत के महापंजीयक, नमूना पंजीकरण प्रणाली 1998 एवं 2003)

भारत-पाक व्यापार समझौता

881. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समुद्री व्यापार को पुनः बहाल करने तथा कुछ नए रेल/सड़क मार्गों को खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, भारत को इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं को नियमित किया जाना

882. डा. शफीकुर्रहमान बर्क:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकर्त्ताओं की सेवाओं को नियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की मांगों पर गौर करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, हां। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के मौजूदा स्तरों तथा तत्संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया है। इस समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। समिति द्वारा 31 दिसम्बर, 2006 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भावना है।

विवरण

समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

क. आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के कार्य संबंधी दायित्वों तथा उनके कार्यों की विषय-वस्तु की समीक्षा करना।

ख. भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की उन स्कीमों/कार्यक्रमों को अभिनिर्धारित करना, जिनके कार्यान्वयन से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाएं जुड़ी हैं।

ग. यह समीक्षा करना कि क्या आई.सी.डी.एस. के अतिरिक्त केन्द्र/राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों की अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के लिए दिया जा रहा अतिरिक्त मानदेय युक्तियुक्त है?

घ. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत सौंपे गए कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के लिए दिए जा रहे मानदेय के मौजूदा स्तरों की समीक्षा करना।

ङ. आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले मानदेय की दर का पुनरीक्षण करना।

च. यह विचार करना कि क्या भारत सरकार/राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों की अन्य स्कीमों के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों/दायित्वों के लिए अतिरिक्त मानदेय दिया जाना चाहिए।

छ. इन कार्यकर्त्रियों को अपने दायित्वों का निर्वहन दक्षतापूर्वक करने के लिए प्रेरित करने हेतु समिति अपनी ओर से कोई सुझाव देना चाहे, तो ऐसा कोई सुझाव।

[अनुवाद]

सीमेंट की कीमतें में बढ़ोत्तरी

883. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट की कीमत में हाल ही के महीनों में बेहताशा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सीमेंट की कीमत में बढ़ोत्तरी की वजह से कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं;

(ग) क्या कीमतों में बेतहाशा वृद्धि सीमेंट विनिर्माताओं द्वारा कार्टल बनाए जाने के परिणामस्वरूप हुई है;

(घ) यदि हां, तो कीमतों को कम करने और सीमेंट विनिर्माताओं को कार्टल बनाने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सीमेंट में फ्लाई एश मिलाए जाने की अनुमति के लिए कोई निर्देश दिये हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसे निदेश के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क), (ख) और (घ) सीमेंट की कीमतें दिसंबर, 2005 तथा अप्रैल, 2006 के बीच देश भर में विभिन्न दरों पर बढ़ीं; फिर भी मई, 2006 से ये कीमतें स्थिर हो गई हैं। सीमेंट एक नियंत्रणमुक्त वस्तु है और इसकी कीमत आर्थिक मांग तथा आपूर्ति, कच्चे माल तथा अन्य निविष्टियों की कीमत, उत्पादन तथा वितरण की कीमत जैसे कारकों द्वारा प्रशासित होती है। सरकार ने सीमेंट की कीमत को युक्तियुक्त बनाने की जरूरत के लिए सीमेंट विनिर्माताओं पर जोर दिया था। इसकी प्रतिक्रिया में सीमेंट विनिर्माताओं के संघ ने सीमेंट के उत्पादन और प्रेषण को अधिकतम करने का वचन दिया है; जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि खुदरा व्यापारी मुनाफाखोरी में संलिप्त

न हों; अतिरिक्त क्षमता सृजन करने के लिए नया निवेश ला सकें; और केन्द्र सरकार के विभागों को प्राथमिकता पर व विद्यमान कीमतों में 5% की छूट पर सीमेंट की आपूर्ति कर सकें।

(ग) एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग ने सूचित किया है कि इसने सीमेंट विनिर्माताओं द्वारा सीमेंट के परिवहन (कार्टलाइजेशन) से संबंधित शिकायतों को जांच के लिए महानिदेशक (जांच तथा पंजीकरण) को भेज दिया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। मिश्रित सीमेंट का विनिर्माण फ्लाईएश अथवा स्लेग को मिलाकर किया जाता है। इसे निर्धारित बी.आई.एस. मानकों अर्थात् आई.एस.-1489, 1991 के अनुसार बी.आई.एस. द्वारा अनुमति दी गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

884. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के निर्यातों में पूर्वोत्तर क्षेत्र 1000 करोड़ रुपए का योगदान कर रहा है जिसमें चाय का 60 प्रतिशत, कोयले का 20 प्रतिशत और सीमेंट का 20 प्रतिशत हिस्सा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक पृथक निर्यात-संवर्धन परिषद गठित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) डीजीसीआईएस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र से भारत का निर्यात 1130 करोड़ रु. का हुआ था।

(ख) निर्यातों के संवर्धन की दृष्टि से प्रमुख जिंसों/वस्तुओं के लिए कोई निर्यात संवर्धन परिषद गठित नहीं की गई है। विशिष्ट क्षेत्र से निर्यातों के संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा कोई निर्यात संवर्धन परिषद गठित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाओं की परिभाषा

885. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय को सौंपे जाने के पश्चात् मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के पुनः परिभाषित करने का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में प्राकृतिक आपदाओं की परिभाषा के अंतर्गत किन आपदाओं को रखा गया है और प्राकृतिक आपदाओं की परिभाषा में कतिपय आपदाओं को शामिल किए जाने के संबंध में विचाराधीन प्रस्तावों में निहित सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बारहवें वित्त आयोग ने प्राकृतिक आपदाओं की परिभाषा में कतिपय आपदाओं को शामिल करने की भी अनुशंसा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में राज्यों के राहत आयुक्तों के वार्षिक सम्मेलन में भी अनुशंसाएं की गई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) आपदा राहत निधि (सीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) की योजना वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित की गई है। कुछेक राज्यों द्वारा सीआरएफ/एनसीसीएफ के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र प्राकृतिक आपदाओं की सूची में कुछ आपदाओं को शामिल करने हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर टीएफसी द्वारा विचार किया गया है।

टीएफसी ने चक्रवात, सूखे, भुकंप/सूनामी, आग लगने, बाढ़ और ओलावृष्टि की मौजूदा सूची में भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने और कीटों के हमले संबंधी आपदाओं को शामिल करने हेतु सीआरएफ/एनसीसीएफ के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र प्राकृतिक आपदाओं की परिभाषा में विस्तार किया है।

सीआरएफ/एनसीसीएफ से सहायता हेतु पात्रता हेतु प्राकृतिक आपदाओं की सूची में किसी भी आपदा को शामिल करना वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है।

(ङ) से (च) सीआरएफ/एनसीसीएफ के अंतर्गत सहायता हेतु प्राकृतिक आपदाओं की अनुमोदित सूची में नई आपदाओं को शामिल करने के मुद्दे पर राज्यों के राहत आयुक्तों के वार्षिक सम्मेलन में चर्चा की गई और उपर्युक्त स्थिति से अवगत कराया गया।

[अनुवाद]

राज्यों में एनएचआरसी की स्थापना

886. श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार किन-किन राज्यों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है और किन-किन राज्यों ने इसका गठन नहीं किया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने एनएचआरसी के उल्लंघन के मामलों में राज्य सरकारों के गंभीर नहीं होने के प्रति, अप्रसन्नता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो सभी राज्यों में एनएचआरसी का गठन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) आज तक उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित 18 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया है;

असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार और गुजरात।

निम्नलिखित 10 राज्यों के मानवाधिकार आयोग नहीं हैं:

अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरांचल।

(ख) यह मानते हुए कि प्रश्न में मानवाधिकारों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है न कि एनएचआरसी के उल्लंघन का, इस संबंध में उत्तर नीचे दिया गया है:

डी.के. बसु और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा परिभाषित हिरासती हिंसा के विरुद्ध ''11 अपेक्षाओं'' का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य मानवाधिकार आयोगों को निदेश दिया है कि वे अपने-अपने आयोगों में उपसमिति का गठन करें ताकि इस बात पर नजर रखी जा सके कि क्या डी.के. बसु के मामले में परिभाषित ''11 अपेक्षाओं'' का पालन किया जा रहा है या नहीं और आगे ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाना जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि उन अपेक्षाओं का पालन हो रहा है। यह ऐसी समिति पर निर्भर करेगा कि वह उन अपेक्षाओं के वास्तविक कार्यान्वयन को देखने के लिए अचानक जांच करे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि उक्त आदेश के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोगों द्वारा गठित समितियों द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट सीधे ही उन्हें भेजी जानी चाहिए।

(ग) सरकार, राज्य मानवाधिकार आयोग गठित किए जाने के लिए समय-समय पर संबंधित राज्य सरकारों को कहती रहती है।

सस्ते उत्पादों का आयात

887. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न विकसित देशों से सस्ते राजसहायता प्राप्त उत्पादों का आयात और डंप किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने घरेलू उद्योग तथा किसानों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए सस्ते आयातों को रोकने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कब तक प्रबंध किए जाएंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) घरेलू उद्योग को पाटन/सब्सिडी द्वारा उत्पन्न व्यापार विकृति तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामकारी क्षति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने पाटन/सब्सिडीरोधी जांच करने और जहां उचित हो, पाटनरोधी अथवा प्रतिसंतुलनकारी उपाय लागू करने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिशें करने हेतु पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) की स्थापना की है। सरकार ने किसी भी वस्तु के आयातों में वृद्धि होने की स्थिति, जिससे घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होती है अथवा उसका खतरा उत्पन्न हो जाता है, का पता चलने पर जांच करने और रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश करने के लिए राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन रक्षोपाय महानिदेशालय की भी स्थापना की है। इसके अलावा, संवेदनशील घोषित की गई वस्तुओं के आयातों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है।

मसालों का आयात

888. **श्री एन.एन. कृष्णदासः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मसालों विशेषकर काली मिर्च और इलाइची के आयात की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा घरेलू मसाला उत्पादकों को बचाने के लिए किए गए एहतियाती उपायों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) भारत ने वर्ष 2001 में अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा सार्वजनिक नैतिकता एवं पर्यावरण के आधार पर जरूरी प्रतिबंधों को छोड़कर आयातों पर समस्त मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए थे। काली मिर्च और इलायची के आयात पर 70% सीमाशुल्क लगाया जाता है।

[हिन्दी]

'साक्षात' प्रायोगिक परियोजना को आरम्भ किया जाना

889. **श्री बापू हरी चौरे:**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 'साक्षात' प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) इस पोर्टल का उद्देश्य के.जी. कक्षा से लेकर अनुसंधान स्तर तक के सभी विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की एक ही स्थान पर पूर्ति करना है और इसमें व्यावसायोन्मुख शिक्षा एवं जीवनोपयोगी कौशल सहित सभी शैक्षिक विषय शामिल हैं।

[अनुवाद]

बुनकरों के लिए बीमा योजना

890. **प्रो. एम. रामदासः** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बुनकर कल्याण योजनाओं के रूप में आरंभ की गई बीमा योजनाओं में बार-बार परिवर्तन किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) भारत सरकार 1992-93 से दिसम्बर, 2003 तक हथकरघा बुनकरों के लिए एक समूह बीमा योजना कार्यान्वित कर रही थी। इस योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम 120/- रुपये प्रति बुनकर थी जो बुनकर, राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा बराबर दी जाती थी। स्वाभाविक मृत्यु के लिए बीमा राशि 10,000/- रुपये थी। इस योजना में दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति शामिल नहीं थी। इस योजना के स्थान पर दिसम्बर, 2003 में बुनकर बीमा योजना में लागू कर दी गई। बुनकर बीमा योजना का उद्देश्य बुनकरों को प्राकृतिक मृत्यु के साथ-साथ आकस्मिक मृत्यु के मामले में बढ़ा हुआ बीमा कवर प्रदान करवाना था। बुनकर बीमा योजना के तहत आश्वासित राशि स्वाभाविक मृत्यु होने पर 50,000 रुपये तथा आकस्मिक मृत्यु होने पर 80,000 रुपये है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रति बच्चे के हिसाब से प्रति तिमाही में 300 रुपये अधिकतम 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है। यह लाभ बुनकर बीमा योजना के तहत शामिल सदस्य के दो बच्चों को उपलब्ध था। वार्षिक प्रीमियम 380/- रुपये थी जिसमें से बुनकर का हिस्सा 130/- रुपये, भारतीय जीवन बीमा निगम का हिस्सा 100/- रुपये तथा भारत सरकार का हिस्सा 150/- रुपये था।

वर्ष 2005-06 में बुनकर बीमा योजना में संशोधन किया गया तथा महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमसीबीबीवाई) के रूप में उसका पुनर्नामकरण किया गया जिसमें हथकरघा बुनकरों को प्रतिवर्ष घटे हुए प्रीमियम 330/- रुपये, स्वाभाविक मृत्यु के लिए 50,000 रुपये तथा आकस्मिक मृत्यु के लिए 80,000 रुपये की दर से बीमा कवर दिया जाना है। बुनकर बीमा योजना के तहत उपलब्ध छात्रवृत्ति लाभ महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के तहत

भी उपलब्ध है। 330 रुपये के कुल प्रीमियम में से बुनकरों का अंशदान 80/- रुपये, भारतीय जीवन बीमा निगम का अंशदान 100/- रुपये, तथा भारत सरकार का अंशदान 150/- रुपये है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में पुरानी योजना की अपेक्षा सुधार हुआ है क्योंकि बुनकरों के अंशदान में उन्हीं लाभों के लिए नई योजना में 50 रुपये प्रतिवर्ष कम हुए हैं।

स्वास्थ्य बीमा योजना

स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) पूर्ववर्ती स्वास्थ्य पैकेज योजना के स्थान पर 2005-06 में शुरू की गई थी जिसमें राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिपूर्ति के दावे के लिए उच्चतम सीमा वर्ष में केवल 1500/- रुपये थी। इस योजना में केवल बुनकरों को ही शामिल किया गया था और उसके परिवार के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था। नई स्वास्थ्य बीमा योजना में केवल बुनकरों को ही शामिल नहीं किया गया है बल्कि उसकी पत्नी एवं दो बच्चों को भी शामिल किया गया है। इसमें सभी पूर्व विद्यमान एवं नई बीमारियों को शामिल किया गया है। प्रति परिवार के लिए अधिकतम सीमा 15,000 रुपये की है। जिसमें ओ पी डी कवर 7500/- रुपये का है।

इस प्रकार नई महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एम जी बी बी वाई) एवं स्वास्थ्य बीमा योजना (एच आई एस) का उद्देश्य बुनकरों को अधिक से अधिक लाभ दिलवाना है।

उल्फा की गतिविधियां

891. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री निखिल कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उल्फा अपने कैडरों में पड़ोसी देशों के व्यक्तियों को नियुक्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने सुरक्षा तथा आसूचना एजेंसियों से उल्फा कैडरों के प्रति सख्ती बरतने और उनके द्वारा की जाने वाली हिंसा का उचित जवाब देने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो उल्फा की गतिविधियों को किस हद तक नियंत्रित किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा द्वारा अपने कैडरों में पड़ौसी देशों के विदेशी राष्ट्रिकों की भर्ती किए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है।

(ग) और (घ) 5.11.2006 को दोहरे विस्फोटों के पश्चात राज्य पुलिस/केन्द्रीय पुलिस संगठनों को उल्फा और अन्य उग्रवादी समूहों के विरुद्ध विद्रोही प्रतिकार (सीआई) अभियानों में वृद्धि करने के लिए कहा गया है। सीआई अभियान जारी हैं। सुरक्षा बल, उल्फा के कई कैडरों और अन्य उग्रवादी समूहों को निष्क्रिय करने में सफल रहे हैं।

[हिन्दी]

विभिन्न सरकारी संगठनों में आई.एस.आई. एजेंटों की घुसपैठ

892. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री रघुनाथ झा:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री श्रीचन्द कृपलानी:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी आसूचना एजेंसी ने विभिन्न सरकारी संगठनों में घुसपैठ कर ली है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय आसूचना एजेंसियों द्वारा इस संबंध में सूचना प्राप्त करने में विफल रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई.एस.आई. ने देश के सशस्त्र बलों पर अपना प्रभाव बना लिया है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितने सरकारी संस्थाओं से आई.एस.आई. एजेंटों को पकड़ा गया है;

(ङ) क्या उनसे गुप्त एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा कराई गई जांच तथा किए गए/प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) सुरक्षा और आसूचना एजेंसियां जासूसी संबंधी उन गतिविधियों पर निकट रूप से निगरानी रख रही हैं जिनमें पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट भी संलिप्त हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान (22.11.2006 तक) देश में कुल 21 आईएसआई समर्थित जासूसी माड्यूल निष्क्रिय किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ रक्षा कर्मिकों सहित गुप्तचर एजेंटों की गिरफ्तारी की गई है।

(ङ) से (छ) इन मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से कुछ महत्वपूर्ण और गुप्त दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन मामलों में आवश्यक जांच-पड़ताल की जाती हैं और शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, विरोधी आसूचना एजेंसियों की कार्य-प्रणाली पर आधारित व्यापक निवारक उपाय लागू किए जाते हैं और सुरक्षा संबंधी उपकरणों को सुभेद्य बनाने हेतु वातावरण को सुग्राही बनाने की दृष्टि से समय-समय पर नियमित रूप से सुरक्षा की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सशस्त्र बलों में मौजूदा आसूचना रोधी व्यवस्था को नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नियमित आधार पर सहक्रियात्मक बनाया जाता है। अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है और उन्हें दृष्टांट-योग्य दंड किया जाता है।

[अनुवाद]

नर्सरी प्रवेश संबंधी अशोक गांगुली समिति

893. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभुः
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोडः
श्री शैलेन्द्र कुमारः
श्री एस.के. खारवेनथनः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को नर्सरी प्रवेश संबंधी अशोक गांगुली समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो नर्सरी कक्षा में प्रवेश के संबंध में गांगुली समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहायता प्राप्त नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों की कार्रवाई समिति 'कोई साक्षात्कार नहीं, कोई परस्पर क्रिया नहीं' की गांगुली समिति द्वारा सुझायी गई नीति के विरुद्ध थी;

(घ) यदि हां, तो इन्होंने इसके लिए क्या कारण दिए थे;

(ङ) सरकार द्वारा उन स्कूलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जाएगी जो गांगुली समिति की अनुशंसाओं का पालन नहीं करेंगे; और

(च) रिपोर्ट का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने नर्सरी में प्रवेश से संबंधित मामलों पर श्री अशोक गांगुली, अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट सीधे माननीय उच्च न्यायालय को सौंप दी है न कि भारत सरकार को।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस द्वारा शिकायतों को दर्ज किया जाना

894. श्री ब्रजेश पाठकः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली पुलिस अक्तूबर, 2006 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पुलिस स्टेशनों में संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रत्येक शिकायत की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त ऐसे अपराधों की शिकायतों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसी शिकायतों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) संज्ञेय अपराध वाली इस प्रकार की शिकायतों की जांच-पड़ताल करने के लिए दिल्ली पुलिस कानून की उपयुक्त धारा के अधीन मामले दर्ज करती है। वर्ष 2003, 2004, 2005 और 2006 के दौरान (15.11.2006 तक) इस प्रकार की शिकायतों के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जिले का नाम	वर्ष			
	2003	2004	2005	2006 (15 नवम्बर तक)
नई दिल्ली जिला	2530	3024	2668	2269
पूर्वी जिला	6374	8014	8167	7094
उत्तर-पूर्व जिला	5156	6321	7277	6958
दक्षिण जिला	11640	13690	15140	14539
दक्षिण-पश्चिम जिला	6743	7550	7202	7670
पश्चिम जिला	11367	11553	11397	10563
उत्तर जिला	5584	6059	6053	4968
उत्तर-पश्चिम जिला	12551	14234	15808	13917
मध्य जिला	5185	5915	6507	5515
विशेष प्रकोष्ठ	106	177	152	88
अपराध और रेलवे	1354	1477	1394	1108
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	724	745	873	881

[अनुवाद]

लघु उद्योगों में रोजगार

895. **श्री अनन्त नायक:** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कर महिलाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार सृजित करने के लिए गठित नई औद्योगिक इकाइयों के संबंध में राज्य-वार क्या प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं एवं क्या लक्ष्य निर्धारित एवं प्राप्त किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है ताकि ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं सहित वैयक्तिक उद्यमी सूक्ष्म, लघु तथा अति लघु इकाइयों की स्थापना कर सके तथा इस प्रकार रोजगार के अवसरों का सृजन कर सकें। गैर-कृषि क्रियाकलापों में उद्यमिता कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004 में "व्यापार सम्बद्ध उद्यमिता सहायता तथा विकास (टीआरईएडी)" नामक स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के मुख्य घटक निम्नोक्त हैं:-

(1) ऋणदाता संस्थानों द्वारा मूल्यांकित की गई कुल परियोजना लागत के 30% तक अनुदान, जोकि शेष 70% को ऋण सहायता के रूप में वित्त पोषित करेंगे।

(2) प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कि उद्यमिता विकास संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान तथा गैर-सरकारी संगठन जोकि स्कीम के तहत पहचानी गई

महिला हितग्राहियों के सशक्तीकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, को 1 लाख रु. तक अनुदान।

(3) फील्ड सर्वेक्षण, अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण मोड्यूल्स की डिजाइनिंग, इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण संस्थानों को प्रति परियोजना 5 लाख रु. तक के आवश्यकता आधारित अनुदान।

स्कीम के तहत ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं सहित 1785 महिला हितग्राहियों को 69.31 लाख रु. का केन्द्रीय अनुदान रिलीज किया गया है। चूंकि लघु इकाइयां वैयक्तिक उद्यमियों द्वारा अपने लाभ के लिए स्थापित की जाती है, लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए कोई लक्ष्य नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश में बंद वस्त्र मिलें

896. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार आंध्र प्रदेश में बंद पड़ी वस्त्र मिलों के नाम तथा संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक बंद मिल की परिसंपत्तियां तथा देनदारियां कितनी हैं;

(ग) क्या इन मिलों की भूमि बेचे जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) आंध्र प्रदेश राज्य में 31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में 39 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (गैर लगु उद्योग) बंद पड़ी हैं। उनके नाम संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में आज की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की निम्नलिखित चार मिलें भी बंद पड़ी हैं:-

* आजम जाही मिल, वारंगल
* नेथा मिल, सिकन्दराबाद
* अदोनी काटन मिल, अदोनी
* नटराज स्पिनिंग और वीविंग मिल, निरमल

(ख) सरकार निजी एवं सहकारी क्षेत्र की मिलों की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के बारे में सूचना नहीं रखती है। तथापि, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की मिलों की भूमि की बिक्री के बारे में सूचना नहीं रखती है। तथापि, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की भूमि की भूमि की बिक्री के बारे में स्थिति निम्नलिखितानुसार है:-

* आजम जाही मिल, वारंगल-भूमि पहले ही बिक चुकी है।
* नेथा मिल, सिकन्दराबाद-2.17 एकड़ बेची जानी है।
* अदोनी काटन मिल, अदोनी-7.17 एकड़ बेची जानी है।
* नटराज स्पिनिंग एवं वीविंग मिल, निरमल-भूमि पहले ही बिक चुकी है।

विवरण I

31.10.2006 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में बंद पड़ी वस्त्र मिलें

(निजी एवं सहकारी क्षेत्र)

क्र.सं.	मिल का नाम
1	2
1.	अनंतपुरम काटन मिल
2.	आंध्र को. आप. स्पि. मिल लि.
3.	चिराला को. आप. स्पि. मिल लि.
4.	नेल्लौर को. आप. स्पि. मिल लि.
5.	करीमनगर को. आप. स्पि. मिल लि.
6.	चिल्कालुरीपेट काटन ग्रोवर्स को. आप. स्पि. मिल लि.
7.	सतवाहन काटन ग्रोवर्स को. आप. स्पि. मिल लि.
8.	नंदयाल को. आप. स्पि. मिल लि.
9.	प्रचुर काटन ग्रोवर्स को. आप. स्पि. मिल लि.

1	2
10.	हेमलता टेक्सटाइल लि.
11.	रायलसीमा मिल्स लि.
12.	श्री रामचन्द्रा स्पि. मिल
13.	श्री वीर वेंकटलक्ष्मी टेक्सटाइल प्रा.लि.
14.	जी.एन. प्रोडक्ट प्रा.लि. (अदोनी स्पि. एवं विवि. कंपनी) कोठारी इंड कार्पो.
15.	आंध्र काटन मिल लि.
16.	साईचरण काटन प्रा.लि. (अनुसुइया स्पिनर्स लि.)
17.	श्री मुरली स्पिनिंग मिल्स लि. (वेंकटाचलपति मिल्स लि.)
18.	सरवरया टेक्सटाइल्स लि.
19.	अबिरामी काटन मिल्स प्रा.लि.
20.	तेलंगाना स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.
21.	पेंग्विन टेक्सटाइल्स लि.
22.	वी.एस.एम. स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि. (वेंकटरैय्या स्पि. मिल्स प्रा.लि.)
23.	लीना टेक्सटाइल लि.
24.	ओंकारेश्वर स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि. (गुणता स्पि. एवं विविंग प्रा.लि.)
25.	नवया स्पिनिंग मिल्स लि. (ईओयू)
26.	श्रीनिवास स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि.
27.	तेलंगाना स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.
28.	श्रीश्रीनिवासा स्पिनिंग मिल्स
29.	सुधा स्विंग थ्रेड्स लि.
30.	श्री मैन्युफैक्चरिंग कं. लि.
31.	श्री कल्याण श्रीनिवास टेक्स लि.
32.	सम्राट स्पिनर्स लि. ईओयू (श्री सत्यम स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.)
33.	श्री मारूति टेक्सटाइल लि.
34.	पार्किन्स टेक्सटाइल्स प्रा.लि.
35.	फेनो फाइबर लि.
36.	एसएलएस टेक्सटाइल लि.
37.	धनलक्ष्मी रोटो स्पिनर्स प्रा.लि.
38.	श्रीलक्ष्मी फाइबर्स लि.
39.	दीवान बहादुर रामगोपाल मिल्स लि.

विवरण II

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की बंद मिलों की परिसंपत्तियां एवं देनदारियां

	आजमजाही मिल्स वारंगल	नेथा मिल्स, सिकंदराबाद	अदोनी काटन मिल, अदोनी	नटराज स्पिनिंग एवं वीविंग मिल, निरमल
1	2	3	4	5
देनदारी				
शेयर पूंजी	578.81	120.27	297.76	123.70
आरक्षित एवं बेसी	128.35	20.07	39.04	1.97
प्रतिभूति रहित (एचओ)	9177.83	2389.67	2263.56	2269.53

1	2	3	4	5
प्रतिभूति रहित (अन्य)	2023.11	शून्य	16.77	शून्य
वर्तमान देनदारियां	986.97	327.99	973.22	132.58
कुल देनदारियां	12895.07	2858.00	3590.35	2527.78
परिसंपत्तियां				
कुल नियत परिसंपत्तियां	7.83	0.41	23.10	0.89
वर्तमान परिसंपत्तियां	2964.02	2474.80	344.52	160.01
पी एंड एल ए/सी संचयी घाटा	9923.22	382.79	3222.73	2366.87
कुल परिसंपत्तियां	12895.07	2858.00	3590.35	2527.78

नाल्को का उत्पादन/लाभ

897. **डा. के. धनराजु:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाल्को द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए एल्युमिना उत्पादन तथा निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) खान मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर वर्ष 2006-07 के लिए नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लि. (नालको) द्वारा निर्धारित किए गए एल्युमिनियम के उत्पादन और बिक्री का लक्ष्य निम्नानुसार है:-

एल्युमिनियम का उत्पादन	3,45,000 टन
एल्युमिनियम की कुल बिक्री (निर्यात और घरेलू)	3,45,000 टन

एमओयू के अंतर्गत एल्युमिनियम के निर्यात के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर कम्पनी के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

898. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1999 से 31 दिसंबर, 2005 के दौरान अनुमोदित किये गये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकांश भाग सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्यों में गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चयनित औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुख्य निवेशकों जैसे-अमरीका तथा जापान द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का हिस्सा कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मात्र एक प्रतिशत ही है तथा क्या वे एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के अन्य देशों में निवेश करने में अधिक रुचि रखते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) स्वीकृत विदेशी निवेश तथा वास्तविक निवेश धनराशि में इतना अधिक अन्तर होने के क्या कारण हैं;

(छ) इस अन्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ज) इन कदमों के माध्यम से सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जनवरी, 1999 से दिसंबर, 2005 के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के राज्य-वार ब्यौरों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने एफ.डी.आई. पर एक उदार और निवेशक अनुकूल रीति लागू की है जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/क्रियाकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100% एफ.डी.आई. की अनुमति है। उदारीकृत आर्थिक माहौल में स्थान के चुनाव सहित निवेश के निर्णय उद्यमियों द्वारा अपनी व्यावसायिक समझ व अन्य प्रासंगिक कारकों के अनुसार लिए जाते हैं जिनमें शामिल हो सकते हैं, विभिन्न राज्यों में निवेश माहौल, आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता, विनियामक प्रक्रियाओं का सरलीकरण, आदि। एफ.डी.आई. नीति समस्त देश पर समान रूप से लागू होती है, जिसमें किसी विशेष राज्य या क्षेत्र को विशेष माफी या छूट नहीं दी जाती।

(घ) और (ङ) यूनाइटेड नेशंस कान्फरेंस आन ट्रेड एंड डिवेलपमेंट द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इनवेस्टमेंट रिपोर्ट 2005 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान से भारत में होने वाले एफ.डी.आई. के अंतर्वाह, इन देशों के दूसरे देशों में कुल निवेश के 1% से भी कम है। एफ.डी.आई. अनेक बाहरी व आंतरिक कारकों पर निर्भर करते हैं। मेजबान अर्थव्यवस्था में वृहद्-आर्थिक माहौल के अलावा, वैश्विक आर्थिक माहौल, अंतर्राष्ट्रीय निगमों की कार्पोरेट रणनीति तथा दूसरे एफ.डी.आई. गंतव्य देशों में मौजूद आर्थिक हालात इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

(च) से (ज) सरकार द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को दिया जाने वाला अनुमोदन, उद्यमी द्वारा किसी विशेष राज्य/क्षेत्र में निवेश के इरादे को व्यक्त करता है। तथापि, अनेक अनुमोदन और स्वीकृतियां राज्य सरकार द्वारा दी जानी होती हैं जैसे कि भूमि का आवंटन, बिजली का कनेक्शन, फैक्ट्रियों का पंजीकरण, भू-कानूनों का प्रशासन, बिक्री कर, आदि। इसके अलावा, परियोजनाओं के क्रियान्वयन का फलारंभ काल लंबा हो सकता है। ऐसे मामलों में, निवेश तुरंत प्राप्त न होकर परियोजना क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में पूंजी की आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होता है।

विवरण

जनवरी, 1999 से दिसंबर, 2005 तक के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) हेतु राज्यवार ब्यौरों का विवरण-पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्तीय अनुमोदनों की संख्या	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (रुपये में)	कुल के साथ %
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	2629	21,968.95	22.78
2.	दिल्ली	1936	12,604.12	13.07
3.	तमिलनाडु	1296	10,692.65	11.09
4.	कर्नाटक	1517	9,270.76	9.61

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	331	5,723.06	5.93
6.	आंध्र प्रदेश	633	3,987.62	4.14
7.	पश्चिम बंगाल	258	2,251.99	2.34
8.	मध्य प्रदेश	54	2,247.67	2.33
9.	उत्तर प्रदेश	236	1,937.81	2.01
10.	हरियाणा	227	1,749.53	1.81
11.	पंजाब	57	1,236.32	1.28
12.	केरल	184	1,217.16	1.26
13.	पांडिचेरी	50	932.66	0.97
14.	हिमाचल प्रदेश	17	891.48	0.92
15.	राजस्थान	81	791.13	0.82
16.	बिहार	6	631.95	0.66
17.	गोवा	157	570.25	0.59
18.	उड़ीसा	24	472.70	0.49
19.	छत्तीसगढ़	7	216.24	0.22
20.	चंडीगढ़	57	186.17	0.19
21.	दमन और दीव	15	40.59	0.04
22.	दादरा और नगर हवेली	3	35.95	0.04
23.	झारखंड	8	26.80	0.03
24.	उत्तरांचल	13	10.71	0.01
25.	त्रिपुरा	2	2.41	0.00
26.	मिजोरम	1	1.52	0.00
27.	असम	2	0.91	0.00
28.	जम्मू-कश्मीर	1	0.40	0.00
29.	मेघालय	1	0.00	0.00
30.	मणिपुर	1	0.00	0.00
31.	अंडमान और निकोबार	1	0.00	0.00
32.	राज्य जो दर्शाये नहीं गये	987	16,732.87	17.35
	कुल योग	10792	96,432.39	

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भवनों का निर्माण

899. **श्री रूपचन्द मुर्मू:**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री प्रशान्त प्रधान:
श्री जी.वी. हर्ष कुमार:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्रीमती प्रिया दत्त:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए) के अंतर्गत विद्यालय खोलने, विद्यालय भवनों के निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्षों, शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों का नामांकन/ए.आई.ए., नए अध्यापकों की नियुक्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, खण्ड संसाधन केंद्रों की स्थापना तथा क्लस्टर संसाधन केंद्र के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इसके क्रियान्वयन में राज्य-वार की क्या उपलब्धियां/प्रगति रही हैं;

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों से राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा इनकी स्थिति क्या है; और

(घ) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान सर्व-शिक्षा अभियान पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ख) सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा मई, 2006 तक वर्ष 2006-07 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजनाओं तथा बजटों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था।

(घ) वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया कुल व्यय 22144.09 करोड़ रु. है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नए शिक्षकों की नियुक्ति		निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें		ब्लाक संसाधन केंद्रों की स्थापना		क्लस्टर संसाधन केंद्रों की स्थापना	
		लक्ष्य	30.9.06 तक उपलब्धियां	लक्ष्य	30.9.06 तक उपलब्धियां	लक्ष्य	30.9.06 तक उपलब्धियां	लक्ष्य	30.9.06 तक उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार	63	46	0	0	9	9	37	37
2.	आंध्र प्रदेश	36300	34676	416174	2291	1128	1128	6970	6970
3.	अरुणाचल प्रदेश	2924	2166	134286	134286	62	68	184	165
4.	असम	5410	3871	2849165	2849165	164	145	2473	2473
5.	बिहार	184081	70151	7575118	4445085	526	533	4479	4564
6.	चंढीगढ़	785	240	32000	0	0	0	20	20
7.	छत्तीसगढ़	50786	40567	2984739	2984739	146	146	2169	2169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	दादरा और नगर हवेली	750	356	0	0	3	0	17	0
9.	दमन और दीव	66	63	7842	7842	2	2	7	7
10.	दिल्ली	20	0	220336	220336	7	0	136	0
11.	गोवा	195	0	60270	60270	11	11	180	33
12.	गुजरात	1848	1662	485445	403560	224	224	3351	3351
13.	हरियाणा	6104	4823	1375661	1375661	119	119	1235	1235
14.	हिमाचल प्रदेश	2994	2433	215056	207989	75	75	2104	2104
15.	जम्मू-कश्मीर	16976	15660	786202	786202	118	199	1592	1592
16.	झारखंड	83709	46189	3421904	3421904	212	209	2079	1952
17.	कर्नाटक	16395	10998	0	0	176	176	2269	2290
18.	केरल	248	0	1749514	1748162	152	152	1356	1356
19.	लक्षद्वीप	13	0	11985	0	3	1	10	9
20.	मध्य प्रदेश	90477	80416	8043341	8043341	318	314	6330	6330
21.	महाराष्ट्र	1236	1236	8954044	8894737	389	389	5567	5667
22.	मणिपुर	123	0	321951	282039	35	34	269	124
23.	मेघालय	6543	0	560570	560570	39	39	295	295
24.	मिजोरम	898	578	197376	197376	22	22	159	159
25.	नागालैंड	168	0	33678	33678	41	41	0	0
26.	उड़ीसा	64734	55770	3402376	3402376	314	314	5257	4397
27.	पांडिचेरी	30	0	0	0	6	5	25	0
28.	पंजाब	3070	1868	2043712	471825	141	141	1499	1499
29.	राजस्थान	86516	31896	424034	424034	190	161	2323	2531
30.	सिक्किम	468	375	20398	0	9	9	131	131
31.	तमिलनाडु	18866	8686	0	0	385	385	4088	4088
32.	त्रिपुरा	3311	2504	618344	0	40	40	314	332
33.	उत्तर प्रदेश	233583	215950	15917311	15917311	878	878	8249	8176
34.	उत्तरांचल	4532	3327	886645	877748	95	95	1002	1006
35.	पश्चिम बंगाल	87881	30333	3120658	83893	707	707	4212	1425
	कुल	1012103	666840	66870135	57836420	6746	6771	70388	66487

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कूल खोलना		स्कूल भवनों का निर्माण		अतिरिक्त शिक्षण कक्ष		शिक्षा गारंटी योजना केंद्र/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा में नामांकन	
		लक्ष्य	30.9.06 तक उपलब्धियां	लक्ष्य	30.9.06 तक उपलब्धियां	लक्ष्य	30.9.06 तक उपलब्धियां	लक्ष्य	30.9.06 तक उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार	9	5	4	0	143	14	5255	0
2.	आंध्र प्रदेश	7011	7961	9016	6698	27224	12730	281348	49772
3.	अरुणाचल प्रदेश	850	670	936	200	1158	223	30028	1294
4.	असम	0	0	7132	6928	35542	5542	1102248	655310
5.	बिहार	23687	3990	17466	1309	88556	15370	1676921	427722
6.	चंडीगढ़	14	6	24	2	94	0	72680	10404
7.	छत्तीसगढ़	15518	9233	13812	4022	7816	5168	142785	40111
8.	दादरा और नगर हवेली	78	41	120	0	256	0	0	0
9.	दमन और दीव	12	0	12	5	11	1	356	0
10.	दिल्ली	0	0	2	0	903	327	160377	190535
11.	गोवा	0	0	0	0	136	0	32001	0
12.	गुजरात	831	101	835	696	14270	6950	370639	77277
13.	हरियाणा	1993	1322	1745	926	10126	5094	226347	26974
14.	हिमाचल प्रदेश	910	811	0	0	7438	3939	47391	25160
15.	जम्मू-कश्मीर	6156	6154	4644	1286	5572	1632	274525	0
16.	झारखंड	16124	20505	8100	1144	30120	16735	506065	275790
17.	कर्नाटक	8483	2089	2319	1263	28388	13217	825375	646213
18.	केरल	139	0	521	290	5778	2773	12895	12895
19.	लक्षद्वीप	1	0	6	0	10		312	0
20.	मध्य प्रदेश	49990	37999	35147	19490	36627	13471	609065	324950
21.	महाराष्ट्र	847	568	10706	7810	35402	20203	666331	189189
22.	मणिपुर	271	132	968	69	698	40	123436	59733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	मेघालय	2151	1654	270	204	39	7	54223	27500
24.	मिजोरम	522	257	884	546	321	314	24820	24820
25.	नागालैंड	56	0	166	61	2289	550	33383	62672
26.	उड़ीसा	12494	8207	9298	3757	15121	6504	594954	332075
27.	पांडिचेरी	40	0	28	0	264	0	1782	84
28.	पंजाब	1093	1005	505	204	13702	7032	724892	627342
29.	राजस्थान	37118	28370	8340	7523	40982	12212	1099672	1060737
30.	सिक्किम	87	78	50	30	403	119	7968	0
31.	तमिलनाडु	5160	4424	5416	4908	21922	7591	161062	6050
32.	त्रिपुरा	1348	493	1182	531	1251	870	63318	63318
33.	उत्तर प्रदेश	28006	27050	34351	26112	175898	91121	343185	15762
34.	उत्तरांचल	1724	1352	3355	1420	3734	1948	63726	53950
35.	पश्चिम बंगाल	10215	0	4124	565	75445	29304	2349934	1420305
	कुल	232938	164477	181484	97999	687639	281001	12689299	6707944

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के लिए बीमा

900. **श्री चन्द्रभूषण सिंहः**
श्री एस.के. खारवेनथनः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ः
श्रीमती निवेदिता मानेः
श्री कीर्ति वर्धन सिंहः
श्री ई.जी. सुगावनमः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को सशस्त्र सेनाओं के बराबर बीमा प्रदान कराने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि 29 अक्तूबर, 2006 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह योजना कब तक लागू हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार के पास केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के लिए आवास की मांग के प्रस्ताव भी लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मांग के कब तक स्वीकृत हो जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ख) रक्षा कार्मिकों की अंशदायी आधारित बीमा योजना की ही तरह सी आर पी एफ के जवानों को अंशदायी ग्रुप बीमा योजना के द्वारा कवर किया जाता है। केन्द्रीय पुलिस बल (सीपीएफ) के कल्याण संबंधी उपायों में उनके कार्यकरण संबंधी परिस्थितियों के आकलन के आधार पर सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने सीपीएफ में अन्य रैंकों के लिए आवास प्राधिकार में 14 से 25% तक वृद्धि की है। सीआरपीएफ सहित, सीपीएफ के लिए लक्ष्य प्राप्ति की समय-सीमा, आने वाले वर्षों में निर्माण एजेंसियों की भवन निर्माण क्षमता पर निर्भर करेगी, जिनको पर्याप्त धन प्रदान किया जा रहा है।

भारत में विदेशी उद्यमियों द्वारा निवेश

901. श्री पी. करुणाकरन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी उद्यमियों पर भारत में निवेश पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में कितने उद्यमियों के निवेश करने के अनुरोध को ठुकराया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) दिनांक 3.5.2000 के यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम (एफईएमए) विनियम, 20/2000-आरबी के विनियम 5(1) के अनुसार, भारत के बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति (बंगलादेश अथवा पाकिस्तान के नागरिक को छोड़कर) या भारत के बाहर की कोई कम्पनी चाहे उसे निगमित किया गया हो, अथवा नहीं, (बंगलादेश अथवा पाकिस्तान की कम्पनी को छोड़कर) एफडीआई योजना में विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) योजना के तहत किसी भारतीय कम्पनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर्स खरीद सकती है। सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) पर एक उदार और निवेशक-अनुकूल नीति प्रस्तुत की है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग पर 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। जिन क्षेत्रों पर अधिकतम एफडीआई सीमा लागू होती है उनका विस्तृत ब्यौरा प्रेस नोट सं. 4 (2006 श्रृंखला) में दिया गया है, जो संलग्न है।

(ग) स्वीकृत प्रस्तावों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
एसआईए (एफसी प्रभाग)

प्रेस नोट सं. 4 (2006 श्रृंखला)

विषय: एफडीआई नीति का युक्तिकरण

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संबंधी नीति की समीक्षा निरन्तर की जाती रही है और समय-समय पर इस नीति के युक्तिकरण/उदारीकरण और प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु अनेक उपायों की घोषणा की जाती रही है।

2. हाल ही में भारत सरकार ने एफडीआई नीति की आगे समीक्षा करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

क. निम्नलिखित क्षेत्रों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देना:

(1) पेय मादक पदार्थों का आसवन और मद्यकरण;

(2) औद्योगिक विस्फोटकों का विनिर्माण;

(3) खतरनाक रसायनों का विनिर्माण;

(4) मानक शहरी क्षेत्र सीमा के 25 किमी. के दायरे में अवस्थित विनिर्माणकारी कार्यकलाप जिनके लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित है;

(5) ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं की स्थापना;

(6) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक गैस/एलएनजी पाइपलाइनें बिछाना, बाजार अध्ययन और प्रतिपादन और निवेश वित्त-व्यवस्था; और

(7) कैश एण्ड कैरी थोक व्यापार और निर्यात व्यापार।

ख. निम्नलिखित क्षेत्रों में एफडीआई की अधिकतम सीमा 100 प्रतिशत तक बढ़ाना और इन्हें स्वत: मार्ग के तहत अनुमति देना:

(1) आंतरिक खपत के लिए कोयला और लिग्नाइट का खनन;

(2) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विपणन से संबंधित अवसंरचना की स्थापना; और

(3) हीरों और बहुमूल्य रत्नों की खोज और खनन।

ग. निम्नलिखित क्षेत्रों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देना:

(1) बिजली अधिनियम, 2003 के तहत आने वाले विनियमों का अनुपालन करने की शर्त के अध्यधीन विद्युत व्यापार;

(2) काफी और रबड़ का प्रसंस्करण और उन्हें गोदाम में रखना।

घ. एकल ब्राण्ड उत्पादों के खुदरा व्यापार हेतु सरकार के पूर्व-अनुमोदन से 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देना, जिससे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेस नोट सं. (2006 श्रृंखला) द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

ङ. वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में तथा ऐसे मामले में जहां भारतीय प्रतिभूति एवं मुद्रा बोर्ड (शेयरों एवं अधिग्रहणों की पर्याप्त प्राप्ति) विनियम, 1997 लागू होते हैं और ऐसे मामलों में, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं मुद्रा बोर्ड (शेयरों एवं अधिग्रहणों की पर्याप्त प्राप्ति) विनियम, 1997/बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है, निवासियों से अनिवासियों को स्वतः मार्ग के तहत शेयरों के हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान करना। ऐसा करने से किसी मौजूदा कम्पनी में शेयर प्राप्त करने सहित निवासियों से अनिवासियों को होने वाला शेयरों का हस्तान्तरण एफडीआई संबंधी क्षेत्रीय नीति के अधीन स्वतः मार्ग के तहत आ जाएगा।

च. बी-टू. बीई-कामर्स के क्षेत्र में 26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के अनिवार्य विनिवेश की आवश्यकता को छोड़ देना।

3. स्वतः मार्ग के तहत एफडीआई/अनिवासी भारतीय निवेश का क्षेत्रीय विनियमों/लाइसेंस संबंधी आवश्यकताओं द्वारा नियंत्रित होना जारी रहेगा।

4. विभिन्न क्षेत्रों/कार्यकलापों से संबंधित एफडीआई नीति और उन पर लागू होने वाले विनियमों का सारांश अनुबंध में दिया गया है।*

(उमेश कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फा.सं. 5(3)/2005-एफसी
दिनांक 10 फरवरी, 2006

*नीति खण्ड 'क' में दी गई है।

अनुबंध

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की नीति

1. एफडीआई के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र

    1. खुदरा व्यापार (सिंगल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार को छोड़कर)
    2. परमाणु ऊर्जा
    3. लाटरी व्यापार
    4. गैम्बलिंग एवं बेटिंग

2. निम्नलिखित परिस्थितियों में एफडीआई के लिए सभी गतिविधियों/क्षेत्रों के लिए सरकारी पूर्वानुमोदन लेना होगा:

    1. जहां प्रेस नोट-1 (2005 सीरीज) के उपबंध लागू होते हैं
    2. जहां लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के निर्माण के लिए लगायी जाने वाली प्रस्तावित विदेशी इक्विटी 24 प्रतिशत से अधिक हो।

3. लागू सेक्ट्रल नियम/विनियमों के अध्याधीन उन क्षेत्रों/गतिविधियों में जिनका ब्यौरा नीचे नहीं दिया गया है, स्वतः मार्ग से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।

4. एफडीआई के लिए क्षेत्र विशेष की नीति: निम्नलिखित क्षेत्रों/गतिविधियों में निर्दिष्ट की गयी अन्य शर्तों के अध्याधीन नीचे दी गयी सीमा तक एफडीआई की अनुमति है।

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई सीमा/गतिविधि	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें	आईपीपी विभाग द्वारा जारी संबंधित प्रेस नोट www.dipp.gov.in
1	2	3	4	5	6
1.	**एयरपोर्ट:**				
	क. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट	100 प्रतिशत	स्वत:	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रवार विनियमों के अध्याधीन www.civilaviation.nic.in	प्रेस नोट 4/2006
	ख. मौजूदा परियोजनाएं	100 प्रतिशत	74 प्रतिशत से अधिक	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रवार विनियमों के अध्याधीन www.civilaviation.nic.in	प्रेस नोट 4/2006
2.	एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस	49 प्रतिशत-एफडीआई: 100 प्रतिशत-एनआरआई के	स्वत:	विदेशी एयरलाइनों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार न होने की शर्त पर। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी भारत सरकार की	प्रेस नोट 4/2006
3.	अल्कोहल-डिस्टीलेशन एवं ब्रिइयिंग	100 प्रतिशत	स्वत:	सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस के अध्याधीन	प्रेस नोट 4/2006
4.	एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनीज	49 प्रतिशत (केवल एफडीआई)	एफआईपीबी	जहां पर किसी एक द्वारा इक्विटी का 10 प्रतिशत से अधिक निवेश हो वहां पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के सिक्योरिटीजेसन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाईनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट की धारा 3(3)(एफ) की शर्तों की अनुपालन किया जाना चाहिए। www.finmin.nic.in	
5.	एटामिक मिनरल्स	74 प्रतिशत	एफआईपीबी	परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा दिनांक 6.10.98 के संकल्प सं. 8/1(1)/97-पीएसयू/1422 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्याधीन	
6.	बैंकिंग-प्राइवेट सेक्टर	74 प्रतिशत (एफडीआई+एफआईआई)	स्वत:	विदेशी बैंकों की शाखाएं/सबसिडरीज स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्याधीन www.rbi.org.in	प्रेस नोट 2/2004

1	2	3	4	5	6
7.	प्रसारण				
	क. एफएम रेडियो	एफडीआई+ एफआईआई 20 प्रतिशत तक निवेश	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अध्याधीन www.mib.nic.in	प्रेस नोट 6/2005
	ख. केबल नटवर्क	49 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई)	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित केवल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स (1994) के अध्याधीन www.mib.nic.in	
	ग. डायरेक्ट-टू-होम	49 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई) इस सीमा के अंतर्गत एफडीआई का घटक 20 प्रतिशत से अधिक न हो	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्याधीन www.mib.nic.in	
	घ. हार्डवेयर सुविधाओं अर्थात् अप-लिंकिंग, हब आदि	49 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई)	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अप-लिंकिंग नीति के अध्याधीन www.mib.nic.in	प्रेस नोट 1/2006
	ङ. अप-लिंकिंग ए न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल	26 प्रतिशत (एफडीआई+ एफआईआई)	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्याधीन www.mib.nic.in	प्रेस नोट 1/2006
	च. अप-लिंकिंग ए नॉन न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्याधीन www.mib.nic.in	प्रेस नोट 1/2006
8.	सिगार और सिगरेट-विनिर्माण	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अध्याधीन	प्रेस नोट 4/2006
9.	कोल माइंस (नेशनलाइजेशन) एक्ट 1973 के अधीन अनुमति दी	100 प्रतिशत	स्वतः	कोल माइंस (नेशनलाइजेशन) एक्ट 1973 के उपबंधों की शर्त पर www.coal.nic.in	प्रेस नोट 4/2006

1	2	3	4	5	6
	गयी अन्य पात्र गतिविधियों के साथ-साथ बिजली परियोजनाओं और लोहा और इस्पात, सीमेंट उत्पादन की कैप्टिव खपत के लिए कोयला और लिग्नाइट माइनंग				
10.	काफी और रबर प्रसंस्करण और भंडारण	100 प्रतिशत	स्वत:		प्रेस नोट 4/2006
11.	निर्माण विकास परियोजनाएं जिनमें आवास, वाणिज्यिक क्षेत्र, रिसार्ट, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउनशिप शामिल हैं	100 प्रतिशत	स्वत:	प्रेस नोट 2 (2005 सीरीज) द्वारा अधिसूचित शर्तों के अध्याधीन ये शामिल हैं: क. पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सबसिडरी के लिए 10 मिलियन अमरिकी डालर तथा संयुक्त उद्यम के लिए 5 मिलियन अमरिकी डालर की न्यूनतम पूंजी। ये राशि कम्पनी के व्यापार आरंभ करने के 6 महीनों के भीतर लानी होगी। ख. प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र- सेवा आवास प्लाटों के विकास के मामले में 10 हेक्टेयर: विकास परियोजना के निर्माण के मामले में 50 हजार वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र: और सम्मिलित परियोजना के मामले में उपर्युक्त में से कोई एक (नोट- अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिए प्रेस नोट 2/2005 में दी गयी शर्तें लागू नहीं हैं)	प्रेस नोट 2/2005 और 2/2006
12.	पैकिटों, पार्सलों और अन्य वस्तुओं जो भारतीय डाक घर अधिनियम 1898 की परिधि में नहीं आती हैं, के लिए कूरियर सेवाएं	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	वर्तमान कानूनों और पत्रों के वितरण से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर जो केवल सरकार के लिए आरक्षित है के अध्याधीन www.indiapost.gov.in	प्रेस नोट 4/2001

1	2	3	4	5	6
13.	रक्षा उत्पादन	26 प्रतिशत	एफआईपीबी	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाइसेंस और शस्त्र और गोला बारूद के उत्पादन में एफडीआई के दिशानिर्देशों के अध्याधीन	प्रेस नोट 4/2001 और 2/2002
14.	नियंत्रित परिस्थितियों में फ्लोरीकल्चर, हार्टीकल्चर, बीजों के विकास पशुपालन, पिस्सीकल्चर, एक्वाकल्चर, सब्जियों और मशरूम की खेती और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सेवाएं	100 प्रतिशत	स्वत:		प्रेस नोट 4/2006
15.	खतरनाक रसायन अर्थात हाईड्रोरासायनिक एसिड और इसके उत्पाद, फोर्सजेन और इसके उत्पाद और हाईड्रो कार्बन के आइसोसायनेट्स और डिसोसायनेट्स	100 प्रतिशत	स्वत:	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस और अन्य क्षेत्रवार विनियमों की शर्त पर	प्रेस नोट 4/2006
16.	औद्योगिक विस्फोटक-विनिर्माण	100 प्रतिशत	स्वत:	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस और विस्फोटक अधिनियम 1898 के विनियमों की शर्त पर	प्रेस नोट 4/2006
17.	बीमा	26 प्रतिशत	स्वत:	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस देने की शर्त पर www.irda.nic.in	प्रेस नोट 10/2000

1	2	3	4	5	6
18.	अवसंरचना/सेवा क्षेत्रों में (दूरसंचार) क्षेत्र को छोड़कर) निवेश करने वाली कम्पनियां	49 प्रतिशत	एफआईपीबी	अवसंरचना/सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाली कम्पनी का विदेशी निवेश क्षेत्रीय सीमा के लिए नहीं गिना जाएगा बशर्ते कि निवेश 49 प्रतिशत तक हो और कम्पनी का प्रबंधन भारतीयों के हाथ में हो	प्रेस नोट 2/2000 और 5/2005
19.	हीरों और बहुमूल्य पत्थरों, सोना, चांदी और खनिजों के अन्वेषण और खनन को शामिल करते हुए खनन	100 प्रतिशत	स्वत:	माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 की शर्त पर www.mines.nic.in जहां तक खनन क्षेत्र का संबंध है 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों की स्थापना के लिए प्रेस नोट 18 (1998) और प्रेस नोट 1 (2005) लागू नहीं है बशर्ते कि आवेदक द्वारा यह घोषित किया हो कि उसका इसी क्षेत्र में और/या किसी विशेष खनिज के लिए कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम नहीं है	प्रेस नोट 2/2000, प्रेस नोट 3/2005 और प्रेस नोट 4/2006
20.	**गैर बैंकिंग वित्त कम्पनियां (एनबीएफसी)- अनुमोदित गतिविधियां**				
	1. मर्चेंट बैंकिंग 2. अंडर राइटिंग 3. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस 4. निवेश परामर्शदात्री सेवाएं 5. वित्तीय परामर्शदात्री सेवाएं 6. स्टाक ब्रोकिंग 7. एसेट मैनेजमेंट 8. वेंचर कैपिटल 9. कस्टोडियल सर्विसेस	100 प्रतिशत	स्वत:	निम्नलिखित शर्त के अध्याधीन: क. एनबीएफसी के लिए फंड बेस का न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड- 51 प्रतिशत तक एफडीआई के लिए लाई जाने वाली अपफ्रंट राशि 0.5 मिलियन अमरीकी डालर: 51 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत तक एफडीआई के लिए लाई जाने वाली अपफ्रंट राशि 5 मिलियन अमरिकी डालर: 75 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक एफडीआई लाई जाने वाली राशि 50 मिलियन अमरिकी डालर जिसमें	प्रेस नोट 2/2000, प्रेस नोट 6/2000 और प्रेस नोट 2/2001

1	2	3	4	5	6
	10. फैक्टरिंग 11. क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज 12. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज 13. लीजिंग एंड फाइनेंस 14. हाऊसिंग फाइनेंस 15. फारेक्स ब्रोकिंग 16. क्रेडिट कार्ड बिजनेस 17. मनी चेंजिंग 18. बिजनेस 19. माइक्रो क्रेडिट रूरल क्रेडिट			से 7.5 मिलियन अमरिकी डालर अपफ्रंट में लाई जाए तथा शेष 24 महीने के भीतर लाई जाए। ख. नान फंड बेस्ड एनबीएफसी गतिविधियों के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड- 0.5 मिलियन अमरिकी डालर ग. विदेशी निवेशक अपनी इक्विटी का न्यूनतम 25 प्रतिशत भाग भारतीय कम्पनियों में विनिवेश करने की शर्त के बिना ही 100 प्रतिशत तक कार्यशील सहायक कम्पनियां स्थापित कर सकते हैं बशर्ते कि वे बिना अतिरिक्त पूंजी लाए कार्यशील सहायक कम्पनियों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के 50 मिलियन अमरीकी डालर लाएं। घ. संयुक्त उद्यम कार्यशील गैर बैंकिंग वित्त निगमों (एनबीएफसी) को, जिनका विदेशी निवेश 75 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से कम होगा अन्य एफबीएफसी क्रियाकलाप प्रारंभ करने हेतु सहायक कम्पनियां स्थापित करने की भी अनुमति होगी, बशर्ते सहायक कम्पनियां भी लागू न्यूनतम पूंजी अंतर्वाह का पालन करें। ङ. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुपालन करें।	
21.	**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र**				
	क. शोधन को छोड़कर बाजार अध्ययन	100 प्रतिशत	स्वत:	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी क्षेत्रवार	प्रेस नोट 1/2004 और प्रेस नोट 4/2006

1	2	3	4	5	6
	और प्रतिपादन समीकरण निवेश/वित्तीय व्यवस्था: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विपणन के लिए अवसंरचना की स्थापना			विनियमों के अध्याधीन और पेट्रोलियम उत्पादों के वास्तविक व्यापार और विपणन के मामले में 5 वर्ष के अन्दर भारतीय भागीदार/जनता के पक्ष में 26 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश www.petroleum.nic.in	
	ख. शोधन	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में 26 प्रतिशत, निजी कम्पनियों के मामले में 100 प्रतिशत	एफआईपीबी (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में) (निजी कम्पनियों के मामले में) स्वत:	क्षेत्रवार नीति की शर्त पर www.petroleum.nic.in	प्रेस नोट 2/2000
22.	प्रिंट मीडिया				
	क. समाचारों और सामयिकी (करंट अफेयर्स) से संबंधित समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन	26 प्रतिशत	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों की शर्त पर www.mib.nic.in	
	ख. वैज्ञानिक पत्रिकाओं/विशेष पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्त पर www.mib.nic.in	प्रेस नोट 1/2004
23.	बिजली का उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर), पारेषण, वितरण और बिजली की खरीद-फरोख्त	100 प्रतिशत	स्वत:	विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों की शर्त पर www.powermin.nic.in	प्रेस नोट 2/1998, 7/2000 और 4/2006

1	2	3	4	5	6
24.	चाय के बागान सहित चाय क्षेत्र	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	5 वर्ष के भीतर भारतीय भागीदार/ भारतीय जनता के पक्ष में 26 प्रतिशत के विनिवेश की शर्त पर और भू उपयोग में परिवर्तन के लिए राज्य सरकार के अग्रिम अनुमोदन पर	प्रेस नोट 6/2002
25.	दूरसंचार				
	क. बेसिक एंड सेल्युलर, यूनिफाईड एसेस सर्विसेस, नेशनल/इंटरनेशनल लांग डिस्टेंट, वी-सेट, पब्लिक मोबाईल रेडिया ट्रंक्ड सर्विसेस (पीएमआरटीएस), ग्लाब मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेस (जीएमपी सीएस) और अन्य वैल्यू एडेस टेलीकाम सर्विसेस	74 प्रतिशत (जिसमें एफडीआई, एफआईआई, एनआरआई, एफसीसीबी, एडीआर, जेडीआर कन्वर्टेबल प्रफरेंस शेयर और भारतीय प्रमोटरों/ निवेशक करने वाली कम्पनी में अनुपातित विदेश इक्विटी शामिल है)	49 प्रतिशत तक स्वत: 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	प्रेस नोट 5 (2005 श्रृंखला) अधिसूचित दिशानिर्देशों की शर्त पर	प्रेस नोट 2/2005
	ख. गेटवेज, रेडियो पेजिंग, एंड-टू-एंड वेंडविथ के साथ आईएसपी	74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वत: 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेंस लाने और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं की शर्त पर www.dotindia.com	प्रेस नोट 4/2001
	ग. गेटवे, के बिना आईएसपी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग डार्क फाईबर, इलेक्ट्रानिक मेल एंड वायस मेल	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वत: 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	यदि ये कम्पनियां विश्व के किसी अन्य भाग में सूचीबद्ध हैं तो इस शर्त के अध्याधीन कि किसी ऐसी कम्पनियां 5 वर्षों में भारतीय जनता के पक्ष में अपनी 26 प्रतिशत इक्विटी विनिवेश कर देंगी इसके अतिरिक्त जहां कहीं अपेक्षित हो लाइसेंस लेने और सुरक्षा अपेक्षाओं को देखते हुए। www.dotindia.com	प्रेस नोट 9/2000

1	2	3	4	5	6
	घ. दूरसंचार उपकरणों का निर्माण	100 प्रतिशत	स्वत:	क्षेत्रवार अपेक्षाओं की शर्त पर www.dotindia.com	प्रेस नोट 2/2000
26.	व्यापार (ट्रेडिंग)	100 प्रतिशत	स्वत:		
	क. थोक/भुगतान करो और ले जाओ व्यापार	100 प्रतिशत	स्वत:	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रेस नोट 3 (2006 श्रृंखला) के द्वारा जारी व्यापार में एफडीआई के लिए दिशा निर्देशों की शर्त पर	प्रेस नोट 4/2006
	ख. निर्यात का व्यापार	100 प्रतिशत	स्वत:		
	ग. लघु उद्योग क्षेत्र से प्राप्त की गयी वस्तुओं का व्यापार	100 प्रतिशत	एफआईपीबी		
	घ. ऐसी वस्तुओं के टेस्ट मार्केटिंग जिनके निर्माण के लिए कम्पनी के पास अनुमोदन है	100 प्रतिशत	एफआईपीबी		
	ङ. सिंगल ब्रांड उत्पाद का खुदरा व्यापार	51 प्रतिशत	एफआईपीबी		
27.	सेटलाइट-स्थापना और परिचालन	74 प्रतिशत	एफआईपीबी	अन्तरिक्ष विभाग/इसरो द्वारा जारी क्षेत्रवार दिशानिर्देशों की शर्त पर	
28.	विशेष आर्थिक क्षेत्र और मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र जिनमें इन क्षेत्रों की स्थापना और इन क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना शामिल है	100 प्रतिशत	स्वत:	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 और विदेश व्यापार नीति की शर्त पर www.sezindia.nic.in	प्रेस नोट 9/2000, 2/2006 और और 4/2006

पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष संवैधानिक दर्जा

902. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नार्थ ईस्ट स्टूडेन्ट्स आर्गेनाइजेशन (एन.ई.एस.ओ.) से पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) सरकार को जून, 2006 में नार्थ ईस्ट स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन (एनईएसओ) से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों

के लोगों को विशेष संवैधानिक दर्जा दिए जाने सहित विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं।

(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध पहले ही कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन हेतु भारत के संविधान की छठी अनुसूची में विशेष उपबंध किए गए हैं। यह अनुसूची इन चारों राज्यों के स्वायत्त जिलों हेतु स्थापित परिषदों को व्यापक विधायी, वित्तीय और कार्यपालक शक्तियां प्रदान करती हैं। आगे और कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

रत्न और आभूषणों का निर्यात

903. **श्री शिशुपाल पटले:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सोने की कीमतों के भारी उतार-चढ़ाव होने के कारण रत्न और आभूषणों के निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान ऐसे रत्नों और आभूषणों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष की पहली छमाही में कोई कमी दर्ज की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। चालू वर्ष में रत्न एवं आभूषण के निर्यात का लक्ष्य 18212 मिलियन अमरीकी डालर का है।

(ग) और (घ) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जुलाई, 2006 की अवधि के दौरान वर्ष 2005-06 की इसी अवधि की तुलना में 0.14% की गिरावट आई है। ऐसा बांडेड भाण्डागारों से तराशे और पालिश किए गए हीरों के निर्यात में गिरावट के कारण हुआ है। इस क्षेत्र से निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं:-

(1) पुनः पूर्ति स्कीम के तहत 8 कैरेट और उससे अधिक की शुद्धता वाले सोने के आयात की अनुमति प्रदान की गयी है बशर्ते आयात के साथ शुद्धता, भार और धातु की मात्रा को निर्दिष्ट करते हुए एक कसौटी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो।

(2) सोना, प्लेटिनम को छोड़कर धातुओं के लिए खपत योग्य माल के शुल्क मुक्त आयात की हकदारी जो पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के एफओबी मूल्य की 2% होगी।

(3) वाणिज्यिक नमूनों के शुल्क मुक्त आयात की हकदारी जो 300,000 रु. की होगी।

(4) अस्वीकृत आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त पुनः आयात की हकदारी जो निर्यातों के एफओबी मूल्य की 2% होगी।

(5) रत्नों एवं आभूषणों को तराशने और उन पर पालिश करने के कार्य को आयकर अधिनियम की धारा 10(क) के अंतर्गत छूट के प्रयोजनार्थ विनिर्माण माना जाएगा।

(6) आभूषणों को गलाने, शोधन करने और उनका पुनः निर्यात करने के लिए कीमती धातु स्क्रैप/प्रयोग में लाए गए आभूषणों के जरिए प्रदान नहीं की जाएगी।

(7) रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को नियमों के अनुसार परेषण आधार पर आभूषणों के निर्यात की अनुमति दी गयी है।

(8) रत्न एवं आभूषणों के निर्यातकों को नियम के अनुसार अभिक्रिया एवं पुनःनिर्यात हेतु तराशे एवं पालिश किए गए कीमती और बेशकीमती पत्थरों के निर्यात की अनुमति दी गयी है।

(9) रत्न एवं आभूषण उत्पाद की विभिन्न श्रेणियों के लिए मूल्यवर्धन संबंधी मानदंडों में कमी की गयी है।

[अनुवाद]

स्कूली बसों को चलाने हेतु मानदण्ड

904. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के छात्र जान के जोखिम पर प्रतिदिन अवैध/नकली/घटिया एल.पी.जी. तथा सी.एन.जी. किटों से चलने वाली भीड़भाड़ युक्त मारूति वैन तथा बसों में यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में विद्यालय बसों/वाहनों आदि को चलाने के लिए निर्धारित मानदण्डों/मानकों का अलग-अलग क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास स्कूली बच्चों को लाने ले जाने हेतु मारूति वैनों पर पीला रंग पेंट कराने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं में अंतर्ग्रस्त विद्यालय बसों, आर.टी.वी., मारूति वैनों आदि का ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विद्यालय-वार अलग-अलग इन दुर्घटनाओं में कुल कितने छात्र घायल हुए/मारे गए; और

(छ) सरकार द्वारा विद्यालय बस के चालकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) यह सच है कि मारूति वैनों और बसों सहित कुछ निजी वाहनों को दिल्ली में स्कूली बच्चों को लाने-ले-जाने हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) दिल्ली यातायात पुलिस/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूली वाहनों की आवधिक जांच करता है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं। जिन वाहनों को इन मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उन पर मुकदमा चलाया जाता है और चूककर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) इस समय किराये पर/पारिश्रमिक आधार पर अनधिकृत रूप से चल रहे और स्कूली बच्चों को लाने-ले-जाने के लिए प्रयुक्त हो रहे ऐसे यात्री मोटर वाहनों को कोई निश्चित रंग देने सहित उन्हें विनियमित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ङ) और (च) वर्ष 2004, 2005 और 2006 (31 अक्तूबर तक) के दौरान दिल्ली में स्कूली बसों, आरटीवी, मारूति वैनों आदि के विरुद्ध सड़क दुर्घटना के सूचित/दर्ज मामलों का ब्यौरा और ऐसी दुर्घटनाओं में घायल/मारे गए विद्यार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(छ) चूककर्त्ता ड्राइवरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और ऐसे वाहनों के परिचालन के विनियमित करने की कार्रवाई में दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा ऐसे ड्राइवरों पर अभियोजन चलाना, उनके ड्राइविंग लाइसेंसों को रद्द/निलंबित करना, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा इन दुर्घटनाओं में संलिप्त वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र/परमिटों को रद्द/निलंबित करना, विद्यार्थियों की रक्षा और सुरक्षा के बारे में स्कूली प्राधिकारियों को सुग्राही बनाना और अनधिकृत गैस किट वाले वाहनों को कार्य पर न लगाना शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	स्कूल का नाम	मारे गए विद्यार्थियों की संख्या	घायल हुए विद्यार्थियों की संख्या	दुर्घटना में संलिप्त स्कूली वाहन का प्रकार
1	2	3	4	5
	वर्ष 2004			
1.	केन्द्रीय विद्यालय, सीआरपीएफ, झड़ौदा कलां, नजफगढ़, नई दिल्ली	–	1	आर टी वी (स्कूल द्वारा किराये पर ली गई)
2.	लेडी इरविन स्कूल, डी-ब्लाक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	–	1	मारूति वैन

1	2	3	4	5
3.	राजौरी पब्लिक स्कूल, निरंकारी कालोनी, दिल्ली	–	11	स्कूल बस
	वर्ष 2005			
1.	आर्मी पब्लिक स्कूल, रिंग रोड, धौला कुंआ, नई दिल्ली	–	1	स्कूल बस
2.	मानव स्थली स्कूल, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	–	2	स्कूल वैन
3.	ऋषिकुल विद्यालय अलीपुर, दिल्ली	–	10	स्कूल आर टी वी
4.	शांति निकेतन स्कूल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	1	–	डी टी सी स्कूल बस
5.	सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, फतेह एकेडमी, प्रसाद नगर, दिल्ली	–	2	स्कूल आर टी वी
6.	मदर इंटरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली	–	–	स्कूल वैन
	वर्ष 2006			
1.	केन्द्रीय विद्यालय नं. 2, नारायणा, दिल्ली	2	8	स्कूल बस (किराये की)
2.	शिवानी माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पालम, नई दिल्ली	–	1	स्कूल बस
3.	राजेन्द्र लाकरा पब्लिक स्कूल, मुंडका, नांगलोई, दिल्ली	–	2	आर टी वी
4.	एयर फोर्स स्कूल, बवाना, नई दिल्ली	–	16	आर टी वी
5.	माउंट होलीवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संत नगर, दिल्ली	–	7	आर टी वी
6.	केन्द्रीय विद्यालय, घोगा, नई दिल्ली	–	6	बस (आई टी बी पी)
7.	एपेक्स स्कूल, संत नगर, दिल्ली	1	–	आर टी वी
8.	(i) ज्ञान दीप पब्लिक स्कूल, संगम विहार, नई दिल्ली	–	2	स्कूल बस
	(ii) शांति निकेतन पब्लिक स्कूल, संगम विहार, नई दिल्ली	–	1	
9.	नूतन स्कूल, एम.एस. पार्क, नई दिल्ली	1	–	मारूति वैन

जम्मू एवं कश्मीर में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की स्थिति

905. श्री छेवांग थुपस्तन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करने के लिए कोई केंद्रीय दल नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार राज्य की वर्तमान असामान्य परिस्थितियों के कारण इसकी आवश्यकताओं के मद्देनजर राज्य को विशेष सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लक्षित होता है। वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 (अगस्त, 2006 तक) के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां क्रमशः 14612.09 लाख रु., 19988.15 लाख रु. तथा 8770.73 लाख रु. थी।

(ग) से (च) एक केंद्रीय दल ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा स्कूलों के पुनर्निर्माण में थोड़ी प्रगति देखी। वर्ष 2006-07 के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना में पर्याप्त आबंटन पहले ही किये जा चुके हैं।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

906. श्री जीवाभाई ए. पटेल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार कितनी निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं;

(ख) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित करने हेतु राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) उत्पादन शुरू करने के लिए कितनी इकाइयों को बुनियादी तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ईओयू स्कीम के अनुसार 10 वर्ष की अवधि के लिए निर्यात लाभों पर कार्पोरेट कर से छूट के अलावा निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री एवं संघटकों पर अप्रत्यक्ष कर छूट प्रदान की जाती हैं। इन इकाइयों को कोई पृथक अवसंरचना या सुविधाएं नहीं दी जाती हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	दिनांक 31.3.2006 को प्रचालनरत ईओयू की संख्या	2004-05 में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	2004-05 में अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	2005-06 में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	2005-06 में अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	2006-07 में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	2006-07 में अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	206	73	63	73	67	52	49
2.	असम	1	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	1	1	0	1	0	0	1
5.	छत्तीसगढ़	4	0	0	1	1	1	1
6.	गोवा	30	4	2	9	9	6	5
7.	गुजरात	253	80	74	74	55	35	27
8.	हरियाणा	89	21	19	22	17	18	11
9.	हिमाचल प्रदेश	4	0	0	4	3	2	2
10.	जम्मू-कश्मीर	1	0	0	0	0	2	1
11.	झारखंड	7	1	0	1	0	0	1
12.	कर्नाटक	510	97	95	103	98	50	50
13.	केरल	57	13	13	11	10	6	6
14.	मध्य प्रदेश	30	5	2	7	4	2	2
15.	महाराष्ट्र	312	123	94	95	73	55	40
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	13	0	0	9	8	3	2
21.	पंजाब	24	10	7	17	15	1	1
22.	राजस्थान	90	16	12	31	26	15	10
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	417	100	78	85	81	49	46
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	99	22	14	20	15	13	6
27.	उत्तरांचल	2	0	0	0	0	1	0
28.	पश्चिम बंगाल	83	27	21	24	17	9	8
29.	दिल्ली	48	30	27	26	23	18	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4	0	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	5	4	1	1	1	0	0
32.	दमन एवं दीव	12	3	3	1	0	1	0
33.	दादरा एवं नगर हवेली	19	1	2	2	2	1	2
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	13	4	4	2	2	0	0
	कुल	2334	635	531	619	527	340	284

राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण

907. **श्री रशीद मसूद: क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.) से लिया गया ऋण वापस नहीं लौटाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) उक्त ऋण का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) राष्ट्रीय महिला कोष से लिया गया ऋण कोष के ऋण-अदायगी कार्यक्रम के अनसुार अदा किया जा रहा है। ऋण वसूली दर 91% है।

(ख) ऋण की विलम्बित किस्तों की वसूली के लिए राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं:-

* चूककर्ता संगठनों को मांग नोटिस भेजना तथा मामले का निरन्तर अनुवर्तन करना।
* चूककर्ता संगठन को काली सूची में डालना तथा केंद्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, बैंकों तथा अन्य निधियन अभिकरणों को ऐसे संगठन को कोई भी अनुदान/सहायता देने पर विचार न करने की सलाह देना।
* एफ.सी.आर.ए. में संबंधित संगठन के पंजीकरण को रद्द कराने के उपाय करना।
* ऐसे संगठन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

(ग) ऋण का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं:-

* संगठन से कहा जाता है कि वह उपयोग प्रमाण-पत्र तथा संवितरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे, जिसमें लाभार्थियों का ब्यौरा भी दर्शाया गया हो।
* राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा संवितरित ऋण का पूर्व उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष का मानीटर संगठन का दौरा करके गैर-सरकारी संगठन/संगठन के स्तर पर ही सभी बहीखातों एवं अभिलेखों की जांच करता है।
* राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा नियुक्त मानीटर उप स्व-सहायता दलों का दौरा भी करता है, जिनका वित्त-पोषण कोष के ऋण से किया जाता है तथा उन दलों के बहीखातों एवं अभिलेखों की जांच करता है।
* कतिपय मामलों में मानीटर स्व-सहायता दल के सदस्यों की उन परिस्थितियों की जांच भी करता है, जिनका निर्माण गैर-सरकारी संगठन/संगठन द्वारा संवितरित ऋण में से किया गया हो।
* ऋण-प्राप्तकर्ता गैर-सरकारी संगठन/संगठन से कहा जाता है कि वह निधियों का आगमन और बहर्गिमन दर्शाने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करे।

* सभी भागीदारी गैर-सरकारी संगठनों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऋण के लंबित रहते या ऋण खाते के बंद होने तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित तुलन-पत्र प्रस्तुत करें।

[अनुवाद]

बढ़ते साइबर अपराध

908. **श्रीमती पी. सतीदेवी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में साइबर अपराधों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपराध जांच एजेंसियों तथा देश में पुलिस बलों की जांच की सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अपराध पर नियंत्रण करने के लिए नया कानून लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) वर्ष 2005 के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत क्रमशः वर्ष 2003 और 2004 के दौरान सूचित किए गए 60 और 68 मामलों की तुलना में सूचित किए गए मामलों की संख्या बढ़ कर 179 हो गई। तथापि, वर्ष 2003 से 2005 तक की अवधि के दौरान, भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं के अंतर्गत सूचित मामलों की संख्या क्रमशः 441, 279 और 302 थी, जिसमें एक मिली-जुली प्रवृत्ति दिखाई दी।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और कई राज्य पुलिस संगठनों के पास कंप्यूटर विधि विज्ञान संबंधी सुविधाएं मौजूद हैं जिनका समय-समय पर उन्नयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विधि विज्ञान निदेशालय की सभी प्रयोगशालाओं और प्रश्नगत दस्तावेजों के सरकारी परीक्षकों के पास कंप्यूटर संबंधी विधिविज्ञान सुविधाएं उपलब्ध हैं। डिजिटल संबंधी अपराधों से निपटने के लिए प्रशिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और संगोष्ठियां भी आयोजित की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवादी गतिविधियों में युवकों का शामिल होना

909. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में युवकों के लिए रोजगार के अवसरों की अनुपलब्धता के कारण युवक आतंकवादियों की सहायता कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिमी तथा अन्य कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों पर अपना लक्ष्य केन्द्रित किया है जिससे बेरोजगार युवकों को गलत हाथों में पड़ने से बचाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो ऐसे युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इन आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए किसी विशेष कृतिक बल का गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं जिसमें बेरोजगार युवकों और आतंकवादियों के बीच किसी संबंध का उल्लेख हो।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सिमी सहित राष्ट्रविरोधी और आतंकवादी संगठनों पर गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत गैर कानूनी संगठनों अथवा आतंकवादी संगठनों के रूप में प्रतिबंध जारी है।

[हिन्दी]

लघु तथा मझौले उद्योगों को प्रोत्साहन

910. **श्री पंकज चौधरी:**
श्री तरित बरण तोपदार:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय लघु तथा मझौले उद्योगों के लिए एक नया प्रोत्साहन पैकेज तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पैकेज में लघु उद्योग इकाइयों में विद्यमान योजनाओं का पुनर्गठन तथा सुधार करने का है;

(घ) इससे लघु उद्योग इकाइयों को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए पंचवर्षीय गणना कराने का है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना को और अधिक शक्तियां देकर लघु उद्योग उद्यमियों को और अधिक ऋण प्रदान करने का भी विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (छ) सरकार सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के संवर्धन के लिए पैकेज को अन्तिम रूप दे रही है।

[अनुवाद]

आतंकवादियों की घुसपैठ

911. श्री मोहन रावले:
श्री ए. साईं प्रताप:
श्री अनन्त नायक:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की सीमा में घुसपैठ और हमला करने वाले विभिन्न संगठनों के आतंकवादियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी सीमा से पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा हाल ही के प्रयासों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है जैसा कि 8 अक्तूबर, 2006 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो आज की तिथि तक वर्ष 2006 के दौरान कितने मामले सामने आए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान भारत में घुसपैठ करने का प्रयास करते समय कितने आतंकवादी मारे गए/पकड़े गए; और

(ङ) घुसपैठ रोकने तथा नागरिकों की जान बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर सेक्टर और गंगानगर सेक्टर में विफल किए गए घुसपैठ के प्रयास के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान और पंजाब से आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे घुसपैठ के प्रयासों पर चिंता जताई है। दोनों घटनाओं में बी एस एफ ने उग्रवादियों को मार गिराया और उनसे शस्त्र एवं गोलाबारूद प्राप्त किया।

(ग) और (घ) वर्ष 2006 के दौरान, पश्चिम सीमापार 4 उग्रवादी मारे गए और एक पकड़ा गया।

(ङ) बी एस एफ सीमा पर चौबीसों घंटे चौकसी बरतती है और राज्य सरकारों के साथ पूरा समन्वय करके कार्य करती है। बी एस एफ ने अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ अपने आसूचना नेटवर्क और समन्वय को सशक्त बनाया है। इन एजेंसियों के पास सूचना एकत्र करने के लिए अपने स्थानीय स्रोत हैं। बी एस एफ को रात में देखने के उपकरणों सहित आधुनिक निगरानी उपकरण भी प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

चाय निर्यात

912. श्री अजीत जोगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान चाय के निर्यात में कमी आई है;

(ख) क्या इस कमी के कारण चाय उद्योग में वित्तीय संकट है;

(ग) पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में कितनी मात्रा में निर्यात में कमी आई है;

(घ) क्या चाय का आयात करने वाले देशों में चाय की मांग में कमी आई है;

(ङ) क्या सरकार ने चाय उद्योग को वर्तमान संकट से उबारने के लिए एक विशेष आकस्मिक निधि का गठन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

एफसीआरए में संशोधन

913. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में व्यापक संशोधन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने उक्त संशोधनों का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रभावी निगरानी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के साथ गैर-सरकारी संगठनों को जोड़ने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार, राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल किसी क्रियाकलाप के लिए या उसके साथ जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करने और उसका उपयोग करने या विदेशी अतिथि-सत्कार स्वीकार करने संबंधी कानून को कड़ा बनाने हेतु एफसीआरए विधेयक, 1976 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। कुल मिलाकर मसौदा विधेयक की निम्नलिखित विशेषतायें हैं:-

(1) विधेयक शीर्षक ''विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2006'' है।

(2) राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल किसी क्रियाकलाप के लिए या विदेशी अतिथि सत्कार के लिए विदेशी अभिदाय स्वीकार करने और उसके उपयोग का निषेध करने के लिए प्रस्तावना के शब्दों को पुनर्भाषित किया गया है।

(3) फीस के रूप में, की गई किसी सेवा के बदले भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त की गई राशि को विदेशी अभिदाय की परिभाषा से अलग रखा गया है।

(4) निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकार की एसोसिएशनों/व्यक्तियों को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से वारित किया गया है:

(क) राजनीतिक स्वरूप के ऐसे संगठन जो राजनीतिक पार्टी नहीं है;

(ख) ऐसी एसोसिएशन/कंपनी जो इलैक्ट्रानिक माध्यम या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रूप से या दूर संचार के किसी अन्य माध्यम से आडियो समाचार या आडियो विजुअल समाचार या सामयिक क्रियाकलापों का निर्माण करने या प्रसारित करने में कार्यरत है;

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित एसोसिएशन या कंपनी के संवाददाता या कालम लिखने वाले, कार्टूनकार, संपादक, मालिक।

(5) सट्टे के कारोबार के लिए विदेशी अभिदाय या इससे उपवर्जित किसी आय के प्रयोग को अवैध घोषित करने के लिए उपबंध।

(6) विदेशी अभिदाय के पचास प्रतिशत भाग को प्रशासनिक खर्चों के लिए नियत किया गया है और इस सीमा से अधिक अन्य खर्चों को केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

(7) यह विनिर्दिष्ट करने का प्रावधान किया गया है कि कौन व्यक्ति केवल केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति से किन क्षेत्रों से, किन प्रयोजनों के लिए और किन स्रोतों से विदेशी अभिदाय स्वीकार कर सकता है।

(8) पंजीकरण, पूर्व अनुमति मंजूर करने और नवीकरण के लिए वसूल की जाने वाली फीस।

(9) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार पंजीकरण या पूर्व अनुमति न देने के कारण सूचित करने के प्रावधान।

(10) अधिकतम 180 दिन के लिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र निलम्बित करने का प्रावधान शुरू किया गया है। चूककर्ताओं को छोड़ कर सभी आवेदकों को पांच वर्ष की आवधिक के लिए पंजीकरण का स्वत: नवीकरण। एक से अधिक बैंक खातों के माध्यम से विदेशी अभिदाय का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

(11) बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नियत मात्रा से अधिक प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय या संदिग्ध लेनदेनों से संबंधित आसूचना सुरक्षा एजेंसियों को प्रदान किए जाने संबंधी प्रावधान।

(12) विधेयक के तहत कतिपय अपराधों को शमनीय अपराध बनाने का प्रावधान।

(ग) और (घ) एफ सी एम सी विधेयक के मसौदे को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया था और इस संबंध में कई एन जी ओ की टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त हुए थे। एन जी ओ ने सुझाव दिया है कि पांच वर्ष में पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण करने का प्रावधान करने, पंजीकरण प्रमाण पत्र का निलम्बन/रद्द करने का प्रावधान करने, प्रशासनिक लागतों को सीमित करने का प्रावधान करने, पंजीकरण पूर्व-अनुमति के लिए फीस का भुगतान करने का प्रावधान करने, पंजीकरण रद्द करने की सूरत में आस्तियों की अभिरक्षा आदि का प्रावधान करने जैसे कुछ प्रावधानों को मसौदा विधेयक में से हटाया जा सकता है। मसौदा विधेयक, विचार किए जाने के अंतिम चरम में है।

(ङ) और (च) गृह मंत्रालय ने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकरण मंजूर करने और वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए आन-लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा पहले ही शुरू कर दी है। इससे एसोसिएशनों को पंजीकरण मंजूर करने के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत करने और अपनी वार्षिक विवरणियां भेजने में आसानी होगी तथा इससे निगरानी तंत्र में सुधार करने के लिए सरकार को सहायता मिलेगी।

दोहा दौर की वार्ता संबंधी मंत्री स्तरीय बैठक

914. **श्री हंसराज जी. अहीर:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत दोहा दौर की वार्ता पर गतिरोध समाप्त करने के लिए जेनेवा में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक विफल सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) विकासशील देशों द्वारा किसानों को प्रदान की जा रही राजसहायता के संबंध में दोहा दौर की वार्ता पर भारत का दृष्टिकोण क्या है;

(घ) क्या सरकार को विकसित देशों द्वारा किसानों को प्रदान की जा रही राजसहायता के विकासशील देशों के किसानों पर प्रभावों की जानकारी है;

(ङ) क्या भारतीय कृषि तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) 29 जून और 1 जुलाई, 2006 के बीच महानिदेशक, डब्ल्यूटीओ द्वारा भारत सहित 31 व्यापार मंत्रियों की एक औपचारिक बैठक बुलाई गयी थी। मंत्रियों द्वारा कृषि में घरेलू सहायता तथा बाजार पहुंच और गैर-कृषि बाजार पहुंच (एनएएमए) पर विचार-विमर्श किया गया था। आम सहमति नहीं बन सकी। दिनांक 1 जुलाई, 2006 को डब्ल्यूटीओ की व्यापार वार्ताकारी समिति (टीएनसी) की भी एक बैठक हुई थी जिसमें महानिदेशक, डब्ल्यूटीओ ने कृषि तथा गैर-कृषि बाजार पहुंच में रूपरेखाओं के निर्धारण को सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण से गहन एवं व्यापक परामर्श करने का अनुरोध किया था। इन परामर्शों को संबंधित वार्ताकारी समूहों के अध्यक्षों द्वारा तैयार किए गए पाठों के मसौदों पर आधारित किया जाना था। महानिदेशक से टीएनसी को यथाशीघ्र रिपोर्ट करने का अनुरोध किया गया था।

23 व 24 जुलाई, 2006 को जेनेवा में डब्ल्यूटीओ के जी-6 देशों (आस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूरोपीय समुदाय, भारत, जापान तथा संयुक्त राज्य अमरीका) के व्यापार मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और कृषि में व्यापार विकृतिकारी सहायता में पर्याप्त कमी तथा अन्य विकास संबंधी मुद्दों के प्रमुख मुद्दों पर कोई आम सहमति नहीं बनी थी। दिनांक 24 जुलाई, 2006 को हुई टीएनसी की अनौपचारिक बैठक में महानिदेशक, जो उसके अध्यक्ष हैं, ने सूचित किया कि "यह स्पष्ट है कि मतान्तर बहुत अधिक है" और यह सिफारिश की कि समग्र दौर में वार्ताओं को स्थापित कर दिया

जाना ही एकमात्र कार्यवाही होगी ताकि भागीदारों को गंभीरतापूर्वक विचार करने जो स्पष्ट रूप से आवश्यक है तथा स्थिति की समीक्षा करने, उपलब्ध विकल्पों की जांच करने और विशेष रूप से कृषि संबंधी घरेलू सहायता और बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों पर मतभेद के संबंध में स्थितियों की समीक्षा करने का समय मिल सके। अत: सदस्य दोहा कार्यक्रम के सभी क्षेत्रों में वार्ताएं स्थगित करने के लिए सहमत हुए थे। दिनांक 27 जुलाई, 2006 की अपनी बैठक में डब्ल्यूटीओ महापरिषद के टीएनसी अध्यक्ष की रिपोर्ट पर विचार किया और वार्ताओं के स्थगन का समर्थन किया।

दोहा कार्यक्रम के तहत वार्ताओं के स्थगन के पश्चात् डब्ल्यूटीओ के सदस्यों द्वारा वार्ताओं को किस प्रकार शुरू किया जाए, इस संबंध में अनौपचारिक परामर्श किए जा रहे हैं। दिनांक 16 नवम्बर, 2006 को हुई व्यापार वार्ताकारी समिति (टीएनसी) की अनौपचारिक बैठक में समूहों के अध्यक्षों पर डब्ल्यूटीओ सदस्यों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ परामर्श से अपने कार्यों का सामंजस्य निर्धारित करने के उत्तरदायित्व के साथ टीएनसी के वार्ताकारी समूहों में वार्ता प्रक्रिया पुन: प्रारंभ करने के संबंध में सहमति हो गई है।

(ग) से (च) कृषि संबंधी वार्ताओं से संबधित जी-20 तथा जी-33 गठबंधन, जिसका भारत एक सदस्य है, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार में विद्यमान सब्सिडियों एवं बाजार पहुंच बाधाओं से विकासशील देशों के निर्धन कृषकों की आजीविका तथा जीवन स्तर गंभीर जोखिम में है और कि अपने विकास संबंधी आयामों के प्रति ईमानदार किसी दौर में इस स्थिति का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।

भारतीय कृषि एवं कृषकों के हितों की रक्षा के लिए भारत जी-20, जी-33, अफ्रीकी समूह, अफ्रीकी-कैरेबियाई-पैसिफिक देशों तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाकर विकासशील देशों के गठबंधनों को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है ताकि परस्पर हित के मुद्दों पर एक-दूसरे की स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। भारत इस बात पर बल दे रहा है कि घरेलू सहायता एवं बाजार पहुंच के संबंध में जी-20 द्वारा और विशेष उत्पाद तथा विशेष रक्षोपाय प्रणाली (एसएसएम) के संबंध में जी-33 द्वारा दिए गए विनिर्दिष्ट एवं विस्तृत प्रस्तावों से एक ऐसा अंतिम परिणाम सुनिश्चित होना चाहिए जो व्यापार विकृतिकारी घरेलू संहायता में अत्यधिक तथा प्रभावकारी कमी और विशेष रूप से विकासशील देशों के निर्यात हित के उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधारों के लिए सहमत वार्ताकारी अधिदेश के सुसंगत हो। भारत ने यह मत बनाए रखा है कि विशिष्ट उत्पादों की उचित संख्या का स्वत: निर्देशन और कमजोर कृषि समुदायों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावशाली एवं प्रचालनयोग्य विशेष रक्षोपाय प्रणाली तथा आनुपातिक रूप से कम टैरिफ कमी संबंधी वचनबद्धताएं कृषि संबंधी अंतिम परिणाम के अभिन्न अंग होने चाहिए। हमारे राष्ट्रीय हितों, विशेष रूप से हमारे कृषकों के हितों की सुरक्षा करने एवं उनकी पैरवी करने के लिए सरकार द्वारा हितबद्ध पक्षों के साथ परामर्श किए जा रहे हैं।

अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार आबद्ध शुल्कों के भीतर लागू टैरिफों के अंशांकन सहित डब्ल्यूटीओ सुसंगत पद्धति से हस्तक्षेप करने के लिए वचनबद्ध है। कृषि उत्पादों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए सरकार ने कई पहलें तथा हस्तक्षेप प्रारंभ किए हैं ताकि भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सके। इस संबंध में सरकार द्वारा कार्यान्वित स्कीमों में अन्य बातों के साथ-साथ तिलहनों, दालों, पाम तेल और मक्का हेतु समेकित स्कीम (आईएसओपीओएम), राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा समेकित अनाज विकास कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादों के निर्यातों के लिए प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा परिवहन सहायता स्कीम तथा विशेष कृषि उपज योजना जैसी स्कीमों को कार्यान्वित किया जाता है ताकि कृषकों के लिए उनके निर्यातों हेतु लाभकारी कीमतों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोगों के कार्यकरण की निगरानी

915. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) के कार्य निष्पादन के बारे में आवधिक निगरानी तथा मूल्यांकन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक तथा वित्त संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बोर्डों ने ग्रामीण भारत में कुटीर तथा परम्परागत उद्योगों की सहायता की है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छोटे शहद उत्पादकों और व्यापारियों का उत्पाद, विशेष रूप से कन्याकुमारी में इरानिएल स्थित सर्वोदय संघ द्वारा खरीदे

जाने वाले उत्पाद का भुगतान किए जाने के लिए किन कदमों को उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी व ग्रामीण आयोग (केवीआई) क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) द्वारा कार्यान्वित योजनाएं भी शामिल हैं, के कार्यनिष्पादन की सरकार द्वारा समय-समय पर आवधिक निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) के वी आई क्षेत्र के कार्य निष्पादन के मुख्य संकेतकों को निम्नोक्त सारणी में दर्शाया है:

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपये में)		रोजगार (लाख व्यक्ति)		उपयोग की गई मार्जिन मनी (करोड़ रुपये में)	ग्रामोद्योग इकाईयों की संख्या
	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग		
2002-03	443.07	8126.30	8.58	57.87	193.71	21024
2003-04	453.50	9228.27	8.61	62.58	265.74	24747
2004-05	461.54	10458.89	8.64	68.14	295.88	23453

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य/संघ शासित क्षेत्र के के.वी.आई.बी. के माध्यम से के.वी.आई. क्षेत्र के कार्य निष्पादन के मुख्य संकेतकों को निम्नोक्त सारणों में दर्शाया है:-

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपये में)		रोजगार (लाख व्यक्ति)		उपयोग की गई मार्जिन मनी (करोड़ रुपये में)	ग्रामोद्योग इकाईयों की संख्या
	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग		
2002-03	175.30	5428.79	2.42	46.41	50.94	6652
2003-04	166.08	5958.90	2.36	48.46	100.97	11380
2004-05	140.33	6593.59	2.20	50.72	120.89	11745

(ङ) सर्वोदय संघ, इरेनियल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु एक संस्था है जो कि के वी आई सी में पंजीकृत है। कतिपय प्रबंधकीय समस्याओं की वजह से यह संस्थान समस्याग्रस्त के रूप में वर्गीकृत है। यह संस्थान वैयक्तिक शहद उत्पादकों से शहद की अधिप्राप्ति करता है तथा इसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। जिसकी वजह से यह शहद उत्पादकों को यदाकदा अदायगी विलम्ब से करता है। राज्य सरकार से 16 लाख रुपये की धनराशि के छूट देयों की प्राप्ति में विलम्ब उक्त संस्थान की कार्यशील पूंजी में कमी का मुख्य कारण है।

महिलाओं का दुर्व्यापार

916. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पूर्वोत्तर भागों से देश के विभिन्न भागों में यौन व्यापार हेतु महिलाओं के दुर्व्यापार की घटनाओं में हाल ही में कथित रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश के अन्य भागों से भी ऐसी खबरें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वोत्तर भागों में किशोरियों की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण का कार्य महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्य गैर-सरकारी संगठनों को सौंपने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस बुराई पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) जी, हां। ग्राम नियोजन केंद्र के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'भारत में वेश्यावृत्ति में लड़कियां/महिलाएं, 2004' विषय पर कराए गए अध्ययन के अनुसार यह आकलन किया गया कि देश में यौन कर्मियों की संख्या 1997 में 2 मिलियन से बढ़कर 2003 में 3 मिलियन हो गयी है। अनुमान है कि कुल यौन कर्मियों में से तीन चौथाई देह-व्यापार की शिकार हैं।

भारतीय दण्ड संहिता द्वारा सम्पूरित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ बच्चों सहित मानवों के देह-व्यापार का निषेध करता है तथा इसमें देह-व्यापारी के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान है। बच्चों सहित व्यक्तियों के देह-व्यापार के लिए और कठोर सजा का प्रावधान करने के लिए अब अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन विधेयक लोक सभा में 22 मई, 2006 को पेश किया गया तथा इस समय मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति इसकी जांच कर रही है। बाल वेश्यावृत्ति के निवारण हेतु सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय सलाहकार समिति देह व्यापार एवं वेश्यावृत्ति के निवारण हेतु राज्यों के कार्यकलापों की तिमाही आधार पर समीक्षा करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देह व्यापार के निवारण हेतु समर्थन, जागरूकता विकास, संचेतना कार्यक्रम भी चलाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधार आश्रय, आहार, कपड़े, भावनात्मक समर्थन, परामर्श, पुनर्वास तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। यौन शोषण हेतु महिलाओं एवं बच्चों के देह व्यापार के निवारण हेतु एक प्रायोगिक परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उपर्युक्त सूचना के अनुसार।

जेलों में किशोर बच्चे

917. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 14 वर्ष से कम आयु के किशोर बच्चे बड़ी संख्या में छोटे-मोटे आरोपों में जमानत की उपलब्धता के अभाव में वर्षों से जेल में पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 सितम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार ऐसे बच्चों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उनके मामलों की समीक्षा कराने तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) 23 अगस्त, 2006 को यथा-संशोधित, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 10 के अनुसार, किसी भी किशोर को किसी जेल में नहीं रखा जा सकता। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच कार्य पूरा होने तक, यदि बच्चों को जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो उन्हें प्रेक्षण गृहों में भेजा जाना अपेक्षित होता है। मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रेक्षण गृहों में बच्चों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है। (जेल में किशोरों के संबंध में आंकड़े मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते है)।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत स्थापित प्रेक्षण गृहों में रह रहे किशोरों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किशोरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	308
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	150
4.	बिहार	–
5.	छत्तीसगढ़	297

1	2	3
6.	गोवा	61
7.	गुजरात	1377
8.	हरियाणा	123
9.	हिमाचल प्रदेश	15
10.	जम्मू-कश्मीर	–
11.	झारखंड	443
12.	कर्नाटक	87
13.	केरल	78
14.	मध्य प्रदेश	3480
15.	महाराष्ट्र	4323
16.	मणिपुर	–
17.	मेघालय	76
18.	मिजोरम	75
19.	नागालैंड	50
20.	उड़ीसा	76
21.	पंजाब	101
22.	राजस्थान	44
23.	सिक्किम	–
24.	तमिलनाडु	190
25.	त्रिपुरा	–
26.	उत्तर प्रदेश	713
27.	उत्तरांचल	50
28.	पश्चिम बंगाल	502
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–
30.	चंडीगढ़	–
31.	दादरा व नगर हवेली	–
32.	दमन व दीव	–
33.	दिल्ली	264
34.	लक्षद्वीप	–
35.	पांडिचेरी	1
	कुल	12,884

औद्योगिक निवेश

918. **श्री मधुसूदन मिस्त्री:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में औद्योगिक निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में लागू राज्यवार औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) तथा परियोजना क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी परियोजनाएं बंद की गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लाइसेंसयुक्त क्षेत्र में दायर किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों की संख्या तथा लाइसेंस योग्य क्षेत्र में जारी किए गए आशय-पत्रों/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या का विवरण, जिसमें राज्यवार प्रस्तावित निवेश दिखाये गए हैं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों को दर्शाता ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

(ग) कार्यान्वयन के अधीन औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन/परियोजनाओं पर जानकारी अलग से केंद्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य-वार रिकार्ड से हटाये गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों की संख्या को दर्शाता ब्यौरा विवरण-III पर दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों व वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार निवेश के प्रस्ताव

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	आई.ई.एम.+एल.ओ.आई.+डी.आई.एल.			
	जनवरी 2003-दिसम्बर 2005		जनवरी 2006-सितम्बर 2006	
	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपये करोड़)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपये करोड़)
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	1	30
आंध्र प्रदेश	1084	44893	514	40952
अरुणाचल प्रदेश	19	145	5	111
असम	184	1596	48	1916
बिहार	27	514	76	8486
चंडीगढ़	2	1	3	177
छत्तीसगढ़	890	94100	185	80429
दादरा एवं नगर हवेली	401	5990	99	3739
दमन एवं दीव	209	1590	46	1275
दिल्ली	21	45	7	79
गोवा	103	943	21	264
गुजरात	1718	131223	500	39560
हरियाणा	591	15950	211	15467
हिमाचल प्रदेश	268	6025	97	1686
जम्मू-कश्मीर	306	5366	87	1829
झारखंड	320	39983	89	33477
कर्नाटक	637	38679	263	15375
केरल	79	1183	43	429
मध्य प्रदेश	356	28083	149	5154
महाराष्ट्र	2077	40412	743	23197
मणिपुर	2	7	0	0

1	2	3	4	5
मेघालय	96	836	16	1468
नागालैंड	6	16036	0	0
उड़ीसा	570	97190	84	31964
पांडिचेरी	127	733	42	706
पंजाब	453	11224	181	10159
राजस्थान	492	7835	152	6170
सिक्किम	12	302	7	591
तमिलनाडु	1191	66157	636	16105
त्रिपुरा	11	255	0	0
उत्तर प्रदेश	1381	49616	516	35951
उत्तरांचल	619	8818	416	10626
पश्चिम बंगाल	1292	33546	244	12896
एक से ज्यादा राज्य में स्थापना स्थल	3	11	0	0
योग	15547	749287	5481	400268

नोट: आई ई एम: दायर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन, एल ओ आई: आशय-पत्र, डी आई एल: प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस

विवरण II

जनवरी, 2003 से सितंबर, 2006 तक भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रवार/वर्षवार एफ डी आई अन्तर्वाह संबंधी विवरण-पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	आर बी आई का क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य सम्मिलित	2003 जन.-दिस.	2004 जन.-दिस.	2005 जन.-दिस.	2006 जन.-सित.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	275.69	858.09	723.28	1,675.47	3,532.53
2.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा	15.45	20.00	0.00	0.00	35.45
3.	पटना	बिहार, झारखंड	1.13	0.00	0.00	0.60	1.73

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	अहमदाबाद	गुजरात	1,042.63	688.46	635.21	1,270.00	3,636.30
5.	बंगलौर	कर्नाटक	999.07	1,064.25	1,606.98	1,353.58	5,023.88
6.	कोच्ची	केरल, लक्षद्वीप	44.69	49.55	26.25	40.77	161.26
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	25.71	61.64	53.82	72.54	213.71
8.	मुम्बई	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	1,022.81	3,246.50	2,272.90	6,566.68	13,108.89
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	0.00	0.00	261.66	103.59	365.26
10.	जयपुर	राजस्थान	2.14	4.27	2.66	226.40	235.47
11.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	805.46	366.10	1,096.49	2,210.05	4,478.09
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.00	0.00	0.03	15.24	15.27
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	146.79	459.56	405.42	258.79	1,270.56
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	18.12	71.89	377.79	40.26	508.06
15.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाग	2.104.72	3,303.61	4,297.61	5,293.07	14,999.00
16.	पणजी	गोवा	131.22	79.85	81.40	347.57	640.04
17.	राज्य जो दर्शाये नहीं गये*		2,928.37	4,507.60	7,429.22	8,899.74	23,764.93
	कुल योग		9,564.00	14,781.37	19,270.72	28,374.35	71,990.44

नोट: (1) केवल 'इक्विटी पूंजी घटक' शामिल है।

(2) क्षेत्रवार एफ डी आई अन्तर्वाह, आर बी आई मुंबई द्वारा प्रस्तुत आर बी आई के क्षेत्रवार अंतर्वाह के अनुसार वर्गीकृत हैं।

(3) *मौजूदा शेयरों के अधिग्रहण के जरिये अन्तर्वाह दर्शाता है। इसके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रवार सूचना प्रदान नहीं की जाती है।

विवरण III

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान हटाये गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों की राज्य-वार संख्या

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	जनवरी 2003- दिसम्बर 2005	जनवरी 2006- सितम्बर 2006
1	2	3
आंध्र प्रदेश	54	12
अरुणाचल प्रदेश	1	0

1	2	3
असम	12	1
बिहार	1	0
छत्तीसगढ़	60	1
दादरा एवं नगर हवेली	21	1
दमन एवं दीव	8	3
दिल्ली	2	0
गोवा	6	0
गुजरात	83	7
हरियाणा	30	6
हिमाचल प्रदेश	17	2
जम्मू-कश्मीर	25	2
झारखंड	16	0
कर्नाटक	30	6
केरल	2	2
मध्य प्रदेश	17	4
महाराष्ट्र	126	15
मेघालय	4	0
उड़ीसा	28	1
पांडिचेरी	5	0
पंजाब	33	5
राजस्थान	27	4
सिक्किम	1	0
तमिलनाडु	57	8
त्रिपुरा	1	0
उत्तर प्रदेश	71	9
उत्तरांचल	51	19
पश्चिम बंगाल	83	6
योग	872	114

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकरण

919. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कौन-कौन से हैं तथा उनका कार्यकरण क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में उनके द्वारा अर्जित लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन.एस.आई.सी.) लघु उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अकेला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। एन.एस.आई.सी. की स्थापना देश में लघु उद्योग के संवर्धन में सहायता प्रदान करने के लिए 1955 में की गई थी।

(ख) विगत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष (31.10.2006 तक) में एन.एस.आई.सी. द्वारा अर्जित किए गए लाभ/उठाए गए नुकसान संबंधी ब्यौरा निम्नोक्त है:-

वर्ष	निवल लाभ/हानि
2003-04	निवल लाभ: रु. 77.05 लाख
2004-05	निवल हानि: रु. 1147.58 लाख
2005-06	निवल लाभ: रु. 125.44 लाख
2006-07 (31.10.2006 तक)	निवल हानि: रु. 97.45 लाख (अनंतिम)

[हिन्दी]

बंगलादेशी जासूसी एजेंटों की गिरफ्तारी

920. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:**
श्री महेश कनोडीया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2005 तथा 2006 में अभी तक जासूसी के आरोपों में कुछ विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जनवरी, 2005 से 22 नवम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान की उपलब्ध जानकारियों के अनुसार, जासूसी का आरोप होने के संबंध में कुल 26 विदेशी राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए हैं। 26 विदेशी राष्ट्रिकों में से, 24 पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं और एक-एक नेपाली एवं बांग्लादेशी राष्ट्रिक हैं।

(ग) और (घ) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और/या अन्य संगत कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बंद हो चुकी वस्त्र मिलों के कामगारों का बकाया

921. **डा. सत्यनारायण जटिया:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बंद हो चुकी वस्त्र मिलों के कामगारों की बकाया राशि का मिलवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने कामगारों का पुनर्वास किया जा चुका है तथा इन मिलों के शेष कामगारों के पुनर्वास हेतु क्या योजना है; और

(ग) इस संबंध में वस्त्र कामगार पुनर्वास कोष योजना की स्थिति क्या है तथा अब तक किए गए भुगतान का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) सरकार बंद वस्त्र मिलों के कामगारों के बकाया देयों से संबंधित सूचना नहीं रखती है।

(ख) देश में बंद वस्त्र मिलों के कामगारों के पुनर्वासन के लिए इस समय कोई योजना लागू नहीं है।

(ग) वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस) में गैर-एसएसआई निजी क्षेत्रों में पात्र बंद वस्त्र मिलों के पात्र कामगारों के लिए अंतरिम राहत का प्रावधान है ताकि वे दूसरा रोजगार कर सकें। अब तक 79927 कामगारों को कवर करते हुए 45 मिलों को 185.03 करोड़ रुपए तक का लाभ दिया जा चुका है। 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार टीडब्ल्यूआरएफएस के तहत शामिल कामगारों की राज्यवार संख्या तथा संवितरण की स्थिति के ब्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य	मिलों की संख्या	नामावली में कामगारों की संख्या	उन कामगारों की संख्या जिन्हें भुगतान कर दिया गया है	भुगतान की गई राशि (रुपए में)
1.	गुजरात	32	66044	50776	1187440877
2.	महाराष्ट्र	3	3225	2995	64954928
3.	मध्य प्रदेश	4	18957	16035	394938540
4.	तमिलनाडु	4	5286	4590	67879719
5.	कर्नाटक	1	433	361	15818168
6.	दिल्ली	1	5187	5170	119253744
	कुल	45	99132	79927	1850285976

मुक्त विकास केन्द्र योजना

922. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हेतु विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत कितने विकास केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) जनजातीय बहुल इलाकों में पिछले तीन वर्षों के दौरान 2005-06 तक स्थापित किए गए इन औद्योगिक विकास केन्द्रों को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने जनजातीय लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का मध्य प्रदेश सरकार ने उपयोग किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (च) लघु उद्योग मंत्रालय ने आईआईडीसी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिये 8 एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्रों (आईआईडीसी) को मंजूरी प्रदान की है। ये मध्य प्रदेश के सतना, मंदसौर, खारगोन, कटनी, सागर, नीमच, टीकमगढ़ एवं मुरैना जिलों में हैं। इन केन्द्रों के लिये स्वीकृत 10.29 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अनुदान के प्रति 5.37 करोड़ रुपये अभी तक जारी किये जा चुके हैं। ये केन्द्र विकास के विभिन्न चरणों में है तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो देय थे, प्राप्त किये जा चुके हैं। इन केन्द्रों के कार्यान्वयन से रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन होने की संभावना है जिससे इन जिलों की जनजातीय आबादी को भी लाभ होगा।

[अनुवाद]

शिक्षकों को प्रशिक्षण

923. श्री विजय कृष्ण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न देशों में शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय लेक्चररों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु देश के साथ किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान स्थितियों के अनुरूप विश्वविद्यालय में कोई नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बच्चों पर मानसिक तनाव

924. श्री भानु प्रताप सिंह:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन मासूम बच्चों (6 से 10 वर्ष की आयु के बीच) की मानसिक स्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है जो स्कूलों द्वारा उन्हें दिए गए होम वर्क के कारण मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में बच्चे मनोरोगी बनते जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसे बच्चों की मानसिक स्थिति में सुधार करने के लिए कोई ठोस उपाय किए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या भारत में बाल मनोरोगियों की संख्या बहुत बढ़ रही है; और

(छ) इस संबंध में कितने सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थानों से सहायता प्राप्त हुई है तथा राज्यवार उन्हें कितनी सहायता अनुदान प्रदान की गई तथा इसका क्या सकारात्मक परिणाम निकला?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बच्चों के तनाव को कम करने और अध्ययन को एक आनन्ददायक अनुभूति बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) कक्षा-1 से कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए गृह कार्य को समाप्त करना।

(2) कक्षा-2 से 5 तक अरुचिकर और यांत्रिक गृहकार्य के स्थान पर रुचिकर और सार्थक वैकल्पिक कार्यकलाप।

(3) कक्षा-1 से 5 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण मानदण्ड को हटाकर सतत और व्यापक मूल्यांकन।

(4) विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ग्रेडिंग प्रणाली का क्रमिक रूप से कार्यान्वयन।

(5) व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा विद्यालयों में स्वास्थ्य क्लबों की स्थापना।

(6) कक्षा-6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए जीवन कौशलों की शिक्षा जिसमें स्वयं जागरूकता विकसित करने, अन्तर-वैयक्तिक संबंध, धैर्य और चरित्र की क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(7) किशोरों के शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक तथा सामाजिक विकास की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कक्षा-6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए किशोर शिक्षा कार्यक्रम।

(8) मल्टीमीडिया, समाचार-पत्र और दूरदर्शन का उपयोग करके परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद बच्चों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

(9) अध्ययन में कठिनाई महसूस करने वाले बच्चों को पढ़ाने की तकनीकों का पता लगाने के लिए शिक्षकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त उपलब्ध कराना।

(10) आनन्ददायक विषयों जैसे नृत्य, कला, संगीत, शिल्प इत्यादि पर विशेष ध्यान देना ताकि बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का सृजनात्मक और सुव्यवस्थित विकास किया जा सके।

(च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(छ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गृह-कार्य से संबंधित तनाव को कम करने के लिए ऐसा कोई सहायता-अनुदान नहीं दिया है।

छत्तीसगढ़ को आवंटन

925. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में कृषि तथा ग्रामोद्योग स्थापित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) आवंटित धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया जा चुका है; और

(ग) उक्त धनराशि से कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार छत्तीसगढ़ सहित देश भर में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को अनुदान सहायता प्रदान करती है। केवीआईसी इसका आवंटन प्रत्येक राज्य के लक्षित कार्यक्रम के अनुसार करती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में 1014.22 लाख रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है।

(ख) जबकि के वी आई सी ने छत्तीसगढ़ में आर ई जी पी के कार्यान्वयन के लिए 527.27 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की है तथा इसने अक्तूबर, 2006 तक 374.10 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग कर लिया है।

(ग) छत्तीसगढ़ में अक्तूबर, 2006 तक इन निधियों का लाभ 3587 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

व्यापार घाटा

926. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2006 में भारत ने 5.33 बिलियन डालर का मासिक व्यापार घाटा दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह व्यापार घाटा उपभोक्ताओं की जबरदस्त मांग को पूरा करने हेतु उच्च आयात बिल के कारण हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को दुरूस्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सितम्बर, 2006 के माह के दौरान व्यापार घाटे में वृद्धि मुख्यत: तेजी से विकास कर रहे विनिर्माण क्षेत्र द्वारा अपेक्षित पूंजीगत माल, मध्यवर्ती उत्पादों, कच्ची सामग्रियों के आयात में वृद्धि और सोना एवं चांदी के आयात में वृद्धि के कारण हुई थी। देश के व्यापार घाटे की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। तथापि, आज की तारीख तक आयातों को कृत्रिम रूप से सीमित करने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय नहीं किया गया है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था का विकास अवरुद्ध हो सकता है और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बढ़ सकता है।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन की शर्तें

927. **श्री गणेश सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन की सभी शर्तें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर अब भी असहमति है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन भारत के कृषि क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहता है;

(घ) क्या सरकार का मानना है कि देश के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र को विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों से अलग रखना चाहिए;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है; और

(च) चालू वर्ष के दौरान देश से निर्यात किए गए कृषि उत्पाद का ब्यौरा क्या है तथा आयात किए गए कृषि उत्पाद का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत सहित डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों ने डब्ल्यूटीओ के स्थापनाकारी मराकेश

करार में उसके वस्तु व्यापार संबंधी बहुपक्षीय करारों से संबंधित अनुबंध 1क में संलग्न करारों, सेवा व्यापार संबंधी सामान्य करार से संबंधित अनुबंध 1ख तथा अनुबंधों (गैट्स); व्यापार से संबद्ध भौतिक संपदा अधिकारों के पहलू संबंधी करार (ट्रिप्स) के बारे में अनुबंध 1ग; विवाद निपटान को शासित करने वाले नियम एवं प्रक्रियाओं संबंधी समझौते (डीएसयू) के बारे में अनुबंध 2; व्यापार नीति समीक्षा तंत्र (टीपीआरएम) से संबंधित अनुबंध 3 के साथ-साथ एकल वचनबद्धता के रूप में योगदान करने की वचनबद्धता ली है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शासित करने हेतु एक नियम आधारित प्रणाली का निर्माण करने वाले डब्ल्यूटीओ करारों में डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों की ओर से अधिकारों, रियायतों, वचनबद्धताओं और दायित्वों के संतुलन का प्रदर्शन होता है।

यद्यपि, डब्ल्यूटीओ में निर्णय लेना डब्ल्यूटीओ के स्थापनाकारी मराकेश करार के अनुच्छेद-IX द्वारा शासित होता है। तथापि, अब तक समस्त निर्णय डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच आम राय द्वारा लिए गए हैं।

दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र में दिए गए अधिदेश और 1 अगस्त, 2004 के महापरिषद के जुलाई कार्यढांचा करारगत निर्णय एवं दिसम्बर, 2005 के हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र के अनुसार दोहा कार्यक्रम के तहत वार्ताएं व्यापक मुद्दों पर चल रही हैं।

(ग) से (ङ) डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य उसके सदस्य देशों में से किसी के कृषि क्षेत्र को नियंत्रित करना नहीं है। दोहा कार्यक्रम की चल रही वार्ताओं के तहत सदस्यों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विकसित देशों द्वारा प्रदत्त व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में कमी और निर्यात सब्सिडी की चरणबद्ध समाप्ति के जरिए कृषि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार लाने का है। इन वार्ताओं के एक भाग के रूप में सदस्य विकासशील देशों के लिए विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार से संबंधित प्रावधानों पर भी वार्ताएं कर रहे हैं। इस प्रकार, भारत सहित विकासशील देशों के लिए डब्ल्यूटीओ का दोहा दौर की वार्ताओं से कृषि को अलग रखना हितकर नहीं होगा।

कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करारों के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र हेतु भारत की घरेलू नीति को कुल मिलाकर सीमित नहीं किया गया है। भारत से कृषि क्षेत्र में उसकी घरेलू सब्सिडी को कम करने की अपेक्षा नहीं की गई है क्योंकि उसकी कुल समग्र सहायता (एएमएस) नकारात्मक है और वह न्यूनतम सीमा के भीतर ही रही है। भारत द्वारा वर्ष 2001 में आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात की निगरानी हेतु एक तंत्र स्थापित किया है। किसानों सहित घरेलू उत्पादकों को संरक्षण डब्ल्यूटीओ सुसंगत उपाय लागू करके प्रदान किया जाता है जिसमें वचनबद्ध स्तरों के भीतर लागू टैरिफ का समुचित अनुशांकन और विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में रक्षोपाय कार्रवाई शामिल है।

कृषि उत्पादों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक पहलें और हस्तक्षेप शुरू किए हैं ताकि भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। इस संबंध में सरकार द्वारा कार्यान्वित स्कीमों में अन्य स्कीमों के साथ-साथ समेकित तिलहन, दाल, पाम तेल एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम), राष्ट्रीय बागवानी मिशन और समेकित अनाज विकास कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार परिवहन सहायता स्कीम और विशेष कृषि उपज योजना जैसी स्कीमों को कार्यान्वित करती है ताकि किसानों को उनके निर्यात की लाभकारी कीमत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संवर्धित पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

(च) चालू वर्ष के माह अप्रैल-मई, 2006 के दौरान कृषि उत्पादों का कुल निर्यात 83,786.71 करोड़ रु. का हुआ जबकि इसी अवधि के दौरान कृषि उत्पादों का आयात 1,23,244.65 करोड़ रु. का हुआ।

[अनुवाद]

चाय महोत्सव

928. श्री अनवर हुसैन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2007 में एक चाय महोत्सव आयोजित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा संभावित तारीख तथा स्थान कौन-सा है; और

(ग) इस महोत्सव को आयोजित करने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां। चाय बोर्ड और चाय उद्योग का एक चाय उत्सव एवं सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव है।

(ख) इसके लिए संभावित तारीख एवं स्थान क्रमशः मई/जून, 2007 तथा गुवाहाटी हैं। इसकी लागत का आकलन किया जा रहा है।

(ग) इस उत्सव के आयोजन का उद्देश्य विदेशी क्रेताओं को विभिन्न भारतीय एवं असम चाय का प्रदर्शन करके निर्यात संवर्धन करना है।

वैनिला का अंतर्राष्ट्रीय बाजार

929. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित वैनिला का ब्यौरा क्या है तथा उसमें कितने किसान लगे हुए हैं;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैनिला की मांग कम हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपने उत्पाद के मूल्य में कमी के कारण कठिनाई झेल रहे वैनिला किसानों की सहायता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) मसाला बोर्ड के अनुमान के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में वैनिला का उत्पादन निम्नानुसार रहा है-

वर्ष	उत्पादन (क्योर्ड बींस) (मी. टन)	*किसानों की संख्या (अनुमानित)
2003-04	134	18,000
2004-05	196	27,000
2005-06	188	30,000

*वैनीला की खेती मुख्यत: अन्य कृषि वस्तुओं के साथ फसल के रूप में की जाती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 2005 और 2006 में प्राकृतिक वैनीला की वैश्विक मांग में न तो वृद्धि हुई है और न ही गिरावट आई है। प्राकृतिक वैनीला की अनुमानित वैश्विक मांग लगभग 2300-2400 मी. टन है। अमरीका सबसे बड़ा आयातक है जिसका हिस्सा वैश्विक मांग का 50 से 60% है उसके बाद 10 और 15% के हिस्से के साथ क्रमश: फ्रांस और जर्मनी का स्थान आता है।

(घ) देश के भीतर और विदेश में मांग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

* भारतीय वैनीला और वैनीला निस्सारणों का प्रदर्शन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2005-06 के दौरान 72.6 टन तथा अप्रैल-सितम्बर, 2006-07 के दौरान 73.1 टन का निर्यात हुआ है।
* मसाला बोर्ड ने वैनीला सहित भारत के उत्तम गुणवत्ता वाले मसालों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक प्रीमियम ब्रांड "फ्लेवरिट" की शुरूआत की थी।
* बोर्ड आइसक्रीम में प्राकृतिक वैनीला का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ भी बात कर रहा है जिसका उत्पादन घरेलू मांग को बढ़ाने के प्रयासों के एक भाग के रूप में किया जा रहा है।
* मै. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि. (एसटीसीएल), बंगलौर ने फसल मौसम, 2005-06 के दौरान किसानों से वैनीला की सीधी खरीद (3 टन) की थी। इससे किसानों को कुछ राहत मिली है।
* बोर्ड द्वारा फार्म पर प्रसंस्करण हेतु क्यूरिंग यूनिटें स्थापित करने में उत्पादकों को सहायता प्रदान की जा रही है।

रियल एस्टेट में विदेशी निवेशकों का आसान प्रवेश

930. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रीयल एस्टेट में विदेशी निवेशकों के प्रवेश को आसान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) भारतीय उपभोक्ताओं/रीयल एस्टेट के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विषय संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) सरकार ने प्रेस नोट-2 (2005 श्रृंखला) द्वारा आवास, वाणिज्यिक परिसर, रिसार्ट्स, शैक्षणिक संस्थानों, मनोरंजन संबंधी सुविधाओं, शहरी एवं क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचना, नगर सहित निर्माण विकास

परियोजनाओं में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी है ताकि इस क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा दिया जा सके। स्थावर संपदा के किसी अन्य कार्यकलाप में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जाती है। प्रेस नोट-2 (2005 श्रृंखला) की प्रति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) स्थावर संपदा में स्वत: मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है, लेकिन यह प्रेस नोट-2 (2005 श्रृंखला) की शर्तों के अध्यधीन है जिसमें अंतिम प्रयोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम पूंजीकरण एवं भू-खंडों के विकास से संबंधित शर्तों को निर्धारित किया गया है। दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत कार्रवाई की जाती है।

विवरण

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
एसआईए (एफसी प्रभाग)

प्रेस नोट-2(2005)

विषय: नगर, आवास, निर्मित अवसंरचना और निर्माण-विकास परियोजनाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)

आर्थिक कार्यकलापों का सृजन करने, नए रोजगार के अवसर पैदा करने तथा उपलब्ध आवास इकाइयों एवं निर्मित अवसंरचना में वृद्धि करने हेतु एक साधन के तौर पर नगरों, आवास, निर्मित अवसंरचना और निर्माण-विकास परियोजनाओं में निवेश को प्रेरित करने की दृष्टि से, सरकार ने निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की शर्तों के अधीन, नगर, आवास, निर्मित अवसंरचना तथा निर्माण-विकास परियोजनाओं में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया है (जिसमें शामिल होंगे आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसोर्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर तथा क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचनात्मक सुविधाएं; किन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा):

(क) प्रत्येक परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्रफल निम्न प्रकार होगा:

(1) सर्विस्ड हाउसिंग प्लाटों के विकास के मामले में, न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र

(2) निर्माण-विकास परियोजनाओं के मामले में न्यूनतम 50,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र

(3) मिश्रित परियोजना के मामले में, दोनों में से कोई भी शर्त पर्याप्त होगी।

(ख) इसके अलावा, निवेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:

(1) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर तथा भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्योगों के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर का न्यूनतम पूंजीकरण। कंपनी का कारोबार शुरू होने के छ: महीनों के भीतर निधियां लायी जानी होंगी।

(2) मूल निवेश का न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने से तीन वर्ष की अवधि से पहले प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, निवेश को एफआईपीएस के जरिये सरकार से पूर्व अनुमोदन लेकर पहले भी अलग होने की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना का कम से कम 50 प्रतिशत भाग अवश्य विकसित होने चाहिए। निवेशकों को अविकसित प्लाटों को बेचने की अनुमति नहीं होगी। इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजनार्थ ''अविकसित प्लाट'' का अर्थ होगा जहां पर सड़क, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, नालियां, सीवरेज तथा विनिर्दिष्ट विनियमों के तहत लागू दूसरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई हैं। यह आवश्यक होगा कि निवेशक इन आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करें तथा वह सर्विस्ड हाउसिंग प्लाटों का निपटान किए जाने की अनुमति दिए जाने से पूर्व संबंधित स्थानीय निकाय/सेवा एजेन्सी से पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।

(घ) परियोजना भवन नियंत्रण विनियमों, उपविधि, नियमों तथा संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय के अन्य विनियमों के अनुसार भूमि उपयोग अपेक्षाओं तथा सामुदायिक सुखसुविधाओं और सामान्य सुविधाओं की शर्तों तथा मानकों का अनुपालन करेगी।

(ङ) निवेशक सभी आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें भवन/योजना नक्शा, आन्तरिक विकास तथा बाह्य परिधीय क्षेत्रों और अन्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने विकास, बाह्य विकास तथा अन्य प्रभारों का भुगतान सम्मिलित हैं, और वह संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय के

अंतर्गत लागू नियमों/उपविधि/विनियमों में यथा-निर्धारित अन्य सभी जरूरतों का अनुपालन करेगा।

(च) भवन/विकास योजना का अनुमोदन करने वाली संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन हेतु विकासकर्त्ता की मानीटरिंग की जाएगी।

2. दिनांक 21.5.2001 को सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट 4(2001 श्रृंखला) का पैरा (iv) तथा दिनांक 4.1.2002 को जारी प्रेस नोट 3(2002 श्रृंखला) को अधिक्रमित किया जाता है।

हस्ता/-
(उमेश कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं. 5(6)/2000-एफसी
दिनांक 3 मार्च, 2005

यू जी सी द्वारा नया भाषाई सर्वेक्षण

931. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार भारत का एक नया भाषायी सर्वेक्षण करने का है जैसा कि दिनांक 2 नवम्बर, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के सर्वेक्षण की क्या आवश्यकता थी तथा इसका क्या ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्वेक्षण में कुल कितना व्यय आया; और

(घ) सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जी, हां। 1894 और 1927 के मध्य पूरे हुए मूल सर्वेक्षण के आंकड़े पुराने हो गए हैं और इसलिए एक नए सर्वेक्षण की आवश्यकता है। इस सर्वेक्षण में 11वीं पंचवर्षीय योजना में 308 करोड़ रु. की लागत की अपेक्षा की गई है और यदि इसे अनुमोदित कर दिया जाता है तो यह 10 वर्षों (2007-2017) की समय सीमा में पूरा हो जाएगा।

आई आई एम तथा आई आई टी में सीटें बढ़ाना

932. **श्री भर्तृहरि महताब: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2006-07 शैक्षणिक वर्ष से सीटें बढ़ाने के लिए आई आई एम तथा आई आई टी को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक आई आई एम तथा आई आई टी द्वारा कितनी-कितनी सीटें बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) प्रत्येक आई आई एम तथा आई आई टी द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में नई आरक्षण नीति के क्रियान्वयन संबंधी ओवरसाइट समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्र से निधियां प्राप्त करने वाली सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाएं 2007-08 से प्रारम्भ करके अधिक से अधिक 3 वर्ष के भीतर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रस्तावित 27 प्रतिशत आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करें और साथ ही अपनी सीटों की क्षमता में भी विस्तार करें ताकि सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध सीटों के वर्तमान स्तर को बनाये रखा जा सके। तदनुसार केन्द्र से निधियां प्राप्त करने वाली सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से उनके द्वारा सीटों की संख्या में किए जाने वाले विस्तार से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

एलुमिना संयंत्र की स्थापना

933. **श्री परसुराम माझी: क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में किसी एलुमिना संयंत्र तथा एल्यूमिनियम स्मेलटर संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक संयंत्र में केन्द्र सरकार की कितनी हिस्सेदारी है; और

(ग) उपर्युक्त दोनों संयंत्रों की क्षमता कितनी है तथा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को इन संयंत्रों से लाभ का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उड़ीसा में स्थापित होने वाले एल्युमिना संयंत्र/प्रगालक निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थान	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	क्षमता
1.	मैसर्स वेदान्त एल्युमिना लि. (रिफाइनरी)	लान्जीगढ़ कालाहांडी	4000	1.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम टी पी ए)
2.	मैसर्स वेदान्त एल्युमिना लि. (स्मेल्टर) (प्रस्तावित)	झारसुगड़ा	3000	2.50 लाख टन प्रतिवर्ष (एल टी पी ए)
3.	मैसर्स आदित्य एल्युमिनियम (रिफाइनरी)	कोरापुट/रायगढ़	11000	1.00 एम टी पी ए
	स्मेलटर	संबलपुर		2.60 एल टी पी ए
4.	मैसर्स उत्कल एल्युमिना इन्टरनेशनल लि. (रिफाइनरी)	काशीपुर रायगढ़	4500	1.00 एम टी पी ए

उपरोक्त के अलावा, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. (नालको), भारत सरकार का सरकारी क्षेत्र का उद्यम, अपनी एल्युमिना रिफाइनरी क्षमता को 15.75 लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 21 लाख टन प्रति वर्ष और एल्युमिनियम प्रगालक क्षमता को 3.45 लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 4.6 लाख टन प्रतिवर्ष कर रहा है।

(ग) रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने के अलावा, परियोजना से लाभांश/करों के रूप में सरकार की राजस्व आय में भी वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस में कर्मचारियों की संख्या

934. **चौ. मुनव्वर हसन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली पुलिस की विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीवार कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी/कांस्टेबल कार्य कर रहे हैं;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीवार कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली पुलिस के रैंक-वार मंजूर पदों और रिक्त पदों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पांच इंडिया रिजर्व बटालियनें भी मंजूर की हैं। आई आर बटालियनों के लिए रैंक-वार मंजूर पदों और रिक्त पदों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) रिक्त पदों को भरना एक निरन्तर प्रक्रिया है। वर्तमान रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों में उन मामलों में जिनमें पदोन्नति से पदों को भरा जाना अपेक्षित है, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करना; उन मामलों में जिनमें पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना अपेक्षित है, उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करना; शारीरिक माप तौल परीक्षा और लिखित परीक्षा, साक्षात्कार आदि आयोजित करना; और उन मामलों में जहां पदों को सीधी भर्ती से भरा जाना है, उचित उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग को रिक्त स्थानों की सूचना देना शामिल है।

विवरण I

क्र.सं.	रैंक	स्वीकृत संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	पुलिस आयुक्त	1	0
2.	विशेष पुलिस आयुक्त	3	0
3.	संयुक्त पुलिस आयुक्त	15	0
4.	अपर पुलिस आयुक्त	10	0
5.	पुलिस उपायुक्त	44	17

1	2	3	4
6.	जे ए ग्रेड अधिकारी	28	0
7.	सहायक पुलिस आयुक्त	269	30
8.	निरीक्षक	1055	22
9.	उप-निरीक्षक	3834	465
10.	सहायक उप-निरीक्षक	5624	364
11.	हैड कांस्टेबल	14448	1211
12.	कांस्टेबल	32419	2130
13.	सिविलियन	74	35
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1786	7
	कुल	59610	4274

विवरण II

क्र.सं.	रैंक	स्वीकृत संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	पुलिस उपायुक्त	20	20
2.	सहायक पुलिस आयुक्त	35	35
3.	निरीक्षक	40	5
4.	उप-निरीक्षक	130	77
5.	सहायक उप-निरीक्षक	115	18
6.	हैड कांस्टेबल	955	240
7.	कांस्टेबल	3375	1446
8.	सिविलियन	20	20
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	345	139
	कुल	5035	2000

[अनुवाद]

सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद

935. **श्री मो. ताहिर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों की क्या स्थिति है;

(ख) क्या भारत ने इन उत्पादों को नकारात्मक सूची में रखा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएलएफटीए) में सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद भारत की नकारात्मक सूची में शामिल नहीं हैं।

(ग) आईएसएलएफटीए को अंतिम रूप देते समय, सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के आयात के कारण घरेलू उद्योग को खतरे की कोई संभावना नहीं थी और इसलिए इन मदों को भारत की नकारात्मक सूची में रखना आवश्यक नहीं समझा गया था।

[हिन्दी]

छात्रवृत्ति को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना

936. **श्री रामदास आठवले:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में दी जाने वाली धनराशि को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरनाथ में कृत्रिम शिवलिंग

937. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अमरनाथ में कृत्रिम शिवलिंग के निर्माण से संबंधित विवाद की जांच करने के लिए गठित किए गए जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट में कृत्रिम शिवलिंग के निर्माण की जिम्मेदारी तय की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर द्वारा जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री के.के. गुप्ता, जो श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में गठित एक-सदस्यीय जांच आयोग ने 26 अगस्त, 2006 को राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) गुप्ता जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि पवित्र शिवलिंग के साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि शिवलिंग बनाने या प्राकृतिक बर्फ के शिवलिंग के साथ छेड़-छाड़ करने, जिसके साथ श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा बोर्ड द्वारा घोषित यात्रा अवधि के दौरान वस्तुतः कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है, में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा बोर्ड के किसी भी पदाधिकारी का हाथ नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

938. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है जैसाकि दिनांक 19 सितम्बर, 2006 को 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के प्रस्तावों, जिनमें सरकार का पूर्वानुमोदन मांगा गया होता है, पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा विचार किया जाता है। सरकार ने दिनांक 8 सितंबर, 2006 को हुई अपनी बैठक में 992.8436 करोड़ रुपए मूल्य के 26 एफडीआई प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं। इन स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार का अनुमोदन चाहने वाले प्रस्तावों पर एफआईपीबी द्वारा समयबद्ध तरीके से विचार किया जाता है और संपूर्ण जानकारी सहित प्रस्तावों पर निर्णयों की सूचना सामान्यतः 6-8 सप्ताह में दे दी जाती है। 15.11.2006 की स्थिति के अनुसार सरकार का अनुमोदन चाहने वाले 23 प्रस्ताव लंबित हैं। प्रस्तावों को निपटाने हेतु नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा ऐसे प्रस्तावों की प्राप्ति एवं उन पर निर्णय लेना एक निरंतर प्रक्रिया है।

विवरण

क्र.सं.	मौजूदा/प्रस्तावित विदेशी कंपनियों के नाम एवं पते	पहले से ही समाहित भारतीय कंपनियों के नाम एवं पते	कार्यकलाप	अवस्थिति	प्रस्ताव का विवरण	एफडीआई/एनआरआई अंतर्वाह (रुपये करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन						
1.	मैसर्स स्फेरोस जीएमबीएच क्रेलिंगर स्ट्रीट 5,83131, स्टाकडार्फ, जर्मनी	मैसर्स मदर्सन एडवांस्ड आटोमोबाइल सोल्यूसंस प्रा.लि. 43, कम्यूनिटी सेंटर भागेरिया हाऊस, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली-25	बसों में अंतिम उपयोग के लिये हैचेज, हीटर एयर कंडीशनर, ताप विद्युत प्रबन्ध	नहीं दर्शाई गई है	बसों में अंतिम उपयोग के लिये हैचेज, हीटर, एयर कंडीशनर, ताप विद्युत प्रबन्ध प्रणालियों का विनिर्माण/एसेम्बलिंग,	1.02

1	2	3	4	5	6	7
			प्रणालियों का विनिर्माण/एसेम्बलिंग, विक्रय और निर्यात एवं उत्पादों का थोक व्यापार		विक्रय और निर्यात एवं उत्पादों के थोक व्यापार में लगाई जाने वाली जेबी कंपनी की स्थापना करना। प्रस्ताव प्रेस नोट 1(2005 श्रृंखला) के अनुकूल	
2.	मेरी के आईएनसी 16251, डलास पार्कवे, पी.ओ. बाक्स 799045 डलास, यू.एस.ए.	न्यू डब्ल्यूओएस	भारत में जांच विपणन कार्यकलाप करने के उद्देश्य से "मेरी के" द्वारा विनिर्मित त्वचा की देखभाल करने वाले तथा कास्मेटिक्स उत्पादों का आयात	नहीं दर्शाई गई है	जांच विपणन कार्यकलाप के लिये डब्ल्यूओएस को स्थापित करना।	0.0225
3.	मैसर्स टिमकोन कंपनी 1835, ड्यूबेर एवेन्यू एस.डब्ल्यू, कैंटन, ओहियो 44706-0928	न्यू डब्ल्यूओएस	उच्च स्तरीय निर्मित विशिष्ट बियरिंग उत्पादों का विनिर्माण, विपणन, विक्रय तथा वितरण	चेन्नई	उच्च स्तरीय निर्मित विशिष्ट बियरिंग उत्पादों का विनिर्माण, विपणन, विक्रय तथा वितरण के लिये डब्ल्यूओएस की स्थापन करना। प्रस्ताव प्रेस नोट 1(2005 श्रृंखला) के अनुकूल	49.50
4.	मैसर्स पीपीबी इण्डस्ट्रीज सेक्यूरिटी आईएनसी 1886, लिनबरी वूड्स रोड डोवर, डेलावेयर 19904, यूएसए	न्यू डब्ल्यूओएस	सभी प्रकार के कोटिंग्स एवं पेंट उत्पादों, सभी प्रकार के आप्टिकल उत्पादों, सभी प्रकार के ग्लासों एवं फाइबर ग्लासों के उत्पादों तथा वस्तुओं एवं विशिष्ट रसायन तथा उससे बने पदार्थों के लिये विनिर्माणकर्ता, एप्लीकेटर, व्यापारी, डीलर, आयातकर्त्ता निर्यातकर्त्ता, विक्रेता, एजेन्ट के व्यापार को सहयोग देना तथा इससे जुड़ी हुई सभी सेवाएं को प्रदान करना।	नहीं दर्शाई गई है	डब्ल्यूओएस की स्थापना करना। प्रस्ताव प्रेस नोट 1(2005 श्रृंखला) के अनुकूल	0.40

1	2	3	4	5	6	7
5.	मैसर्स डब्ल्यूपीपी ग्रुप पीएलसी एवं/अथवा इसके कोई भी सहायक/संबद्ध बर्कली स्क्वायर होल्डिंग बीवी सहित, 27, फार्म स्ट्रीट, लंदन डब्ल्यू 1×6 आरडी, यूके	मैसर्स रे एंड केशवन डिजाइन एसोशिएट्स प्रा.लि. # 22, ब्रून्टन रोड, बेंगलूर-560025	विज्ञापन, ब्रांडिंग एवं डिजाइनिंग सेवाएं	बेंगलूर	अंशदान एवं अधिग्रहण के द्वारा 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी का समावेश। प्रेस नोट 1(2005 श्रृंखला) के अनुकूल	0.02
6.	मैसर्स जेएससी टेक्नोचिम होल्डिंग 11, यूरल रूबिनस्टेइना, सेंट पीट्सबर्ग रूस	मैसर्स सराफ एजेन्सी प्रा.लि. 4/1, रेडक्रास प्लेस कोलकाता-700001	टाइटेनियम उत्पादों (टाइटेनियम) स्लेग हाई प्यूरिटी पिग आइरन (उप-उत्पाद), टाइटेनियम स्पून्ज एवं टाइटेनियम डाईआक्साईड पिगमेंट का विनिर्माण	छत्रपुर, उड़ीसा	भारत-रूस संयुक्त उपक्रम के रूप में 55 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के साथ टाइटेनियम परियोजना की स्थापना करना	192.50
सूचना एवं प्रसारण						
7.	मैसर्स एजोहेल्थ एशिया पेशिफिक लिमिटेड, 12 साइंस पार्क ड्राइव 02-03, द मेंडेल, सिंगापुर साइंस पार्क, सिंगापुर	मैसर्स एजीहेल्थ इंडिया प्रा.लि. 2. हिन्दी प्रचार सभा एस.टी.टी. नगर, चेन्नई-17	"मेडिकल ग्रेपेवाइन" प्रकाशन का भारतीय संस्करण प्रकाशित करना	चेन्नई	"मेडिकल ग्रेपेवाइन" प्रकाशन का भारतीय संस्करण प्रकाशित करने के लिये डब्ल्यूओएस की स्थापना करना	0.10
आर्थिक मामले						
8.	मिस्टर निकेत पाटन्कर 13, लार्क्सपुर ड्राइव डेयटन, न्यू जर्सी 09910 यूएसए मिस्टर जगदीश अय्यर 18, जोडरन वे मोनमथ जंक्शन, न्यू जर्सी 08852, यूएसए	मैसर्स एडवेन्टिटी बीपीओ इंडिया प्रा.लि., एडवेन्टिटी हाउस सी-2, वागले इण्डस्ट्रियल इस्टेट एमआईडीसी, थाने (पश्चिम) मुंबई-400604	आवाज-आधारित काल सेंटर संबंधी व्यवसाय	मुम्बई	आवासी ट्रस्टियों के शेयरों का ट्रस्ट के अप्रवासी भारतीयों को हस्तांतरण	0.256
9.	डी. सुजाता पम्मी * 3704, समटवें, कार्मेट, ओएम, यूएसए	मैसर्स ओकिमम बायो-सोल्यूसंस (इंडिया) लि. 6वां तल, रिलायंस क्लासिक रोड नं. 1 बंजारा हिल्स, हैदराबाद	साफ्टवेयर डेवलपमेंट्स एण्ड माइक्रोएरै	हैदराबाद	शेयर विनिमय के द्वारा शेयरों का हस्तांतरण	कोई नया अंतर्वाह नहीं

1	2	3	4	5	6	7
10.	मैसर्स केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड 50 लोथ्यन रोड एडिनबर्ग स्काटलैंड, ईएच 39 बीवाई, यूके	मैसर्स केयर्न इंडिया लिमिटेड (नई कंपनी)	सर्वेक्षण, संभावी, खुदाई तथा खोज, अधिग्रहण, विकास, उत्पादन, रखरखाव, तेल-शोधन, भंडारण, व्यापार, आपूर्ति, परिवहन, विपणन, वितरण, आयात, निर्यात एवं सामान्यत: खनिज, तेल, पेट्रोलियम, गैस तथा संबंधित उप-उत्पाद संबंधी कार्य करना एवं अन्य कार्यकलाप	नहीं दर्शाई गई है	होल्डिंग कंपनी की स्थापना तथा शेयर विनिमय द्वारा शेयरों का हस्तांतरण	अंतर्वाह स्वत: मार्ग के अधीन
11.	मिस्टर स्टेफन पामीयर फ्रेंच नेशनल	मैसर्स एसपीए प्रा.लि. 72, खिड़की विलेज, मालवीय नगर, नई दिल्ली-17	अभिकल्प व विकास से संबद्ध परामर्शदात्री कार्य	नई दिल्ली	फ्रेंच नेशनल को 8500 शेयरों का निर्माण करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन	कोई नया अंतर्वाह नहीं हुआ है
रसायन व पेट्रोरसायन						
12.	मैसर्स मित्सुबीशी केमीकल्स कार्पोरेशन, जापान, मैसर्स मित्सुबीशी कार्पोरेशन जापान मैसर्स सोजिज कार्पोरेशन मैसर्स मरूबेनी कार्पोरेशन जापान मैसर्स टोयटात्सूशो कार्पोरेशन जापान मैसर्स सुमीकिन बूसन कार्पोरेशन जापान	मैसर्स एमसीसीपीटीए इंडिया कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड 22, कमेक स्ट्रीट, ब्लाक सी चतुर्थ तल, कोलकाता-700016	परिशोधित टेरेफ्थालिक एसिड (पीटीए) का विनिर्माण, विपणन, बिक्री व वितरण।	कोलकाता पश्चिम बंगाल	तकनीकी सहयोग लेखे के अंतर्गत स्वत: मार्ग के तहत अनुमत सीमा से अधिक अतिरिक्त निवेश का समावेश और एकमुश्त शुल्क का भुगतान	342.00
औद्योगिक नीति और संवर्धन						
13.	मैसर्स एसर कंप्यूटर इंटरनेशनल लि. सिंगापुर मैसर्स एसर होल्डिंग्स इंक, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड	मैसर्स एसर इंडिया प्रा.लि. प्रथम तल, जोर्ज थंगिया कंप्लेक्स (एक्सटेंशन) 80 फीट रोड इंदिरानगर, बेंगलूर-560075	एसर ब्रांडेड पर्सनल कंप्यूटरों नोट बुक कंप्यूटरों को एसेम्बल करना, नगद दो और ले जाओ आधार पर थोक व्यापार आदि	बंगलूर	विपणन परीक्षण के स्थान पर थोक व्यापार करना जिसके लिए पहले ही अनुमति दे दी गई है।	कोई नया अंतर्वाह नहीं हुआ है

1	2	3	4	5	6	7
दूरसंचार						
14.	मैसर्स हचिसन टेलीकाम (इंडिया) लि. मारीशस	मैसर्स हचिसन इस्सार सेल्यूलर लि.	सेल्यूलर मोबाइल टेलीकोम सर्विसेज	उल्लेख नहीं किया गया है	वर्ष 2005 के प्रैस नोट 5 के अनुसार, कंपनी में एचईएल के जरिये अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी सहभागिता का ध्यान रखना	कोई नया अंतर्वाह नहीं हुआ है
15.	मैसर्स हचिसन टेलीकाम (इंडिया) लि. मारीशस	मैसर्स हचिसन इस्सार मोबाइल सर्विसेज	सेल्यूलर मोबाइल टेलीकोम सर्विसेज	उल्लेख नहीं किया गया है	वर्ष 2005 के प्रैस नोट 5 के अनुसार, कंपनी में एचईएल के जरिये अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी सहभागिता का ध्यान रखना	कोई नया अंतर्वाह नहीं हुआ है
16.	मैसर्स हचिसन टेलीकाम (इंडिया) लि. मारीशस	मैसर्स हचिसन इस्सार साउथ लि.	सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं	उल्लेख नहीं किया गया है	वर्ष 2005 के प्रैस नोट 5 के अनुसार, कंपनी में एचईएल के जरिये अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी भागीदारी पर विचार करना	कोई नया अंतर्वाह नहीं हुआ है
17.	मैसर्स हचिसन टेलीकाम (इंडिया) लि. मारीशस	मैसर्स हचिसन इस्सार ईस्ट लि.	सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं	उल्लेख नहीं किया गया है	वर्ष 2005 के प्रैस नोट 5 के अनुसार, कंपनी में एचईएल के जरिये अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी भागीदारी पर विचार करना	कोई नया अंतर्वाह नहीं हुआ है
18.	मैसर्स हचिसन टेलीकाम (इंडिया) लि. मारीशस	मैसर्स एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि.	सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं	उल्लेख नहीं किया गया है	वर्ष 2005 के प्रैस नोट 5 के अनुसार, कंपनी में एचईएल के जरिये अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी भागीदारी पर विचार करना	कोई नया अंतर्वाह नहीं हुआ है
19.	मैसर्स हचिसन टेलीकाम (इंडिया) लि. मारीशस	मैसर्स फास्कल लि.	सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं	उल्लेख नहीं किया गया है	वर्ष 2005 के प्रैस नोट 5 के अनुसार, कंपनी में एचईएल के जरिये अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी भागीदारी पर विचार करना	कोई नया अंतर्वाह नहीं हुआ है

1	2	3	4	5	6	7
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस						
20.	मै. बी.जी. एनर्जी होल्डिंग्स लि. 100, थेम्स वैली पार्क ड्राइव, रीडिंग, बर्कशायर आर जी 6 1पीटी यूनाइटेड किंगडम	नया डब्ल्यूओएस	गैस वितरण और पारेषण संबंधी ढांचागत सुविधाएं, घरेलू व्यावसायिक और औद्योगिक ग्राहकों को पाइप्ड नेचुरल गैस एवं प्राकृतिक गैस वाहन वाले ग्राहकों को काम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का वितरण, आपूर्ति एवं बिक्री	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य में गैस वितरण व पारेषण संबंधी ढांचागत सुविधाओं का विकास कार्य शुरू करने हेतु एक डब्ल्यूओएस की स्थापना करना	135.00
21.	मै. बी.जी. एनर्जी होल्डिंग्स लि. 100, थेम्स वैली पार्क ड्राइव, रीडिंग, बर्कशायर आर जी 6 1पीटी यूनाइटेड किंगडम	नया डब्ल्यूओएस	गैस वितरण और पारेषण संबंधी ढांचागत सुविधाएं, घरेलू व्यावसायिक और औद्योगिक ग्राहकों को पाइप्ड नेचुरल गैस एवं प्राकृतिक गैस वाहन वाले ग्राहकों को काम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का वितरण, आपूर्ति एवं बिक्री	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य में गैस वितरण व पारेषण संबंधी ढांचागत सुविधाओं का विकास कार्य शुरू करने हेतु एक डब्ल्यूओएस की स्थापना करना	135.00
22.	मै. बी.जी. एनर्जी होल्डिंग्स लि. 100, थेम्स वैली पार्क ड्राइव, रीडिंग, बर्कशायर आर जी 6 1पीटी यूनाइटेड किंगडम	नया डब्ल्यूओएस	गैस वितरण और पारेषण संबंधी ढांचागत सुविधाएं, घरेलू व्यावसायिक और औद्योगिक ग्राहकों को पाइप्ड नेचुरल गैस एवं प्राकृतिक गैस वाहन वाले ग्राहकों को काम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का वितरण, आपूर्ति एवं बिक्री	तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में गैस वितरण व पारेषण संबंधी ढांचागत सुविधाओं का विकास कार्य शुरू करने हेतु एक डब्ल्यूओएस की स्थापना करना	135.00

1	2	3	4	5	6	7
शहरी विकास						
23.	मै. बेनियास इंटरनेशनल प्रा.लि. चौथा तल, केन ली बिल्डिंग ऐडिथ केवल स्ट्रीट, पोर्ट लुई, मारीशस	मै. लानार्थ डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 8, शिंब बिल्डिंग 432, लेमिंगटन रोड मुम्बई-4	रीयल एस्टेट का विकास	कोचीन	अधिमान शेयरों की विमोचन अवधि की शर्तों को संशोधित कर 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करना	कोई नया अंतर्वाह नहीं
24.	मै. इन्फो टीईपी इंक. 2340 मिशन कालेज बीएलवीडी नं. 290, सान्ता क्लेरा, सीए 95054 यूएसए	मैसर्स एमआईसी इलेक्ट्रोनिक्स लि. इलेक्ट्रोनिक काम्पलेक्स हैदराबाद-500 062	इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले प्रणालियों का विनिर्माण, वायरलाइन और वायरलेस संचार हेतु दूरसंचार उत्पादों का डिजाइन व विकास तथा दूरसंचार साफ्टवेयर एवं आईटी सेवाओं का विकास	हैदराबाद	शेयर विनिमय के जरिये शेयरों का हस्तांतरण	कोई नया अंतर्वाह नहीं हुआ है
25.	मै. इदेमित्सु कोसान कं. लि. 1-1, मारूनाची 3-कोम चियोदा-कू, टोकियो, जापान	नया डब्ल्यूओएस	इदेमित्सु लाइसेंसयुक्त उत्पादों के विनिर्माण और विपणन के संबंध में केवल सविता को तकनीकी जानकारी और व्यापार चिन्ह का उप-लाइसेंस देना -इदेमित्सु लाइसेंसयुक्त उत्पादों के विनिर्माण और विपणन के संबंध केवल सविता से तकनीकी जानकारी और व्यापार चिन्ह का उप-लाइसेंस देने के लिए रायल्टी प्राप्त करना -केवल सविता से फैक्टरी फिल जेन्वीइन उत्पाद खरीदना जिनका बिल सहायक कंपनी	बताया नहीं गया है	एक डब्ल्यू ओ एस की स्थापना करना। प्रस्ताव पर प्रेस नोट 1 (2005 श्रृंखला) लागू होता है	2.025

1	2	3	4	5	6	7
			द्वारा भू-क्षेत्र में इदेमित्सु ग्लोबल कस्टमर्स को दिया जाएगा; -यदि सविता और सहायक कंपनी दोनों द्वारा व्यवहार्य पाया जाता है, तो केवल इदेमित्सु ग्रुप और/अथवा इसके अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं से ही आयात करना; तैयार बेन्वीहन उत्पादन और गैर-मिश्रण योग्य उत्पाद जो सविता द्वारा न बनाये जाते हों और -स्वामित्व वाले मिलाये जाने वाले पदार्थ			
पर्यटन						
26.	मै. नेविगेट मारीशस लिमिटेड 608, सेन्ट जेम्स कोर्ट, सेंट डेनिस स्ट्रीट, पोर्ट लुई, मारीशस	मै. रेस्टोरेन्ट्स ब्रांड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ए-15, द्वितीय तल हौज खास, नई दिल्ली	होटल और रेस्टोरेन्ट कारोबार	नई दिल्ली	आपरेटिंग कंपनी से स्टेट्स को बदलकर होल्डिंग-कम-आपरेटिंग कंपनी में बदलना	कोई नया अंतर्वाह नहीं हुआ है

प्राथमिक विद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र

939. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों की संख्या का पता लगाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के पीछे क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) देश में राज्यवार सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय कितने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डी.आई.एस.ई. डाटा 2004-05 के अनुसार सरकारी तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्कूल			उच्च प्राथमिक स्कूल		
		सरकारी	सहायता प्राप्त	कुल	सरकारी	सहायता प्राप्त	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	261	2	263	118	2	120
2.	आंध्र प्रदेश	66763	2704	69467	21587	1260	22847
3.	अरुणाचल प्रदेश	2805	43	2848	656	29	685
4.	असम	28909	57	28966	7263	1596	8859
5.	बिहार	51194	422	51616	15802	433	16235
6.	चंडीगढ़	104	6	110	82	7	89
7.	छत्तीसगढ़	31987	495	32482	11049	303	11352
8.	दादरा और नगर हवेली	191	12	203	77	5	82
9.	दमन और दीव	32	3	35	19	4	23
10.	दिल्ली	2378	213	2591	1032	238	1270
11.	गुजरात	32174	584	32758	20959	661	21620
12.	हरियाणा	9204	60	9264	4135	62	4197
13.	हिमाचल प्रदेश	10626	29	10655	3759	44	3803
14.	जम्मू-कश्मीर	1561	24	1585	5371	21	5392
15.	झारखंड	34756	237	34993	8463	157	8620
16.	कर्नाटक	43814	2295	46109	19848	2188	22036
17.	केरल	2825	3948	6773	1419	2146	3565
18.	लक्षद्वीप	26	0	26	17	0	17
19.	मध्य प्रदेश	70057	1626	71683	25380	1010	26390
20.	महाराष्ट्र	56303	5248	61551	21993	11425	33418
21.	मणिपुर	2934	289	3223	572	155	727
22.	मेघालय	3541	2637	6178	476	1118	1594
23.	मिजोरम	1262	52	1314	757	90	847

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	नागालैंड	1478	0	1478	425	0	425
25.	उड़ीसा	43753	292	44045	14461	605	15066
26.	पांडिचेरी	331	30	361	162	26	188
27.	पंजाब	13062	438	13500	5135	368	5503
28.	राजस्थान	53168	714	53882	21831	552	22383
29.	सिक्किम	833	37	870	285	13	298
30.	तमिलनाडु	32859	7526	40385	10320	3454	13774
31.	त्रिपुरा	3362	42	3404	1582	43	1625
32.	उत्तर प्रदेश	96775	3432	100207	26148	3817	29965
33.	उत्तरांचल	11964	232	12196	3724	348	4072
34.	पश्चिम बंगाल	49661	336	49997	3113	6199	9312
	समग्र	760953	34065	795018	258020	38379	296399

जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली, 2004-05 के आधार पर

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सिफारिशों का क्रियान्वयन

940. **श्री जोवाकिम बखला:** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई विपणन रणनीति को सुदृढ़ बनाने संबंधी सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी निवेश वाली व्यापार इकाइयां घाटे में चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित न करने वाले खादी एवं ग्रामोद्योग के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कार्यक्रमों/योजनाओं के नवीनीकरण हेतु उपाय सुझाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ खादी एवं ग्रामीण उद्योग उत्पादनों के लिए विपणन रणनीति को सुदृढ़ करने की सिफारिश की है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है और इन सिफारिशों के अनुपालन में केवीआईसी ने घरेलू विपणन के साथ-साथ केवीआई उत्पादनों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं।

(ग) अपने सांविधिक कार्यों को पूरा करने के दौरान, केवीआईसी खादी एवं ग्रामीण उद्योग (केवीआई) संस्थानों को केवीआईसी के स्वामित्व एवं उसके द्वारा चलाये जा रहे कुछ बिक्री निर्गम केन्द्रों के माध्यम से अपने उत्पादनों के विपणन में सहायता दी जाती है। इन निर्गम केन्द्रों में से कुछ केन्द्र मुख्यतः पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित किए जाने पर कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले वेतन एवं भत्तों के रूप में भारी स्थापना व्यय के कारण हानि में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी के क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत केवीआई संस्थानों के 7050 बिक्री निर्गम केन्द्र हैं और उनमें से अधिकांश बिना हानि उठाए चल रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प योजनाओं की समीक्षा

941. **श्री वी.के. ठुम्मरः**
श्री हरिकेवल प्रसादः
श्री जीवाभाई ए. पटेलः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात में चलाई जा रही हस्तशिल्प की योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में क्या खामियां आई हैं;

(ग) क्या सरकारी अधिकारियों की भूमिका के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। इस कार्यालय की स्कीमें राज्य विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि ये केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं जो गुजरात राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं। परिकल्पित उद्देश्यों के संबंध में स्कीम में कोई खामियां ध्यान में नहीं आई हैं। तथापि, कारगरता में सुधार लाने तथा स्कीमों के विस्तार के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) सरकारी अधिकारियों की भूमिका के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप हस्तशिल्प स्कीमों की समीक्षा करनी पड़े। तथापि, सरकारी अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं बरतने के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिनका नियमानुसार निपटारा कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

आठवीं अनुसूची में भाषाएं

942. **श्री जी. करूणाकर रेड्डीः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से कोडावा भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अन्य सरकारी संस्थाओं से भी संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी भाषाओं के राज्यवार नाम क्या हैं; और

(ङ) इन भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) जी, हां। सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची में कोडावा सहित विभिन्न भाषाओं को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों/मुख्य मंत्रियों से मांग प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:-

	भाषा का नाम	राज्य सरकार
(1)	भोजपुरी	बिहार
(2)	छत्तीसगढ़ी	छत्तीसगढ़
(3)	भूटिया, लेपचा एवं लिम्बू	सिक्किम
(4)	कोडावा एवं टुलु	कर्नाटक
(5)	मिजो	मिजोरम
(6)	राजस्थानी	राजस्थान
(7)	तेनईडी	नागालैंड

(ङ) आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए एक निश्चित मानदंड तैयार करने हेतु श्री सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और कतिपय सिफारिशें की हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों और इस पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए आठवीं अनुसूची में इन भाषाओं को शामिल करने की मांगों पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

ईपीजेड, एसईजेड, एफटीजेड और कृषि निर्यात क्षेत्रों का स्थानवार ब्यौरा

943. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उड़ीसा में कार्य कर रहे निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, विदेशी व्यापार क्षेत्रों और कृषि निर्यात क्षेत्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्रों द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र अपने लक्ष्य के अनुसार कार्य करने में असफल रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) उड़ीसा में कोई निर्यात संसाधन जोन अथवा विशेष आर्थिक जोन कार्य नहीं कर रहा है। उड़ीसा में जैविक अदरक और हल्दी से संबंधित केवल एक कृषि निर्यात जोन (एईजेड) कार्य कर रहा है जिसमें कंधमाल एवं कोडापुट जिलों को शामिल किया गया है।

(ख) 10457 महिलाओं सहित 11,457 कृषकों को मुख्य रूप से जैविक खेती और कीट खाद में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कंधमाल के हल्दी उत्पादक क्षेत्रों में 901 कीट-खाद प्रदर्शन इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, कोटागढ़ फार्म में 12 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करके हल्दी के बीज गुणन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ग) से (ङ) एईजेड के संबंध में पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुमानित निर्यातों और वास्तविक निर्यातों के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। एपीडा द्वारा एईजेड के संबंध में समय-समय पर सर्वेक्षण/निरीक्षण किए जाते हैं।

विवरण

(लाख रु. में)

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06
अनुमानित निर्यात	501.00	549.00	602.00
वास्तविक निर्यात	51.40	51.45	51.76

गुजरात में कुटीर उद्योग

944. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात का कुटीर उद्योग दयनीय स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन कदमों से कितनी सफलता मिली है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) गुजरात सहित देश में स्थित कुटीर उद्योग कई कारणों जैसे, कमजोर वित्तीय आधार और उद्यमियों के प्रबंधकीय कौशल, अपर्याप्त ऋण उपलब्धता, खरीदारों द्वारा विलंबित भुगतान, आदि के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए, सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) अपनी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, यानि, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत भावी उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है जो सरकार द्वारा खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआसी) के माध्यम से गुजरात के पिछड़े इलाकों सहित देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों तथा 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे शहरों में कार्यान्वित की जा रही है। गुजरात राज्य में आरईजीपी के तहत (31 मार्च, 2006 तक) पात्र लाभार्थियों द्वारा 1990 इकाइयां स्थापित की गई हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में स्थापित इकाइयों तथा सृजित अतिरिक्त रोजगार अवसरों के संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	इकाइयों की संख्या	रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1.	2003-04	290	2236
2.	2004-05	376	8581
3.	2005-06	516	17947

[अनुवाद]

कर्नाटक में वस्त्र इकाइयां

945. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में वस्त्र इकाइयां अर्थात् विद्युतकरघा, हथकरघा, सिंथेटिक यार्न, सिले-सिलाए परिधान और हौजरी वस्तुओं का निर्माण करने वाली पृथक-पृथक कितनी इकाइयां हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन इकाइयों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इन इकाइयों में विनिर्मित फैब्रिक्स के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) कर्नाटक राज्य में विद्युतकरघा, हथकरघा, सिंथेटिक यार्न और सिले-सिलाए परिधान एवं हौजरी एककों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है:

विद्युतकरघा	हथकरघा	सिंथेटिक यार्न	सिलेसिलाए परिधान एवं हौजरी
81,869	50741	शून्य	614

(ख) वस्त्र क्षेत्र में अधिकतर क्रियाकलाप विकेन्द्रीकृत हैं। सरकार इन एककों पर सीधे ही निधियां खर्च नहीं करती है। तथापि, उन विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं जो राज्य विशिष्ट भी नहीं हैं। यह प्राप्त प्रस्तावों की अर्थक्षमता के आधार पर होता है। कर्नाटक राज्य में जिन कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत निधियां जारी की गई हैं वे निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	स्वीकृत			संवितरित	
	आवेदनों की संख्या	परियोजना लागत	राशि	आवेदनों की सं.	राशि
प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	181	1889.29	1412.35	144	411.44

(लाख रुपए में)

योजना का नाम	2004-05		2005-06		2006-07 (आज की तिथि के अनुसार)	
	एककों की संख्या	जारी की गई राशि	एककों की संख्या	जारी की गई राशि	एककों की संख्या	जारी की गई राशि
विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा एककों के लिए 20% सीएलसीएस के अंतर्गत राजसहायता	1	1.15	1	0.94	5	10.11
विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना (बीमा के लिए प्रीमियम का सरकार का हिस्सा एलआईसी को जारी कर दिया है)	-	15.80	-	13.39	-	9.96

(लाख रुपए में)

योजना का नाम	2004-05 जारी की गई राशि	2005-06 जारी की गई राशि	2006-07 (15.11.2006 तक) जारी की गई राशि
हथकरघा क्षेत्र में विभिन्न योजना स्कीमों के तहत जारी निधियां	472.18	1140.59	62.15

(ग) सरकार ने वस्त्र निर्यात के संवर्द्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) निवेश आकर्षित करने एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया;

(2) वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई;

(3) वस्त्र उद्योग के विद्युतकरघा क्षेत्र में आधुनिकीकरण की गति तेज करने के लिए विशेषीकृत मशीनरी के लिए 20 लाख रुपए की सीमा के अध्यधीन 100 लाख रुपए तक निवेश पर पूंजी सहायता उपलब्ध है;

(4) वूवन सिलेसिलाए परिधानों को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया गया है;

(5) दो योजनाओं अर्थात् निर्यात के लिए "अपैरल पार्क योजना" (एपीईएस) और "वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना" (टीसीडीआईएस) का विलय कर "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी) शुरू की गई;

(6) कपास फसल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया;

(7) निर्यात योग्य उत्पादों का विकास करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने तथा प्रचार के लिए पात्र एजेंसियों को हथकरघा निर्यात योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बाल्को की स्थिति

946. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाल्को में सरकार की हिस्सेदारी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बाल्को में अपनी बची हुई हिस्सेदारी को बेचने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बाल्को में कार्य कर रहे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) बालको में सरकार की वर्तमान साझेदारी (स्टेक) 49% है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर के बीच हस्ताक्षरित शेयर होल्डर एग्रीमेंट (एस एच ए) में पंचाट (आर्बिट्रेशन) के खण्ड में व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत विवाद को पंचाट को भेजने से पूर्व बातचीत तथा समझौता करना पहला कदम है। सरकार ने मै. स्टर्लाइट इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, स्ट्रेटेजिक पार्टनर (एल पी) के साथ बातचीत/समझौता करने के लिए सचिव, विधायी कार्य विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है और सचिव, विनिवेश विभाग तथा सचिव, खान मंत्रालय इसके सदस्य हैं।

(घ) 2001 में हस्ताक्षरित एस एच ए में यह प्रावधान किया गया था कि, लागू स्टाफ विनियमों तथा कंपनी के स्थायी आदेशों अथवा लागू कानून के अनुसार कर्मचारियों की बरखास्तगी अथवा सेवासमाप्ति से भिन्न, कंपनी के बंद होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के श्रमिकबल के किसी भी भाग की छटनी नहीं की जाए। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में किसी प्रकार की कटौती की दशा में एस एच ए में ऐसी शर्तों पर, जो कंपनी द्वारा प्रस्तावित स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना से किसी भी तरह के कम अनुकूल नहीं हों, स्वैच्छा सेवानिवृत्ति के विकल्प का प्रावधान भी किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा कार्यक्रम

947. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार और अन्य उत्तरपूर्वी राज्यों ने केंद्र सरकार से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधि में भागीदारिता के विद्यमान मानदंडों को जारी रखने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान निधि में भागीदारिता संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है और इन राज्य सरकारों द्वारा किये गये अनुरोध का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) दसवीं योजनावधि के लिए सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र-राज्य निधियन पद्धति 75:25 के अनुपात में है। सर्व शिक्षा अभियान में 90:10 की निधियन पद्धति के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए संबंधित पूर्वोत्तर राज्य सरकारों को सर्व शिक्षा अभियान हेतु निधियों की आवश्यकताओं का 15% पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय द्वारा संचालित संसाधनों के असमाप्य केंद्रीय पूल से पूरा किया जाएगा।

पूर्वोत्तर राज्यों ने पुन: यह अनुरोध किया है कि सर्व शिक्षा अभियान की निधियन पद्धति को ग्यारहवीं योजनावधि में भी 90:10 के अनुपात में रखा जाए। केंद्र प्रायोज़ित योजनाओं में निधियों की हिस्सेदारी संबंधी संरचनाओं का निर्धारण भारत के योजना आयोग द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

राजस्थान में वस्त्र उद्योग

948. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में वर्तमान में कितनी किस्म के और कितनी मात्रा में वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है और वस्त्रों का उत्पादन करने वाले स्थानों के क्या नाम हैं;

(ख) सरकार द्वारा राजस्थान में अभी तक निजी और सहकारी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वस्त्र उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए पृथक-पृथक क्या पहल की गई है;

(ग) क्या राजस्थान में टेक्सटाइल पार्क स्कीम को भी क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) इस समय राजस्थान में उत्पादित किये जा रहे वस्त्रों की किस्मों और उनकी तदनुरूपी मात्रा तथा उनके स्थान ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) राजस्थान राज्य सहित देश में वस्त्र उद्योग के संवर्धन के लिए हाल ही में सरकार द्वारा किये गये उपाय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) उद्योग को विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी ताकि वे अपने वस्त्र एककों की स्थापना कर सकें। एसआईटीपी के तहत राजस्थान राज्य में दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उनके ब्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं:-

परियोजना/स्थान का नाम	आकलित परियोजना लागत (अवसंरचना घटक) (करोड़ रु. में)	भारत सरकार का आकलित सहायता (करोड़ रु. में)
जयपुर टेक्सवेविंग पार्क लि., सिलौरा, किशनगढ़, राजस्थान	96.81	38.72
किशनगढ़ हाई-टेक टेक्सटाइल पार्क लि., सिलौरा, किशनगढ़, राजस्थान	115.09	40.00

विवरण I

राजस्थान राज्य में मिल क्षेत्र द्वारा 2005-06 के दौरान कपास मदों की स्थान-वार किस्में

(वर्ग मी. में)

स्थान	उत्पादित किस्म	मात्रा
नेमराना अलवर, इंडस्ट्रीयल एरिया बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर	ड्रिल्स, गेबरडायन्स एवं कार्डुरायस	2924301
नेमराना अलवर	सेटिनस, कोटिंग, सूटिंग	2871678
श्रीगंगानगर	डेनिम्स	29462
श्रीगंगानगर	दोसूती/डेढ़सूती	841958
नेमराना अलवर पाली-मारवाड़, पाली	शर्टिंग और सुसीज	466975
नेमराना अलवर, पाली-मारवाड़, पाली	अन्य पहनने योग्य	2951905
श्रीगंगानगर	मल्स, वोयालस, डोरियास एंड प्रिंटेड वोयाल्स	81727
नेमराना अलवर, पाली-मारवाड़, पाली, श्रीगंगानगर	पापलिन, क्रेप्स, टविल्स, चिंट्ज एवं सेल्लुलर	11753496
हमीरगढ़, भिलवाड़ा, पाली-मारवाड़, पाली, श्रीगंगानगर	पूरी चौड़ाई में लम्बे कपड़े, शिटींग एवं 54" चौड़ाई से कम मार्किंग	4738793
पाली-मारवाड़, पाली, श्रीगंगानगर	बेडशीट, चादर, शिटिंग्स एवं 54" चौड़ाई से कम मार्किंग	3527771
श्रीगंगानगर	टेपस्ट्रे कर्टेन एवं फर्निशिंग	45612
श्रीगंगानगर	फिल्टर, लिंट और पालिसिंग क्लाथ	448091
नेमराना अलवर, श्रीगंगानगर	कैनवास एवं डक्स	7293313
	समग्र कुल	37975082

वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्थान राज्य में स्पन यार्न का उत्पादन (अनंतिम)

(हजार कि.ग्रा.)

कपास	मिश्रित	100% गैर-कपास	कुल
90529	136075	37950	264554

मिल क्षेत्र द्वारा 2005-06 के दौरान स्थिति-वार मिश्रित मदों की किस्में

(वर्ग मी. में)

स्थिति	उत्पादित किस्म	मात्रा
पाली-मारवाड़, पाली	मल्स, वोयालस, डोरियास एंड प्रिंटेंड वोयाल्स	414304
नेमराना अलवर	पापलिन, क्रेप्स, टविल्स, चिंट्ज एंड सेल्लुर	12C4884
नेमराना अलवर	पूरी चौड़ाई में लम्बे कपड़े, शिर्टींग एवं 54'' चौड़ाई से कम मार्किंग	9910
नेमराना अलवर, इंडस्ट्रीयल एरिया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, लोढ्ढा, पाली-मारवाड़, पाली	शर्टिंग और सुसीज	4281571
नेमराना अलवर, इंडस्ट्रीयल एरिया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, लोढ्ढा	ड्रिल्स, गेबरडायन्स एवं कार्डुरायस	13373460
नेमराना अलवर, बांसवाड़ा, लोढ्ढा	सैटिनस, कोटिंग, सूटिंग	13133989
नेमराना अलवर	कैनवास एवं डक्स	441809
	समग्र कुल	31230829

मिल क्षेत्र द्वारा 2005-06 के दौरान स्थिति-वार उत्पादित 100% गैर-कपास मदों की किस्में

(वर्ग मी. में)

स्थिति	उत्पादित किस्म	मात्रा
हमीरगढ़, भीलवाड़ा	पूरी चौड़ाई में लम्बे कपड़े, शिर्टींग एवं 54'' चौड़ाई से कम मार्किंग	351283
इंडस्ट्रीयल एरिया, बांसवाड़ा	मेडापालम, कैमब्रिक, लाउन्स	4638
इंडस्ट्रीयल एरिया, बांसवाड़ा	ड्रिल्स, गेबरडायन्स एवं कार्डुरायस	5761
इंडस्ट्रीयल एरिया, बांसवाड़ा	अन्य पहनने योग्य	393
	समग्र कुल	362075

विवरण II

वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए हाल ही में विगत में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

(1) प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।

(2) संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से

निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

(3) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(4) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित ''एकीकृत वस्त्र पार्क योजना'' (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई है।

(5) बजट 2004-05 में, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06 में, 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(6) कोटा पश्चात् व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 में दर्शायी गयी 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) है। 5% का रिआयती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

(7) बजट 2005-06 में निटिंग एवं निटवियर की 30 मदें अनारक्षित कर दी गई हैं इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार की आधुनिकीकृत एककों की स्थापना करना सुकर होगा।

(8) बजट 2006-07 में वस्त्र क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:-

* सभी मानवनिर्मित फाइबर यार्न और फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% करना।
* सभी मानवनिर्मित फाइबर और यार्न पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
* डीएमटी, पीटीए और एमईजी जैसी कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
* एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के लिए 2006-07 के दौरान 189 करोड़ रुपए का प्रावधान।

(9) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

(10) निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (एटीडीसी) को सुदृढ़ बनाने तथा नए एटीडीसी खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(11) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(12) सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(13) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

(14) विश्व अर्थव्यवस्थाओं के खुल जाने से बदलते हुए व्यापार परिवेश में फैशन शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सरकार निम्नलिखित के लिए कदम उठा रही है:-

- अंतर्राष्ट्रीय निर्धारणों से युक्त फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थान की स्थापना।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा के मानकीकरण और निर्धारण के लिए एक प्रमुख एजेंसी की नियुक्ति।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शीर्ष इकाई की स्थापना।

[अनुवाद]

हीरा प्रसंस्करण उद्योग

949. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार अनुमानत: कितने हीरा प्रसंस्करण उद्योग हैं;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में इस वर्ष हुई भारी वर्षा और बाढ़ के कारण अनेक हीरा प्रसंस्करण उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है और कई बह गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारी नुकसान उठाने वाले उन उद्योगों को कोई सहायता प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में 9,500 हीरा प्रसंस्करण इकाइयां हैं जो गुजरात के मुख्यत: सूरत, अहमदाबाद-पालनपुर क्षेत्र और भावनगर-राजकोट क्षेत्र में स्थित हैं।

(ख) और (ग) हाल में आई बाढ़ से सूरत की रत्न एवं आभूषण इकाइयां प्रभावित हुई हैं।

(घ) से (च) सूरत की बाढ़ प्रभावित रत्न एवं आभूषण इकाइयों की सहायता हेतु एक राहत पैकेज भारत सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग संबंधी समिति

950. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस आयोग संबंधी कार्यकारी समिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उन विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर इस समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया है जैसाकि 6 नवम्बर, 2006 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में घटित हुए सभी आपराधिक वारदातों का डाटा बैंक स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार देश में पुलिस को एक आधुनिक सक्षम और जिम्मेदार संगठन के रूप में परिवर्तित करने में कहां तक समर्थ हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय पुलिस मिशन हेतु गठित अधिकार प्राप्त संचालन ग्रुप और कार्यकारिणी समिति की संयुक्त बैठक मिशन के लक्ष्यों, उद्देश्यों, संरचना और कार्यान्वयन विधि तैयार करने के लिए 3 नवम्बर, 2006 को आयोजित की गई थी।

(ग) और (घ) अपराध आपराधिक सूचना प्रणाली (सीसीआईएस) के अंतर्गत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर सभी अपराधों और अपराधियों का डाटा बैंक राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा अनुरक्षित किया जाता है।

(ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस के राज्य का विषय होने के कारण मुख्यत: राज्य सरकारों को ही पुलिस सुधारों हेतु विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करना होता है। तथापि, केन्द्र सरकार पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने और उनका सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को विभिन्न रूपों में सहायता प्रदान करती रही है।

विदेशियों को 'मल्टीपल एन्ट्री' वीजा सुविधा

951. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मल्टीपल एन्ट्री वीजा सुविधा के साथ दीर्घावधि वीजा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'मल्टीपल एन्ट्री' सुविधा के साथ दीर्घावधि वीजा से विदेशी पर्यटकों के लिए यात्रा प्रक्रिया सरल हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, हां।

(ख) फ्रांस, जर्मनी, लक्सम्बर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम, फिनलैंड, स्पेन, स्विटजरलैंड, नार्वे, आईसलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, मेक्सिको और वियतनाम के राष्ट्रिकों को ''प्रत्येक दौरे पर निरन्तर 90 दिन से अधिक न ठहरने'' की शर्त पर बहु प्रवेश सुविधाओं के साथ पांच वर्ष की वैधता सहित दीर्घकालीन पर्यटन वीसा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) उल्लिखित देशों के विदेशी राष्ट्रिकों को दीर्घकालीन वीसा, यात्रा प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल बनाएगा तथा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सहायता प्रदान करेगा।

[हिन्दी]

आलू का निर्यात

952. **श्री अविनाश राय खन्ना:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान आलू के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या किसानों को आलू के लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आलू के निर्यात हेतु एक स्थायी नीति बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) आलू के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) भारी फसल होने की स्थिति में कम कीमत पर बिक्री, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें लाभकारी स्तर अथवा उत्पादन लागत से कम हो जाती हैं, से उपजकर्ताओं की सुरक्षा करने हेतु कृषि एवं बागवानी वस्तुओं की खरीद करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा एक बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत बाजार हस्तक्षेप राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के कहने पर किया जाता है। एमआईएस के तहत आलू की खरीद हेतु किसी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) आलू के लिए एक पृथक निर्यात नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा बाजार विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन हेतु निर्यातकों को अपनी स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि आलू सहित कृषि उपज के निर्यात को सुकर बनाया जा सके। इस दिशा में उठाए गए अन्य कदमों में कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करना, आलू के निर्यात संवर्धन हेतु विदेशों में संवर्धनात्मक अभियान चलाना एवं क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना शामिल है।

मुस्लिम समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना

953. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री पी. करुणाकरन:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का आकलन करने के लिए नियुक्त की गई सच्चर समिति ने इस बात का खुलासा किया है कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में मुस्लिमों की स्थिति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से भी बदतर है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सच्चर समिति की रिपोर्ट और गोपाल सिंह समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर मुस्लिमों के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु दिशा-निर्देश

954. **श्री प्रबोध पाण्डाः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने कार्यकलाप सूचीबद्ध किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) किसी विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) में किए जाने वाले अधिकृत प्रचालनों को अनुमोदित करते समय अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकृत प्रचालनों की सूची दिनांक 27.10.2006 को अधिसूचित की गयी है। एसईजेड के विभिन्न वर्गों में अधिकृत प्रचालनों की सूची का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आईटी/आईटीईएस, जैव-प्रौद्योगिकी और रत्न एवं आभूषण विशेष आर्थिक जोन के लिए अधिकृत कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

पथ प्रकाश सहित सड़कें, जल अभिक्रिया प्रणाली सहित जल आपूर्ति प्रणाली, सीवेज अभिक्रिया सहित सीवेज एवं कूड़ा निपटान, आवश्यक उप-केन्द्रों सहित विद्युत, गैस एवं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क; सुरक्षा एवं संबद्ध कार्यालय, निस्सारण अभिक्रिया संयंत्र, पाइप लाइन एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं, कार्यालय स्थान; पार्किंग सुविधाएं; दूरसंचार एवं अन्य संचार सुविधाएं; वर्षा जल संचयन संयंत्र; अनुषंगी सुविधाओं सहित विद्युत; वातानुकूलन; तरण ताल; अग्नि सुरक्षा प्रणालियां; मनोरंजन सुविधाएं; आटोमेटिड टेलर मशीन, शिशु गृह, चिकित्सा केन्द्र सहित कर्मचारी कल्याण सुविधाएं; शापिंग आर्केड और/अथवा खुदरा स्थान; व्यावसायिक और/अथवा सम्मेलन केन्द्र; अंतर-संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र; आवास और/अथवा सेवा अपार्टमेंट; खेल का मैदान; बस बे; कैफेटरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, काफी दूकान, कैन्टीन एवं खान पान सुविधाओं सहित खाद्य सेवाएं, भू-दृश्य निर्माण एवं जल निकाय; क्लीनिक एवं चिकित्सा केन्द्र; वाई फाई और/अथवा वाई मैक्स सेवाएं; और ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां।

उपर्युक्त कार्यकलापों के अलावा, बहु-उत्पाद एवं क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोनों में निम्नलिखित प्रचालनों की अनुमति है:-

स्कूल/तकनीकी शिक्षा; होटल, अस्पताल; रेल हैड और पहुंच नियंत्रण एवं निगरानी प्रणालियां।

इसके इलावा, बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोनों में अतिरिक्त अधिकृत कार्यकलाप हैं:-

पत्तन, हवाई अड्डा और/अथवा हवाई कार्गो कम्प्लैक्स, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो एवं बैंक।

नक्सलवाद

955. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री रवि प्रकाश वर्माः
श्री हेमलाल मुर्मूः
श्री विजय कुमार खंडेलवालः
श्री जुएल ओरामः
श्री मोहन सिंहः
सरदार सुखदेव सिंह लिब्राः
श्री इकबाल अहमद सरडगीः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीरावः
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभुः
योगी आदित्यनाथः
श्री शैलेन्द्र कुमारः
श्री पुन्नू लाल मोहलेः
श्री सुखदेव सिंह ढींडसाः
श्री सुबोध मोहितेः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नक्सल प्रभावित राज्यों के कुछ मंत्रियों ने हाल ही में नक्सली समस्या पर केन्द्र सरकार से चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी चर्चा के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2006 के दौरान पता चली नक्सली गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी गतिविधियों में राज्य-वार कितने नागरिक सुरक्षा कार्मिक और नक्सलवादी/माओवादी मारे गए/घायल हुए तथा कितनी संपत्ति को क्षति पहुंची;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में नक्सल प्रभावित राज्यों के विकास और सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नेपाली माओवादी अपने हथियार भारत, विशेषकर उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में छिपा रहे हैं जैसाकि दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य है और देश में नक्सलवादियों/माओवादियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की स्थाई समिति की दूसरी बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 13 अप्रैल, 2006 को हुई थी। बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में नक्सली खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने को उच्चतम प्राथमिकता देना; राज्य द्वारा सुरक्षा और विकास के दोनों मोर्चों पर नक्सली खतरों का मुकाबला करने के लिए अल्पावधिक और दीर्घावधिक दृष्टिकोण और रणनीतियों के साथ राज्य और जिला स्तरों पर विस्तृत लेकिन वास्तविकता पर आधारित कार्ययोजनाएं तैयार/संशोधित और कार्यान्वित किया जाना; राज्यों द्वारा बीडीआई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि आदि के तहत निधियों का उपयोग कर इन योजनाओं में वर्तमान विकासात्मक योजनाओं अप्राप्त निधि संयोजनों, यदि कोई हो, को मिला कर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को उच्च प्राथमिकता दिया जाना और ध्यान केन्द्रित किया जाना शामिल है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर तक नक्सली हिंसा की 1272 घटनायें हुई थी जब कि गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 1361 घटनायें हुई थीं।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान (31 अक्तूबर तक) मारे गए सिविलियनों, सुरक्षा कार्मिकों और नक्सलियों की संख्या और क्षतिग्रस्त संपत्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा कार्मिक	मारे गए नक्सली	क्षतिग्रस्त संपत्ति
आंध्र प्रदेश	33	10	108	62,25,000
झारखंड	71	28	18	80,00,000
छत्तीसगढ़	292	73	52	9,65,43,000
बिहार	34	5	4	7,75,000
महाराष्ट्र	33	2	12	85,11,765
उड़ीसा	4	4	12	2,50,000
उत्तर प्रदेश	4	-	4	-
मध्य प्रदेश	1	-	-	-
पश्चिम बंगाल	9	7	-	10,00,000

(ङ) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचे में महत्वपूर्ण अंतर को भरने के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के संघटक पिछड़ा जिला पहल (बीडीआई) के तहत गत तीन वर्षों में प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

2003-04	- 167.50 करोड़ रुपए
2004-05	- 395.00 करोड़ रुपए
2005-06	- 427.50 करोड़ रुपए

इसके अतिरिक्त, नक्सल प्रभावित चार जिलों, अर्थात् मल्कांगिरी, कोरापुट, रायगढ़ और नवरंगपुर सहित उड़ीसा के आठ जिलों को शामिल करके केबीके जिलों के लिए विशेष योजना हेतु 250 करोड़ रुपए वार्षिक जारी किए गए हैं।

वर्ष 2004-05 से 2006-07 (आज तक) के दौरान एसआरई योजना के तहत नक्सल प्रभावित राज्यों को की जाने वाली प्रतिपूर्ति और जारी की गई अग्रिम राशियां नीचे दी गई हैं:

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2006-07 (जारी की गई अग्रिम राशि)
आंध्र प्रदेश	282.00	1316.03		200.00
झारखंड	341.27	605.85	497.33	200.00
छत्तीसगढ़	200.00	200.14		500.00
बिहार	60.41	434.99		-
महाराष्ट्र	125.55	272.16		200.00
उड़ीसा	65.77	254.60		200.00
उत्तर प्रदेश	-	605.85		-
मध्य प्रदेश	23.52	108.00		100.00
पश्चिम बंगाल	-	227.53		150.00

(च) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

अलकायदा की गतिविधियां

956. श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री सज्जन कुमार:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है कि आतंकवादी संगठन 'अल कायदा' ने देश में अपना आधार मजबूत बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) उपलब्ध जानकारी से देश में अलकायदा की सीधी उपस्थिति की संपुष्टि नहीं होती है। तथापि, पाकिस्तान आधारित आई एस आई प्रायोजित देश में सक्रिय कुछ आतंकवादी गुटों का अल कायदा से संबंध होने की सूचना है।

[अनुवाद]

प्रतिबंधित/सुरक्षित क्षेत्र अनुमति

957. श्री कीरेन रिजीजू: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशियों हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र अनुमति/सुरक्षित क्षेत्र अनुमति में छूट देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देश में ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों के स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, हां। सरकार को, पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में विदेशियों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र अनुमति (आरएपी)/सुरक्षित क्षेत्र अनुमति (पीएपी) में छूट दिए जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) इन प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा प्रतिबंधित/सुरक्षित क्षेत्रों के विस्तार, रद्दोबदल, उसे हटाने इत्यादि से संबंधित, पीएपी/आरएपी क्षेत्रों में दौरा करने की अनुमति में अनुमत दिनों की संख्या में वृद्धि करना/घटाना, अनुमति जारी करने के लिए शक्ति प्राप्त अधिकारियों में कमी/वृद्धि करना, पर्यटक ग्रुप के आकार और पर्यटक की गतिविधियों पर प्रतिबंध इत्यादि शामिल हैं।

(ग) आरएपी/पीएपी क्षेत्रों की अवस्थितियां समय-समय पर यथा संशोधित विदेशियों विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 और विदेशियों विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 में पारिभाषित की गई है। संबंधित राज्य की 'आंतरिक लाइन' (इनर लाइन) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच आने वाले सामान्यतः सभी क्षेत्र पीएपी क्षेत्र हैं। संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तरांचल और सिक्किम के हिस्से पीएपी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। आरएपी क्षेत्रों में संपूर्ण संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और सिक्किम का कुछ हिस्सा आता है।

संकाय सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाना

958. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री मोहन रावले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 70 वर्ष तक पुनः रोजगार के प्रावधान सहित केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में संकाय सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 62 से 65 वर्ष करने के प्रस्ताव की जांच करने हेतु मंत्री समूह का गठन किया है जैसा कि दिनांक 22 सितंबर, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संकाय सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के उपर्युक्त प्रस्ताव से बेरोजगारी की समस्या के जटिल होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए आरक्षण कोटा लागू करके नए संकाय सदस्यों की भर्ती करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विभिन्न संस्थाओं में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए उच्चतर और तकनीकी शिक्षा की केन्द्रीय वित्त-पोषित संस्थाओं में शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) और (च) प्रवेश स्तरों पर संकाय सदस्यों की भर्ती, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है, विश्वविद्यालयों या अन्य संस्थाओं को अभिशासित करने वाले संगत अधिनियमों और सांविधियों तथा आरक्षण नीति के अनुसार की जाती है।

[हिन्दी]

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद

959. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा कितनी निर्यात फर्मों का निरीक्षण किया गया;

(ख) परिषद को कुल कितनी फर्मों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनी फर्मों को काली सूची में डाला गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार काली सूची में डाली गई इन फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) द्वारा 500 निर्यात फर्मों का निरीक्षण किया गया था।

(ख) से (घ) वर्ष 2004-05 के दौरान ईआईसी को 24 निर्यात फर्मों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं। आयातक देशों से जिन निर्यात फर्मों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उन पर ऐसी शिकायतों के निपटान हेतु ईआईसी की प्रक्रिया के तहत यथानिर्धारित कार्रवाई की गई थी जिसमें ईआईसी द्वारा इन फर्मों के कार्यकलापों की कड़ी निगरानी हेतु उन्हें चेतावनी देना, फर्म का खेपवार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) करना, उत्पादन तथा निर्यात को स्थगित करना एवं निर्यातों हेतु दिया गया अनुमोदन वापस ले लेना शामिल है।

अनवरत शिक्षा योजना

960. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनवरत शिक्षा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य को कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई है और शेष धनराशि कब तक स्वीकृत/जारी किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 45 जिलों में सतत शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

(ग) कार्यक्रम के प्रथम परियोजना वर्ष के लिए राज्य के 42 जिलों में 121.70 करोड़ रु. की कुल लागत से सतत शिक्षा कार्यक्रम संस्वीकृत किया गया था जिसमें से अनुदान की पहली किस्त के रूप में 80.43 करोड़ रु. जारी किए गए थे। वित्तीय संस्वीकृति के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान की पहली किस्त के लिए लेखाओं के अंतिम निपटान तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने के बाद ही अनुदान की अगली किस्त जारी की जा सकती है।

[अनुवाद]

आई एस आई - लिट्टे का आतंकवादी एजेंडा

961. श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री दलपति सिंह परस्ते:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आई एस आई द्वारा अपने आतंकवाद एजेंडे में दक्षिण भारत को निशाना बनाने के लिए एल टी टी ई को अपने साथ जोड़ने का पता चला है जैसाकि दिनांक 28 अक्तूबर, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सरकार को दक्षिण भारत को निशाना बनाने के लिए एलटीटीई को आईएसआई द्वारा अपने साथ जोड़े जाने के संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है।

(ग) केन्द्रीय और राज्य सुरक्षा और आसूचना एजेंसियां गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत अभी तक एक प्रतिबंधित संगठन अर्थात् एलटीटीई के ऐसे किसी इरादों अथवा गतिविधियों को निष्फल करने हेतु सतर्क हैं।

इंडिया रिजर्व बटालियन को स्वीकृति देने हेतु मानदंड

962. श्री जुएल ओराम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कुल कितनी इंडिया रिजर्व बटालियन कार्यरत हैं;

(ख) राज्य सरकारों विशेषकर उड़ीसा द्वारा हाल में इंडिया रिजर्व बटालियन की स्वीकृति देने हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडिया रिजर्व बटालियन को स्वीकृति देने हेतु निर्धारित मानदंड क्या है; और

(घ) अनुरोध करने वाले राज्यों में इंडियन रिजर्व बटालियन को कब तक कार्यरत किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 66 भारतीय रिजर्व बटालियनों का गठन किया गया है।

(ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त तीन बटालियनों के अनुरोध के प्रति उत्तर में सभी के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

(ग) राज्यों के अनुरोध के आधार पर और कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यों को भारतीय रिजर्व बटालियनें मंजूर की जाती हैं।

(घ) स्कीम के अनुसार मंजूरी की तारीख से दो वर्षों के अन्दर राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बटालियनों का गठन किया जाता है।

केन्द्रीय पुलिस बल को कैंटीन सुविधा

963. श्रीमती प्रतिभा सिंह:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असम राइफल्स सहित अर्ध-सैनिक बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों को रक्षा कार्मिकों की तर्ज पर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (सीएसडी) सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने 18.09.2006 को केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों (सीपीएमएफ) हेतु कैंटीन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। बटालियन/यूनिट स्तर पर कैन्टीन के प्रबंधन की देखरेख के लिए सी पी एफ के एडीजी/आईजी स्तरीय अधिकारियों को शामिल करके एक सात-सदस्यीय केन्द्रीय प्रशासनिक समिति (सीएसी) का गठन किया गया है। सीएसी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सात-सदस्यीय खरीद समिति का भी गठन किया गया है।

[हिन्दी]

प्रसंस्कृत लोहे का निर्यात

964. श्री टेक लाल महतो: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रसंस्कृत लौह अयस्क के निर्यात हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में मुख्य अड़चनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए लौह अयस्क का ब्यौरा है और इससे सरकार को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या लौह अयस्क का निर्यात किए बिना सरकार इसके लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) विदेश व्यापार नीति में प्रसंस्कृत लौह अयस्क का निर्यात अनुमत्य है। सरकार ने निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) को उनके समस्त लौह अयस्क के उत्पादन के प्रसंस्करण एवं निर्यात हेतु इन इकाइयों की स्थापना की अनुमति प्रदान की है। प्रसंस्कृत लौह अयस्क के निर्यात हेतु उठाए गए कदमों का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) प्रसंस्कृत लौह अयस्क के निर्यात में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं- पर्यावरण संबंधी मुद्दे, जिनके कारण लौह अयस्क का प्रसंस्करण एवं खनन प्रभावित होता है, क्योंकि अनेक खदानें पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित हैं; लौह अयस्क के परिवहन हेतु सीमित संख्या में रेलवे वैगनों की उपलब्धता; रेलवे वैगनों से लौह अयस्क की उतराई और लौह अयस्क के जहाजों पर लदान हेतु पत्तनों की सीमित क्षमता तथा अपर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा निम्नलिखित है:-

(मात्रा लाख टन में)

2003-04	2004-05	2005-06 (अनंतिम)
625.79	781.45	892.77

स्रोत: बीएमओईए, केआईओसीएल एवं एमएमटीसी

निर्यातों से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, रोजगार के अवसरों का सृजन होता है और लौह अयस्क फाइन्स के कारण उत्पन्न प्रदूषण से पर्यावरण सुरक्षित रहता है।

(घ) यदि घरेलू मांग से बेशी लौह अयस्क का निर्यात न किया जाए, तो घरेलू बाजार में यह भारी-मात्रा में जमा हो जाएगा, जिससे खनन में निवेश हतोत्साहित होगा, खनन वाले क्षेत्रों, खासतौर से जनजातीय बहुलता वाले क्षेत्रों में बेरोजगारी फैलेगी, पर्यावरण संबंधी खतरे पैदा होंगे, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा आदि। आस्ट्रेलिया ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी देशों को अनचाहा लाभ मिलेगा, जो ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर बाजार में एकाधिकार स्थापित कर लेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से भारत को बाहर धकेल देंगे, जो देश के लिए, खासतौर से इस क्षेत्र के चक्रीय स्वरूप के मद्देनजर नुकसानदेह है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को मजबूत किया जाना

965. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) को मजबूत बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) को 79.58 करोड़ रुपए की लागत पर आधुनिक हथियार, संचार तंत्र से लैस करने और उन्हें प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने हेतु एक पंचवर्षीय योजना (2002-07) का अनुमोदन किया गया है।

शिक्षा का अधिकार विधेयक

966. श्री के.एस. राव:
डा. आर. सेनथिल:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए शिक्षा के अधिकार (आर.टी.ई.) विधेयक को कार्यान्वित करने संबंधी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि के आवंटन की आवश्यकता है और केंद्र द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा अपने हिस्से के उत्तरदायित्वों को पूरा करने में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्याप्त केंद्रीय धनराशि प्रदान करने, संबंधित शिक्षा का अधिकार कानूनों को पारित कराने के लिए राज्यों हेतु समय-सीमा निर्धारित करने और 6-14 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों हेतु सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समय-सीमा निर्धारित कराने के लिए शिक्षा का अधिकार विधेयक में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना यह मत व्यक्त किया है कि संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 21-क के तहत परिकल्पित कानून, जिसमें शिक्षा को 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बनाया गया है, को केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित तथा प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए जिसके लिए राज्यों से अपेक्षा की जाएगी कि वे एक विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर शिक्षा के अधिकार संबंधी विधेयक अधिनियमित करेंगे। इसके लिए प्राथमिक वित्तीय उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का होगा।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों द्वारा अपनाये जाने वाले मानदण्डों तथा मानकों की अनुसूची, शिक्षकों के विनिर्धारण, शिक्षा के अधिकार की न्यायसंगतता, निवारक तंत्र तथा सार्वभौम स्कूली शिक्षा आदि के संबंध में भी अनेक सुझाव दिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 21-क के अनुसरण में, शिक्षा के अधिकार संबंधी विधेयक का एक प्रारूप माडल को संरचना के रूप में तैयार कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है ताकि उस पर उनकी टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। शिक्षा के अधिकार संबंधी विधेयक, 2006 के इस माडल को अपनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रस्ताव है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत निधियन के पैमाने को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के संबंध में उपयुक्त राज्य अधिनियम, जहां कोई भी नहीं है, के अधिनियमन पर अथवा मौजूदा अधिनियमों के उपयुक्त अनुकूलन पर समाश्रित बनाया जाए। इस माडल विधेयक

को स्वीकार करने के लिए राज्यों को प्रेरित करने संबंधी प्रस्ताव को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है।

विनिर्माण निवेश क्षेत्र

967. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के समान पांच विनिर्माण निवेश क्षेत्रों को स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित निवेश क्षेत्र स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रों के लिए अब तक क्या ब्यौरा तैयार किया गया है;

(ग) क्या भूमि अर्जन के मुद्दों पर भी कार्य किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) देश में विनिर्माण निवेश क्षेत्र (एम आई आर) की स्थापना करना गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना तथा दक्ष और पारदर्शी नियामक प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए एक पहल है ताकि विनिर्माण विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। प्रस्ताव को सुदृढ़ नहीं बनाया गया है और ऐसे क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र और स्थापना के बारे में नीति की रूपरेखा तथा कानूनी ढांचे पर पणधारकों के साथ विचार किया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल का निर्धारण

968. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने जांच, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कार्यों को अलग करने तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों हेतु कार्यकाल निर्धारित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच तथा कानून व्यवस्था आदि बनाए रखने के कार्यों को अलग करने लिए दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 1996 की सिविल रिट याचिका सं. 310 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने 22 सितम्बर, 2006 को मुख्य रूप से सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक और अन्य प्रमुख पुलिस अधिकारियों की चयन प्रक्रिया और न्यूनतम कार्य अवधि तय करने और शुरू में दस लाख या अधिक जनसंख्या वाले कस्बों/शहरी क्षेत्रों में जांच-पड़ताल विंग को कानून और व्यवस्था विंग से पृथक रखने के संबंध में निदेश जारी किए हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को उपयुक्त विचार-विमर्श करने और आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को नोट करने का सुझाव दिया गया है।

व्यापार और आर्थिक मुद्दे

969. श्री एल. राजगोपाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-चीन प्रसिद्ध व्यक्ति समूह की कोई बैठक हाल ही में व्यापार और अन्य आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन ने भारत सरकार के समक्ष इसकी कुछ कम्पनियों को काली सूची में डालने के लिए अपनी चिंता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस कदम से भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। भारत-चीन के प्रमुख व्यक्तियों के मसूह (ईपीजी) की पांचवीं बैठक 25-26 सितम्बर, 2006 के दौरान नई दिल्ली में हुई थी। भारत एवं चीन की ओर से सह-अध्यक्ष क्रमशः श्री सी.वी. रंगनाथन और श्री ल्यू शुकिंग थे। इस बैठक में राजनीतिक एवं द्विपक्षीय, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति, समाचार माध्यम एवं पत्रकारिता शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि जैसे मुद्दों सहित भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया

था और इसमें दोनों सरकारों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचारार्थ संयुक्त सिफारिशें की गई थीं।

(ग) से (च) जी, हाँ। उक्त बैठक के कार्यवृत्त में चीन की ओर से उसकी कुछेक कम्पनियों को काली सूची में डाले जाने के बारे में इस प्रकार की किसी चिन्ता का उल्लेख नहीं है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में मेडिकल किट्स

970. **श्री मंजुनाथ कुन्नुरः**
प्रो. महादेवराव शिवनकरः
श्री एम. शिवन्नाः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को नए स्वीकृत 11313 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु निगरानी और मूल्यांकन/उपकरणों की खरीद/प्रीस्कूल किट्स, मेडिसिन किट्स की खरीद के अंतर्गत 780.06 लाख रुपये का कुल अनुदान जारी करने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो धनराशि जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) कर्नाटक सरकार को धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां। विगत वर्ष में ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ था तथा कर्नाटक सरकार को 10.3.2006 को 780.00 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त भी की गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मांस निर्यात नीति

971. **श्री संतोष गंगवारः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के मद्देनजर मांस निर्यात नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) अखिल भारत कृषि संघ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य की वर्ष 1994 की सिविल अपील संख्या 3968 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29.03.2006 के अपने निर्णय में भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में तथा मांस निर्यात नीति के पशुओं पर और इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार से इस नीति की समीक्षा करने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

निराश्रित महिलाओं हेतु आश्रय गृहों का बंद किया जाना

972. **प्रो. एम. रामदासः** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निराश्रित महिलाओं हेतु स्थापित आश्रय गृहों को हाल ही में बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय देश के अन्य भागों में इन गृहों को पुनः चालू करने और इन्हें बंद होने से रोकने के लिए, यदि कोई हो, तो समुचित उपाय करेगा;

(घ) क्या कार्यान्वयन एजेंसियां इन आश्रय गृहों को चालू रखने में समस्याओं का सामना कर रही हैं; और

(ङ) इन समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) शिमला, हिमाचल प्रदेश में यूनीवर्सल सोशल हैल्थ एसोसिएशन द्वारा चलाया जा रहा स्वाधार आश्रय गृह बंद कर दिया गया है, क्योंकि संबंधित संगठन को और निधियां जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस संगठन और राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए।

(ग) इस गृह को पुनः आरम्भ करना संगठन की इच्छा तथा और निधियां जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति पर निर्भर करेगा। राज्य सरकारों से ऐसे स्वाधार आश्रय गृह अभिनिर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कराने, जो बंद होने के कगार पर हैं, तथा उन्हें बंद न होने देने के लिए पहले से ही सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है।

(घ) और (ङ) स्वाधार स्कीम के अंतर्गत आश्रय गृहों के रख-रखाव के लिए कार्यान्वयनकर्त्ता अभिकरणों को पर्याप्त निधियां प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकारों से कहा गया है कि कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों के समक्ष आने वाली समस्याओं के संबंध में विशिष्ट सुधारात्मक उपाय करें, ताकि वे अभिकरण इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कारगर ढंग से कर सकें।

पाटनरोधी शुल्क

973. **श्री उदय सिंह:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपियन यूनियन के हाल ही में चीन से कतिपय मदों के आयात पर से पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उत्पादक संघ से भारत को निर्यात करने वाली कुछ चीनी फर्मों के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जायेंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। यूरोपीय समुदाय की वेबसाइट (मूल से) में यह प्रकाशित किया गया है कि वर्ष 2006 के दौरान यूरोपीय संघ ने चीन से कतिपय मुदों के निर्यातों पर अनंतिम एवं निश्चयात्मक दोनों प्रकार का पाटनरोधी शुल्क लगाया है। चीन के लीवर आर्क तंत्रों, चमोइस चमड़े, फुटवियर (चमड़े के ऊपरी हिस्से वाले) तथा टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स के निर्यातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। चीन से टारटरिक अम्ल, लीवर आर्क तंत्र, चमोइस चमड़े तथा प्लास्टिक के बोरों एवं थैलों के निर्यात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत को निर्यात करने वाली चीन की फर्मों द्वारा किए जा रहे पाटन के विरुद्ध अनेक उत्पादक एसोसिएशनों ने शिकायत की है। इन शिकायतों के आधार पर सरकार ने जांच शुरू की थी। चीन से निर्यातों के विरुद्ध ऐसी 96 जांचों में से 83 मामलों में पानटरोधी शुल्क लगाया गया है, जिसमें प्राथमिक रूप से रसायन एवं पेट्रोरसायन, भेषज, इस्पात एवं अन्य धातु, फाइबर्स एवं यार्न तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पाद समूह शामिल हैं। सरकार चीन तथा अन्य देशों से वस्तुओं के पाटन की रोकथाम के लिए अनुमत्य एवं समुचित व्यापार उपचारात्मक उपाय करना जारी रखेगी।

पूर्वोत्तर में आतंकवादी गतिविधियां

974. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर में आतंकवाद से प्रभावित अर्थव्यवस्था के बारे में समाचारों की ओर गया है जैसा कि दिनांक 23 अक्तूबर, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इंस्टीट्यूट फार कानफ्लिक्ट मैनेजमेंट द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार ग्रामीण विकास हेतु असम सरकार को अल्फा काडर से निजात पाने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से अधिकांश धनराशि सरकार द्वारा अन्यत्र उपयोग में ले ली जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) कुछ रिपोर्टों से विनिर्दिष्ट होता है कि पूर्वोत्तर में विभिन्न विद्रोही गुट लूटखसोट की गतिविधियां में संलग्न हैं। इन गुटों ने जबरन धन उगाही के लिए सुसंगठित नेटवर्क स्थापित कर रखे हैं।

सरकार ने लूट-खसोट की बुराई की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है, चेकों द्वारा वेतन का भुगतान, विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक श्रम घटक, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख सड़कों पर सुरक्षा को सुदृढ़ करना और स्थापित संगठनों द्वारा बड़ी परियोजनाओं का निष्पादन।

[हिन्दी]

एस.एस.ए. और मध्याह्न भोजन योजनाओं की समीक्षा

975. **श्री ब्रजेश पाठक:**
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन की समीक्षा 22.9.2006 को हुई बैठक में की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों के सुचारू कार्यकरण के बारे में उस बैठक में सुझाव और सिफारिशें की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उस बैठक में एस.एस.ए. और मध्याह्न भोजन योजना के विलय के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई थी; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस बैठक में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं—उत्तम प्रथाओं को देश के सभी राज्यों में प्रचारित करना; प्रगति संबंधी उपलब्धि के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग हेतु तंत्र विकसित करना और सरकार के इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर मतैक्य विकसित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार-विमर्श करना।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

[अनुवाद]

समेकित अवसंरचना विकास केन्द्र

976. **श्री अनन्त नायक:** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कितने समेकित अवसंरचना विकास केन्द्र (आई.आई.डी.सी.) कार्यरत हैं;

(ख) राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र को सुदृढ़ करने और घरेलू एवं वैश्विक दोनों स्तरों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य में विशेषकर उड़ीसा में कौन सा पैकेज दिया गया है; और

(घ) लघु उद्योगों के लिए अवसंरचना विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर आई आई डी योजना के अंतर्गत 85 एकीकृत आधारभूत संरचना विकास केन्द्रों (आई आई डी सी) का अनुमोदन किया गया है। कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 48 केन्द्रों में इकाइयों की स्थापना की गई है। देश में अनुमोदित एवं कार्य कर रहे राज्य-वार आई आई डी केन्द्रों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) लघु क्षेत्र के विकास का दायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, केन्द्र सरकार क्रेडिट, आधारित अवसंरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, विपणन, उद्यमिता विकास इत्यादि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से उनके प्रयासों का समर्थन एवं अनुपूरण करती है। इन्हें उड़ीसा राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जाता है। लघु उद्योगों के संवर्धन एवं विकास तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए उपायों से घरेलू बाजारों के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिली है, जैसा कि इकाइयों की संख्या, राष्ट्रीय उत्पादन में उनके अंशदान, रोजगार सृजन एवं निर्यातों के संबंध में उनकी वृद्धि से सुस्पष्ट है।

(घ) आई आई डी योजना के प्रावधानों के अनुसार, आई आई डी केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आई आई डी केन्द्रों का अनुमोदन सिडबी की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा किया जाता है।

विवरण

देश में अनुमोदित एवं कार्य कर रहे आईआईडी केन्द्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य	जिस जिले में स्थित है	अनुमोदित केन्द्रों की संख्या	कार्य कर रहे केन्द्रों की संख्या
आंध्र प्रदेश	कुर्नूल, रंगारेड्डी, नेल्लौर, चित्तूर, कृष्णा	5	4
असम	दरंग, नौगांव, कछार, सिबसागर, कामरूप, जोरहट, नलबारी, धेमाजी, लखीमपुर	9	2
छत्तीसगढ़	महासमुन्द, कबीरधाम	2	–
गुजरात	जूनागढ़	1	–
हरियाणा	सिरसा, यमुनानगर, सोनीपत	3	2
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	1	1
जम्मू-कश्मीर	उधमपुर, कथुआ	2	1
कर्नाटक	बेलगाम, बीजापुर, कोलार, बागलकोट	4	3
केरल	त्रिवेन्द्रम, कन्नूर, मालापुरम, एर्नाकुलम, कासरगोड, त्रिचूर, पठानाथिट्टा, वेयान्द	8	7
महाराष्ट्र	येवतमाल, सतारा	2	2
मध्य प्रदेश	सतना, मन्दसौर, खारगोन, कटनी, सागर, नीमच, टीकमगढ़, मुरैना	8	4
मिजोरम	लंगलई, चेमफाई	2	1
नागालैंड	कोहिमा	1	–
उड़ीसा	खुर्दा, रायगढ़, जगतसिंहपुर, बालासौर	4	2
पंजाब	होशियारपुर, मुक्तसर, लुधियाना	3	–
राजस्थान	जोधपुर, नागौर, टोंक, उदयपुर, करोली, पाली, बारां, भरतपुर, राजसमंद, अलवर	10	7
तमिलनाडु	मदुरई, कोयम्बटूर, थिरूमुदीवक्कम, कट्टूर अवदी एजीआर जिला, थिरूवुल्लौर, त्रिचरापल्ली, सेलम	7	5
त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	1	–
उत्तरांचल	देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर	3	3
उत्तर प्रदेश	एटा, मथुरा, उन्नाव, भदोही, बागपत, बाराबंकी, गाजियाबाद, चन्दौली	8	4
पश्चिम बंगाल	टांगरा (कोलकाता)	1	–
	कुल	85	48

एफ.सी.वी. तम्बाकू का अनधिकृत उत्पादन

977. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एफसीवी तम्बाकू का उत्पादन तम्बाकू बोर्ड द्वारा 2006-2007 के दौरान निर्धारित फसल से अधिक हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के तम्बाकू उत्पादकों की सहायता करने का है और तम्बाकू कर निम्नतम गारंटिड मूल्य निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) फसल मौसम 2006-2007 के लिए फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू हेतु निर्धारित फसल की मात्रा 242.4 मिलि. किग्रा. है। जिसमें मौसम की अनुकूलता के रूप में 10% की मात्रा शामिल है। आंध्र प्रदेश में रोपण प्रगति पर हैं और अनुमानित फसल का आकलन करना संभव नहीं है। कर्नाटक में नीलामियां चल रही हैं।

(ग) और (घ) न्यूनतम गारंटी शुदा कीमत (एमजीपी) वह औसत कीमत है जिसका आश्वासन व्यापार जगत द्वारा किसानों को दिया जाता है और यह पूर्णतः स्वैच्छिक होती है। व्यापार जगत ने एमजीपी को घोषित करना बंद कर दिया है। इस अवधारणा की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद उपजकर्ता काफी अधिक कीमतें प्राप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

दंड प्रक्रिया संहिता का दुरूपयोग

978. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपराधी, दंड प्रक्रिया संहिता के अग्रिम जमानत के प्रावधान का दुरूपयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) बालचंद जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले, ए आई आर 1977 एम सी 366 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत प्राप्त शक्ति असाधारण प्रकृति की शक्ति है और इसका प्रयोग केवल बहुत कम और खास मामलों में किया जाना चाहिए। तथापि, यह मामला विशिष्ट रूप से केवल न्यायपालिका के अंतर्गत आता है।

[अनुवाद]

व्यापार बोर्ड

979. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात संवर्धन हेतु प्रभावी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए उद्योग, व्यापार बोर्ड और विदेशों में स्थित मिशनों के साथ नियमित परामर्श करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) प्रत्येक कोटि में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना का विस्तार वस्त्र निर्यातकों सहित उपभोक्ता वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात तक भी कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) विदेश व्यापार नीति में निर्यातकों, व्यापार एवं उद्योग की परिकल्पना सरकार के उल्लिखित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में उसके भागीदारों के रूप में की गई है। इस प्रयोजनार्थ सरकार सुझाव आमंत्रित करती है और व्यापार एवं उद्योग, जिनका प्रतिनिधित्व व्यापार बोर्ड, निर्यातक संघों और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा किया जाता है, के साथ औपचारिक परामर्श करती है।

(घ) और (ङ) विदेश व्यापार नीति के अनुसार हथकरघा निर्यातक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातों के एफओबी मूल्य के 1% तक हस्तनिर्मित कालीनों के नमूनों के शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं। हथरकघा और हस्तशिल्प निर्यातकों को पूर्ववर्ती

वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातों के एफओबी मूल्य के 5% तक विनिर्दिष्ट ट्रिमिंग्स और एम्बेलिशमेंट्स के शुल्क मुक्त आयात की भी अनुमति प्रदान की गई है। इसी तरह चर्म क्षेत्र में और वस्त्र परिधानों के मामले में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातों के एफओबी मूल्य के 3% तक विनिर्दिष्ट मदों के शुल्क मुक्त आयात की हकदारी की अनुमति प्रदान की गई है। सूती निर्मितियों के लिए निर्यातक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातित सूती निर्मितियों के एफओबी मूल्य के 1% तक शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं।

राजभाषा हेतु धनराशि

980. श्री एम. शिवन्ना: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार राजभाषा के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इन धनराशियों का उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन धनराशियों के सुचारू उपयोग की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र अपनाया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ सरकार की राजभाषा हिंदी है तथा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए जारी रखा गया है। संघ की राजभाषा का राज्यों में प्रोत्साहन के लिए धनराशि प्रदान करने की गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एस.ई.जेड. की स्थापना के लिए केरल का अनुरोध

981. श्री पी. करूणाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार से एसईजेड नियम, 2006 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित छूट प्रदान किए गए क्षेत्रों हेतु अर्ह विशेष राज्यों के रूप में वर्गीकृत राज्यों की सूची में केरल को सम्मिलित करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

982. श्री गिरिधारी यादव:
श्री काशीराम राणा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चुनिंदा उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को अनुमति देने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन आयातों के लिए कोई निबंधन और शर्तें लागू की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके घरेलू उत्पादन और लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) भारत द्वारा वर्ष 1991 से आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की सतत समाप्ति की नीति अपनाई जा रही है। भारत ने वर्ष 2001 में अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, सार्वजनिक नैतिकता और पर्यावरण के आधार पर जरूरी प्रतिबंधों को छोड़कर आयातों पर समस्त मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। देश में होने वाले सभी आयात लागू सीमाशुल्क के अधीन होते हैं। सरकार द्वारा ऐसे आयातों पर कड़ी

निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर सरकार द्वारा उचित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

सीमापार व्यापार के नए केन्द्र

983. श्री शिशुपाल पटले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सीमापार नए व्यापार केन्द्र खोलने का है जैसा कि दिनांक 4 सितम्बर, 2006 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ये व्यापार केन्द्र खोले जाने का विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे केन्द्रों के विकास पर धनराशि खर्च करने का है;

(घ) कुल कितने सीमापार देशों में ये नए व्यापार केन्द्र खोले जाने का विचार है;

(ङ) क्या इन व्यापार केन्द्रों पर धनराशि खर्च करने की कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (च) भू-मार्ग के जरिए पड़ोसी देशों के साथ व्यापार का विनियमन सीमा पर स्थिति भू-सीमाशुल्क केन्द्रों द्वारा किया जाता है। इन भू-सीमाशुल्क केन्द्रों पर उपलब्ध अवसंरचना का उन्नयन करने के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार ने चरणबद्ध ढंग से उन्नयन हेतु 13 भू-सीमाशुल्क केन्द्रों को अभिज्ञात किया है जिनमें से 7 भारत-बंग्लादेश सीमा पर, 4 भारत-नेपाल सीमा पर, एक भारत-पाकिस्तान सीमा पर और एक भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

984. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों की फैकल्टी की अद्यतन दक्षता और उनकी संख्या, उन्नत पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित अवसंरचना से सज्जित प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकीय निविष्टियों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उन्नत कुशलता को प्रदान करने में इन संस्थानों ने किस प्रकार योगदान दिया है;

(ग) क्या इन संगठनों की क्षेत्रीय प्रकृति इन राज्यों और संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं;

(घ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन संस्थानों के कार्यशील दर्जे में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) साठवें दशक के दौरान भोपाल, कोलकाता, चंडीगढ़ तथा चेन्नई में चार राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थानों की स्थापना मुख्य उत्प्रेरक संस्थाओं के रूप में की गई थी ताकि संबंधित क्षेत्रों में तकनीशियन शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। ये संस्थान भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित हैं तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत हैं। संस्थान, पालिटेक्निकों, उद्योगों का समुदाय हेतु आयोजना, अभिकल्पना, गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करने, पाठ्यचर्या विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध अध्ययन तथा अध्ययन पैकेज जैसे कार्यकलापों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक तथा अनुसंधान संस्थान, पालिटेक्निक अध्यापकों हेतु एम.ई./एम.टेक कार्यक्रम भी संचालित करता है। यह संस्थान, सहायता प्रदान करते हुए विश्व बैंक सहायता प्राप्त तकनीशियन शिक्षा परियोजना कार्यान्वित करने में राज्य सरकार को अपने अनुभव तथा विशेषज्ञता प्रदान करते रहे हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान व्यवसाय तथा उद्योग के साथ गहन संबंध तथा सामान्य रुचि के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं के साथ व्यावसायिक संबंध विकसित करते हैं।

(ग) प्रत्येक राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान न केवल सभी राज्यों अपितु अपने संबंधित क्षेत्रों तथा अपने क्षेत्रों से बाहर की संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। राष्ट्रीय स्तर के होने के कारण उनका नाम तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान से परिवर्तित करके राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था।

(घ) और (ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों का राज्यवार ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(च) वर्तमान की आवश्यकतानुसार इन संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान बनाने के लिए सरकार इनके कार्यात्मक स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

पीएमएफ की बैरकों में कंडोम वैंडिंग मशीन लगाना

985. श्री रशीद मसूदः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सीमा क्षेत्रों में बने अर्ध-सैन्य बलों की बैरकों में एड्स की रोकथाम के लिए कंडोम वैंडिंग मशीन लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मशीनों के कब तक लगाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कार्रवाई योजना के अनुसार विभिन्न केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए 1080 कंडोम वैंडिंग मशीनें लगाने का अनुमोदन किया गया है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अर्द्ध सैनिक बल (सी पी एफ)	कंडोम वैंडिंग मशीन (सी वी एम)
केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल	300
सीमा सुरक्षा बल	300
असम राइफल्स	125
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	125
एस एस बी	100
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	125
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	05
कुल	1080

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग में निवेश

986. श्री मोहन रावले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र उद्योग में 2010 तक आवश्यकता पर आधारित कितना निवेश किया जाएगा और वास्तव में अब तक कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या अब तक किया गया निवेश आवश्यकता आधारित निवेश से कम है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) आवश्यकता से कम निवेश होने के मामले में वस्त्र उद्योग पर पड़े प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) अगस्त 2004 में भारतीय कपास मिल परिसंघ द्वारा किये गये 'वस्त्र क्षेत्र के लिए विजन विवरण'' के अनुसार 2010 तक मशीनरी के लिए वस्त्र क्षेत्र के रास्ते 140,000 करोड़ रु. के निवेश की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के विरुद्ध, वस्त्र मशीनरी की स्वदेशी मांग के आधार पर वस्त्र उद्योग द्वारा 1.4.1999 से 31.8.2006 तक की अवधि के दौरान किया गया निवेश अनुमानित रूप से 74640 करोड़ रु. है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। मौजूदा उपाय, जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गयी है, पर्याप्त है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए हाल ही में विगत में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

(1) प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की आवश्यकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।

(2) संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

(3) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(4) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई है।

(5) बजट 2004-05 में, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06 में, पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(6) कोटा पश्चात व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 में दर्शायी गयी 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) है। 5% का रिआयती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

(7) बजट 2005-06 में निटिंग एवं निटवियर की 30 मदें अनारक्षित कर दी गई हैं इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार की आधुनिकीकृत एककों की स्थापना करना सुकर होगा।

(8) बजट 2006-07 में वस्त्र क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:-

* सभी मानवनिर्मित फाइबर यार्न और फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% करना।
* सभी मानवनिर्मित फाइबर यार्न पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
* डीएमटी, पीटीए और एमईजी जैसी कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
* एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के लिए 2006-07 के दौरान 189 करोड़ रुपए का प्रावधान।

(9) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

(10) निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (एटीडीसी) को सुदृढ़ बनाने तथा नए एटीडीसी खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(11) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(12) सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(13) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

(14) विश्व अर्थव्यवस्थाओं के खुल जाने से बदलते हुए व्यापार परिवेश में फैशन शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सरकार निम्नलिखित के लिए कदम उठा रही है:-

- अंतर्राष्ट्रीय निर्धारणों से युक्त फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थान की स्थापना।

– देश में फैशन व्यापार शिक्षा के मानकीकरण और निर्धारण के लिए एक प्रमुख एजेंसी की नियुक्ति।

– देश में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए शीर्ष इकाई की स्थापना।

[हिन्दी]

राजस्थान में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा

987. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) राजस्थान सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का संवर्धन को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं अर्थात सरकार द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के माध्यम से कार्यान्वित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के माध्यम से सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) द्वारा किया जाता है। हालांकि, पी एम आर वाई का कार्यान्वयन ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में किया जाता है, पी एम आर वाई के अंतर्गत स्थापित लगभग पचास प्रतिशत इकाइयां अनुमानित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ये इकाइयां कृषि एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र का भाग हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में इन दो योजनाओं के पात्र लाभार्थियों द्वारा स्थापित इकाइयों एवं सृजित रोजगार की शर्तों के अनुसार हुई प्रगति निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

वर्ष	आर ई जी पी		पी एम आर वाई	
	इकाईयों की संख्या (व्यक्तियों की संख्या)	रोजगार	इकाईयों की संख्या (व्यक्तियों की संख्या)	रोजगार
2003-04	2496	51337	12769	19154
2004-05	1537	38287	12919	19378
2005-06	2133	59596	13760	20640

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पारम्परिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) का अनुमोदन किया है। इस योजना में 2005-06 से शुरू करके पांच वर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ खादी के 25 क्लस्टरों तथा ग्रामीण उद्योगों के 50 क्लस्टरों के विकास पर विचार किया गया है। स्फूर्ति के दिशा-निर्देश कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट http.//ari.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) पर वर्णित इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में सरकार द्वारा सीधे प्राप्त नहीं किए जाते हैं। आर ई जी पी के अंतर्गत पात्र उद्यमी के वी आई सी से मार्जिन मनी सहायता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण का लाभ उठाकर ग्रामीण उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए भावी उद्यमी को के वी आई सी के राज्य कार्यालयों अथवा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड के जिला कार्यालयों अथवा सीधे ही कार्यान्वयन बैंकों को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। परियोजना का अनुमोदन संबंधित बैंकों द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गेहूं का आयात

988. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान कमी को पूरा करने के लिए दलहनों और गेहूं के आयातों और इन आयातों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार गेहूं का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या गेहूं के उक्त आयात के लिए शून्य आयात शुल्क निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो निःशुल्क गेहूं के आयात की वजह से सरकार को कितने राजस्व की हानि होगी;

(ङ) इसके क्या कारण हैं; और

(च) जारी की गई संविदा के अनुसार आयातित गेहूं के लिए निर्धारित मूल्य का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) अप्रैल से सितम्बर, 2006 की अवधि के दौरान गेहूं और दालों के आयात की मात्रा और उस पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

वस्तु	मात्रा (लाख टन में)	खर्च की गई राशि (करोड़ रु. में)
दालें	8.06	1351.29
गेहूं	5.40	500.00

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता

टिप्पणी: ये आंकड़े अनंतिम हैं और अंतिम रूप प्रदान किए जाने तक निरंतर अद्यतन किए जाते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) गेहूं के शुल्क मुक्त आयात के कारण राजस्व की हानि की सही-सही मात्रा का अनुमान अब तक चल रही इस स्कीम की समाप्ति पर ही लगाया जा सकता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) आयातित गेहूं के लिए निर्धारित की जाने वाली कीमत का निर्धारण घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान स्थितियों के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

घरेलू व्यापार राजसहायता को समाप्त करना

989. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया**: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने डब्ल्यूटीओ में कृषि व्यापार चर्चाओं के लिए 13 अन्य विकासशील देशों के साथ अटूट गठबंधन बनाया है जो विकसित (ईयू-अमेरिका) देशों द्वारा घरेलू व्यापार को नष्ट करने के लिए (प्रदान की जा रही) निर्यात राजसहायता को चरणबद्ध प्रक्रिया से समाप्त करने की मांग करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विकसित देशों के साथ मौन को तोड़ने में यह गठबंधन किस सीमा तक सफल होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) कृषि से संबंधित जी-20 समूह, जिसमें इस समय 23 सदस्य हैं, का गठन विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कानकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पूर्व अगस्त, 2003 में किया गया था। कृषि में घरेलू सहायता, निर्यात प्रतिस्पर्धा एवं बाजार पहुंच से संबंधित वार्ताओं के तौर-तरीकों हेतु एक कार्यढांचा तैयार करने के लिए दिनांक 13 अगस्त, 2003 के ईयू-यूएस संयुक्त पाठ में निहित प्रस्तावों के विषम स्वरूप के मद्देनजर जी-20, जिसमें भारत, अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, मिस्र, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे शामिल हैं, का कहना था कि अपने कृषि क्षेत्र में सुधार की इन विकसित देशों की पेशकश कृषि वार्ताओं से संबंधित दोहा अधिदेश के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है।

जी-20 विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास सहित विकास संबंधी आवश्यकताओं पर कारगर तरीके से ध्यान देने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें विशेष एवं अलग प्रकार का व्यवहार सुनिश्चित करते हुए व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में अत्यधिक तथा कारगर कमी करने, सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडियां शीघ्र समाप्त करने और बाजार पहुंच में उल्लेखनीय सुधार करने पर बल देता है। जी-20 प्रस्तावों को विकसित एवं विकासशील देश सदस्यों ने तकनीकी रूप से सुदृढ़ एवं मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले सुझावों के रूप में व्यापक मान्यता प्रदान की है। वार्ताओं में सामान्य हितों का ध्यान रखने के लिए जी-20 ने अन्य विकासशील देशों से भी समन्वय स्थापित किया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

990. **श्री असादुद्दीन ओवेसी**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002 में दंगों से प्रभावित गुजरात के 46 अस्थाई कैम्पों में लगभग 5307 परिवार रह रहे हैं जैसाकि दिनांक 24 अक्टूबर, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के एक दल ने इन कैम्पों का दौरा किया है और केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या रणनीति तैयार की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) गुजरात में वर्ष 2002 के विस्थापित दंगा पीड़ितों के अस्थाई कैम्पों का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की एक टीम द्वारा दौरा किया गया और इन कैम्पों के निवासियों की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

(1) राज्य सरकार द्वारा बुनियादी सुख-सुविधाओं जैसे कि सुरक्षित पेयजल, स्ट्रीट लाईटों, संपर्क सड़कों, इत्यादि का प्रावधान;

(2) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात में आंतरिक रूप से विस्थापित मुस्लिम परिवारों के पुनर्वास हेतु विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान; और

(3) हिंसा के कारण आंतरिक विस्थापन पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) रिपोर्ट की प्रति तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति योजना

991. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**
श्री महेश कनोडीया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की संख्या में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि के लिए कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति स्कीम केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है, जो राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा लागू की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियां वर्ष 2003-04 के दौरान 5893 छात्रवृत्तियों के लिए दी गई 16.31 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर वर्ष 2004-05 के दौरान 8978 छात्रवृत्तियों के लिए 64.21 लाख रुपये और वर्ष 2005-06 के दौरान 25857 छात्रवृत्तियों के लिए 836.21 लाख रुपये तक कर दी गई है।

सामान्यत:, योजनागत स्कीमों के लिए नई योजना अवधि में पुन: संस्वीकृति अपेक्षित होती है और उस समय इन स्कीमों में प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। चालू योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति स्कीम में संशोधन की कोई संभावना नहीं है।

[अनुवाद]

लौह अयस्क ब्लाक का खनन पट्टा

992. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्य राज्यों से लौह अयस्क के खनन पट्टे पाने में राज्यों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लौह अयस्क की आपूर्ति किए जाने से राज्यों का असमान विकास होगा;

(ग) यदि हां, तो राज्यों से लौह अयस्क की आबाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्तमान खनन नीति की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वर्ष 1993 में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति में अन्य बातों के साथ-साथ देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खनिज उद्योग के निर्विघ्न और सतत विकास के लिए आवश्यक ताल-मेल (लींकिज) को बढ़ावा देने की अपेक्षा की गई है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा करने तथा खनन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1857 में संभव संशोधनों की सिफारिश करने के लिए, श्री अनवरूल होदा, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में, एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है जिस पर विचार किया जा रहा है।

प्राकृतिक रबड़ की कीमत

993. श्री पी.सी. थामस:
श्री के.एस. राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में वृद्धि की वजह से वाहनों के टायरों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष फरवरी से प्रत्येक माह में वाहनों के टायरों की कीमतों में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कई सप्ताहों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह उद्योग और अधिक आयातों की मांग कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) सवारी कार टायर व ट्यूब की खुदरा बाजार कीमत

माह/वर्ष	ब्राण्ड "ए"	ब्राण्ड "बी"
फरवरी, 2006	2100	2047
मार्च, 2006	2100	2047
अप्रैल, 2006	2150	2053
मई, 2006	2150	2053
जून, 2006	2175	2125
जुलाई, 2006	2175	2125
अगस्त, 2006	2200	2299
सितम्बर, 2006	2200	लागू नहीं

ट्रक व बस के टायर, ट्यूब व फ्लैप (टीटीएफ) की खुदरा बाजार कीमत

आकार : 10,00-20 पीआर एलयूजी

माह/वर्ष	ब्राण्ड "ए"	ब्राण्ड "बी"	ब्राण्ड "सी"
फरवरी, 2006	लागू नहीं	10200	10150
मार्च, 2006	लागू नहीं	10300	10250
अप्रैल, 2006	10323	10300	10350
मई, 2006	10512	10300	10400
जून, 2006	11187	10350	11000
जुलाई, 2006	11327	10300	11500
अगस्त, 2006	11877	10300	11650
सितम्बर, 2006	10377	10500	लागू नहीं

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) चूंकि अप्रैल, 2001 से प्राकृतिक रबड़ के आयात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है, अतः उपभोक्ता उद्योग प्राकृतिक रबड़ की चाहे जितनी मात्रा का आयात, लागू सीमाशुल्क का भुगतान करके खुले स्रोतों से करने के लिए स्वतंत्र हैं।

स्पेशल इकानोमिक जोनों संबंधी दिशा-निर्देश

994. श्री जी.वी. हर्ष कुमारः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार स्पेशल इकानोमिक जोनों संबंधी दिशा-निर्देशों को बनाने के लिए कोई विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या स्पेशल इकानोमिक जोन संबंधी नीति पर कोई राष्ट्रीय जनमत संग्रह है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) के प्रबंधन हेतु एसईजेड अधिनियम, 2005 में एसईजेड प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेशम प्रौद्योगिकी मिशन

995. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन की तर्ज पर रेशम प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार इस परियोजना हेतु उद्यमियों को कोई राजसहायता उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो रेशम के घेरलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। केंद्र सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन की तर्ज पर रेशम प्रौद्योगिकी मिशन शुरू नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों के लिए नई नीति

996. श्री आनंदराव विठोबा अडसूलः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्यों से अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के लिए निर्धारित परिव्यय को खर्च करने हेतु एक विशिष्ट वार्षिक योजना बनाने का अनुरोध किया है जैसाकि दिनांक 13 अक्तूबर, 2006 के ''द हिन्दू'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने नई जनजातीय नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो नई जनजातीय नीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) जनजातीय क्षेत्रों में मानव विकास सूचकांक, सामाजिक-आर्थिक विकास और मूल बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में नई जनजातीय नीति अनुसूचित जनजातियों के किस सीमा तक शेष जनसंख्या के समकक्ष ला पाएगी?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को राज्य की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में टीएसपी के तहत निधियां आरक्षित रखना सुनिश्चित करने और तदनुसार 2006-07 की वार्षिक योजना तैयार करने के लिए लिखा है। इस संबंध में आयोग के दिशानिर्देशों को भी राज्य सरकार की जानकारी में ला दिया गया है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनजातीय नीति का एक प्रारूप तैयार किया है, जिसे विभिन्न हितधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) राष्ट्रीय जनजातीय नीति का क्रियान्वयन इसे अंतिम रूप देने के बाद ही किया जा सकता है।

(ङ) मानव विकास सूचकांक, सामाजिक-आर्थिक दशाओं और जनजातीय क्षेत्रों में मूलभूत ढांचागत सुविधाओं के संदर्भ में जनजातियों

को शेष आबादी के बराबर लाने की दृष्टि से प्रारूप नीति में नियामक संरक्षण, सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण, महिला-सशक्तिकरण, ढांचागत विकास, आजीविका के अधिक अवसरों, उन्नत शासन एवं प्रशासन, सांस्कृतिक एवं परंपरागत अधिकारों एवं पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण एवं सुविधाओं तक पहुंच के उपायों की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय शिल्पकार

997. **श्री सुनिल कुमार महतो:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय शिल्पकारों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस संबंध में चालू योजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(ग) उक्त योजनाओं के कार्यकरण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत और अन्य राष्ट्रों के बीच होने वाले सहमत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत सिद्धहस्तशिल्पियों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में प्रदर्शन एवं जीवंत (लाइव) प्रदर्शन में भाग लेने के लिए समय-समय पर प्रायोजित किया जाता है। इसके अलावा, सिद्धहस्तशिल्पी निर्यात संवर्धन परिषदों एवं राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों के माध्यम से विदेशों में होने वाले कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं।

(ख) वर्तमान में निर्यात संवर्धन स्कीम प्रचालन में है जिसके अंतर्गत ऊपर (क) में उल्लिखित कार्यकलापों पर होने वाला व्यय वहन किया जा रहा है।

(ग) निर्यात संवर्धन स्कीम के कार्यान्वयन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय हस्तशिल्पों के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद मिलती है जिससे भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

[अनुवाद]

सी आर एफ मानदंडों की समीक्षा

998. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से आपदा राहत कोष (सी आर एफ) के अंतर्गत व्यय के मानदंडों की समीक्षा, मुआवजे में वृद्धि और अन्य कतिपय मदों को शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे अनुरोधों की जांच के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (च) आपदा राहत कोष (सी आर एफ)/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन सी सी एफ) से सहायता हेतु मौजूदा मदों और मानदंडों की व्यापक रूप से समीक्षा करने तथा प्राकृतिक आपदाओं की अनुमोदित सूची में शामिल नई आपदाओं हेतु मानदंड बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है। विशेषज्ञ समूह ने बोर्ड में व्यापक रूप से विभिन्न विचारधाराओं को शामिल करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार सहित सभी राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से सुझाव मांगे हैं। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तावित विषयों पर विशेषज्ञ समूह द्वारा विचार किया गया है। समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) सहित गृह, वित्त मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा विचार किया गया है। सी आर एफ/एन सी सी एफ से सहायता की मदों और मानदंडों के संशोधन के प्रस्ताव को अब विचारार्थ और अनुमोदन के लिए उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी) के सम्मुख रखा जा रहा है। तत्पश्चात्, एच एल सी द्वारा यथाअनुमोदित संशोधित मदों और मानदंडों को अधिसूचित किया जाएगा तथा राज्यों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को परिचालित किया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादियों का आत्मसमर्पण

999. श्री मणि कुमार सुब्बा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में उग्रवादियों और अलगाववादियों ने अपने हथियार डाल दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अलगाववादियों और उग्रवादियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 2006 के दौरान अब तक अपने हथियार डाले हैं;

(ग) ऐसे आत्मसमर्पण के लिए तय की गई शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) वर्ष 2006 के दौरान (31.10.2006 तक) पूर्वोत्तर राज्यों में 1,389 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। राज्य-वार ब्योरे इस प्रकार हैं:

राज्य	आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	002
असम	374
मणिपुर	020
मेघालय	034
मिजोरम	847
नागालैंड	007
त्रिपुरा	105
कुल	1389

(2) केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के समर्पण और पुनर्वास हेतु एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है। राज्य सरकारों द्वारा वहन किए गए व्यय की 100% प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। इस स्कीम में उल्लिखित लाभों का प्रावधान किया गया है:

(1) आत्मसमर्पण करने वाले के नाम से बैंक में 3 वर्ष की अवधि के लिए आवधिक जमा के रूप में 1.5 लाख रुपए का तत्काल अनुदान रखना। इस धनराशि का उपयोग स्वरोजगार के लिए बैंक से आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले ऋण के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति/मार्जिन राशि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(2) प्रत्येक समर्पण करने वाले के लिए 36 माह हेतु 2000/- रुपए प्रति माह की वृत्तिका; और

(3) आत्मसमर्पण करने वाले के लिए स्वरोजगार हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रावधान।

[हिन्दी]

राजस्थान में एनटीसी मिलें

1000. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की स्थानवार कितनी मिलें हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन प्रत्येक मिलों को कितनी लाभ/हानि हुई है;

(ग) इनमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और वे कौन-कौन से वर्गों के हैं;

(घ) कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का विकल्प चुना है और उसका आश्रय लिया है;

(ङ) कितनी मिलों को बंद किए जाने अथवा बीआईएफआर को सौंपे जाने की संभावना है;

(च) क्या इस संबंध में केंद्र सरकार को राज्य सरकार/मिल कामगार यूनियन/जन प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध/प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) एनटीसी की राजस्थान में कुल चार मिलें हैं।

(1) उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर

(2) श्री विजय काटन मिल्स, विजय नगर

(3) महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर

(4) एडवाईस मिल्स, ब्यावर (औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 6.5.2002 से बंद)

(ख) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ङ) इन सभी मिलों का मामला बीआईएफआर को भेजा गया है। बीआईएफआर द्वारा मार्च 2006 में अनुमोदित संशोधित पुनरुद्धार योजनाओं के अनुसार उदयपुर मिल को एनटीसी द्वारा स्वयं आधुनिकीकृत किए जाने के लिए अभिज्ञात किया गया है और श्री विजय काटन मिल्स तथा महालक्ष्मी मिल को संयुक्त उद्यम मार्ग के जरिए आधुनिकीकृत किये जाने के लिए अभिज्ञात किया गया है।

(च) और (छ) महालक्ष्मी टेक्सटाइल्स मिल्स ब्यावर और विजय काटन मिल्स विजय नगर को पुनः शुरू करने के लिए माननीय वस्त्र मंत्री जी को संबोधित दिनांक 20.01.2006 और 07.03.2006 के दो अभ्यावेदन श्री रासा सिंह रावत, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त हुए थे। इन मिलों को संयुक्त उद्यम मार्ग के जरिए आधुनिकीकृत किये जाने के लिए अभिज्ञात किया गया है।

विवरण

(ख) पिछले 3 वर्षों में नकद लाभ/घाटा (करोड़ रु. में)

मिल्स	2003-04	2004-05	2005-06
एडवार्ड	औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 6.5.2002 से बंद		
महालक्ष्मी	-2.59	-3.16	-2.69
श्रीविजय	-2.78	-2.78	-2.71
उदयपुर	-2.95	-3.03	- 1.80

(ग) 01.11.2006 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की स्थिति

मिल्स	कामगार	कर्मचारी	अधिकारी
एडवार्ड	औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 6.5.2002 से बंद		
महालक्ष्मी	69	50	15
श्रीविजय	36	38	12
उदयपुर	9	28	12

(घ) 01.11.2006 तक वीआरएस लेने वाले

मिल्स	वीआरएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारी	वीआरएस के निमित दी गई राशि करोड़ रु. में
एडवार्ड	280	6.89
महालक्ष्मी	270	6.77
श्रीविजय	404	9.79
उदयपुर	361	9.72

[अनुवाद]

महिलाओं के प्रति अत्याचार

1001. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले विभिन्न राज्यों में महिला और बाल विकास के प्रभारी सचिवों की एक बैठक बुलाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) बैठक के दौरान संबंधित राज्य सरकारों के साथ मंत्रालय के कार्यक्रमों और स्कीमों की प्रगति की समीक्षा की गई।

बी एस एफ द्वारा महिला बटालियन की स्थापना

1002. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी एस एफ ने सात कम्पनियों वाली महिला बटालियनों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी बटालियन का नया काडर होगा अथवा इसका चयन वर्तमान कार्मिकों से किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी बटालियनों के प्रमुख दायित्व और उत्तरदायित्व क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को प्रायोगिक आधार पर और आपरेशन संबंधी आवश्यकता के अनुरूप ड्यूटियों के आबंटन हेतु कुछ कंपनियों के गठन के लिए सामान्य रिक्त पदों पर महिला कर्मियों की भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है।

बाल विवाह

1003. **श्री के.सी. पल्लानी शामी:**
श्री एम. राजमोहन रेड्डी:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बाल विवाह अभी भी प्रचलित है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आए ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 1929 के स्थान पर कोई नया अधिनियम लाने जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में बाल विवाह की समस्या विद्यमान है। रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 2003 से 2005 के दौरान जिन मामलों को दर्ज किया गया है, जिनमें आरोप-पत्र दायर किए गए, सुनवाई पूरी की गई, दोष सिद्ध हुआ उनकी तथा दोषी सिद्ध हुए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है। मासिक अपराध आंकड़ों के आधार पर, बाल विवाद अवरोध अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2006 के दौरान (मौजूदा महीनों में) दर्ज किए गए मामलों की संख्या विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ग) बाल विवाह की प्रथा को निषिद्ध करने के उद्देश्य से बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है तथा बाल विवाह निवारण अधिनियम, 2004 पर संसद के मौजूदा सत्र के दौरान विचार करने तथा इसे पारित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रयोजनार्थ जागरूकता विकास एवं संचेतना कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

(घ) से (च) जी, हां। बाल विवाह निवारण अधिनियम, 2004 राज्य सभा में 20.12.2004 को प्रस्तुत किया गया, जिसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। मंत्रि समूह ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा विधेयक में संशोधन हेतु मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। विधेयक एवं संशोधन पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए राज्य सभा को नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। संसद के मौजूदा सत्र के दौरान विधेयक पर विचार किए जाने की संभावना है।

विवरण I

वर्ष 2001 से 2005 के दौरान बाल विवाह अवरोध अधिनियम के अंतर्गत जिन मामलों को दर्ज (दर्ज) किया गया, जिनमें आरोप-पत्र (आ. पत्र) दायर किए गए, सुनवाई पूर्ण (सु. पूर्ण) की गई, दोष सिद्ध हुआ (दोष), उनकी तथा दोषी सिद्ध (दोषी) व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003					2004					2005				
	दर्ज	आ.पत्र	सु.पूर्ण	दोष	दो.व्य.	दर्ज	आ.पत्र	सु.पूर्ण	दोष	दो.व्य.	दर्ज	आ.पत्र	सु.पूर्ण	दोष	दो.व्य.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	4	6	9	0	4	4	1	3	0	2	9	1	3	0	2
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
असम	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	4	1	0	0	0
छत्तीसगढ़	6	6	6	6	6	14	14	10	10	30	3	3	5	5	11
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	11	15	16	10	39	30	29	13	9	41	25	25	10	7	27
हरियाणा	3	2	0	0	0	2	2	0	0	0	7	6	2	0	0
हिमाचल प्रदेश	1	0	2	0	0	2	3	3	0	0	3	1	1	0	0
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0
केरल	0	1	1	0	0	1	2	1	0	0	3	0	3	0	0
मध्य प्रदेश	3	2	1	1	0	2	3	2	0	0	18	16	6	5	12
महाराष्ट्र	16	12	4	1	2	14	15	10	2	8	22	17	19	3	8
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	2	2	2	0	0	2	2	1	1	3	11	6	2	0	0
राजस्थान	6	3	3	1	9	2	3	4	1	8	3	2	5	2	7
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	3	2	1	1	1	5	6	1	0	0	4	2	7	1	1
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	4	4	0	0	0	1	1	1	1	3	4	4	2	1	18
उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	2	0	0	0
कुल (राज्य)	62	55	45	20	61	93	82	52	24	95	122	88	65	24	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (सं.रा.क्षे.)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
कुल (अखिल भारत)	63	56	46	20	61	93	82	53	24	95	122	88	65	24	86

स्रोत: भारत में अपराध।

टिप्पणी: वर्ष 2005 के आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण II

बाल विवाह अवरोध अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2006 के दौरान (मौजूदा महीनों में) दर्ज किए गए मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामलों की संख्या	जिस माह तक के आंकड़े उपलब्ध हैं
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	मई
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	मई
3.	असम	0	मार्च
4.	बिहार	0	मार्च
5.	छत्तीसगढ़	2	मई
6.	गोवा	0	मई
7.	गुजरात	2	मई
8.	हरियाणा	0	मई
9.	हिमाचल प्रदेश	0	मई

1	2	3	4
10.	जम्मू-कश्मीर	0	मई
11.	झारखंड	0	मई
12.	कर्नाटक	3	अप्रैल
13.	केरल	0	मई
14.	मध्य प्रदेश	4	मई
15.	महाराष्ट्र	9	मई
16.	मणिपुर	0	मई
17.	मेघालय	1	अप्रैल
18.	मिजोरम	0	मई
19.	नागालैंड	0	मार्च
20.	उड़ीसा	0	जनवरी
21.	पंजाब	0	मई
22.	राजस्थान	0	मई
23.	सिक्किम	0	मई
24.	तमिलनाडु	0	मई
25.	त्रिपुरा	0	मई
26.	उत्तर प्रदेश	0	मई
27.	उत्तरांचल	0	मई
28.	पश्चिम बंगाल	0	मार्च
	कुल (राज्य)	24	
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	जून
30.	चंडीगढ़	0	मई
31.	दादरा और नगर हवेली	0	मार्च
32.	दमन और दीव	0	जून
33.	दिल्ली	0	अप्रैल

1	2	3	4
34.	लक्षद्वीप	0	जून
35.	पांडिचेरी	0	मई
	कुल (सं.रा.क्षे.)	0	
	कुल (अखिल भारत)	24	

स्रोत: मासिक अपराध आंकड़े।

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

आरक्षण नीति का क्रियान्वयन

1004. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री अधीर चौधरी:
श्री बची सिंह रावत "बचदा"
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक आरक्षित श्रेणी को विभिन्न उच्च एवं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में दिए गए/दिए जा रहे आरक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रतिष्ठित केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु कोटा लागू करने के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु गठित मोईली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी शैक्षणिक संस्थान अपने संस्थानों में सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने पर सहमत है जैसाकि दिनांक 27 अक्तूबर, 2006 के "दि हिन्दुस्तान टाईम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन निजी शैक्षणिक संस्थानों ने सरकार की नीति को लागू करने से पहले मांग रखी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उक्त मांगों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसी केन्द्र द्वारा अनुरक्षित तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं में दाखिले के संबंध में आरक्षण की वर्तमान नीति के तहत अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत सीटों का प्रावधान है बशर्ते इन वर्गों के छात्र संबंधित श्रेणियों हेतु निर्धारित किए गए योग्यता मानदण्डों को पूरा करते हों। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत स्थापित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को सरकार की आरक्षण संबंधी नीति को लागू करने से छूट दी गई है।

(ख) और (ग) रोडमैप का सुझाव देने हेतु गठित ओवर साइट समिति ने केन्द्र से सहायता प्राप्त वाले सभी उच्चतर अधिगम संस्थानों में सामान्य श्रेणी के छात्रों हेतु उपलब्ध सीटों के वर्तमान स्तर में कोई कमी किए बिना अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सीटों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की सिफारिश की है जिस पर कलैन्डर वर्ष 2007-08 से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र से लागू करते हुए अगले तीन वर्षों के दौरान 12338.22 करोड़ रु. की राशि खर्च की जाएगी।

(घ) से (ज) निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श किया जा रहा है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

राज्य सुरक्षा बलों की स्थापना

1005. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सी आई एस एफ सुरक्षा बल की बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) की तर्ज पर सुरक्षा बलों की स्थापना करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और संवेदनशील संस्थानों, इमारतों, हवाई अड्डों की सुरक्षा की मांग को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) से पूरा किया जाता है।

(ग) और (घ) राज्यों में सदृश आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को सी आई एस एफ की ही तर्ज पर विशेष बल गठित किए जाने की आवश्यकता है।

आनलाइन इंजीनियरिंग शिक्षा

1006. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) का विचार देश भर के छात्रों को आनलाइन इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थानों ने आनलाईन इंजीनियरी शिक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए, मंत्रालय नेशनल प्रोग्राम आन टेक्नोलाजी ऐन्हन्स्ड लर्निंग को प्रोत्साहित कर रहा जिसका मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा पाठ्चर्या आधारित वीडियो तथा वेब-पाठ्यक्रम विकसित करके देश में इंजीनियरी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने बृहस्पति नामक एक साफ्टवेयर विकसित किया है जिसमें इसके द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम संस्थान की वेब-साईट पर उबलब्ध होते हैं। ये सम्पूर्ण देश के विश्वविद्यालयों/संगठनों के लिए भी उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

खादी उद्योग की खराब हालत

1007. श्री जी.एम. आरून रशीद:
श्री सज्जन कुमार:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाथूला दर्रे के खुल जाने से देश में सस्ते चीनी रेशम की उपलब्धता की वजह से देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में खादी उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी क्षेत्र में सिल्क खादी क्रियाकलाप स्थानीय तौर पर उपलब्ध कोया के उपयोग, यार्न की हस्त रीलिंग, हस्त-रील्ड यार्न की अधिप्राप्ति पर भी आधारित है और इसलिए नाथूला दर्रे के खुलने से देश में उपलब्ध होने वाली सस्ता चीनी सिल्क दीर्घ काल में खादी उद्योग को बुरी तरह प्रभावित करेगा, इसकी सम्भावना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र

1008. श्री कीरेन रिजीजू:
श्री संतोष गंगवार:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुदेशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना वर्ष 2003 में शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और खर्च की गई है;

(ग) क्या उक्त परियोजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत शामिल सभी व्यक्तियों को कब तक पहचान-पत्र जारी किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) जी हां। प्रायोगिक परियोजना के लिए 44.36 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें से अभी तक 12.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ग) प्रायोगिक परियोजना का मुख्य उद्देश्य पहचान की प्रक्रिया और उससे सजुड़ी प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के लिए जांच का आधार तैयार करना और साथ ही साथ उनकी सीमाओं और अप्रत्याशित आपत्तियों का पता लगाना है। प्रायोगिक परियोजना से इसकी प्रक्रियाओं और साथ ही साथ आंकड़ों के प्रबन्धन और एकीकरण, आंकड़ों की पुन: प्राप्ति और आंकड़ों के भण्डारण, संयोजन, आदि की जटिलताओं की गहन जानकारी जुटाने में मदद मिलती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रायोगिक परियोजना के क्षेत्रों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के पहचान-पत्र तैयार करने और उनका वितरण करने का कार्य सरकारी कम्पनियों को सौंपा गया है। उनके साथ समय-सीमा की अवधि के संबंध में हुई सहमति के अनुसार पहचान-पत्रों के वितरण का कार्य मई, 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

सीनियर सेकेन्डरी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

1009. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी एस ई) का शैक्षिक सत्र 2007 से सीनियर सेकेन्डरी स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है, जैसा कि दिनांक 22 सितंबर, 2006 के ''द टाइम्स आफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन नए पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है:

(1) फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमैंट

(2) जनरल हैल्थ-केयर

(3) फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टैक्नालाजी

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय शैक्षिक सत्र 2006-07 के अंत तक लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

शिक्षा पर व्यय

1010. श्री हेमलाल मुर्मू:
डा. बाबू राव मीडियम:
श्री संजय धोत्रे:
श्री बापू हरि चौरे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष शिक्षा पर योजनावार किए गए बजटीय आबंटन का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-2006 के दौरान शिक्षा व्यय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत आबंटित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या आगामी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए बजट आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं के संबंध में शिक्षा व्यय के साथ योजनावार बजटीय आवंटन (योजनागत) संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान शिक्षा व्यय में 44.5% की वृद्धि हुई।

(ग) से (च) सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत तक चरणबद्ध ढंग से बढ़ोत्तरी करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है जिसमें कम से कम आधी राशि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रों पर खर्च की जाएगी।

विवरण I

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना 2003-04		वार्षिक योजना 2004-05		वार्षिक योजना 2005-06	
		अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	माध्यमिक शिक्षा						
1.	सुलभता और समानता	20.00	5.92	30.00	3.72	10.00	5.51
2.	स्कूलों में गुणवत्ता सुधार	26.00	11.13	20.00	5.13	10.00	3.72
3.	स्कूलों में आई.सी.टी.	111.00	9.00	97.00	19.39	50.00	45.10
4.	विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	35.00	38.46	39.00	36.49	45.00	41.49
5.	स्कूल शिक्षा में संस्थानों को सहायता अनुदान						
	(i) शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	14.00	17.90	19.00	17.76	19.00	19.00
	(ii) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	15.00	9.00	7.00	5.40	4.00	3.60
	(iii) नवोदय विद्यालय	360.00	439.56	392.00	449.00	550.00	571.00
	(iv) केन्द्रीय विद्यालय	85.00	103.57	85.00	112.00	183.00	183.00
	(v) केन्द्रीय तिब्बतीय स्कूल प्रशासन	3.00	2.93	3.00	3.00	3.99	3.60
6	मंगोलिया में संयुक्त भारतीय मंगोलियन स्कूल	0.00	0.52	1.00	0.40	0.01	0.50
II.	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा						
1.	राष्ट्रीय महिला कार्यक्रम	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	0.40	0.40	0.50	0.45	0.50	0.49
3.	उच्च अध्ययन संस्थाएं	1.30	0.73	1.00	0.60	1.00	0.99

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालिज ट्रस्ट	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40
5.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	516.75	516.75	541.75	719.75	785.40	786.30
6.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	67.00	16.56	67.00	66.65	60.00	30.24
7.	अनुसंधान संस्थाएं						
	(i) आई.सी.एच.आर.	2.80	2.50	2.80	2.60	2.80	2.50
	(ii) आई.आई.ए.एस.	2.75	2.51	2.75	1.84	2.00	1.64
	(iii) आई.सी.पी.आर.	2.40	1.99	2.40	1.31	2.00	1.45
	(iv) आई.सी.एस.एस.आर.	17.50	17.30	17.50	15.75	17.50	17.80
	(v) पी.एच.आई.एस.पी.सी.	1.90	1.69	1.90	1.70	1.40	1.53
	(vi) राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद	0.80	0.00	1.00	0.00	1.00	0.24
III. भाषा विकास							
1.	भाषा शिक्षकों की भर्ती	11.50	11.10	13.00	14.87	16.00	15.38
2.	क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम	31.50	29.00	29.00	22.05	29.00	26.46
3.	मानवीय मूल्यों में शिक्षा	9.00	3.00	3.00	2.74	3.00	2.88
4.	भाषा विकास के लिए संस्थाओं को सहायता अनुदान						
	(i) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा सहित)	5.50	6.34	7.34	6.99	7.34	6.94
	(ii) वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों सहित	2.10	1.47	2.10	1.92	2.10	1.69
	(iii) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान विदेशों में हिन्दी के प्रसार सहित	5.75	2.50	3.00	2.88	3.00	3.00
	(iv) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान गैर-सरकारी संगठनों/प्रादेशिक भाषा केन्द्रों सहित	6.03	6.07	8.00	7.90	8.95	8.37
	(v) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद	9.75	9.75	11.00	11.00	11.00	11.53
	(vi) राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद	0.40	0.40	0.85	0.76	0.85	0.60
	(vii) केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान	1.40	2.80	4.00	4.00	4.00	3.78
5.	तमिल भाषा विकास स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20
6.	संस्कृत शिक्षा का विकास	13.00	14.73	18.00	7.22	19.00	10.38

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	संस्कृत संस्थाओं को सहायता अनुदान						
	(i) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संस्कृत शब्दकोश के विश्वकोष सहित	15.07	15.50	19.50	15.30	17.30	15.57
	(ii) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन	3.00	1.00	2.50	1.35	2.50	0.25
IV. छात्रवृत्ति							
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम	5.00	0.13	4.00	0.30	11.00	8.36
2.	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां	3.00	0.02	3.00	0.42	0.00	0.00

विवरण II

1	2	3	4	5	6	7	8
V. पुस्तक प्रोन्नयन और कापीराइट							
1.	शैक्षिक पुस्तकालय	0.50	000	0.01	0.00	0.00	0.00
2.	पुस्तक संवर्धन कार्यकलाप एवं स्वैच्छिक एजेंसियां	1.00	1.10	1.20	1.07	2.00	1.34
3.	बौद्धिक सम्पदा शिक्षा अनुसंधान एवं पब्लिक आउटरीच स्कीम	3.80	2.19	2.50	0.79	5.00	0.93
4	पुस्तक प्रोन्नयन के लिये संस्थाओं को सहायता अनुदान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को अनुदान	6.70	3.00	3.00	1.80	3.60	9.50
VI. आयोजना और प्रशासन							
1.	राज्य स्तर पर सांख्यिकीय तंत्र को सुदृढ़ बनाना	1.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
2.	शैक्षिक नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्यांकन हेतु स्कीम	0.90	0.40	0.90	0.53	0.90	0.81
3.	आई.एन.सी. के कार्यकलापों का पुनर्गठन						
	(i) आई.एन.सी. पुस्तकालय को सुदृढ़ बनाना	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.03
	(ii) मीटिंगों, समितियों, सम्मेलनों (अब बन्द) का आयोजन करना	0.10	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	(iii) यूनेस्को के कार्यक्रमों और कार्यकलापों में लगी स्वैच्छिक एजेंसियों को सुदृढ़ बनाना	0.05	0.01	0.05	0.00	0.03	0.02
4.	यूनेस्को भवन का निर्माण	0.85	0.00	0.85	0.00	1.50	0.00
5.	बाह्य शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ बनाना	0.50	0.29	0.50	0.15	0.50	0 14
6.	नीपा	2.25	2.35	2.65	2.61	2.65	2.44
7.	आरोविले प्रबंधन को सहायता अनुदान	1.35	1.55	1.94	1.70	3.67	1.29
8.	अन्य स्कीमें (अब बन्द)						

1	2	3	4	5	6	7	8
VII. तकनीकी शिक्षा							
1.	शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना	50.00	7.10	50.00	28.14	20.00	10.94
2.	तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम						
	समूह-क						
	(i) व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये सुधार कार्यक्रम	2.50	2.50	2.50	000	2.41	0.60
	(ii) प्रौद्योगिकी विकास मिशन	8.00	0.20	4.00	3.60	4.00	0.22
	(iii) अनुसंधान एवं विकास	20.00	13.06	25.00	33.15	0.01	0.0C
	(iv) माडरान	15.00	12.82	5.00	0.00	0.01	0.00
	(v) तकनीकी शिक्षा के विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र	15.00	9.22	5.00	0.00	0.01	0.00
	(vi) अनुसंधान एवं सूचना सेवाएं	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समूह-ख						
	(i) प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (साफ्ट जनशक्ति विकास)	30.00	0.00	50.00	0.00	0.01	0.00
	(ii) नये और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को सहायता	5.00	4.92	3.76	1.12	0.01	3.00
	(क) भूकंप इंजीनियरिंग के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम						
	(ख) जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-विज्ञान के क्षेत्रों में शिक्षा हेतु कार्यक्रम						
	(iii) दूरस्थ शिक्षा और वेब आधारित शिक्षा को सहायता	5.00	5.00	5,00	5.00	0.00	0.00
	(iv) संसाधनों के इष्टतमीकरण के लिये संस्थानों की नेटवर्किंग के लिये सहायता	0.14	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
3.	समुदाय पालीटेक्नीक्स	70.00	19.76	29.23	20.78	29.00	13.09
4.	विकलांग हेतु पालीटेक्नीक	6.00	5.00	4.00	1.88	4.00	3.45
5.	तकनीकी शिक्षा में संस्थाओं को सहायता अनुदान						
	(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	100.00	50.00	60.00	54.00	100.00	91.48
	(ii) संत लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.70
	(iii) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	17.00	30.00	30.00	27.00	30.00	89.00
	(iv) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	140.00	214.40	200.00	200.00	220.00	292.00
	(v) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान)	80.00	80.00	80.00	78.00	90.00	87.88

1	2	3	4	5	6	7	8
	(vi) भारतीय प्रबंधन संस्थान	25.00	10.00	15.00	25.00	35.00	31.51
	(vii) एडसिल में निवेश	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
	(viii) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (नेरिस्ट)	3.00	9.00	3.00	1.50	5.00	4.00
	(ix) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	2.50	8.00	5.00	4.50	10.00	11.00
	(x) भारतीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	2.50	2.50	5.00	4.85	6.00	3.40
	(xi) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	12.00	7.68	12.00	9.70	12.00	11.70
	(xii) एन.आई.ई., मुम्बई	5.00	5.00	3.00	1.00	4.00	3.60
	(xiii) एनआईएफएफटी, रांची	3.50	3.00	3.00	2.00	4.00	3.60
	(xiv) एसपीए, नई दिल्ली	4.00	4.00	4.00	2.55	4.00	3.60
	(xv) आईएसएम, धनबाद	6.00	6.00	3.00	2.99	5.00	6.50
	(xvi) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण सहित बाट्स (योजनागत) का ब्यौरा	16.50	12.00	16.50	14.85	22.50	20.25
6.	अनौपचारिक क्षेत्र विकास	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा और योग्यता आधारित मूल्यांकन सेवाओं कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	शैक्षिक प्रशासन के लिए राष्ट्रीय मिशन	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय मिशन	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग	1.00	0.44	1.00	0.63	1.00	0.89
11.	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	50.00	100.47	100.00	82.50	100.00	4.99
12.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग संस्थान कांचीपुरम	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
13.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर	0.00	0.00	10.00	4.00	10.00	6.00
14.	इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी सरकारी कालेज, जम्मू	0.00	0.00	0.00	5.00	0.01	0.00
15.	पालिटेक्निकों में आधारभूत संरचना कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
16.	नई पालेटिक्नकों की व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
17.	सी.आई.टी., कोकराझार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
18.	भारतीय प्रबंधन संस्थान (पूर्वोत्तर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
19.	शिक्षा और अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. प्रारम्भिक शिक्षा							
	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के अलावा						
1.	शिक्षक शिक्षा	207.00	149.69	207.00	202.66	200.00	211.18
2.	शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद	6.25	4.65	7.75	0.00	5.00	0.00
3.	बाल भवन सोसायटी	4.00	1.86	4.72	4.23	5.00	4.50
4.	प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम	1175.00	1375.00	1675.00	1588.55	3345.26	3186.83
5.	सर्व शिक्षा अभियान	1851.25	2730.61	2557.08	5139.22	6440.00	7568.34
6.	कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय	8.50	0.00	100.00	92.57	250.00	224.31
	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना						
1.	शिक्षा कर्मी	10.00	10.00	39.04	39.04	6.50	6.50
2.	लोक जुम्बिस	70.00	125.00	29.41	29.41		
3.	महिला समाख्या	30.00	10.38	30.00	14.99	30.00	19.23
4.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	1200.00	792.88	600.00	599.51	600.00	566.85
5.	सर्व शिक्षा अभियान	100.00	*	500.00	*	1360.00	*
6.	प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र संयुक्त कार्यक्रम	5.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
IX. प्रौढ़ शिक्षा							
1.	साक्षरता अभियान और संचालन पुनरुद्धार	25.00	24.31	26.00	25.06	25.00	30.30
2.	नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा	145.00	144.38	157.24	155.06	184.45	149.09
3.	गैर-सरकारी संगठनों को सहायता	24.50	24.29	25.00	17.81	25.00	13.62
4.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	12.00	10.74	11.50	8.40	13.75	9.18
5.	जन शिक्षण संस्थान	25.00	25.86	28.00	27.81	39.55	42.08
6.	एन.एल.एम.ए.	1.00	0.54	1.00	0.64	1.00	0.55
7.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	0.50	0.50	0.01	0.00	0.00	0.00
8.	राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (ई.ए.पी.)	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	1.22

*बाह्य परियोजनाओं को छोड़कर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल।

लौह अयस्क की खानों के आबंटन हेतु प्रस्ताव

1011. **श्री टेक लाल महतो:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क खानों के आबंटन के संबंध में स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) ऐसे कितने प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है और कितने प्रस्ताव अभी तक लंबित हैं;

(ग) ऐसे प्रस्तावों के लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध लौह अयस्क की खोज करने और उनका खनन करने हेतु कोई विशेष अभियान चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) विभिन्न व्यक्तियों और कम्पनियों को लौह अयस्क के खनन पट्टे प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए झारखंड राज्य सरकार से 1.1.2003 से लेकर 22.11.2006 तक बाईस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 18 प्रस्तावों पर लिया गया निर्णय, राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है। शेष 4 प्रस्तावों में से 3 प्रस्ताव राज्य सरकार से और अधिक सूचना/स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा के कारण लम्बित हैं और एक प्रस्ताव, जिसके लिए सूचना/स्पष्टीकरण हाल ही में प्राप्त हुआ है, पर निर्णय हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

(घ) और (ङ) जहां तक खान मंत्रालय का संबंध है, खान मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने फील्ड सीजन 2006-2007 के दौरान झारखंड के पलामू जिले के राजहारा, सोकरा, नावा, दातम और भीमा बाथम क्षेत्रों में लौह अयस्क के आकलन के लिए एक नया कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा है।

[अनुवाद]

आई जी आई विमानपत्तन पर आव्रजन काउंटर

1012. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अन्य विमानपत्तनों की तुलना में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आई जी आई) पर आव्रजन काउंटरों पर तैनात अधिकारीगण यात्रियों के प्रति विनम्र और उदारवादी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के साथ कुशल व्यवहार करने हेतु उन्हें समुचित प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आव्रर्जन अधिकारी पासपोर्टों में दोष निकाल कर यात्रियों को परेशान करते हुए पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर आप्रवासन अधिकारी यात्रियों के प्रति देश के दूसरे हवाई अड्डों की तरह ही विनम्र और शिष्ट होते हैं।

(ग) और (घ) ऐसे मामले बहुत कम हैं। यदि ऐसे किसी मामले की सूचना मिलती है तो गलती करने वाले अधिकारी के विरुद्ध तुरंत एवं उचित कार्रवाई की जाती है।

फागिंग स्प्रे के प्रयोग पर प्रतिबंध

1013. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने फागिंग स्प्रे पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि यह इन्सानों को नुकसान पहुंचाता है और इससे अस्थमा हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में एम सी डी द्वारा फागिंग स्प्रे को पुनः प्रयोग में लाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उसे माननीय उच्चतम न्यायालय से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए फोगिंग स्प्रे बहुत कारगर है।

पटसन का निर्यात

1014. श्री एल. राजगोपाल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पटसन तथा पटसन के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पटसन पर एक राष्ट्रीय नीति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो पटसन नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) हमारे पटसन उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात हेतु अगली पीढ़ी की पटसन मशीनरी के विकास की आवश्यकता पर यह नीति किस प्रकार जोर डालती है;

(घ) विश्व में पटसन निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है;

(ङ) क्या पटसन के निर्यात हेतु 10वीं योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) इस नीति की मुख्य बातें 15% प्रति वर्ष सीएजीआर हासिल कर पटसन और पटसन उत्पादों के निर्यात की मात्रा में वृद्धि करना, अच्छी गुणवत्ता के पटसन फाइबर तथा मूल्यवर्द्धित विविधीकृत पटसन उत्पादों का उत्पादन करना, पटसन किसानों को लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करना और कच्चे पटसन की प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाना है।

(ग) उत्पादन लागत कम करने और/अथवा गुणवत्ता में सुधार लाने तथा साथ ही पटसन उत्पादों के निर्यात में सहायता करने के लिए अगली पीढ़ी की पटसन मशीनरी के सफल विकास के वास्ते राष्ट्रीय पटसन नीति, 2005 में सिफारिश की गई कि पांच वर्षों की समयावधि में निम्नलिखित कदम उठाए जाएं:-

(1) पटसन उद्योग के वर्तमान प्रौद्योगिकीय स्तर के मूल्यांकन के लिए व्यापक निर्धारण (प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा के माध्यम से) पूरा करना;

(2) संगठित और विकेंद्रीकृत दोनों क्षेत्रों (और कुटीर उद्योग के लिए भी) के लिए मशीनरी विकास के वास्ते एक पंचवर्षीय योजना तैयार करना; और

(3) भारत सरकार के उपयुक्त मंत्रालयों के साथ परामर्श कर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के क्षेत्र में एक पृथक अनुसंधान एवं विकास स्थापना स्थापित करना।

राष्ट्रीय पटसन नीति में एक पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है। इस मिशन के लघु मिशन-4 में मशीनरी विकास के लिए एक संघटक है।

(घ) आंकड़ों के अनुसार: जून 2006, एफएओ द्वारा प्रकाशित पटन, केनाफ और सहायक फाइबरों का 2004 के दौरान विश्व निर्यात 7,40,200 मी. टन था। 2004-05 के दौरान भारत का निर्यात 3,21,800 मी. टन था। यह विश्व निर्यात का 43% है।

(ङ) जी, हां।

(च) पटसन, सन, मेस्टा वस्त्रों के लिए 10वीं योजना अवधि के लिए 634.52 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(छ) 10वीं योजना अवधि के दौरान भारतीय पटसन क्षेत्र का निर्यात निष्पादन नीचे दिया गया है:-

वर्ष	मात्रा (000 मी. टन)	मूल्य (रु./करोड़)	अमरीकी डालर/मिलियन
2002-03	226.0	913.32	187.00
2003-04	310.4	1051.88	234.00
2004-05	321.8	1146.90	263.00
2005-06	285.8	1186.24	276.00
कुल	1144.0	4298.34	960.00
2006-07 (अप्रैल-सितम्बर)	104.3	583.60	126.86

[हिन्दी]

अयोध्या मंदिर की बुलेट प्रूफिंग

1015. श्री संतोष गंगवार:
श्री हंसराज जी. अहीर:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अयोध्या मंदिर को बुलेट प्रूफ संरक्षण देने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर को सुदृढ़ करने के लिए अनुमति लेने हेतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है। संबंधित मामले में कार्य, सभी संबंधित पार्टियों, जिन्होंने न्यायालय में अपने बयान दिए हैं, द्वारा प्रदान की गई जानकारियों के आधार पर, न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। मामले में निर्णय प्राप्त होने पर कार्य शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

आई.सी.डी.एस. में कर्मचारी नियुक्ति पैटर्न का संशोधन

1016. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में कर्मचारी नियुक्ति पैटर्न में संशोधन तथा राज्य और आई.सी.डी.एस. प्रकोष्ठों के वार्षिक व्यय की उपरि सीमा के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने राज्य आई.सी.डी.एस. प्रकोष्ठ और जिला आई.सी.डी.एस. प्रकोष्ठों की वार्षिक व्यय सीमा बढ़ाकर क्रमश: 40 लाख रुपये और 12 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) कर्नाटक राज्य सरकार से राज्य प्रकोष्ठ और जिला प्रकोष्ठ की मौजूदा वार्षिक वित्तीय सीमा का ही फिलहाल अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

खनन नीति

1017. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्र तथा खनिज सम्पन्न राज्यों के बीच मतभेद दूर करने के लिए खनन नीति की समीक्षा अथवा नई खनन नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनन लाइसेंस तथा भूमि प्राप्त करने में विलम्ब से भारत के और निवेश प्राप्त करने के प्रयास को धक्का लगा है जिससे दक्षिण एशियाई राष्ट्र के एक आर्थिक भविष्य के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या नई खनन नीति का उद्देश्य धातुओं तथा खनिजों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है;

(ङ) यदि हां, तो नई नीति से खनन क्षेत्र को कितनी सहायता मिलेगी; और

(च) नई नीति कब तक शुरू होने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (च) राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा करने तथा खनन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संभव संशोधनों की सिफारिश करने के लिए, श्री अनवरूल होदा, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तर समिति (एच एल सी) का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है जिस पर विचार किया जा रहा है। निवेश आयोग ने अपनी रिपोर्ट में खनन तथा उत्खनन (क्वैरिंग) क्षेत्र में 10-15 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश का अनुमान लगाया है।

किसी प्रमुख खनिज की आपूर्ति में कमी के कारण देश की आर्थिक वृद्धि पर खनिज रियायत प्रदान करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब के, पड़ने वाले प्रभाव के बारे में मंत्रालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

एसईजेड अधिनियम तैयार करने वाले राज्यों के नाम

1018. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को एसईजेड की स्थापना करने के लिए कोई निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक अपने स्वयं के एसईजेड अधिनियम तैयार करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) कितने राज्यों में यह अधिनियम प्रक्रियाधीन है;

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान इन एसईजेड द्वारा कर छूट/दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कितने मामले सामने आए हैं; और

(च) ऐसे कर छूट/दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि एसईजेडों के लिए भूमि का अधिग्रहण करते समय यदि विशेष रूप से बहु-उत्पाद एसईजेडों के लिए क्षेत्र संबंधी न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु दोहरी फसल वाली कृषि भूमि के एक भाग का मजबूरी-वश अधिग्रहण करना पड़े तो उसका रकबा एसईजेड हेतु अपेक्षित कुल भूमि 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु ने अब तक अपने राज्य एसईजेड अधिनियम अधिनियमित कर दिए हैं।

(घ) आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार से एसईजेड विधेयक प्राप्त हो गए हैं।

(ङ) और (च) वर्ष 2005-2006 के दौरान शुल्क मुक्त माल के अन्यत्र उपयोग के 4 (चार) मामलों की सूचना मिली थी। उनके अनुमोदन-पत्र रद्द कर दिए गए हैं।

समूहों की स्थापना

1019. प्रो. एम. रामदास:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री ब्रह्मानन्द पंडा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे समूहों का ब्यौरा क्या है जिसमें समेकित हथकरघा समूह विकास योजना कार्यान्वित की जानी थी तथा वास्तव में यह कितने समूहों में कार्यान्वित की गई;

(ख) अन्य समूहों को शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का अगले वित्तीय वर्ष में 100 समूहों का विकास करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो यह राज्य-वार किन-किन स्थानों पर है;

(ङ) ऐसे समूहों की स्थापना करने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने 100 समूहों को शामिल करने के लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) गत तीन वर्षों के दौरान देश में हथकरघा उद्योग को सुगमीकृत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(झ) देश में विशेष रूप से उड़ीसा में राज्य-वार कितने हथकरघा तथा बुनकर समूह विद्यमान हैं;

(ञ) क्या सरकार उड़ीसा में हथकरघा समूह में शिल्पकारों तथा बुनकरों के लाभ हेतु विभिन्न आवश्यक हथकरघा बुनकर अवसंरचना के विकास पर जोर दे रही है; और

(ट) यदि हां, तो विपणन, ऋण सहायता तथा विशेष पारम्परिक डिजाइन तथा शिल्पकारी दक्षताओं के संरक्षण जैसे अवसंरचना के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2005-06 अपने बजट भाषण 40 करोड़ रुपये की लागत से पहले चरण में 20 हथकरघा समूहों को ले जाने की घोषणा की थी। तदनुसार 20 अभिज्ञात समूहों, यथा, चिराला मधुवरम (आंध्र प्रदेश), विजयनगर (असम) भागलपुर (बिहार) कुल्लु (हिमाचल प्रदेश), गढक (कर्नाटक), त्रिवेन्द्रम (केरल) चंदेरी/ग्वालियर, (मध्य प्रदेश), इम्फाल (मणिपुर), सोनपुर, बारगढ़ (उड़ीसा), तिरूचनामलाई, त्रिची, कुरुंजीपाडी (तमिलनाडु) बाराबंकी, मुबारकपुर, बिजनौर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) बर्धमान, नाडिया (पश्चिम बंगाल) में एक योजना 'एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना' कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) से (छ) सरकार ने अतिरिक्त 100 हथकरघा समूहों का 50.00 करोड़ रुपये की कुल लागत से उनके एकीकृत और अनुकूल विकास के लिए पता लगाया है। इन समूहों में 100-5000 के बीच प्रति समूह करघे हैं। इन समूहों का विकास लगभग 3 वर्ष की समय सीमा में किया जाएगा। इन समूहों के राज्यवार स्थान दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I पर है।

(ज) विभिन्न योजनाओं के तहत जिन बुनकरों को सहायता दी गई है उनकी संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II पर है।

(झ) उड़ीसा राज्य में 30 समूहों सहित देश में, 470 हथकरघा समूह हैं। राज्यवार समूह संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-III पर है।

(ञ) और (ट) एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना में स्वसहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्यमों तथा संबंध बुनकरों सहित सहकारी क्षेत्र के बाहर के बुनकरों को सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम में एक अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कच्ची सामग्री की आपूर्ति, विपणन सहायता, ऋण आवश्यकता, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बुनकरों के कल्याण के लिए प्रत्येक समूह की संपूर्ण आवश्यकताएं शामिल होगी। उड़ीसा राज्य में हथकरघा बुनकरों, निर्यातकों, विनिर्माताओं, डिजाइनरों आदि के कौशल उन्नयन और डिजाइन विकास सहित तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भुवनेश्वर में एक बुनकर सेवा केन्द्र कार्य कर रहा है। बुनकर सेवा केन्द्र, भुवनेश्वर में नए एवं आधुनिक डिजाइन विकसित करने के लिए कम्प्यूटर साहायित वस्त्र डिजाइन प्रणाली है। पिछले दो वर्षों के दौरान हथकरघा बुनकरों/कामगारों के कौशल उन्नयन के लिए एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना के तहत 1240 बुनकरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं।

विवरण I

100 समूह के विकास की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्यवार समूहों का आबंटन	समूह का नाम
1	2	3	4
पूर्वी			
1.	बिहार	4	(1) चम्पा नगर-भागलपुर जिला
			(2) मधुबनी (भावरा)-मधुबनी जिला
			(3) कटोरिया-बंका जिला
			(4) बिहार शरीफ-गोड्डा जिला
2.	झारखंड	2	(1) जियाजोरी-गोड्डा जिला
			(2) इखा एवं छुट्टी-रांची जिला
3.	उड़ीसा	6	(1) बोध (बोध, बसोनी, कन्डामहल, बुतपली, मनमुण्डा-बोध जिला
			(2) बरम्बा (मनियाबन्धा, मुक्त नगर, बरम्बा-कटक जिला
			(3) ब्रह्मपुर (आश्का, पितल, हिनजकत, रंगालीगुण्डा, बोम्कई, ब्रह्मपुर, -गंजम जिला

1	2	3	4
			(4) जगतसिंहपुर (बाडबाग, कैण्डल, जयपुर, नवपत्ना)-जगतसिंहपुर जिला
			(5) फकीरपुर (फकीरपुर एवं धबीलकोट)-क्योंझर जिला
			(6) पत्तनगढ़ (बोंगईमुण्डा, लोइसिंघा)-बोलांगीर जिला
4.	पश्चिम बंगाल	10	(1) मिर्जापुर-मुर्शिदाबाद जिला
			(2) तुफानगंज बी-1 एवं 2—कूचबिहार जिला
			(3) गंगारामपुर-दक्षिण दिनाजपुर जिला
			(4) बिश्नुपुर टाउन-बांकुरा जिला
			(5) रगईपारा एवं राजबलहर-हुगली जिला
			(6) रघुनाथपुर ब्लाक-पुरुलिया जिला
			(7) कुर्च्चि एवं हरलई (अदयनारायणपुर ब्लाक) हावड़ा जिला
			(8) बेगमपुर-हुगली जिला
			(9) राधात्रोनी-पूर्वी मेदनीपुर जिला
			(10) दनदीरहट-नार्थ-24 परगना जिला
उत्तर पूर्वी			
5.	असम	4	(1) श्रीहटी-कामरूप जिला
			(2) बेटवारी-शिवसागर जिला
			(3) लखीपुर-कच्चर जिला
			(4) कपालबरी-नालवारी जिला
6.	मणिपुर	6	(1) कुम्बी-बिश्नुपुर जिला
			(2) कचिंग वावगई-तोबल जिला
			(3) टुपुल (नंगवा) तयंगलोंग जिला
			(4) चुराचंदपुर
7.	नागालैंड	2	(1) कोहिमा
			(2) दीमापुर

1	2	3	4
8.	त्रिपुरा	4	(1) गोविन्दपुर-पूर्वी त्रिपुरा जिला
			(2) अमरपुर-दक्षिणी त्रिपुरा जिला
			(3) नलचर-पश्चिमी त्रिपुरा जिला
			(4) नुतनगढ़-पश्चिमी त्रिपुरा जिला
9.	मेघालय	1	(1) गरोवन्दा-प. गारो हिल्स जिला
10.	अरुणाचल प्रदेश	1	(1) जिरो-लोवर सुवान्सीरी जिला
11.	मिजोरम	1	(1) थनजोल-थनजोल जिला
	कुल	39	
पश्चिमी			
1.	छत्तीसगढ़	2	(1) चुईखदन, राजनंदगांव जिला
			(2) मुंगझर, राजपुर जिला
2.	गुजरात	4	(1) भुज-कच्छ जिला
			(2) लिम्बडी-सुरेन्द्रनगर जिला
			(3) पालनपुर, बनसकांथा जिला
			(4) पोरबंदर, पोरबन्दर जिला
3.	मध्य प्रदेश	3	(1) महेश्वर-खारगांव जिला
			(2) सारंगपुर-राजगढ़ जिला
			(3) सोंसर-छिंदवाड़ा जिला
4.	महाराष्ट्र	3	(1) यओला-नासिक जिला
			(2) मोहादी-भंडारा जिला
			(3) कम्पटी-नागपुर जिला
	कुल	12	
उत्तरी			
1.	हरियाणा	1	(1) अम्बाला, जिला अम्बाला एवं राजपुर रानी-जिला पंचकुला
2.	हिमाचल प्रदेश	2	(1) कांगड़ा-जिला कांगाड़ा
			(2) मण्डी-जिला मण्डी

1	2	3	4
3.	जम्मू-कश्मीर	2	(1) कठुवा/बिलवार, कठुवा जिला
			(2) नादीहाल/बन्दीपुर, बारामुला जिला
4.	राजेस्थान	3	(1) पोखरन, जैसलमेर जिला
			(2) नायसार, जिला बिकानेर
			(3) लवन, जिला दौसा
5.	उत्तर प्रदेश	10	(1) गोरखपुर (खलीलाबाद शहर)-जिला गोरखपुर
			(2) अमरोहा-जिला जेपी नगर
			(3) भोजपुर (ठाकुरद्वारा, फरीदनगर)-जिला मुरादाबाद
			(4) दुल्हीपुर (मुगलसराय, चन्दोली)-जिला चन्दोली
			(5) कैराना (गांव कैराना एवं उसके पास का क्षेत्र)-जिला मुजफ्फरनगर
			(6) झांसी (मऊ रानीपुर और पृथ्वीपुर)-जिला झांसी
			(7) सरायान (बटीहया और कोनिया)-जिला बनारस
			(8) पिलीभीत (मीरपुर, वहानापुर और उसके आस पास का क्षेत्र)-जिला पिलीभीत
			(9) अदालहत (नारायणपुर ब्लाक, पतीहाता, खुतहा)-जिला मिर्जापुर
			(10) भाआदिया-जिला बनारस
6.	उत्तरांचल	2	(1) चिनका-जिला चमोली
			(2) मंगलौर-जिला हरिद्वार
	कुल	20	
दक्षिणी क्षेत्र			
1.	आंध्र प्रदेश	10	(1) पयाकराओपेटा-विशाखापत्तनम जिला
			(2) पडना-कृष्णा जिला
			(3) सुकपाली, इलावरियम-गुन्तुर जिला
			(4) मुदीरीदीपल्ली-अनन्तपुर जिला
			(5) प्रोदपुर-कडप्पा जिला
			(6) श्रीपुरम-यलांकी-नालगौंडा जिला

1	2	3	4
			(7) गढ्वाल-महबुबनगर जिला
			(8) पुट्टापक्का-नालगौंडा जिला
			(9) कोठापल्ली-करीमनगर जिला
			(10) यमिनगनूर-करनूल जिला
2.	कर्नाटक	5	(1) महलिंगपुर-वागलकोट जिला
			(2) चालोकरी टाउन, चित्रदुर्ग जिला (गांव-गोलकटी, निरलागुंटा, चिकमन्दली, रंगवनली, गोपानपहली, लक्ष्मीपुरा, दोदुलरही, टीएन कोट, कामसमुन्द्रा, पागदलवंदी, चौलुर, पी. महादेवपुरा, ओवलंपुरा)
			(3) कोलेगल-चामराजनगर जिला (हनुर गांव, कंचपल्ली, सदनपल्ले, मरापली, कोदनकेरे, चेलईपल्लाई, चामराजनगर, सतिपुरा, गुन्दलपेट, तालुक पेटहोशर, यदाहनी, कवाहल्ली, सुन्दगुन्देहाल)
			(4) थीमासन्दरा-कोलार जिला (चिन्तामणी)
			(5) मुलाकरनमुर-चित्रदुर्ग जिला
3.	केरल	4	(1) चिन्नीमंगलम-एर्णाकुलम जिला
			(2) कुट्टापल्ली-त्रिसुर जिला (थलापल्ली)
			(3) वडाकारा-कोजिकोड जिला (कोयलंडी)
			(4) पयन्तुर-कन्नुर जिला
4.	तमिलनाडु	10	(1) नलायुर-जिला मुदैरई
			(2) पालानी-डिन्डुगुल जिला (सथनचिटपुलसु, कोलमनकोइन, नगरकिलपट्टी)
			(3) वीरावन्लूर-थीरूनवली जिला
			(4) पदीरीवडु-थीरूवल्लूर जिला (मिदरापक्कम मनीलूर)
			(5) जयनकोंडम-परमदलूर जिला
			(6) कन्दाचिपुरम-विलुपरम जिला (केदार, वलापदु, चिथाथुर)
			(7) सोलिगर-विल्लौर जिला
			(8) अपाकुडल-इरोड जिला
			(9) श्रीमुगई-कोयम्बटूर जिला
			(10) थण्डमपलमय-इरोड जिला
	कुल	29	

विवरण II

पिछले 3 वर्षों (2003-04 से 2005-06) के दौरान विभिन्न हथकरघा योजनाओं के तहत जिन बुनकरों को सहायता दी गई उनकी राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थी बुनकरों की सं.
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	21616
2.	असम	812719
3.	आंध्र प्रदेश	295196
4.	बिहार	824
5.	छत्तीसगढ़	4663
6.	दिल्ली	2823
7.	गुजरात	24262
8.	हरियाणा	745
9.	हिमाचल प्रदेश	6525
10.	जम्मू-कश्मीर	2570
11.	झारखंड	11260
12.	कर्नाटक	116891
13.	केरल	61895
14.	मध्य प्रदेश	8651
15.	मणिपुर	20291
16.	महाराष्ट्र	7936
17.	मेघालय	1071
18.	मिजोरम	240
19.	नागालैंड	36477
20.	उड़ीसा	100379
21.	पंजाब	12700
22.	राजस्थान	42235
23.	त्रिपुरा	2027
24.	तमिलनाडु	949062
25.	उत्तर प्रदेश	73701
26.	उत्तरांचल	5790
27.	पश्चिम बंगाल	62236
28.	अन्य एजेंसियां	2995
	कुल	2687780

विपणन संवर्धन कार्यक्रम के तहत हथकरघा बुनकरों को राष्ट्रीय एवं जिला स्तरों पर आयोजित कई प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों का विपणन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रचार आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शिल्प मेलों एवं दिल्ली हाट में अलग-अलग बुनकरों की प्रतिभागिता के माध्यम से उन्हें सहायता दी जाती है। अपने उत्पादों के बिक्री/निपटान के लिए प्रतिवर्ष लगभग 600 हथरकघा बुनकर शिल्प मेले में भाग लेते हैं और लगभग 1200 बुनकरों को दिल्ली हाट में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

विवरण III

1995-96 की गणना के अनुसार हथकरघों का राज्यवार संकेन्द्रण

क्र.सं.	राज्य	1000 तक	1000-5000	5,000-10,000	10,000-25,000	25,000-50,000	50,000 से अधिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम	0	0	0	4	5	14	23
2.	आंध्र प्रदेश	4	3	7	8	1	0	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	बिहार	41	13	1	0	0	0	55
4.	गुजरात	11	7	1	0	0	0	19
5.	हरियाणा	16	0	0	1	0	0	17
6.	हिमाचल प्रदेश	6	4	1	1	0	0	12
7.	जम्मू-कश्मीर	7	7	0	0	0	0	14
8.	कर्नाटक	5	9	5	1	0	0	20
9.	केरल	5	6	1	2	0	0	14
10.	मध्य प्रदेश	40	5	0	0	0	0	45
11.	मणिपुर	0	0	0	2	5	1	8
12.	महाराष्ट्र	25	1	0	2	0	0	28
13.	नागालैंड	0	0	4	2	1	0	7
14.	उड़ीसा	9	15	5	1	0	0	30
15.	पंजाब	9	3	0	0	0	0	12
16.	पांडिचेरी	0	1	0	0	0	0	1
17.	राजस्थान	19	11	1	0	0	0	31
18.	त्रिपुरा	0	0	0	2	1	1	4
19.	तमिलनाडु	3	3	2	6	5	2	21
20.	उत्तर प्रदेश	38	20	8	1	0	1	68
21.	पश्चिम बंगाल	2	3	2	7	3	1	18
	कुल	240	111	38	40	21	20	470

[हिन्दी]

हथरकघा बुनकरों को रियायत

1020. **श्री रामदास आठवले:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को हथकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थाओं तथा अन्य संगठनों से गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अधिक रियायतें देने हेतु कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्तमान में हथकरघा बुनकरों को दी जा रही रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आज की तारीख तक इन रियायतों से कितने हथकरघा बुनकर लाभान्वित हुए तथा इनकी कुल संख्या कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) हथकरघा बुनकरों को लाभ प्रदान किए जाने के

लिए हथकरघा सहकारी समितियां सहित विभिन्न हथकरघा बुनकर संगठनों से समय-समय पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, हथकरघा मार्क, एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना जैसी कई नई योजनाएं शुरू की हैं।

(ग) और (घ) सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं के तहत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है:-

(1) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई)

(2) कार्यशाला सह-आवास योजना

(3) एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आईएचटीपी)

(4) विपणन संवर्धन कार्यक्रम

(5) हथकरघा निर्यात योजना

(6) मिल गेट कीमत योजना

(7) बचत निधि योजना।

हथकरघा योजनाओं के तहत पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष (सितम्बर, 2006 तक) लाभान्वित बुनकरों की संख्या निम्नलिखित है:-

2004-05	10,07,178
2005-06	9,81,342
2006-07 (सितम्बर, 06 तक)	7,51,802
कुल	27,40,322

विपणन संवर्धन कार्यक्रम के तहत अलग-अलग बुनकरों को शिल्प मेलों एवं दिल्ली हाट ने उनकी प्रतिभागिता के माध्यम से सहायता दी जाती है। अपने उत्पादन की बिक्री के लिए प्रति वर्ष शिल्प मेलों में लगभग 600 हथकरघा बुनकर भाग लेते हैं तथा दिल्ली हाट में लगभग 1200 बुनकर भाग लेते हैं। हथकरघा बुनकरों को राष्ट्रीय एवं जिला स्तरों पर आयोजित प्रदर्शनियों में उनके उत्पादों के विपणन के लिए भी अवसर प्रदान किए जाते हैं।

[अनुवाद]

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए निजी डिटेक्टिव एजेंसियों से काम लेना

1021. श्री उदय सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए निजी डिटेक्टिव एजेंसियों से काम लेने का है जैसा कि 5 नवम्बर, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' तथा 'हिन्दू' में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न आसूचना एजेंसियां आतंकवादियों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ये निजी एजेंसियां कुछ लोगों की आतंकवादी गतिविधियों तथा अपराधों को रोकने में किस प्रकार अधिक उपयोगी साबित होंगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए निजी डिटेक्टिव एजेंसियों से काम लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, देश में कार्यरत निजी डिटेक्टिव एजेंसियों के विनियमन के लिए सरकार कानून बनाने के संबंध में विचार कर रही है।

(ग) आतंकवाद के संबंध में जानकारी हासिल करने में आसूचना एजेंसियां सक्षम हैं और उनके द्वारा विगत में आतंकवादी योजनाओं के कई मामलों का पता लगाया गया है और अभी ऐसा किया जाना जारी है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

पाक उच्चायोग द्वारा आतंकवादियों को वित्तीय सहायता

1022. श्री ब्रजेश पाठक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा आतंकवादियों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें संलिप्त आतंकवादी संगठन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 2003, 2004 और 2005 में ऐसे कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए थे जिनमें आतंकवादी क्रियाकलापों के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता देने में पाकिस्तान उच्चायोग, नई दिल्ली के कुछ कर्मचारियों के संलिप्त होने की सूचना मिली थी। जिन आतंकवादी संगठनों को धनराशि दी गई है उनमें से कुछ संगठन जम्मू और कश्मीर में कार्यरत रहे हैं।

(ग) सरकार ने आतंकवाद का वित्तपोषण रोकने के लिए आवश्यक प्रावधान करने हेतु विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में संशोधन किया है। इस दिशा में काला धन वैधीकरण निवारण अधिनियम भी एक कदम है। इसके अतिरिक्त जहां कहीं अपेक्षित होता है राजनयिक चैनलों के माध्यम से भी आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

खनन क्षेत्र में निजी निवेश

1023. श्री अनन्त नायक:
श्री रनेन बर्मन:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खनन क्षेत्र में निजी निवेश को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो निजी भागीदारी के लिए खनन क्षेत्र के बाद प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) राज्य-वार ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में खनन संसाधनों के विकास तथा विनियमन हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आज की तारीख तक इस संबंध में निजी क्षेत्र से क्या प्रतिक्रिया मिली है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) वर्ष 1993 में घोषित की गई राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुसार, सभी गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों के गवेषण और विदोहन को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, खनन क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिए जाने के बाद, सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के 73 प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं जिनमें 4044 करोड़ रु. के निवेश की परिकल्पना की गई है। ये अनुमोदन, भारत में निगमित कंपनी में विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए प्रदान किए गए हैं। निगमन के बाद, इन कंपनियों के लिए, खनिज रियायतें प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को आवेदन करना अपेक्षित है जो अपने-अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में खनिजों की मालिक हैं।

(घ) सरकार ने देश में खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया है।

(ङ) और (च) उपरोक्त (घ) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

1024. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के लाभार्थी स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं तथा अन्य योग्य आश्रितों की राज्य-वार अलग-अलग कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को पेंशन का दावा करने वाले 'नकली स्वतंत्रता सेनानियों' के संबंध में तथा कुछ वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन प्राप्त करने के लिए दर-दर भटकने और भूखा मरने की शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने 'नकली स्वतंत्रता सेनानियों' से निजात पाने तथा वास्तविक मामलों का बचाव करने के लिए मामलों की वास्तविकता जांचने की कोई प्रणाली अपनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) योजना के शुरू होने से लेकर 31.10.2006 तक लगभग 1,69,964 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन मंजूर की गई है। राज्य-वार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इस मंत्रालय में वर्तमान में जीवित और पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों की वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जाली/कपटपूर्ण तरीके से पेंशन प्राप्त करने का आरोप वाली विभिन्न स्रोतों से शिकायतें/सूचना निरन्तर प्राप्त होती रहती हैं। ऐसे हरेक मामले की जांच, संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके केन्द्रीय योजना के लिए लागू प्रावधानों के संदर्भ में की जाती है। जांच करने पर, जहां कहीं, यह सिद्ध हो जाता है कि किया गया दावा, पात्रता संबंधी मानदंडों और केन्द्रीय योजना के साक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है, तो यथोचित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् पेंशन मंजूर कर दी जाती है। ऐसे मामले व्यक्तिगत रूप से निपटाए जाते हैं।

(घ) से (च) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत स्वयं को सम्मान पेंशन हेतु पात्र समझने वाले व्यक्तियों को, निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन करना होता है। विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र, जिसके साथ भोगी हुई सजा के दावे के पक्ष में प्रमाण संलग्न हो, संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

केन्द्रीय सम्मान पेंशन के दावों पर तभी विचार किया जा सकता है जब ये योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और संस्तुत किए गए हों। केन्द्र सरकार स्कीम के सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों और साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अपना निर्णय लेती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्वीकृत की गई पेंशनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14,572
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,437
4. & 5.	बिहार (झारखंड सहित)	24,870
6.	गोवा	1,425
7.	गुजरात	3,591
8.	हरियाणा	1,684
9.	हिमाचल प्रदेश	617
10.	जम्मू-कश्मीर	1,806
11.	कर्नाटक	10,082
12.	केरल	3,190
13. & 14.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	3,465
15.	महाराष्ट्र	17,581
16.	मणिपुर	62
17.	मेघालय	86
18.	मिजोरम	04
19.	नागालैंड	03
20.	उड़ीसा	4,188
21.	पंजाब	7,005
22.	राजस्थान	808
23.	तमिलनाडु	4,097
24.	त्रिपुरा	887
25.	सिक्किम	00
26. & 27.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	17,990
28.	पश्चिम बंगाल	22,479
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
30.	चंडीगढ़	89
31.	दादरा और नगर हवेली	83

1	2	3
32.	दमन और दीव	33
33.	लक्षद्वीप	00
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,043
35.	पांडिचेरी	317
	आजाद हिन्द फौज (आईएनए)	22,467
	कुल	1,69,964

बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा

1025. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुटीर उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो देश में पारम्परिक कुटीर उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के साथ, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों सहित देश के उद्योगों को बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों के सशक्तीकरण की नीति अपनाई है ताकि वे बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक बने रहे सकें और रोजगार के नए अवसर सृजित करें।

कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों के सशक्तीकरण और उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए, सरकार कई योजनाओं का कार्यान्वयन करती रही है, जैसे ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र योजना (आईएसईसी) जिसके बैंक ऋणों पर ब्याज की रियायती दरें प्रदान की जाती हैं, डिजाइनों में सुधार के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना और मार्जिन मनी के रूप में सब्सिडी प्रदान करते हुए ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)। खादी और ग्रामीण उद्योग उत्पादों के विपणन में सुधार के लिए राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय स्तरों, आदि पर प्रदर्शनियों में भागीदारी करने के लिए खादी और ग्रामीण उद्योग इकाइयों को सहायता प्रदान की जाती है। ये सुविधाएं सभी पात्र कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल में 2005-06 से शुरू हो रहे पांच वर्षों के लिए खादी, ग्रामीण और कॅयर उद्योगों के 100 क्लस्टरों में पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) आरंभ की है। इस योजना में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना, गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, नए उत्पादों का विकास, पैकेजिंग में सुधार, नई डिजाइन, बाजार संवर्धन, आदि के लिए सहायता का प्रावधान है।

कामगारों के लिए 'आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना'

1026. श्री एम. शिवन्ना: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से 'आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना' के अंतर्गत आंगनवाड़ी कामगारों, सहायकों का जीवन बीमा करने के लिए निधियां जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार का अनुरोध केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य को यह निधियां कब तक जारी की जाएंगी?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना के अंतर्गत, भारत सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की बीमाकृत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को सीधे 100/- रुपये प्रति बीमाकृत सदस्य भुगतान करती है। कर्नाटक सरकार ने दिनांक 7.3.2005 के अपने पत्र के अनुसार भारत सरकार के अंशदान को भारतीय जीवन बीमा निगम को निर्मुक्त करने का अनुरोध किया है। भारत सरकार ने उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 में 5.00 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2005-06 में 8.00 करोड़ रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम को निर्मुक्त किये हैं।

[हिन्दी]

अनुदानों हेतु निगरानी प्रणाली

1027. श्री गिरिधारी यादव:
श्री काशीराम राणा:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली है कि प्रमुख अनुदानों तथा ऋणों आदि का दुरुपयोग न हो;

(ख) यदि हां, तो दुर्विनियोजन रोकने के लिए ऐसी प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान दुर्विनियोजन के कितने मामले सामने आए;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी) में एक एकीकृत लेखापरीक्षा पद्धति प्रचालित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रदान की गई सहायता का कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा दुरुपयोग न किया जा सके। एकीकृत लेखापरीक्षा पद्धति में सौंपे गए कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:

(1) खादी प्रमाणीकरण से संबंधित मामलों की पड़ताल करना, जिसमें कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति, इसका प्रसंस्करण, मजदूरी की अदायगी, लागत इत्यादि शामिल है;

(2) जारी की गई निधियों का दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिए सही उपयोग सुनिश्चित करना, जिसके लिए इन्हें स्वीकृत किया गया है;

(3) छूट संबंधी दावों की सच्चाई की जांच के लिए तत्काल लेखापरीक्षा आयोजित करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खादी के अंतर्गत प्रदान की गई छूट का दुरूपयोग न हो।

(4) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर केवीआईसी द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आरईजीपी के अधीन प्रदान की गई निधियों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजना स्थल का पूर्व-निरीक्षण, बैंकों के साथ मिलकर परियोजना की स्थापना के बाद संयुक्त प्रत्यक्ष जांच, बैंकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों इत्यादि की व्यवस्था की जाती है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान अनुदानों एवं ऋणों के दुरुपयोग के किसी भी मामले की सूचना नहीं है। कुछ मामलों में जहां प्रमाणीकरण नियमों का उल्लंघन पाया गया है, वहां प्रमाण-पत्रों को रद्द करने जैसी कार्रवाई शुरू की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 1107 लेखा-परीक्षाएं आयोजित की गईं और 97 मामलों में जहां खादी प्रमाणीकरण नियमों का उल्लंघन पाया गया, वहां खादी प्रमाण-पत्रों को रद्द किया गया। इसी प्रकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत आरईजीपी के अधीन भी बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों में दुरुपयोग की सूचना नहीं है। तथापि, मार्जिन मनी की अधिक अदायगी के छुट-पुट मामलों की सूचना मिली है और इन मामलों में अधिक राशियों की वसूली की गई है। आरईजीपी के मामले में पिछले तीन वर्षों के दौरान अपात्र उद्यमियों को बैंकों द्वारा वित्त पोषित किए जाने के 36 मामलों की सूचना मिली है और 30 मामलों में मार्जिन मनी की वसूलियां पहले ही कर ली गई हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

मानव निर्मित फाइबर की कीमतें

1028. श्री मोहन रावले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कृत्रिम तथा सिंथेटिक फाइबर नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) मानव निर्मित फाइबर की घरेलू कीमतों तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में विसंगति का देश के ब्लेन्डिड यार्न स्पिनिंग उद्योग पर क्या असर पड़ा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जनवरी, 2006 से अक्तूबर, 2006 तक के लिए सिंथेटिक फाइबर की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतें निम्नलिखितानुसार हैं:-

(रु./कि.ग्रा.)

अवधि	एएसएफ (3डी)		पीएसएफ (1.2 डी)		वीएसएफ (मानक)	
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय
जन.-06	86.25	104.7	76.83	65.02	90.73	110.86
फर.-06	81.75	106.19	77.12	65.46	90.73	उपलब्ध नहीं
मार्च-06	88.25	106.56	71.39	64.05	84.36	91.69
अप्रैल-06	88.25	107.67	67.60	63.32	85.99	91.61
मई-06	88.25	110.47	69.76	67.63	85.99	102.89
जून-06	88.25	उपलब्ध नहीं	71.84	उपलब्ध नहीं	85.99	उपलब्ध नहीं
जुलाई-06	112.25	उपलब्ध नहीं	75.17	उपलब्ध नहीं	91.40	उपलब्ध नहीं
अग.-06	112.25	उपलब्ध नहीं	75.17	उपलब्ध नहीं	91.40	उपलब्ध नहीं
सित.-06	112.25	उपलब्ध नहीं	86.26	उपलब्ध नहीं	91.40	उपलब्ध नहीं
अक्तू.-06	112.25	उपलब्ध नहीं	81.93	उपलब्ध नहीं	97.88	उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: घरेलू कीमतों में मूल+उत्पाद शुल्क शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें माल के उतरने पर कीमतें हैं, जिनमें लागत, बीमा, किराया, बीसीडी, सीवीडी, विशेष सीवीडी और शिक्षा उपकर शामिल है।

(स्रोत: घरेलू कीमत-टेकोया ट्रेंड, विनिर्माता और डीजीसीआईएस

अंतर्राष्ट्रीय कीमत-एएसएफआई-इयर बुक-2005-06)

उपर्युक्त विवरण यह दर्शाता है कि पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर, जिसकी खपत वस्त्र उद्योग में मुख्य कच्ची सामग्री के रूप में की जाती है, की घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में थोड़ा अधिक रही हैं।

(ख) और (ग) सरकार इस बात की जांच कर रही है कि मानव निर्मित फाइबर की घरेलू कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में विसंगति का क्या प्रभाव पड़ा है, यदि कोई प्रभाव पड़ा हो, और क्या इस संबंध में आगे सरकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता है।

[हिन्दी]

आयातित संगमरमर पर प्रतिबंध

1029. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संगमरमर के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दोहा-डब्ल्यूटीओ बातचीत

1030. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर में हाल की आईएमएफ बैठक में दोहा (डब्ल्यूटीओ) बातचीत को पुन: शुरू करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आईएमएफ द्वारा बातचीत को बन्द करने के बिन्दु को अच्छी तरह समझा गया था और संकुचित बातचीत हेतु आईएमएफ द्वारा क्या शर्तें तथा क्या दिशा निर्धारित की गई है; और

(ग) इस बातचीत को पुन: शुरू करने की ओर क्या प्रगति की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) आईएमएफ की विकास समिति की दिनांक 19 सितम्बर, 2006 को सिंगापुर में आयोजित बैठक में समिति ने यह महसूस किया था कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की दोहा दौर की वार्ताओं का वास्तविक स्थगन सहस्राब्दि के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में और तेज प्रगति करने के साझे प्रयासों में एक गतिरोध का प्रतीक था। समिति ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व पर पुन: बल दिया था और डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों का आह्वान किया कि वे विचलित होने से बचें और वर्ष 2006 के अंत तक वार्ताएं पुन: शुरू करने के लिए व्यापार मंत्रियों को आवश्यक लोचशीलता प्रदान करें।

(ग) डब्ल्यूटीओ की व्यापार वार्ताकारी समिति (टीएनसी) की दिनांक 16 नवम्बर, 2006 को आयोजित अनौपचारिक बैठक में टीएनसी के वार्ताकारी समूहों में डब्ल्यूटीओ सदस्य प्रतिनिधिमंडलों के परामर्श से अपने कार्य की दशा एवं दिशा तय करने की जिम्मेदारी रखने वाले अपने-अपने समूहों के अध्यक्षों के साथ वार्ता प्रक्रिया को पुन: शुरू करने के संबंध में आम सहमति बनी है।

केरल में मसाले

1031. श्री पी.सी. थामस: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राज्य में इलायची, काली मिर्च तथा अन्य मसालों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल में इलायची, काली मिर्च तथा अन्य मसाले उगाने वालों को कई वर्षों से उन्हें अपनी उपज के मिलने वाले कम दामों के कारण गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन किसानों की मदद करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) केरल राज्य में काली मिर्च एवं अन्य मसालों के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

उत्पादन: मी. टन

मसाला	2002-2003	2003-2004	2004-2005
काली मिर्च	67358	69015	74980
इलायची (छोटी)	8680	8875	8616
लाल मिर्च	787	679	775
अदरक	32412	32972	45305
हल्दी	6938	5652	6244
लहसुन	10472	10846	5202
इमली	29514	29406	29945
लौंग	53	49	53
जायफल	2086	2427	2700
वनीला	19	34	68

स्रोत: इलायची एवं वनीला: मसाला बोर्ड द्वारा अनुमान
अन्य मसाले: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, केरल, सरकार, त्रिवेन्द्रम

(ख) और (ग) काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च, लौंग की कीमतें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्त हो रही हैं। अदरक, हल्दी और वनीला की कीमतों को छोड़कर अन्य मसालों की कीमतों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2006-07 की अप्रैल-अक्तूबर की अवधि के दौरान ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। बोर्ड गुणवत्तामुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन एवं आपूर्ति, पुराने अलाभकारी बागानों के पुन: रोपण, सिंचाई एवं भूमि विकास, वर्षा जल के संचयन और केरल राज्य में इलायची में वैकल्पिक ईंधन के साथ क्योरिंग के उन्नत साधनों की स्थापना जैसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। वनीला के मामले में बोर्ड क्योरिंग साधनों को स्थापित करने और रोपण सामग्री की आपूर्ति में उपजकर्त्ताओं की सहायता कर रहा है। भारत सरकार काली मिर्च के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम 20,000 मी. टन तक 7 रुपए प्रति किग्रा. की मालभाड़ा सब्सिडी अर्थात समुद्री मालभाड़े के लिए 5 रुपये और आंतरिक परिवहन सब्सिडी के लिए 2 रुपये प्रदान कर रही है।

होम गार्डों की संख्या में वृद्धि

1032. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य में होम गार्ड की संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में 8 दिसम्बर, 2004 को एक अनुस्मारक भी मिला था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार को अन्य राज्य सरकारों से भी ऐसे प्रस्ताव मिले हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने 1995 में होम गार्डों की संख्या 18,700 से बढ़ा कर 25,000 करने का अनुरोध किया था।

(ग) जी हां।

(घ) विचार-विमर्श करने के बाद मार्च, 2005 में भारत सरकार होम गार्डों की संख्या 18,700 से बढ़ाकर 21,700 करने के लिए सहमत हुई है।

(ङ) जी हां।

(च) और (छ) होम गार्डों की अपनी-अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कई अन्य राज्यों/यूटी ने भी अनुरोध किया है और उनकी मांगों पर विचार-विमर्श करने के बाद, मार्च, 2005 में उनकी संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य/यूटी	प्रारम्भिक संख्या	संशोधित संख्या
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	654	800
आंध्र प्रदेश	12903	15903
असम	20407	23907
बिहार	54612	55612
झारखंड	22790	25490
चंडीगढ़	1132	1352
गोवा	500	750
कर्नाटक	18700	21700
छत्तीसगढ़	6006	7345
मिजोरम	760	1260
सिक्किम	546	766
उत्तर प्रदेश	117009	118348

हाल ही में 6411 होम गार्डों की लक्षित संख्या में 1979 की वृद्धि किये जाने के उत्तरांचल के एक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार ने अब तक अपनी प्रारम्भिक लक्षित संख्या तक होम गार्डों का नामांकन नहीं किया है।

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स

1033. **श्री मणि कुमार सुब्बा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में नेशनल रजिस्टर आफ सिटिजन्स (एनआरसी) के नवीकरण तथा इसे अद्यतन करने हेतु 2 करोड़ रुपये की धनराशि संस्वीकृत की थी;

(ख) यदि हां, तो एन.आर.सी. योजना तथा इसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को संसद सदस्यों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में नेशनल रजिस्टर आफ सिटिजन्स आफ 1951 (एनआरसी) को अद्यतन करने तथा नवीकरण हेतु मांग करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एनआरसी को अद्यतन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा इस संबंध में क्या प्रगति की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) आल असम स्टुडेंट यूनियन निर्वाचक नामावली, 1971 के आधार पर असम में नेशनल रजिस्टर आफ सिटिजंस (एनआरसी), 1951 के नवीनीकरण और उसको अद्यतन बनाने की मांग कर रही है। असम सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार सहमत हो गई है। इसकी ओर से वर्ष 2005-06 में 1.02 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने के अलावा असम राज्य में नेशनल रजिस्टार ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) के उन्नयन और अद्यत बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये सौंपे गये हैं।

(ग) और (घ) सरकार को एक संसद सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने असम में एनआरसी के नवीकरण और उसे अद्यतन करने के बारे में एक स्थिति नोट की मांग की है। संसद सदस्य को सूचना प्रदान कर दी गई।

(ङ) असम सरकार ने सूचना दी है कि एनआरसी को अद्यतन करने के लिए एक अलग निदेशालय बनाया गया है और तदनुसार इस प्रयोजन के लिए मानवशक्ति उपलब्ध करा दी गई है। एनआरसी को अद्यतन करने के लिए प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। 1971 तक की उपलब्ध सभी निर्वाचक नामावली की जांच का कार्य प्रगति पर है और यही कार्य राज्य के 23 जिलों के जिला मुख्यालयों में किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के खिलाफ जांच

1034. **श्री वी.के. ठुम्मर:**
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के खिलाफ जांच कराए जाने से राज्य-वार अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुलिस सेवा के इन अधिकारियों के खिलाफ तत्संबंधी राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, उत्तरांचल सरकार ने उप-निरीक्षकों की भर्ती के मामले में एक शिकायत की थी। इस संबंध में जांच की गई थी। इस जांच के परिणामस्वरूप केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में संलिप्त श्री पीडी रतूड़ी और श्री राकेश मित्तल नामक राज्य संवर्ग के 2 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में एक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों और दालों का आयात

1035. **प्रो. रासासिंह रावत:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों विशेषकर दालों के उत्पादन में ठहराव आने के कारण खाद्यान्नों का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गेहूं, चीनी, दालों और चावल, खाद्यान्नों/दालों को देशवार किस मात्रा में और दर पर आयात किया जा रहा है;

(ग) क्या इन वस्तुओं के आयात से मूल्य वृद्धि विशेषकर दालों के मूल्य में वृद्धि पर रोक लगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आयातित खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(च) देश में खाद्यान्नों विशेषकर दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) सरकार द्वारा गेहूं के आयात का निर्णय केन्द्रीय पूल में स्टॉक की कमी होने, खुले बाजार में कीमतें अधिक होने और उत्पादन व खरीद कम रहने के कारण लिया गया था। दालों का आयात मुक्त है। देश में मांग की तुलना में दालों का घरेलू उत्पादन अपर्याप्त रहता है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2006 के लिए खाद्यान्न (अनाज+दालें) का मासिक थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित हैं:

माह/वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त
2006	192.7	194.4	194.8	194.5	196.7	198.4	198.8	201

(ङ) भारत में खाद्य/खाद्य उत्पादों का समस्त आयात खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुपालन के अध्यधीन होता है। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पीएफए प्राधिकारियों द्वारा तथा अनुमोदित प्रयोगशालाओं के जरिए आयातित गेहूं के नमूने लेने तथा उनका विश्लेषण करने का कार्य ईमानदारी से किया जा रहा है और इसकी स्वीकृति निर्धारित मानकों के अनुरूप होने के बाद ही प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार कृषि मंत्रालय द्वारा आयातित गेहूं की पौध संरक्षण एवं संगरोध (पीपीक्यू) संबंधी कड़ी जांच एफसीआई की स्वीकृति से पूर्व की जा रही है।

(च) दालों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु दालों, तिलहन, पाम तेल एवं मक्का के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित स्कीम (आईसोपॉम) कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण I

चावल, दालें व चीनी का आयात

	अप्रैल, 06-जुलाई, 06 (अनंतिम)		
	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपये में)	औसत दर (रु./किग्रा.)
1	2	3	4
चावल	133	34.46	25.91
सऊदी अरब	120	31.38	26.15
संयुक्त अरब अमीरात	13	3.08	23.69
दालें	496547	78335.07	15.78
आस्ट्रेलिया	53621	6857.98	12.79
कनाडा	203018	21150.77	10.42
चीन जन. गण.	7993	1884.95	23.58
ईथोपिया	1704	372.92	21.88
फ्रांस	39320	3964.59	10.08
इंडोनेशिया	207	54.24	26.20
ईरान	301	87.24	28.98
इटली	2	0.38	19.00
मलेशिया	119	36.96	31.06

1	2	3	4
म्यांमार	148303	38469.28	25.94
मोजाम्बिक	229	53.34	23.29
नेपाल	2992	813.73	27.20
न्यूजीलैंड	182	25.22	13.86
पाकिस्तान आईआर	201	69.61	34.63
पेरू	44	19.9	45.23
रूस	5197	509.34	9.80
सिंगापुर	133	14.08	10.59
दक्षिण अफ्रीका	154	32.22	20.92
श्रीलंका डीएसआर	37	6.83	18.46
तंजानिया गणराज्य	360	87.22	24.23
थाईलैंड	60	19.24	32.07
यूक्रेन	6230	685.44	11.00
यूएसए	26140	3119.59	11.93
चीन	322	111.19	34.53
कनाडा	5	2.15	43.00
फ्रांस	0	0.98	
जर्मनी	66	36.07	54.65
हांगकांग			
इटली	1	4.13	413.00
कोरिया डीपीआरपी	154	37.96	24.65
कोरिया आरपी			
मोजाम्बिक			
सिंगापुर	86	23.16	26.93
यूके	10	6.74	67.40

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

विवरण II

गेहूं का आयात

क्र.सं.	आपूर्तिकर्त्ताओं के नाम	शामिल मात्रा (मी. टन)	भारित औसत कीमत (अम. डा. प्रति मी. टन)
1.	एडब्ल्यूबी (जिनेवा) एसए	500,000	178.750
2.	एडब्ल्यूबी (जिनेवा) एसए, एग्रीको (स्वीट्जरलैंड)	800,000	191.388
3.	एडीएम (यूएसए), कार्गिल (जिनेवा), कनकोर्डिया (सिंगापुर) गलेनकर (नीदरलैंड), तोईफर (सिंगापुर)	2,200,000	197.817
4.	एग्रीको (जिनेवा)	330,000	210.72
5.	कनकोर्डिया (सिंगापुर), गलेनकर (नीदरलैंड), तोईफर (सिंगापुर), एडब्ल्यूबी (जिनेवा) एसए	1,670,000	228.94
	कुल योग	5,500,000	205.31

स्रोत-उपभोक्ता मामले मंत्रालय

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

1036. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री अजीत जोगी:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान आज तक संबंधित राज्य में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में राज्य सरकारों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	1.4.2003 तक राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	वर्तमान स्थिति		
			संस्वीकृत	अभी तक संस्वीकृत न किए गए	व्यवहारिक नहीं
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	02	01	01	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	02	–	01	01

1	2	3	4	5	6
3.	असम	02	01	01	-
4.	बिहार	04	-	04	-
5.	दिल्ली	01	-	01	-
6.	हरियाणा	11	-	11	-
7.	हिमाचल प्रदेश	02	-	02	-
8.	जम्मू-कश्मीर	01	-	01	-
9.	झारखंड	04	03	01	-
10.	कर्नाटक	06	-	06	-
11.	केरल	04	01	03	-
12.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	01	-	01	-
13.	मध्य प्रदेश	04	-	04	-
14.	महाराष्ट्र	01	-	01	-
15.	उड़ीसा	06	02	04	-
16.	राजस्थान	07	01	06	-
17.	तमिलनाडु	01	-	01	-
18.	त्रिपुरा	01	-	01	-
19.	उत्तर प्रदेश	05	-	05	-
20.	उत्तरांचल	02	-	02	-
21.	पश्चिम बंगाल	01	-	0.1	-
	कुल	68	09	58	01

वस्त्र निर्यात

1037. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश से होने वाले वस्त्र निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना विधि में विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्त्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। डीजीसीआईएंडएस के नवीनतम उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जुलाई, 2006 की अवधि के दौरान वस्त्र निर्यात 6134.37 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ है जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16.08% की वृद्धि दर्ज हुई है।

(ग) और (घ) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के संबंध में मार्च 2007 से आगे बढ़ाने अथवा अन्यथा के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) सरकार वस्त्र एवं परिधान उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए अनेक कदम उठा रही है ताकि यह उद्योग आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत अपना सके। इस संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नलिखित हैं:

(1) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(2) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(4) वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के उत्पादन आधार के विस्तार के उद्देश्य से ''निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना'' तथा ''वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना'' का विलय कर ''एकीकृत वस्त्र पार्क योजना'' नामक एक नई योजना तैयार की गई है। इस योजना में 2007-08 तक भारत के संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 25 वस्त्र पार्क सृजित करने की परिकल्पना है।

(5) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्यवर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का एक विकल्प बना दिया गया है।

(6) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(7) परिधान निर्यातकों को उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक ट्रिमिंग एवं अलंकरण मदों की 21 मदों का शुल्कमुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है।

(8) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.2005 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(9) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की सात शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केन्द्र (एटीडीसी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(10) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

औद्योगिक नीति में संशोधन

1038. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संरचनात्मक सुधारों के आरम्भ से विशेषरूप से बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय असंतुलनों के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों को देखते हुए विद्यमान औद्योगिक नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने देश में विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में राजकोषीय छूट प्रदान करने, औद्योगिक अवसंरचना में सुधार लाने, उद्योग स्थापित करने तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह हेतु उपयुक्त माहौल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विशेष परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है;

(छ) गत तीन वर्षों में राज्यवार देश में स्थापित किये गये बड़े उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) देश में विशेषरूप से पंजाब में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) जी, नहीं। मौजूदा औद्योगिक नीति उदार और निवेशक अनुकूल है जो उद्यमियों को तकनीकी आर्थिक पहलुओं के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय लेने की अनुमति देती है।

(घ) और (ङ) वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग ने आयकर अधिनियम के तहत आयकर छूट देने के प्रयोजनार्थ देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की एक सूची अधिसूचित की है। औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची की अधिसूचना की एक प्रति जिसमें आंध्र प्रेदश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले शामिल हैं, विवरण-I में दी गयी है।

(च) और (छ) उदारीकृत आर्थिक माहौल के अंतर्गत उद्यमियों द्वारा निवेश संबंधी निर्णय तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर लिये जाते हैं जो क्रमश: आधारभूत सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके अनुकूल माहौल सृजन करने में राज्य सरकारों की पहल पर निर्भर होते हैं। केन्द्र सरकार जहां तक संभव होता है उनके प्रयासों में सहायता करती है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग विकास केन्द्र योजना (जीसीएस), औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस), पूर्वोक्त औद्योगिक नीति पैकेज विशिष्ट श्रेणी राज्यों के लिए पैकेज तथा औद्योगिक पार्क योजना को क्रियान्वित कर रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए आईआईयूएस के अंतर्गत 2 परियोजनाएं तथा जीसीएस के अंतर्गत 4 विकास केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में दायर किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आईईएम) की संख्या तथा राज्यवार प्रस्तावित निवेश तथा प्राप्त किये गये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाहों को दर्शाते हुए लाइसेंस योग्य क्षेत्र में जारी किये गये आशयपत्र/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस क्रमश: विवरण-II तथा विवरण-III में दिये गये हैं।

(ज) मौजूदा औद्योगिक नीति के अंतर्गत निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर लिये जाते हैं जो क्रमश: आधारभूत सुविधाओं तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके अनुकूल माहौल सृजन करने में राज्य सरकार की पहल पर निर्भर होते हैं। केन्द्र सरकार जहां तक संभव हो, उनके प्रयासों में सहायता करती है। यह नीति पंजाब राज्य सहित पूरे देश के लिए लागू है।

विवरण I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्तूबर, 1997

अधिसूचना

आयकर

सा.आ. 714(ई)-आयकर (संशोधन) अध्यादेश 1997 (1997 का 15) की धारा 3 द्वारा यथासंशोधित और दिनांक 3 सितंबर, 1997 की भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 636 (ई) के अधिक्रमण में, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 80-आईए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिवाय ऐसे अधिक्रमण से पहले किये गये अथवा छोड़े गये कार्यों के, केन्द्र सरकार आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ईए के साथ पठित धारा 80-आईए की उप-धारा (2) के खंड (4) के उप-खंड (ग) के तहत निम्नलिखित जिलों को श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' वाले औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है; नामत:

क. श्रेणी 'क' औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

1.	गोड्डा	बिहार
2.	गुमला	बिहार
3.	अररिया	बिहार
4.	गडचिरोली	महाराष्ट्र
5.	मधेपुरा	बिहार
6.	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश

7.	दुमका	बिहार
8.	मंडला	मध्य प्रदेश
9.	खगड़िया	बिहार
10.	किशनगंज	बिहार
11.	मालदा	पश्चिम बंगाल
12.	पलामू	बिहार
13.	फुलबनी	उड़ीसा
14.	मधुबनी	बिहार
15.	कालाहांडी	उड़ीसा
16.	जहानाबाद	बिहार
17.	सहरसा	बिहार
18.	पश्चिम दिनाजपुर	पश्चिम बंगाल
19.	नवादा	बिहार
20.	बहराईच	उत्तर प्रदेश
21.	सीतामढ़ी	बिहार
22.	साहेबगंज	बिहार
23.	मुर्शीदाबाद	पश्चिम बंगाल
24.	कूच बिहार	पश्चिम बंगाल
25.	बंकुरा	पश्चिम बंगाल
26.	पन्ना	मध्य प्रदेश
27.	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश
28.	महाराजगंज	उत्तर प्रदेश
29.	जालोर	राजस्थान
30.	औरंगाबाद	बिहार
31.	पश्चिम चम्पारन	बिहार
32.	बान्दा	उत्तर प्रदेश
33.	बन्नेर	राजस्थान
34.	पुर्णिया	बिहार
35.	बस्तर	मध्य प्रदेश
36.	सरवन	बिहार
37.	वैशाली	बिहार
38.	बस्ती	उत्तर प्रदेश
39.	सरगुजा	मध्य प्रदेश
40.	चमोली	उत्तर प्रदेश
41.	जैसलमेर	राजस्थान
42.	लोहारडग्गा	बिहार
43.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश
44.	उत्तरकाशी	उत्तर प्रदेश
45.	चूरू	राजस्थान
46.	वैनाद	केरल
47.	इदुक्की	केरल
48.	जलपाईगुडी	पश्चिम बंगाल
49.	अलमोड़ा	उत्तर प्रदेश
50.	पिथौरागढ़	उत्तर प्रदेश
51.	टिहरी गढ़वाल	उत्तर प्रदेश
52.	दिडंगस	गुजरात
53.	बांसवाड़ा	राजस्थान

ख. श्रेणी 'ख' औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

1.	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश
2.	महबूबनगर	आंध्र प्रदेश
3.	कटियार	बिहार
4.	भागलपुर	बिहार
5.	गोपालगंज	बिहार
6.	दरभंगा	बिहार
7.	पश्चिम चंपारन	बिहार
8.	सारन	बिहार
9.	भोजपुर	बिहार
10.	समस्तीपुर	बिहार

11.	देवघर	बिहार
12.	नालंदा	बिहार
13.	गया	बिहार
14.	मुजफ्फरपुर	बिहार
15.	रोहतास	बिहार
16.	बनासकांठा	गुजरात
17.	सावरकांठा	गुजरात
18.	बीदर	कर्नाटक
19.	सिओनी	मध्य प्रदेश
20.	टीकमगढ़	मध्य प्रदेश
21.	शिवपुरी	मध्य प्रदेश
22.	बालाघाट	मध्य प्रदेश
23.	झाबुआ	मध्य प्रदेश
24.	सिधी	मध्य प्रदेश
25.	विदिशा	मध्य प्रदेश
26.	रायगढ़	मध्य प्रदेश
27.	मुरैना	मध्य प्रदेश
28.	बेतुल	मध्य प्रदेश
29.	राजगढ़	मध्य प्रदेश
30.	राजनन्दगांव	मध्य प्रदेश
31.	सागर	मध्य प्रदेश
32.	बीड़	महाराष्ट्र
33.	बोलनगीर	उड़ीसा
34.	मयूरभंज	उड़ीसा
35.	बालासोर	राजस्थान
36.	गंजम	राजस्थान
37.	डूंगरपुर	राजस्थान
38.	धौलपुर	राजस्थान
39.	सवाई माधोपुर	राजस्थान
40.	टोंक	राजस्थान
41.	नागौर	राजस्थान
42.	झालावाड़	राजस्थान
43.	सीकर	राजस्थान
44.	हरदोई	उत्तर प्रदेश
45.	ललितपुर	उत्तर प्रदेश
46.	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश
47.	बदाऊं	उत्तर प्रदेश
48.	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश
49.	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश
50.	एटा	उत्तर प्रदेश
51.	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश
52.	इटावा	उत्तर प्रदेश
53.	देवरिया	उत्तर प्रदेश
54.	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
55.	बलिया	उत्तर प्रदेश
56.	जौनपुर	उत्तर प्रदेश
57.	सीतापुर	उत्तर प्रदेश
58.	जालौन	उत्तर प्रदेश
59.	उन्नाव	उत्तर प्रदेश
60.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश
61.	कानपुर देहात	उत्तर प्रदेश
62.	मैनपुरी	उत्तर प्रदेश
63.	गौंडा	उत्तर प्रदेश
64.	फर्रुखाबाद	उत्तर प्रदेश
65.	सुलतानपुर	उत्तर प्रदेश
66.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश
67.	मऊ	उत्तर प्रदेश
68.	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल
69.	बीरभूम	पश्चिम बंगाल
70.	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के उद्देश्य हेतु, ये जिले दिनांक 4 अक्तूबर, 1994 की पिछड़े जिलों की पहचान पर अध्ययन दल की रिपोर्ट में उल्लिखित जिलों से संबंधित हैं और उन जिलों पर आधारित हैं जैसेकि वे 1991 की जनगणना रिपोर्ट में थे। जहां औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले के रूप में विनिर्दिष्ट कोई जिला धारा 80-1ए के उद्देश्य हेतु, 1991 की जनगणना के पश्चात पुनर्गठित किया गया है, विभाजन द्वारा या अन्यथा, उस जिले के सभी क्षेत्र जैसे कि वे 1991 की जनगणना रिपोर्ट में थे, इस नियम के उद्‌देश्य हेतु पात्र होंगे।

2. यह अधिसूचना अक्तूबर, 1994 के पहले दिन से प्रभावी मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 80-1ए के उद्देश्य हेतु औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया था। इस दल ने अक्तूबर, 1994 के माह में केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केन्द्र सरकार ने उक्त रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक और अध्ययन दल गठित किया। दोनों अध्ययन दलों की रिपोर्टों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को दो श्रेणियों अर्थात् श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में वर्गीकृत कर दिया जाए। औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में वर्गीकृत करते हुए धारा 80-1ए को आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 15) द्वारा संशोधित किया गया। उक्त अध्यादेश 16 सितम्बर, 1997 को प्रभावी हो गया। आयकर नियमावली, 1962 के नियम 1 आईईए में भी 1.10.1994 से पूर्वप्रभाव से संशोधन किया गया है ताकि उक्त अध्यादेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80-1ए में किये गये संशोधन को प्रभावी बनाया जा सके। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस संशोधन द्वारा पूर्व प्रभावी रूप से लागू यह परिचालन निर्धारितियों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा।

हस्ता./-

(डा. धीरज भटनागर)

अवर सचिव, भारत सरकार

फाईल सं. 142/20/94-टीपीएल (पार्ट एचआई)

अधिसूचना संख्या 10441

विवरण II

आईईएम+एलओआई+डीआईएल

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	जनवरी 2003-दिसंबर 2005		जनवरी-2006-सितम्बर 2006	
	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	1	30
आंध्र प्रदेश	1084	44893	514	40952
अरुणाचल प्रदेश	19	145	5	111
असम	184	1596	48	1916
बिहार	27	514	76	8486
चंडीगढ़	2	1	3	177
छत्तीसगढ़	890	94100	185	80429
दादरा और नगर हवेली	401	5990	99	3739

1	2	3	4	5
दमन और दीव	209	1590	46	1275
दिल्ली	21	45	7	79
गोवा	103	943	21	264
गुजरात	1718	131223	500	39560
हरियाणा	591	15950	211	15467
हिमाचल प्रदेश	268	6025	97	1686
जम्मू-कश्मीर	306	5366	87	1829
झारखंड	320	39983	89	33477
कर्नाटक	637	38679	263	15375
केरल	79	1183	43	429
मध्य प्रदेश	356	28083	149	5154
महाराष्ट्र	2077	40412	743	23197
मणिपुर	2	7	0	0
मेघालय	96	836	16	1468
नागालैंड	6	16036	0	0
उड़ीसा	570	97190	84	31964
पांडिचेरी	127	733	42	706
पंजाब	453	11224	181	10159
राजस्थान	492	7835	152	6170
सिक्किम	12	302	7	591
तमिलनाडु	1191	66157	636	16105
त्रिपुरा	11	255	0	0
उत्तर प्रदेश	1381	49616	516	35951
उत्तरांचल	619	8818	416	10626
पश्चिम बंगाल	1292	33546	244	12896
एक से ज्यादा राज्य में स्थापना स्थल	3	11	0	0
योग	15547	749287	5481	400268

नोट: आईईएम: दायर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन; एलओआई: आशय पत्र; डीआईएल: प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस

विवरण III

जनवरी, 2003 से सितंबर, 2006 तक भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रवार/वर्षवार एफडीआई अन्तर्वाह संबंधी विवरण-पत्र

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य सम्मिलित	2003	2004	2005	2006	कुल
1	2		3	4	5	6	7
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	275.69	858.09	723.28	1,675.47	3,532.53
2.	गुवाहाटी	असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा	15.45	20.00	0.00	0.00	35.45
3.	पटना	बिहार, झारखंड	1.13	0.00	0.00	0.60,	1.73
4.	अहमदाबाद	गुजरात	1,042.63	688.46	635.21	1,270.00	3,636.30
5.	बंगलूर	कर्नाटक	999.07	1,064.25	1,606.98	1,353.58	5,023.88
6.	कोच्ची	केरल, लक्षद्वीप	44.69	49.55	26.25	40.77	161.26
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	25.71	61.64	53.82	72.54	213.71
8.	मुम्बई	महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव	1,022.81	3,246.50	272.90	6,566.68	13,108.89
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	0.00	0.00	261.66	103.59	365.26
10.	जयपुर	राजस्थान	2.14	4.27	2.66	226.40	235.47
11.	चेन्नई	तमिलनाडु पांडिचेरी	805.46	366.10	1,096.49	2,210.05	4,478.09
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश उत्तरांचल	0.00	0.00	0.03	15.24	15.27
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	146.79	459.56	405.42	258.79	1,270.56

1	2		3	4	5	6	7
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	18.12	71.89	377.79	40.26	508.06
15.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा	2,104.72	3,303.61	4,297.61	5,293.07	14.999.00
16.	पणजी	गोवा	131.22	79.85	81.40	347.57	640.04
17.	राज्य	दो दर्शाए नहीं गये*	2,928.37	4,507.60	7,429.22	8,899.74	23,764.93
		कुल योग	9,564.00	14,781.37	19,270.72	28,374.35	71,990.44

नोट: (1) केवल इक्विटी पूंजी घटक शामिल है।

(2) क्षेत्रवार एफडीआई अन्तर्वाह आरबीआई मुंबई द्वारा प्रस्तुत आरबीआई के क्षेत्रवार अंतर्वाह के अनुसार वर्गीकृत हैं।

(3) *मौजूदा शेयरों के अधिग्रहण के जरिये अन्तर्वाह दर्शाता है इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रवार सूचना प्रदान नहीं की जाती है।

औद्योगिक विकास केन्द्र

1039. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्यवार कितने औद्योगिक विकास केन्द्र हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान तथा इसके बाद विभिन्न राज्यों से औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित किये जाने का अनुरोध प्राप्त किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक विकास केन्द्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में इन केन्द्रों को सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) लघु उद्योग मंत्रालय ने आईआईडी योजना के अंतर्गत 85 एकीकृत अवसंरचना विकास (आईआईडी) केन्द्रों को अनुमोदित किया है। अनुमोदित आईआईडी केन्द्रों की राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (ङ) आईआईडी योजना मांग प्रेरित होती है। वर्ष 2004-05 से प्राप्त किये गये तथा स्वीकृत प्रस्तावों तथा जारी किये गये केन्द्रीय अनुदान की राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिये गये हैं।

विवरण I

आईआईडी केन्द्रों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण-पत्र

राज्य	जिला जिसमें स्थापित है	अनुमोदित केन्द्रों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	करनूल, रंगारेड्डी नैल्लोर, चित्तोर, कृष्णा	5
असम	दारंग, नौगांव, कछार, शिवसागर, कामरूप, जोरहाट, नलबाडी, धीमाजी, लखीमपुर	9

1	2	3
छत्तीसगढ़	महासमुन्द, कबीरधाम	2
गुजरात	जूनागढ़	1
हरियाणा	सिरसा, यमुनानगर, सोनीपत	3
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	1
जम्मू-कश्मीर	उद्यमपुर, कठुवा	2
कर्नाटक	बेलगांव, बीजापुर, कोल्लार, बागलकोट	4
केरल	त्रिवेन्द्रम, कन्नूर, मालापुरम, एर्नाकुलम, कसारगौड, त्रिचुर, पठानमथीटा, वायानाड	8
महाराष्ट्र	यवतमल, सतारा	2
मध्य प्रदेश	सतना, मन्दसौर, खारगोन, कटनी, सागर, नीमच, टीकमगढ़, मुरैना	8
मिजोरम	लुंग्लैयी, चम्फाई	2
नागालैंड	कोहिमा	1
उड़ीसा	खुर्द, रायगढ़, जगतसिंहपुर, बालासोर	4
पंजाब	होशियारपुर, मुक्तसर, लुधियाना	3
राजस्थान	जोधपुर, नागोर, टोंक, उदयपुर, करोली, पाली, बारान, भरतपुर, राजसमंद, अलवर	10
तमिलनाडु	मदुरई, कोयम्बटूर, थिरुमूदीवक्कम, कटूर, अवाडी एमजीआर जिला-थिरुवल्लौर, त्रिचरापल्ली, सलेम	7
त्रिपुरा	नार्थ त्रिपुरा	1
उत्तरांचल	देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर	3
उत्तर प्रदेश	ऐटा, मथुरा, भदोही, बागपत, बाराबंकी, गाजियाबाद, चंदोली	8
पश्चिम बंगाल	टांगरा (कोलकाता)	1
	कुल	85

विवरण II

वर्ष 2004-05 से अनुमोदित आईआईडी केन्द्रों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाले विवरण-पत्र

(रुपये लाख में)

राज्य	जिला जिसमें स्थापित है	स्वीकृत केन्द्रीय अनुदान	जारी किया गया केन्द्रीय अनुदान
2004-05			
असम	नालबाडी	367.20	100.00
छत्तीसगढ़	कबीरधाम	87.72	43.86
महाराष्ट्र	सतारा	167.00	78.00
राजस्थान	अलवर	200.00	26.74
त्रिपुरा	नार्थ त्रिपुरा	365.04	0.00
उत्तरांचल	देहरादून	400.00	100.00
	हरिद्वार	400.00	100.00
	उधमसिंह नगर	40.00	100.00
2005-06			
असम	धीमाजी,	325.34	200.00
	लखीमपुर	321.61	100.00
केरल	पठानमथिट्टा	186.02	27.60
जम्मू-कश्मीर	कठुवा	400.00	200.00
नागालैंड	कोहिमा	399.07	199.54
2006-07			
मिजोरम	चम्पाई	365.30	182.65
पश्चिम बंगाल	टांगरा	80.57	30.00
उड़ीसा	बालासोर	174.61	0.00

अलगाववादी/कट्टरपंथी/नक्सल समूहों के साथ शांति वार्ता

1040. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री अबू अयीश मंडल:
श्री मणि कुमार सुब्बा:
डा. अरुण कुमार शर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न अलगाववादी/कट्टरपंथी/नक्सली समूहों के साथ शांति वार्ता शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो संगठनवार उन समूहों के क्या नाम हैं जो मामले पर सरकार से बात करने के लिए आगे आए हैं;

(ग) क्या सरकार तथा उल्फा बिना पूर्व शर्त के वार्ता के अपने पिछले रुख से हट गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन संगठनों के साथ संघर्ष विराम की प्रक्रिया पुनः शुरू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) विभिन्न संगठनों के साथ इन शांति वार्ताओं की अब तक क्या उपलब्धि रही?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ज) सरकार ने वर्तमान में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आई/एम), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (के), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) दीमा हलाम दाओगा (डीएचडी), यूनाइटेड पीपल्स, डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी (यूपीडीएस) और अचिक नेशनल वोलिएनटर काउंसिल (एएनबीसी) के साथ युद्ध विराम/अभियानों को रोकने संबंधी समझौता किया है।

2. उल्फा द्वारा गठित लोक परामर्शदात्री समूह के साथ वार्ता के दौरान सरकार ने असम सरकार के साथ परामर्श करके उल्फा के पांच कैदियों को रिहा करने के लिए उल्फा के अनुरोध पर विचार करने के प्रति सहमति प्रकट की है बशर्ते कि उल्फा सीधी वार्ता आयोजित करने के लिए भारत सरकार/असम सरकार के साथ औपचारिक रूप से सम्पर्क करे, इन वार्ताओं के लिए प्रतिनिधि मंडल नामित करे, समय सीमा विनिर्दिष्ट करे और लूट-खसोट, नोटिस आदि सहित सभी रूपों में हिंसा का त्याग करे। इन वार्ताओं का आयोजित करने के लिए लोक परामर्शदात्री समूह के प्रतिनिधियों के साथ पारस्परिक पहल के जरिये तीन राउन्ड की वार्ता के पश्चात् भी प्रयास जारी हैं। सरकार ने शांति वार्ता आयोजित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दृष्टि से 13.8.2006 से 20.9.2006 तक उल्फा के विरुद्ध सेना के अभियान को सर्वसम्मति से स्थगित रखने की भी घोषणा की है। चूंकि उल्फा से कोई सीधी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई और उल्फा कैडरों द्वारा पुनः संगठित होने, नई भर्ती, हिंसा और लूट खसोट संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, इसलिए उल्फा के विरुद्ध विद्रोही प्रतिकारी अभियानों को पुनः शुरू कर दिया गया है।

3. सरकार किसी भी उग्रवादी समूह के साथ वार्ता करने के लिए सहमत है बशर्ते कि वे हिंसा का त्याग करें। तथापि, सरकार अपने नागरिकों की जान और माल की रक्षा करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध है।

4. कई उग्रवादी गुटों के साथ युद्धविराम/अभियानों को रोकने के परिणामस्वरूप 2005 में इसी अवधि की तुलना में 31 अक्तूबर, 2006 तक चालू वर्ष में मारे गये सुरक्षा बल के कार्मिकों और सिविलियनों की संख्या में 22% तक की कमी आई है।

[हिन्दी]

भारतीय निर्यात व्यापार

1041. श्री रामदास आठवले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय निर्यात संबंधी व्यापार काफी कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई प्रमुख वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों से निर्यात में तेजी लाने के लिए सुझाव प्राप्त किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं। भारत से होने वाले निर्यात वर्ष 2003-04 में 64 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2004-2005 में 84 बिलियन अमरीकी डालर तथा 2005-2006 में 103 बिलियन डॉलर हो गए हैं और इस प्रकार इसमें लगभग 25% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात के संबंध में निर्यात संवर्धन परिषदों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में इन परिषदों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। उनके सुझावों के आधार पर निर्यात संवर्धन और शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमों को सुसंगत बनाने के लिए समय-समय पर समुचित उपाय किये जाते हैं।

इस्पात के तार का निर्यात

1042. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात (लोहा) के तारों का भारत से निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात किये गये इस्पात के तारों की मात्रा कितनी थी तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ग) क्या सरकार इस्पात के तारों को निर्यात कर रही इकाइयों को निर्यात कर राजसहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान स्टेनलैस स्टील के 42976 टन तारों का निर्यात किया गया है जिसका मूल्य 48.30 करोड़ रुपये था।

(ग) और (घ) नीति के अनुसार निर्यातित वस्तुओं पर करों एवं शुल्कों से छूट प्रदान की जाती है/उन्हें निर्यातकों को वापस लौटा दिया जाता है। सरकार ने धारा 80 एचएचसी के अंतर्गत निर्यातकों को पूर्व में उपलब्ध कर लाभ वापस ले लिया है। तथापि, निर्यातकों को उनकी निर्यात बिक्री पर किसी कर तथा शुल्क का भुगतान नहीं करना होता है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा

1043. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हथकरघा उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मिल रही बड़ी प्रतिस्पर्धा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो देश में हथकरघा उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। हथकरघा उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर रहा है। वस्तुतः हथकरघा क्षेत्र घरेलू विद्युतकरघा एवं मिल क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

(ख) देश में हथकरघा उद्योग के हित की सुरक्षा के उद्देश्य से विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय हथकरघा क्षेत्र के लिए निम्नलिखित विकास एवं कल्याण योजनाओं के अलावा हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 कार्यान्वित कर रहा है:

(1) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।

(2) एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना।

(3) हथकरघा निर्यात योजना।

(4) मिल गेट कीमत योजना।

(5) विपणन संवर्धन कार्यक्रम।

(6) कार्यशाला सह आवास योजना।

(7) बचत निधि योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना तथा महात्मा गांधी बुनकर योजना जैसे बुनकर कल्याण योजनाएं।

इसके अतिरिक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय ने हथकरघा क्षेत्र के लिए एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना, हथकरघा मार्क, 273 नए यार्न डिपो की शुरूआत तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना जैसी कुछ नई योजनाएं/कार्यक्रम भी शुरू किये हैं।

मुक्त व्यापार समझौता

1044. श्री मोहन रावले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इरादा चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय उद्योगों के संरक्षण हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या चीन से होने वाले आयात की तुलना में भारत का चीन को किया जाने वाला निर्यात ज्यादा है;

(घ) यदि हां, तो क्या दोनों के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता भारत की तुलना में चीन के लिए अधिक लाभदायक है;

(ङ) क्या सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण से भारतीय उद्योगों विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक, किराना एवं वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(च) भारतीय उद्योगों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) तथा (घ) से (च) दोनों सरकारों ने संभावित चीन-भारत क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था की व्यवहार्यता और

उससे प्राप्तव्य लाभों का विस्तृत अध्ययन करने और उसकी विषय-वस्तु के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक संयुक्त कार्यबल गठित किया है। भारतीय उद्योगों के हितों को प्रदर्शित करने के लिए फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधियों को संयुक्त कार्य बल में शामिल किया गया है।

(ग) जी, हां। वर्ष 2005-2006 के दौरान चीन को भारत का निर्यात 6.72 बिलियन अमेरिकी डालर और चीन से भारत का आयात 10.73 बिलियन अमेरिकी डालर का हुआ था (डीजीसीआईएस के अनंतिम आंकड़े)।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान हेतु राजस्थान को सहायता

1045. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को सर्व शिक्षा अभियान हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) आज की तारीख में सहायता हेतु राज्यवार कितने प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(ग) राज्यवार कब तक बाकी बचे प्रस्ताव मंजूर कर दिये जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा मई, 2006 के मध्य तक वर्ष 2006-07 के लिए सर्व शिक्षा अभियान हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था।

16.11.2006 तक भारत सरकार द्वारा जारी अपने हिस्से की राशि को संलग्न विवरण में राज्यवार दर्शाया गया है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी भारत सरकार के हिस्से की राज्यवार राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	16.1.12006 तक वर्ष 2006-07 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी राशि (रु. लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	43245.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	4109.92
3.	असम	36418.35
4.	बिहार	54972.39
5.	छत्तीसगढ़	30182.20
6.	गोवा	424.12
7.	गुजरात	14806.97
8.	हरियाणा	20514.12
9.	हिमाचल प्रदेश	3223.12
10.	जम्मू-कश्मीर	8770.73
11.	झारखंड	35015.00
12.	कर्नाटक	39901.98
13.	केरल	4382.00
14.	मध्य प्रदेश	84379.68
15.	महाराष्ट्र	31658.56
16.	मणिपुर	9.24
17.	मेघालय	1794.00
18.	मिजोरम	1713.94
19.	नागालैंड	2315.20
20.	उड़ीसा	25010.95
21.	पंजाब	12879.92
22.	राजस्थान	72231.91
23.	तमिलनाडु	26329.65
24.	त्रिपुरा	1918.86
25.	उत्तर प्रदेश	206654.00
26.	उत्तरांचल	13534.00
27.	पश्चिम बंगाल	44236.80
28.	अंडमानं और निकोबार द्वीपसमूह	419.62

1	2	3
29.	दिल्ली	2930.24
30.	लक्षद्वीप	87.47
	कुल	824070.50

[अनुवाद]

भविष्योन्मुख योजनाएं

1046. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य तथा केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित की जाने वाली महानगरों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अग्रदर्शी भविष्योन्मुख योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया है जैसाकि दिनांक 21 सितम्बर, 2006 के 'द हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन योजनाओं को तैयार किया है; और

(घ) किस प्रकार इन योजनाओं को वित्तपोषित किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की प्रचलित योजना (एमपीएफ योजना) एक योजना के एक भाग के रूप में अहमदाबाद, बंगलौर, चेन्नै, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता में महानगरीय पुलिस व्यवस्था के मानदंडों में उन्नयन करने हेतु गृह मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में एक पहल की है। वर्ष 2006-07 के दौरान, संबंधित राज्य सरकारों ने एमपीएफ योजना के लिए अपने वार्षिक प्रस्तावों में महानगरीय पुलिस व्यवस्था के उन घटकों का उल्लेख किया है जिन पर सरकार द्वारा विचार किया गया था। इन शहरों के लिए सहायता संबंधित राज्य सरकारों को एमपीएफ योजना की शर्तों के अनुरूप जारी की जाती हैं, जिसमें केन्द्रीय अनुदान का 75% और राज्यों से तदनुरूप 25% अंशदान शामिल है।

रुग्ण लघु उद्योगों हेतु दिशानिर्देश

1047. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री सुब्रत बोस:

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग को रुग्णता का पहले पता लगाने तथा इन रुग्ण उद्योग को अर्थक्षम बनाने हेतु उपचारात्मक उपाय किये जाने के संबंध में 2002 में व्यापक दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) क्या वर्ष 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में लघु उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिए नए दिशानिर्देश फिर से जारी किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा वर्ष 2002 तथा 2005 के दिशानिर्देशों में क्या अंतर है;

(घ) प्रत्येक राज्य में राज्यवार लघु उद्योग की कितनी इकाइयां हैं;

(ङ) राज्यवार कितने लघु उद्योग रुग्ण हैं तथा बंद होने की कगार पर हैं;

(च) राज्यवार विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में 2002 के दिशानिर्देश के अनुसार पुनरुद्धार हेतु वित्तीय सहायता ऋण पुनर्संरचना, नए ऋण इत्यादि प्रदान किये गये लघु उद्योगों का ब्यौरा क्या है तथा अब तक 2005 के दिशानिर्देशों के अनुसार कितनी इकाइयों को लाभ मिला;

(छ) गत एक वर्ष के दौरान आज तक देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यवार तथा लघु उद्योग वार स्थापित तथा बंद हुए लघु उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ज) लघु उद्योगों के बंद होने के क्या कारण हैं;

(झ) क्या कुछ लघु उद्योग विदेशों, यथा, चीन, ताइवान, कोरिया, जापान, इत्यादि से आयात में छूट देने के कारण बंद हो गए हैं; और

(ञ) यदि हां, तो इन उपायों का ब्यौरा क्या है जो सरकार द्वारा लघु उद्योगों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करते हुए उनका पुनरुद्धार करने के लिए किये जा रहे हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) रुग्ण लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) के पुनर्वास संबंधी 2002 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित है—रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन, रुग्ण इकाइयों की जीवनक्षमता के संबंध में निर्णय करने संबंधी मानदंड तथा रियायती वित्त। 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत लघु तथा मध्यम

उद्यमों (एस.एम.ई.) के लिए ऋण पुनर्गठन तंत्र के संबंध में हैं तथा इसमें जीवनक्षम मानदंड, पुनर्गठित लेखों के संबंध में विवेकी मानदंड, अतिरिक्त वित्त के लिए व्यवस्था तथा पुनर्गठित पैकेज को तैयार करना तथा इसका कार्यान्वयन शामिल है।

(घ) 2001-02 के संदर्भ वर्ष के साथ लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के आधार पर मार्च, 2006 के अंत तक ल.उ. इकाइयों की (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों) राज्य-वार आंकलित संख्या विवरण-I में दी गयी है।

(ङ) और (च) आर.बी.आई. द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संकलित नवीनतम डाटा के अनुसार मार्च, 2005 के अंत तक राज्य-वार लघु उद्योग इकाइयों तथा रुग्ण लघु उद्योग इकाइयां जिन्हें उपचार के तहत रखा गया है, की संख्या (2002 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार) विवरण-II में संलग्न है। ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत (2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार) 31 मार्च, 2006 तक 594 एस.एम.ई. को कवर किया गया है।

(छ) लघु उद्योग इकाइयों की राज्य-वार आंकलित संख्या विवरण-I में संलग्न है। रुग्णता के कारण बंद हुए लघु उद्योगों के संबंध में सूचना का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है। लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के अनुसार 31 मार्च, 2001 तक पंजीकृत कुल 22,62,401 इकाइयों में से 8,87,427 पंजीकृत इकाइयां बंद पाई गई थी। इन बंद इकाइयों का राज्य-वार वितरण संलग्न विवरण-III में प्रस्तुत है।

(ज) लघु उद्योग इकाइयों के बंद होने के पहचाने गए कुछेक मुख्य कारणों में शामिल हैं, लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों की मांग में कमी, पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग, कार्यशील पूंजी तथा कच्चे माल की उपलब्धता में कठिनाई, अदायगियों की प्राप्ति में विलंब, विद्युत आपूर्ति में अड़चनें तथा अन्य बुनियादी संरचना तथा प्रबंधन संबंधी कमियां।

(झ) और (ञ) व्यापार उदारीकरण के दौर में, सरकार ने लघु उद्योगों की सहायता के लिए अनेक उपाय किये हैं ताकि यह विश्व्यापी तौर पर प्रतिस्पर्धी बन सके। इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन पर विशेष बल, क्लस्टर पहुंच के माध्यम से बुनियादी संरचना सहायता, क्रेडिट की ओर अधिक समय पर उपलब्धता, आधुनिक प्रबंधन व्यवहारों को अपनाना, इलेक्ट्रानिक बुनियादी संरचना का उपयोग तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का प्रयोग, उदारीकरण की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए लघु उद्योग की सहायता हेतु मार्किटिंग तथा समय पर सूचना प्रदान करना सम्मिलित है। इसके अलावा, बाउण्ड लेवल तक सीमा शुल्क को बढ़ाने के रूप में, पाट्नरोधी शुल्क लगाने, आयातों इत्यादि के उछाल के मामले में सुरक्षा उपायों के रूप में संरक्षण उपलब्ध है। इसके अलावा, सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) विधेयक, 2006 का अधिनियमन किया ताकि एम.एस.एम.ई. का संवर्धन और विकास तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद मिल सके। अधिनियम 2 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी हो गया है।

विवरण I

मार्च 2006 के अंत में लघु उद्योग इकाइयों की राज्यवार अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लघु उद्योग इकाइयों की अनुमानित संख्या (मार्च 2006 के अंत में)
1	2	3
1.	जम्मू-कश्मीर	85855
2.	हिमाचल प्रदेश	89037
3.	पंजाब	438448
4.	चंडीगढ़	25978
5.	उत्तरांचल	125218
6.	हरियाणा	259638
7.	दिल्ली	206599
8.	राजस्थान	517906
9.	उत्तर प्रदेश	2010772
10.	बिहार	608537
11.	सिक्किम	436
12.	अरुणाचल प्रदेश	1490
13.	नागालैंड	17221
14.	मणिपुर	55972
15.	मिजोरम	13149
16.	त्रिपुरा	28410
17.	मेघालय	26637
18.	असम	228024

1	2	3
19.	पश्चिम बंगाल	900420
20.	झारखंड	155437
21.	उड़ीसा	453591
22.	छत्तीसगढ़	308143
23.	मध्य प्रदेश	930204
24.	गुजरात	624300
25.	दमन और दीव	2331
26.	दादरा और नगर हवेली	1537
27.	महाराष्ट्र	942574
28.	आंध्र प्रदेश	1021519
29.	कर्नाटक	773630
30.	गोवा	8403
31.	लक्षद्वीप	630
32.	केरल	524824
33.	तमिलनाडु	940531
34.	पांडिचेरी	10452
35.	अंडमान व निकोबार	3809
	अखिल भारतीय	12341661

विवरण II

मार्च, 2005 के अंत तक रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों तथा जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों जिन्हें नर्सिंग के तहत रखा गया है, की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की सं. (मार्च, 2005 के अंत तक)	जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की सं. जिन्हें नर्सिंग के तहत रखा गया है (मार्च, 2005 के अंत तक)
1	2	3	4
1.	जम्मू-कश्मीर	2630	18
2.	हिमाचल प्रदेश	332	6
3.	पंजाब	2506	82
4.	चंडीगढ़	770	4
5.	उत्तरांचल	353	–
6.	हरियाणा	1000	7
7.	दिल्ली	1488	13
8.	राजस्थान	2241	1
9.	उत्तर प्रदेश	12085	417
10.	बिहार	7596	104
11.	सिक्किम	13	–
12.	अरुणाचल प्रदेश	4	–
13.	नागालैंड	154	1
14.	मणिपुर	786	–
15.	मिजोरम	76	–
16.	त्रिपुरा	1734	–
17.	मेघालय	104	1
18.	असम	2954	4
19.	पश्चिम बंगाल	38612	912
20.	झारखंड	3419	3
21.	उड़ीसा	7384	8
22.	छत्तीसगढ़	3058	20
23.	मध्य प्रदेश	7640	12
24.	गुजरात	3461	38
25.	दमन और दीव	42	–
26.	दादरा और नगर हवेली	48	–
27.	महाराष्ट्र	6939	47
28.	आंध्र प्रदेश	5508	53
29.	कर्नाटक	4093	23
30.	गोवा	130	–

1	2	3	4
31.	लक्षद्वीप	–	–
32.	केरल	10873	230
33.	तमिलनाडु	9938	76
34.	पांडिचेरी	70	–
35.	अंडमान व निकोबार	–	–
	अखिल भारतीय	138041	2080

विवरण III

पंजीकृत लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के अनुसार बंद लघु उद्योग इकाइयों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बंद इकाइयों की कुल संख्या
1	2	3
1.	जम्मू-कश्मीर	22709
2.	हिमाचल प्रदेश	6509
3.	पंजाब	82731
4.	चंडीगढ़	1405
5.	उत्तरांचल	12100
6.	हरियाणा	27546
7.	दिल्ली	8357
8.	राजस्थान	36847
9.	उत्तर प्रदेश	122282
10.	बिहार	20525
11.	सिक्किम	155
12.	अरुणाचल प्रदेश	248
13.	नागालैंड	129
14.	मणिपुर	1226
15.	मिजोरम	1313
16.	त्रिपुरा	1077
17.	मेघालय	1908
18.	असम	10338
19.	पश्चिम बंगाल	26080
20.	झारखंड	13822
21.	उड़ीसा	9708
22.	छत्तीसगढ़	27830
23.	मध्य प्रदेश	65649
24.	गुजरात	39159
25.	दमन और दीव	454
26.	दादरा और नगर हवेली	423
27.	महाराष्ट्र	54243
28.	आंध्र प्रदेश	38582
29.	कर्नाटक	46611
30.	गोवा	2327
31.	लक्षद्वीप	16
32.	केरल	74832
33.	तमिलनाडु	127185
34.	पांडिचेरी	2586
35.	अंडमान व निकोबार	515
	अखिल भारतीय	887427

भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण

1048. श्री अनन्त नायक: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के भाम क्या हैं जहां भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सर्वेक्षण किया है;

(ख) विभिन्न राज्यों के ऐसे सर्वेक्षण पर भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण ने कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण द्वारा पता लगाये गये खनिज भडार का खनिजवार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने पिछले तीन वर्षों में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल राज्यों में खनिजों के लिए सर्वेक्षण और क्षेत्रीय गवेषण का कार्य किया।

वर्ष 2003-04, 2004-05 के दौरान त्रिपुरा में खनिज अन्वेषण के कार्य भी किए गए हैं।

(ख) जीएसआई ने पिछले तीन वर्षों में खनिजों (कोयला सहित) के सर्वेक्षण और क्षेत्रीय गवेषण पर कुल 10674.57 लाख रुपये की राशि खर्च की है।

(ग) विभिन्न राज्यों में वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान जीएसआई द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार विभिन्न खनिजों का कुल संसाधन, कोयला: 11995 एम टन लिग्नाइट: 207 एम टन; स्वर्ण अयस्क: 44.89 एम टन, आधार धातु: 6.33 एम टन; मैंग्नीज अयस्क: 7.68 एम. टन; लौह अयस्क: 24.42 एम टन; लाइम स्टोन: 1589.28 एम टन और क्ले: 5.83 एम टन है।

विश्व व्यापार संगठन

1049. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकसित तथा अन्य राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तत्वावधान में व्यापार वार्ता पुनः शुरू करने से पूर्व कृषि संबंधी मुद्दों पर छूट देने हेतु भारत पर दबाव डालते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के अंतर्गत विकासशील देशों के किसानों को विकसित देशों के किसानों के बराबर लाने हेतु विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को दी गई असमानुपातिक मदद को वापिस लेने की विकासशील देशों की मांग के उत्तर में विकसित देशों द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जुलाई, 2006 में दोहा कार्यक्रम के सभी क्षेत्रों में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में वार्ताएं इसलिए स्थगित की गई थीं ताकि सदस्यों को गंभीरतापूर्वक विचार करने तथा स्थिति की समीक्षा करने, उपलब्ध विकल्पों की जांच करने तथा विशेष रूप से कृषि संबंधी घरेलू सहायता तथा बाजार पहुंच के मुद्दों से संबंधित स्थितियों की समीक्षा करने हेतु समय मिल सके।

उसके बाद विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्यों के बीच अनौपचारिक वार्ताएं की गई हैं ताकि जी-20 तथा जी-33 गठबंधनों सहित, जिनका भारत एक सदस्य है, सभी सदस्यों के पूर्ववर्ती दृष्टिकोणों में लोचशीलताओं का आकलन किया जा सके। सितम्बर, 2006 में रिओ डि जेनेरो में आयोजित जी-20 मंत्रिस्तरीय बैठक में जी-33 के राष्ट्र समन्वयकर्त्ताओं के साथ अफ्रीकी-कैरिबियन-पैसिफिक देशों, अल्प विकसित देशों, अफ्रीकी समूह, लघु कमजोर अर्थव्यवस्थाओं, कॉटन-4 तथा एन ए एम ए-11 ने इस बात पर बल दिया कि विकासशील देशों में गरीब किसानों की आजीविका तथा जीवन स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार में प्रचलित सब्सिडियों तथा बाजार पहुंच संबंधी बाधाओं के कारण गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और कोई भी दौर जो अपने विकास संबंधी पहलू के प्रति निष्ठावान है उसे तुरंत इस स्थिति का समाधान करना चाहिए। उसके बाद से भारत तथा अन्य देशों द्वारा इस दृष्टिकोण को दोहराया गया है। 16 अक्तूबर, 2006 को दोहा कार्यक्रम के सभी क्षेत्रों में सभी वार्ताकारी समूहों द्वारा पुनः कार्य शुरू करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

(ग) डब्ल्यूटीओ महापरिषद के अगस्त, 2004 के निर्णय के जरिये अन्य बातों के साथ-साथ कृषि में रूपरेखाएं निर्धारित करने के लिए भावी वार्ताओं का मार्गदर्शन करने हेतु कतिपय सिद्धांतों एवं तत्वों के संबंध में विकसित देशों सहित डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। इनमें समग्र व्यापार-विकृतिकारी घरेलू सहायता और एंबर बॉक्स सहायता का सुमेलीकरण और ब्लू-बॉक्स के प्रावधानों के अंतर्गत किये गये भुगतानों पर किसी पूर्ववर्ती आधार अवधि में कृषि उत्पादन के मूल्य के पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा के संबंध में सहमति शामिल है। दिसम्बर, 2005 में हांगकांग में आयोजित डब्ल्यूटीओ के छठे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के समापन पर एक घोषणा-पत्र पारित किया गया था जिसके मूल परिणामों में वर्ष 2013 तक निर्यात सब्सिडियों

को समाप्त करने जिनके एक बड़े भाग की समाप्ति कार्यान्वयन अवधि के पूर्वार्द्ध में की जाएगी और विकसित देशों द्वारा वर्ष 2006 तक कपास के निर्यात पर प्रदत्त सब्सिडियों को समाप्त किये जाने का निर्णय शामिल है। व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता के संबंध में तीन सबसे बड़े सब्सिडी प्रदाता अत्यधिक रैखिक कटौती करेंगे और कपास को प्रदान की गई व्यापार-विकृतिकारी घरेलू सब्सिडियों में और अधिक महत्वाकांक्षी ढंग से तथा अपेक्षाकृत कम अवधि में कटौती करनी होगी।

तम्बाकू विकास बोर्ड

1050. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित फसल आकार से अधिक एफसीवी तम्बाकू का देश में उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में तम्बाकू उत्पादकों की सहायतार्थ तथा तम्बाकू का न्यूनतम गारंटी मूल्य निर्धारित करने के लिए तम्बाकू बोर्ड का गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तम्बाकू उत्पादकों के लिए गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति की स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) फसल मौसम 2006-2007 के लिए फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू हेतु निर्धारित फसल की मात्रा 242.4 मिलि. किग्रा. है। जिसमें मौसम की अनुकूलता के रूप में 10% की मात्रा शामिल है। आंध्र प्रदेश में बागान प्रगति पर हैं और अनुमानित फसल का आकलन करना संभव नहीं है। कर्नाटक में नीलामियां चल रही हैं।

(ग) और (घ) तम्बाकू विकास बोर्ड की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। न्यूनतम गारंटीशुदा कीमत (एमजीपी) वह औसत कीमत है जिसका आश्वासन व्यापार जगत द्वारा किसानों को दिया जाता है और यह पूर्णतः स्वैच्छिक होती है। व्यापार जगत ने एमजीपी को घोषित करना बंद कर दिया है। इस अवधारणा की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद उपजकर्ता काफी अधिक कीमतें प्राप्त कर रहे हैं।

बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा घुसपैठ

1051. **श्री किशनभाई वी. पटेल:**
श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री बची सिंह रावत 'बचदा':
श्री काशी राम राणा:
श्री सर्वानन्द सोनोवाल:
श्री गुरजीत सिंह राणा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार भारत-बांग्लादेश सीमा पर भौगोलिक जटिलताओं के चलते बांग्लादेशियों को देश में आने से रोकने में विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो 2006 के दौरान बांग्लादेश सीमा पर तैनात अर्धसैनिक बलों द्वारा बांग्लादेशियों द्वारा घुसपैठ की कोशिशों को विफल करने की संख्या सहित इन जटिलताओं से निबटने के लिए क्या रणनीति तय की गई है;

(घ) क्या इन आप्रवासियों के पास राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इत्यादि होते हैं तथा ये आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस घुसपैठ को रोकने के लिए इस संबंध में सरकार द्वारा किये गये उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए 'इस्रायली रिकोनोसेंस सिस्टम-लोरोस' लगाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेशी राष्ट्रिक, अवैध रूप से भारत में घुसने के लिए भारत-बांग्लादेश की शुभेद्य सीमा का इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसे अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों की संख्या के बारे में वास्तविक अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वे गुप्त रूप से घुसपैठ करते हैं और जातीय और भाषाई समानताओं के कारण वे आसानी से स्थानीय लोगों में घुल-मिल जाते हैं।

तथापि, अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने कई उपाय किये हैं। इनमें सीमाओं पर गश्त लगाकर चौबीसों घंटे चौकसी रखना; अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना नेटवर्क और समन्वय का उन्नयन करना; सीमा पर बाड़ का निर्माण करना; नदी क्षेत्र में गश्त लगाना; और रात में देखने वाले यंत्रों सहित आधुनिक चौकसी उपकरण लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1046 की धारा 3(2) (ग) के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस मामले को राजनयिक तौर पर विभिन्न स्तरों पर बांग्लादेश सरकार के साथ भी उठाया गया है। समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेश जारी किये जाते हैं जिनमें राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया जाता है कि वे देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी आप्रवासियों का पता लगाएं और उन्हें वापस भेजें।

(घ) और (ङ) ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ अवैध बांग्लादेशी आप्रवासी राशन कार्ड, पासपोर्ट बनवाने और मतदाता पहचान-पत्र आदि प्राप्त करने में सफल हुए हैं। राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, कानून के उपबंधों के अनुसार अपराध के मामलों, जब कभी भी उनका पता चलता है, सहित ऐसे मामलों से निपटने के लिए समक्ष हैं।

(च) और (छ) सरकार ने प्रभावी चौकसी करने के लिए लांग रेंज रिकानोसेंस एंड आब्जरवेशन सिस्टम (एलओआरआरओएस) सहित हाइ-टेक इलैक्ट्रानिक सर्विलियेंस उपकरण प्राप्त करने का अनुमोदन कर दिया है।

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाना

1052. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के कुप्रबंधन पर गंभीर टिप्पणियां किये जाने के बावजूद देश में बच्चों को घटिया/अस्वास्थ्यकर खाना दिये जाने के अनेक मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की जानकारी में घटिया/अस्वास्थ्यकर भोजन की आपूर्ति के कितने मामले आए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप इस योजना का अनुपालन नहीं किया है;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इस योजना हेतु केन्द्र के दिशानिर्देशों के कठोर अनुपालन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान इस योजना में राज्यों को निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु सहायता की अनुमति दी गई। इसलिए कोई निधियां जारी नहीं की गई थी। सितम्बर, 2004 से यह योजना संशोधित हो गई जिसके तहत राज्यों को भोजन पकाने की लागत को वहन करने हेतु केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। इस घटक के लिए वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान जारी निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी राज्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान भोजन पकाने की लागत के लिए जारी राज्यवार केन्द्रीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05 केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियां	2005-06 केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7,600.98	12441.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	276.96	396.24

1	2	3	4
3.	असम	2,310.62	5462.37
4.	बिहार	7,081.92	19719.27* (16030.20+3689.07)
5.	छत्तीसगढ़	3,974.28	5204.57
6.	गोवा	60.42	119.34
7.	गुजरात	4,804.29	7157.70
8.	हरियाणा	2,174.32	3464.338
9.	हिमाचल प्रदेश	844.96	1429.61
10.	जम्मू-कश्मीर	433.46 * (246.85+186.61)	1282.23
11.	झारखंड	2,845.00 * (1620.21+1224.79)	7180.10
12.	कर्नाटक	6,589.93	10704.99
13.	केरल	2,453.00	2890.17
14.	मध्य प्रदेश	13,258.92	18613.56
15.	महाराष्ट्र	13,995.44	12957.16 * (7919.95 + 5037.21)
16.	मणिपुर	218.98	501.43
17.	मेघालय	543.89	687.78
18.	मिजोरम	112.34 * (63.97+48.37)	104.05
19.	नागालैंड	246.42	397.66
20.	उड़ीसा	7,356.12	4794.81 * (1917.52+2877.29)
21.	पंजाब	1,309.86* (745.96+563.90)	0.00
22.	राजस्थान	13,151.22	11479.63
23.	सिक्किम	113.50* (64.64+48.86)	211.52

1	2	3	4
24.	तमिलनाडु	5,819.30	8964.30
25.	त्रिपुरा	701.66	1063.91
26.	उत्तरांचल	1,233.64	1553.03
27.	उत्तर प्रदेश	17,067.44	35637.03* (29553.00+6084.00)
28.	पश्चिम बंगाल	12,280.00* (6993.37+5286.63)	22756.93
	कुल	128858.87	197175.60

*दर्शाई गई राशि में वह शेष शामिल है जिसे परवर्ती वर्ष में जारी किया गया है।

[हिन्दी]

वस्त्र डिजायन प्रदर्शनी

1053. श्री रामदास आठवले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्यों में कोई वस्त्र डिजायन प्रदर्शनी लगाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश-वार इन प्रदर्शनियों के माध्यम से प्राप्त निर्यात आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसी और प्रदर्शनियां लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 'तान्तवी' शीर्षक से प्रदर्शनियां आयोजित की गई जो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलूर, चैन्नई, कोलकाता, गोवाहाटी, कन्नूर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, जयपुर और मेरठ में आयोजित की गई तथा जिनमें भारतीय हथकरघा को विशेष रूप से उजागर किया गया।

(ग) जी, नहीं। इन प्रदर्शनियों में आमतौर पर शिल्पकार अपने निर्माणों को प्रदर्शित करते हैं और अपने उत्पादों को ग्राहकों को सीधे ही बेचते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार 2006-07 के दौरान इम्फाल (मणिपुर), कोहिमा (नागालैंड), चिराला (आंध्र प्रदेश), शांति निकेतन (प. बंगाल) और संभलपुर (उड़ीसा) में 'तान्तवी' आयोजित कर रही है।

कनाडा के साथ व्यापार

1054. श्री राजनारायण बुधौलिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कनाडा सरकार के साथ व्यापारिक संबंध सुधारने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां। कनाडा के साथ व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करना एक निरंतर एवं सतत प्रक्रिया है। निवेशों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोग को प्रोत्साहित करने, बाजार

अनुसंधान, सूचना के प्रसार, क्रेता-विक्रेता बैठकों, प्रमुख व्यापार मेलों में भागीदारी जैसे विभिन्न व्यापार संवर्धन उपायों के जरिये व्यापार में वृद्धि एवं इसका विविधीकरण करने के लिए नियमित रूप से प्रयास किये जाते हैं।

(ग) भारत-कनाडा व्यापार नीति संबंधी परामर्श मई, 2006 में किये गये थे। द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार संबंधी बातचीत जनवरी, 2006 में नई दिल्ली और ओटावा में की गई थी। क्यूबेक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में व्यापारी प्रतिनिधियों के एक शिष्टमंडल ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया था। फरवरी, 2006 में मनिटोबा प्रांत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक 15 सदस्यीय व्यावसायिक शिष्टमंडल ने नई दिल्ली का दौरा किया था।

(घ) भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2004-05 में 1642.53 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 1941.44 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है जिसमें 18.20% की वृद्धि दर्ज हुई है।

[अनुवाद]

स्व-सहायता समूहों को केवीआईसी की सहायता

1055. श्री रेनेन बर्मन: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्व-सहायता समूहों को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) से सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्व-सहायता समूहों को उन्हें दिये गये उत्तरदायित्व के निर्वहन में कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन स्व-सहायता समूहों के समक्ष आ रही कठिनाइयों का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय देश भर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों जिनकी आबादी 20,000 तक की है, में श्रम गहन उद्योगों की स्थापना में मात्र आवेदकों की सहायता की जा सके तथा इस प्रकार से अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके। इस कार्यक्रम के तहत उद्यमी अधिकतम 25 लाख रु. तक की लागत की परियोजनाओं के संबंध में केवीआईसी से मार्जिन मनी का लाभ उठाते हुए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेकर ग्रामोद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। आरईजीपी के तहत 1 अप्रैल, 2002 से केवीआईसी के माध्यम से मार्जिन मनी प्रदान करके तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करते हुए ग्रामीण उद्योगों की स्थापना में स्व-सहायता समूहों की सहायता की गई है। सितम्बर, 2006 तक आरईजीपी के तहत स्व-सहायता समूहों को 136 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। केवीआईसी भी ऐसे स्व-सहायता समूहों को प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता तथा केवीआईसी फोल्ड में स्थापित आउटलेट्स के माध्यम से उनके उत्पादों की बिक्री के तरीके से मार्किटिंग सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, केवीआईसी राज्य तथा केन्द्र सरकारों के अन्य कार्यक्रमों के तहत स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से ऐसे स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

जलियांवाला बाग के शहीदों के परिवारों को सहायता

1056. डा. रतन सिंह अजनाला:
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग के शहीदों के परिवारों के सदस्यों को प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज की तिथि में कितने परिवार इन सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980" में जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और मृतक स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के पात्र आश्रितों को पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की गई सुविधाओं को दर्शाने वाला वितरण संलग्न है।

जलियांवाला बाग के शहीदों के पारिवारिक सदस्यों हेतु कोई अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं।

(ख) ऐसे शहीदों के परिवारों, जिनको पेंशन प्राप्त हो रही है, की संख्या से संबंधित आंकड़े अनुरक्षित नहीं किये जाते।

विवरण

स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं

पेंशन के अलावा, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को निम्नलिखित सुविधायें भी प्रदान की जाती हैं:

(1) स्वतंत्रता सेनानी और विधवा, को एक सहचर के साथ आजीवन निःशुल्क रेलवे पास (प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित शयनयान);

(2) सभी केन्द्र सरकार के अस्पतालों और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. सुविधायें भी प्रदान की गई हैं;

(3) प्रतिस्थापन प्रभारों के बिना और केवल आधे किराये की अदायगी पर व्यवहार्यता की शर्त पर टेलीफोन कनैक्शन;

(4) दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों को सामान्य पूल रिहाइशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे से);

(5) स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात छः महीनों की अवधि हेतु स्वतंत्रता सेनानी की विधवा/विदुर को भी आवास रखने की अनुमति प्रदान की जाती है; तथा

(6) ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, के लिए नई दिल्ली में स्थापित स्वतंत्रता सेनानी होम में आवास।

उक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, पूर्व अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों को निम्नलिखित सुविधायें भी प्राप्त हैं:

(क) वर्ष में एक बार स्वतंत्रता सेनानी और विधवा को एक सहचर के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाने के लिए निःशुल्क समुद्र यात्रा सुविधा।

(ख) वर्ष में एक बार स्वतंत्रता सेनानी को एक सहचर के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाने के लिए निःशुल्क हवाई यात्रा सुविधा।

स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध सभी प्रमुख सुविधाएं उनकी विधवाओं/विदुरों को भी प्रदान की जाती है।

विश्व व्यापार उदारीकरण वार्ता

1057. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रविप्रकाश वर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकसित तथा विकासशील देशों का कृषि पर दो अड़ियल गुटों के बावजूद विश्व व्यापार संगठन के दोहा दौर की वार्ता को जारी रखने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकसित देश विकासशील देशों की संवेदशील तथा विशेष उत्पादों के लिए विशेष व्यवस्था देने पर सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विकसित देशों द्वारा वार्ता की संरचना को उलटने या बदलने की कोई इच्छा है; और

(च) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार तथा अन्य विकासशील देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जुलाई, 2006 में दोहा कार्यक्रम के सभी क्षेत्रों में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में वार्ताएं इसलिए स्थगित की गई थीं ताकि सदस्यों को गंभीरतापूर्वक विचार करने तथा स्थिति की समीक्षा करने, उपलब्ध विकल्पों की जांच करने तथा विशेष रूप से कृषि संबधी घरेलू सहायता तथा बाजार पहुंच के मुद्दों से संबंधित स्थितियों की समीक्षा करने हेतु समय मिल सके। दिनांक 16 नवम्बर, 2006 को डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि कृषि सहित दोहा कार्यक्रम के सभी क्षेत्रों पर सभी वार्ताकारी समूहों में कार्य पुनः शुरू किया जाए।

(ग) और (घ) महापरिषद के अगस्त, 2004 के निर्णय के जरिये अन्य बातों के साथ-साथ कृषि में रूपरेखाएं निर्धारित करने के लिए भावी वार्ताओं का मार्गदर्शन करने हेतु कतिपय सिद्धांतों एवं तत्वों के संबंध में विकसित देशों सहित डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। हांगकांग में आयोजित

डब्ल्यूटीओ के छठे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की समाप्ति पर एक घोषणा पत्र पारित किया गया था जिसके प्रमुख परिणामों में विकासशील देशों को उनके खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं के तीनों आधारभूत मापदंडों पर आधारित संकेतकों के अनुसार उचित संख्या में विशेष उत्पादों को स्वतः निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाने का निर्णय शामिल था। ये विशेष उत्पाद अधिक लोचशील व्यवहार के पात्र होंगे। संवेदनशील उत्पादों के संबंध में यह सहमति हुई थी कि विकसित एवं विकासशील सदस्य देश वार्ता हेतु संवेदनशील मानी जाने वाली टैरिफ लाइनों की एक उचित संख्या तय कर सकते हैं और यह कि टैरिफ कोटा वचनबद्धताओं और प्रत्येक संवेदनशील उत्पाद पर लागू की जाने वाली टैरिफ कटौतियों के संयोजन के जरिये बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधार किया जाएगा।

(ङ) और (च) वार्ताओं में आए गतिरोध को दूर करने की दृष्टि से विभिन्न सदस्य देश सब्सिडी प्रदान करने वाले प्रमुख विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली व्यापार विकृतिकारी सहायता को पर्याप्त एवं प्रभावशाली ढंग से घटाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक वचनबद्धताएं करने की मांग कर रहे हैं। विभिन्न अन्य सदस्य देश अतिरिक्त बाजार पहुंच संबंधी प्रस्तावों, जिनमें विकासशील देशों से प्राप्त प्रस्ताव भी शामिल है, में सुधार की मांग कर रहे हैं।

सितम्बर, 2006 में रिओ-डि-जेनेरो में आयोजित जी-20 मंत्रिस्तरीय बैठक में जी-33 के राष्ट्र समन्वयकर्त्ताओं के साथ अफ्रीकी कैरिबियन पैसिफिक देशों, अल्प विकसित देशों, अफ्रीकी समूह, लघु कमजोर अर्थव्यवस्थाओं, कॉटन-4 तथा एनएमए-11 ने इस बात पर बल दिया कि विकासशील देशों में गरीब किसानों की आजीविका तथा जीवन स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार में प्रचलित सब्सिडियों तथा बाजार पहुंच संबंधी बाधाओं के कारण गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तथा कोई भी दौर जो अपने विकास संबंधी पहलू के प्रति निष्ठावान है उसे तुरंत इस स्थिति का समाधान करना चाहिए। उसके बाद से भारत तथा अन्य देशों द्वारा इस दृष्टिकोण को दोहराया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वार्ताओं में अब तक हुई प्रगति जारी रहनी चाहिए।

पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चे

1058. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमावर्ती राज्य मेघालय में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों का अनुपात अधिक है;

(ख) यदि हां, तो पूर्व वर्ष की तुलना में तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) प्राधिकारियों ने विशेष अभियान के माध्यम से 50,000 से अधिक बच्चों जिसमें 3,477 शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, को विद्यालय वापस लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) मेघालय में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) और प्रारम्भिक स्तर (कक्षा 1-8) पर पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों की दर वर्ष 2002-03 की क्रमशः 56.5 प्रतिशत और 71.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2003-04 में क्रमशः 53.4 प्रतिशत और 71.1 प्रतिशत थी। इसमें कई सामाजिक-आर्थिक घटकों की वजह से सुधार हुआ है।

(ग) और (घ) मेघालय ने वर्ष 2006-07 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय न जाने वाले 59,142 बच्चों को विद्यालयों में लाने के लिए वापस विद्यालय चलो शिविर आयोजित करके कार्यनीति की रूपरेखा बनायी है। राज्य ने विशेष जरूरतमंद 9306 बच्चों को अभिनिर्धारित किया है और इस प्रकार के 5238 बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किया है। इसके अतिरिक्त गम्भीर रूप से विकलांग 168 बच्चों की गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग केन्द्र

1059. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केरल में स्थान-वार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितने परीक्षा-पूर्व कोचिंग केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में जिला-वार इन कोचिंग केन्द्रों से कुल कितने छात्र लाभान्वित हुए;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) इन कोचिंग केन्द्रों के कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए क्या पद्धति अपनाई जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध सहायता की योजना के अधीन अनुसूचित जाति विकास विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित चार संस्थान कार्य कर रहे हैं:

(1) सिविल सर्विसिज एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सोसायटी इंस्टीट्यूट, तिरूवनंतपुरम

(2) प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर, तिरुवनंतपुरम

(3) प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर, एर्नाकुलम, और

(4) प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर, कोजीकोड।

जहां तक अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम को 2005-06 के दौरान अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा संघ लोक सेवा आयोग (प्रारंभिक परीक्षा) के लिए कोचिंग पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु निधिपोषण किया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2003-04 के दौरान केरल सरकार को 20.54 लाख रुपये की निधि निर्मुक्त की गई। 2003-04 के दौरान इन कोचिंग केन्द्रों से 1010 अनुसूचित जाति के विद्यार्थी लाभान्वित हुए। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान इस योजना के अधीन केरल सरकार को कोई सहायता अनुदान निर्मुक्त नहीं किया गया। यह एक मांग आधारित योजना है। निधियां केवल प्राप्त प्रस्ताव के लिए निर्मुक्त की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग व सम्बद्ध योजना के अधीन कोई राज्यवार निधि आवंटन नहीं था।

जहां तक अनुसूचित जनजाति का संबंध है, 2003-04 तक अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना के अधीन कोई राज्यवार निधि आबंटन नहीं था। 2004-05 और 2005-06 के दौरान, केरल राज्य सरकार को क्रमशः 2.00 लाख रुपये और 0.60 लाख रुपये आवंटित किये गये। केरल के संबंध में 2003-04 और 2004-05 के दौरान कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई। 9 अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए केरल सरकार को 2005-06 के दौरान 0.48 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई।

(घ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग व सम्बद्ध सहायता योजना के अधीन इन कोचिंग केन्द्रों के निष्पादन के प्रबोधन से संबंधित योजना के अधीन एक जांच-समिति का प्रावधान है।

जहां तक जनजातीय कार्य मंत्रालय का संबंध है, चयन समिति द्वारा यथानिर्धारित प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना के अधीन प्रत्येक संस्थान/संगठन के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाती है। 2005-06 से इन संस्थानों से कोचिंग प्राप्त विद्यार्थियों की सफलता दर से संबंधित सूचना देने पर भी बल दिया जाता है।

[हिन्दी]

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

1060. **श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर-पूर्वी राज्यों के माध्यम से सड़कों द्वारा पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि घटने संबंधी कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सीमा पर व्यापार को सुकर बनाने के लिए कितनी अतिरिक्त चैक-पोस्ट बनाये जाने का विचार है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन

1061. **श्री अनंत गुढ़े:**
श्री श्रीचंद कृपलानी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या यह कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में चल रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में प्राथमिक शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) भारत सरकार तथा बाह्य निधियन एजेंसियों द्वारा संयुक्त समीक्षा मिशन के माध्यम से प्रत्येक छह महीनों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। मई 2006 की समीक्षा से यह पता चला कि इस कार्यक्रम से नामांकन में यथेष्ट वृद्धि, शिक्षण-स्तरों में सुधार तथा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि हुई है।

(ग) से (च) इस समय इस कार्यक्रम में उड़ीसा के आठ तथा राजस्थान के नौ जिलों को शामिल किया गया है। देश के सभी जिलों को सर्व शिक्षा अभियान की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

स्कूलों को सर्व-शिक्षा अभियान से जोड़ना

1062. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा राज्य-वार क्या सुझाव दिये गये; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान के परिणामस्वरूप माध्यमिक स्तर पर नामांकन में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस मंत्रालय ने माध्यमिक शिक्षा की पहुंच को सर्वसुलभ करने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्कीम का संकल्पना नोट तैयार किया है। राज्य सरकारों ने, अपने राज्यों में व्यापक नीतियां, योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार करने हेतु उच्च स्तरीय कार्य बल गठित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों से ठोस सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

औद्योगिक घरानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बदलना

1063. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ औद्योगिक घरानों ने सरकार से उनके द्वारा स्थापित किए गए औद्योगिक संस्थानों के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक कार्यकलापों को शामिल करने और उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदलने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) अब तक किन-किन औद्योगिक घरानों ने उक्त मांग की है; और

(घ) जिन मागों पर निर्णय लिया गया है उनका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश में उन्नाव औद्योगिक क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन में बदलने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। तथापि, एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 में एसईजेड की स्थापना हेतु आवेदन करते समय भूमि का रिक्त होना अपेक्षित है और इसलिए जोन में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

यूनेस्को की बाल शिक्षा संबंधी रिपोर्ट

1064. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को की एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट में सभी योजनाओं के लिए शिक्षा हेतु आवंटित की गई राशि में कमी का संकेत दिया है और बच्चों को शिक्षा देने के संबंध में भारत को काफी निम्न दर्जा दिया गया है जैसाकि दिनांक 29 अक्तूबर, 2006 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' तथा दिनांक 10 नवम्बर, 2006 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सर्व शिक्षा अभियान के नियमित रूप से अनुवीक्षित एवं अद्यतनकृत आंकड़ों के बिल्कुल विपरीत है जिसमें यह दर्शाया गया है कि ड्राप आउट दर कम हो रही है और अधिक से अधिक लड़कियां स्कूल जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) यूनेस्को एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट-2007 भारत विशिष्ट नहीं है। हालांकि, समूचे रिपोर्ट में भारत का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, सभी के लिए शिक्षा से संबंधित समग्र विकास सूचकांक (ई.डी.आई.) 0.789 के साथ भारत का स्थान इस सूची में 99वां है। वर्ष 2005 में सामाजिक एवं ग्रामीण शोध संस्थान द्वारा स्कूल न जाने वाले बच्चों के संबंध में किये गये राष्ट्रव्यापी नमूना सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए इस रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वर्ष 2002 में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 25 मिलियन से आधा घटकर वर्ष 2005 में 13.5 मिलियन रह गई है। यह राष्ट्रव्यापी नमूना सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत करवाया गया था।

शिक्षकों के अनुपस्थित रहने के मामले में इस रिपोर्ट में भारत को छः विकासशील देशों के ग्रुप में रखा गया है। सर्व शिक्षा अभियान ने ग्राम शिक्षा समितियों और पंचायती राज संस्थाओं के जरिये स्कूलों का विकेन्द्रीकृत प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण करके इस प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाकर इस समस्या की ओर ध्यान दिया है ताकि समुदाय के प्रति विद्यालयों एवं शिक्षकों की बेहतर स्थानीय जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम समेत सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्पष्ट रूप से बालिकाओं विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं और देश के उन इलाकों जहां महिला साक्षरता दर कम है, में रहने वाली बालिकाओं की शिक्षा को लक्षित किया गया है।

हालांकि, इस रिपोर्ट का शीर्ष 'वर्ष 2007 की रिपोर्ट' है, परन्तु वर्तमान अंक में वर्ष 2004 के आंकड़े लिये गये हैं। भारत के मामले में वर्ष 2001 की जनगणना संबंधी आंकड़ों का प्रयोग किया गया है और इसीलिए वर्तमान स्थिति सटीक ढंग से परिलक्षित नहीं हुई है।

वैश्विक उत्कृष्टता वाले केन्द्रों की स्थापना

1065. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'वैश्विक उत्कृष्टता वाले केन्द्रों'' के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे केन्द्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क केन्द्र

1066. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस समय देश की सीमाओं के सड़क मार्गों पर कितने सीमा-शुल्क केन्द्र चल रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) सरकार का प्रयास क्षेत्रीय व्यापार में सुधार करने के लिए सरकार ने श्रीलंका के साथ दिसम्बर, 1998 में एक मुक्त व्यापार करार (एफटीए) निष्पादित किया था जो मार्च, 2000 से लागू है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी करार (साफ्टा) दिनांक 6 जनवरी, 2004 को निष्पादित किया गया था और यह 1 जनवरी, 2006 से लागू है। भारत की भूटान और नेपाल के साथ भी मुक्त व्यापार व्यवस्था है। हम भू-सीमाशुल्क केन्द्रों में अवसंरचना के उन्नयन में भी निवेश कर रहे हैं।

(घ) इस समय देश में 75 भू-सीमाशुल्क केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): महोदय मैं राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष आदेश जिसके द्वारा राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-2 के 'यात्रा व्यय' के अंतर्गत अतिरिक्त व्ययों के लिए गोवा के राज्यपाल को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5040/2006]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 34 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5041/2006]

(3) नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 695(अ) जो 8 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 11 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 225(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(दो) सा.का.नि. 698(अ) जो 13 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 20 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 484(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 514(अ) जो 31 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 2 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 702(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5042/2006]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 की धारा 43 की उपधारा (2) के अतंर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या 29 जो 17 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उसमें उल्लिखित तीन अध्यादेशों की विरचना के लिए अनापत्ति अंतर्विष्ट है।

(दो) अधिसूचना संख्या 25 जो 22 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 के परिनियमों के परिनियम 39 में संशोधन और परिवर्धन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5043/2006]

(2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (अपील की प्रक्रिया) नियम, 2006 जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (वार्षिक वितरण और लेखे) संशोधन नियम, 2006 जो 14 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 554(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5044/2006]

(3) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल), आगरा के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल), आगरा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5045/2006]

(5) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2004-2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5046/2006]

(7) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5047/2006]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (प्रक्रिया और भत्ते) नियम, 2006 जो 27 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 597(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) नियम, 2006 जो 27 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 598(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान) नियम, 2006 जो 31 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 680(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान विनियम, 2006 जो 31 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 681(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2006 जो 31 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 682(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5048/2006]

(2) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 79 की उपधारा (2) के अंतर्गत आपदा प्रबंधन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2006 जो 27 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1619(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5049/2006]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कंपनियां, कानपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कंपनियां, कानपुर के वर्ष 2004-05 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5050/2006]

(3) (एक) सिंथेटिक एंड रेयान टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एंड रेयान टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5051/2006]

(4) (एक) अपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5052/2006]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टैक्नालाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5053/2006]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 7-श्री अश्विनी कुमार। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह यहां पर उपस्थित नहीं है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2006 जो 10 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 470(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक टिप्पणियां, उद्देश्यों और कारणों का कथन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5057/2006]

अध्यक्ष महोदय: श्री अश्विनी कुमार, आपको खेद प्रकट करना चाहिए।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदय मैं खेद प्रकट करता हूं।

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय बायलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 12 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5054/2006]

(2) (एक) सेन्ट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5055/2006]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5056/2006]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश देने हैं:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 27 नवम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2006 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 27 नवम्बर, 2006 को यथापारित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2006 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किया गया कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आपकी सूचना के लिए मैं पिछले सप्ताह सभा द्वारा किये गये कार्य की मुख्य मदों को संक्षिप्त रूप में दोबारा याद दिलाना चाहता हूं।

गृहीत 60 तारांकित प्रश्नों में से केवल तीन प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जा सका। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तरों को 669 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखा गया।

प्रश्न काल के बाद और दिन भर के लिए सभा की कार्रवाई स्थगित होने से पूर्व, इस अवधि के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के 21 मामले उठाये गये। इस अवधि के दौरान नियम 377 के अंतर्गत भी 20 मामले उठाए गए।

जहां तक विधायी कार्य का संबंध है, सभा ने यद्यपि लगभग 1 घंटे और 6 मिनट तक आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006 पर चर्चा की, तथापि इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है। 8 विधेयक पुर:स्थापित किये गये। देश में मृत्यु दंड की समाप्ति हेतु उपबंध कराने के लिए दिनांक 14 अगस्त, 2006 को श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2004 पर भी लगभग 2 घंटे और 22 मिनट तक आगे चर्चा की गई। सभा की अनुमति से इस विधेयक को वापस ले लिया गया।

सभा ने कृषि से जुड़े कामगारों के कल्याण और उनके रोजगार और सेवा शर्तों को विनियमित करने और इससे संबंधित मामलों हेतु उपबंध कराने के लिए श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत

कृषि कामगार कल्याण विधेयक, 2005 पर भी चर्चा की। तथापि, इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

इस अवधि के दौरान, विधेयकों से संबंधित 3 किये गये कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन और विधेयक संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये।

हमने पिछले सप्ताह तीन दिनों के दौरान व्यवधानों और स्थगन के कारण 5 घंटे और 44 मिनट का समय गंवाया।

सभा के सामान्य कार्य की समाप्ति के बाद सभा की देर तक बैठक हुई और सभा ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने के लिए 55 मिनटों के अतिरिक्त समय तक कार्य किया।

मैं माननीय सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमें भविष्य में व्यवधानों और मजबूरन स्थगनों के मामलों में इस सभा का समयाभाव मूल्यवान समय नहीं गंवाना चाहिए।

अपराह्न 12.05 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. रामगोपाल यादव (संभल): मैं बीज विधेयक, 2004 के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न $12.05^{1}/_{2}$ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 'हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के कार्यकलाप-एक समीक्षा' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2006-2007) का 12वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

इकतालीसवां से तैंतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) नए आयकर (विवरणी फार्म लागू किये जाने के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

(2) 'कराधान बढ़ाना तथा कर अपवंचन' विषय के बारे में 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

(3) पूंजी बाजार में सुधार प्रक्रिया का प्रभाव हाल ही में हुआ आईपीओ घोटाला के बारे में 43वां प्रतिवेदन।

अपराह्न $12.06^{1}/_{2}$ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

चौबीसवां और पच्चीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 'भूमि प्रबंधन' के बारे में 24वां प्रतिवेदन। 'वैगनों की खरीद' के बारे में 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता उत्तरपूर्व): मैं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग' विषय के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

(2006-2007) का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आदरपूर्वक कुछ विनती कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: जी हां।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, आपने 'शून्य काल' के कई अनुरोधों को स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' नाम की कोई चीज नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: खैर, यह परंपरा है। कोई विधायी शब्दकोष नहीं है। परंतु हम इसी प्रकार से बोलते हैं। चूंकि हमारे पास पर्याप्त समय है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस समय कुछ 'शून्य काल' कथन की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति दूंगा परंतु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पूर्व नहीं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: आप दिन के अंत में अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय: यदि आवश्यक हुआ तो मैं भोजनावकाश के बाद अनुमति दूंगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: भोजनावकाश के बाद।

अध्यक्ष महोदय: संभव है कि यह आवश्यक न हो। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले भी पूरा हो सकता है?

अपराह्न 12.09 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

(एक) देश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बे समय से बड़ी संख्या में लम्बित मामलों से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदम

[अनुवाद]

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी): महोदय, मैं विधि और न्याय मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें:

> "देश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बे समय से लम्बित मामलों की भारी संख्या से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में"

***विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज):** सरकार को देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों और इनकी बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में जानकारी है। लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए किये जाने वाले उपचारात्मक उपायों का पता लगाने के विषय पर, समय-समय पर, न्यायपालिका और राज्य सरकारों के साथ, मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के विभिन्न सम्मेलनों में चर्चा की गई है। इस विषय पर विधि आयोग और इस प्रयोजन के लिए गठित समितियों ने भी विचार किया है। न्यायालयों में मामलों का त्वरित निपटान, प्राथमिक रूप से एक न्यायिक कार्य है तथापि, सरकार ने न्यायालयों में लंबित मामलों और बकाया मामलों को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार है:

1. सत्र न्यायालयों में लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक न्यायालयों की एक स्कीम लागू की है जिसे 31.3.2010 तक बढ़ा दिया गया है। इन न्यायालयों ने उन्हें हस्तांतरित 18.21 लाख मामलों में से 10.42 लाख मामलों का निपटान किया है।

2. सरकार, न्यायाधीशों की संख्या (उच्च न्यायालयों में) को तीन वर्ष में एक बार समीक्षा करती है और रिक्तियों को तत्काल भरने के कार्य को सुनिश्चित करती है ताकि न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या के कारण न्याय प्रशासन पर प्रभाव न पड़े।

3. अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के संबध में जो मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुलतान मामले में राज्यों को निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस संबंध में राज्यों को अनुस्मारक भेजे हैं।

4. निपटान के वैकल्पिक तरीकों और विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना जैसे विकल्प इत्यादि को प्रोत्साहित किया गया है ताकि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम किया जा सके।

5. सरकार ने न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए रिहायशी आवासों का निर्माण करने के लिए

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी 5059/2006

अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराई है जिससे दांडिक न्याय प्रशासन सहित, न्याय प्रशासन में दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

6. सरकार ने, न्यायालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लागू करने की एक योजना आरंभ की है जिससे आपराधिक मामलों में त्वरित विचारण सहित शीघ्र न्याय प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

इसके अलावा, सरकार ने, मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता में उपयुक्त संशोधन किये हैं। सरकार ने, दांडिक कानून (संशोधन) में "सौदा अभिवाक" की धारणा को पृथक रूप में शामिल किया है।

अध्यक्ष महोदय: इसके अलावा, लम्बित मामलों के बारे में कोई संदर्भ नहीं है।

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं इस बारे में विवरण दूंगा।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: महोदय, 30 जून, 2005 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 27,87,979 सिविल मामले और 6,36,539 आपराधिक मामले लम्बित पड़े हैं। विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित सिविल और आपराधिक मामलों की संख्या करोड़ों में अर्थात् लगभग 2.5 करोड़ है।

किन्तु, फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के बाद जैसाकि माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में निर्दिष्ट किया है, देशभर में मामलों का काफी संख्या में निपटान हुआ है। किन्तु दुर्भाग्यवश, फास्ट ट्रैक न्यायालयों की रिक्तियों को भी समय पर नहीं भरा गया। उदाहरण के लिए, वाहन दुर्घटना मामले के निपटान में लगभग चार से छह वर्ष लग जाते हैं किंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि इन मामलों का निपटान छह महीनों के भीतर होना चाहिए। इस प्रकार के विलम्ब से दुर्घटना के पीड़ितों और उनके सगे-संबंधियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

एक नियम है कि आपराधिक मामलों का निपटान आरोप-पत्र दाखिल करने की तिथि से छह महीनों के भीतर किया जाना चाहिए, किन्तु वास्तव में ये वर्षों तक चलते रहते हैं और फिर भी निपटान नहीं होता। मैं यहां पर एक प्रसिद्ध कहावत को उद्धृत करना चाहूंगा:

"न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है।"

महोदय, विभिन्न न्यायालयों में विलम्ब अन्य कारणों के साथ-साथ मुख्य रूप से न्यायाधीशों की कमी की वजह से होता है। मेरी जानकारी के अनुसार यूरोप में न्यायाधीशों का अनुपात जनसंख्या के अनुसार निर्धारित है। जबकि भारत में न्यायाधीशों और भारत की जनसंख्या की अनुपात बहुत कम है। चूंकि भारत में लाखों लोगों पर एक न्यायाधीश है जबकि यूरोप में हजारों लोगों के लिए एक न्यायाधीश है।

14 फरवरी, 2006 को प्रकाशित द स्टेट्स मैन ने लिखा है, "एम्प्टी बैंचेज-ज्यूडिसियरी नीड्स फुल फाइनेंसियल ऑटोनामी'। मामलों के निपटान में देरी का प्रमुख कारण सभी स्तरों पर न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी है और जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या में भारी कमी होना भी है, विश्व के प्रमुख प्रजातांत्रिक देशों की तुलना में भारत में न्यायाधीशों की संख्या निम्नतम है। विधि आयोग ने अपनी जनशक्ति आयोजना पर 1987 की रिपोर्ट में न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात 10.05 न्यायाधीश प्रति मिलियन दर्शाया गया था जबकि यूनाइटेड किंगडम में यह 50.09, आस्ट्रेलिया में 57.07, कनाडा में 75.02 और अमेरिका में 107 था। भारत की निचली अदालतों में 75,000 न्यायिक अधिकारियों की तुलना में न्यायाधीशों की संख्या केवल 13,000 है। इनमें से 1871 पद रिक्त पड़े हैं और केवल 12,780 पदाधिकारी ही देशभर में कार्यरत हैं।"

इससे विभिन्न न्यायालयों में मामलों के निपटान में देरी होती है जिससे लोगों को धन, समय आदि जैसी कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और लोगों को मामलों के निपटान में विलम्ब की वजह से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि न्यायाधीशों की रिक्तियों को समय पर भर दिया जाता तो मैं सोचता हूं कि विभिन्न न्यायालयों में मामलों के निपटान में देरी नहीं होती।

महोदय, सरकार को देश के विभिन्न न्यायालयों में इन न्यायिक रिक्तियों को युद्धस्तर पर भरने के उद्देश्य से गम्भीरतापूर्वक आगे आने चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से देश में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के और अधिक पदों के सृजन का भी अनुरोध करता हूं और यह मांग करता हूं कि मामलों के त्वरित निपटान के लिए उच्चतम न्यायालय में विशेष तौर पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले में कोई गंभीर रूख अपनाया है। यदि हां, तो देश के विभिन्न न्यायालयों में रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाये

[श्री जी. करुणाकर रेड्डी]

गये अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है? इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है? क्या सरकार यूरोप की तरह जनसंख्या के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों के और पदों के सृजन पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, अभी हमारे लॉ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने कितने केसेज पेंडिंग हैं, किन-किस कोर्ट में हैं, क्योंकि यह साफ तौर पर पूछा गया कि जो पेंडिंग केसेज हैं और जो इस समय भारत के न्यायालयों में केस पड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या किया जा रहा है। अभी आपके सामने आकड़े बताये हैं कि कुल मिलाकर जो देश के 21 हाई कोर्ट्स हैं, इनके अंदर 35.5 लाख केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो सबआर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इनमें 2.5 करोड़ के करीब केसेज पेंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट में 32 हजार केसेज पेंडिंग हैं।

अगर इतने केसेज पेंडिंग हैं तो इसकी प्रोब्लम है, उसकी भीषणता यह जो स्टेटमेंट हैं, वह इसको रिफ्लैक्ट नहीं करती है। इनके हिसाब से जैसे आजकल केसेज किये जा रहे हैं, 360 साल या 400 साल लगेंगे, पिछले केसेज को ही निकालने में और उससे ज्यादा केसेज अगले आ जाएंगे तो यह जो सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों या दूसरी कोर्ट्स हों, उसमें सैटिस्फैक्शन व्यक्त किया है कि यह काम हो रहा है। यह भी ठीक है। जैसा अभी आपने बताया कि हाई कोर्ट्स में कितने जजेज की कमी है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज की कमी है। कुल मिलाकर 116 हाई कोर्ट्स के अंदर जजेज की वेकेन्सीज हैं और सुप्रीम कोर्ट के अन्दर भी इस समय चार जजेज की वेकेंसीज हैं, जिनती कि सैक्शंड स्ट्रेंथ है। पहले तो सैक्शंड स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि, कुल मिलाकर 10 लाख लोगों पर एक जज हमारे यहां पर होता है। अगर दस लाख लोगों पर एक जज है तो कुल मिलाकर कितने जजेज की कमी है, इसका भी विचार करना चाहिए। जो सैक्शंड स्ट्रेंथ है, वे पद भी भरे नहीं जा रहे हैं और उसके कारण यह स्थिति पैदा हो रही है।

दो बातों की ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। लोग रिटायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन केसेज पेंडिंग रहते हैं। लाखों आदमी हिन्दुस्तान की जेलों में बन्द हैं, जिनके केसेज 10-10 साल से चल रहे हैं। न उनका फैसला होता है और जितनी कुल सजा उनको मिलनी है, उससे ज्यादा उनको जेल में भुगतनी पड़ती है। उनकी बेल नहीं होती, कोई उनका केस लड़ने वाला नहीं है, यह भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक नहीं है कि आज जस्टिस सिवाय अमीर आदमी के लिए है, जो लाखों रुपये की फीस दे सकते हैं। वह फीस दिये बिना किसी गरीब आदमी को न्याय मिलना कठिन है। एक गरीब आदमी को अगर मौत की सजा हो जाती है तो वह कुछ नहीं कर सकता। एक अमीर आदमी है, वह अच्छा वकील कर सकता है, जिससे वह सजा से बरी हो जाता है। इसलिए जो यह बात कही थी कि हमारी प्रणाली जटिल, अदक्ष, अनिश्चितता से भरी और महंगी है। इतना ज्यादा यह मुश्किल है कि किसी गरीब आदमी के लिए कोर्ट में केस लड़ना असम्भव हो गया है, क्योंकि सालों लग जाते हैं, लाखों रुपये फीस के लग जाते हैं और इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। गरीब आदमी को न्याय मिले, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए विचार करना चाहिए।

1992 में मुम्बई बम ब्लास्ट का केस हुआ। ठीक इसी समय 1992 में ही अमेरिका में ट्रेड सैण्टर के ऊपर इसी प्रकार से बम ब्लास्ट हुआ था। वहां के ट्रेड सैण्टर के केस का फैसला 1994 में आ गया, जबकि हमारे यहां 14 साल के बाद अब जाकर उसके बारे में फैसला आ रहा है। यहां पर प्रियदर्शिनी मट्टू के केस में फैसला आने में कितने साल लगे, इसको हम देखें। चाहे वह केस मजदूरों के हों, चाहे गरीब आदमी के केसेज हों, चाहे सब आर्डिनेट कोर्टस के केसेज हों, इन सभी के अंदर बहुत ही भीषण स्थिति है। अगर इसमें कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए गए, ज्यादा जजेज अप्वाइंट नहीं किये गये, जजेज का टाइम नहीं बढ़ाया गया या उनकी छुट्टियों के बारे में विचार किया जाए, चाहे आप जजेज के नंबर बढ़ाइए और उनका टाइम शेड्यूल तय करिए कि ये केसेज खत्म होने चाहिए। जिनका टाइम शेड्यूल आपने तय किया कि छः महीने में होंगे, उनमें भी दस-दस साल से ऊपर हो रहे हैं। यह बहुत जरूरी है कि यहां पर एक टाइम फ्रेम बना दिया जाए और उसके अंदर उनका फैसला किया जाए। जो छोटे पैटी केसेज हैं, इनके बारे में भी ऐसा विचार करना चाहिए। फास्ट ट्रैक में कुल मिलाकर अब तक दस लाख केसेज निकले हैं, अगर ढाई-तीन करोड़ केसेज हैं और उसमें से एक साल में दस लाख निकलते हैं, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद बीस लाख केसेज और आ जाएंगे, इस तरह यह बैकलॉग बढ़ता ही जाएगा। माननीय मंत्री जी ने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही निराशाजनक है। इससे ऐसे स्वर्णिम लकीर नहीं दिखायी देती है कि इस मामले में सचमुच कोई फैसला होगा और जनता को राहत मिलेगी। उनको इस बारे में कोई क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, आपको मालूम है कि हमारे पास दो नोटिस थे। उसके बाद से, कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी नोटसि दिये हैं। जैसाकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, मुझे नौ नोटिस प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः, मैं ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हूं। मैं सभी को नहीं बुला सकता। मैं उन्हें क्रमानुसार बुलाऊंगा, जैसाकि हमें प्राप्त हुए हैं।

अब श्री शैलेन्द्र कुमार। कृपया केवल प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। ध्यानाकर्षण प्रश्न जो सम्मानित जी. करुणाकर रेड्डी जी और मल्होत्रा जी ने रखा है, यह देश के लिए चिंता का विषय है। जैसाकि अभी सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और यह बात सही है कि आज समय पर सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिसकी अवधारणा के लिए सदन से हर जगह चर्चा होती रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि चाहे वह निचली अदालत हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें जजों का भी आरक्षण होना आप सुनिश्चित करें, तभी जाकर हमें न्याय मिल पाएगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जजों की संख्या बढ़ाई जाए और उसको फिल-अप किया जाए। जिस प्रकार से मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, जो फास्ट ट्रैक आपने बनाए हैं, उस कोर्ट की संख्या में भी वृद्धि करें, तभी जाकर जो देश के अंदर लाखों मुकदमे लंबित पड़े हैं, उनका समय पर निपटारा किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): धन्यवाद महोदय, मैं सीधे ही अपने प्रश्न पूछूंगा। केरल सरकार की ओर से त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की एक मांग लंबे समय से लंबित है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार मामलों की दीर्घकालिक लंबित स्थिति को देखते हुए त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने पर विचार कर रही है।

महोदय, कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया है कि हमारे देश में जनसंख्या और न्यायाधीशों का अनुपात बहुत ही कम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उच्च न्यायालय और इसी प्रकार जिला न्यायालोयं में भी पीठों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, जो आंकड़े उपलब्ध हैं, खासतौर पर बिहार राज्य के बारे में, हाई कोर्ट में केसेज पेंडिंग हैं, उनकी संख्या 90 हजार से एक लाख है और जो निचली अदालत हैं, उनमें लगभग 12 लाख केसेज पेंडिंग हैं और मैं समझता हूं कि बहुत पुराने समय से ये केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। निचली अदालत में बड़े पैमाने पर जजों की भी रिक्तियां हैं और हाई कोर्ट में भी कुछ रिक्तियां हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इतने लंबे समय से जो केसेज बिहार में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके लिए आप अपने स्तर पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, ताकि जजों की नियुक्ति हो जाए और बारह लाख और एक लाख जो हाई कोर्ट और निचली अदालत में पेंडिंग पड़े हुए केसेज हैं, वे निष्पादित हो जाएं, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।

श्री हंस राज भारद्वाजः महोदय, मैं आपका और उन सदस्यों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। मुझे स्मरण है कि आपके माननीय पिताजी श्री एन.सी. चटर्जी ने देश को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने के लिए नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान पहला संकल्प प्रस्तुत किया। उस संकल्प से प्रेरणा लेते हुए नेहरू जी ने वाद-विवाद में हस्तक्षेप किया और देश में प्रथम विधि आयोग की स्थापना का आश्वासन दिया और बाद से इस बारे में अनेक प्रयास किये गये हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस देश में सभी स्तरों पर न्यायालयों का एक व्यापक नेटवर्क है और न्यायालयों में मामलों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है।

महोदय सर्वप्रथम, मैं विभिन्न न्यायालयों में, मामलों की लंबित स्थिति का एक संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्यगण ऐसा चाहते हैं। तत्पश्चात्, मैं इस विषय से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की जिम्मेदारियों पर आऊंगा।

मैं, सर्वप्रथम, न्यायाधीशों के संबंध में, यह सुस्पष्ट करना चाहता हूं और मुझे संविधान से उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है कि देश में दो प्रकार के न्यायालय है-शीर्ष न्यायालय अर्थात् उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय; तथा उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। भारत का उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय केन्द्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। शेष न्यायालयों अर्थात् अन्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों

[श्री हंस राज भारद्वाज]

को राज्यो द्वारा वित्तपोषित किया जाना चाहिए। किंतु हुआ क्या है कि कई वर्षों से न्याय प्रशासन को पर्याप्त धनराशि अर्थात न्यायाधीशों के अनुपात को बढ़ाने के लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है और हमें मालूम है कि न्यायपालिका इस अनुपात को बढ़ाए जाने की मांग करती रही है। किंतु राज्य सरकारें यह वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए अभी तक सहमत नहीं हुई हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): आप राजसहायता की पेशकश करते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। आपको व्यवधान नहीं पहुंचाना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, जहां तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का संबंध है लंबित मामलों की संख्या 42 लाख है। उच्चतम न्यायालय में, करीब 38,000 मामले लंबित हैं। अधीनस्थ न्याायलयों में, लंबित मामलों की संख्या ज्यादा है, यह लगभग 2.5 करोड़ है।

महोदय, यदि आप इसे देखें, तो ज्यादातर मामले, विभिन्न राज्यों में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। इन 2.5 करोड़ मामलों में से बड़ी संख्या में मामले केवल प्रमुख राज्यों में ही लंबित हैं। मैं संक्षिप्त तौर पर इनका उल्लेख करूंगा। आंध्र प्रदेश में लगभग नौ लाख मामले; बिहार में 12 लाख से ज्यादा मामले; गुजरात में 39 लाख से ज्यादा मामले; कर्नाटक में 10 लाख से ज्यादा मामले; महाराष्ट्र में 40 लाख से ज्यादा मामले; उड़ीसा में नौ लाख से ज्यादा मामले; राजस्थान में लगभग 10 लाख मामले; उत्तर प्रदेश में लगभग 42 लाख मामले; पश्चिम बंगाल में लगभग लाख मामले; पंजाब में करीब पांच लाख मामले; और हरियाणा में लगभग पांच लाख मामले अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। अत:, ये मामले देश भर में लंबित हैं। इसलिए, विभिन्न राज्यों में इन लंबित मामलों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ बैठती है।

महोदय, आप मुझसे पूछेंगे: "आपने लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए क्या किया है?" मैंने माननीय प्रधान मंत्री से मुख्यमंत्रियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की एक संयुक्त बैठक बुलाने का अनुरोध किया है ताकि इसका समाधान निकाला जाए कि इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए। मैं संकल्प से केवल यह उद्धृत करना चाहता हूं कि सभी राज्य अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए वित्तपोषण करने के संकल्प पर सहमत हुए। सभी पार्टियों ने अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और विभिन्न उपाय ढूंढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

अत:, इसके पश्चात् एनडीए सरकार ने वित्त आयोग से जो उपलब्ध कराया वह 500 करोड़ रु. की धनराशि थी। इस सरकार ने सत्र न्यायालयों में सहायता जारी रखने के लिए बजट में भी इस आवंटन का बढ़ाया है। अब, सत्र न्यायालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर लंबित मामलों की संख्या के भार से मुक्ति मिली है। मैंने अनेक बार राज्य सरकारों से संपर्क किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे संपर्क नहीं किया। मैंने उनसे न्यायाधीशों की संख्या में सुधार करने का अनुरोध किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनके कोष में पैसा नहीं है। हम यहीं पर अटके हुए हैं। मुझे इस मुद्दे पर अत्यधिक ध्यान दिये जाने के लिए सभी दलों सहित इस सम्माननीय सभा से सहायता की आवश्यकता है ताकि राज्य और केन्द्र भी मिलकर बैठ सकें और इस लंबित स्थिति से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न उपाय ढूंढ़ सकें।

हमारे न्यायालयों ने मामलों को निपटाने की दृष्टि की जांच की है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश प्रत्येक वर्ष लगभग 2300 मामलों का निपटान करता है। एक एकल न्यायाधीश एक वर्ष के भीतर 2300 मामलों का निपटान करता है। यह एक अच्छा अनुपात है। उत्तर प्रदेश में, यह अनुपात और भी ज्यादा है लेकिन फिर भी लंबित मामलों की संख्या अधिक है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा राज्य है जहां, लंबित मामले भी हैं; और मामलों का आना भी लगा हुआ है। लेकिन मामलों के निपटान की तुलना में मामलों की संख्या ज्यादा है। निपटान भी उसी अनुपात से जारी है। मामलों के निपटान में कोई गिरावट नहीं है। जितने मामले दाखिल किये जाते हैं; उतने मामलों का निपटान किया जाता है। लंबित मामलों की संख्या इसलिए समाप्त नहीं हो रही है क्योंकि हम न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाए हैं। अत:, यहां माननीय सदस्यों को सहायता करनी चाहिए ताकि राज्य न्याय प्रशासन के लिए अधिक धनराशि देने के लिए आगे आएं।

आखिरकार, प्रत्येक राज्य में एक विधि मंत्री है। मैं आपकी सहायता से अपनी जिम्मेदारी उठाने और इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हूं। हमने दर्शाया है कि हम सहायता देने के इच्छुक हैं। हम इन तीन वर्षों के दौरान न्यायिक अवसंरचना को अद्यतन बनाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रु. स्वीकृत कर रहे हैं और हम राज्यों को कम्प्यूटरीकरण की निशुल्क सुविधा प्रदान कर रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए पुन: 500 करोड़ रु. उपलब्ध कराए हैं। लेकिन राज्यों से सुविधा और वित्तीय सहायता सामने नहीं आ रही है। आप इस सब के लिए मुझे दोष नहीं दे

सकते। अतः, मैं चाहता हूं कि यह सभा इस पर जोर दे कि सभी संबंधित व्यक्ति इस दिशा में अपना कार्य करें ताकि विचारण न्यायालयों (ट्रायल कोर्ट) में दो करोड़ के लगभग लंबित मामलों का निपटान किया जा सके। कुछ राज्य तत्परता से आगे आए हैं। हमने पश्चिम बंगाल में अनेक कार्य किये हैं। उन्होंने बकाया मामलों को निपटाने के लिए सुलह का रास्ता, एडीआर अपनाया है। कुछ अन्य राज्य भी ऐसा कर रहे हैं। दंड न्यायालयों में लंबित ज्यादातर मामले साधारण मामले हैं।

श्री तरित बरण तोपदारः कुछ वित्तीय मदद की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय आप आगे बोलते रहें।

श्री हंस राज भारद्वाजः मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी समस्या है, यदि आपको धनराशि देने का मुझे अधिकार होता तो मैं आसानी से सहमत हो जाता। परन्तु आप मेरी मजबूरी समझते हैं। मेरे अपने बजट के दायरे में मैं धनराशि उपलब्ध करवा सकता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया व्यवधान पर ध्यान न दें। अन्यथा व्यवधान बढ़ते ही रहेंगे।

श्री हंस राज भारद्वाजः महोदय अब आप मेरे काम के बारे में पूछेंगे। रिक्तियों की स्थिति के संबंध में मुझे उच्च न्यायालयों में 350 रिक्तियां मिलीं। इनमें से मैंने 271 खत्म कर दी हैं। इन दो वर्षों में से उच्च न्यायालयों में रिक्तियों की स्थिति दर ध्यान देने वाला हूं। यह इसके लिए उचित समय है।

मैंने उच्च न्यायालयों में पदों की संख्या की समीक्षा की है और मैं उच्च न्यायालयों में जजों के और पद जोड़ रहा हूं। परन्तु निश्चित रूप से आप जानते हैं कि मुझे राज्यों की सहमति लेनी होगी क्योंकि उनकी सहमति जरूरी है और अधिकांश राज्यों से बातचीत की जा चुकी है कि उन्हें जजों के पद बढ़ाने चाहिएं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को और 50 जजों की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार इसका वित्तपोषण करने के लिए सहमत हो भी सकती है और सहमत नहीं भी हो सकती। एक बार वह सहमत हो जाए, तो तत्काल नियुक्ति हो जाएगी। कुछ राज्यों में अच्छा काम किया गया है। उत्तर प्रदेश ने अधिक मामले निपटाए हैं। वास्तव में मामलों को निपटाने की उनकी दर काफी अच्छी है परन्तु वहां मामले अधिक आते हैं।

उच्चतम न्यायालय में चार रिक्तियां थी। मुझे पहले ही तीन प्रस्ताव मिल चुके हैं। अतः इन सिफारिशों को वहां लागू होना है। उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों की मुकदमेबाजी का सुव्यवस्थित समन्वयन है परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों में समस्या है जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत छोटे-मोटे मामले आते हैं। यहां एक ही प्रकार के 15000 मामले हैं। यदि वे मानकों मे रियायत दे तो ये मामले एक साथ खत्म हो जाएं। अतः हमें ये सभी नवोन्मेष करने होंगे। परन्तु मुख्य समस्या यह है कि हमें पुनः मुख्यमंत्रियों, राज्य के कानून मंत्रियों रजिस्ट्रारों तथा कानून सचिवों की बैठक इस बात पर चर्चा करने के लिए बुलानी होगी कि उन्हें और धनराशि प्रदान करनी चाहिए तथा उन्हें यह अपनी ओर से देनी चाहिए।

मैंने मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अधिक सुविधाएं देने के लिए केन्द्र सरकार से पहले ही बात कर ली है। वास्तव में मैंने अनुरोध किया है कि सेशन न्यायालयों में फास्ट ट्रैक न्यायालयों को दी जा रही सहायता को मजिस्ट्रेट न्यायालयों में भी दी जानी चाहिए। हाल ही में मैंने इसकी जांच की है। मुख्य समस्या गांव की ओर है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में सुलह प्रणाली शुरू की गई है, सभी राज्यों को इस एडीआर प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए ताकि छोटे मामलों का ब्लॉक स्तर पर निपटान किया जा सके। तत्पश्चात हमने गांवों के लिए ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना हेतु पुनः अनुरोध किया। महोदय मैं पहले ही ग्रामीण न्यायालयों के एक अन्य विधेयक पर कार्य कर चुका हूं जिसमें जज गरीबों तक पहुंचेंगे तथा उनके विवादों का निपटान उनके पास जाकर करेंगे। बेहतर होगा कि यह योजना लागू हो जाए। मैंने राज्यों को लिखा है। कुछ राज्यों ने भी सहयोग दिया है। यहां भी केन्द्र इन ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना हेतु राज्यों की मदद के लिए तैयार हैं। मुझे ब्लाक स्तर पर जाकर ये मामले निपटाने के लिए केवल 7,000 जजों की आवश्यकता है। यह क्रांति संभव है।

हम अन्य मामलों में इतना कुछ कर रहे हैं परन्तु न्याय व्यवस्था हमारी प्राथमिकता में हर जगह नीचे है। मैं इस आधार पर राज्यों के लाभ हेतु भरसक प्रयास कर रहा हूं। परन्तु आप अपने संबद्ध राज्यों में मुझे सुदृढ़ बनाए ताकि हमें और पैसा तथा जजों की और संख्या मिले। मेरी श्री रेड्डी से कोई विवाद नहीं है जिन्होंने इस वाद-विवाद को आरंभ किया है। उनके द्वारा उल्लेखित सभी बातें प्रामाणिक हैं। भारत में जजों की संख्या काफी कम है। हम इसे बढ़ा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा प्रधान मंत्री जी के बीच न्याय प्रशासन के लिए धनराशि के आवंटन के स्तर पर मतभेद थे।

आप उन्हें दोषी नहीं कह सकते। इस मामले पर सभी स्तरों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी स्टेकहोल्डरों को आगे

[श्री हंस राज भारद्वाज]

आना चाहिए। महोदय मैं आपका अत्यंत आभारी हूं, मैं एडीआर, सुलह, ग्रामीण न्यायालय शुरू करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा हूं परन्तु हमें मिलकर प्रयास करना होगा। इसमें पक्षपात नहीं है। कोई भी कानून मंत्री अकेले पूरे देश के लिए ऐसा नहीं कर सकता। हमें सहयोग करना होगा तथा राष्ट्रीय विकास परिषद अथवा राष्ट्रीय एकता परिषद की तरह साथ बैठना होगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमें बकाया राशि के लिए एक साथ लड़ना होगा ताकि हमारे देश में एक अव्वल दर्जे की प्रणाली हो तथा लोग स्वतंत्र रूप से रह सकें।

महोदय मैंने अपनी ओर से बहुत अच्छा काम किया है। उच्चतम न्यायालय में मैंने पहले ही जजों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्य किया है। हम इसकी भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ हर तीन साल में समीक्षा करते हैं। हम इस वर्ष में 100 और जजों की नियुक्ति करेंगे तथा संख्या बढ़ाएंगे, परन्तु मुझे राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुमति लेनी होगी क्योंकि उनकी अनुमति के बिना मैं इसकी मंजूरी नहीं दे सकता। इसी तरह राज्यों में अभी तक लम्बित रिक्त पदों को उच्च न्यायालयों द्वारा तथा अधीनस्थ न्यायपालिका में संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा भरा जाएगा तथा उन्हें जजों के पदों की और संख्या पर सहमत होना चाहिए। मैंने उन्हें लिखा है और मैं उन्हें पुनः लिखूंगा।

सम्भवतः मैं यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्रियों, मुख्य न्यायाधीशों तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक और बैठक बुलाऊंगा कि हम आपसी रूप से एक ऐसी पद्धति कैसे निकाल सकते हैं जिससे धनराशि प्रदान की जा सके। मेरी परेशानी यह है कि जब मैं अधीनस्थ न्यायपालिका के मामले में राज्यों के लिए और धनराशि की मांग करता हूं तो सांविधानिक बाधाएं बीच में आ जाती हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों का वित्तपोषण हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः मैं यह मुद्दा उठाने वाले माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं इस मुद्दे पर स्टेकहोल्डरों तथा संबद्ध प्राधिकारियों से पुनः बात करूंगा तथा केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की निश्चित रूप से इच्छुक है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: आपने आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब अध्यक्ष, या पीठासीन अधिकारी बोल रहे होते हैं तब भी आप व्यवधान डालते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, उच्च पदस्थ लोगों से और अधिक बैठकें करने तथा छुट्टियां घटाने का सुझाव आया है। क्या उस पर कोई प्रस्ताव है?

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैं काफी कुश हूं कि आपने यह मामला उठाया। इस वर्ष यह मुद्दा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): महोदय, मुझे एक मिनट बोलने का मौका दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मुझे काफी दुख है कि ऐसे मामले पर हंसा जा रहा है।

आप केवल सुनें। माननीय अध्यक्ष ने एक मामला उठाया है तथा मुझे इसका उत्तर देना है। कृपया मुझे एक मिनट दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: अब आप अध्यक्ष महोदय की पीड़ा भी समझ सकते हैं।

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैं बहुत चिंतित हूं तथा मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं। मैंने यह मामला उठाया। यह मुद्दा भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उच्च पदस्थ लोगों द्वारा उठाया गया। इस वर्ष, उच्चतम न्यायालय ने छुट्टियों के दौरान नियमित बैठकें की।

गुजरात में, सांध्यकालीन पाली करके एक नई पहल की गई। अन्य राज्य भी हैं जो इनका पालन करने के लिए तैयार हैं। सभी राज्यों को यह करना पड़ेगा। हाल ही में मैं कर्नाटक गया था, वे शनिवार को बैठे थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे सप्ताह में एक

और दिन बैठेंगे। अतएव, यह पहल ली जा रही है लेकिन कार्यपालिका को इसके लिए उन्हें धन उपलब्ध कराकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि स्थिति अद्यतन हो सके। बिना पैसे तथा अपेक्षित संख्या में न्यायाधीशों के बिना कोई भी यह नहीं कह सकता है।

इंग्लैंड में, उन्होंने दो वर्षों तक रिकार्डर तथा अन्य चीजें उपलब्ध कराई तथा बकाया मामले निपटाए। हमें इसका पालन करना होगा। अतएव, मैं विभिन्न राज्यों से सहयोग मांगता है कि वे इसका पालन करें। मैं इस परंपरा पर लगातार वार्ता पर हूं-जो अंग्रेज यहां छोड़ गए कि आप छुट्टी पर जाएं तथा और ज्यादा रिक्तियां करें। वे रिक्तियां घटाने के लिए तथा कार्य दिवस बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

अपराह्न 12.41 बजे

(दो) अरुणाचल प्रदेश में कतिपय पनबिजली परियोजनाओं, जिनमें ''नेशनल हाइडल पावर कारपोरेशन'' द्वारा निवेश किया गया है, को निजी क्षेत्र के उद्यमियों को सौंपे जाने से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अब मद संख्या 17 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगी। श्री बसुदेव आचार्य।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं विद्युत मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकृष्ट करता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसका एक भी शब्द रिकार्ड नहीं किया जाय।

*...(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं विद्युत मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको मालूम है कि इस सभा की 'रूल बुक' नामक कोई चीज है? क्या आपने इसे कभी पढ़ा है? मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा किया है। कृपया इसे पहले पढ़ें तथा अध्यक्षपीठ का सम्मान करें। कम से कम यह कार्य आपको करना है जो आप नहीं कर रहे हैं। आप इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं जो तिरस्करनीय है। आपने आपको छुपाने की कोशिश नहीं करें। ऐसा नहीं करें।

[हिन्दी]

यह मजाक की जगह नहीं है। अगर, ऐसा करना है तो बाहर करें, यहां शोर न करें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्यों बोल रहे हैं। एक भी शब्द रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप अनपी आवंटित सीट पर भी नहीं हैं। आप दूसरों को परेशान करके प्रसिद्धि पाना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं विद्युत मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसका वक्तव्य दें:

> ''अरुणाचल प्रदेश में कुछ हाइडल परियोजनाओं जिनके लिए नेशनल हाइडल पाकर कारपोरेशन द्वारा पहले ही निवेश किया जा चुका है को प्राइवेट पार्टियों को सौंपे जाने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में उठाये गये कदमों के बारे में।''

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, आप सभा पटल पर अपना वक्तव्य रख सकते हैं।

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): महोदय, यदि मैं सभा में अपना वक्तव्य पढ़ूं तो यह मामले को बेहतर तरीके से स्पष्ट करेगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप आगे बढ़ें।

***श्री सुशील कुमार शिंदे:** मेरे मित्र इसे बेहतर तरीके से समझेंगे यदि मैं इसे पढ़ूं। अन्यथा कुछ मामले स्पष्ट नहीं होंगे।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की 1998 की हाइड्रो नीति राज्यों को यह दिशानिदेश देती है कि 100 मेगावाट तक प्राइवेट डवलपर्स की हाइड्रो स्थलों के आवंटन हेतु समझौता ज्ञापन करना होगा तथा 100 मेगावाट से ऊपर की क्षमता के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से होगी। पारदर्शिता के हित में एक और आवश्यकता है कि समझौता ज्ञापन के माध्यम से आवंटित परियोजना-जो 100 मेगावाट क्षमता से कम हो। डवलपर निर्माण ठेका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया का पालन करेंगे?

हाल ही में, कई राज्यों ने निम्न बातों यथा-राज्य को मुफ्त बिजली की माया, अपफ्रंट भुगतान, राज्य को इक्विटी स्टेक और एक निर्धारित अवधि के बाद अर्थात् निर्माण स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) आधार पर राज्य को परियोजना देने पर प्राइवेट डेवलपर्स को जलविद्युत परियोजनाएं आवंटित करनी शुरू कर दी है। अभी तक हिमालयन राज्यों द्वारा निजी क्षेत्र को लगभग 10,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता वाली 35 परियोजनाएं आवंटित की गई हैं जहां पर अधिकांश अविकसित जलविद्युत संभावना विद्यमान है।

हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों को निम्न बातों यथा-उस राज्य को दी जाने वाली मुफ्त बिजली की मात्रा, राज्य सरकार को मुफ्त इक्विटी देने और लगभग 40 वर्ष बाद राज्य सरकार को परियोजना वापस देने पर 500 मेगावाट से 1600 मेगावाट की क्षमता वाली पांच बड़ी परियोजनाएं आवंटित की हैं। इनमें से दो परियोजनाएं अर्थात् 1,000 मेगावाट सिआंग मिडिल (सियोम) जिसकी स्वीकृति हेतु एनएचपीसी ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक (सीईए) को डीपीआर भेजी है और 1600 मेगावाट सिआंग लोअर, जिसकी डीपीआर को एनएचपीसी अंतिम रूप देने जा रहा है, भी आवंटित की गई है। इसके साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को परियोजनाएं आवंटित करने पर भी रोक लगा दी थी।

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी-5060/2006।

जब अरुणाचल प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र को आवंटित करने हेतु इन परियोजनाओं को वापस लेने पर विचार कर रही थी तो एनएचपीसी ने इस विषय पर मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया। तत्कालीन विद्युत मंत्री ने दिनांक 3 अक्तूबर, 2005 के पत्र के तहत इस विषय पर विचार किया और राज्य सरकार से एनएचपीसी से ये परियोजनाएं वापस न लेने का आग्रह किया।

इसके बाद, जब यह मामला मेरे ध्यान में लाया गया तो मैंने दिनांक 18 मार्च, 2006 और 17 मई, 2006 के अपने पत्रों के तहत तत्काल इस मामले पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से बातचीत की और उनसे निजी क्षेत्र को तब तक उपर्युक्त आवंटन देने पर रोक लगाने का आग्रह किया जब तक यह मामला सुलझ न जाए तथा उन्हें तत्काल बैठक के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात् मैंने कई बैठकें की और इसके फलस्वरूप, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अब एनएचपीसी को कुल लगभग 8,100 मेगावाट (कतिपय पर्यावरण संबंधी मुद्दों के निपटान के अध्यधीन कुल 3,600 मेगावाट वाली दो परियोजनाओं सहित) की पांच परियोजनाएं आवंटित की है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एनटीपीसी को लगभग 4,500 मेगावाट की दो परियोजनाएं और एनईईपीसीओ को लगभग 1,200 मेगावाट की क्षमता वाली दो परियोजनाएं आवंटित की हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने एनएचपीसी को यह भी सूचित किया है कि निजी डवलपर्स से डीपीआर तैयार करने पर खर्च हुई राशि की एनएचपीसी को प्रतिपूर्ति करने के लिए भी कहा गया है।

एक माननीय सदस्य ने यह भी मामला उठाया है कि एनएचपीसी को दो निजी कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? इस संबंध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि एनएचपीसी ने न तो कभी मंत्रालय से बात की और न ही उसके वाणिज्यिक हितों के ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए विद्युत मंत्रालय से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता समझी।

मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरा मंत्रालय इस मामले से पूरी तरह से अवगत है। आपको याद होगा कि 21 अगस्त, 2006 को राज्य सभा में आधे घंटे की चर्चा के दौरान उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए, मैने बताया था कि एनएचपीसी को हुई हानि की भरपाई की जाएगी और हम इसका रास्ता खोजेंगे तथा इसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। इस दिशा में उचित कदम उठाये जा रहे हैं और हम नीतिगत मुद्दों का हल निकाल रहे हैं।

इस संबंध में, मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरा मंत्रालय देश में जल विद्युत क्षमता का शीघ्रातिशीघ्र विकास करने हेतु कटिबद्ध है। भारत की अनुमानित जलविद्युत संभाव्यता

लगभग 15,000 मेगावाट है जिसमें से अभी तक हम केवल 33,500 मेगावाट का विकास कर पाए हैं। अधिकांश अविकसित जल विद्युत स्थल हिमालय विशेषकर उत्तर पूर्व में हैं। ये स्थल सुदूर क्षेत्रों में हैं और इनको समयबद्ध तरीके से विकसित करने हेतु वित्तीय और प्रबंध, दोनों के लिए अत्यधिक संसाधनों की जरूरत है। कई जलविद्युत सीपीएसयू बनाने और एनटीपीसी को जलविद्युत विकास के क्षेत्र में लाने के बावजूद, यह स्पष्ट है कि यह काम केवल सीपीएसयू द्वारा ही निष्पादित नहीं किया जा सकता है और इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल करने की जरूरत है। विशेष रूप से हिमालय के पर्वतीय राज्यों में सभी अंशधारकों की सभी चिंताओं का सम्यक समाधान करते हुए जलविद्युत संभाव्यता का पारदर्शी तरीके से समयबद्ध विकास करने हेतु एक नई नीति बनाई जा रही है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमारे देश में 1,50,000 मेगावाट की जलविद्युत संभाव्यता है। इसमें से अकेले अरुणाचल प्रदेश में 65,000 मेगावाट की संभाव्यता है। राज्य की इस संभाव्यता में से केवल 15 प्रतिशत का ही दोहन किया गया है। मेरा प्रश्न वर्ष 1998 में अपनाई गई जल विद्युत नीति के बारे में नहीं है। परवर्ती वर्ष में रैंकिंग अध्ययन किया गया था। वर्ष 1998 में 50 परियोजनाओं की पहचान की गई थी। इन 50 परियोजनाओं में से अरुणाचल प्रदेश में कई परियोजनाओं की पहचान की गई थी।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड को उत्तर-पूर्व क्षेत्र में जल विद्युत संभाव्यता का सर्वेक्षण करने और जांच करने का काम सौंपा गया था। जिन दो विशेष परियोजनाओं अर्थात् सिआंग लोअर और सिआंग अपर के बारे में प्रश्न पूछे गये हैं-उसका काम भी ब्रह्मपुत्र बोर्ड को दिया गया था। उन्हें सर्वेक्षण और जांच का काम सौंपा गया था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने यह अनुरोध किया था कि इन परियोजनाओं और अन्य तीन-चार परियोजनाओं का काम एनएचपीसी को सौंप दिया जाए। जब भारत सरकार ने इन दो परियोजनाओं का काम एनएचपीसी को सौंपने का निर्णय लिया तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एनएचपीसी के सीएमडी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा:

> "यह बहुत ही खुशी की बात है कि एनएचपीसी द्वारा अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत उत्पादन की उच्च संभाव्यता और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास परिदृश्य पर इसके परवर्ती प्रभाव को देखते हुए प्रदेश में सुबनसिरी और सिआंग परियोजनाओं का शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।"

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किसी भी समय इस बात का संकेत नहीं किया कि इन परियोजनाओं को प्राइवेट डवलपर्स को दिया जाना चाहिए। एनएचपीसी ने सर्वेक्षण और जांच कार्य में दो से ज्यादा साल का समय लिया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में अपना कार्यालय स्थापित किया था।

उन्होंने सिओम परियोजना और सिआंग अपर परियोजना की डीपीआर तैयार करने पर क्रमशः 51.12 करोड़ रुपये और 31.61 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं। जब वे डीपीआर तैयार कर रहे थे तो अरुणाचल प्रदेश सरकार को एक प्रारूप समझौता ज्ञापन भेजा गया था। उन्होंने कतिपय बदलाव सुझाए थे। उन्होंने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कतिपय कर्मचारियों, स्थानीय इंजीनियरों की तैनाती के लिए भी सुझाव दिया था। वार्ता दो वर्षों तक चली लेकिन अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इन दोनों परियोजनाओं को निजी डेवलपरों को सौंपने का निर्णय लिया। एक परियोजना जय प्रकाश एसोसिएट्स को सौंपी गयी और दूसरी परियोजना रिलायंस को। मुझे इस निर्णय के पीछे के कारणों के बारे में जानकारी नहीं है। दो से तीन वर्षों तक मामले को खींचने के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इन दो विशेष परियोजनाओं को अचानक सौंपने का निर्णय क्यों लिया? कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। एनएचपीसी से परामर्श तक नहीं किया गया। मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है कि ऐसे निर्णय लेने से पहले विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से परामर्श अथवा संपर्क किया गया था अथवा नहीं। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। एनएचपीसी की स्थापना हमारे देश की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए किया गया था। अगर एनएचपीसी, जिसे ये दो परियोजनाएं सौंपी गई थी, को इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अनुमति नहीं दी जाती है तो समस्या होगी और इस संस्था को निश्चित रूप से समस्या का सामना करना पड़ेगा।

इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। शायद उन्होंने यहां जो उद्धृत किया है वह मेरे पत्र से लिया गया है क्योंकि मैंने यह मामला उठाया है। एनएचपीसी ने विद्युत मंत्रालय को दिनांक 24.4.2006 के अपने पत्र के माध्यम से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करने तथा अरुणाचल प्रदेश में एनएचपीसी के हितों की रक्षा करने का अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार को नहीं लाएं क्योंकि वे उत्तर देने के लिए यहां नहीं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं अरुणाचल प्रदेश सरकार से नहीं बल्कि भारत सरकार से पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह उनके क्षेत्राधिकार में है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने कानूनी तरीके से मामले का अनुसरण करने के लिए सलाह मांगी है। क्या एनएचपीसी कम से कम उन परियोजनाओं को क्रियान्वित करना चाहेगी जिसके लिए उन्होंने डी.पी.आर. तैयार किया था? इस मामले में विद्युत मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। उसने यह कहा है कि एनएचपीसी ने न तो मंत्रालय से संपर्क किया था और न ही विद्युत मंत्रालय से उन्हें किसी अनुमति की आवश्यकता है। जब एनएचपीसी संपर्क कर चुकी है, वह कैसे कह सकते हैं कि एनएचपीसी ने संपर्क नहीं किया है। इसके पश्चात् भी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इन दोनों विद्युत परियोजनाओं को निजी डेवलपरों को सौंपने का एकतरफा निर्णय ले लिया। इसके पश्चात् एनएचपीसी ने विद्युत मंत्रालय से संपर्क किया है अथवा नहीं? अगर एनएचपीसी ने विद्युत मंत्रालय से संपर्क किया है, तो वे क्या कोई कानूनी तरीका अपना सकते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

अगर ऐसा है तो भारत सरकार ने एनएचपीसी को क्यों नहीं यह बताया है कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है, क्या इस संबध में कोई कानूनी कार्रवाई अथवा कोई अन्य कार्रवाई की जा सकती है अथवा नहीं?

उन्होंने यह भी कहा है कि एनएचपीसी की हानियों की क्षतिपूर्ति की जाएगी। यह माननीय विद्युत मंत्री द्वारा दूसरे सदन में कहा गया है, यह हानि का प्रश्न नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के माननीय विद्युत मंत्री ने यह कहा है कि वे निजी डवलपरों को एनएचपीसी द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहेंगे। यह व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एकवर्णीय निर्णय क्यों लिया गया? अब उन्होंने अरुणाचल प्रदेश राज्य में पांच अन्य परियोजनाओं को सौंपने का निर्णय लिया है; गारंटी कहां है? एनएचपीसी को डीपीआर तैयार करने के काम में कब लगाया जाएगा? उस मामले में, पुनः वे इन दो परियोजनाओं के लिए लगभग 100-200 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, जिसके संबंध में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन पांच परियोजनाओं को एनएचपीसी द्वारा निष्पादित कराया जाएगा। डीपीआर तैयार करने के पश्चात् और पुनः 200-300 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद क्या इसकी कोई गारंटी है कि उन पांच परियोजनाओं को निजी डवलपरों को नहीं दिया जाएगा?

अतः, भारत सरकार को भूमिका निभानी है क्योंकि इन दो परियोजनाओं के लिए यह निर्णय लिया गया था कि इनका निष्पादन एनएचपीसी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कई बैठकें आदि की। लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। केवल यह परिणाम निकला कि अब पांच परियोजनाएं अन्य को सौंप दी गई हैं-एक एन.एच.पी.सी. को, एक एन.टी.पी.सी. को और तीन एन.ई.ई.पी.सी.ओ. को, लेकिन कोई गारंटी नहीं है।

जब वे 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली की बात करते हैं, तो वह मुफ्त बिजली तब भी उपलब्ध होगी यदि सरकारी क्षेत्र की विद्युत कंपनियां भी निष्पादित एवं संचालित करती हैं। ऐसा इसलिए है कि 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली राज्य को उपलब्ध है और परियोजना निष्पादित की जाएगी। अतः, मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इसे गंभीरतापूर्वक अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ उठाएंगे और राज्य सरकार को इन दो परियोजनाओं को आई.पी.पी. को सौंपने के निर्णय को लंबित रखने के लिए राजी करेंगे।

हमारे देश में आई.पी.पी. का अनुभव हमें है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में हमें यह जानकारी है कि उनका कार्यनिष्पादन क्या है, उनकी उपलब्धि क्या है और वे क्या कर रहे हैं। हमें अपने देश में दाभोल विद्युत निगम का अनुभव है। 6,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद उन्होंने इसे रिलायंस को बेचने का निर्णय लिया है। अतः, हमारे पास अनुभव है। इस अनुभव के साथ क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस मामले को अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ गंभीरता से उठाएगी, चूंकि इन दो परियोजनाओं को सौंपे जाने का निर्णय लेने के पूर्व उन्होंने केन्द्र सरकार से न तो परामर्श किया और न ही परामर्श करना ठीक समझा? उन्होंने स्वयं इन दो परियोजनाओं को एनएचपीसी को सौंपने का निर्णय लिया। विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की गईं। क्या भारत सरकार इन दो परियोजनाओं को सौंपने का निर्णय लंबित रखने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ यह मामला उठाएगी?

दूसरे, जब एन.एच.पी.सी. कुछ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अनुमति हेतु विद्युत मंत्रालय से अनुरोध कर चुकी है-और यह अप्रैल माह में किया गया था-तो भारत सरकार ने एनएचपीसी को यह क्यों नहीं बताया है कि इसे क्या करना है?

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): महोदय, यह अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए और इस देश के लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। श्री बसुदेव आचार्य ने यह सही उल्लेख किया है कि 65,000 मेगावाट क्षमता वाला अरुणाचल प्रदेश इस देश का पावर हाउस बन सकता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ है वह इस देश के लिए और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि केवल दो परियोजना स्थल निजी भागीदारों को दिये गये हैं। प्रधानमंत्री विद्युत नीति के अंतर्गत एनएचपीसी द्वारा छः परियोजना स्थल लिये गये हैं। वर्ष 2000 में एनएचपीसी से अरुणाचल प्रदेश में विद्युत उत्पादन का कार्य करने के लिए कहा गया था। उन्होंने छः परियोजनाएं ली हैं, जिसमें से चार डीपीआर भारत सरकार को सौंप दी गई हैं; सुमंसारी लोअर, देवांग मल्टीपरपज प्रोजेक्ट, लोअर सियांग और मिडल सियांग। इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद, इन डीपीआर को करने के बावजूद विद्युत मंत्रालय ने राज्य सरकार को किस प्रकार का प्राधिकार दिया है, इसका उत्तर मंत्री जी को देना चाहिए। राज्य सरकार ने इस संसद के विद्युत अधिनियम का, इस देश के कानून का उल्लंघन किया है। मंत्री जी को इसका उत्तर देना होगा। अगर मैं गलत हूं तो इसमें सुधार किया जा सकता है, विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत अधिनियम और राष्ट्रीय शुल्क नीति अधिनियम 2005 में पारित किये गये हैं और वे 1 जनवरी, 2006 से लागू हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश ने निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 22 फरवरी, 2006 को किया है। क्या यह इस देश के कानून का उल्लंघन नहीं है? मैं भी अरुणाचल प्रदेश को इस देश का पावर हाउस बनाना चाहता हूं। मैं अरुणाचल प्रदेश को खुशी-खुशी की भूमि के रूप में नहीं देखना चाहता हूं जहां घोर उल्लंघन हुआ है। माननीय विद्युत मंत्री जी ने इस पर गौर नहीं किया है और यह गंभीर चिंता का विषय है।

अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से और इस देश के लोगों की ओर से मुझे यह कहना है कि हमें उत्तर-पूर्व में तथा हिमालय क्षेत्र में निजी कंपनियों द्वारा विद्युत का उत्पादन करने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन नींव इस प्रकार रखी जानी चाहिए कि वहां कानून का उल्लंघन न हो।

एक अन्य प्रमुख मुद्दा यह है कि इस देश के संविधान के अनुसार अरुणाचल प्रदेश एक अनुसूचित राज्य है और गैर-अरुणाचली लोगों को एक इंच जमीन का भी हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। मेरे पास इस मामले के सभी ब्यौरे हैं। भारत सरकार तथा विद्युत मंत्री को भी समझौता ज्ञापन का पक्षकार बनाया गया है। क्या यह पुनः उल्लंघन नहीं है। आपको समझौता ज्ञापन के सभी ब्यौरे मिले होंगे। अनुच्छेद 6 में आपको बगैर आपकी उपस्थिति के सहमति ज्ञापन का पक्षकार बनाया गया है। पुनः, खंड 2.11 में निजी कंपनियों को गिरवी प्राधिकृत किया गया है। यह कहा गया है कि वे अरुणाचल प्रदेश में अपने परियोजना स्थल पर विद्यमान भूमि एवं संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को गिरवी रख सकते हैं। क्या यह इस देश के कानून का उल्लंघन नहीं है। अतः, मैं इसका उत्तर चाहता हूं।

मैं उसी बेसिन से संबंध रखता हूं। मैं ऊपरी सियांग, मध्य सियांग और निचले सियांग के उसी भाग का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां छह अन्य परियोजनाएं भी हैं, परन्तु मैं स्वयं को इन दो परियोजनाओं तक सीमित रखूंगा जहां रिलायंस और जेपी समूह कार्य कर रहे हैं। हम निजी कंपनियों के विरुद्ध नहीं हैं और हम एनएचपीसी का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। परन्तु विशेषकर सियांग बेसिन अर्थात निचले सियांग, ऊपरी सियांग और मध्य सियांग के लिए एनएचपीसी ने डीपीआर तैयार करने हेतु 200 करोड़ रु. से अधिक खर्च किये हैं। इस संबंध में, प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से ऐसा किया जाना था। एनएचपीसी द्वारा तैयार डीपीआर के संबंध में इन सभी निजी कंपनियों को परियोजनाएं देते समय प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली नहीं लगाई गई थी। क्या मंत्री महोदय इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देंगे? क्या मंत्री महोदय इन दो परियोजनाओं को वापस एनएचपीसी को देंगे? अरुणाचल प्रदेश के लोगों और इस देश के लिए यह चिंता का विषय है।

मैं यहां बताना चाहूंगा कि इस महीने की 24 तारीख को श्री कीरेन रिजीजू और श्री जुएल ओराम द्वारा पूछे गये एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में सही कहा है कि:

> "नहीं, महोदय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 100 मेगावाट तक की परियोजनाओं को समझौता ज्ञापन के माध्यम से विकसित किया जा सकता है तथा अधिकतर राज्य 100 मेगावाट तक की परियोजनाओं हेतु इस मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं।"

100 मेगावाट के अंदर ही बिडिंग कम्पीटीशन से सब कुछ हो सकता है। यह 1000 मेगावाट और 1600 मेगावाट का प्रश्न है। क्या यह इस देश के स्थापित कानूनों का उल्लंघन नहीं है?

अध्यक्ष महोदय: उल्लंघन किसके द्वारा?

श्री तापिर गाव: राज्य सरकार इसका उल्लंघन कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: हम यहां इसकी चर्चा नहीं कर सकते।

श्री तापिर गाव: महोदय, मैं इस बारे में चिंतित हूं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक सरल और मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या वह इन दो परियोजनाओं को एनएचपीसी को वापस सौंपने हेतु राज्य सरकार को राजी करेंगे? इस संबंध में, जब मैं माननीय मंत्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि राज्य सरकार और एनएचपीसी के बीच इस मुद्दे को

[श्री तापिर गाव]

सुलझाने के लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। उस राज्य के लोगों के लिए यह बड़ी चिंता की बात है। एनएचपीसी को स्वांग जिले में परियोजनाएं दी गई हैं और माननीय मंत्री महोदय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा एनएचपीसी के लोगों को यह पता नहीं है कि परियोजना स्थल कहां है। इस बारे में कोई प्रारंभिक सर्वेक्षण तक नहीं किया गया है। दो मेगा परियोजनाओं के बदले में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव के विषय से बाहर की बात है।

श्री तापिर गावः महोदय मैं वहीं कह रहा हूं जो मैंने देखा है। दो प्रमुख परियोजनाओं हेतु सरकार ने एनएचपीसी को जो परियोजनाएं दी हैं, एनएचपीसी के प्राधिकारियों ने अभी तक परियोजना स्थल नहीं देखा है। इसलिए इस देश की बेहतरी के लिए, विशेषकर राज्य में तथा देश में सामान्यतः जल विद्युत परियोजनाओं के भविष्य के लिए, देश के निर्धारित कानून का पालन करते हुए इन दो मेगा परियोजनाओं को एनएचपीसी को वापस सौंप दिया जाना चाहिए।

महोदय, हमें निजी उद्यमियों का भी स्वागत करना होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख नदियां है। हम अरुणाचल प्रदेश राज्य में निजी कंपनियों की भागीदारी चाहते हैं, परन्तु ऐसा अपने हितों की अनदेखी तथा भूल-चूक की अनदेखी करके नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से बहुत स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वह निजी कंपनियों से इन दो मेगा परियोजनाओं को वापस लेंगे और उन्हें एनएचपीसी को सौंपेंगे।

दूसरे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकार और निजी कंपनियों के बीच हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन को पढ़ें.......*

अध्यक्ष महोदयः मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप राज्य सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते।

श्री तापिर गावः महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सच बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः सच बोलने के लिए भी जगह है।

श्री तापिर गावः महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें और इस सभा में वक्तव्य दें कि इन दो परियोजनाओं को निजी उद्यमियों से वापस लिया जाएगा ....*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः मैं इस पर विचार करूंगा। राज्य सरकार के विरुद्ध कोई आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

माननीय सदस्यों, इस विषय पर मुझे दो और नोटिस मिले हैं। हालांकि नोटिस बहुत देरी से प्राप्त हुए हैं, फिर भी मैं उन्हें अवसर दूंगा।

जहां तक अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों का संबंध है, वे हर दिन प्रश्नकाल के बाद लिये जाते हैं, परन्तु कोई उदाहरण माने बिना उन्हें आज भोजनावकाश के बाद लिया जाएगा। नियम 377 के अधीन मामले भी भोजनावकाश के बाद लिये जाएंगे।

श्री कीरेन रिजीजू अब आप संक्षेप में अपनी बात कहिए।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजूः अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपका नोटिस 12 बजकर एक मिनट पर मिला।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजूः अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने डीटेल में बात रख दी है। मैं डीटेल में नहीं जाऊंगा। जो दो-तीन खास मुद्दे हैं, उनके संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं। अभी सोनिया गांधी जी तवांग गई थीं, मंत्री जी भी आए थे, हम भी वहां मौजूद थे और आपके अधिकारी भी थे। उस समय मुझे कहा गया कि सोनिया गांधी जी को वहां तवांग-I और तवांग-II का जो फाउंडेशन स्टोन ले करना था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सोनिया गांधी जी फाउंडेशन स्टोन ले कर रही हैं ऑफिस कॉम्पलैक्स के लिए न कि प्रोजैक्ट के लिए। मैंने कहा कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप प्रस्ताव के दायरे से बहुत बाहर जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजूः .....*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं उदार हूं। परन्तु उदार होने की भी कोई सीमा होती है। इन सभी को कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजूः जो स्थिति आज है, पब्लिक का रियैक्शन मैं यहां रखना चाहूंगा। इसके बाद मैंने अपनी कांस्टीट्यूएंसी का टूर किया। पासीघाट प्रोजैक्ट को छोड़कर बाकी जो स्यूम रिवर बेसिन में जो एनएचपीसी ने प्राइवेट पार्टी को हैन्डओवर किया है, उसके कारण पब्लिक का क्या रियैक्शन है, वह मैं यहां रखना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं कार्यवाही-वृत्तांत को देखना चाहता हूं। यह मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा बहुत ही विशेष है।

श्री कीरेन रिजीजूः महोदय मुद्दा है, परियोजनाओं को सौंपे जाने से पैदा हुई स्थिति, उस सिचुएशन को मैं बताना चाहूंगा कि पब्लिक का रियैक्शन काफी नैगेटिव है।

अध्यक्ष महोदयः आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उदार इसलिए हूं क्योंकि इसका संबंध पूर्वोत्तर राज्य से है और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि आप सीमाएं लांघ जाएं।

श्री कीरेन रिजीजूः ....* किसने एनएचपीसी को सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। समझौते के आधार पर डीपीआर तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार पहले अनुमति दे चुकी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, ब्रम्हपुत्र बोर्ड से लेकर एन.एच.पी.सी. तक जितना भी काम हुआ है और जो डी.पी.आर. बनाया गया है, वह स्टेट गवर्नमेंट की परमीशन से हुआ है और आज सवाल उठ रहा है कि एन.एच.पी.सी. को परमीशन किसने दी है। यह संघीय ढांचा है। हमें राज्य तथा केन्द्रीय मुद्दों पर एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं यही चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजूः ....* मैं कोई ऐलीगेशन नहीं लगाना चाहता हूं। अब जो प्रोजैक्ट लगाया जा रहा है, उसे चाहे कोई प्राइवेट पार्टी लगाए या एन.एच.पी.सी. लगाए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो केवल यह चाहते हैं कि उसका काम जल्दी से जल्दी शुरू हो, ...*

महोदय, जब से माननीय मंत्री जी ने विद्युत मंत्री का पदभार संभाला है, तब से हम देख रहे हैं कि वे इस दिशा में काफी अच्छे कदम उठा रहे हैं, लेकिन वे कदम जितनी तेजी से उठने चाहिए, उतनी तेजी से नहीं उठ रहे हैं। इसलिए मैं अपने कुलीग के साथ एसोसिएशन करते हुए केवल इतना कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि एन.एच.पी.सी. ने जो डिटेल रिपोर्ट बनाई है और जो सर्वेक्षण तथा इन्वैस्टीगेशन हो चुका है, उसके मुताबिक इस प्रोजैक्ट का काम एन.एच.पी.सी. को ही करने देना चाहिए। वहां नदियों की कमी नहीं है। वहां पानी की कमी नहीं है। प्राइवेट पार्टीज के लिए और जाइंट वेंचर बनाने के लिए बहुत प्रोजैक्ट हैं। ....*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कई बार मैं इस बात को अनदेखा कर देता हूं कि आप अपने स्थान से नहीं बोल रहे होते हैं।

श्री कीरेन रिजीजूः महोदय, मैंने अनुमति ली है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। भूतलक्षी प्रभाव से अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, यदि आपको कुछ पूछना है, तो आप एक सवाल पूछ सकते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री डी.पी. यादव, क्या ये प्रश्न आपको श्री आचार्य द्वारा दिए गए हैं?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय बसुदेव आचार्य जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाया है। आज हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन पर जोर देना समय की अनिवार्य मांग है। भारत की हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की अनुमति क्षमता 1 लाख 50 हजार मैगावाट की है जिसमें से लगभग 33 हजार मैगावाट जलविद्युत उत्पादन की क्षमता अभी तक विकसित की गई है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में 65 हजार मैगावाट जलविद्युत उत्पादन की क्षमता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टाइम बाउंड तरीके से कितने हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजैक्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना में बनाए जाने हैं और उनमें से कितने प्रोजैक्ट्स प्राइवेट क्षेत्र में देने हैं और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितनी हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर उत्पादन की क्षमता विकसित किये जाने का अनुमान है।

अध्यक्ष महोदय: आपके प्रश्न का इस मोशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं अरुणाचल की ही बात कर रहा हूं और हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर जनरेशन की बात कह रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या जलविद्युत से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, 11वीं पंचवर्षीय योजना में अरुणाचल प्रदेश में कितनी हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजैक्ट लगाने हैं और उनमें से कितने प्राइवेट क्षेत्र में लगाने हैं और कितनी क्षमता उत्पादन का अनुमान है? मैं स्टेट की बात नहीं कह रहा हूं और न स्टेट के बारे में कोई सवाल उठाना चाहता हूं, लेकिन यदि केन्द्र सरकार की कोई गाइड लाइन है और यदि उसका वायलेशन होता है, तो केन्द्र सरकार को अधिकार है कि उसकी मॉनीटरिंग करे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी उत्तर देंगे। कृपया अरुणाचल प्रदेश को सम्मिलित न करें।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय मैं उन सदस्यों का आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस संबंध में सहयोग दिया तथा इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी दी। मैं अपना वक्तव्य इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जल राज्य से संबंधित है और यह राज्य का विषय है।

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक कह रहे हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: इस बारे में दो मत नहीं हो सकते इसी कारण वश मैंने यह वक्तव्य पढ़ा। इस विषय की वैधानिकता के बारे में प्रश्न किया गया था इसलिए मैं यहां पर संवैधानिक उपबंधों को पढ़ रहा हूं अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की सत्रहवीं प्रविष्टि में यह कहा गया है:

"जल से अभिप्राय जलापूर्ति, सिंचाई, नहर, निकासी और तटबंधों, जल भंडारण और सूची-1 की 56वीं प्रविष्टि के उपबंधों के अध्यधीन जल विद्युत है।

सूची-1 की छप्पनवीं प्रविष्टि में कहा गया है:

"अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों का उस सीमा तक विनियमन और विकास जिस सीमा तक इसके विनियमन और विकास के लिए संसद द्वारा जनहित में कानून बनाकर इसे केन्द्र के नियंत्रण के अंतर्गत घोषित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: ये केवल आपसे अपने पद का सदुपयोग करने के लिए कह रहे हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: यह सच है। लेकिन इसके लिए राज्यों और केन्द्र के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। इस मामले में जैसाकि श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई थी और यह पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम और समीप के क्षेत्रों में कुछ काम कर रहा था। तत्पश्चात इस परियोजना को सौंप दिया गया। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इसे सौंप दिया गया है अथवा नहीं। एनएचपीसी स्वयं पहल करते हुए कुछ सर्वेक्षण कर रहा है। किसी भी राज्य में सर्वेक्षण अथवा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य की अनुमति लेनी आवश्यक है और एनएचपीसी के साथ-साथ राज्य द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। लेकिन इस मामले में न तो एनएचपीसी ने और न ही राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन जब 2003 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के पास समझौता ज्ञापन प्रारूप भेजा गया तो राज्य ने इस बारे में कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद जुलाई 2005 में राज्य सरकार ने एनएचपीसी से सभी परियोजनाओं को वापस लेने के बारे में लिखा। यदि वहां पर 65,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावना है तो इससे न तो राज्य को और न ही केन्द्र को तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक कि उनके बीच अर्थात केन्द्र और राज्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं हैं। इसलिए लगभग एक वर्ष तक यह गतिरोध बन रहा लेकिन जब मैंने कार्यभार संभाला तो क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ मेरे

अच्छे संबंध थे तो मैंने पूर्वोत्तर के कई मंत्रियों से जल परियोजनाओं का अध्ययन करने का अनुरोध किया। मैंने वैयापत्तिक रूप से मुख्यमंत्री को फोन किया। वे यहां पर आए और तब मैंने उनसे वास्तविक संभावनाओं के बारे में पूछा। मैंने उनसे इन परियोजनाओं को जारी रखने के लिए कहा और उन्होंने इन परियोजनाओं को जारी रखा। हम सभी को यह पता है कि यह एक सुदूरवर्त्ती क्षेत्र है और इसकी सीमा भी है। हम सभी वहां पर विद्यमान स्थितियों और परिस्थितियों को समझ सकते हैं। केवल दो मामलों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। आपने स्वयं कहा है कि 65,000 मेगावाट की क्षमता है। हिमालय के संपूर्ण क्षेत्र में 1,25,000 मेगावाट जल विद्युत की क्षमता उपलब्ध है और देश में 1,50,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता उपलब्ध है। इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री को बुलाया और उनसे इस संबंध में अनुरोध किया और वे मेरी बात से सहमत हो गए। हम अरुणाचल प्रदेश गए। मेरे अधिकारियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। मैंने समारोह में दोनों संसद सदस्यों को भी आमंत्रित किया।

अध्यक्ष महोदयः आप अन्य राज्य सरकार के बारे में ज्यादा विस्तार में मत जाइए।

श्री सुशील कुमार शिंदेः लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हमने एनएचपीसी और एक महाविद्यालय की आधारशिला रखी। क्योंकि तवांग में एक भी महाविद्यालय नहीं है। ये छोटे राज्य हैं। एक बार चार वर्षों के लिए मैं पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का प्रभारी महासचिव था। इसलिए मुझे वहां के पिछड़ेपन के बारे में पता है।

अध्यक्ष महोदयः कृपया इनकी बातों पर ध्यान दीजिए। स्पीकर का जन्म तेजपुर में हुआ था।

श्री सुशील कुमार शिंदेः इससे अधिक हमें क्या चाहिए? तेजपुर में एक बड़ी परियोजना शुरू होने जा रही है।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार शिंदेः महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब हमने 15,000 मेगवाट बिजली के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये तो हमने प्रत्येक यूनिट के साथ इस बात पर हस्ताक्षर किए कि अरुणाचल प्रदेश को संदान अथवा प्रभार के रूप में एक पैसा प्राप्त होगी ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः यह 12 प्रतिशत के अतिरिक्त है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदेः हां यह इसके अतिरिक्त है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के लिए 400 से 500 करोड़ रुपये का बजट होना चाहिए लेकिन इस एक पैसे से वर्ष में 60 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि प्राप्त होगी। अतः यह एक उदाहरण है और अब यह नई नीति हिमालयन क्षेत्र में भी चलती रहेगी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजूः इसका मतलब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, जब तक यह काम होगा, इसलिए वह जल्दी होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदेः वह जल्दी होना चाहिए, इसके लिए को-आपरेट करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इतना निराशावादी नहीं होना चाहिए। आप चिर युवा बना रहेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदेः हमें एनएचपीसी द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उन्होने पैसे खर्च किए हैं और यह पैसा वसूल किया जाएगा। मैंने यह बात सभा में भी कही है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्यः आप अरुणाचल प्रदेश सरकार को राजी करें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, बहुत हो गया।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदेः महोदय, अकेले एनएचपीसी पूरा कार्य नहीं कर पाएगी। जब तक कि मैं इसमें सम्मिलित न कर दूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः और नहीं। उनको जवाब मत दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं आपको नहीं, बल्कि माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर रहा हूं।

महोदय, वे पारदर्शिता चाहते हैं। अतः, मैं इस पर नई नीति लाकर पारदर्शिता ला रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव: दो प्रोजैक्ट्स का आप जवाब दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैंने राज्य और अपने विभाग की स्थिति के बारे में बताया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जितना बोलेंगे वे उतने ही प्रश्न पूछते रहेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, मुझसे प्रश्न पूछना उनका अधिकार है। मैं भी उत्तर दे सकता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: परंतु ऐसा मेरी अनुमति से होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, आपकी अनुमति से मैं कह सकता हूं कि पूर्वोत्तर का समस्त क्षेत्र कठिनाई भरा क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री का मन है कि विकास दर को आठ प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत करना होगा। देश में विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो और अधिक विकास दर प्राप्त कर सकता है। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि जो कुछ हमसे दसवीं योजना में रह जायेगा उसे हम योजना में कर लेंगे। जितने का उल्लेख किया गया है, उससे भी कहीं अधिक अपनी क्षमता से भी अधिक देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: आप उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: वह एक से अधिक बार उत्तर दे चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री बसुदेव आचार्य: उनके सवाल के जवाब का क्या रहा? ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे: अब आपको क्या जवाब चाहिए। आपने बोला था तो हमने बताया कि राज्य में पानी पर आपका अधिकार नहीं है और सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: वे केन्द्र सरकार की जानकारी के बिना कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकार के निर्णय के बारे में कोई प्रश्न नहीं हो सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया सहयोग कीजिए। आप जानते हैं कि मुझे आपसे स्नेह है। इस स्नेह को कम मत कराइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, यह राज्य का मामला है। मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा कि वह राज्य के बारे में कहे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम संघीय ढांचे के बारे में भूल जाते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आज की संशोधित सूची में संख्या 20 पर एक मद है। यह नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के बारे में है। परंतु इसे दिन भर के लिए निलंबित करने हेतु दलों के नेताओं में कतिपय चर्चाओं और साथ ही माननीय प्रस्तावक डा. चिन्ता मोहन द्वारा किये गये अनुरोध के मद्देनजर मैंने इस अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस मामले पर आज चर्चा नहीं की जाएगी।

मैं आपको पहले ही आश्वासन दे चुका हूं कि इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आज, हम अविलंबनीय मामलों को अनुमति देंगे जिन पर चर्चा सामान्यतः अवकाश से पूर्व, भोजनावकाश के बाद की जाती है।

श्री बसुदेव आचार्य: हमें आज यथासंभव अधिक से अधिक मुद्दे उठाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह केवल उपस्थित सदस्यों पर निर्भर है। इसे यथासमय किया जाएगा। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.30 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश में सभी मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है। ...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सबसे पहले, विपक्ष के नेता वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की संसदीय व्यवस्था पर हमला हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, अब जीरो आवर लीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पहले मंत्री जी वक्तव्य देंगे, उसके बाद जीरो ऑवर लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: जीरो आवर में मुझे पहले नंबर पर बोलने का मौका दिया जाए क्योंकि स्पीकर साहब ने कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले बोलने के बारे में कुछ नहीं कर सकता लेकिन आपको बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा के विपक्ष के माननीय नेता वक्तव्य देंगे और तत्पश्चात् मैं आपकी बात सुनूंगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.32 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): उपाध्यक्ष महोदय, चीन के राष्ट्रपति ने 20-23 नवम्बर, 2006 को भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा को दोनों सरकारों ने काफी महत्व दिया और सावधानीपूर्वक तैयारियां की। चीन के राष्ट्रपति जियांग जोमिन द्वारा नवंबर-दिसंबर, 1996 में की गई यात्रा के बाद से किसी चीनी राष्ट्रपति द्वारा भारत की यह पहली यात्रा थी। इस दौरे को दोनों देशों के बीच चल रहे उच्चस्तरीय आदान-प्रदान को और अधिक गति प्रदान करने के रूप में देखा गया।

राष्ट्रपति हू ने द्विपक्षीय संबंधों तथा आम हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे नेताओं के साथ उपयोगी एवं विचारों का व्यापक आदान-प्रदान किया। इस यात्रा ने भारत-चीन संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने और विविधता प्रदान करने के प्रति कार्य करने के दोनों देशों के संकल्प को बल प्रदान किया। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि गत वर्ष चीन के प्रधान मंत्री की भारत की यात्रा के दौरान हमने एक सामरिक और सहयोग की भागीदारी स्थापित करने का निर्णय लिया था। राष्ट्रपति हू की यात्रा ने हमें इस भागीदारी को और अधिक सार्थक बनाने का अवसर दिया है। इस यात्रा के दौरान हमारे प्रधान मंत्री और चीन के 'राष्ट्रपति की ओर से जारी संयुक्त घोषणा-पत्र में शामिल 'दस-स्तरीय रणनीति' में इसे दर्शाया गया है। संयुक्त घोषणा-पत्र की एक प्रति सदन के पटल पर रखी गई है। यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित तेरह करारों का सारांश भी सदन के पटल पर रखा जा रहा है। इन करारों की व्यापकता चीन के साथ विकसित हो रहे बहुआयामी स्वरूप के हमारे संबंधों को दर्शाता है।

विचार-विमर्श के दौरान, दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हाल में हुई प्रगति की समीक्षा की और संबंधों में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति हू, दोनों ने इस बात पर ध्यान दिया कि भारत-चीन संबंधों ने अपने द्विपक्षीय आयाम को पार कर एक वैश्विक और सामरिक महत्व को प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रपति हू ने संबंधों के वर्तमान चरण को ''नई ऐतिहासिक शुरुआत'' के रूप में रेखांकित किया और कहा कि उनकी यात्रा से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक ठोस संकेत मिलेगा कि भारत और चीन दीर्घकालिक मैत्री और साझा विकास के लिए हाथ से हाथ मिला कर कार्य करने के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि आपसी और साझा हितों पर आधारित एक मजबूत और सहयोगात्मक संबंध निर्मित करने की इच्छा रखते हुए चीन ने भारत के साथ संबंधों की एक ''दीर्घकालिक और नीतिगत विचार'' रखा है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि अच्छे पड़ोसी और भागीदार के रूप में मिल कर कार्य करना और एक-दूसरे की चिन्ताओं और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए पारस्परिक समर्थनकारी ढंग से एक साथ विकास करना वे पसन्द करेंगे। दोनों नेता, बकाए मुद्दों पर विशेष बल दिए जाने के रूप में, पूर्ण निष्ठा और समस्या का समाधान करने की इच्छा रखते हुए हल करने के लिए और सामरिक भागीदारी की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए दीर्घकालिक प्रयास करने की आवश्यकता पर सहमत हुए।

दोनों सरकारों के बीच संस्थागत संपर्कों को समन्वित करने, गहन आर्थिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने, सीमा-पार संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक तथा लोगों का लोगों के साथ आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इस यात्रा के दौरान कई पहलों की घोषणाएं की गई। दोनों देश नियमित रूप से शिखर स्तरीय बैठकों को आयोजित करने पर सहमत हुए और कोलकाता और गुआंगझु में नए कौंसल खोलने का निर्णय लिया। दोनों देशों ने बाढ़ वाले मौसम में जल विज्ञानी सूचनाओं का प्रावधान, आपातकालीन प्रबंधन और सीमा पार की नदियों से संबंधित अन्य मुद्दों पर तालमेल और सहयोग करने के लिए एक विशेषज्ञ-स्तरीय तंत्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया। आर्थिक सहयोग यात्रा के मुख्य केन्द्र में रहा जिसमें इस संबंध में दोनों देश, द्विपक्षीय रूप से संपन्न निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार में यथा उल्लिखित एक स्पष्ट संदेश देने के इच्छुक रहे जिसमें कि 2010 तक 40 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार लक्ष्य को निर्धारित किया गया है और दोनों देश पहले से स्थापित संयुक्त कार्य बल को अक्तूबर, 07 तक भारत-चीन क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था की व्यवहार्यता एवं फायदों पर अध्ययन पूरा करने के लिए अधिदेशित किया गया है। सीमा व्यापार का सतत विस्तार और कैलाश-मानसरोवर यात्रा को बृहत्तर सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सहमति हुई है। दोनों देशों ने, लोगों का लोगों से संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने, वर्ष 2007 में ''पर्यटन के माध्यम से भारत-चीन मैत्री वर्ष'' के आयोजन के जरिये और युवा शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान के लिए एक पंच-वर्षीय कार्यक्रम जैसी पहल कर संबंधों का आधार और व्यापक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं. एल.टी.-5058/2006।

प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने सीमा-प्रश्न पर विचार-विमर्श किया और विशेष प्रतिनिधियों द्वारा इस संबंध में की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि सीमा प्रश्न के शीघ्र समाधान से न केवल दोनों देशों के मूलभूत हित को बढ़ावा मिलेगा अपितु हमारी सामरिक भागीदारी को सुदृढ़ता और गति भी मिलेगी, अतएव इसे एक नीतिगत उद्देश्य के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे गत वर्ष अप्रैल में संपन्न राजनैतिक मानदंड और दिशानिर्देशी सिद्धांतों से संबंधित करार पर सीमा प्रश्न के समाधान की रूपरेखा शीघ्र तैयार करने के लिए अपने कार्य में तेजी लाएं। दोनों पक्षों ने यह वचनबद्धता भी व्यक्त की कि तब जब सीमा प्रश्न का अंतिम समाधान न हो जाए, वे सीमा-क्षेत्र में शांति और अमन-चैन बनाए रखें और वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण के कार्य में शीघ्रता लाएं।

यात्रा की पूर्व संध्या पर अरुणाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में चीन के राजदूत द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर माननीय सदस्यों द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है उसकी मुझे जानकारी है। जैसाकि आप भी अवगत हैं। मैंने यह कहकर कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, चीनी दावों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बीजिंग स्थित हमारे राजदूत द्वारा इस मामले को तत्काल चीन के सरकार के साथ उठाया गया है और हमारी चिंता एवं निराशा से उन्हें स्पष्टतापूर्वक अवगत करा दिया गया है।

क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रपति हू के साथ विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ है। इस बात पर ध्यान दिया गया कि तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था तथा दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश होने के कारण विश्व की भावी रूपरेखा को तय करने में भारत और चीन दो महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। दोनों नेताओं ने यह उल्लेख किया कि भारत और चीन मिलकर एशिया तथा विश्व में दीर्घकालिक एवं समान विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शांति एवं समृद्धि के वैश्विक मुद्दे, पर्यावरण संरक्षण और आतंकवाद तथा सीमा-पार अपराधों का समाधान करने में प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के मसले पर राष्ट्रपति हू जिन्ताओं ने गत वर्ष अप्रैल में चीन के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को दुहराते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में वृहत्तर भूमिका अदा करने की महत्वाकांक्षा को चीन समझता है और समर्थन करता है और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की अपनी कोशिश में भारत की सफलता पर, खुश होगा।

यात्रा के दौरान, भारत-चीन संबंधों के विकास में उच्चस्तरीय आदान-प्रदान तथा नेताओं की व्यक्तिगत भागीदारी की महत्ता स्पष्टत: देखने को मिली। राष्ट्रपति हू जिन्ताओ ने कहा कि पिछले अठारह माह में प्रधानमंत्री के साथ यह उनकी पांचवीं बैठक थी। राष्ट्रपति हू ने प्रधान मंत्री को अगले वर्ष चीन आने का निमंत्रण दिया। प्रधान मंत्री ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। दौरे की वास्तविक तिथि राजनयिक माध्यमों के जरिये तय की जाएगी।

कुल मिलाकर, चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के परिणाम से दोनों पक्ष संतुष्ट हैं और जिससे कि आशा है कि खुले, प्रयोजन मूलक और सक्रिय ढंग से बकाए मसलों का समाधान करते हुए भारत-चीन संबंधों को समग्र विकास प्राप्त करने के हमारे संयुक्त प्रयासों को महत्वपूर्ण बल मिलेगा। बकाए मसलों के रहते हुए भी यह दौरा चीन के साथ कार्य करने के सहयोगात्मक ढांचे विकसित करने की प्रक्रिया में अगला एक महत्वपूर्ण कदम है। यह, दोनों देशों की सामरिक भागीदारी को और अधिक व्यापक बनाने और भावी विकास एवं भारत-चीन संबंधों में विवधता लाने को विकसित करने की उनकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक स्पष्ट संकेत देने का अवसर भी देता है कि एक अच्छे पड़ोसी और साझेदार के रूप में, एक-दूसरे की चिंताओं और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए भारत और चीन के लिए परस्पर समर्थनकारी ढंग से एक साथ मिलकर विकास करने का पर्याप्त क्षेत्र है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि चीन के प्रति हमारी नीति जो कि हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है, निरंतरता एवं सर्वसम्मति द्वारा जानी जाती है। हम भारत-चीन संबंधों में आए सकारात्मक प्रवृत्तियों से प्रोत्साहित हैं और शीर्ष स्तर पर चीन के साथ हमारे निरंतर कार्यकलाप हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक बल देगा और हमारे शेष रहे मतभेदों के समाधान की गति को तेज करेगा। इस प्रयास में हम संसद का पूर्ण समर्थन एवं विश्वास चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में ...*

उपाध्यक्ष महोदय: मोहन सिंह जी आप बैठिए, मैंने सुमन जी को बोलने के लिए समय दिया है।

...(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हमने कल विनम्र आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल संविधान के अनुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं। असल सवाल यह है कि देश की जो संघीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तहस-नहस करने का, उस पर हमला करने का काम विभिन्न प्रांतों के राज्यपाल केन्द्र सरकार की शह पर कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: यह हमला आप कर रहे हैं, राज्यपाल नहीं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी, कृपया बैठ जाइए और सुनिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने के लिए समय दिया है।

...*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: लोकतंत्र पर हमला करने में ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मानवेन्द्र सिंह जी, मैंने सुमन जी बोलने के लिए समय दिया है। आप शान्त रहिए।

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मानवेन्द्र सिंह जी, आप शान्त रहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है। अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं बोलने पाएगा। ...*(व्यवधान)* आप लोग बैठिए, मुझे उपाध्यक्ष महोदय ने बोलने का समय दिया है। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें रोकिए, इस तरह से व्यावधान पैदा किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* इन लोगों द्वारा जानबूझकर व्यवधान पैदा किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वही कर रहे हैं जो दिल्ली की केन्द्र की सरकार उनसे करवा रही है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सुमन जी, आपको जो कुछ कहना, एक मिनट में कहिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें अलाऊ किया है इसलिए उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप उन्हें सुनें। इनके बाद मैं स्पेशल मेंशन लूंगा।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): उपाध्यक्ष महोदय, यदि आरोप लगाए गए हैं तो उन्हें इस सभा में सिद्ध करना चाहिए ...*(व्यवधान)* राज्यपाल पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह केन्द्र के आदेश पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें इसे तथ्यों और आंकड़ों से सिद्ध करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के आचरण पर सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, आप बैठ जाएं और मुझे हाउस चलाने दें।

श्री रामजीलाल सुमन: हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो राज्यपाल ने किया, वह बता रहे हैं। ...*(व्यवधान)* क्या राज्यपाल वही करेंगे जो आप चाहेंगे ...*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: राज्यपाल महोदय ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसका उल्लेख आप यहां करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हम सब जानते हैं कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है। हमारा आरोप है कि राज्यपाल महोदय को अपने पद के अनुरूप आचरण करना चाहिए, वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं कर रहे हैं। समस्त मर्यादाओं को तोड़कर उत्तर प्रदेश शासन के रोजमर्रा के कार्यों में दखलअंदाजी करना और ऐसी बात करना जो राज्यपाल के पद और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है, वहां पर ऐसा काम उनके द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मऊ में दंगा हुआ। उस समय बिना राज्य सरकार को विश्वास में लिये वहां के राज्यपाल घटनास्थल पर गए। इसी तरह कल-परसों पुलिसकर्मियों के बीच बोलते हुए उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया। आए दिन इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा हो रही

हैं। उत्तर प्रदेश के दो मंत्रियों को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया गया। किसे मंत्री बनाया जाए, यह मुख्यमंत्री का काम है और अधिकार है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई दो योजनाएं कन्या धन विद्या योजना और बेरोजगारों को भत्ता बांटने के काम पर भी रोक लगा दी गई। लगता है वहां के राज्यपाल दिल्ली की सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं और राज्य सरकार के कामों को इस तरह बाधित कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैंने अपने प्रिय मित्र और माननीय नेता श्री रामजीलाल सुमन के विचार आदरपूर्वक सुनें। मैं सरकार की ओर से अधिकारिक तौर पर कहना चाहूंगा कि यह सही नहीं है। भारत सरकार के किसी राज्य की लोकप्रिय सरकार में हस्तक्षेप करने के लिए कभी भी किसी प्रकार का निदेश नहीं देती है और आरोप सही नहीं है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर विचार करेंगे।

श्री रघुराज सिंह शाक्य -अनुपस्थित

श्री एल. राजगोपाल

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब स्पेशल मेंशन ले रहा हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आप कृपया मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन तो लें।

उपाध्यक्ष महोदय: अभी मैने आज का बिजनेस शुरू ही नहीं किया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, आज के बिजनेस एजेंडा पेपर में आइटम नम्बर 18 में नियम 377 के अधीन मामले लिस्टेड है। इसलिए पहले आप लिस्टेड बिजनेस लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: स्पीकर साहब ने इस पर रूलिंग दे दी है। मैं श्री राजगोपाल का नाम पुकार रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2005-06 के अपने बजट में उल्लेख किया था कि सरकार इस देश में कम से कम एक मिलियन जलाशयों का पुनरुद्धार करेगी।

वास्तव में, 14 राज्यों का भारत सरकार द्वारा चयन किया गया, आंध्र प्रदेश इनमें से एक है, बहुत जलाशयों का चयन हुआ है। कृष्णा जिले के बारे में, यद्यपि यह एक समृद्ध जिला है, इसका एक भाग विशेषरूप से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है जो ऊंची भूमि तथा सूखी भूमि है। केवल इसलिए कि यह एक समृद्ध जिला है, मेरे जिले तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जलाशयों का चयन नहीं किया गया है। वास्तव में, मेरे जिले तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 350 से ऊपर जलाशय हैं। वास्तव में, अधिकांश में गाद भरी हुई है तथा उनमें खर-पतवार भी भरी हुई है। अतएव, हम सरकार के ध्यान में यह लाने की आवश्यकता महसूस करते हैं कि सरकार को कृपया जिले की ऊपरी भूमि पर भी विचार किया जाय। इन सभी जलाशयों की मरम्मत की जाए, नवीकरण किया जाए तथा पूरी क्षमता के साथ पुनरुद्धार किया जाए ताकि ऊंची भूमि के गरीब लोग, तथा गरीब किसान इन जलाशयों के चलते लाभान्वित हों।

अपराह्न 2.52 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी की मांग

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाए रखें। कृपया श्री प्रभुनाथ सिंह को सुनें।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय मुझे एक निवेदन करना है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाए रखें। कृपया श्री प्रभुनाथ सिंह को सुनें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को हम आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं। चाहे एनडीए की सरकार रही हो या अब यूपीए की सरकार,

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

पेट्रोल और डीजल के मूल्य लगातार बढ़ते रहे हैं। जब-जब मूल्य बढ़े तो उसका कारण यह बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य बढ़ रहा है जिसके कारण यहां मूल्यों पर प्रभाव पड़ रहा है। देश की जनता ने इसे न चाहते हुए भी स्वीकार किया। इसका सीधा असर गांव के किसान और गरीब लोगों पर पड़ रहा है। अखबारों से जानकारी मिलती है कि तेल के दाम इधर गिर रहे हैं कम हो रहे हैं। कई बार चर्चा आई कि यहां सरकार दाम कम करने वाली है लेकिन फिर चर्चा आई कि दाम कम नहीं होंगे। लोग संशय में हैं। अभी टीवी पर देखने को मिला और आपके यहां नोटिस जाते-जाते सरकार के कौन में भी बात पड़ गयी औ, कहा गया कि पेट्रोलियम मिनिस्टर शायद कल बुधवार को दाम कम करने की घोषणा करने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और जैसा अखबारों में आ रहा है कि 4.71 रुपये डीजल पर मुनाफा पेट्रोलियम कंपनियां ले रही हैं। उसी तरह सेआ रहा है कि 4 रुपये के लगभग पेट्रोल पर मुनाफा पेट्रोलियम कंपनियां ले रही हैं। दाम बढ़ाते समय वहां के कच्चे तेल के मूल्य का हिसाब जोड़कर उसमें अपना मुनाफा जोड़ लिया जाता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल का मूल्य घट रहा है तो यहां भी दाम घटने चाहिए। लेकिन टीवी पर जो आ रहा है उससे लग रहा है कि मात्र 25 पैसे घटाने की बात चल रही है, जो उचित नहीं है। हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि जिस अनुपात में कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटे हैं उसी अनुपात में यहां भी तेल का दाम कम होना चाहिए, ताकि गांव के किसान और गरीब जनता को उसका लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं अपने आपको जो श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा है उससे सम्बद्ध करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गुरुदास दासगुप्त, संतोष गंगवार जी, रूपचंद पाल जी, आप तीनों के नाम भी एसोसिएट किये जाते हैं। बाकी सदस्य अपनी स्लिप भेज दें, हम उनके नाम भी एसोसिएट करा देंगे।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, यह एक अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांति बनाए रखें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: सरकार लुका-छिपी का खेल खेल रही है। मंत्रीजी संसद में दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर गायब हो गए हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): कौन मंत्री?

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह पेट्रोलियम मंत्री हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यह हद से ज्यादा है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप रूलिंग पार्टी के हैं। आप शोर करेंगे तो कैसे हाउस चलेगा?

...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय, कोआर्डिनेशन का बहुत अभाव चल रहा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मुख्य मुद्दा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घरेलू मूल्य से हमेशा जुड़ा रहता है। यह सरकार का दावा है। दो माह पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 78 डालर प्रति बैरल था। अब यह 56 डालर प्रति बैरल है तथा इसकी पूरी संभावना है कि कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और नीचे जाएगी। यह गत दो माह से चला आ रहा है। सरकार न तो घोषणा कर रही है न चर्चा कर रही है और न ही यह सार्वजनिक कर रही है कि तेल की कीमत घटने वाली है। हमने कई बार देखा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि होती है, परंतु घरेलू मूल्य में वृद्धि होती है। पर अब जब घटते अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के कारण मूल्य घटाने का कारण मौजूद है, सरकार लुका-छिपी का खेल खेल रही है।

अतएव, मेरा केन्द्र बिन्दु यह है। मैं आपको तथ्य बताना चाहता हूं कि 1975 में पेट्रोल के एक लीटर का मूल्य 3.19 रु. था। 2006 में, यह 55 रु. से ज्यादा है। 1975 में गैस के एक सिलिंडर का मूल्य 23.91 रु. था। आज एक सिलिंडर गैस की कीमत 288 रु. है। इस प्रकार की बहुत अधिक मुद्रास्फीतिकारी परिस्थिति में सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि वे कीमत कम करना चाह रही हैं कि नहीं। यदि नहीं, तो वे इसका कारण बताएं।

मैं मांग करता हूं कि कल तक सरकार अवश्य यह घोषणा करे कि कम से कम पेट्रोल की कीमत 4 रु. प्रति लीटर तथा डीजल की कीमत 2 रु. प्रति लीटर करेगी। अन्यथा यह सरकार

जनविरोधी सरकार के साथ में मानी जाएगी। मैं इसे सं.प्र.ग. सरकार ने जनविरोधी राज्य के रूप में लूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अपनी पार्टी की ओर से, मैं अपने आपको इस मामले के साथ जोड़ता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जो मैम्बर्स इनके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, वे अपनी स्लिप भेज दें।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में नोटिस भी दिया है। ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): आपने अपने शासन काल में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए थे। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार: अगर हमने इनके प्राइज बढ़ाए थे तो कम भी किए थे। ...*(व्यवधान)* पिछले काफी समय से निरन्तर यह बात कही जा रही है कि इनके प्राइज कम हो रहे हैं। दुख की बात है कि अखबारों में यह भी आ रहा है कि आप कुकिंग गैस के प्राइज बढ़ाने वाले हैं। किसी चीज के अगर 25 पैसे कम करते हैं तो वास्तव में आपका आचरण समझ में आता है।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: 25 पैसे. .....*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यह वर्ड एक्सपंज कर दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार: सरकार इस दिशा में ध्यान दे। पेट्रोलियम मंत्री जी ने अगर कोई घोषणा करनी है तो बाहर न करके जब सदन चल रहा है तो वहां घोषणा करें और बताएं कि वह ऐसा करने जा रहे हैं जिससे देशवासियों को राहत मिल सकें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रूपचन्द पाल जी, आप एसोसिएट कर दें।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: कृपया मुझे एक मिनट दीजिए। मुझे बताया गया है कि कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गिर गए हैं। अब जब मूल्य कम हो गए हैं तो उन्हें मूल्यों की समीक्षा करनी चाहिए और मूल्यों को तर्कसंगत बनाना चाहिए। यही प्रक्रिया है भारत सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है? ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: मैंने इसके लिए नियम 193 के अंतर्गत भी एक नोटिस दिया है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 78 डालर प्रति बैरल से 2005 के 55-56 डालर प्रति बैरल के स्तर तक कम हो गए हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बार-बार बढ़ाई गई है।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, यह आम व्यक्ति पर बहुत भार है। इससे बहुत सी परेशानियां और कठिनाइयां हो रही है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अत्यधिक गिरावट को देखते हुए सरकार को इन सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तत्काल कटौती करनी चाहिए।

मैं दो मुद्दे और जोड़ना चाहता हूं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करने का एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें पहले ही विमान ईंधन, ए.टी.एफ. पर 8 प्रतिशत की सहमति हो गई है। किन्तु अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में इसी अनुरूप में कोई कटौती नहीं हुई है। हमने एक सुझाव दिया है कि कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आकस्मिकताओं और अस्थिरता के मद्देनजर एक स्थायी कोष होना चाहिए। भारत सरकार के पास पहले ही उपकर के माध्यम से लगभग 75,000 करोड़ रुपये एकत्र हो गए हैं। हमारा प्रस्ताव यह था कि इस उपकर कोष का उपयोग स्थायी कोष की स्थापना के लिए किया जाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में स्थिरता और अत्यधिक वृद्धि के मामले में आम आदमी को बचाया जा सके।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार को बिना किसी विलम्ब के तत्काल पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा करनी चाहिए ...*(व्यवधान)* अब जब हम इस पर चर्चा कर ही रहे हैं तो यह इसे इसी सभा में शीघ्र ही कर दिया जाना चाहिए धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

---

*पीठासीन अधिकारी के आदेश से कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपका नाम एसोसिएट करा दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मेरा नाम सम्बद्ध करने के बजाय मुझे बोलने का अवसर दें। मैं केवल एक मिनट बोलना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, कृपया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.एस. गढ़वी, श्री सुब्रत बोस, श्री ब्रजेश पाठक, श्री अशोक कुमार रावत, श्री जी. करुणाकर रेड्डी, श्री गणेश सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर, श्री संदीप दीक्षित, चौधरी बिजेन्द्र सिंह, डा. अरविन्द शर्मा, प्रो. चन्द्र कुमार, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम और श्री के.सी. सिंह 'बाबा' को इस मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं। उन्हें प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें वक्तव्य देने के लिए बाध्य करना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, आप उनसे प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए कहे ...*(व्यवधान)* सभा के नेता को एक संयुक्त वक्तव्य देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। अगर वह चाहते हैं तो वह वक्तव्य दे सकते हैं। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): यह महत्वपूर्ण विषय है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह चेयर के बस की बात नहीं है कि हम मिनिस्टर को कम्पेल करें कि वे स्टेटमेंट पढ़ें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मानवेन्द्र जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार कीमतें घटाने के लिए तैयार नहीं है। किसी को तो जिम्मेवारी लेनी होगी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): सदन चल रहा है। कम से कम मंत्री जी रिस्पांड करें कि वह दाम घटायेंगे या नहीं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हम बहिर्गमन कर रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, हम भी बहिर्गमन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): चूंकि सरकार रिस्पांड नहीं कर रही है, इसके विरोध में हम भी वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 3.05 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य, श्री गुरुदास दासगुप्त, प्रो. राम गोपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गए)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: जब सदन चल रहा है तो मंत्री जी को बाहर बयान नहीं देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपको भरोसा है कि मैं उन्हें बाध्य कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं निर्देश नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: उपाध्यक्ष महोदय, आम आदमी महंगाई के कारण मरा जा रहा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: सरकार कुछ रिस्पांस नहीं दे रही है, इसके विरोध में हम वाक-आउट करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार रिस्पांड नहीं कर रही है, यह जनता विरोधी काम कर रही है। इसके विरोध में हम भी वाक-आउट करते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सर, हम भी विरोध में वाक-आउट करते हैं।

अपराह्न 3.07 बजे

(श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री हरिन पाठक, श्री बृज किशोर त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण मामला सदन में उठाना चाहता हूं। 24 नवम्बर, 2006 को "दैनिक जागरण" अखबार में प्रकाशित समाचार 'मथुरा रिफाइनरी पर आतंकी खतरे का शक' एक बहुत ही अलार्मिंग और संगीन मामला है। इस बारे में अन्य अखबारों में भी छपा कि एक व्यक्ति ने मथुरा रिफाइनरी में बताया कि वहां उसे कुछ लाख रुपये देकर कहा गया कि रिफाइनरी में एक्सप्लोसिव रखे जाएं। जिसकी इत्तिला उसने पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं मिल पाया। मगर उसमें लिखा था कि बाद में खुफिया तंत्र सक्रिय हुआ और तंत्र को कहीं न कहीं षडयंत्र की बू आती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन को भी सतर्क किया गया। इस मुद्दे को सदन में उठाने का मेरा मुख्य तात्पर्य यह है कि न केवल मथुरा रिफाइनरी बल्कि भारतवर्ष में जितनी भी रिफाइनरीज हैं, जैसाकि माननीय गृह मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि रिफाइनरीज और अन्य इस तरह के स्थानों पर आतंकी हमले का खतरा है, यहां तक कि संसद भवन पर भी आतंकी खतरा मंडरा रहा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहूंगा कि रिफाइनरीज और संसद की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इसे बताया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर किसी रिफाइनरी में इस तरह की घटना होती है तो वह न केवल रिफाइनरी में बल्कि वह घटना आसपास सौ कि.मी. तक रहने वाले लोगों के विनाश का कारण बन सकती है। यह मामला सारे भारतवर्ष का है इसलिए मैं सदन में मांग करता हूं कि वहां रिफाइनरी की सुरक्षा के साथ हमारे मंत्रालय हर रिफाइनरी की सुरक्षा को बढ़ाए, वहां की देखभाल करे कि वहां सुरक्षा पर्याप्त है या नहीं और रिफाइनरी की जो टाउनशिप है, वहां आने-जाने वाले लोगों की जांच सुरक्षा की दृष्टि से की जानी चाहिए अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना आने वाले समय में घट सकती है क्योंकि आतंकवाद बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आज जितनी भी चर्चा हो रही है, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह चर्चा है जो पूरे देश के किसानों से जुड़ी हुई है। हमारे कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और आप भी एक किसान हैं। हम सब अच्छी खेती करते हैं। आजादी के बाद, ग्रीन रिवोल्यूशन केबाद किसानों ने यहां अन्न का भंडार भर दिया लेकिन गलत नीतियों के कारण पहली बार भारत को पचास लाख टन गेहूं बाहर से मंगाना पड़ा।

यदि यही स्थिति बनी रही तो जहां पूरे देश में गेहूं की बुवाई चल रही है लेकिन डीएपी खाद गायब है। डीएपी खाद न मिलने की वजह से गेहूं का उत्पादन प्रभावित होगा। उसका कारण है कि भारत सरकार ने डीएपी में जो सब्सिडी देनी थी, उसका प्राइस फिक्स कर दिया गया है। दुनिया में जो इनपुट डीएपी में लगता है, उसके दाम 300, 400 डॉलर बढ़ गए हैं, डीएपी का दाम बहुत बढ़ गया है। हम बाहर से इम्पोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और यहां दाम बहुत बढ़ गया है तथा देश में डीएपी का उत्पादन कम हो गया है। कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि वह आश्वासन दें कि डीएपी पर दी जाने वाली सब्सिडी को बहाल करेंगे तथा जो इन्होंने अमरीका और वर्ल्ड बैंक के दबाव में उसका प्राइस फिक्स कर दिया है, इसे वह ठीक करें।

उपाध्यक्ष महोदय: यह जरूरी नहीं है कि मैं उनको कहूं कि वह अभी स्टेटमेंट दें। यह उनकी मर्जी है कि वह अभी स्टेटमेंट दें या न दें।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह: उपाध्यक्ष जी, यह बात मैं सदन के माध्यम से सरकार के नोटिस में लेकर आया हूं। अगर सरकार जल्दी नहीं करेगी तो उससे गेहूं का उत्पादन प्रभावित होगा।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दिनों से इस मामले को उठाना चाहता था लेकिन आज 6 दिन बाद मुझे इस विषय को उठाने का मौका मिला है। जैसा अभी मेरे साथी ने कहा कि खाद की किल्लत सारे देश में है। इस समय बुवाई का समय है। किसान यूरिया खाद लेने के लिए जब अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर अपने घर से दुकान पर जाता है तो वह सौ-पचास रुपये खर्चकर वापस बिना खाद लिये जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय: सदस्य गण, अगर कोई मीटिंग बहुत जरूरी है तो आप बाहर जाकर बात कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अविनाश राय खन्ना: मान्यवर, किसान की निराशा इस बात से साफ झलकती है कि आज ही पंजाब में भोगपुर के नजदीक एक किसान ने आत्महत्या की है। मैं सदन में इस बात को उठाना चाहता हूं कि अगर समय पर किसान को खाद नहीं मिली तो इससे फसल खराब होगी और अगर फसल खराब हुई तो जिस चिंता से सारा देश ग्रस्त है और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उससे खाद्यान्न की कमी होगी और किसान ऐसे ड्रास्टिक कदम लेने के लिए मजबूर होगा। मेरी जानकारी यह है कि खाद तो उपलब्ध है लेकिन दो मंत्रालयों में आपस में तालमेल न होने के कारण खाद का वहां ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और किसानों को खाद मिले, इसकी व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: चौ. लाल सिंह जी, आपका नाम श्री खन्ना जी द्वारा उठाये गये मामले से एसोसिएट करा दूं?

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष जी, मैं एसोसिएट बिल्कुल नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी कितनी मुसीबत में है, जिसके लिए मुझे बहुत ही अफसोस है। मंत्री महोदय ने पिछले प्रक्योरमेंट सीजन में बाहर से गन्दम मंगाया था और हमने सोचा था कि इस बार डिपार्टमेंट किसानों की काफी मदद करेगा कि उसको तकलीफ नहीं होगी परन्तु हुआ इसके उलटा है। आप जानते हैं कि हमारी स्टेट में कितना गन्दम होता है। इसलिए हमारी स्टेट से 75 हजार मीट्रिक टन डीएपी खाद और 2500 मीट्रिक टन फास्फोरस खाद की डिमांड की गई है। 26 अक्तूबर से 26 नवम्बर के बीच में गन्दम का बुवाई सीजन शुरू होता है। उसके बाद लेट वैरायटी लगती है। अगर लेट वैरायती लगेगी तो उसका झाड़ और उसकी फसल की यील्ड बहुत कम होगी। इससे न केवल किसानों की बल्कि देश की मरने की बारी आ जाती है। मेरा कहना है कि जब बुवाई सीजन आता है तो कम से कम सरकार को इस चीज का इन्तजाम करना चाहिए। मैं सदन के नोटिस में एक बात और लाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर सरकार के डीलिंग कन्सर्न्ड एक ज्वाइंट सैक्रेटरी के पास फाइल पड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि इसे क्लीयर कराया जाये। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जायें। श्रीमती सुजाता के भाषण के अलावा और किसी की बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जायें। डा. मिश्रा, जब आपकी बारी आयेगी तो मैं आपका नाम बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

देश में कृषि क्षेत्र में संकट अबाध रूप से जारी है और देश के विभिन्न हिस्सों से कृषकों द्वारा आत्महत्या की रिपोर्टें आ रही

हैं। कृषि क्षेत्र की दुखद स्थिति के लिए कई कारण हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निम्न ब्याज दरों पर ऋणों की अपर्याप्त उपलब्धता कृषकों को कर्ज केजाल में फंसाने का मुख्य कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे संस्थाओं का न होना और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के संवितरण की कम प्रतिशतता का शोषण निजी साहूकारों द्वारा किया जा रहा है जो जरूरतमंद कृषकों को बहुत ऊंची ब्याज दरों पर ऋण देते हैं।

इस परिस्थिति में सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज दर पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक व्यापक तंत्र तैयार करना होगा जिससे किसानों को लोभी निजी महाजनों कि गिरफ्त से निकालने में मदद मिलेगी। केरल सरकार ने हाल ही में कृषि संकट से प्रभावित किसानों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक कृषि ऋण सहायता विधेयक पुर:स्थापित किया है जिससे उन किसानों को जो कृषि ऋण लौटाने में असमर्थ हैं, मदद मिले।

किन्तु केवल राज्य द्वारा कानून बनाए जाने से सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान ऐसे अधिनियम के दायरे से बाहर रहते हैं। अतएव, किसानों को ऋण और वित्तीय सहायता देने के लिए इन वित्तीय संस्थाओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एवं व्यापक केन्द्रीय विधान की आवश्यकता है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस संबंध में एक नया विधान लाने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, इन्होंने जो कुछ कहा उससे मैं स्वयं को संबद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे तो नंबर एक पर प्रभुनाथ सिंह जी का नाम था और उनके बाद मेरा नाम था, तो मैंने सोचा कि शायद मैं नंबर दो पर बोलूंगा।

उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। ज्यादातर जो हमारे गरीब हैं, खासकर जो खेतिहर मजदूर हैं जिनको गांवों में रोजगार नहीं मिल पाता है, वे शहरों की तरफ पलायन करके जब जाते हैं तो उनके रहने के लिए कोई विश्रामशालाएं नहीं हैं जहां पर वे विश्राम कर सकें। मैं गुजारिश करूंगा कि केन्द्र सरकार सब राज्यों में इसकी अलग से व्यवस्था करे ताकि जो गरीब मजदूर हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, ओढ़ने के लिए रजाइयां नहीं हैं, कंबल नहीं हैं, जिसके कारण ठंड के प्रकोप से उनकी मौतें होती हैं, वे न हों।

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात मिनरल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और पोरबन्दर डिस्ट्रिक्ट माइन ओनर्स एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिशन ने चाक (खड़िया) को एक प्रमुख खनिज के स्थान पर गौण खनिज घोषित किये जाने के लिए अभ्यावेदन दिया है। चाक को एक प्रमुख खनिज के स्थान पर एक गौण खनिज माने जाने संबधी प्रस्ताव को 10 जनवरी, 2006 को भारत सरकार, खान मंत्रालय को भेजा गया तथा 31 मई 2006 को एक अनुस्मारक भेजा गया। मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस मामले की जांच कर शीघ्र कार्रवाई करें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। हमें इसका कड़ा अनुभव है कि किस प्रकार वर्ष 2002 में देश के पश्चिमी भाग में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतारा गया। पांच हजार परिवार विस्थापित हुए और सैकड़ों लोग मारे गए हालांकि, आज तक राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास का कोई प्रयास नहीं किया गया। केन्द्र सरकार गुजरात दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए धन भेजती है किन्तु गुजरात राज्य सरकार ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, यह सरासर गलत है। वह यहां गुजरात का मामला नहीं उठा सकते हैं। गुजरात सरकार द्वारा सब कुछ किया गया है।

श्री हन्नान मोल्लाह: यदि ऐसा है तो वे पीड़ित शिविर क्यों नहीं छोड़ रहे हैं?

श्री हरिन पाठक: बार-बार यह विषय उठाकर सभा को गुमराह न करें।

उपाध्यक्ष महोदय: केवल श्री हन्नान मोल्लाह का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री हन्नान मोल्लाह: कल एक संसदीय शिष्टमंडल गुजरात के दौरे पर जा रहा है। उन लोगों के पुनर्वास हेतु सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। मेरी यह मांग है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, वालमार्ट और भारती इंटरप्राइजेज के बीच समझौता वास्तव में खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पिछले दरवाजे से प्रवेश है। भारत में विदेशी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निवेश की वर्तमान नीति के अंतर्गत खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति नहीं है। यह समझौता भारतीय बाजार में पैठ बनाने के लिए वर्तमान नीति विनियम से बच निकलने का प्रयास है। इससे निश्चय ही बड़े पैमाने पर खुदरा विक्रेता विस्थापित होंगे। इससे उन कंपनियों के व्यापक क्रय शक्ति के कारण घरेलू विनिर्माताओं और किसानों पर भी दबाव पड़ेगा।

इससे विक्रेता निश्चय ही विस्थापित होंगे और बेरोजगारी फैलेगी जबकि हमारे देश में पहले ही से भारी बेरोजगारी है। यह और कुछ नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से घुसना है। खुदरा व्यापार में केवल एक ब्रांड को अनुमति दी गयी है किन्तु कल जो हुआ है उससे खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दे दी गयी है। इससे हमारे लाखों लाख खुदरा व्यापारी बुरी तरह प्रभावित होंगे। अतएव, मेरी मांग है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पिछले दरवाजे से प्रवेश न हो। जो कुछ भी हुआ है उसे रोका जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि सरकार को खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पिछले दरवाजे से प्रवेश को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद का अर्थ है कि आप अपना भाषण समाप्त करें। यह इशारा है कि आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री हितेन बर्मन (कूचबिहार): यह एक गंभीर मामला है। 20.11.2006 को सायं 6.20 बजे हल्बाड़ी-न्यू जलपाईगुड़ी सवारी गाड़ी, जो दार्जिलिंग से जुड़ती है, में बेलाकोबा रेलवे स्टेशन पर एक बम विस्फोट हुआ था। आतंकवादियों की योजना न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर विस्फोट करने की थी। इन घटनाओं में सात लोग मारे गए और 71 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए और बड़ी संख्या में ऐसे यात्रीगण भी जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मृतकों के परिजनों को कम से कम एक लाख रु. का मुआवजा तथा उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी तथा घायलों को 50,000 रु. की मुआवजा राशि दी जाए। मैं आगे अनुरोध करूंगा कि देश में चल रही सभी रेलगाड़ियों की सुरक्षा की समीक्षा की जाए।

इस घटना के बाद हल्बाड़ी क्षेत्र के सब्जी उगाने वालों पर इस रेलगाड़ी से सिलिगुड़ी और अन्य बाजारों में सब्जियों को बेचने पर रोक लगा दी गयी है। इस क्षेत्र में सब्जी उगाने वालों के लिए गंभीर परिस्थिति आ खड़ी हुई है। उन क्षेत्रों के सब्जी उगाने वालों की बेहतरी के लिए बिना विलम्ब किये इस पर विचार किया जाए तथा इन रेलगाड़ियों में 'वेंडर कोच' लगाने की व्यवस्था की जाए।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): मैं सरकार के समक्ष केरल में सहकारिता आन्दोलन के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखना चाहता हूं। दूसरे राज्यों के विपरीत केरल में सहकारिता आन्दोलन बहुत सशक्त है। वे आम आदमी से जुड़े कई मुद्दे उठा रहे हैं। प्रस्तावित बैंककारी विनियामक संशोधन अधिनियम से सहकारिता आन्दोलन की वर्तमान प्रणाली में काम करना वास्तव में कठिन हो जाता है। परिणामस्वरूप, अब सहकारी समितियां, विशेषत: एग्रीकल्चरल प्राइमरी कॉपरेटिव सोसाइटीज (एपीसीएस) अधिकांश बैंककारी व्यवसाय कर सकती हैं यद्यपि उन्हें बैंक नहीं माना जाता है। किंतु यदि परिभाषा का कड़ाई से पालन किया जाता है तो केरल की सहकारी समितियों के लिए वह सब काम करना कठिन हो जाएगा जो वह कर रही हैं। केरल में सहकारी समितियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निधि स्टोर तथा चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। अत: हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक में केरल के सहकारी क्षेत्र को बाहर रखें।

दूसरा मुद्दा है कि सरकार ने सहकारी समितियों से आयकर संग्रहण का निर्णय लिया है। सहकारी समितियां वास्तव में आम आदमी की सहायता से कार्य कर रही हैं। यह अन्य वित्तीय संस्थानों से भिन्न है। सहकारी समितियों के सदस्यगण जमाराशि देते हैं। जहां तक राज्य सहकारी बैंकों का सवाल है इनका लाभ बहुत कम है। यह जिला सहकारी बैंकों के बारे में सही है। यह रोचक बात है कि यदि राज्य सरकार राशि जमा करती है तो सरकार को जितनी राशि प्राप्त होती है वह वांछित राशि से कम होगी। अत: सहकारी समितियों के लाभपर आय कर लगाए जाने हेतु कोई कारण या औचित्य नहीं है क्योंकि ये अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे नहीं हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना ही होगा तथा केरल की सहकारिताओं को प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों के बाहर रखा जाना चाहिए।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): केरल के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ समाचारों के बारे में केरल के लोगों में आशंका व्याप्त है। इन समाचार-पत्रों में छापा है कि भारत सरकार कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर टर्मिनल को स्वीकृति नहीं देंगे। जैसाकि आप सभी जानते हैं कोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर क एक कन्टेनर टर्मिनल स्थापित किये जाने हेतु हर चीज तैयार है। कुछ सप्ताह पहले ही सरकार ने सुरक्षा कारणों से त्रिवेन्द्रम में विधिजाम में अन्य पत्तन को स्वीकृति नहीं दी गई थी। यह समाचार की समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि सुरक्षा कारणो से कोचीन अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट कन्टेनर टर्मिनल को भी ऐसी है। सुरक्षा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए केरल के लोगों तथा केरल सरकार ने भारत सरकार से इसे यथाशीघ्र स्वीकृति

दिये जाने हेतु अनुरोध किया है तथा केरल सरकार ने कोचीन में कन्टेनर टर्मिनल हेतु 'शिलान्यास' कार्यक्रम हेतु भी माननीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। इसलिए यह हमारा निवेदन है कि सरकार को कोचीन में ट्रांसशिपमेंट कन्टेनर टर्मिनल हेतु आवश्यक स्वीकृति देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस समय बिजली का भयंकर संकट चल रहा है। शहर में विद्युत सप्लाई में चार-चार घंटे की कटौती की जा रही है। राजस्थान का प्रत्येक उद्योगपति और किसान बिजली की कटौती से परेशान है। जहां से बिजली की सप्लाई होती है, वहां खराबी आ जाती है, जिसके कारण यह संकट और भी बढ़ गया है। बिजली की कटौती से पेयजल सप्लाई में बाधा आ रही है।

महोदय, 10.5.84 के समझौते के अनुसार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं जैसे आनन्दसाहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियां घन जल विद्युत परियोजना, थीन बांध जल विद्युत परियोजना, यूबीडीसी चरण विद्युत परियोजना और शाहपुर कण्डी जल विद्युत परियोजना को सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाना चाहिए और राजस्थान को उसके हिस्से की बिजली मिलनी चाहिए। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जिन राज्यों से राजस्थान को विद्युत का हिस्सा मिला हुआ है, उनसे बिजली की सप्लाई करवायी जाए ताकि राजस्थान के निवासियों, उद्योगपतियों और किसानों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, जैसाकि केरल से मेरे साथी सदस्य श्री कृष्णदास ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण दो बहुत ही महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय कन्टेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल परियोजनाएं अधर में लटकी हैं। महोदय, ये दोनों परियोजनाएं केरल विनिर्दिष्ट परियोजनाएं नहीं हैं। ये वास्तव में देश के लिए बहुत ही महत्व की परियोजनाएं हैं। ये दो पत्तन: कोचीन के निकट वल्लारपदम तथा त्रिवेन्द्रम के निकट विझिजाम अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन मार्ग की सीमा से लगे हैं। इनकी महत्वपूर्ण अवस्थिति के कारण ये बड़ी परियोजनाएं हैं जो देश के लिए महत्वपूर्ण है। देश को आशा है कि वल्लारपदम सम्पूर्ण दक्षिण भारत का कन्टेनर ट्रांस-शिपमेंट कार्य का केन्द्र बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं आए थे तथा वल्लापदम परियोजना का शिलान्यास किया था। किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। महोदय ये परियोजनाएं बी.ओ.टी. आधार पर प्रचालित की जा रही हैं तथा कार्य दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। यही कंपनी विशाखापत्तनम, मुन्द्रा तथा चेन्नई पत्तनों पर कार्य कर रही हैं। अचानक ही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सी ने सुरक्षा के इस पहलू को इस दलील के साथ उठाया कि दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान में सुधार पत्तन का कार्य शुरू किया है। ऐसा लगता है कि पत्तन का निर्माण चीन की कंपनी द्वारा किया गया ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी क्या मांग है?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मुझे भाषण पूरा करने दीजिए। मैं सुबह से ही धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी डिमांड क्या है? यह लेक्चर देने का टाइम नहीं है। आप जो पाइंट सामने लाना चाहते हैं, वह बताइए।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मुझे इसे पूरा करना है। कृपया मुझे पूरा करने दीजिए। मुझे एक मिनट का समय और दें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह उचित तरीका नहीं है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, क्या यह उचित तरीका नहीं है, मेरी बारी आने का धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं, आप वह तो बता नहीं रहे।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। यदि आप मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि जहां तक इन दो विशेष परियोजनाओं का संबंध है, ये उचित नहीं है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं, आप वह तो बता नहीं रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मैं सरकार से यह अनुरोध कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको डिस्कशन का टाइम नहीं दिया है।

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 की दुर्दशा पर सरकार तथा सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं। मेरे जिले को छोड़कर हैदराबाद से विजयवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बना दिया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण लेन है। वास्तव में इसे छह लेन वाला बनाया जाना चाहिए लेकिन इसे चार लेन वाला भी नहीं बनाया गया है। प्रतिदिन दर्जनों दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक वर्ष में 300 से भी अधिक लोग मारे गए हैं। लगभग एक व्यक्ति प्रतिदिन मारा जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे चार लेन वाला बनाए जाने हेतु शीघ्र ही आवश्यक अनुदान स्वीकृत किये जाए। सर्वेक्षण पहले ही करवा लिया गया है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के नाम पर इसे रोका जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि यथाशीघ्र इस राजमार्ग को चार लेन वाला बनाया जाए।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): गुजरात पालिमर का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसे प्लास्टिक बोवन सैक उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इस उद्योग ने उर्वरकों, चीनी, चावल तथा अन्य वस्तुओं की पैकिंग के लिए बोवन सैक का विकास कर लिया है। जूट से बनी बोरियों के बढ़ते हुए आवश्यक उपयोग का प्लास्टिक बोवन सैक उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्लास्टिक पालिमर उद्योग को बचाने के लिए गुजरात सरकार ने खाद्यान्नों तथा चीनी की जूट की बोगियों में अनिवार्य पैंकिंग को एक 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के स्तर तक तर्कसंगत कमी करने हेतु कई बार अनुरोध किया था।

बार-बार अनुरोध करने के बाद भी 30.6.2006 को समाप्त होने वाले वर्ष 2005-06 में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि खाद्यान्नों तथा चीनी की पैंकिंग शत-प्रतिशत जूट की बोरियों में की जाएगी। यह बताया गया कि घरेलू बाजार में विद्यमान कमी के कारण पड़ोसी देशों अर्थात बांग्लादेश तथा नेपाल से जूट से बनी बोरियों का आयात बढ़ा दिया गया है।

राज्य सरकार, विभिन्न संघों के बार-बार अनुरोध तथा 14वीं एसएससी की सिफारिशों के बावजूद भी भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 24.7.2006 के आदेश के तहत वर्ष 2006-07 में खाद्यान्नों तथा चीनी की आपूर्ति या वितरण हेतु शत-प्रतिशत जूट पैंकिंग के उपयोग को जारी रखा।

महोदय, मैं भारत सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने अन्य राज्यों तथा गुजरात के प्लास्टिक बोवन सैक उद्योग के हितों के संरक्षण हेतु उक्त जूट पैंकिंग के शत-प्रतिशत प्रावधानों में छूट देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनायें बनायी जाती हैं, किंतु शासन द्वारा चलायी जा रही तमाम योजनाएं भी बीड़ी श्रमिकों के शोषण को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही हैं। आज भी बीड़ी श्रमिक दशकों पुरानी मजदूरी दरों पर काम करने के लिए विवश हैं। बीड़ी उद्योग पर पूरी तरह सट्टेदारों का एकाधिकार होने तथा श्रम विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाएं बीड़ी श्रमिकों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। एक तरफ तो आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात के हजारों श्रमिक पंजीयन से वंचित हैं। वहीं दूसरी ओर इन सभी राज्यों में प्रति हजार बीड़ी निर्माण मजदूरी दरों में भी काफी असमानता है तथा अनेक राज्यों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी सट्टेदार नहीं दे रहे हैं, जिस कारण दिन रात परिश्रम करने पर भी बीड़ी श्रमिकों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर जहां का तहां है तथा पैसों के अभाव में असमय ही अनेक बीमारियों का शिकार होकर बीड़ी श्रमिक काल के गाल में समा जाते हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बीड़ी श्रमिकों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने, सभी राज्यों में प्रति हजार बीड़ी मजदूरी दरों में समानता तथा न्यूनतम मजदूरी दिलाने की सार्थक शुरुआत करें।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, यह आपके ध्यानार्थ है और श्री अशरफ तथा श्री फ्रांसिस कोच्चावरम की रिहाई तथा

प्रत्यावर्तन हेतु कुवैत स्थित भारतीय दूतावास को निदेश देने के लिए विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप करने हेतु है। ये दोनों भारतीय पासपोर्ट धारक मैसर्स पब्लिक वेयरहाउसिंग कंपनी, सुलयबिया, कुवैत के लिए काम करते थे। यह कंपनी अमरीकी मूल की है और अशरफ तथा उसके चार सहयोगी इराक में अमरीकी सेना को खाद्य सामग्री की आपूर्ति करते थे। इस माह की 6 तारीख को कुछ अज्ञात लोगों अथवा चरमपंथियों ने उपर्युक्त काफिले पर हमला किया और उन्हें नजरबंद कर दिया। इन अज्ञात ोगों द्वारा इनके पासपोर्ट और आव्रजन दस्तावेजों को भी छीन लिया गया। श्री अशरफ और उसके चार सहयोगी किसी तरह उनके चंगुल से निकल भागे और उन्होंने मदद के लिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया? पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बसवा निरुद्ध केन्द्र में बंद कर दिया। उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं दिया गया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया तथा उन्हें मानसिक यंत्रणा भी दी गई।

श्री अशरफ मेरे संसदीय क्षेत्र के है और अलेप्पी में रहते हैं। वह एक गरीब परिवार से संबंधित है। उनके परिवार में उनकी पत्नी तीन बच्चे और उनकी बूढ़ी मां है। उनका परिवार बड़ी ही बेसब्री से उसके भारत आने की प्रतीक्षा कर रहा है। अत: मेरा अनुरोध है कि बसवा जेल से इन लोगों की तुरन्त रिहाई और इनके भारत में प्रत्यावर्तन के लिए समुचित कार्रवाई की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री पी.सी. थामस बोलेंगे। आप केवल एक मामला उठा सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): मेरी सरकार से मांग है कि वह क्रिसमस की छुट्टियों और नव वर्ष के लिए इस सर्दी के दौरान केरल के लिए विशेष ट्रेन चलाए क्योंकि केरल जाने के लिए काफी भीड़ होती है। जो कोई व्यक्ति किसी ट्रेन में सीट बुक कराने जाता है उसे उस ट्रेन में सीट नहीं मिलती। बंगलौर के साथ भी ऐसा ही होता है क्योंकि बहुत से लोग बंगलौर में काम कर रहे हैं। चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई और अन्य महत्वपूर्ण राज्यों की भी यही स्थिति है।

इसलिए, मैं रेल मंत्री से केरल के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों से भोजन और पानी सहित सभी सुविधा सम्पन्न तत्काल कुछ विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव जी-उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

डा. राजेश मिश्रा बोलेंगे। पहले आप अपनी सीट पर जाइए।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यहां से ही बोलने की परमीशन दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: उपाध्यक्ष महोदय, कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो हुआ, जिसे कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की *...(व्यवधान)* महोदय, सच बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब आप बोल रहे थे, उस वक्त भी यह स्टेटमेंट था।

...(व्यवधान)

डा. राजेश मिश्रा: जब आप बोल रहे थे तब हम सुन रहे थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. राजेश मिश्रा के वक्तव्य के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सुमन जी, आपको याद होगा कि मैंने आपको भी ऐलाऊ किया था। उस समय भी स्टेट मैटर था।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: उपाध्यक्ष महोदय, कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की, इससे पहले किसी भी चुनी गई सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया था ...*(व्यवधान)* कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी लीडर और कांग्रेस के पचास हजार कार्यकर्त्ताओं ने विधान सभा के सामने ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: डा. राजेश मिश्रा, अब अपनी बात आई है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर मानवेन्द्र सिंह को डा. राजेश मिश्रा ने जो अभी-अभी कहा है उससे अपने आपको सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विजेन्द्र सिंह चौधरी का नाम भी उनके साथ एसोसिएट कर दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, देश में बड़ी संख्या में कन्या भ्रूण हत्याएं की जा रही हैं। गिरते हुए लिंगानुपात के भविष्य में विशेषकर महिलाओं की स्थिति के बारे में गंभीर परिणाम सामने आएंगे। इससे यौन हिंसा, दुर्व्यापार में वृद्धि होगी और महिलाओं की कमी होगी। यदि भारत में मानवता के प्रति इस अपराध को नहीं रोका गया तो भारत दूसरे देशों के सामने अपना सिर ऊंचा कैसे रख पाएगा?

इसलिए कन्या भ्रूण हत्या को बचाने के लिए गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 को पूरी तरह से और कड़ाई से लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की तत्काल आवश्यकता है। क्योंकि इस कानून को कड़ाई से लागू नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप बेईमान चिकित्सक अबाध रूप से लिंग निर्धारण परीक्षण कर रहे हैं जिससे कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। यदि तत्काल उपचारात्मक उपाय नहीं किये गये तो कन्या भ्रूण हत्या से अपूर्णनीय क्षति होगी।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नर्सिंग होमों का औचक निरीक्षण करने और कन्या भ्रूण हत्याओं में संलिप्त चिकित्सकों को कठोर दंड देने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करें।

उपाध्यक्ष महोदय: नि:संदेह यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। एक रिपोर्ट आई है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): उपाध्यक्ष महोदय, जमीयत उलेमाए के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्य सभा सदस्य मौलाना महमूद मदनी साहब को कल न्यायिक हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेजा गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उनका कसूर मात्र यह है कि अब से चार वर्ष पूर्व उन्होंने प्रधान मंत्री आवास पर भारत के मुसलमान भाइयों के लिए आरक्षण की मांग की थी। उसके विरोध में उनके ऊपर धारा 144 का खंडन करने के लिए गलत ढंग से मुकदमा कायम करके उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उनके ऊपर जो गलत ढंग से मुकदमे लगाए गए हैं, उनको वापस लेकर मौलाना महमूद मदनी साहब को तुरंत रिहा किया जाये। धन्यवाद।

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। देश के 80 प्रतिशत किसान गांवों में रहते हैं। राजस्थान तथा देश में जितनी भी कपास की फसल हो रही है, उसका मूल्य 1800 रुपये प्रति क्विंटल है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके साथी बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री निहाल चन्द: उपाध्यक्ष महोदय, 1990 में काटन का भाव ढाई हजार रुपये था। लेकिन 1990 से लेकर आज तक इसका भाव 1800 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक है। किसान की फसल आज सस्ते दामों में बेची जा रही है जबकि डीजल महंगा हो गया है। किसान की कोई भी फसल आज सस्ते भाव पर बेची जा रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि काटन के भाव में वृद्धि की जाये और किसान जो फसल 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच रहा है, वह 5000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके। इसके अलावा मैं अपने पूर्व सदस्यों के साथ अपनी बात को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि राजस्थान में खाद की किल्लत आ रही है। श्रीगंगानगर और कोटा में इसकी वजह से दंगे-फसाद, भूख हड़ताल और हड़तालें हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इसका निदान जल्द से जल्द करे और किसानों को डीएपी एवं अन्य खाद उपलब्ध करायी जाए।

अपराह्न 3.52 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को लेने से पहले सभा पटल पर रखे जाने वाला एक पत्र है। श्री पवन कुमार बंसल।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

[हिन्दी]

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 46/2006-के.उ.शु. जो 28 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 70,000 प्रतियां प्रति घंटे की न्यूनतम गति वाले हीट सेट वेब ऑफसेट रोटरी प्रिंटिंग मशीन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 16% से कम करके 8% करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5057ए/2006]

2. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 114/2006-सी.शु. जो 28 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 70,000 प्रतियां एक घंटे की न्यूनतम गति वाले हीट सेट वेब ऑफसेट रोटरी प्रिंटिंग मशीन पर मूल सीमा शुल्क 12.5% से कम करके 5% करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5057बी/2006]

अपराह्न 3.53 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते हैं।

श्री सज्जन कुमार – अनुपस्थित

श्री अवतार सिंह भडाना – अनुपस्थित

श्री के.सी. सिंह 'बाबा'

(एक) आमपोखरा तराई, उत्तराखंड में काशीपुर और रामनगर के बीच वनों की कटाई रोके जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह बाबा (नैनीताल): महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तराखंड के आमपोखरा तराई पश्चिम क्षेत्र में काशीपुर और

[श्री के.सी. सिंह बाबा]

रामनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-121 पर चौदहवें किलोमीटर पत्थर के पास लगभग 200 एकड़ प्राकृतिक वन की ओर दिलाना चाहता हूं। राज्य वन विभाग ने इस वन क्षेत्र में सभी वृक्षों को अवक्रमित क्षेत्र मानते हुए काट दिया। महोदय, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वन मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक सरकार परिस्थितिकी का परिरक्षण और सतत विकास करने के लिए वन संपदा को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इन परिस्थितियों में सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए कि वन विभागों द्वारा अवक्रमित वनों की आड़ में वन न काटे जाएं। वन के उक्त 200 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक वन का परिरक्षण करने के लिए स्थानीय वृक्षों को लगाने हेतु व्यवहार्यता का भी पता लगाया जाना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण से न केवल सैकड़ों प्रजातियों के पक्षियों और पशुओं के प्राकृतिक पर्यावास नष्ट होने से बचेंगे बल्कि टाइगर बोट्स की आड़ भी समाप्त हो जाएगी। किसी भी स्थिति में, वृक्षों को काटने का निर्णय लेने से पूर्व प्रोजेक्ट टाइगर तथा वन्य जीव विशेषज्ञों तथा वन विकास निगम से भी परामर्श किया जाना चाहिए।

(दो) देश के पूर्वी भागों में एन्सिफलाईटिस को फैलने से रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): मैं सरकार का ध्यान भारत के पूर्वी भाग विशेषकर गोरखपुर मंडल और बिहार से सटे क्षेत्रों में एन्सिफलाईटिस बीमारी फैलने की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

प्रेस ने सैंकड़ों लोगों की मौत के समाचार दिये हैं और ऐसे समाचार हैं कि इन क्षेत्रों में डॉक्टरों, नर्सों और दवाइयों के अभाव में व्यक्तियों और बच्चों की पर्याप्त चिकित्सा देखरेख नहीं हो रही है।

अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं अत्यंत खराब हैं और आम आदमी को उपचार हेतु अपनी जमीन और थोड़ी बहुत संपत्ति को बेचकर प्राइवेट क्लीनिक जाना पड़ता है। यह स्थिति गत छह महीनों से जारी है और प्रभावित लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल भेजकर इसकी जांच करायी जाए और प्रभावित लोगों को समुचित राहत उपलब्ध कराई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री एल. राजगोपाल—अनुपस्थित।

(तीन) गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 को शीघ्र मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): गुजरात राज्य विधानमंडल ने ''गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003'' नामक विधेयक पारित किया है और इसे दिनांक 1.4.2003 को गुजरात के महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 24.12.2003 के अपने पत्र के मार्फत 14 और 16 कतिपय खंडों के विलोपन की सिफारिश की है। दिनांक 2.6.2004 को राज्य विधान सभा ने संशोधित विधेयक पारित किया और दिनांक 19.6.2006 को इसे भारत के महामहिम राष्ट्रपति हेतु प्रेषित किया था। राज्य सरकार महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है। गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 पड़ोसी राज्य की महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित ऐसे ही विधेयक पर आधारित है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा कुछ संगठित अपराधी समूहों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के बाद, कुछ समूह गुजरात में चले गए थे। जब तक हमें महाराष्ट्र सरकार की तरह यथासंभव तरीके से अपराधियों से निपटने के लिए सांविधिक प्राधिकार नहीं मिलता है तब तक राज्य में सुरक्षा की स्थिति निरंतर खतरे में बनी रहेगी। सीमावर्ती राज्य होने के कारण गुजरात की संगठित अपराध की चिंता करने के कई कारण हैं। चूंकि संशोधित विधेयक मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप है इसलिए महोदय मेरा भारत सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस लंबित विधेयक को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति दिलाने हेतु कार्रवाई की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मनसुखभाई डी. वसावा—अनुपस्थित।

(चार) झांसी-जौनपुर और इलाहाबाद से होकर दिल्ली-हावड़ा के बीच चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों का मार्ग बदलने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र उ.प्र. के जनपद जालौन के उरई स्टेशन से दिल्ली जाने के लिए और उरई से इलाहाबाद जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं महालेखाकार के कार्यालय हैं, जिससे जिले की जनता को कार्यालय में कार्य हेतु जाना पड़ता है, पर सीधी ट्रेन न होने की वजह से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि दिल्ली से हावड़ा जाने वाली गाड़ियों में से दो-तीन गाड़ियां दिल्ली से झांसी, झांसी से कानपुर, इलाहाबाद होती हुई हावड़ा भेजी जाएं एवं वापिसी की जाए जिससे मेरे जनपद की जनता को लाभ मिल सके।

अपराह्न 4.00 बजे

(पांच) राजस्थान में "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं को मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आधारभूत सुविधाएं विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्र के घरों तक बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अप्रैल 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को आरम्भ करने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत सभी अविद्युतीकृत ग्रामों व ढाणियों का आगामी पांच वर्षों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरेलू जिनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार भी सम्मिलित हैं, को विद्युतीकरण सुविधा उपलब्ध कराना सम्मिलित है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को नि:शुल्क कनेक्शन जारी करना भी इसमें सम्मिलित है। इस योजना हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 90 प्रतिशत का अनुदान तथा दस प्रतिशत का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को अधिकृत किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 15 योजनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं, जिनसे 2,750 अविद्युतीकृत ग्रामों, 2,285 ढाणियों का विद्युतीकरण करना तथा 10,55,551 बीपीएल परिवारों और 2,17,557 सामान्य परिवारों को घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। जिनकी स्वीकृति हेतु बार-बार अनुरोध किया जाता रहा है। इनकी स्वीकृति अभी तक लंबित है।

इन 15 योजनाओं की स्वीकृति के अभाव में राजस्थान के 15 जिलों में घरेलू कनेक्शन मय बीपीएल कनेक्शन जारी नहीं किये जा सकते, जिससे विभिन्न जिलों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अत: राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राजस्थान की लम्बित योजनाओं की स्वीकृति शीघ्र जारी की जाए।

(छह) कोयला तथा अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दर में मूल्यानुसार आधार पर संशोधन किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): उड़ीसा खनिज सम्पदा सम्पन्न राज्य है किंतु इस राज्य में उपलब्ध प्रमुख खनिजों से अपेक्षित दर पर रॉयल्टी स्वरूप गैर-कर राजस्व नहीं मिल रहा है क्योंकि रॉयल्टी की दरें समय पर संशोधित नहीं की जा रही हैं। योजना आयोग तथा 12वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी। रॉयल्टी की दर मूल्य आधारित रूप में संशोधित की जानी चाहिए परन्तु भारत सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। यद्यपि, नियमों में यह निर्धारित है कि संशोधन 3 वर्षों की समाप्ति के बाद किये जाने चाहिए तथापि पिछले समय कोयले और अन्य खनिजों पर रॉयल्टी की दर में संशोधन 5 से 7 वर्षों से अधिक समय की समाप्ति पर किया जाएगा। कोयला और अन्य प्रमुख खजिनों पर रॉयल्टी की दर में संशोधन में विलंब के कारण 15000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की हानि हुई है। राज्य सरकार ने मूल्य आधारित रॉयल्टी का सुझाव दिया है। कोयले पर रायल्टी की दर 16.8.2002 से संशोधित की गई थी और अब 16.8.2005 से इसे संशोधित किया जाना है। 11वें वित्त आयोग ने भी सुझाव दिया है कि रॉयल्टी की दर में प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि पर संशोधित होनी चाहिए और इसे संशोधित न किये जाने की स्थिति में सहायता-अनुदान के माध्यम से पूर्ण क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।

मेरी माननीय प्रधानमंत्री से विनम्रतापूर्वक अपील है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और कोयला मंत्रालय को इस संबंध में अविलंब हस्तक्षेप करने का निर्देश दें।

(सात) केरल में ऋणग्रस्त किसानों को राहत प्रदान करने हेतु एस.एस. स्वामीनाथन समिति के कार्यकरण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): केरल राज्य सरकार ने भारत सरकार से केरल के पांच जिलों, वेयनाड़, पलक्कड़, कसरगोड, अलप्पुझा और इदुक्की को, जहां की अेक किसानों ने ऋण के जाल में फंसकर आत्महत्या कर ली थी, को विदर्भ मॉडल पैकेज में सम्मिलित करने का अनुरोध किया था। इसमें तीन जिलों को सम्मिलित कर लिया गया है किंतु अलप्पुझा और इदुक्की को सम्मिलित नहीं किया गया है। माननीय कृषि मंत्री ने स्थिति का जायजा लेने के लिए तत्स्थानिक अध्ययन हेतु केरल के दौरे के दौरान यह घोषणा की थी कि डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किसानों के संकट की स्थिति के गहन अध्ययन तथा

[डा. के.एस. मनोज]

किसानों को राहत देने के उपायों को खोजने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। तीन-चार महीने व्यतीत हो गए हैं किंतु इस समिति ने अपना कार्य अब तक आरंभ नहीं किया है। मेरा माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध है कि समिति के कार्यकलापों को तुरंत आरंभ किया जाए ताकि यथाशीघ्र किसानों को सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

(आठ) उत्तर प्रदेश को निर्धारित कोटा के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष जी, रबी की फसल के समय उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की कमी रही है, यूरिया डी.ए.पी. और फास्फोरस की कमी के चलते किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को उर्वरक एवं उन्नतशील बीज उपलब्ध हों लेकिन समस्या है कि 4.09 लाख मीट्रिक टन कोटे के विपरीत उत्तर प्रेदश को अभी तक केवल 2.09 मीट्रिक टन ही डी.ए.पी. मिल पाई है, इसी तरह केन्द्र सरकार द्वारा यूरिया का भी कोटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जितनी उर्वरकों की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में, उतना उत्पादन नहीं होता। इसलिए राज्य सरकार को यूरिया और डी.ए.पी. गुजरात से मंगानी पड़ती है। लेकिन केन्द्र सरकार इसकी दुलाई के लिए रेलवे का रैक तक उपलब्ध नहीं करा पाती है। यह अत्यधिक गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश के किसानों में उर्वरक न मिलने से अत्यधिक आक्रोश है। भारत सरकार और विशेष रूप से रेल मंत्रालय अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उर्वरकों की किल्लत उत्तर प्रदेश को है।

मेरा सदन से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश को केन्द्र से मिलने वाले उर्वरक कोटे के अनुरूप सप्लाई समय से सुनिश्चित करें और इस दिशा में केन्द्र सरकार को सार्थक पहल करनी चाहिए जिससे किसानों को होने वाली बर्बादी से बचाया जा सके।

(नौ) बिहार के मधुबनी जिले में बलिराज गढ़ को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष जी, बिहार राज्य में मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड में अवस्थित बलिराजगढ़ राज्य का एक ऐतिहासिक स्थल है। पौराणिक तौर पर ऐसी मान्यता है कि प्रहलाद के पौत्र एवं विरोचन के पुत्र महादानी राजा बलि का यह गढ़ रहा है। इसकी ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए वर्ष 1905 में सरकार द्वारा इसे अधिग्रहण कर लिया गया। वर्ष 1962-63 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तथा वर्ष 1972-73 और वर्ष 1974-75 में पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय बिहार सरकार द्वारा इस पर उत्खनन कार्य भी कराया गया। उत्खनन में उत्तरी-कृष्ण-मार्जित मृण्पात्रकाल (200 ई.पू.) से लेकर 10वीं-11वीं शताब्दी (पाल काल) के अनुक्रमों की प्राप्ति हुई। उत्खनन में दूसरी शताब्दी ई.पू. में शुंग काल के दौरान निर्मित रक्षात्मक दीवार के अलावा प्राचीन मंदिर के अवशेष, मानव तथा पशु टेराकोट्टा, आकृतियां, तांबे के सिक्के, साधारण मृदभाण्ड एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बिहार का सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। इससे छोटे ऐतिहासिक स्थल वैशाली और विक्रमशिला को भारत सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है, लेकिन बलिराजगढ़ जो पौराणिक कथाओं को चरितार्थ करता है का समुचित विकास नहीं हुआ है।

मैं चाहूंगा कि इस दुर्लभ पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्ता के धरोहर बलिराजगढ़ को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु भारत सरकार एक विभागीय उच्चस्तरीय टीम भेजकर शीघ्रातिशीघ्र इस राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा हेतु प्रोजैक्ट तैयार करने की दिशा में आवश्यक सकारात्मक कदम उठाये।

(दस) तमिलनाडु के वेल्लौर और तिरुवन्नामलाई जिले में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरुपत्तूर): तमिलनाडु में हम ब्रिटिश काल से ही, वर्तमान वेल्लौर और तिरुवन्नामलाई जिलों सहित कतिपय जिलों में स्थापित विद्यालयों के क्रियाकलाप देखते आए हैं। किन्तु इन जिलों में अपर्याप्त औद्योगिक वृद्धि और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली बढ़ती जनसंख्या की वजह से ऐसे विद्यालय पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। ऐसे समय में जब वेल्लौर में एक नये तिरूवल्लुवर विश्वविद्यालय की स्थपना हो गई है और वेल्लौर और तिरूवन्नामलाई में प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान हैं तो वहां अच्छी शिक्षा और सुस्थापित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की पर्याप्त संख्या नहीं है। इसलिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र और गृह जिले के अंतर्गत वेल्लौर और तिरूवन्नामलाई में और आसपास केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता है। भारत के विभिन्न हिस्सों के लोग वेल्लौर और तिरूवन्नामलाई जैसे ऐतिहासिक एवं तीर्थनगरों में रहते हैं। जनसंख्या मिश्रण और शैक्षिक आवश्यकताओं

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

को ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से वेल्लौर और तिरूवन्नामलाई में राज्य सरकार के सहयोग से नये केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना का अनुरोध करता हूं। केन्द्र वहां 2007-2008 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में केवीएस विद्यालयों की स्थापना के लिए कदम उठाए।

(ग्यारह) उड़ीसा राज्य में उत्पादित बिजली पर लेवी शुल्क लगाने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उड़ीसा में कोयले के प्रचुर भंडार हैं। उड़ीसा एक विद्युत आधिक्य राज्य है और यह अन्य राज्यों को विद्युत निर्यात करता है। चूंकि विद्युत शुल्क केवल खपत पर ही वसूला जा सकता है इसलिए आयात करने वाले राज्यों को लाभ होता है जबकि निर्यातक राज्य को खनन और खनिज संसाधनों आदि के दोहन के कारण पर्यावरण क्षति जैसे नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ते हैं। इससे उत्पादक राज्यों को बिना किसी मुआवजे के अपने प्राकृतिक संसाधनों का क्षय करके और भारी नकारात्मक प्रभावों को झेलते हुए अपने स्रोतों का हस्तांतरण करना पड़ता है। यदि उड़ीसा 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन और पारेषण करता है, तो आयातक राज्य को 100 करोड़ रुपये तक विद्युत शुल्क प्राप्त होगा जबकि जिस राज्य में विद्युत उत्पादन हुआ है उसे कुछ नहीं मिलता है।

इस स्थिति में राज्य द्वारा या तो उत्पादन पर शुल्क लगाकर अथवा यह अनिवार्य करके कि सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय उत्पादक कम्पनियों द्वारा उत्पादित विद्युत को शून्य को निशुल्क प्रदान कराने की अनुमति देकर बदलाव किया जाना चाहिए जैसाकि जल विद्युत उत्पादन के मामले में होता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य को विद्युत उत्पादन पर शुल्क लगाने अथवा राज्य को उत्पादित विद्युत का कुछ प्रतिशत निशुल्क उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): यह बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

(बारह) बिहार में हाल ही में खोले गए केन्द्रीय विद्यालय में कक्षाएं शुरू किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार प्रान्त अंतर्गत सिवान जिला का महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय है। महाराजगंज में अनुमंडलीय पुलिस मुख्यालय, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, अनेकों उच्च कोटि के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, थाना, प्रखंड मुख्यालय आदि पूर्व से हैं। महाराजगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में हजारों की संख्या में केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी निवास करते हैं। महाराजगंज एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है परन्तु महाराजगंज में एक भी अच्छा विद्यालय नहीं है। मजबूर होकर कर्मचारियों को शिक्षा अध्ययन हेतु अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है जिसके कारण कर्मचारियों को अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। महाराजगंज में वर्षों से एक अच्छे विद्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही है। महाराजगंज में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। केन्द्र सरकार के निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा महाराजगंज केन्द्रीय विद्यालय का प्रारूप एवं समाहर्ता सिवान द्वारा भवन एवं भूमि की उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बिहार प्रान्त अंतर्गत सिवान जिले के महाराजगंज में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ाई शीघ्र शुरू करायी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. एम. रामदास—अनुपस्थित

श्री हेमलाल मुर्मू—अनुपस्थित।

(तेरह) तमिलनाडु में बंद पड़े डाकघरों को फिर से खोलने तथा कोविलपट्टी टाऊन पोस्ट आफिस में दो बार डाक वितरण सेवाएं पुनः शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई (शिवकाशी): भारतीय डाक सेवा काफी प्राचीन है। यह सेवा गरीबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है किंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी नीतियों के कारण इस सेवा में परिवर्तन हो रहे हैं और डाकघर या तो बंद हो रहे हैं या उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसका एक उदाहरण है कि तमिलनाडु के कोविलपट्टी कस्बे में चालू डाकघर को अब बंद किया जा रहा है। इस प्रकार के कार्य पूरे तमिलनाडु में हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई डाकघरों में दो बार डाक वितरण सेवा को घटाकर एक बार किया जा रहा है। इस स्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि कोविलपट्टी कस्बे के डाकघर में दो बार डाक वितरण सेवा को बहाल किया जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री एल. राजगोपाल—जब आपका पूर्व में नाम बुलाया गया था तो आपको हाजिर होना चाहिए था।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको खेद महसूस करना चाहिए।

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, मैं खेद व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, आप बोल सकते हैं।

(चौदह) राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ी गिरफ्तारी को पारपत्र जारी नहीं किये जाने का आधार न बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एल. राजगोपाल: हमारे देश में कुछ नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने/निरस्त करने में भेदभाव किया जाता है। एक बार पासपोर्ट का आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् पासपोर्ट अधिकारी इसे सत्यापन के लिए क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन में भेज देता है किंतु पासपोर्ट अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित पड़ा हो तो उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता। यह ठीक नहीं है क्योंकि यदि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो कि किसी धरने/रास्ता रोको/जलूस/प्रदर्शन/भूख-हड़ताल में भाग लेता है तो उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हिरासत में ले लिया जाता है। यह एक आपराधिक मामला बन जाता है और इस प्रकार के लोगों को पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। आजकल अधिकांश विद्यार्थी इस तरह की गतिविधियों में सरकारी नीतियों के विरुद्ध अपना मत व्यक्त करने के लिए भाग ले रहे हैं। अत: जब पुलिस जांच के लिए आती है तो वह दंडनीय अपराध का उल्लेख कर देती है और पासपोर्ट मना कर दिया जाता है। पासपोर्ट जारी करने के पश्चात् यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाए जाते हैं तो प्राधिकारी पासपोर्ट को निरस्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करते और इस संबंध में पासपोर्ट अधिनियम भी मूक है। उपरोक्त प्रावधान अत्यंत पुराना है और केवल 19वीं शताब्दी में तर्कसंगत था। उन दिनों में, सभी भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेजों ने इस प्रावधान को भारतीयों को विदेश न जाने देने की अनुमति से शामिल किया था अन्यथा स्वतंत्रता संग्राम मजबूत हो जाता। इसलिए यह खंड प्रमुख रूप से अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को विदेश जाने से रोकने के लिए था। यह खंड सभी शिक्षित भारतीयों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग न लेने के लिए एक रोक थी। अत: आज की परिस्थिति में इसका कोई उपयोग नहीं है।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि पासपोर्ट जारी करते समय केवल गंभीर दंडनीय अपराधों जैसे चोरी, बलात्कार, डाका, आतंकवादी कृत्य, साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काना और भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, आदि को ही ध्यान में रखा जाए और अन्य सभी को पासपोर्ट जारी किया जाए।

अपराह्न 4.16 बजे

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 19—आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। इस विधेयक के लिए तीन घंटे का समय रखा गया है। हम एक घंटा छ: मिनट पहले ही ले चुके हैं तथा शेष एक घंटा 54 मिनट उपलब्ध हैं।

पिछली बार जब सदन स्थगित किया गया था, श्री महताब खड़े हुए थे। वह पहले ही तीन मिनट ले चुके हैं। अब मैं उन्हें अपना भाषण जारी रखने का अनुरोध करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय। मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात कर रहा था। मैं यह उल्लेख कर रहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2(क) के अंतर्गत पहले से उल्लेखित 11 वस्तुएं हटाई जा रही हैं परन्तु यह विधेयक सात श्रेणी की वस्तुओं को शामिल करता है।

इस असाधारण सूची में कच्चा पटसन और पटसन के कपड़े, सूती हैंक धागे, खाने की वस्तुएं, खाद्य तिलहन तथा तेल, उर्वरक, औषधियां, पेट्रोलियम उत्पाद, सब्जियों के बीज, फल, खाद्य एवं चारा फसलें और पटसन शामिल हैं। मुझे समझ नहीं आता कि पटसन के सामान सूती धागों तथा खाद्य तेलों के इस नई अनुसूची में शामिल क्यों किया गया है और इन्हें आवश्यक क्यों बना दिया गया है तथा इनके उत्पादन, भंडारण, ढुलाई तथा व्यापार के नियंत्रण और विनियमन करने की आवश्यकता क्या है। इस सूची में फलों और सब्जियों को शामिल करने का मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। उससे भी बुरा यह है कि इस अनुसूची में और वस्तुएं शामिल करने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है। यह अधिकार केवल केन्द्र सरकार के पास रहता है। यह आशा की किरण हो सकती है। सरकार को इस स्तर पर नई अनुसूची में सूचीबद्ध की गई वस्तुओं को रखने तथा इस कानून में एक अनुसूची जोड़ने के कारण बताने चाहिए।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के सम्पूरण हेतु एक इसी तरह का विधान चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 है तथा यह विधान पुस्तक में अब भी विद्यमान है। साथ ही कई नियंत्रण आदेश जैसे ड्रग प्राइस (कंट्रोल) आर्डर तथा खद्यान्न एवं चीनी पैकेजिंग हेतु जूट से बने थैलों का अनिवार्य प्रयोग संबंधी आदेश अभी भी लागू हैं।

अपराह्न 4.19 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन* हुए]

हम जानते हैं कि पहली बार 1955 में पारित किये जाने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम में कई संशोधन हुए हैं। अधिकांश आरंभिक परिवर्तनों का उद्देश्य इस कानून के प्रावधानों को और सख्त तथा व्यापार प्रतिकूल बनाना था।

आर्थिक उदारीकरण आरम्भ होने के बहुत पहले आवश्यक वस्तुओं की सूची को कम करने का कार्य शुरू किया गया था। साथ ही कुछ कठोर प्रावधानों, विशेषत: प्रवर्तक एजेंसियों को प्रदत्त शक्तियों को उदार बनाया गया था।

धीरे-धीरे बहुत सारे अनावश्यक नियंत्रण और लाइसेंस की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया जिससे यह आशाएं जागी की एक दिन इस कानून को भी समाप्त कर दिया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधनों से आशाएं मटियामेट हो गई हैं। निश्चित तौर पर आयात-निर्यात प्रणाली के उदारीकरण तथा घरेलू एवं वैश्विक बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए ईसीए जैसे उपाय सही नहीं हैं तथा प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

मेरा सुझाव है कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर इसके दायरे को कम किया जाए। एक बेहतर विकल्प ईसीए तथा इसके संपूरक विधायी नियंत्रण आदेशों को एक साथ समाप्त करना होगा।

जैसाकि इस सभा को ज्ञात है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जिससे सरकार को विभिन्न नियंत्रण लगाने की शक्ति प्राप्त थी, लाइसेंस परमिट राज की देन है। सैद्धांतिक रूप से ऐसे नियंत्रणों से सरकार कीमतों पर नियंत्रण रखती है तथा सीमित संसाधनों का समान वितरण कर पाती है। वास्तव में यह केवल कमियों को पूरा करने तथा वृद्धि एवं विकास में बाधा उत्पन्न करने के लिए है।

औद्योगिक लाइसेंसिंग के हमारे अनुभव से यह पता चलता है कि नब्बे के दशक के आरम्भिक वर्षों में एक बार नियंत्रणों में जब छूट दी गयी तो न केवल सीमेंट, टेलीफोन और स्कूटरों में कमी गायब हो गयी वरन् प्रतियोगिता से उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ। इससे दाम कम हुए और गुणवत्ता बढ़ी।

महोदय माननीय मंत्री कृषि मंत्री भी हैं। वर्ष 2002 में कृषि संबंधी वस्तुओं पर नियंत्रणों में छूट दी गई। इन नियंत्रणों से कृषि से लाभ में कमी आई, कृषि क्षेत्र में निवेश भी कम हुआ। परंतु आज स्थिति पूरी तरह भिन्न है।

देश पचास के दशक में खाद्यान्न की कमी की स्थिति से काफी आगे बढ़ आया है। अधिकांश वस्तुओं का पर्याप्त स्थानीय उत्पादन होता है और यदि नहीं होता तो आयात के माध्यम से कमी पूरी करने के लिए देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा है।

मेरे विचार से बाजार को सुचारू रूप से काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकारी खरीद में सुधार करने तथा प्रबोधित राज्यों द्वारा शेष नियंत्रणों में ढील देने की तथा एपीएफसी अधिनियम को अपनाये जाने की आवश्यकता है।

वास्तविक बाजार के और सुधरने की आवश्यकता है। कृपया कृषि उपज को अधिशेषता की जगह से तुरंत कमी वाली जगह पहुंचाने की अनुमति दें। व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

जब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने की शुरुआत हुई थी तो यह आशा जगी थी कि इससे मूल कानून में अवरोधात्मक प्रावधानों में और उदारीकरण आएगा। परन्तु अन्य सभा, उपरि सभा, अर्थात राज्य सभा से यथापारित सरकार के इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ और है। इससे सरकार के लिए किसी वस्तु को एक अधिसूचना के माध्यम से आवश्यक वस्तु घोषित करना आसान हो गया है। इस अधिसूचना की छ: माह की वैधता कोई राहत नहीं है क्योंकि इस अवधि को बढ़ाने की भी अनुमति है।

आज के संदर्भ में आवश्यक वस्तु अधिनियम को पूर्णत: अवनतिशील माना जाना चाहिए। बाजार के बलों के सुचारू संचालन हेतु सभी अनावश्यक तथा अतिशय नियंत्रणों को हटाये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, भूतपूर्व राजग सरकार ने कई श्रेणियां हटा दी थी। राजग सरकार इस कानून के प्रभाव को और कम करने की बात कर रही थी पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बढ़ते दामों की बुराई से निपटने के लिए अधिक अधिकार हेतु आई मांग से, इसे रोक दिया गया।

[श्री भर्तृहरि महताब]

मुझे यह नहीं समझ आया कि विधान पुस्तक में विद्यमान सख्त कानून चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 इन समझदार मुख्य मंत्रियों की नजर से कैसे बच गया। यह कानून राज्य सरकारों को अनैतिक व्यापार रीतियों के आरोप पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है।

इन कानूनी उपायों से दमन के साथ, उत्पीड़न और लूट खसोट की संभावना रहती है।

निश्चित रूप से अनुचित व्यापार रीतियों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता परन्तु व्यापार के प्रतिकूल विधायी उपायों को भी स्वीकारा नहीं जा सकता। अत: इस अप्रासंगिक कानून पर पुनर्विचार किया जाए और इसे अधिक उपयोगी बनाया जाए।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): सभापति जी, माननीय कृषि मंत्री जी जो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 2006 लोक सभा में लाए हैं, इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह एक अच्छा विधेयक है। इससे सारे देश में जो किसानों का उत्पादन है, उसको ले जाने में और अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको ले जाने में जो दिक्कतें आती थीं, जो रोक थीं, राज्य सरकार में आपस में जो एतराज होता था, उससे छूट मिलेगी तथा इसके माध्यम से सरकार द्वारा बनाई गई जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें उपभोक्ताओं तक उन चीजों को पहुंचाने में काफी सहूलियतें मिलेंगी। उससे कई चीजें होंगी। एक तो कृषि उत्पादन वस्तुएं तथा आवश्यक वस्तुओं में बहुत सी जरूरत की चीजें जो आम नागरिक को पहुंचानी होती हैं, जिनकी जरूरत होती है, वह उसे उपलब्ध हो सकेंगी, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट्स एंड रीजन्स में कहा गया है:

[अनुवाद]

> "आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण के नियंत्रण का प्रावधान करता है। उक्त अधिनियम की धारा 3 केन्द्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण के नियंत्रण का अधिकार देती है। उक्त अधिनियम की धारा 5 के खंड (ख) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के एक अधिकारी अथवा प्राधिकारी को आदेश अथवा अधिसूचना जारी करने का भी अधिकार है। इसके फलस्वरूप उक्त अधिनियम के अंतर्गत कई नियंत्रण आदेश जारी किये गये हैं।"

[हिन्दी]

इसके माध्यम से इसमें काफी सहूलियत होगी। जो मैंने अभी पहले कहा है और साथ-साथ उसमें केन्द्रीय सरकार का कंट्रोल भी रहेगा जिसकी हमेशा बहुत आवश्यकता रहती है। इसके विषय में मैं अभी और कहूंगा। इसमें 21 मई, 2001 में जो आपने लिखा है:

[अनुवाद]

> "उक्त कांफ्रेंस ने सिफारिश की कि केन्द्रीय कृषि मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल एवं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों वाली एक स्थायी समिति का गठन किया जाए।"

[हिन्दी]

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो और स्टेट्स छोड़ दिये गये हैं, उन्हें शामिल किया जाये। मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं। इस लिस्ट में राजस्थान नहीं है, हमारे एडजायनिंग बार्डर्स हैं जो राजस्थान से लगते हैं, वे नहीं हैं। हमारे एक तरफ हरियाणा है। इसलिए मेरी पुरजोर विनती है कि इस में सभी स्टेट्स लिये जायें। उससे फायदा यह होगा कि आवश्यक वस्तुएं और कृषि उत्पादन लाने-ले जाने में काफी सुविधा मिलेगी।

सभापति जी, यहां बार-बार इस बात की डिसकशन हुई है कि महंगाई बराबर बढ़ रही है। इस बार जो फॉरवर्डिंग ट्रेडिंग कृषि उत्पादों की हुई है, उससे महंगाई काफी बढ़ गई है। माननीय कृषि मंत्री जी को इस संबंध में विचार करना चाहिए। मैं यह भी कहूंगा कि जब तक सरकार के स्टाक पूरे न हो जायें, तब तक फॉरवर्डिंग ट्रेडिंग की परमिशन नहीं देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने शुरू के वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया है। आज आम नागरिक को बहुत दिक्कतें हुई हैं, जब चावल, गेहूं, दालों के रेट बढ़े हैं। उससे आम आदमी को बहुत परेशानी हुई है। पहले यह कहा जाता था कि गरीब आदमी को जीने के लिए दाल-रोटी का सहारा है लेकिन आज दाल और गेहूं के दाम इतने बढ़ गये हैं कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अभी बीच में मुर्गे के दाम कम थे जब कि गेहूं की कीमतें काफी बढ़ गई थी। इसलिए गवर्नमेंट का स्टाक पूरे होने तक फॉरवर्डिंग ट्रेडिंग की परमीशन न दी जाये। फिर आम आदमी के लिए पी.डी.एस. खराब नहीं है।

291

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी की लिस्ट में दवाइयों का नाम पहले आता है। चाहे देहात का आदमी हो या शहर का आदमी हो, सब को दवाइयों की जरूरत होती है। इसके साथ हमें दवाइयों की क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज से कुछ साल पहले जब मैं इस सदन का सदस्य था और माननीय मंत्री जी भी इस सदन में थे, उन्हें याद होगा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ग्लूकोज की सप्लाई खराब होने के कारण कई मरीज जान से हाथ धो बैठे थे। इसलिए हमें क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देना होगा।

सभापति जी, देश में हर जगह पर हर चीज में मिलावट की शिकायत मिलती है, चाहे चावल हो, चीनी हो, चाहे मसाले हों या घी हो, तेल हो। इस मिलावट के कारण हमारे यहां तरह-तरह के रोग पैदा हो रहे हैं। किडनी, लीवर, ब्रेन हैमरेज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज लोगों में बढ़ रहे हैं जिनकी खबर रोज अखबारों में आती रहती है। चीजों में मिलावट के कारण रोग निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कई बार सदन में इस बात को उठाया है। हमारे यहां दूध की जितनी जरूरत रहती है लेकिन उसमें भी मिलावट की जाती है। आज दूध में यूरिया की शिकायत आम रहती है। मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं और कई माननीय सदस्य भली प्रकार से परिचित हैं कि मिल्क यूरिया ऐसी चीज है जो छोटे बच्चों को रोगी बना देती है। जो गरीब लोग हैं, वे बंद डिब्बे का दूध नहीं खरीद सकते तो खुले बाजार से दूध लेते हैं और उन बच्चों को मिल्क यूरिया पिलाया जाता है। आज यूरिया मिल्क बाजार में बिक रहा है यह हम सब जानते हैं। वह एक स्लो पाइजन समाज में फैला रहा है। बच्चे इस देश का भविष्य हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस ओर भी एसैन्शियल कमोडिटीज एक्ट के तहत ध्यान दें कि मिलावट को हम रोक सकें।

महोदय, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और इस देश में 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। आज रासायनिक खाद का प्रयोग कृषि में बहुत ज्यादा होता है। मैं मथुरा से आता हूं। उत्तर प्रदेश से माननीय सदस्य रामजीलाल सुमन ने इस पर चिन्ता व्यक्त की कि पूरा उत्तर प्रदेश इस खाद की कमी से गुजर रहा है। मथुरा में पिछले एक माह से निरंतर जगह-जगह पर किसान सड़कों पर आ रहे हैं। अभी कांग्रेस ने जेल भरो आंदोलन इन्हीं मांगों पर किया जिसमें उसने सरकार से कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में विफल रही है। वहां पर बिजली की कमी है, पानी की कमी है और बुवाई का महीना है। उत्तर प्रदेश में किसान हाहाकार कर रहे हैं। सड़कें जाम कर रहे हैं, जिला प्रशासन का घेराव कर रहे हैं मगर किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर प्रांतीय सरकार उसमें कोई ध्यान नहीं दे पाई है, अगर प्रांतीय सरकार इसमें विफल रही है तो आपने यहां पर लिखा है-

[अनुवाद]

दिनांक 25.10.1972 की अधिसूचना के माध्यम से खाद्यान्नों की जमाखोरी रोकने या इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 3 के अंतर्गत आदेश जारी करने की शक्ति भी राज्य सरकारों द्वारा प्रयोज्य बना दी गई थी, जो कि केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के अध्यधीन है।

[हिन्दी]

हमको चाहिए था कि केन्द्र सरकार से बात करके आपके माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता। इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि जो महंगाई बढ़ी है, आज सारा सदन और देश महंगाई से त्रस्त है। गरीब लोग परेशान हैं। दाल, चावल, चीनी, सब्जियां, फल सबके दाम बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि इनकी कमी हो लेकिन ऐसा लगता है कि जो लोग इस व्यापार में हैं, वे कृत्रिम कमी कर रहे हैं। जमाखोरों के खिलाफ आपने राज्य सरकारों को अधिकार तो दिया है मगर साथ-साथ वह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पर उनके खिलाफ रेड की जाए। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सारे राष्ट्र में महंगाई बढ़ रही है और दालों की कमी है, दालों के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, खाने की चीजों और फलों के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। मार्केट पर कोई कंट्रोल नहीं है। हर चीज का दाम दूसरे दिन बढ़ा हुआ मिलता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस एसैन्शियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत आप केन्द्र सरकार की पूरी दखलंदाजी रखें। प्रांत की सरकार अपना उत्तरदायित्व निभाने में विफल रहती हैं तो केन्द्र सरकार को चाहिए कि वहां पर रेड करके उन व्यापारियों को और स्टाकिस्टों को, जिन्होंने गलत तरीके से इन उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर किया है, बाजार में न आने देकर उनकी कमी पैदा करके शार्टेज करते हैं, उनके दाम बढ़ाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए विधेयक में कड़े प्रावधान किये जाने चाहिए जिससे जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

अंत में, मैं एक बात और कहूंगा कि जो हमारी वितरण प्रणाली है, विशेषकर गांवों और शहरों में कई गरीब लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं।

सभापति महोदय, हम गरीब लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अन्न देते हैं। उसमें बहुत ज्यादा धांधली होती है। आए दिन सांसदों एवं विधायकों के समक्ष यह समस्या

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

आती है कि गरीब लोगों को राशन कार्ड नहीं मिले हैं। उनके वितरण में कहीं न कहीं कमी है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जिलास्तर पर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सांसद और विधायक सदस्य हों और उसके द्वारा इसकी मानीटरिंग होनी चाहिए। राशन कार्डों के वितरण की व्यवस्था की मानीटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए गरीब लोगों तक राशन कार्ड नहीं पहुंच पाते हैं। जो खाद्यान्न उन लोगों को भेजा जाता है उसका दुरुपयोग होता है। मैं यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इन बातों का ध्यान रखते हुए इस विधेयक में कुछ संशोधन अवश्य करें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति जी, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006 पर मैं अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी कांग्रेस के जो माननीय सांसद बोल रहे थे, मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा इसलिए कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया और कहा है कि देश में महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस ने नारा लगाया था "कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ" लेकिन वह नारा बदलकर "कांग्रेस का हाथ महंगाई के साथ और कांग्रेस का हाथ अमीरों के साथ" हो गया है। सारे देश में कीमतें बढ़ रही हैं। अभी माननीय सदस्य ने वर्ष 2002 की चर्चा की। मैं एन.डी.ए. की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसके शासनकाल में लोग राशन कार्डों को भूल गए थे। आपने सही कहा कि एन.डी.ए. सरकार के समय केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा आठ-दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलाकर एक स्थायी समिति बनाई गई थी और उस स्थायी समिति ने अनुशंसा की कि पूरे देश में खाद्यान्नों का आवागमन निर्बाध होना चाहिए। कोई लाइसेंस, कोई कोटा और कोई परमिट लागू नहीं होगा। इससे किसानों को लाभ होगा और सारे देश में सभी वस्तुएं प्रचुरता से उपलब्ध हो सकेंगी जिसके कारण किसी क्षेत्र विशेष में किसी जिंस की कमी के कारण महंगाई नहीं बढ़ सकेगी। उस समय कई प्रदेशों में आपकी सरकारें थीं। आप लोग भी उस स्थायी समिति में शामिल थे। उस समय आपने आपत्ति क्यों नहीं की? आपको अब ऐसा करने से किसने रोका है, आप क्यों वैसी व्यवस्था लागू नहीं करते?

महोदय, अभी कुछ समय पहले उस तरफ से एक वक्ता ने कहा कि एन.डी.ए. की सरकार ने दांत कमजोर कर दिए जिसके कारण हमारी सरकार कालाबाजारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसी व्यवस्था एन.डी.ए. सरकार के समय की गई थी, वैसी व्यवस्था करने से आपको कौन रोकता है? आपको दो साल हो गए हैं, आप क्यों महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? पवार साहब, मैं क्षमा चाहूंगा, आप बहुत योग्य, कुशल, क्षमतावान मंत्री हैं, आप जानते हैं कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग राशन कार्डों को भूल गए थे। एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल के ढेर लगे थे। जो चाहे आए और गैस या मिट्टी का तेल, जिसको जितनी मात्रा में चाहिए, ले जाए, लेकिन आज गैस नहीं मिल रही है और मिट्टी का तेल की कालाबाजारी हो रही है। आपका महंगाई के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। जब से आपकी सरकार आई है, तब से आपने महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कोई उपाय नहीं किया है। इसीलिए लोग नारा लगाने के लिए विवश हैं कि—"कांग्रेस का देखो खेल, खा गई शक्कर, पी गई तेल।"

महोदय, मंहगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? चूंकि यू.पी.ए. सरकार का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है इसलिए महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाने का दोष कांग्रेस पार्टी के ऊपर जाता है। माननीय सोनिया जी, यू.पी.ए. गवर्नमैंट की चेयरपर्सन हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया, लेकिन वह उन्होंने अपने घर 10 जनपथ पर बुलाया। यदि वह सम्मेलन शरद पवार जी के कार्यालय में बुलाया जाता, अगर प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में बुलाया जाता, तो ठीक था, लेकिन यू.पी.ए. की चेयरपर्सन ने अपने निवास 10 जनपथ पर बुलाया। वहां कई कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने कहा कि देश में बड़ी महंगाई बढ़ रही है और विचार किया गया कि महंगाई पर नियंत्रण किया जाए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए यह संशोधन विधेयक लाया गया है और इस संशोधन को पारित कराने की कोशिश की जा रही है। यह संशोधन लेकर के आए हैं। यह संशोधन क्या है? 'हाथ कंगन को आरसी क्या' तथा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रथम औषधि है। जीवनोपयोगी जीवन रक्षक दवाएं सहज उपलब्ध हो सकें।

दूसरा यह है कि उर्वरक को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में सम्मिलित किया गया है, वे चाहे कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित उर्वरक हैं। उर्वरकों के अभाव के बारे में हमारी पार्टी के सांसद महोदय और उत्तर प्रदेश के सांसद महोदय भी अभी कह रहे थे। हारे राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल भी माननीय कृषि मंत्री जी से मिला था, क्योंकि देश में उर्वरकों का अभाव है। कई राज्यों में अच्छी वर्षा के कारण बुआई हो रही है, लेकिन उर्वरकों की कमी हो गई है। इसलिए हमें बाहर से आयात करना पड़ रहा है। गेहूं के साथ-साथ उर्वरकों का भी आयात करने के कारण गेहूं के जहाज तो बंदरगाहों पर आ गए हैं, लेकिन उर्वरकों के जहाज समुद्र में ही खड़े हैं। पहले गेहूं से भरे हुए जहाज खाली होंगे और गेहूं को कन्टेनरों में भरकर देश के विभिन्न भागों में भेजा जाएगा, उसके पश्चात उर्वरकों के जहाजों को अनलोड किया जाएगा। इस तरह से सब तरफ अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

महोदय, यहां पर कहा जा रहा है कि किसानों को फायदा हो रहा है। लेकिन आस्ट्रेलिया से 1100 रुपये प्रति क्विंटल पर घटिया गेहूं का आयात किया जा रहा है। यह गेहूं खाने के लायक नहीं है। अभी संसद में भी इस बारे में आवाज उठी थी। अभी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में गया था, तो वहां के सहकारी दुकानदारों ने मुझे बताया कि आस्ट्रेलिया से मंगवाए गए गेहूं का रंग खराब है और इसके दाने कमजोर हैं। इसकी रोटी अच्छी नहीं लगती है। जबकि सरकार भारतीय किसानों से 700-800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इससे किसानों को क्या लाभ हो रहा है? इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली अस्त-व्यस्त हो गई है।

महोदय, एनडीए सरकार के समय खाद्य पदार्थों के भाव ठीक थे और महंगाई नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप खुले बाजार में गेहूं सस्ते दाम में उपलब्ध था। इस कारण लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भूलने लगे थे। एपीएल के लोगों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों को खरीदना बंद कर दिया था, यहां तक कि बीपीएल वाले भी नहीं खरीदते थे। लेकिन जब गेहूं और चावल महंगे हुए तो उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर जाना पड़ा।

महोदय, अभी श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। इसमें गेहूं की खरीद करने का तय हुआ था कि सरकारी खरीद की जाए और गोदामों को भरा जाए। लेकिन तब भी यह सरकार असफल हुई है।

महोदय, विदेशी कम्पनियों ने और देश की प्राइवेट कम्पनियों ने हरियाणा और पंजाब से सारा गेहूं खरीद लिया, उसके बाद सरकार जागी और खरीदने के लिए गई तो उनके खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जिसके परिणामस्वरूप उनके गोदाम खाली रह गए। अब राज्य गेहूं की मांग कर रहे हैं, लेकिन गेहूं और चावल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गोदामों में उन्हें देने के लिए गेहूं नहीं है। इसलिए इन्होंने गेहूं के स्टाक में कटौती कर दी है और पांच किलो की बजाय तीन किलो और छः किलो की बजाय चार किलो ही दे रहे हैं। इन सब के अलावा इन्होंने खाद्यान्नों के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण एपीएल वाले खुश नहीं हैं और बीपीएल वालों का तो इसके कारण भगवान ही मालिक है। बीपीएल कैटेगरी वालों को राशन की दुकानों पर खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस पूरी अव्यवस्था के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? गेहूं को महंगे दामों पर आयात किया गया, लेकिन फिर भी महंगाई काबू में नहीं आई, न ही किसानों को राहत मिली है और न लोगों को खाने के लिए खाद्यान्न मिल रहा है। लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें सरकार कम नहीं कर रही है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हो गए हैं।

महोदय, जब सरकार ने कानून बनाया है और उस कानून के तहत उसे कार्यवाही करने का अधिकार है तो उसे कार्यवाही करने से किसने रोका है। सरकार ने जो कार्यवाही के आंकड़े दिए हैं, जिसके अनुसार जो छापे मारे गए हैं, उसमें कई लोगों को पकड़ा गया है और उनमें से कई लोगों को सजा भी हुई है। लेकिन जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं मैकेनिज्म में दोष है, जिसे चुस्त-दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हम भी चाहते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली चुस्त हो, दुरुस्त हो, सक्षम हो और सुदृढ़ हो ताकि बीपीएल कैटेगरी के लोगों को या जिन्हें भी आवश्यकता हो, खाद्यान्न सरलता से उपलब्ध हो सकें। यहां सरसों के तेल को तो सरकार कोई महत्व नहीं दे रही। श्रीलंका से और मलेशिया से और पता नहीं कौन से दूसरे देशों से उसे मंगवा लिया और परिणामस्वरूप हमारे यहां का घानी उद्योग बन्द हो गया, हमारे यहां के सरसों के भंडार धरे के धरे रह गये। घानियां चली नहीं, ऑयल मिल्स चले नहीं, तेल बना नहीं और परिणामस्वरूप वह भी महंगा हो गया। दालों का भी यही हाल है कि उन्हें आयात करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार इस बात को गम्भीरता से ले। हमारे साथी आज नजर नहीं आ रहे हैं, उनके जो वामपंथी दल हैं, वे महंगाई के विरुद्ध आन्दोलन चला रहे हैं। वे एक तरफ तो सरकार के साथ हैं, हाथ से हाथ मिला रहे हैं, अन्दर कुछ और बाहर कुछ, एक प्रकार का आचरण, एक प्रकार का दिखावा कर रहे हैं, ताकि वे जनता की निगाहों में ही रहें कि वे महंगाई के विरुद्ध हैं। महंगाई बढ़ाने के लिए सरकार जिम्मेदार है, वह महंगाई पर इनकी नीतियों के कारण नियंत्रण नहीं पा रही है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो बनाया है, इसमें जो संशोधन किया है, इसको सख्ती से लागू किये जाने की आवश्यकता है। सरकार को अधिकार मिल गया कि किन चीजों को शामिल करें, किन चीजों को शामिल नहीं करे। पहले एक लिस्ट थी, उसको निकाल दिया, उसमें 8-10 चीजें थीं। अब नई लिस्ट बना दी, आज वे उसमें शामिल हैं। केन्द्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी, कलैक्ट्रेट

[प्रो. रासा सिंह रावत]

को भी, एनफोर्समेंट आफिसर्स और सप्लाई आफिसर्स को, सब को अधिकार है तो सरकार इस सारी व्यवस्था को और जो सारा मैकेनिज्म है, उसको ऐसा चुस्त-दुरुस्त करे कि समय पर जहां जितनी आवश्यकता हो, उसके अनुसार वे सारी चीजें पहुंच सकें।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार की न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है, बुरा वही है, जिसकी नीयत बुरी है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो काम करने वाली सरकार है, इसकी नीति भी खराब है और इसकी नीयत में भी खोट है। इसलिए पिछली सरकार को ये दोष दे रहे हैं कि उसने यह किया, यह किया। वे तो चले गये, अब तो दो ढाई साल आपको हो गये, ढाई साल में आपके कार्यों का क्या परिणाम रहा, आपने आखिर क्या कदम उठाये? हिन्दुस्तान की 26 करोड़ आम जनता जो गरीबी की रेखा के नीचे त्राहि-त्राहि कर रही है, गरीबी की रेखा के नीचे के लोग कह रहे हैं कि इस महंगाई को कम करो, भाव-ताव को कंट्रोल में करो और कम से कम खाने का तेल, रोटी, कपड़ा, तेल, दालें, गेहूं, चावल और मिट्टी का तेल, जो गरीब के काम आने वाली चीजें हैं, वे उन सबको प्राप्त हों, अन्यथा यह महंगाई हमें ले डूबेगी।

इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कोट करना चाहूंगा, एक मिनट की आपसे आज्ञा चाहूंगा। निःसंदेह महंगाई के लिए केन्द्र सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। केन्द्र सरकार का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, इसलिए वह इस सब जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और सरकार को समर्थन देने की वजह से वामपंथियों का प्रस्तावित आन्दोलन भी पाखंड नजर आता है। पूर्ववर्ती राजग सरकार के कार्यकाल में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संसोधन जरूर हुआ, लेकिन कांग्रेस को अब चार वर्ष बाद इसकी याद कैसे आई। संशोधन के समय इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया और यू.पी.ए. की सरकार को बने दो वर्ष से अधिक समय हो गया। यदि वह संशोधन गलत था तो केन्द्रीय सरकार ने उसे रद्द करने के लिए संशोधन क्यों नहीं किया। वायदा बाजार का नियमन किया जाना चाहिए, सट्टा बाजार का नियमन किया जाना चाहिए, उसके लिए कौन खिलाफत करता है, लेकिन लोगों को खाने की सब चीजें मिलें, इसलिए आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम जो आप लाये हैं, वह तो पारित होगा ही, लेकिन हम चाहते हैं कि शरद पवार जी जैसे योग्य और कुशल व्यक्ति के होते हुए देश में जो यह हाहाकार मचा हुआ है, वह हाहाकार बन्द हो और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ हो।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा. अलकेश दास (नवद्वीप): सभापति महोदय, यह विधेयक, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की मांग की गई है। स्थायी समिति को सौंपा गया था और अब यह स्थायी समिति को कुछ सुझावों के साथ दोबारा इस सभा में प्रस्तुत किया गया है। इसे पहले राज्य सभा को भेजा गया था और अब यह इस सभा में प्रस्तुत किया गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम वर्ष 1955 में बनाया गया था। गत 51 वर्षों में ''आवश्यक वस्तु'' शब्द एक सामान्य शब्द बनकर रह गया है। इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। यह आवश्यक क्यों है? यह किस प्रकार आवश्यक बनती है? इसकी कोई परिभाषा नहीं है। मैं समझता हूं कि ''आवश्यक वस्तु'' की कोई परिभाषा दी जानी चाहिए।

दूसरे जब इसे स्थायी समिति को सौंपा गया था, तो मैं यह समझ रहा था कि सरकार यह सोच रही है कि हमारी खाद्य सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में आ गई है और इसीलिए यह संशोधन बहुत आवश्यक है। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो यह दर्शाएंगे कि हमारी खाद्य सुरक्षा नियंत्रण में है अथवा नहीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह सच है कि लोगों को 30 वर्ष पहले की तुलना में कम भोजन मिल रहा है।

वर्ष 1972-73 में, लोग औसतन 2,266 कैलोरी ले रहे थे। वर्ष 1999-2000 में यह घटकर 2,149 कैलोरी रह गई है। जब हमारे पास मानदंड हैं और जब लोग 2400 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें ''गरीबी रेखा से नीचे'' के लोगों में परिभाषित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो, भारत में 70 प्रतिशत लोग बीपीएल स्तर से नीचे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की हाल ही एक ही रिपोर्ट के अनुसार, यह उजागर हुआ है कि विश्व में भारत उन 30 प्रतिशत लोगों को छोड़ देता है, जो लगातार भुखमरी के शिकार हैं। हमारी महिलाओं को भोजन नहीं मिल रहा है और इसीलिए उनमें खून की कमी हो गई है। सत्तर प्रतिशत महिलाओं की ऐसी स्थिति है। बच्चों के साथ भी यही स्थिति है। हमारे देश में सैंतालिस प्रतिशत बच्चे अल्पपोषण का शिकार हैं और कुपोषण से पीड़ित हैं। हमारे लगभग 48.5 प्रतिशत भारतीय नागरिकों का वजन औसत वजन से कम है। मैं इस स्थिति का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं ताकि हम इस परिप्रेक्ष्य में इस विधेयक की जांच कर सकें।

हम जानते हैं कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कालाबाजारियों को तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि कितने काला बाजारियों को फांसी पर लटकाया गया। लेकिन मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात्, महंगाई की पूरी संभावना है। कीमतों में वृद्धि और कालाबाजारियों को बढ़ावा दिये जाने की

पूरी संभावना है। इसे पहले 1955 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य आम जनता के हित के लिए कुछ वस्तुओं का नियंत्रण, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और व्यापार करना था। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये हितों से दूर क्यों होते जा रहे हैं। यह आश्चर्यजनक स्थिति है कि वर्ष 1989 में आवश्यक वस्तुओं की संख्या 70 थी, वर्ष 2006 में यह संख्या कम होकर 15 रह गई है। विधेयक की व्याख्यात्मक टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि कृषि उत्पाद के मुक्त संचालन की खतिर ही यह संरक्षण विधान लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह विधान कालाबाजारियों की भरमार से आम जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकता।

वर्ष 2002-03 में, एनडीए सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की सूची में से 11 आवश्यक वस्तुओं को हटाने के लिए एक सत्र तैयार किया। मुझसे पहले वक्ता की ओर से कुछ टिप्पणियां की गई हैं कि हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ और ही रहे हैं। अन्दर कुछ और बाहर कुछ। हम "अन्दर कुछ और बाहर कुछ" नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ आंकड़ें उद्धृत कर रहा हूं, जो कि एनडीए सरकार के दौरान मौजूद थे। उस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की दुकानों में खाद्यान्नों की कीमतों में 80 बार बढ़ोत्तरी की गई, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2000 में लोगों को राशन की दुकानों से 1.25 करोड़ टन खाद्यान्न प्राप्त हुआ, जो कि एक दशक पहले तक दो करोड़ टन मिला करता था।

अपराह्न 5.00 बजे

लोग राशन की दुकानों से खाद्यान्न नहीं खरीद पाए, इसका कारण यह था कि कीमतों में 80 बार वृद्धि की गई। यह एनडीए सरकार का चरित्र था। हम केवल यह कह सकते हैं कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सर्वव्यापीकरण चाहते हैं। वर्ष 2004-05 में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 25,800 करोड़ रु. की राजसहायता थी। कुछ लोगों का कहना है कि यह बहुत ज्यादा है। मगर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम राजसहायता दी जाती है, जो कि जीडीपी के एक प्रतिशत से कम है।

दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, बाजार को खोले जाने और कृषि विपणन प्रणाली के निजीकरण को प्रोत्साहन दिये जो के पश्चात् जब इस विधेयक को लागू किया जा रहा है, तो इसमें सारे अधिकार केवल केन्द्र सरकार को दिये गये हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी भी समय आवश्यक वस्तुओं की सूची में किसी भी वस्तु को शामिल, संशोधित कर सकती है अथवा हटा सकती है। मैं इसका विरोध कर रहा हूं। केन्द्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं की सूची में से किसी भी वस्तु को शामिल करने अथवा हटाने का विवेकाधिकार आम जनता के हित में होना चाहिए अर्थात केवल युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में और तब जबकि ऐसी किसी वस्तु की कमी हो या वह उपलब्ध न हो, जिसे सामान्य व्यापार चैनलों के माध्यम से प्राप्त न किया जा सकता हो। ऐसा भी राज्य सरकारों के परामर्श से ही किया जाना चाहिए। मैं "राज्य सरकारों से परामर्श" पर जोर देना चाहता हूं ताकि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों की सहमति के बिना सूची में से आवश्यक वस्तुओं को नहीं हटा सके न ही शामिल कर सके। यह मेरी राय है।

मेरा यह विशिष्ट सुझाव है कि सुगम अथवा मुक्त व्यापार से उत्पादक या उपभोक्ता की ढुलाई लागत कभी भी कम नहीं होती। उत्पादों की कीमतों का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों की बजाय कालाबाजारियों को चला जाएगा। भंडारण अथवा कृत्रिम कमी का अनुचित फायदा उठाये जाने को रोकने के लिए एक त्रुटिरहित तंत्र इजाद किया जाना चाहिए। किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर निर्भर करते हुए, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच एक समन्वय होना चाहिए।

मैं, विशेष रूप से यह सुझाव देना चाहता हूं कि विधेयक के पृष्ठ 2 पर खंड 2क(2) में "राज्य सरकार से परामर्श" जोड़ा जाना चाहिए। उसी पृष्ठ पर खंड 3 में, "ऐसी अवधि जो छः महीने से अधिक न हो" को हटा दिया जाए। पुनः अगले खंड में, "ऐसी अवधि को उक्त छः महीने से ज्यादा बढ़ाया जाए", शब्दों को हटा दिया जाए। खंड 4 में, "केन्द्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है", के पश्चात् "राज्य सरकारें" शब्द को जोड़ा जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अनुसूची में 7(3) के पश्चात् "(4) कोक, कपास और ऊनी सामग्रियों सहित कोयला, अखबारी कागज सहित कागज" जोड़ा जाए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विधेयक को पारित करने से पहले इन संशोधनों पर विचार किया जाए।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): धन्यवाद। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006 एक महत्वपूर्ण संशोधन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 हेतु प्रस्तावित किया गया है।

जबकि मैं इस बात से सहमत हूं कि इस संशोधन की आवश्यकता है, मैं अपना मत इस आलोचना पर दर्ज कराना चाहता हूं कि यह संशोधन तथाकथित लाइसेंस राज का विस्तार है।

अपराह्न 5.05 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

107 करोड़ जनसंख्या वाले भारत जैसे विशाल देश को इस अधिनियम जैसे शक्तिशाली शस्त्र की आवश्यकता है ताकि इस देश की विशाल जनता को खाद्यान्न, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति किफायती दरों पर की जा सके। मुक्त बाजार की अवधारणा वास्तव में अच्छी लगती है। यह सत्य है कि कभी-कभी बाजार में प्रतिस्पर्धा से कीमतें कम हो सकती हैं किन्तु यह कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर है, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो या कम से कम मांग से ज्यादा हो। खाद्यान्न, खाद्य तेल और ऐसी अन्य कई वस्तुएं हमारे देश में सामान्यतः मांग से अधिक उपलब्ध नहीं होती।

दूसरी बात यह है कि व्यापार ईमानदारी से होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में यह ईमानदारी से नहीं हो रहा है। कई आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो रहा है। यह सत्य है कि भारत खाद्यान्न में काफी समय पहले से ही आत्मनिर्भर हो गया है। हाल ही के समय में उचित खरीद और कतिपय अन्य समस्याओं के कारण, जिनमें सूखा, भारी वर्षा, बाढ़ या अन्य चीजों के कारण फसल की हानि शामिल हैं, हम आवश्यक स्टॉक से कम उत्पादन कर पा रहे हैं। इससे स्थिति और खराब हो गई है।

वस्तुतः पिछले कुछ दशकों में, मेरे विचार से कृषि योग्य भूमि में कमी होती जा रही है। अन्य क्षेत्रों में उच्चतर उत्पादकता से केवल कुछ हद तक मदद मिल रही है। निसंदेह, खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ा है किंतु फिर भी कीमतें बढ़ रही है। हाल के वर्षों में हमारे देश में व्यापारिक सिंडिकेटों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, वायदा व्यापार, आवश्यक वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा करना आम बात हो गई है।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम में इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, जिससे सरकार को समय-समय पर इस अस्वस्थ प्रवृत्ति को रोकने में सहायता मिलेगी। इस संशोधन से सरकार को अधिकार मिलेगा कि वह आवश्यक वस्तुओं की अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़े अथवा किसी वस्तु को हटाए। यह अनुसूची में केवल छह माह के लिए रहेगी। अब, उर्वरक, सीमेंट आदि कुछ अन्य चीजें भी हैं उनका भी सरकार को ध्यान रखना है। हमारे देश में वर्ष 2004 और 2005 में सीमेंट कंपनियों ने अपनी उत्पादन क्षमता घटाकर कृत्रिम कमी पैदा कर दी ताकि कीमतें बढ़ जाएं। निश्चित तौर पर सरकार को कुछ चीजों को आवश्यक वस्तु के तौर पर जोड़ने और कीमतों को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए।

मैं संशोधन का समर्थन करते हुए सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के अधिनियम के बावजूद भी हमारे देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं। इस अधिनियम का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। सरकार समय पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सब्जियों, दालों, अन्य प्रकार की दालों, चीनी, चावल, आटा, केरोसीन की कीमतें अधिक हैं और प्रत्येक माह कीमतें पांच से दस प्रतिशत और कभी-कभी 20 प्रतिशत तक भी बढ़ रही है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मध्य 100 से 150 पाइंट का बहुत बड़ा अंतर है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है। इससे लोग बुरी तरह से चिंतित हैं। पिछले वर्ष की सरकार की खरीद नीति विशेषकर गेहूं के संबंध में अत्यधिक विफल रही है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार बुरी तरह से असफल रही। 2002 में सरकार का गेहूं का स्टाक 28 मिलियन था और अब यह केवल 2 मिलियन है। इसमें 90 प्रतिशत की गिरावट आई है। सरकार 3.5 मिलियन टन गेहूं का आयात कर रही है। मेरे ख्याल से अभी तक इसका केवल आधा भाग आया है। अब बड़ी समस्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और निजी व्यापारियों के मूल्य में अंतर है। फिर भी खरीद की संभाव्यता है। कीमत बढ़ने की संभावना है। निजी व्यापारी जो भी पेशकश करने के लिए तैयार हों, सरकार को उस दर पर खरीद करनी चाहिए। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से एक पाई भी ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है जैसे कि यह लक्ष्मण रेखा है। कई भारतीय व्यापारी अन्तरराष्ट्रीय खाद्यान्न व्यापारियों से गठबंधन कर रहे हैं। हमारे देश पर भी अन्तरराष्ट्रीय कीमतों का काफी प्रभाव पड़ रहा है। इस वर्ष आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना तथा यूक्रेन में फसलों को क्षति के कारण भारतीय गेहूं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, मैं मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा कि कीमतों को नियंत्रित करने की अविलंब आवश्यकता है। आपकी सरकार सब्जियों, खाद्य तेलों, खाद्यान्नों और प्रत्येक वस्तु सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण अलोकप्रिय होती जा रही है। हम प्रस्ताव करते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए। आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करें, उन व्यापारियों पर छापा मारें जो भारी मात्रा में जमाखोरी करते हैं, और ऐसा वातावरण तैयार करें कि सरकार ऐसे कार्यों के विरुद्ध गंभीर कदम उठाने जा रही है। इसके साथ ही सरकार को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर भी अनाज की खरीददारी करनी चाहिए। आपको सभी आवश्यक वस्तुओं से संबंधित वायदा व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। अधिनियम में इस संशोधन के द्वारा तथा इन कदमों के द्वारा हम बढ़ती हुई कीमतों

को कम कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भारी मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति करके कीमतें नियंत्रित की जा सकती हैं और यह हमारे देश की अति अविलंबनीय आवश्यकता है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, आप में से जो भी अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहें—रख सकते हैं। इसे कार्यवाही के भाग के तौर पर लिया जाएगा।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2006 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वस्तुत: मैं माननीय कृषि मंत्री को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देना चाहूंगा जो कि मेरे ख्याल से समयोचित और संगत है। मैं मंत्री को कई कारणों से बधाई देता हूं किन्तु मैं अपने कुछ तर्कों तक सीमित रहूंगा। पहली चीज यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य उस अधिनियम में संशोधन करना है जिसकी व्यवहारिकता अब नहीं रह गई है। यह विधेयक 1955 में लाया गया था कि जब हालात भिन्न थे और जब देश खाद्यान्न तथा कई आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी का सामना कर रहा था और ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी। वे उपभोक्ताओं की पहुंच में नहीं थी। सरकार को नियंत्रण के माध्यम से इन वस्तुओं को प्रदान करने का उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। अतएव 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया। किन्तु आज क्या स्थिति है? विगत वर्षों में अनेक वस्तुओं का उत्पादन तथा उनकी आपूर्ति सुलभ हो गई है। इसलिए इन वस्तुओं पर नियंत्रण रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें मांग और पूर्ति के संबंध में बाजार शक्तियों को आगे लाना होगा। इसलिए सरकार ने सोचा कि इन वस्तुओं के प्रचालन को प्रतिबंधित और नियंत्रित क्यों किया जाए और क्योंकि इन वस्तुओं की मांग और पूर्ति करने वाली बाजार शक्तियों को निर्णय लेने की अनुमति दी जाए।

जैसाकि आप जानते हैं कि हमने वर्ष 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। जब पूरे गैर-कृषि क्षेत्र विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र को नियंत्रण राज और प्रतिबंध प्रणाली को मुक्त कर दिया गया है तो फिर सिर्फ इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की सांविधिक पुस्तक में क्यों रखा जाए। शायद इसलिए इसी तर्क के कारण सरकार को यह सोचना पड़ता और फिर अनेक वस्तुओं के नाम वहां से हटाना पड़े। वर्ष 2004 में, सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की सूची से 11 मदों को नियंत्रण-मुक्त किया अथवा जारी किया। वर्ष 2004 में, तीन और वस्तुओं को सांविधिक पुस्तक से बाहर लाया गया। आज सरकार इस संशोधन विधेयक के माध्यम से केवल सात वस्तुओं पर नियंत्रण बनाए रखेगी। इसलिए, जिस वजह से मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं उसका पहला कारण यह है कि निजीकरण की शर्तें, बाजार शक्तियों की शर्तें देश में प्रचलित इसके प्रसंग में है।

मेरे द्वारा इस विधेयक के समर्थन का दूसरा कारण यह है कि एक तरफ तो सरकार वस्तुओं को अधिनियम की परिधि से दूर ले जा रही है वहीं, दूसरी तरफ वह इन्हें सूची में रख रही है। इन्हें सूची में रखने का लाभ यह है कि इससे सरकार के पास बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सूची में कुछ वस्तुओं को जोड़ने अथवा हटाने की बात को लेकर इसमें संशोधन करने की गुंजाइश बनी रहेगी। यदि अधिनियम में यह स्थिति बनी रहती है, तो सरकार को हर बार संसद जाना होगा और फिर अधिनियम संशोधन लाना होगा जो कि समय लगाने वाली प्रक्रिया है। इसलिए वस्तुओं और उनके मूल्यों की संवेदनशीलता पर ध्यान देते हुए, यदि सरकार सूची के रूप में रखती है तो इतना ही पर्याप्त होगा।

मैं इन सभी वस्तुओं को अधिनियम से सूची में अंतरित करने के लिए मंत्री जी की विधायी सक्षमता और निपुणता की सराहना करता हूं। इससे सरकार को वे सभी कदम उठाने का अवसर मिलेगा जो वह इस संबंध में उठाना चाहती है। हालांकि, जब भी सरकार को किसी वस्तु को सूची में सम्मिलित करना पड़ेगा तो उसे इस देश की संसद को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। वह अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकती। सरकार को संसद के समक्ष आकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। पूर्ववर्ती वक्ताओं में से मेरे मार्क्सवादी मित्र ने टिप्पणी की थी कि सरकार पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लेती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि सरकार संसद के समक्ष इन कारणों को स्पष्ट करने जा रही है कि उसका कुछ वस्तुओं को जोड़ने अथवा उसमें से कुछ वस्तुओं को हटाने का विचार क्यों है तो उसका अर्थ यह हुआ कि वह लिए जा रहे निर्णय के लिए जवाबदेह होगी। इन वस्तुओं के संबंध में सरकार की कार्रवाइयों पर इस देश की जनता की जवाबदेही होगी। इससे पारदर्शिता आएगी और एक प्रकार का खुलापन भी आएगा। वस्तुओं को सूची में अथवा वहां से हटाने के बारे में कोई गोपनीयता नहीं होगी। इसीलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, मेरे द्वारा इस विधेयक का समर्थन करने का तीसरा कारण यह है कि इस विधेयक के अनेक उद्देश्य हैं और वे विविध हैं। इस विधेयक के उपबंधों से हमें बहुत से लाभ होंगे। उदाहरणार्थ, इससे हमें उदारीकरण नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। बड़ी संख्या में उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को उन प्रतिबंधों से मुक्त किये जाने पर उनके हितों की रक्षा होगी जिनसे वे इस समय दु:खी हैं। उदाहरणार्थ, पंजीकरण के प्रतिबंध हैं, कृषि उत्पादों के भंडारण संचालन पर प्रतिबंध हैं। डीलरों की लाइसेंसिंग है, स्टाक नियंत्रण और संचालन संबंधी सीमा है। एक प्रकार से,

[प्रो. एम. रामदास]
इन सब बातों से देशों में मुक्त बाजार शक्तियां खतरे में पड़ सकती है। इन सबको हटाने से उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा होगी।

महोदय, रोजगार और आय सृजन की असीम संभावना वाले व्यापार और वाणिज्यिक कृषि निर्यातों और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों पर विभेदात्मक प्रतिबंधों को हटाने के साथ चौथा लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा और उसे बढ़ावा भी मिलेगा जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। प्रतिबंधों को हटाने से कृषि हेतु सामान्य भारतीय बाजार का सृजन करने में सहायता मिलेगी जो कि आज के समय की आवश्यकता है। हम पिछले दस वर्षों से कृषि उत्पादों हेतु सामान्य बाजार के लिए कार्य कर रहे हैं। कृषि उत्पादों हेतु सामान्य बाजार के अभाव में बाजारू शक्तियां कार्य नहीं कर पाती हैं और इस प्रकार हमें इस विधेयक के उपबंधों को स्वीकार करना होगा।

परंतु ऐसे में मैं सरकार को सावधान करना चाहूंगा कि इस विधेयक के उपबंधों का उपयोग आवश्यकतानुसार और विवेकसम्मत रूप में किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार को इस समय उपलब्ध भंडारण सुविधाओं में वृद्धि करनी होगी। ऐसा इसलिए है कि भंडारण सुविधा एक कारण है जिसकी वजह मूल्यों में वृद्धि हो रही है। सरकार को गोदाम केन्द्रों, गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली, कोल्ड चेन और प्रत्यक्ष बाजारों जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का भी निर्माण करना होगा। क्लियरिंग को सही प्रकार के संकेत देने के लिए अधिक कुशल बाजारों की आवश्यकता है।

अंततः मैं माननीय मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि मैं यह महसूस करता हूं कि इस विधेयक में अभी भी दोहरी विशेषताएं हैं जो विभिन्न अन्य विधेयकों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, खाद्य पदार्थ के मामले में, खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005 है जिसे संसद द्वारा पारित किया गया है। जहां तक खाद्य पदार्थ के उद्देश्य का संबंध है, इस विधेयक के उपबंधों द्वारा उसका ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद, पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में हमारे पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक प्राधिकरण विधेयक है जो कि वही कार्य करेगा जिन्हें इस विधेयक द्वारा किया जाना है।

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड विधेयक, 2006 कच्चे पटसन और वस्त्रों का ध्यान रखेगा। इसलिए, जिसका अब भी अभाव है वह इन दोनों वस्तुओं के बीच थोड़ा अधिक समन्वय है और हम आशा करते हैं कि यह संशोधन विधेयक देश में मूल्यों के स्थिरीकरण और उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के हितों की रक्षा हेतु अनुकूल स्थितियां बनाएगा।

मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं और मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): मान्यवर, ...* के मामले में दोषी पाए गये हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार सदन को स्थिति से अवगत कराए।

सभापति महोदय: यह सदन के संज्ञान में नहीं है।

श्री संतोष गंगवार: मैं सदन के संज्ञान में ला रहा हूं।

सभापति महोदय: आप नोटिस दें, तरीके से संज्ञान में लाएं। आप पुराने सदस्य हैं।

श्री संतोष गंगवार: सरकार स्थिति से अवगत कराए कि वास्तविकता क्या है? गलत समाचार क्यों आ रहे हैं और अगर ऐसा नहीं है तो सदन को वास्तविकता का पता चले।

सभापति महोदय: आप ड्यू प्रोसेस में सूचना दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी उसे देखेंगे।

[अनुवाद]

***श्री नवीन जिन्दल** (कुरुक्षेत्र): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे श्री शरद पवार द्वारा प्रस्तुत किये गये आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2006 पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक को 1955 में पारित किया गया था। उसके बाद से 50 वर्ष से ज्यादा व्यतीत हो चुके हैं और इस अवधि के दौरान विभिन्न सरकारों द्वारा समय-समय पर की गई नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप आर्थिक मोर्चे पर काफी बदलाव आए हैं। 50 के दशक में जब अधिकतर वस्तुओं की मांग उत्पादन से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें उन्हें अनेक वस्तुओं की किल्लत से जूझना पड़ा। इससे बेईमान व्यापारियों द्वारा जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिला इसी के चलते तात्कालिक सरकार को इन वस्तुओं की उत्पादन आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लाना पड़ा था। लोगों द्वारा सस्ते मूल्य पर इन वस्तुओं की खरीद के लिए ऐसा किया गया था।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जैसाकि मैंने कहा है कि 1955 के बाद से स्थितियों में काफी परिवर्तन आए हैं। अब हम आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। अब ऐसी वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जिनकी आपूर्ति उस समय कम थी। इसके अतिरिक्त मांग और आपूर्ति की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और अब लोग पूरे देश में बिना किसी बाधा के इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं इसके मद्देनजर राज्य का नियंत्रण बेमानी और अनावश्यक हो गया है।

वर्तमान विधेयक इन बदले हुए हालातों में लाया गया है। लम्बे समय से कृषि उत्पादों और उनके अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए विभिन्न नियंत्रणों में छूट देने की आवश्यकता थी। महोदय, मुझे वो समय याद है जब लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य में गेहूं और चावल इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन व्यापारी गुपचुप तरीके से इन उत्पादों का व्यापार करते थे और ऐसी विभिन्न वस्तुओं को उन राज्यों में से जहां पर ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती थी से ऐसे राज्यों में ले जाते थे जहां पर इनकी कमी होती थी। कृषि उत्पादों संबंधी नियंत्रणों में छूट देने के लिए मई 2001 में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि एक स्थायी समिति का गठन किया जाए और इस समिति में कृषि, वाणिज्य और उद्योग, वित्त, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, ग्रामीण विकास इत्यादि जैसी मंत्रालयों के प्रभारी केन्द्रीय मंत्रियों को सम्मिलित किया जाए। इस समिति में आवश्यक वस्तुओं की सूची की समीक्षा और कृषि उत्पादों के अबाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण आदेशों के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी सम्मिलित किया जाए। इस समिति ने कृषि वस्तुओं के आवागमन संबंधी सभी प्रतिबंधों को हटाने की सिफारिश की थी लेकिन साथ ही समिति ने यह भी कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को उस समय तक जारी रखा जाए जब तक कि नियंत्रणों और प्रतिबंधों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर दिया जाए। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान सरकार ने अनेक वस्तुओं संबंधी नियंत्रणों में छूट देने के लिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया है।

इस विधेयक में इस संशोधन के परिणामस्वरूप कोयला, ऑटोमोबाइल के कलपुर्जों और एसेसीरीज, सूती और ऊनी कपड़े, लौह और इस्पात के विनिर्मित उत्पादों सहित लौह और इस्पात, न्यूजप्रिंट सहित कागज, कच्चा कपास इत्यादि जैसी वस्तुएं को आवश्यक वस्तुओं की सूची में से निकाल दिया जाएगा।

तथापि, इस विधेयक में एक नई धारा 2क(1) शामिल की गई है जिसके माध्यम से इस बात की व्यवस्था की गई है कि इस विधेयक के प्रयोजनार्थ खाद्य, बीज और तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, पशु चारे के बीज सहित औषध, उर्वरक, खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तुएं बनी रहेगी। महोदय, मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं कि ये वस्तुएं आवश्यक वस्तुओं की सूची में रहनी चाहिए ताकि सरकार इनके उत्पादन, आपूर्ति और संवितरण पर समुचित नियंत्रण रख सके। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं में प्रायः मिलावट की जाती है जिससे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। औषधियों और खाद्य पदार्थों का एक उदाहरण लीजिए। हम प्रायः समाचार-पत्रों में यह पढ़ते हैं कि वे कैसे मिलावट करते हैं और नकली ब्रांडों को कैसे मासूम लोगों को बेचा जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि लोगों के सामान्य उपयोग की वस्तुओं को इस विधेयक के दायरे में रखा जाए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपने बोलने का समय दिया तथा इस सम्माननीय सभा को मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): इस सदन में आज जो यह बिल रखा गया है इसका मैं समर्थन करता हूं। यह बिल बड़े ठीक समय पर यहां रखा गया है। सभापति महोदय, आप भी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे और आपने इसका अध्ययन किया है और इसके बाद यह राज्य सभा में 21.8.2006 को भेजा गया। थोड़े से अमेंडेंट के पश्चात, इसे वहां पारित करके आज इसकी चर्चा लोक सभा में की जा रही है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारा वर्ष 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम है जिसमें प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन है। जो चीजें हम पैदा करते हैं उन्हें आगे हम सप्लाई करते हैं और उनका आगे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस बिल के द्वारा जो सैक्शन (3) है, इस एक्ट के द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकारों को इसमें अधिकार दिया गया है कि वे अपने एक्ट को अमेंड करके जो रूल्स हैं उनको बनाकर, इसकी वितरण प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश करें। सभापति महोदय, यह जो पावर्स हैं वह सैक्शन 5(बी) में नोटिफिकेशन की भारत सरकार को है और भारत सरकार कोई भी वस्तु इस बिल के द्वारा डाल सकती है और किसी भी आवश्यक वस्तु को बाहर निकाल सकती है, इसका प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। सैक्शन 2(ए) जो है, इस क्लॉज को बताती है कि कौन सी वस्तु आवश्यक है। वर्ष 2001 में चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हुई और उसमें 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मिले और उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के कंट्रोल को एंश्योर किया कि इनका फ्री मूवमेंट होना चाहिए। जब फूड जोन बने तो पंजाब का गेहूं हिमाचल प्रदेश में नहीं जा

[प्रो. चन्द्र कुमार]

सकता था और यूपी के चावल दूसरे राज्यों में नहीं जा सकते थे। उस वक्त यह कहा गया कि जो भी चीजें हम पैदा करते हैं चाहे वे फूड आइटम्स हों, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आसानी से भेज सकते हैं और इनका आदान-प्रदान सैक्शन (सी) के तहत रखा गया और समय-समय पर भारत सरकार ने इसको रैगुलेट करने के लिए आर्डर भी किये। इस संदर्भ में सारे के सारे आर्डर समय-समय पर होते रहे। अक्तूबर 1972 में सैक्शन (3) पर उस वक्त रिस्ट्रक्शन लगाई गयी कि कोई ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकारों को इस एक्ट को इनएक्ट करना है तो केन्द्र से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी तरह से 13 मार्च, 1973 को दुबारा पावर स्टेट्स को डेलीगेट कीं।

इसके तहत एक्ट को अमैंड करिए और समय-समय पर एक्ट द्वारा असैंशियल कमोडिटीज के ऊपर अपने कार्यक्रम चला सकते हैं। परन्तु 2002-03 में एनडीए के समय सैंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला किया और 13 असैंशियल कमोडिटीज को निकाला और 2004 में 3 असैंशियल कमोडिटीज को भी उनमें से निकाला। उसका असर क्या हुआ? उसमें कहा गया कि

[अनुवाद]

पिछली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने वर्ष 2002 में आवश्यक वस्तुओं की सूची में से अनेक वर्गों के उत्पादों को हटाने और इस कानून के अंतर्गत जारी किये गये विभिन्न आदेशों को अकृत करने संबंधी निर्णय विस्तृत राजनीतिक सर्वसम्मति पर आधारित था जो स्थायी समिति में लिया गया था।

[हिन्दी]

भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि एनडीए की सरकार ने बहुत सारी असैंशियल कमोडिटीज को निकाला और उनका आदान-प्रदान फ्री कर दिया। उस वक्त क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा-पत्र निकाला और कहा कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम इंसपैक्टर राज को खत्म करेंगे। उसका क्या असर हुआ? एक्ट के तहत जितने रूल्स और ऑर्डर्स बनाए गए थे, वे सारे के सारे भारत सरकार ने विदड्रा कर लिए। जो भी असैंशियल कमोडिटीज मार्किट में गई चाहे उनकी सप्लाई ज्यादा थी लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। अगर आप बाजार जाएं चाहे उड़द या मसूर या चने की दाल ले लें, अगर 100 क्विंटल दाल चाहिए तो मार्किट में मिल जाएगी लेकिन उनकी कीमत 50-60 रुपये किलो देनी पड़ेगी। सप्लाई की कोई कमी नहीं है। हर चीज मुहैय्या है। लॉ में कोई ऐसा प्रॉविजन नहीं करना चाहिए जिससे उनको रोका जाए। मैं कृषि मंत्री को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वह समय पर अमैंडमैंट बिल 2006 लेकर आए हैं। यह एक्ट अमैंड करने के लिए कोई राज्य एप्लाई करेगा तो आप जल्दी से सैंक्शन देंगे। वे इस एक्ट के द्वारा अपने रूल्स फ्रेम करें। जो लोग जमाखोरी और कालाबाजारी करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और रिडंडैंट लॉ को रिवाइज किया जाए जिससे गरीब आदमी को किसी तरह की परेशानी न हो। बढ़ती हुई कीमतों को चैक किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, कहने को कोई बात बाकी नहीं है लेकिन माननीय मंत्री जी ठंडे दिमाग से और अपने घर जाकर आदरणीय भाभी जी से पूछेंगे तो वह निश्चित रूप से यही कहेंगी कि इस सरकार के समय आम लोगों के लिए रोटी-दाल खाना भी मुश्किल हो गया है, दूसरी चीजें खाने की बात छोड़ दीजिए।

आप यह बिल लाए हैं। शायद आपकी मजबूरी होगी। मैं इस लोक सभा में छठी बार आया हूं। आदरणीय मंत्री जो रोजगार गारंटी बिल लाए थे, उनके सम्मुख भी मैंने इस बिल का विरोध किया था। आज दाल-रोटी खाना मुश्किल हो गया है। मैं दूसरी बातें न कह कर इतना कहूंगा कि आप यह बिल इस मंशा से लाए हैं कि लोगों को गेहूं, चावल और दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती मिल जाएं लेकिन इससे वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।

आप गेहूं, चीनी, चावल, चना, उड़द की दाल, सरसों का तेल, वनस्पति तेल, नमक, चाय, दूध, आटा, आलू, प्याज और मूंगफली के तेल के मूल्यों की निगरानी रखने के यह बिल लेकर आए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि गेहूं महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है और चने की दाल महंगी हो गई है। आज चावल के मामले में दिल्ली, भोपाल, मुम्बई, गुवाहाटी, जयपुर और पटना के मूल्यों में काफी वृद्धि पाई गई है। सरसों के तेल के संबंध में भोपाल, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और कोलकाता के मूल्यों में वृद्धि हुई है। वनस्पति तेल के मूल्य में आज पटना को छोड़कर सभी केन्द्रों में वृद्धि हुई है। चाय के मूल्यों में दिल्ली और लखनऊ में वृद्धि हुई है। दूध के मूल्य में दिल्ली, लखनऊ, शिमला और बम्बई में वृद्धि हुई है। आलू के मूल्य में दिल्ली, लखनऊ, शिमला, भोपाल, जयपुर, अगरतला और कोलकाता में वृद्धि हुई है। नमक के मूल्य में लखनऊ, शिमला, गुवाहाटी और हैदराबाद में वृद्धि हुई है।

आप यह बिल लाएं हैं तो लोगों को सस्ता अनाज, घी, दूध, दाल और तेल मिलना चाहिए। आप इन पर नियंत्रण करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बिल ठीक मंशा से लाया माना जाएगा। लेकिन आज यह मंशा पूरी नहीं हुई है और लोग दुखी हैं। आज वामपंथी

दलों ने कहा है कि वे आंदोलन करेंगे। ये आपके साथ हैं, आपके सहयोगी हैं। ये बाहर जाकर आंदोलन करके आपको बदनाम करना चाहते हैं, आप उनके बहकावे में न आएं। ये बाहर जाकर भारत मां की जय और इंकलाब जिंदाबाद करेंगे और आपके साथ बैठकर सारा काम आप पर डालना चाहते हैं। इसलिए कृपा करके ऐसा करें कि ये आंदोलन न करें। अगर फिर भी करते हैं, तो उनकी मर्जी है। आप जिस नाते इस बिल को लाए हैं और आपने पन्द्रह चीजों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है, आपने काफी चीजें घटा दी हैं, यह बात सही है लेकिन आप इस बिल में से काफी चीजों पर केन्द्र, राज्य सरकार और संघशासित प्रदेशों का भी नियंत्रण हटाएं। आपने गेहूं का आयात किया है, यदि आप निश्चित रूप से इन लोगों को ठीक प्रकार से राहत देंगे, तब तो ठीक होगा। आप जिस नाते इस बिल को लाएं हैं और आपने क्या काम किया है, यह प्रश्न के उत्तर में है। आपने निगरानी के संबंध में दिया है कि 3920 छापे मारे गए, 1617 लोग गिरफ्तार हुए, अभियोजित व्यक्तियों की संख्या 10097 हैं, दोषी व्यक्तियों की संख्या 35 है और जब्त किए गए माल का मूल्य 679.1 है। इस तरह से 53 दोषी व्यक्तियों पर कितने छापे मारे गए, इससे लोग परेशान हो गए। आप व्यापारियों को गलत शब्द न कहें, तो आप व्यापारियों को राहत देंगे तो निश्चित रूप से वे आपके साथ सहयोग करेंगे। यह कहना कि व्यापारी गलत हैं, मैं इस शब्द का विरोध करता हूं। इसे ठीक प्रकार से लाएं तो अच्छा होगा वरना आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, और इस पर जो खर्च हो रहा है मैं समझता हूं कि इसका खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। केवल 35 दोषी व्यक्तियों को सजा देने की बात कही गई है, यह संख्या 3920 है और छापे 1617 मारे गये हैं, आखिरकार इस बिल का उद्देश्य क्या है?

सभापति महोदय: आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। मुझे पार्टी में चौथा नंबर मिला है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को अच्छे ढंग से लाएं। हम भी चाहते हैं कि लोगों को आवश्यक वस्तुएं ठीक प्रकार से मिलें। आज कोई भी चीज सस्ती नहीं है। मैं समझता हूं कि हवा खाना भी एक प्रकार से महंगा हो गया है। आज चावल, दाल, घी, दूध के संबंध में लोगों को राहत मिले। भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों के लिए आपके साथ है लेकिन व्यापारियों को गलत शब्द कहने से नहीं काम होगा इसलिए आप व्यापारियों को भी राहत दें। आवश्यक वस्तु अधिनियम की आवश्यकता को आप महसूस करते हैं तब इस बिल को लाएं। मैं निवेदन करता हूं कि इसे ड्राफ्ट करें और वापिस ड्राफ्ट करके आवश्यक वस्तु अधिनियम को लाएं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां तमाम चीजें एक जगह पैदा होती हैं, दूसरी जगह पैदा नहीं होती हैं। पहले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम वस्तुएं ऐसी थीं जो पहले एक प्रदेश में पैदा होती हैं और दूसरे प्रदेश में नहीं पहुंच पाती थीं, इस बिल के माध्यम से हर वस्तु कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं से कहीं ले जाई जा सकती है। मुझे लगता है कि जो तमाम दिक्कतें उपभोक्ताओं के सामने आया करती थीं, उन मुश्किलों से निजात मिल जाएगी।

इस बिल के माध्यम से सरकार ने आवश्यक वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त किया है ताकि वह उन्हें अपने पास रख सके। वह इन्हें समय-समय पर हटा सकती है और प्रदेशों को भी इसका अधिकार दिया गया है। हमें लगता है कि इस बात की बहुत आवश्यकता थी। अभी सदन में माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि पिछले ढाई साल के समय में पूरा हिंदुस्तान महंगाई से चिंतित हुआ है। चाहे वह सत्तापक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, सब लोगों ने इसके बारे में समय-समय पर अपनी आवाज उठाई है। मैं कहना चाहूंगा कि इस बारे में एक बहुत बड़ी मुश्किल यह आती थी कि देश में जो बड़े-बड़े कारपोरेट हाउसेज हैं, उन लोगों ने अपने-अपने मॉल्स के माध्यम से सब्जी से लेकर दाल और तमाम तरह की चीजों को बेचना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब तक सरकार आवश्यक वस्तुएं खरीद पाती, उसके पहले उन लोगों ने सारे बाजार से आवश्यक चीजें लेकर अपने लिए रख लीं। इसका नतीजा यह हुआ कि जब वे चीजें मार्केट में आई तो वे अपने आप महंगी होती गई और मार्केट में आती चली गई। यह बात सही है और इसे सब लोगों ने माना है कि महंगाई से गरीब लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। आज माननीय मंत्री जी स्वयं भी इन सब चीजों के प्रति सजग हैं। हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण हो जाना चाहिए। इसके बाद जब किसानों से सरकार आवश्यक वस्तुएं लेती है, उसके बाद ही प्राइवेट सैक्टर में माल जाना चाहिए। पहले सरकार की डिमांड के हिसाब से जब उसके गोदाम भर जाएं, उसका स्टाक पूरा जाए, उसके बाद ही प्राइवेट सैक्टर और कारपोरेट हाउसेज के लोग उसे खरीदेंगे तो सरकार का उस पर ज्यादा नियंत्रण होगा। सरकार यह समझ सकती है कि पूरे देश के लिए इतनी मांग है और उसकी कीमत हमें तय करनी है, उतना सामान जब उनके पास हो जाए, उसकी पूरी मात्रा उनके पास हो जाए, उसके बाद प्राइवेट सैक्टर इन्हें खरीदेंगे। इससे सरकार का इन पर स्वाभाविक नियंत्रण हो जायेगा।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

सभापति महोदय, अब कालाबाजारी की बात आती है। अभी माननीय सदस्य कालाबाजारी के बारे में चर्चा कर रहे थे, वह कह रहे थे कि व्यापारियों के यहां छापे पड़ते हैं और उन्हें ठीक तरह से सम्बोधित नहीं किया जाता। व्यापारियों को कोई गलत नहीं कहता है। हर व्यापारी गलत नहीं होता है। यह चीज हर व्यापारी के बारे में नहीं कही जा सकती है कि उसने गलत काम किया है। लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ व्यापारी जो पिछले वर्षों में कुछ राजनीतिक दलों के साथ सीधे जुड़े रहे हैं, उन लोगों ने पिछले ढाई-तीन सालों में ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को अपने पास रखा है, जिसके कारण कीमतें बढ़ी हैं। यह बात सही है और यह तमाम प्रदेशों में भी देखने को मिला है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इन पर निश्चित रूप से निगाह रखें। अब यह अधिकार जब राज्यों के पास सुरक्षित है तो यह अधिकार भारत सरकार के पास भी होना चाहिए और इन अधिकारों का प्रयोग वहां जरूर हो, जहां कुछ राज्य सरकारों के बहुत से औद्योगिक घरानों से रिश्ते हैं और वे आज की तारीख में भी इस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। यदि केन्द्र सरकार के पास भी यह अधिकार रहता है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आप समाप्त कीजिए। पी.सी. थॉमस जी, आप बोलिए।

श्री संतोष गंगवारः सभापति महोदय, एक ....* को हत्या और अपहरण के मामले में तीस हजारी कोर्ट में दोषी करार दिया गया है और वह जेल चले गये हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः सदन नियमों से संचालित होता है। किसी भी समय आप कोई भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। आप नोटिस दे दीजिए, नियमों के तहत स्पीकर साहब उसे देखेंगे।

...(व्यवधान)

डा. राजेश मिश्राः मैं अंत में कहना चाहता हूं कि क्या सरकार सक्षम हो पायेगी कि वह आवश्यक वस्तुओं के दामों को रोक सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः आप नियमों के तहत नोटिस दे दें।

[अनुवाद]

अब श्री पी.सी. थॉमस बोलेंगे।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः श्री पी.सी. थॉमस के वक्तव्य के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुझा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, जो अनुसूची में कुछ आवश्यक वस्तुओं को शामिल करने अथवा हटाने के संबंध में सरकार को और शक्तियां देकर आवश्यक वस्तु अधिनियम को और सुदृढ़ बनाने के बारे में है।

महोदय, इस सभा में काफी चर्चा हुई है कि किस प्रकार से आवश्यक वस्तुओं के समुचित वितरण के अभाव के कारण महंगाई से जनता सीधे प्रभावित हो रही है। मैं समय की कमी की वजह से उन ब्यौरों में नहीं जाना चाहता मैं यहां मात्र एक अथवा दो पहलुओं का सीधा उल्लेख करूंगा।

महोदय, रसोई गैस हेतु पहले हमारे पास कूपन प्रणाली थी। परन्तु बाद में इसे आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। कुछ राज्यों जैसे केरल में, जहां यह बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, रसोई गैस प्राप्त करना काफी मुश्किल है क्योंकि कुछ वितरक इसके जमाखोरी में संलिप्त है अथवा वे इसका वितरण उन लोगों को कर रहे हैं जो इसे प्राप्त करने के हकदार नहीं है अथवा यह समुचित वितरण के अभाव में उपलब्ध नहीं है और इससे आम जनता काफी प्रभावित हो रही है। मैं समझता हूं कि अनेक अन्य राज्यों में भी इसकी वजह से आम जनता काफी प्रभावित हो रही है।

दूसरा, मैं अपने राज्य केरल के बारे में एक या दो बातें बताना चाहता हूं जहां आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि केरल एक उपभोक्ता राज्य है और वहां सांविधिक राशनिंग लागू है। इसलिए, केरल जैसे राज्य के लिए खाद्यान्नों का आवंटन महत्वपूर्ण है। जब आवश्यक वस्तु अधिनियम को मजबूत किया जा रहा है तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस बात को देखे कि कुछ राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को किस प्रकार परिभाषित किया जाए। केरल में खाद्यान्न दूसरे राज्यों से आते हैं। वहां लगभग 85 प्रतिशत खाद्यान्नों की कमी है और इसलिए खाद्यान्नों के आवंटन में कटौती से जनता बुरी तरह प्रभावित होती है। उदाहरणार्थ, केरल को गेहूं के आवंटन में काफी कमी की गयी है तथा जून 2006 से मार्च, 2007 के बीच करीब 46,000 मीट्रिक टन आवंटन से घटकर यह करीब 19,000 टन रह गया है। माननीय मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में केरल सरकार केन्द्र सरकार को

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लम्बे समय से अभ्यावेदन दे रही है और केरल के संसद सदस्यों ने भी केन्द्र सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन दिए हैं।

अनेक राज्यों में मछुआरे मिट्टी के तेल का उपयोग कई तरह से करते हैं। हमारे पास लम्बा समुद्र तट है जो एक बड़ा भंडार है। परन्तु मछुआरे आज मिट्टी का तेल खरीदने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। वे मछली पकड़ने वाली अपनी नौकाओं के इंजिनों में मिट्टी के तेल का प्रयोग कर रहे हैं और वर्तमान में मिट्टी के तेल का वितरण काफी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। केरल को मिट्टी के तेल के आवंटन में काफी कमी कर दी गयी है।

अंततः, मैं यह बताना चाहूंगा कि जब आवश्यक वस्तु अधिनियम को सुदृढ़ किया जा रहा है तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह देखा जाए कि किस प्रकार आवश्यक वस्तुएं वितरण के लिए उपलब्ध कराई जाएं। वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और आवश्यक वस्तुएं केन्द्रीय पूल से दी जाती हैं। उदाहरार्थ, कभी-कभी भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों की उपलब्धता 'शून्य' होती है और इससे खाद्यान्नों का आगे का आवंटन प्रभावित होता है क्योंकि आवंटन विगत खाद्यान्न संग्रहण (खाद्यान्न उठाई) पर निर्भर करता है।

अब मैं समय की कमी के कारण अपनी बात समाप्त करता हूं, परन्तु मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि इन मामलों की ओर ध्यान दें और उपयुक्त निर्णय लें।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): सभापति जी, मैं अति संक्षेप में 3-4 बातें कहना चाहूंगा। आजकल जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उसे रोकने के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाये गये हैं, उनसे महंगाई में कमी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। जो भी कदम उठाये जाने की जरूरत हो, सरकार द्वारा उठाये जाने चाहिए लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इस विधेयक के लाने से महंगाई पर रोक लग जायेगी? यदि सरकार सही मायने में कदम उठा सके तो अच्छा हो क्योंकि ऐसा ही कानून इस देश में कई सालों से निरंतर चला आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी महंगाई में वृद्धि होती रही है। इसलिए यह सोचकर नहीं चलना चाहिए कि ऐसा विधेयक लाने से कल महंगाई में कमी हो जायेगी।

दूसरी बात यह है कि जैसा हम देखते आ रहे हैं, जब भी हमारी सरकार अधिकारियों को पावर देती है, उसका गलत इस्तेमाल होता है, उससे रिश्वतखोरी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि केवल महंगाई में वृद्धि हुई हो बल्कि रिश्वतखोरी में भी वृद्धि हो रही है। सरकार द्वारा इस प्रकार के कदम उठाये जाने के लिए सोचने की जरूरत है। हम देखते हैं कि लोगों को खाद्य पदार्थ खरीदने में काफी परेशानी होती है। उधर किसान जो उत्पाद करते हैं, उसे बेचते हैं और वही उसकी आमदनी का जरिया है। इसके अलावा आज देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उसे उसके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। अगर उसके उत्पाद के मूल्यों में बढ़ोत्तरी कर दी जाये तो उससे किसानों को लाभ होगा, यह सोचकर हमें चलना होगा।

सभापति महोदय, अंतिम बात यह है कि सरकार 6 महीने तक नोटिफिकेशन जारी करेगी, यदि 6 महीने के बाद सरकार को लगे कि नोटिफिकेशन जरूरी है तो जारी रहेगा। मैं चाहता हूं कि यदि इस तरह का नोटिफिकेशन जारी रखना है तो उसके लिए संसद को विश्वास में लेने की जरूरत है।

[अनुवाद]

***श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** (तुमकुर): मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। हालांकि, यह विधेयक कुछ वर्ष पहले पारित किया गया था परन्तु इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध वस्तुओं का निर्धारित दर काफी कम है तथा निर्धन व्यक्तियों को अनाज की आपूर्ति निःशुल्क की जानी चाहिए। निर्धन व्यक्तियों हेतु उचित मूल्य की दुकानों में दो प्रकार के मूल्य हैं: (1) 3 रुपये प्रति कि.ग्रा. (2) 6 रुपये प्रति कि.ग्रा.। इन लोगों को खाद्यान्नों की निःशुल्क आपूर्ति करने के बजाए नाममात्र की दर पर आपूर्ति की जानी चाहिए।

दाल और तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं ऊंची दरों पर बेची जा रही हैं। राशन कार्ड पर जारी किये जाने वाले चावल और दाल की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए और इन्हें काफी कम दर पर बेचा जाना चाहिए।

कम से कम एक व्यक्ति को काम मुहैय्या कराया जाना चाहिए तथा किसी को भी भोजन और पानी के अभाव में मरने नहीं दिया जाना चाहिए। उसे इस निर्धन देश में काम करने और आरामदायक जीवनयापन करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

मैं कामना करता हूं कि इस निर्धन देश में प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करे। देश के सभी उचित दर की दुकानों में किरोसिन, खाद्यान्न और चीनी की आपूर्ति नहीं की जाती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उचित दर की दुकानें इन वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति करें।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर इस सदन के दोनों ओर के सदस्यों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये हैं। इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है, विचार है, उसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह बात सच है कि हमारे कई साथियों ने इस विधेयक को राजनैतिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। कई सदस्यों ने इस बात को भी बतलाया कि एन.डी.ए. सरकार की गलती थी और कई सदस्यों ने आजकल की सरकार के बारे में भी कहा कि उसकी गलती है। लेकिन इस विधेयक में जो सुधार लाया गया है, वह सहमति से लाया गया है।

सभापति जी, 2001 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में न केवल बी.जे.पी. द्वारा प्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे बल्कि कांग्रेस द्वारा प्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे या कई मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। उन सब की सहमति से एक सिलैक्टिव डिसीजन था जिसे आज इस सदन के माध्यम से यहां लाया गया है। केवल यह नहीं कि मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में डिटैल्ड डिसकशन हुई बल्कि यह बात भी सच है कि वह अधूरी रही। मगर उस कांफ्रेस में यह बात तय हुई थी कि एक स्टैंडिंग कमेटी अपाइंट करने की जरूरत है जिसमें भारत सरकार के कृषि, कामर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंस, कंज्यूमर्स अफेयर्स और पी.डी.एस., रूरल डेवलेपमेंट मंत्रालयों के मिनिस्टर्स और प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन शामिल हों। उनके साथ-साथ राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, इनमें

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र राज्यों के मुख्य मंत्री।

[हिन्दी]

भी सदस्य रहेंगे। इसमें सभी की अपनी विचारधारा थी। सभी की विचारधारा से यह बात तय हुई कि आज हिन्दुस्तान में किसान की पैदावार को जो जगह-जगह पर रोकने की बात होती है और मार्केट में जो सुधार होता है, उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता है। किसानों की इस परिस्थिति में सुधार लाना होगा। इंटर स्टेट मूवमैंट में जितनी रैस्ट्रिक्शंस हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह तय हुई कि ऐसैन्शियल कमोडिटीज एक्ट की शुरूआत 1950 में हुई, यह बात सच है। मगर इसकी शुरूआत ब्रिटिश राज में दूसरे विश्व युद्ध के समय हुई जब देश में कई चीजों की कमी हो गई थी। इसकी लिस्ट राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की मिलाकर थी जिसमें 200 से ज्यादा आइटम्स थीं, जिनको कंट्रोल करने का प्रयास होता था। एक जमाने में लेवी इंट्रोड्यूस की गई थी। पीडीएस में और कुछ रैस्ट्रिक्शंस भी लगाये गये थे। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यह सहमति स्टैंडिंग कमेटी में हुई और इसके बाद जो आइटम्स इसमें थे, उनमें से कुछ आइटम्स को डिलीट करने की बात तय हुई। वे कौन से आइटम्स थे? कैटल फॉडर को एक जमाने में ऐसैन्शियल कमोडिटीज में रखने की आवश्यकता थी जब सूखा था मगर आज वह परिस्थिति देश में नहीं है।

[अनुवाद]

कोक सहित कोयला तथा अन्य सामान। आज इसकी आवश्यकता नहीं है। आटोमोबाइल के घटक, पार्टस तथा साजो-सामान

[हिन्दी]

एक जमाने में शायद इसकी आवश्यकता हो। आज हिंदुस्तान शायद दुनिया का सबसे बड़ा आटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग सैन्टर बन रहा है। दुनिया की कई कंपनियां हिंदुस्तान में आकर अपने आटोमोबाइल प्लांट्स लगा रही हैं और भारत की नहीं बल्कि दुनिया के स्पेयर्स की डिमांड को पूरा करने की ताकत भारत में पैदा हो रही है। पहले इसके ऊपर ऐसैन्शियल कमोडिटीज एक्ट में रैस्ट्रिक्शन थी, उसको बाहर निकालने की आवश्यकता थी। आज हिन्दुस्तान आइरन और स्टील एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। इसलिए इसकी आवश्यकता भी इस लिस्ट में नहीं थी। पेपर न्यूजप्रिंट की भी आवश्यकता नहीं थी। रॉ काटन की भी आवश्यकता नहीं थी। इस साल हमारे पास कपास का इतना अधिक उत्पादन है कि हमें समस्या आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरह से अपने माल को बेचें जिससे किसानों को ठीक दाम दे सकें। इसलिए इन आइटम्स को ऐसैन्शियल कमोडिटीज से निकालने की आवश्यकता थी और वह निकालने का काम किया गया। जो आइटम्स आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है, खेती के लिए महत्वपूर्ण है, उनको जारी रखने का सुझाव इसमें दिया गया है, जिनमें ड्रग्ज, खाद, फूडस्टफ, एडिबल आइल्स, हैंकयार्न, पैट्रोल और पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसमें एल.पी.जी. आती है, कैरोसीन आता है, रॉ जूट और जूट टैक्सटाइल आता है,

[अनुवाद]

खाद्य फसलों के बीज, फल एवं सब्जियों के बीज

[हिन्दी]

भी शामिल हैं।

सभापति जी, एक माननीय सदस्य ने यहां सवाल किया कि इसमें फ्रूट और वेजीटेबल को रखने की क्या आवश्यकता है? मैं यह बताना चाहता हूं कि फ्रूट और वेजीटेबल का इनक्लूजन नहीं हुआ है, बल्कि सीड ऑफ फ्रूट्स एवं सीड ऑफ वेजीटेबल्स को इन्क्लूड किया गया है। इसमें सीड ऑफ दि कैटल फॉडर है। सीड ऑफ दि जूट को इसमें स्वीकार किया गया है।

महोदय, सदन में मुझसे सवाल पूछा गया कि इसमें फर्टीलाइजर की क्या आवश्यकता है?

[अनुवाद]

सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य तथा नियंत्रण के कारण उर्वरक को रखा गया है तथा वास्तविक उत्पादन, आयरन मूल्य तथा नियंत्रण मूल्य के बीच के अंतर को कम करने के लिए भारी राज सहायता की आवश्यकता है। यह प्रासंगिक है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया था।

[हिन्दी]

इस समय फर्टीलाइजर की अनुपलब्धता की समस्या पूरे देश में है। आज यह सवाल सदन में कई बार उठाया गया है। हम बड़े पैमाने पर यूरिया और डी.ए.पी. का इम्पोर्ट कर रहे हैं। इनके उत्पादन में जो कमियां आई हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश किसी को भी नहीं करने दी जाएगी। इस सीजन में बहुत अच्छी वर्षा हुई। बहुत बड़े पैमने पर सोइंग ऑपरेशन शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर सोइंग ऑपरेशन कंपलीट भी हो रहा है। ऐसे समय में यदि खाद समय पर नहीं पहुंचेगी, तो इसका बुरा असर कृषि उत्पादन पर होगा। इसलिए फर्टीलाइजर को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है।

अपराह्न 5.57 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी समस्या उठाई गई कि जूट टैक्सटाइल को असेंश्यल कमोडिटीज में रखने की क्या आवश्यकता है।

[अनुवाद]

कच्चे जूट तथा जूट वस्त्रों को जूट के थैलों के आवश्यक उपयोग हेतु रखा गया है तथा जूट कामगारों एवं जूट उत्पादकों की सुरक्षा के लिए मूल्य निर्धारण किया गया है।

[हिन्दी]

कई सालों से इस देश में एक डिमांड आती रही है कि जूट बैग का कंपल्शन मत करो। बिहार, असम और वेस्ट बंगाल में जूट एक महत्वपूर्ण फसल है और उसके ऊपर आधारित जूट के कारखाने हैं। उनमें लाखों लोग काम करते हैं। यदि जूट बैग का कंपल्शन न किया जाए, तो उनकी रोजी-रोटी की समस्या देश के सामने आ सकती है। इसलिए चाहे चीनी हो या अनाज, उन्हें जूट बैग में ही पैक करके भेजे जाने का कंपल्शन टैक्सटाइल मिनिस्टर के माध्यम से बाई आर्डर किया गया है और यदि इसे कंटीन्यू करना हो, तो ऐसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में स्वीकार करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अब, मैं खाद्य फसलों के बीज की बात करता हूं। इस वस्तु को डीलरों को लाइसेंस देने, गुणवत्ता वाले बीजों के विनियमन तथा समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है। बीज रोपण के समय किसानों के लिए बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्री राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

जब तक राज्य सरकारों को सीड पर कुछ नियंत्रण करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक किसानों को राहत नहीं दी जा सकती है। उसके ऊपर अमल करने का काम राज्य सरकारों के ही माध्यम से हो सकेगा। इसलिए इसे इसके अंतर्गत रखा गया है।

[अनुवाद]

पूर्णतः कपास से निर्मित हैंक धागे हथकरघा क्षेत्र को हैंक धागे की आपूर्ति को सुगम करने के लिए रखा गया है।

[हिन्दी]

आज देश में हैंडलूम सैक्टर में काम करने वाली बड़ी आबादी है और उन्हें सूत मिलना दिन पर दिन गम्भीर समस्या बनता जा रहा है।

[अनुवाद]

महोदय, मेरे विचार से आपको सभा की अवधि बढ़ानी होगी।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि सभा का समय उत्तर समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह सभा मंत्री जी के उत्तर तथा इस मद के समाप्त होने तक समय बढ़ाए जाने पर सहमत हैं?

कई माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा का समय इस मद के समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

मंत्री महोदय आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: पॉवरलूम और हैंडलूम सैक्टर में काम करने वाले बहुत से कारीगर हैं। उन्हें ठीक प्रकार से सूत सप्लाई करने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। आज जितनी स्पीनिंग मिल्स हैं उनके ऊपर इस कानून के आधार पर कंपल्शन है। इसमें से कुछ सूत हैंडलूम के लिए रिजर्व रखने का काम होना चाहिए।

अपराह्न 6.00 बजे

टैक्सटाइल कमिश्नर द्वारा इसका बंटवारा सभी हैण्डलूम सैक्टर में किया जाना चाहिए। यह नहीं करेंगे तो लाखों लोगों को काम नहीं मिलेगा, सूत नहीं मिलेगा। घरेलू उद्योग इस देश में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। उन पर भी इसका बुरा असर हो सकता है।

महोदय, यहां राज्य सरकारों के अधिकार के बारे में कहा गया। इसके अलावा इसमें यदि कोई सुधार करना हो तो राज्य सरकार को विश्वास में लेने का इसमें कोई प्रबंध नहीं है। जब हम यह प्रपोजल राज्य सभा में लेकर आए थे, उस समय स्थिति यही थी और मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन राज्य सभा में सैक्शन 2(ए) एमेन्ड किया गया ताकि एसैन्शियल कमोडिटी की लिस्ट में अगर सुधार करना हो, परिवर्तन करना हो या हटाना हो तो राज्य सरकार से कंसल्ट करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। राज्य के परामर्श से अंततः यह निर्णय लिया जाएगा।

दूसरी बात यह है कि कुछ आइटम छोड़ने के बाद भी देश में उनकी कमी हो जाती है। जिसका असर देश के आम लोगों पर होता है। सदन में गेहूं, दालें, चीनी और खाद्य तेल की बात कही गई है। सदन में दो-तीन दिन बाद इस बारे में चर्चा होने वाली है, तब इस पर मैं अपनी बात रखूंगा। यदि इस तरह की परिस्थिति देश में पैदा होती है और एक आइटम को जोड़ने की जरूरत समाज को लगती है या सरकार को लगता है कि इनकी कमी हो रही है तो सरकार को इसके लिए अधिकार होना चाहिए। जो आइटम सरकार जोड़ती है, वह किस वजह से एसैन्शियल कमोडिटी में जोड़ा गया है, इसका एक्सप्लैनेशन भी सरकार देगी।

[अनुवाद]

सरकार देश को वे कारण बताए जिनकी वजह से ऐसी मदें जोड़ी जा रही हैं। यह भी राज्य के परामर्श के साथ दिया जाएगा।

[हिन्दी]

इसलिए जो अधिकार इसमें दिये गये हैं, उसे भारत सरकार ने अपने अधिकार में लिया है। इसमें लोगों को विश्वास में लेने का प्रावधान है और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने का प्रावधान है। इस तरह से कई चीजों के ट्रैड रैस्ट्रिक्शन पर भी इसमें ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ आम आदमी की हालत गम्भीर न हो, इस पर भी ध्यान दिया गया है। यदि परिस्थिति गंभीर होती है तो कुछ कदम उठाने की आवश्यकता होती है।

महोदय, सदन में एसैन्शियल कमोडिटीज की कीमत बढ़ने की बात कही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी कीमत बढ़ने के बाद राज्य सरकारों को कालाबाजारी को रोकने का अधिकार दिया गया है। इस बारे में राज्य सरकारों ने कुछ कदम उठाए हैं। मेरे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक वर्ष 2005 में राज्य सरकारों ने पूरे देश में 85,429 रेड्स की थी और 4440 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें से 2444 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था और कुछ मुकदमों का निर्णय आया है, जिसमें 39 लोगों को सजा हुई थी। सितम्बर, 2006 तक 89194 जगहों पर रेड्स की गई थीं, जिसमें 1302 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से 2062 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और अभी तक 125 लोगों को सजा हुई है। इस तरह से राज्य सरकारों पर कालाबाजारी को रोकने के संबंध में जो कदम उठाने की जिम्मेदारी है, वे उसे ठीक तरह से कर रही हैं।

महोदय, गेहूं की कमी की बात बार-बार उठाई जा रही है। यह बात सच है कि हमारे देश में गेहूं के स्टॉक की परिस्थिति ठीक नहीं थी। गेहूं के उत्पादन पर कुछ असर हुआ था, जो ट्रेड रिपोर्ट है, मार्केट रिपोर्ट है, इनके माध्यम से इस देश में 68 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन पिछले साल देश में हुआ था। मेरे मंत्रालय को राज्य सरकार के माध्यम से वहां के कृषि आयुक्त के माध्यम से, प्रोडक्शन कमिश्नर के माध्यम से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उनका यह कहना है कि 69.59 मिलियन टन उत्पादन हुआ।

प्रिक्यूरमेंट 15 मिलियन टन के आसपास करने की आवश्यकता थी, हम लोगों का प्रिक्यूरमेंट इस साल 9 लाख टन के आसपास हो गया। यह पहला साल था, जब किसानों के ऊपर कम्पलशन नहीं था कि उन्हें मंडी में आकर ही माल बेचने की आवश्यकता है। इससे पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट के माध्यम से किसानों के ऊपर यह बंधन था कि उन्हें अपनी पैदावार रैगुलेशन मार्केट में ही लाकर बेचने की आवश्यकता है। इस देश में सभी को अपनी पैदावारी देश में कहीं भी बेचने के लिए अधिकार है। लेकिन यह अधिकार किसान को नहीं था और यह किसान को जो अधिकार नहीं था, किसान को यह अधिकार देने के लिए देश के सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग लेकर इसमें तय हो गया कि ए.पी.एम.सी. एक्ट में सुधार करें और देश में किसानों को अपनी पैदावारी जहां उनको ठीक कीमत मिलेगी, वहां बेचने का अधिकार होना चाहिए, यह डिसीजन पुरानी सरकार के जमाने में लिया गया। नई सरकार के बाद फिर देश में कृषि मंत्रियों की मीटिंग बुलाई गई और उसमें यह डिसीजन दोहराया गया और दोहराने के बाद देश के 22 राज्यों ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट में सुधार किया और किसानों को कहीं भी अपना माल बेचने का अधिकार दे दिया। पहली बार पंजाब या हरियाणा में जो कम्पलशन था कि अपना गेहूं मंडी में रैगुलेशन मार्केट में थ्रू आढ़तिया फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को बेचना चाहिए, यह कम्पलशन इस साल नहीं था। इसलिए भले ही 650 रुपये कीमत सरकार ने तय की होगी तो और लोगों ने उनको 660-670 रुपये दे दिये और कुछ न कुछ प्रोड्यूस, उपज अन्य लोगों को भी इस बार मिल गई।

सदन के सामने अभी यह बताया गया कि आप इस तरह से कदम उठाइये कि पहले फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सरकार की जिम्मेदारी तक प्रिक्यूरमेंट जब तक नहीं होता, तब तक बाकी लोगों को आप मौका मत दीजिए। इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो जिम्मेदारी सरकार की है, उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं, इसमें कम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी सरकार को लेनी ही पड़ेगी। उसके लिए अगर इस देश में माल नहीं है तो दुनिया से माल लाकर लोगों की भूख की समस्या हल करनी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। मगर यह कहां तक ठीक है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें प्रिक्यूरमेंट करना है और हम जब तक प्रिक्यूरमेंट करेंगे, तब तक किसानों को दूसरे को बेचने हम अधिकार नहीं देंगे और हम जो कीमत तय करेंगे, उस कीमत से भले ही किसानों के हितों की रक्षा होती हो या नहीं होती हो, भले ही उनको वह पसन्द हो या पसन्द नहीं हो, मगर उन्हें उस कीमत पर ही हमें माल बेचना चाहिए, यह बंधन किसानों पर कहां तक लाना चाहिए, यह सोचने की आज आवश्यकता है। इस देश में जो प्रभु जी ने कहा कि देश का किसान आत्महत्या के रास्ते पर जा रहा है, लोग आत्महत्या के रास्ते पर जाते हैं, इसकी मार्केट में जब हम लोगों ने इन्क्वायरी की तो इसमें जो कई रीजंस हैं, उनमें से एक उनको ठीक तरह से कीमत नहीं मिलती, यह भी एक समस्या है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।

जहां तक गेहूं की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश के एक साथी ने गेहूं की समस्या उठाई है। आज हिन्दुस्तान में गेहूं कहां पैदा होता है, एक नम्बर पंजाब, दो नम्बर यू.पी., तीन नम्बर हरियाणा, चार नम्बर मध्य प्रदेश, पांच नम्बर राजस्थान और 6 नम्बर गुजरात का है। बाकी बिहार में थोड़ा होता है, महाराष्ट्र में थोड़ा होता है, बंगाल में थोड़ा होता है, मगर आज तक हमेशा प्रिक्यूरमेंट हम लोगों ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वैस्टर्न यू.पी. इलाके से हमेशा की है।

उत्तर प्रदेश सरकार की शिकायत रही है कि हमें ठीक तरह से गेहूं नहीं मिल रहा है। पंजाब के बाद लास्ट ईयर सबसे ज्यादा गेहूं का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में था। वहां गेहूं का व्यापक क्षेत्र था और उत्पादन भी हुआ था, मगर प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी वहां की सरकार ने ली और पूरे राज्य में टोटल प्रोक्योरमेंट केवल पचास हजार टन किया। मध्य प्रदेश ने दो हजार टन का प्रोक्योरमेंट किया। राजस्थान में प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ। बाकी राज्यों ने इस मामले में सहयोग नहीं दिया और देश की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ पंजाब और हरियाणा ने ली। वहां के किसानों को अगर हम ठीक तरह से कीमत नहीं देंगे और यही नीति लेकर हम आगे जाएंगे, तो कभी न कभी पंजाब का किसान भी हमसे पूछेगा और अगर वह पूछेगा, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है और इसमें सुधार करना पड़ेगा।

इस साल मिनिमम सपोर्ट प्राइज का जो निर्णय भारत सरकार ने लिया, इसमें सुधार करने की बात भारत सरकार ने की है। जहां तक इंपोर्ट हुआ और जो कुछ हुआ, हमें उसका गैप पूरा करना है। प्रोक्योरमेंट कम होने के बाद जो गैप होता है, उसे पूरा नहीं करेंगे, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कर सकते थे? इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आप इस चीज को नहीं भूल सकते।

एक सुझाव यह दिया गया कि आपने प्रोक्योर करने के बाद, जब मार्केट में माल था, तो आपने ज्यादा कीमत देकर क्यों नहीं खरीदा, आप बाहर से क्यों लाए? यह बात सच है कि हम खरीद सकते थे। अगर हम वह पचास लाख टन खरीदते, तो आज जो कीमत ओपन मार्केट में है, वह और ऊपर चली जाती, क्योंकि एवैलेबिलिटी सबसे बड़ी समस्या है। आज यह परिस्थिति क्यों पैदा हो गयी है? हमारा बफर स्टाक का नार्म जो चार मिलियन था,

[श्री शरद पवार]

वह पहले चार नहीं, दो मिलियन ही था। इसमें मार्केट रेट ऊपर गए, किसानों को पैदावारी बेचने का अधिकार मिला और इसका लाभ किसानों ने कुछ पैमाने पर ले लिया और पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ऐसी परिस्थिति में भी नौ मिलियन टन का जो प्रोक्योरमेंट सरकार और देश को दिया, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ऐसी परिस्थिति में भी नौ मिलियन टन का जो प्रोक्योरमेंट सरकार और देश को दिया, हम इसे नजरंदाज नहीं कर सकते। यह पंजाब और हरियाणा के किसानों की सेक्रीफाइज है। इसलिए आज जिस नीति पर हम आगे जा रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। किसानों को हमें ठीक कीमत देनी पड़ेगी। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेंट्रल इश्यू प्राइज हैं, जो सन् 2000 में थे, वही आज भी है। आज से छः साल पहले के सेलिंग प्राइज में बढ़ोत्तरी अभी तक नहीं हुई है। यह कब तक चलेगा? यह बात सही है कि आम गरीब लोगों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी अवश्य लेनी चाहिए। मगर छः साल में एक पैसे की भी वृद्धि, आप जो गेहूं लोगों को देते हैं, उसमें नहीं करेंगे, तो इसका असर किसानों के लिए जो कीमत तय होती है, उस पर भी होता है। क्योंकि जब पच्चीस हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी होती है, तो पच्चीस हजार करोड़ की सब्सिडी की फीगर सामने आने के बाद हमेशा बात आती है कि आप प्रोक्योरमेंट प्राइज कम करें, नहीं तो सब्सिडी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हमें इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। किसानों के हितों की भी रक्षा करनी है, साथ ही साथ समाज का जो अति गरीब वर्ग है और बीपीएल वर्ग है, इसके हितों की भी रक्षा करने की आवश्यकता है। मगर एबव पावर्टी लाइन की जो क्लास है, उन्हें भी कई सालों तक हम उसी रेट पर गेहूं देंगे और ऐसी नीति अपनायेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसका असर देश के ओवर आल प्रोडक्शन पर ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

आज जो सदन के सामने सुझाव लाए गए हैं, ये इश्यूज उसमें नहीं हैं, मगर सदन के सामने इश्यूज रेज किये गये, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ कहने का एक मौका ले लिया।

मैं सदन के सभी सदस्यों का आभारी हूं क्योंकि असैंशियल कमोडिटीज एक्ट में जिस परिवर्तन की आवश्यकता है और उसके पीछे जो प्रिंसिपल है, उसे सबने स्वीकार किया है। लोग उसका गलत फायदा न लें, इस ओर हमारा ध्यान रहेगा। व्यापारियों को हमेशा गलत कहना हमें मंजूर नहीं है, लेकिन जो लोग ब्लैकमार्किटिंग, होर्डिंग और जमाखोरी करते हैं, उनके विरुद्ध कदम उठाने की आवश्यकता है और उसका अधिकार इस बिल में है। सारी ट्रेडर कम्युनिटी इस रास्ते पर जा रही है, मुझे लगता है कि यह कहना जस्टिस की बात नहीं है। गलत को गलत कहना चाहिए। गलत कार्य करने वाले लोगों पर कंट्रोल रखना चाहिए और उसके लिए राज्य सरकारों को अधिकार होने चाहिए। सभी वस्तुओं के लिए उस अधिकार की आवश्यकता नहीं है बल्कि आम जनता की जरूरत की चीजों के लिए अधिकार देने की आवश्यकता है। इस सीमित उद्देश्य को सामने रखकर सदन के सामने सुधार लाया गया है। मुझे विश्वास है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं, परन्तु एक प्रश्न का उत्तर दिया जाना अभी भी शेष है और यह उस उपबंध के बारे में है जिसमें एक वस्तु को अधिकतम छह महीने तक की लघु अवधि के बारे में अधिसूचित किया जाना होता है। यह 'छह महीने' क्यों हैं? अधिसूचना की अवधि केवल छह महीने बताई गई है। इस प्रकार की सीमा को हटाया क्यों नहीं जा सकता?

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, वस्तुतः यह सही उपबंध है क्योंकि यदि आप इसे छह महीने से आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आवश्यक वस्तुओं की कमी स्थायी तौर पर बनी रहेगी और यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह एक समस्या है। हमें मानना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं की कमी अस्थायी है और इसलिए अस्थायी उपायों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम मानते हैं कि कमी स्थायी है और इस प्रकार के उपाय द्वारा इसका समाधान किया जा सकता है तो हम वस्तुतः समस्या का आंशिक हल ढूंढ रहे होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यह होना चाहिए।

अब मैं अपनी दूसरी बात पर आता हूं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। यदि आप इसे छह महीने से अधिक कर रहे हैं तो आपको सभा को विश्वास में लेना चाहिए क्योंकि आप विधायिका की स्वीकृति के बिना विधान बनाने की विधायिका की शक्ति का निरसन नहीं कर सकते।

श्री शरद पवार: यहां श्री सुरेश प्रभु ने ही उत्तर दे दिया है। यदि स्थिति ऐसी हो और कमी हो तथा आप लोगों को लूटा जा रहा हो तो सरकार के पास किसी वस्तु विशेष को शामिल करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता। सरकार के लिए यह स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है कि हम इसे क्यों शामिल कर रहे हैं।

दूसरे, हमने इस अवधि को छह महीने रखा है। यदि स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है और स्थिति की आवश्यकता है तो सरकार के पास इस अवधि को बढ़ाने की शक्ति होती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आएगी। साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि ऐसी स्थिति स्थायी नहीं होनी चाहिए। आज या कल हमें इस मुद्दे को सुलझाना है, यदि संभव हो तो हमें आत्मनिर्भर बनना है और हम इस प्रकार के उपबंधों को हटाना चाहते हैं, जहां स्थानीय स्तर के कुछ अधिकारियों को अनावश्यक रूप से बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं क्योंकि कई बार इसका दुरुपयोग भी होता है।

श्री प्रभु द्वारा उठाए गए दूसरे मुद्दे के बारे में कि संसद की स्वीकृति क्यों आवश्यक नहीं है, मैं कहूंगा कि जब किसी वस्तु को शामिल करने अथवा बाहर करने का प्रश्न आता है तो महत्वपूर्ण होती है राज्य सरकार। अंततः राज्य सरकार ही प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित होती है। वह एजेंसी अथवा वह प्राधिकारी ही जनता के साथ इस प्रकार के मुद्दों को प्रत्यक्ष रूप से निपटाता है। इसीलिए राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श को शामिल किया जाता है। मूलतः यह उपबंध नहीं था, परन्तु विपक्ष की ओर से यह संशोधन आया और सरकार ने इसे स्वीकार किया। हम भारत सरकार के पास एकपक्षीय शक्तियां नहीं चाहते। हम पहले राज्य सरकार से विचार-विमर्श के पश्चात् शक्तियां ग्रहण करना चाहते हैं। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह स्पष्टीकरण दे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि मुझे जब भी संसद जाना होगा और यदि कोई संकट होगा तो संसद जाना हर बार कठिन हो जाएगा। इसलिए, जो भी उपबंध हैं, वह पर्याप्त है ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभुः मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, परन्तु जैसे ही यह हो जाए आप संसद को इसकी सूचना दें। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आपको इसके बारे में संसद को सूचित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयः सभा अब, विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए। अधिसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शरद पवारः मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयः सभा अब कल 29 नवंबर 2006 के अपराह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, बुधवार 29 नवंबर 2006/8 अग्रहायण 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री सुबोध मोहिते श्री सुग्रीव सिंह	81
2.	श्री वी.के. ठुम्मर श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	82
3.	श्री रनेन बर्मन	83
4.	प्रो. रासा सिंह रावत	84
5.	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव श्री बृज किशोर त्रिपाठी	85
6.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	86
7.	श्री प्रबोध पाण्डा श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	87
8.	श्री रायापति सांबासिवाराव श्री के. फ्रांसिस जार्ज	88
9.	श्री जे.एम. आरून रशीद श्री सज्जन कुमार	89
10.	श्री कीरेन रिजीजू श्री संतोष गंगवार	90
11.	श्री रवि प्रकाश वर्मा डा. बाबू राव मिडियम	91
12.	श्री लक्ष्मण सिंह	92
13.	श्री पन्नियन रवीन्द्रन श्री नवज़ोत सिंह सिद्धू	93
14.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्रीमती मिनाती सेन	94
15.	डा. चिन्ता मोहन श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	95
16.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री टेक लाल महतो	96
17.	श्रीमती करुणा शुक्ला	97
18.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री हरिसिंह चावड़ा	98
19.	श्री जुएल ओराम	99
20.	श्री राकेश सिंह श्री इकबाल अहमद सरडगी	100
21.	श्री हन्नान मोल्लाह	101

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	956, 1007
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	863, 992
3.	आदित्यनाथ, योगी	955
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	844, 938, 996, 1046
5.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	898, 978
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	883, 914, 966, 988, 1015
7.	अजनाला, डा. रतन सिंह	1056
8.	आठवले, श्री रामदास	866, 936, 1020, 1041, 1053
9.	आजमी, श्री इलियास	861
10.	"बचदा", श्री बची सिंह रावत	1004, 1051
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1062
12.	बर्मन, श्री रनेन	1023, 1055
13.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	882
14.	बखला, श्री जोवाकिम	841, 940, 963
15.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	865, 915
16.	भडाना, श्री अवतार सिंह	956
17.	भक्त, श्री मनोरंजन	879
18.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	848, 987, 1029, 1045, 1062
19.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	850
20.	बोस, श्री सुब्रत	854, 1047
21.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	845, 1036, 1054, 1060, 1066

1	2	3
22.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	899
23.	चौरे, श्री बापू हरी	838, 889, 1010
24.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	944, 997
25.	चिन्ता मोहन, डा.	862
26.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	872, 979, 1019, 1025, 1043
27.	चौधरी, श्री पंकज	910
28.	चौधरी, श्री अधीर	865, 891, 914, 1004, 1035
29.	देवरा, श्री मिलिन्द	1058
30.	धनराजू, डा. के.	897
31.	ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह	955, 1056
32.	धोत्रे, श्री संजय	838, 889, 1010
33.	दत्त, श्रीमती प्रिया	899
34.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1003
35.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	900, 931
36.	गंगवार, श्री संतोष	971, 1008, 1015
37.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	838, 889, 1010
38.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	877, 937, 1004
39.	गुढ़े, श्री अनंत	1061
40.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	899, 930, 994
41.	हसन, चौधरी मुनव्वर	934
42.	हसन, श्री अनवर	928
43.	जटिया, डा. सत्यनारायण	877, 921
44.	झा, श्री रघुनाथ	892, 904
45.	जिन्दल, श्री नवीन	877, 881, 1008
46.	जोगी, श्री अजीत	912, 1036, 1060
47.	जोशी, श्री प्रहलाद	858, 892
48.	कलमाडी, श्री सुरेश	926
49.	कनोडीया, श्री महेश	873, 920, 991
50.	करुणाकरन, श्री पी.	901, 953, 981
51.	खैरे, श्री चंद्रकांत	858, 909
52.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	874, 955, 960
53.	खन्ना, श्री अविनाश राय	952, 1038
54.	खारवेनथन, श्री एस.के.	857, 893, 900, 949, 1001
55.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	899, 914
56.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	892, 1061
57.	कृष्ण, श्री विजय	910, 923
58.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	888
59.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	887, 970
60.	"ललन", श्री राजीव रंजन सिंह	892, 1063
61.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	883
62.	लिब्रा, श्री सुखदेव सिंह	955, 1056
63.	महतो, श्री सुनिल कुमार	997
64.	महताब, श्री भर्तृहरि	932
65.	महतो, श्री टेक लाल	964, 1011
66.	माझी, श्री परसुराम	933
67.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	892, 913, 1015
68.	मंडल, श्री सनत कुमार	872
69.	माने, श्रीमती निवेदिता	900, 931
70.	मसूद, श्री रशीद	907, 985
71.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	893, 902
72.	मिडियम, डा. बाबू राव	1010

1	2	3
73.	मेघवाल, श्री कैलाश	885, 1008
74.	मिश्रा, डा. राजेश	956
75.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	877, 918
76.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	883, 899, 922, 960
77.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	925, 955, 1004
78.	मोहन, श्री पी.	870
79.	मो. ताहिर, श्री	935
80.	मोहिते, श्री सुबोध	955
81.	मोल्लाह, श्री हन्नान	877
82.	मंडल, श्री अबु अयीश	1040
83.	मुर्मू, श्री हेमलाल	955, 959, 1004, 1010
84.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	899
85.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	883, 913, 937
86.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	892
87.	नायक, श्री अनन्त	895, 911, 976, 1023, 1048
88.	निखिल कुमार, श्री	891
89.	ओराम, श्री जुएल	955, 962
90.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	840, 953, 990, 1004
91.	पलनिसामी, श्री के.सी.	852, 882, 886, 946, 1003
92.	पंडा, श्री ब्रह्मानन्द	1019
93.	पाण्डा, श्री प्रबोध	954, 1005
94.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	892, 937
95.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	961

1	2	3
96.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	906, 941
97.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	950, 1004, 1037, 1051
98.	पटैरिया, श्रीमती नीता	878
99.	पाठक, श्री ब्रजेश	886, 894, 975, 1022, 1042
100.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	916
101.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	903, 983, 1036
102.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	867, 892, 893, 955, 974
103.	प्रधान, श्री प्रशान्त	899
104.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	941, 1036
105.	राजगोपाल, श्री एल.	869, 877, 969, 1014
106.	रामदास, प्रो. एम.	890, 972, 1019
107.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	837, 939, 1002, 1038, 1047
108.	राणा, श्री गुरजीत सिंह	1051
109.	राणा, श्री काशीराम	944, 982, 1027, 1051
110.	राव, श्री के.एस.	846, 966, 993
111.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	955, 1006, 1036, 1050
112.	राव, श्री डी. विट्ठल	877
113.	रावले, श्री मोहन	911, 958, 986, 1028, 1044
114.	रावत, प्रो. रासा सिंह	948, 1000, 1035
115.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	852, 899, 942, 998, 1032

1	2	3
116.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	877, 896, 977, 1003, 1024
117.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	884
118.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	898, 978, 1036
119.	रिजीजू, श्री कीरेन	957, 1008
120.	साई प्रताप, श्री ए.	868, 911
121.	सज्जन कुमार, श्री	956, 1007
122.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	892, 951, 955, 1017
123.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	860, 984, 1040
124.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	908
125.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	883, 886, 967, 1012, 1051
126.	सत्पथी, श्री तथागत	877, 880
127.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	899, 917, 989, 1030, 1049
128.	सेनथिल, डा. आर.	966
129.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	839
130.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	867, 893, 955, 974
131.	शिवाजीराव, अधलराव पाटील	911, 951, 955, 1057, 1064
132.	शिवन्ना, श्री एम.	864, 970, 980, 1026
133.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	892, 953, 970, 1035, 1036
134.	सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.	851, 945, 1016, 1039
135.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	943
136.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	961
137.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	869, 900, 958
138.	सिंह, चौधरी लाल	859
139.	सिंह, श्री दुष्यंत	877, 881, 951, 965
140.	सिंह, श्री गणेश	927
141.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	900, 931
142.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	869, 892
143.	सिंह, श्री मोहन	955
144.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	849, 968, 1013, 1038, 1051
145.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	876, 963
146.	सिंह, श्री रेवती रमण	924
147.	सिंह, श्री सुग्रीव	838, 913, 1004, 1037
148.	सिंह, श्री उदय	865, 973, 1021
149.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह	920, 991
150.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	1051
151.	सुब्बा, श्री मणीकुमार	853, 947, 999, 1033, 1040
152.	सुगावनम, श्री ई.जी.	855, 900, 975, 995
153.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	875
154.	सुमन, श्री रामजीलाल	862, 892
155.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1059
156.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	847
157.	थामस, श्री पी.सी.	929, 993, 1031
158.	ठुम्मर, श्री वी.के.	941, 1034

1	2	3
159.	थुपस्तन, श्री छेवांग	905
160.	तोपदार, श्री तरित बरण	910
161.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	871, 1018, 1040, 1052
162.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	919, 1065
163.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1051
164.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	883
165.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	924
166.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	955, 958, 1009, 1057
167.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	856, 876, 1034
168.	यादव, श्री गिरिधारी	
169.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	903, 953, 1064
170.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	958, 1009, 1036

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	83, 93, 101
वाणिज्य और उद्योग	:	82, 84, 86, 88, 90
गृह	:	89, 94, 97
मानव संसाधन विकास	:	85, 87, 91, 92, 96, 100
खान	:	99
लघु उद्योग	:	98
वस्त्र	:	81
जनजातीय कार्य	:	
महिला और बाल विकास	:	95

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	839, 841, 856, 866, 915, 925, 940, 944, 987, 1007, 1025, 1027, 1055
वाणिज्य और उद्योग	:	858, 860, 867, 872, 873, 875, 876, 881, 883, 884, 887, 888, 898, 901, 903, 906, 912, 914, 918, 922, 926, 927, 928, 929, 930, 935, 938, 943, 949, 952, 954, 959, 964, 967, 969, 971, 973, 977, 979, 981, 982, 983, 988, 989, 993, 994, 1029, 1030, 1031, 1035, 1038, 1039, 1044, 1049, 1050, 1054, 1057, 1060, 1063, 1066
गृह	:	837, 850, 852, 853, 857, 859, 862, 863, 865, 869, 870, 885, 886, 891, 892, 894, 900, 902, 904, 908, 909, 911, 913, 920, 934, 937, 942, 950, 951, 955, 956, 957, 961, 962, 963, 965, 968, 974, 978, 980, 985, 990, 998, 999, 1002, 1005, 1008, 1012, 1013, 1015, 1018, 101, 1022, 1024, 1032, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1046, 1051, 1056
मानव संसाधन विकास	:	840, 843, 844, 851, 854, 861, 864, 868, 874, 877, 878, 889, 893, 899, 905, 923, 924, 931, 932, 939, 947, 953, 958, 960, 966, 975, 984, 991, 1004, 1006, 1009, 1010, 1036, 1045, 1052, 1058, 1061, 1062, 1064, 1065

खान	:	879, 897, 933, 946, 992, 1011, 1017, 1023, 1048
लघु उद्योग	:	849, 895, 910, 919, 976, 1047
वस्त्र	:	838, 845, 846, 848, 890, 896, 921, 941, 945, 948, 986, 995, 997, 1000, 1014, 1019, 1020, 1028, 1037, 1043, 1053
जनजातीय कार्य	:	855, 936, 996, 1059
महिला और बाल विकास	:	842, 847, 880, 882, 907, 916, 917, 970, 972, 1001, 1003, 1016, 1026

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/23/5/2006 (एन०)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मै. धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।